राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या 17

बुद्धवार,

दिनांक सितम्बर 3, 1969

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.03 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, उद्योग, विधि, राजस्व, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, समाजकल्याण विभाग]

प्रश्न, श्री जयनारायण सालोदिया ।

राजस्थान में चुकन्दर की खेती

553. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कहां कहां और कितनी कितनी एकड़ में चुकन्दर की खेती की जाती है और इससे कितनी शक्कर किस प्रकार की बनाई गई ?

(2) क्या यह भी सच है कि काफी मात्रा में शक्कर चुकन्दर से तैयार की जा सकती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है राज्य में चुकन्दर की खेती सिर्फ गंगानगर जिले के काश्तकारों द्वारा की जाती है। इसकी खेती प्रयोगात्मक रूप से की जाती रही है। प्रश्न में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है:-

सीजन	क्षेत्रफल जिसमें चुकन्दर बोया गया	कुल चुकन्दर डिफ्यूज्ड हुआ	चुकन्दर की चीनी प्राप्त हुई
	एकड़	क्विन्टल	क्विन्टल
1967-68	60	6489.35	601
1968-69	100	5330.22	433

(2) जी हां, चुकन्दर से शक्कर बनाने के लिये एक डिफयूजन प्लान्ट लगाने की योजना विचाराधीन है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इस प्लान्ट पर कुल कितना खर्च होने की सम्भावना है और कब तक तैयार होकर काम शुरू करने का है ?

Page No 2

श्री हरिदेव जोशी: प्लान्ट इटसेल्फ परतो लगभग 20 लाख के करीब खर्च होगा। कुल जो योजना बनाई है वह लगभग 80 लाख की है,क्योंकि उसमें पावर का एलीमेंट है। दूसरी चीज कब तक होगी यह गवर्नमेंट के विचाराधीन है इसलिये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट बहुत मार्जिनल है। यह पहले ढंग का एक्सपेरीमेंट है कन्ट्री में। जो पाईलट प्रोजेक्ट लगाया गया था, केवल राजस्थान में सक्सेसफुल हुआ और वह भी गंगानगर में इसलिये हेसीटेशन है किन्तु जो एक्सपर्ट ने ओपीनियन दी है यह बड़े पैमाने पर काम में लाया जा सकता है अब राजस्थान के बाद दूसरी प्राइवेट फर्मो ने इसके लिये ऑर्डर पेश किये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया: यह राजस्थान में कहां लगाया जायगा और राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में इसकी खेती होगी ?

श्री हरिदेव जोशी: गंगानगर शूगर मिल जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसमें एक्सपेरीमेंट किये हैं और खेती वहीं होगी–इस प्लान्ट के आस-पास ही खेती करने का है ताकि वाहन का खर्चा नहीं हो।

श्री केदार नाथ (गंगानगर): शूगरकेन की खेती प्रति एकड़ चुकन्दर की खेती प्रति एकड़ से कम है या ज्यादा ?

श्री हरिदेव जोशी: मैं ऑफ हेन्ड कुछ नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर है कि नर्दन जोन में जो रिकवरी है शूगरकेन की उसकी अपेक्षा चुकन्दर की रिकवरी ज्यादा अच्छी है और दूसरा यह है कि वर्किंग डेज बढ़ जाते हैं। चुकन्दर से वर्किंग डेज काफी बढ़ जाते हैं, यह अच्छा है।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या भारतवर्ष के अलावा अन्य किसी देश में चुकन्दर की खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है?

श्री हरिदेव जोशी: मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष: भारतवर्ष के अलावा चुकन्दर की खेती अच्छी मात्रा में होती है ?

श्री हरिदेव जोशी: बहुत बड़ी मात्रा में होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां शूगरकेन के आधार पर ज्यादा होती है। दूसरे देशों में चुकन्दर की खेती अधिक मात्रा में होती है ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर): गंगानगर में चुकन्दर से शक्कर बनाने का कारखाना लगाया जायेगा, क्या आप यह कहने की स्थिति में है ?

श्री हरिदेव जोशी: जी नहीं।

श्री दौलतराम सारण: केवल कल्पना मात्र है।

श्री हरिदेव जोशी: ऐसी बात नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया एक्सपेरीमेंट पूरा होगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी जायगी, कितना मार्जिनल प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट है उसके मुकाबले में वह लगभग 80 लाख है। केस केबिनेट के पास है। अगर केबिनेट ने इतना एक्सपेन्डिचर एप्रूव किया और एक्सपर्ट्स की अच्छी ओपीनियन रही तो हो सकता है और इतना इन्वेस्टमेंट मंजूर नहीं किया तो नहीं लगेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। राजस्व मंत्री महोदय।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या मंत्रीमण्डल में भी चुकन्दर हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मंत्रीमण्डल में तो नहीं हैं बाहर तो हैं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। अधिकाधिक मात्रा में।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन): मंत्रीमण्डल में कितने हैं?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो आप खुद ही देख लीजिये।

ग्राम बिचून में भूमि का आवंटन

554. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिचून, तहसील दूदू में सुलेमान पुत्र गीगा, कलाल के खातेदारी में 30।।) 2 जमीन है और इसी के लड़के श्री सद्दीक मोहम्मद के नाम पुनः 5।।) 3 जमीन सरपंच ने तहसीलदार को मुगालता देकर आवन्टन करा दिया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में नाथू पुत्र श्योनाथ ब्राह्मण के नाम से 6।।) 1 जमीन का आवन्टन हुआ है जबकि इसके पिता बद्रीनारायण के खाते में जमीन है परन्तु पिता का नाम सरपंच ने गलत दर्ज करवाया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में श्योजीराम पुत्र लादूराम के नाम से 2।।) 4 बीघा जमीन का आवंटन हुआ है जो मौका पर व खसरे में गै० मु० श्मशान है?

(4) क्या यह सही है कि सूरज करण पुत्र रामदेव जाट कड़वां के वांस के नाम से 280,।।, 2।,1।।।) 2 गै० मु० तलाई का एलॉटमेंट हुआ है जिससे ग्राम की मवेशियों को पानी पिलाने में भारी अड़चन हो रही है?

(5) क्या यह सही है कि गोविन्द पुत्र मांगू रेगर की उक्त ग्राम में खातेदारी में 29) बीघा जमीन है परन्तु सरपंच ने रिश्वत लेकर इसके लड़के (1) रामचन्द्र को 5, 2 राम दयाल को 5, 3 कुबड़ा को 5 इस तरह 15 बीघा जमीन आवन्टन करवा दी जब कि गोविन्दा मौजूद है?

(6) क्या यह सही है कि धन्ना पुत्र नन्दा जाट के नाम 15) बीघा भगवानदास चेला मोतीरामदास के नाम 7) बीघा जमीन का आवन्टन हुआ है जबकि इन नामों के इस ग्राम बिचून में कोई व्यक्ति नहीं है? क्या सरपंच ने गलत आवन्टन कराया है?

(7) क्या यह सही है कि महादेव पुत्र मुन्ना कुम्हार के खात में 25) 4 जमीन और सरपंच ने रिश्वत लेकर इसके लड़के मोती वल्द महादेव के नाम से 9) 4 जमीन का आवन्टन करवा दिया जो कस्बा बिचून म है?

(8) क्या सरकार इस उपरोक्त गलत आवन्टन को समाप्त कर ग्राम के भूमिहीन हरिजनों को यह भूमि आवंटित करेगी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) यह सही है कि ग्राम बिचून में सुलेमान पुत्र गीगा कलाल की खातेदारी में 30।।) 2 भूमि है। यह भी सही है कि उसके लड़के सद्दीक मोहम्मद को 5।।।) 3 भूमि इसी ग्राम में एलॉट की गई

(श्री गंगाराम चौधरी)

थी, लेकिन इसे भूमि का कब्जा नहीं दिया गया। भूमि बदस्तूर सिवाय चक है।

(2) नाथू पुत्र श्योनाथ ब्राह्मण के नाम ग्राम बिचून में 6।।) भूमि आवंटन हुई है। इस ग्राम में नाथू पुत्र बदरी नारायण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। श्री बद्री पुत्र बालू ब्राह्मण इस ग्राम में अवश्य है जिसकी खातेदारी में 11।।।) भूमि है लेकिन इसके कोई सन्तान नहीं है।

(3) श्योजी राम पुत्र लादूराम को ग्राम बिचून में 2।।)4 भूमि खसरा नम्बर 2678 को आवंटन हुई है जिसकी किस्म जमीन रेकार्ड बन्दोबस्ती बंजड़ दोयम है। इस नम्बर की भूमि पर श्मशान होने का इन्द्राज कागजात लैन्ड रिकार्डस में नहीं है।

(4) ग्राम बिचून के खसरा नम्बर 280½ गैरमुमकिन तलाई 1।। का आवंटन 16-1-62 को श्री सूरजकरण पुत्र रामदेव जाट कडवा के वास के नाम हुआ है। रिकार्ड में वह क्षेत्र गैरमुमकिन तलाई दर्ज है जिसका आवंटन नियमानुसार नहीं हो सकता। इस बारे में तहसील से अब तक कोई कार्यवाही इसे रद्द करने की नहीं की गई। अब इसकी जांच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) गोविन्दा पुत्र मांगू रेगर, ग्राम बिचून के नाम 29।।)3 जमीन खातेदारी में खतौनी बन्दोबस्ती में दर्ज है परन्तु यह भूमि वास्तव में मु० गुलाब कंवर बेवा चतरसिंह राजपूत की कदीमी है जो उसके कब्जे में ही है तथा लगान भी मु० गुलाब कंवर ही अदा करती है। गोविन्दा का उस भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। गोविन्दा की मृत्यु हो चुकी है इसके लड़के रामचन्द्र को 5) व रामदयाल को 5), कूबडा को 5) तारीख 31-1-62 को भूमिहीन के कारण भूमि एलॉट हुई है।

(6) धन्ना पुत्र नन्दा जाट के नाम दिनांक 31-1-62 को 15) भूमि आवंटन हुआ जो इस ग्राम बिचून में मौजूद है व काश्त करता है तथा लगान भी जमा करते हैं। भगवानदास चेला मोतीरामदास के नाम भी दिनांक 31-1-62 को 7) भूमि एलॉट हुई है। यह व्यक्ति गाने-बजाने का काम करता है और कभी कभी बाहर भी कमाने खाने चला जाता है लेकिन वह काश्त करता है व लगान भी जमा कराता है।

(7) महादेव पुत्र मन्ना कारीगर, ढानी नयाबास, बिचून की खातेदारी में 25)4 भूमि है। यह सही है कि इसके लड़के मोतीराम का 9)3 भूमि खसरा न० 434/3 इसी ग्राम में मिसल नम्बर 439/1962 से एलॉट की गई है जो उसको अपने पिता से पृथक रहने के कारण भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में आने से आवंटन की गई है।

(8) ग्राम बिचून में जो भूमिहीन हरिजन हैं उनको भूमि आवंटित की जा चुकी है और भूमि उपलब्ध होने की दशा में यदि कोई भूमिहीन हरिजन होगा तो उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री सुवालाल चौधरी : आपने जो गलत एलॉटमेन्ट माना है तहसील और कलेक्टरी ने इस संबंध में जो कार्यवाही नहीं की और सद्दीक मोहम्मद ने गैर कानूनी तौर से एलॉट करा रखी है और आप कहते हैं कि कब्जा नहीं है तो क्या यह जमीन किसी हरिजन को एलॉट करने की सरकार कार्यवाही करेगी? दूसरे कड़वा के वास जो गैरमुमकिन तलाई को एलॉट कर दी है और मवेशी

Page No 5

(श्री **सुवालाल** चौधरी)

पानी पीने से महरूम रही है तो क्या सरकार इसको जैसे गैर मुमकिन तलाई थी वैसे ही करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न (1) में यह निवेदन किया है कि यह आवंटन सही नहीं जान पड़ता है। इस संबंध में जांच करवा ली जायगी लेकिन यह आवंटन 1962 में हुआ था और उसके बाद में किसी ने अब तक अपील या निगरानी आदि दायर नहीं की थी इसलिये अब जांच करके जो भी मुनासिब कानूनन कार्यवाही की जा सकती है वह की जायेगी।

तलाई के संबंध में मैंने प्रश्न के उत्तर में ही निवेदन कर दिया है कि इस संबंध में जांच आरम्भ कर दी गयी है। यह प्रश्न के भाग (4) में निवेदन कर दिया है और जैसा नतीजा होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुवालाल चौधरी : दूसरें यह है कि नन्दा के नाम से 15 बीघा जमीन एलॉट हुई है और यह इस ग्राम का रहने वाला नहीं है। यह सही अर्ज करता हूं मैं। क्या सरकार इसकी सही जांच करायेगी कि गलत नाम से एलॉट कराके सरपंच उस जमीन का फायदा उठाता है। दूसरे यह है कि जो मोतीराम को 9 बीघा जमीन एलॉट हुई है उसके बाप के नाम से 25 बीघा खातेदारी जमीन आप मानते हैं और उसी का लड़का नाबालिग है और उसी के साथ रहता है उसके नाम से 9 बीघा जमीन और एलॉट हो गयी है तो क्या सरकार जो गैरकानूनी तौर से एलॉट हुई है तो जो गलत ढंग से एलॉट हुई है उनके बेटों और पोतों को झूठा एलॉटमेंट हुआ है और भूमिहीन यों हीं रह गये है तो क्या जितने गलत एलॉटमेंट है उन को कैंसिल करने की कार्यवाही की सरकार सोचती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में अपनी जानकारी के अनुसार यह निवेदन किया था कि धन्ना पुत्र नन्दा गांव में मौजूद है और काश्त करता है। माननीय सदस्य अगर ऐसा कहते है कि यह व्यक्ति इस गांव का रहने वाला नहीं है तो इस संबंध में जांच करवा ली जायेगी। अन्य जो आवंटन के बारे में माननीय सदस्य ने बताया कि अपने पिता के नाम से अधिक भूमि 25 बीघा होने के उपरान्त भी उसके लड़के को 9 बीघा जमीन देदी गयी है और नियमानुसार कोई व्यक्ति अपने कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के नाम भूमि होने के उपरान्त और प्राप्त करता है तो वह अधिकारी नहीं है। अब तक की जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति अपने पिता से अलग रहता था इसलिये इसको आवंटन किया गया था, और माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो इस संबंध में भी जांच ली जावेगी। यह आवंटन बहुत पुराना है, अध्यक्ष महोदय। इस संबंध में अपील और निगरानी के प्रावधान होने के बाद भी किसी ने अपील वगैरह नहीं की है इसलिये जो भी कठिनाई इस समय सामने आयेगी उसको देखते हुए आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री विजय**सिंह**।

भूतपूर्व शिक्षा सचिव द्वारा यात्रा व्यय की वसूली

555. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व शिक्षा सचिव, श्री विष्णुदत्त शर्मा ने आबू

Page No 6

(श्री विजयसिंह)

से जयपुर तक एयरकन्डीशन्ड कम्पार्टमेन्ट में यात्रा की जिसका किराया स्पोर्ट्स कौंसिल द्वारा दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इसी यात्रा का यात्रा-व्यय श्री शर्मा ने शिक्षा विभाग से भी वसूल कर लिया ?

(3) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इस संबंध में श्री शर्मा के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज की है ? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया उस एफ० आई० आर० की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, गृह, (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है इसलिये इसको स्थगित किया जाये।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या जानकारी है जो आपको प्राप्त नहीं हुई है ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जिसकी जानकारी नहीं हो सकती। स्ट्रेट क्वेश्चन हैं और निवेदन यह है कि वैसे तो बकरे की मां कब तक खावर मनायेगी-जब पता है कि यह लास्ट डे है तो इसको पोसपोन किया जा रहा है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा कोई सरकार का इरादा नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : हम मंत्री महोदय से जानकारी चाहेंगे कि जानकारी किस बात की नहीं आई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मन्शा नहीं है कि इसका जवाब नहीं दिया जाये और ज्योंही यह प्रश्न मिला यह आई० ए० एस० अफिसर से संबंधित प्रश्न है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : इस संबंध में मैं खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय खेद का अवसर अभी नहीं आया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, ज्योंही यह प्रश्न मिला उनकी शिकायत आई० ए० एस० आफिसर के विरुद्ध है तो यह सोचा गया कि इसका सीधा संबंध एपॉइन्टमेंट्स डिपार्टमेन्ट से पड़ता है तो इस प्रश्न को वहां भेजा गया और वहां से वापिस कल ही होम डिपार्टमेन्ट को प्राप्त हुआ है इसलिये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि इसको पोसपोन किया जाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्वेश्चन यह नहीं है...

श्री फतेहसिंह : जहां ज्वाइन्ट रेस्पान्सीबिलिटी है इसको टाला जा रहा है और ऑफिसर को संरक्षण दिया जा रहा है। Sin Seems less than the sinner seeming great. अपराध करने वाला आदमी बड़ा है इसलिये उसका अपराध भी छोटा मालूम पड़ रहा है, और यह संरक्षण दिया जा रहा है। आप दूसरों में कैसे भ्रष्टाचार को कम कर सकोगे?

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है कि होम डिपार्टमेन्ट को एड्रेस किया गया था और उसने जी० ए० डी० को भेज दिया। केवल

(श्री भैरोंसिंह)

पूछा तो यह गया है कि एन्टीकरप्शन में कोई रजिस्टर हुआ है या नहीं केस? अगर हुआ है तो उसका परिणाम क्या है? इसमें जी० ए० डी० कहां आ गयी?

श्री अध्यक्ष : इस समय मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ऐसी बात है इस समय मेरे पास।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अगर आसन अपने आपको शासन के उत्तर से यह समझे कि मैं असमर्थ हूं, तो बहुत मुश्किल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: तो क्या मैं मंत्री महोदय को विवश करूं कि अभी उत्तर दें?

श्री भैरोंसिंह : आप मत करें हम विवश कर देंगे। सिर्फ हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको तो सदन का प्रोटेक्शन है।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन का उत्तर मंत्री महोदय नहीं दें तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और दो-तीन मंत्रियों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन विधान सभा के सामने रखे जायें तो कोई उत्तर देने से गुरेज नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत इम्पॉर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : अगर वह अलग से है तो वह भी खड़ा कर दिया जायेगा। इसमें डाइरेक्ट गृह मंत्री जी से पूछा गया है और इतना ही पूछा गया है कि इसकी एफ० ईं० आर० की कॉपी सामने रखें और उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और दो-दो जगह से पैसा उठाया है।

श्री फतेहसिंह : क्या एफ० आई० आर० दर्ज हुई थी या नहीं? यह पब्लिक डाकुमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : इस समय आप उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा: इस समय मैं स्थिति में नहीं हूं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): एक महीने पहले दिया हुआ है और अभी तक उत्तर नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा: मैंने कहीं नहीं कहा है कि राज्य सरकार जवाब नहीं देगी। यह सही है कि गृह मंत्रालय को यह एड्रेस किया गया है लेकिन मैंने यह कहा है कि ऐसा सोचा गया कि इसका सीधा संबंध एपॉइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट से है इसलिए इसको उत्तर के लिए एपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट को भेजा गया और वहां से गृह मंत्रालय को कल ही प्राप्त हुआ है इसलिए आज उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री फतेहसिंह : आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है। What have you to say about it? एफ० आई० आर० दर्ज हुई या नहीं?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): यह प्रश्न किसी के पास भी भेजा गया इससे इस सदन को कोई सरोकार नहीं है। इस सदन को तो केवल प्रश्न के द्वारा सूचना से सरोकार है इसलिए इसमें केवल दो बातें पूछी गयी हैं एक तो यह है.....

Page No 8

श्री अध्यक्ष: वह तो उसमें लिखी हुई है। मेरे पास भी है।

श्री दौलतराम सारण: केवल सूचना ही चाहते है और दोनों सूचनाएं बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो यह है कि एफ० आई० आर० दर्ज हुई कि नहीं। आप बता दें इसमें बड़ी लम्बी-चौड़ी सूचना की बात नहीं है। हम इस पर और प्रश्न नहीं पूछेंगे कि कब हुई, वह नहीं पूछेंगे और क्या कार्यवाही हुई यह भी नहीं पूछेंगे। यह बतादें कि एफ०आई० आर० दर्ज हुई कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : यह भी बता दें कि वाकई में उन्होंने दो-दो जगहों से टी० ए०, डी० ए० ड्रा किया है ? यह स्पष्ट बात है। इसमें लम्बी-चौड़ी सूचना की जरूरत नहीं है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इस प्रश्न का जवाब नहीं देने का इरादा सरकार का नहीं है। इसमें बात स्पष्ट है जैसा कि पहले माननीय सदस्यों को बताया गया कि आई० ए० एस० ऑफिसर से इसका सम्बन्ध था इसलिए एपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट को क्वेश्चन रेफर किया गया था, मगर वहां से कल ही वापस गृह विभाग को आया है, और आप जितना सीधा इसको समझते हैं कि मैं यहां खड़ा होकर जवाब दे दूं, वह नहीं है जब तक कि इसके मुताल्लिक कागजात को न देखा जाय और तफतीश को न देखा जाय। जब तक यह पता नहीं लगे कि किस साल का है, क्योंकि आपने प्रश्न में कुछ नहीं लिखा है कि किस अरसे के अन्दर मुकद्मा दायर हुआ है, तो सारे रोजनामचे देखने पड़ेंगे कि कब मुकद्मा दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। इसलिए कल ही आपका सवाल आया है तो मैंने यह आदेश दिया है कि तमाम कागजात मंगाये जायं और देखे जायं। इसलिए जब तक कागजात नहीं देखे जायं तब तक मैं इस स्थिति में नहीं है कि यह बता सकें कि एफ० आई० आर० दर्ज हुई कि नहीं, वह कौन से साल में दर्ज हुई और आप किस साल के लिए पूछ रहे हैं ? इसलिए आप तो अपनी गलती को समझते नहीं। यह भी सवाल पूछने का तरीका है ? आपको चाहिए था तो आप तारीख देते कि फलां तारीख को फलां मामले में एफ० आई० आर० दर्ज हुई।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : फिर क्वेश्चन पूछने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री विजयसिंह: ऐसे ऑफिसर को..

मेजर श्री फतेहसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूगा कि माननीय गृहमंत्रीजी ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि वे सदन को जवाब नहीं देना चाहते।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब देना चाहता हूं लेकिन जो तरीका आपका है सवाल पूछने का....

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि आपने कहा है कि मेरे पास कल ही कागजात आये है तो कागजात किस बात के आपने बताये हैं ? क्या कागजात इस मुकद्मे के संबंध की मिसलें आ गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: कागजात आपके सवाल के।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि कागजात मेरे पास कल आ गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि सवाल के मुताल्लिक कागज कल आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, चाहे जी० ए० डी० से कागजात आगये हों, चाहे एज्यूकेशन से आगये हों, लेकिन गृह मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कल इनके पास कागज आ गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मने अर्ज किया कि सवाल से सम्बन्धित कागज आये हैं। मने यह नहीं कहा कि फाइल वगैरह आई है।

श्री भैरोंसिंह : आपको तो बार बार बदलने की आदत पड़ गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको तो गलत इन्टरप्रेट करने की आदत है।

एक माननीय सदस्य : दोनों एक दूसरे को समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप दोनों से परिचित हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी से परिचित हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह है कि एफ० आई० आर० मुकद्दमें की दर्ज हुई कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कब ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय गृह मंत्रीजी ने जिस प्रकार की दलील दी है कि बरसों के रोजनामचे देखने पड़ेंगे तो एफ० आई० आर० जितनी मुरतिब होती हैं उनके लिए रोजनामचे देखने की जरूरत नहीं है। एफ० आई० आर० की एक कॉपी मजिस्ट्रेट वगैर को चली जाती है और डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में कॉपी देते हैं। यह कैसे कह सकते हैं..

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे कहा, माननीय अध्यक्ष, कि किस साल के लिए हम तलाश करें ? आपने साल नहीं दिया, महीना नहीं दिया और कोई तारीख नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्लियर दिया है कि विष्णुदत्त शर्मा हैं उनके खिलाफ कोई एफ० आई० आर० दर्ज हुई ?

श्री विजयसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने यह फर्माया ह कि सवाल तरीके से नहीं दिया गया है तो सवाल बिल्कुल तरीके से दिया गया है। दो हजार की तनख्वाह मुझको नहीं मिल रही है। यह कोई मेरी जेब में नहीं बचेगा। इसमें मैंने पूछा है कि माउन्ट आबू से जयपुर तक ट्रेवल किया है और इस प्रकार से दो जगहों से पैसा उठाया है। उसके बारे में पूछा गया है। यह मिनिस्टर महोदय की ड्यूटी है कि यह पता लगायें कि कौनसी तारीख को यह हुआ। यह जरूरत नहीं है कि हम उनके पीछे-पीछ फिरें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से प्रश्न को टाला जा रहा है। गृह मंत्रीजी ने यह कहा कि टालने का सवाल नहीं है तो क्या असेम्बली को दो-चार दिन और चलायेंगे जिनमें वह हमको जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न का जवाब दिला दें। माननीय गृह मंत्रीजी ने जिन

Page No 10

(श्री भैरोंसिंह)

पत्रों के देखने की बात कही है और कहा है कि कल ही आयें हैं और उन पत्रों के आधार पर सदन में निवेदन कर दिया है कि जवाब नहीं दे सकता तो कम से कम यह तो बता दें कि इनके खिलाफ कोई एफ० आई० आर० मूरतिब हुई कि नहीं हुई ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मंत्री महोदय का जवाब जो है वह सन्तोषजनक नहीं है। वह दीदा-दानिश्ता, जानबूझकर, इस मामले में लीपा-पोती करना चाहते हैं। यह सरकार आदी है इसके जो कर्मचारी हैं उनको हर तरह से प्रोटेक्शन देने की और मजबूर होकर ये कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो कर्मचारी है यह भ्रष्ट व्यक्ति है, और यह मंत्री महोदय का रिश्तेदार भी है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसलिए इस मामले को छिपा रहे हैं। मुझे एक जिम्मेदार आदमी होकर ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं विवश हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और खासतौर से विरोधी पक्ष के नेता की जबान से यह बात सुनकर एक उच्च कर्मचारी के बारे में जो कि यहां पर किसी प्रकार से अपने आपको डिफेन्ड नहीं कर सकता है। यह कहना कि वे मेरे रिश्तेदार हैं यह बिल्कुल गलत हैं। वे कोई मेरे रिश्तेदार नहीं ह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं खुद मानता हूं कि कर्मचारियों के प्रति अनर्गल बकवास नहीं करना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक हद तक मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है वह अनर्गल है। ये आरोप भी जो मैंने लगायें हैं वे मैंने विवश होकर लगाये ह, लेकिन जो आरोप लगाये हैं वे मैंने सोच समझकर लगाये हैं (विपक्ष की ओर से हियर, हियर)।

श्री दामोदरलाल व्यास : सोचा नहीं आपने।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब कब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं इसके बारे में मंत्री महोदय से बात करके कहूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम आयन्दा सेशन में भी हमारा राइट है पूछेंगे और 10 दफा पूछेंगे। कब तक जवाब नहीं मिलेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि सदन खत्म होने के बाद ही 5-7 रोज में ही तुरन्त ही इसका लिखित उत्तर माननीय सदस्य के पास भेज दें।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई न कोई व्यवस्था करने का प्रयत्न करूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वह एक ऐसे महाशय हैं जिन्होंने आरोप लगाये हैं

Page No 11

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हम लोगों पर कि हम राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन ये महाशय भ्रष्टाचारी हैं।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर आर्डर।

श्री हरिदेव जोशी: इसके मायने यह हुए कि माननीय विरोधी दल के नेता का जो कथन है वह बायस्ड है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: बायस्ड है लेकिन मुझे अधिकार है सदन में जवाब मांगने का। मेरा कथन बायस्ड हो कुछ भी हो इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन जवाब प्राप्त करने का हमें अधिकार है।

श्री हरिदेव जोशी: हमको इसमें ऐतराज नहीं है। आपको अधिकार है जवाब प्राप्त करने का, मगर यदि माननीय सदस्य इस कारण से किसी अधिकारी ने आपके लिए कुछ कहा है इसलिए यहां पर कुछ कहें तो यह बायस्ड बात हो जाती है।

श्री विजयसिंह: यह क्वेश्चन माननीय नेता ने नहीं पूछा है उनका क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी: आपने कहा है उस शक्ल में उसके लिए कहा है।

श्री दौलतराम सारण: क्या माननीय गृह मंत्री इस सदन में आज की कार्यवाही समाप्त होने से पहले-पहले उत्तर देने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण: आप पूछें तो सही।

श्री अध्यक्ष: मैं इसमें पूछा-पाछी नहीं कर सकता।

श्री दौलतराम सारण: सदन में समय समाप्त होने से पहले उत्तर देने को तैयार हैं और वे सदस्यों को भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं। इतने बड़े ऑफिसर के कन्डक्ट को सदन के समक्ष इस तरह से कन्डेम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए वे आज सदन की कार्यवाही समाप्त होन के पहले उत्तर देनेको तैयार हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) एफ० आई० आर० दर्ज हुई है, इस तरह का टेलीफोन यहां से मंत्रीजी कर के पूछ लें।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री कृष्णकुमार गोयल: अध्यक्ष महोदय..

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप तुरन्त कागजात देख लें और टेलिफोन से पूछकर यहां पर बता दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी......

मेजर श्री फतेहसिंह: कोई एफ० आई० आर० दर्ज हुई है या नहीं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एन्टी-करप्शन में जो भी मामले दर्ज होते हैं तो उनकी लिस्ट बनी हुई होती है उसमें देख लें।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: कागजात की जांच हो तब तक उसको देख लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या गृह मंत्रीजी जो डिप्टी मिनिस्टर ने प्रश्न के संबंध में उत्तर दिया है उससे सदन में जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं अधूरे प्रश्न को नहीं लेना चाहता। यदि उत्तर दिया जाय तो पूरा उत्तर दिया जाय। अधूरा जवाब नहीं दिया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जी० ए० डी० से इस प्रश्न के संबंध में जो कागजात आये हैं क्या गृह मंत्रीजी उससे हमें यह....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 556

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : इसका होगा क्या ? स्थगित कर दिया तो इसका उत्तर कैसे मिलेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उत्तर कब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर के लिए मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : तो कौन कहेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री विजयसिंह : उत्तर के लिए मुझे विवश होकर आपके मकान पर धरना देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, आपको बारबार आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप आयें तो आपका स्वागत है और धरने के लिए आयें तो भावनाओं से स्वागत है, क्योंकि आपको हमेशा आमन्त्रण मिलते रहे हैं, इसलिए अब धरने पर भी आजायें तो कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ये अकेले ही नहीं आयेंगे और भी साथ में आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी तो आदत हो गई है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। इस धरने का माननीय सदस्यों को भी अभ्यास है और मुझको भी अभ्यास है। (हंसी) ऑर्डर, ऑर्डर।

इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से इसके बाद बातचीत करके इस प्रश्न की विषमता क्या है इसको समझूंगा। यदि वे आज उत्तर देने की स्थिति में हों तो मैं आग्रह करूंगा। और यदि नहीं हैं तो म विवश हूं इस प्रश्न पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस अधिकारी का, अध्यक्ष महोदय, आपको भी निजी अनुभव है। आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : जिन अधिकारी के संबंध में....

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों का भी अनुभव है और अधिकारी का भी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शिक्षा सचिव के दौरान......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(श्री अध्यक्ष)

बीती ताहि बिसारिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब अच्छाई पर बीत रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, इस सदन का कुछ प्रोसीजर है। कुछ नियम हैं। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार की कमजोरी के कारण पिछले कई सालों से शार्ट नोटिस क्वेश्चन उठाये हैं, उनके उत्तर नहीं आये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आज आया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसका नतीजा यह होता है कि ऐसी चीजों पर माननीय सदस्यों को एडजोर्नमेन्ट मोशन उठाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रूल्ड ऑउट। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री कोली।

श्री श्रवणलाल : ओन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रश्न आज जब सदन समाप्त होने जा रहा है, तब माननीय सदस्यों के बहुत से स्थगन प्रस्ताव रह जाते हैं, स्थगित प्रश्न रह जाते हैं। हर सेशन में टाला जाता है। प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते हैं। इसी प्रकार से यह प्रश्न भी उसी तरह का है।

श्री अध्यक्ष : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, माननीय सदस्य यह नहीं है। यह शिकायत हो सकती है। प्वाइंट आफ ऑर्डर का अर्थ है किसी नियम का इण्टरप्रिटेशन, उसका विश्लेषण हो। यह आपकी शिकायत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह ऑर्डर, ऑर्डर, बीच में एक वर्ग को संरक्षण देता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि मैंने निवेदन किया है......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनको संरक्षण मिलता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संरक्षण नहीं मिलता है। आप चाहें जो कह जाते हैं। मैं विवश हूं। मैं आसन पर हूं। मैं कह नहीं सकता हूं। जो उत्तर दिया जा सकता है तो मैं जांच करके उत्तर लूंगा।

श्री शास्त्री।

श्री विजयसिंह : प्वाइंट आफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रश्न टाले जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस के बहुत से माननीय सदस्य सदन में नहीं आये हैं। (हंसी) अगर विभाजन लिया तो......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। विभाजन तो किसी प्रश्न पर ले लेंगे।

श्री कोली।

कार की मरम्मत पर खर्चा

557. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जीप नं० आर.जे.एम. 111 फलोदी की प्रथम

Page No 14

(श्री गंगासहाय)

बार की रिपेयरिंग का खर्चा 6000 रु० हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी जीप की जब दूसरी बार रिपेयरिंग कराई गई तब 10,000) रु० खर्च किया गया ?

(3) सरकार ने एक ही जीप की रिपेयरिंग पर 16,000) रु० कैसे खर्च हुए, इसकी जांच कराई है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जीप नं० 111 बहुत पुरानी जीप है । इस पर फलोदी प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा मरम्मत पर खर्च हुई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

	रु०
65-66 में	38.50
66-67 में	2072.52
67-68 में	2086.49
68-69 में (1-4-68 से 6-5-68 तक)	658.61

(2) इस जीप पर विशेष मरम्मत एक ही बार हुई तथा उस पर 10 018·61 रुपये की धनराशि व्यय हुई । बाकी खर्चा साधारण मरम्मत का हुआ ।

(3) उपरोक्त जीप की विशेष मरम्मत में 10,018·61 रुपये खर्च हुआ है इसकी मरम्मत की जांच भारत सरकार के एस० पी० ई० विभाग द्वारा हुई है ।

श्री गंगासहाय : क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि एक पुरानी चीज पर....

श्री माधोसिंह : क्या, सुनाई नहीं दिया ।

श्री गंगासहाय : एक पुरानी जीप पर 15,655) रुपया खर्च करना क्या उचित है ?

श्री माधोसिंह : यह पूल द्वारा दी गई थी । इसकी बार-बार मरम्मत हुई । अकाल राहत विभाग में रेतीली भूमि में चलती है । बहुत से पार्टस् बदल कर लगाये गये हैं । इसके अलावा भारत सरकार के एस० पी० ई० विभाग द्वारा जांच की गई है । अगर उनकी रिपोर्ट आयी तो एक्शन लिया जाएगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि एंजिन, टायर पूरे नये लगाने के बाद भी पूरे 15 हजार नहीं लग सकते हैं ।

श्री माधोसिंह : अलग अलग वक्त में लगाये गये हैं ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि पूरे तौर से मरम्मत करने के बाद भी 9 हजार से अधिक खर्च नहीं आता है ?

श्री माधोसिंह : आप टैक्नीकल सवाल पूछते हैं । न मैं मिस्त्री हूं न आप हैं, जो सही राय दे सकें ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या विभाग में ऐसा कोई प्रावधान है कि वेहिकल पर मरम्मत में ज्यादा खर्च होता है और उतने ही खर्च में नया वेहिकल लिया जा सकता है ?

श्री माधोसिंह : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री आईदानसिंह : जीप की 22 हजार कीमत है, रिपेयर में 25 हजार लगेगा, तो क्या नई नहीं खरीद सकते हैं ?

Page No 15

श्री अध्यक्ष : प्रावधान जानकारी में नहीं है।

श्री आईदानसिंह : यह तो एक बिल्कुल मानी हुई चीज है। धनराशि कितनी खर्च होगी इस पर भी तो ध्यान दिया जाये। पंचायत समितियों का आप देखते हैं। उतनी ही धनराशि पर नई मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष : ऑडर, ऑर्डर। प्रश्न समझ गया।

श्री माधोसिंह : जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अगर नाजायज मरम्मत कराई गई तो दण्ड दिया जाएगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह 15 हजार का खर्चा, माननीय मन्त्री महोदय की बॉडी बनाने के लिए किया गया है?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : इस जीप पर खर्च किया गया है, किसके द्वारा, किस डिपार्टमेन्ट के थ्रू करवाया गया? किससे करवाया गया? क्या प्राइवेट कम्पनी द्वारा करवाया गया है?

श्री माधोसिंह : टेण्डर मांगे गये थे। डिपार्टमेन्ट की हैसियत से मरम्मत करवाई गई है। जिसने मरम्मत के लिए लोयस्ट टेंडर दिया है, उसी का माना गया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि जिस अधिकारी ने जीप की मरम्मत के टेंडर मांगे थे, वह उस अधिकारी के क्षेत्र में नहीं आता है? वह बिना पूर्व स्वीकृति के करवा लिया?

श्री माधोसिंह : उसने अपने अधिकार क्षेत्र से मांगे थे।

श्री भैरोंसिंह : कितने रुपये की मरम्मत उसके अधिकार में है?

श्री माधोसिंह : 20 हजार रुपये तक की मरम्मत की वह मंजूरी दे सकता है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : 20 हजार में नयी मिल सकती है।

श्री दौलतराम सारण : यह मरम्मत मकान के लिए है या जीप के लिए?

श्री अध्यक्ष : यह विवादास्पद है।

श्री माधोसिंह : 20 हजार की मरम्मत के लिए वह टेंडर मंजूर कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री शास्त्री! ऑर्डर प्लीज! 558।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आज तक इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है?

श्री माधोसिंह : इसकी जांच हो रही है। इसके अलावा सेन्ट्रल एस० पी० ई० ने जांच की है, उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह क्या रिपोर्ट देते हैं। उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे और इस संबंध में कार्यवाही की जायगी?

श्री भैरोंसिंह : जांच किस आधार पर की गई है? आपने कहा कि आप जांच करा रहे हैं और सेन्टर के एस० पी० ई० जांच कर रहे हैं, उनसे जो जांच करवा रहे हैं वह किस बेसिस पर करा रहे हैं?

श्री माधोसिंह : सेन्टर की पुलिस, आप मुझे बोलने दीजिये, सेन्टर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट

(श्री माधोसिंह)

द्वारा इसमें जांच की गई है, वह जांच हो रही है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस शिकायत की जांच हो रही है उस पर जब रिपोर्ट आयेगी तो उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल नहीं है, श्रीमान् जी। अभी सुमित्रा जी आपको कुछ कह रही थीं वह आपने सुना नहीं, मैंने जो कहा वह आपने नहीं सुना। प्रश्न यह है कि एस० पी० ई० जांच कर रहा है या डिपार्टमेंटल जांच हो रही है, तो मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं कि यह जांच किस बेसिस पर की जा रही है, किस रिपोर्ट पर की जा रही है और क़म्प्लेन्ट किस की है ?

श्री माधोसिंह : एस० पी० ई० ने जांच की है, वह जब आपका प्रश्न आया और यह जानकारी में आया तो मंत्री महोदय ने आदेश दे दिया कि इसकी जांच की जाय।

श्री भैरोंसिंह : आपके ध्यान में कब आया?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आया तब, कहा ना।

श्री भैरोंसिंह : एस० पी० ई० के ध्यान में कब आया ?

श्री माधोसिंह : उसकी मैं आपको तारीख बता दूंगा।

श्री विजयसिंह : जब आप काश्मीर में गुलमर्ग की सैर कर रहे थे तब।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिपार्टमेंट की तरफ से शिकायत की गई है जिसके ऊपर एस० पी० ई० ने जांच की है ?

श्री अध्यक्ष : किसकी तरफ से ?

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंट की तरफ से ?

श्री माधोसिंह : डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की है। जिसने शिकायत की है, वह कॉन्फीडेंशियल है कि किसने रिपोर्ट की है।

श्री भैरोंसिंह : किसने की है ?

श्री माधोसिंह : यह जानकारी में नहीं है। रिपोर्ट आने पर पता लगेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वह पी०डब्ल्यू०डी० का कर्मचारी है, उसने चीफ इन्जीनियर को रिपोर्ट की, विजिलेंस कमीशन को शिकायत की, एन्टी-करप्शन को शिकायत की और उसकी शिकायत पर जांच शुरू हुई है ?

श्री माधोसिंह : यह हमारी जानकारी में नहीं है चीफ इन्जीनियर को हुई है या एन्टी-करप्शन को हुई है।

श्री विजयसिंह : स्पून फीडिंग हो रहा है।

श्री माधोसिंह : जवाब तो डिपार्टमेंट ही बना कर देता है। आप जवाब बना कर देंगे क्या ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : स्पून फीडिंग नहीं, ईअर फीडिंग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : 558 !

पुलिस लाइन, अजमेर के सामने लकड़ी के केबिनों का नगर परिषद् द्वारा हटाया जाना

558. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानसिंह

(श्री भगवानदास शास्त्री)

राठौड़ की पुलिस लाईन पर लकड़ी की केबिन नगर परिषद, अजमेर द्वारा हटाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सत्य है कि एडीशनल सिविल जज के फैसले में केबिन मि० डेविड की जमीन पर थी, और वह जमीन प्राइवेट दर्शायी गई है ? यदि हां, तो क्या प्राइवेट जमीन से केबिन हटाना नियमों का उल्लंघन नहीं ? यदि हां, तो नगर परिषद् के खिलाफ कौनसी कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद् द्वारा लकड़ी की केबिनों को नगर की सुन्दरता के नाम पर हटाई जाती है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी और कहां पर हटाई गई हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि पड़ाव जो अरबन एरिया में आता है वहां किसी को अधिक मात्रा में मूल्यवान भूमि पर केबिन रखने दी गई है ? यदि हां, तो उस पर गैरकानूनी दी गई केबिन को कब तक हटा दिया जावेगा, और वह किसके नाम पर दी गई है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) जी हां, अनधिकृत निर्माण होने से ।

(2) जी हां ।

जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । न्यायालय के फैसले में माना है कि यह अनधिकृत निर्माण है और नगर परिषद् ने कानूनी एवं सही रूप से उक्त अनधिकृत निर्माण को हटाया था ।

(3) जी नहीं । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । लकड़ी की केबिनें, अनधिकृत कब्जा हो, किराया बाकी हो, अथवा नियमानुसार अवधि समाप्त हो जावे, हटाई जाती हैं ।

(4) नगर परिषद् ने नियमानुसार श्री प्रभूदास पुत्र चौथराम को 13×12 का टुकड़ा दि० 26-9-68 को एक साल के लिए तहबाजारी पर दिया गया है । यह जमीन केबिनों के बीच खाली थी । श्री प्रभुदास के पास रावण की बगीची में एक केबिन थी उसे नगर परिषद् ने हटाया था । गैरकानूनी रूप से किसी को जमीन नहीं दी गई है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सत्य है कि जो जज साहब कलेक्टर थे, मिस्टर डविड के मकान के पास जो केबिन थी, उसको प्राइवेट लैंड पर उन्होंने माना है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : यह मैंने माना है कि प्राइवेट लैंड पर थी ।

श्री भगवानदास शास्त्री : उसको डिमॉलिश कराने का कौनसा हक है नगर परिषद् को ?

श्री मुल्कराज थिन्द : नगर परिषद् द्वारा, क्योंकि यह लैंड चौराहे पर आता था, इससे हिन्डरेन्स होती थी और एडमिनिस्ट्रेटर की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए हटाया गया ।

श्री भगवानदास शास्त्री: क्या यह सत्य है, मेरे पास जो जजमेंट की कापी है, उसमें यह है : Civil Suit No. 220 of 1966/45 of 1968 Shri Hanuman Singh s/o Shri Nand Singh Rajput

(श्री भगवान दास शास्त्री)

r/o Police Lines, Ajmer Vs. Municipal Council, Ajmer.

उसमें, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है This is a suit by the plaintiff for permanent injunction against the defendant restraining them from demolishing cabin bearing AMC No. 18/363-26/525.

The allegation in the plaint are that Shri Himmat Singh the grand father of the plaintiff was running his shop at Police Lines..

श्री अध्यक्ष : सारांश दे दीजिये। सारा जजमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : ....Ajmer. He was running his shop at Police Lines, Ajmer which was bounded as described in part 2 of the plaint that the land on which the above cabin stands, was owned by Syed Tasadduk Hassain and late Shri Hanuman Singh was a tenant of the owner @Re. 1/- per month.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य!

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं पढकर सुनाना चाहता हूं, यह टेनेन्ट है....

श्री अध्यक्ष : निर्णय दे दीजिये, तथ्य दे दीजिये।

श्री भगवानदास शास्त्री ; तथ्य यह है कि हनुमानसिंह, जो केबिन होल्डर है, के इस केबिन को एक रुपया महीने किराये के हिसाब से टिनेन्ट के रूप में यूज करता था। नगर परिषद् के किसी विशेषाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया। मि० डेविड, जो इस जमीन के मालिक हैं, इसे बड़े भाव में बेचना चाहते थे। क्या आपको यह मालूम है कि इस जमीन को पचास रुपये पर गज के हिसाब से कोई ग्राहक लेने के लिए आया, तब उस उच्च अधिकारी को मि० डेविड ने शिकायत की कि यह केबिन हटा दिया जाय, इससे मुझे चालीस हजार रुपये का फायदा हो सकता है। क्या यह सत्य है?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : खण्ड चार के उत्तर में आपने बताया है कि किसी को अरबन एरिया म कोई भी म्युनिसिपल लड पर केबिन लकड़ी की नहीं दी गई है। क्या यह सत्य है कि छः महीने पूर्व, जिस जगह के बीस हजार रुपये अभी मिल रहे हैं, यह हरचन्द जाटव नाम के एक व्यक्ति को केबिन के लिए दी गई है। इस संबंध में जब शिकायत की तो उसका यह उत्तर आया कमिश्नर, नगर परिषद्, अजमेर से कि श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा जब 1957 में चेयरमैन थे तब रावण की बगीची में उसका नोहरा था, वह तुड़वा दिया था, उसके बदले में यह दी है। क्या यह सत्य है?

श्री मुल्कराज थिन्द : मैंने निवेदन किया, प्रभुदास पुत्र चौथराम को केबिन के लिए जमीन दी गई है। जो आपने दूसरा किसी का नाम बताया है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर जानकारी दे देंगे तो मैं उसकी जानकारी कर लूंगा।

Page No 19

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, "क्या यह सत्य है कि पड़ाव जो अरबन एरिया में आता है वहां किसी को अधिक मात्रा में मूल्यवान भूमि पर केबिन रखने दी गई है ? यदि हां, तो उस गैर कानूनी दी गई केबिन को कब तक हटा दिया जावेगा, और वह किसके नाम पर दी गई है ?" इसकी हम शिकायत करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। यह बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि वहां खैरात बांटी जा रही है। जो राजनैतिक शोषण करने वाले लोग हैं, एक लक्ष्मण दास है उसको एलॉटमेंट न होकर जो हंसराज जाटव है, जो परसराम का भाई लगता है उसको केबिन के लिए ज़मीन दे दी गई है। घनश्याम को केबिन के लिए जमीन दे दी गई है। वैसे मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप भले ही उनको अजमेर प्रदान कर दें......

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : मैंने निवेदन किया, मुझे यह जानकारी मिली है कि एक प्रभुदास पुत्र चौथराम को केबिन के लिए जमीन दी गई है और वह केबिन के लिए जमीन इस बिना पर दी गई है कि रावण की बगीची में उसकी केबिन थी, उसको वहां से हटाया गया और जो यह केबिन दी गई है, यह वहां केबिनों के बीच में जगह खाली पड़ी थी, वह उसको दी गई है। जो माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं उसकी जानकारी मुझे दे दें तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : लास्ट सैशन में मैंने भूत बावड़ी के बारे में सवाल पूछा था, उसके चारों तरफ केबिन बननी शुरू हो गई हैं। जो ठेले वाले सब्जी बेचते हैं उनका वहां मार्केट बना दिया जाय, वह नहीं किया। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह करना चाहिए था। लेकिन आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह जो कार्यवाही होती है वह जनता की नजर में आती है और जनता सोचती है गवर्नमेंट क्या है, म्युनिसिपल कमेटी क्या है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, प्रश्न ! प्रश्न पूछिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि जितने केबिन भूतबावड़ी के चारों तरफ हैं वे अगर अरबन एरिया की शोभा को समाप्त करते हैं तो उनको हटाया जायगा ? उनको कब हटाया जायगा और किस जगह पर उनको दुकान बना कर दे दी जायेगी ?

श्री मुल्कराज थिन्द : मैंने निवेदन किया, जो मेरे पास जानकारी है वह मैंने दे दी है, उसके बावजूद दूसरे आदमियों को केबिन के लिए लैंड का एलॉटमेंट हुआ है, उसके लिए जो माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं। उसके बारे में जांच की जायगी और उनको हटाने की जो कार्यवाही कर सकते हैं, वह की जायगी।

प्रश्न संख्या 559

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री मोहनलाल मोदी। (अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह !

भरतपुर में प्लाट्स का एलॉटमेंट

560. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में गोलबाग स्कीम के अन्तर्गत भरतपुर के इम्प्रवमेंट ट्रस्ट द्वारा नगर निवासियों से

(श्री नत्थीसिंह)

प्लाट्स के एलॉटमेंट के लिए प्रार्थना-पत्र मांगे थे ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र आये और उसकी कितनी रकम ट्रस्ट के पास जमा है ? सूची सदन की मेज पर रखन की कृपा करें ।

(2) क्या उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से अब तक किसी को प्लाट्स का एलॉटमेंट हुआ है ? यदि हां, तो कितनों ने प्लाट्स पर भवन निर्माण किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । यदि प्लाट्स का एलॉटमेंट नहीं हुआ है तो इसका क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि एक अरसे दराज से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन नहीं किया गया है जिसके कारण यह सारी स्कीम ठप्प पड़ी है ? यदि हां, तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के गठन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के गठन पर सरकार किन सिद्धान्तों का अनुसरण करती है ? भरतपुर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के गठन करने में कौनसी सैद्धान्तिक या अन्य कठिनाई आ रही है और कब तक इसका गठन हो सकेगा ?

(5) क्या राज्य सरकार का यह इरादा है कि जब तक इस ट्रस्ट का गठन किन्हीं राजनैतिक या अन्य कारणों से नहीं हो पाता है तब तक जिलाधीश, भरतपुर को ट्रस्ट संबंधी सारे अधिकार दे दिये जायें ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इसको स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री नत्थीसिंह : चार वर्ष से लोगों को प्लाट नहीं मिले हैं। आपने यू० आई० टी० का गठन नहीं किया । इसमें क्या कठिनाई आ रही है, भीखा भाई को इसका गठन करने में । वहां लाखों रुपया लोगों का जमा है, उसको चार साल हो गये हैं । उसके बाद भी इसका जवाब नहीं दिया जाय । यह कौनसी बात है । यह इस सवाल को टालने वाली बात है । इस कांग्रेस के अन्दर अन्दरूनी झगड़ा है कि किसको चेयरमैन बनायें, किसको मेम्बर बनायें । चार साल से इसका गठन नहीं हुआ है और जनता त्राहि-त्राहि कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह : स्थगित करने से काम कैसे चलेगा ? चार साल से यह मामला पड़ा है । आप मंत्रीजी को स्थगित करें तो काम चले । थोड़े दिन के लिए जब तक यह व्यवस्था नहीं करें तब तक स्थगित कर दें मंत्री पद से ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह बता दीजिये, इसका गठन कभी होगा या नहीं होगा ?

श्री मुल्कराज थिन्द : इसमें निवेदन है कि पन्द्रह दिन के अन्दर ट्रस्ट का पूरा गठन कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह !

सहायक इंजिनियर, नवलगढ़ के कार्यालय में बिजली कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

561. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक इंजीनियर, नवलगढ़ (विद्युत् विभाग) के कार्यालय में 31-3-68

(श्री शिवनाथ सिंह)

के साल में पेश हुई कुओं के विजली कनेक्शन की दरख्वास्तों में से कितनी दरख्वास्तों की सिक्योरिटी जमा की गई है तथा कनेक्शन दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार के स्पष्ट आदेश थे कि पहले 31-3-68 तक की कुल दरख्वास्तों की सिक्योरिटी जमा की जाकर कनेक्शन दिये जावें तथा बाद में नई दरख्वास्तों की सिक्योरिटी जमा की जाकर कनेक्शन दिलाये जायें ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मकराना तथा गुढ़ा गौड़जी के काश्तकारों की कनेक्शन की दरख्वास्तें 31-3-68 से बहुत पहले से लम्बित पड़ी हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी जमा नहीं की जा रही है यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) आठ दरख्वास्तों की सिक्योरिटी जमा हुई है जिसमें से एक दरख्वास्त पर कनेक्शन दिया गया ।

(2) जी हां । इस प्रकार के आदेश मण्डल द्वारा मई, 1969 में ही दिये हैं।

(3) 31-3-68 से पहले की ग्राम गुढ़ा गौड़जी को 12 दरख्वास्तें पेंडिग हैं जिनमें से 11 की सिक्योरिटी जमा हो चुकी है। ग्राम मकराना की 13 दरख्वास्तें पेंडिग हैं जिनको 31-8-68 को सिक्योरिटी जमा कराने के लिये डिमाण्ड नोटिस दिये गये लेकिन अभी तक एक ने भी सिक्योरिटी जमा नहीं कराई है ।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 8 दरख्वास्तें थीं, उनमें सब में ए० इ० एन० ने रकम जमा की है। आपने खण्ड (1) के उत्तर में कहा है कि 8 में से एक को कनेक्शन दिया है तो आपके नियमों की अवहेलना करके ऐसा क्यों किया है ?

श्री खेतसिंह : 8 में से एक चौधरी तेजाराम को कनेक्शन दिया है । इसका कारण यह बताया है कि बाकियों ने एल फार्म पेश नहीं किये, इसने एल फार्म पेश कर दिया ।

श्री शिवनाथसिंह : 31-3-68 से पहले की जिनकी दरख्वास्तें नहीं है, उनकी सिक्योरिटी जमा नहीं की जायगी और उनको कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे इस प्रकार का नियम है फिर 8 में से एक की सिक्योरिटी कैसे जमा करली और उसको कनेक्शन कैसे दे दिया ? नियमों की अवहेलना करके ऐसा क्यों किया गया ?

श्री खेतसिंह : रूल्स में यह है कि 31-3-68 से पहले की जिनकी दरख्वास्तें पेंडिग हैं, उनको कनेक्शन दिये जाते हैं । सिक्योरिटी तो और लोगों की भी जमा की है, वह तो अनियमितता नहीं है, सिक्योरिटी तो बाद में भी जिनके प्रार्थना-पत्र आये उनकी जमा की है। कनेक्शन्स उन्हीं को दिये जायेंगे जिनकी दरख्वास्तें 31-3-68 से पहले की हैं । बाद में उनको कनेक्शन्स दिये जायेंगे जिनकी इसके बाद की हैं ।

श्री शिवनाथसिंह : जो यह नियमों की अवहेलना करके कनेक्शन दिया गया क्या इसकी जांच करवायेंगे ? उस ए० इ० एन० के खिलाफ शिकायतें हैं, आप उनकी जांच नहीं करवा रहे हैं ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

दूसरा मैंने पूछा है कि उसके खिलाफ कितनी शिकायतें हैं, उसका आपने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री खेतसिंह : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि विद्युत् मंडल में विजिलेंस ऑफिसर है, जो सीनियर आई० ए० एस० हैं उसके द्वारा जांच करवा लूंगा और अगर प्रारम्भिक जांच में मालूम हो गया कि उसने दीदो-दानिश्ता अनियमितता की है तो उसको सस्पेन्ड करूंगा ।

श्री शिवनाथसिंह : पहले 14 तारीख को शिकायत की गई थी तो उस वक्त प्राइमा फेसी पाया गया था कि अनियमितता है, उस केस का क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : उसको भी देख लें ।

स्थगित प्रश्न !

स्थगित प्रश्न

(29-8-69)

बीकानेर में सूरसागर से खतरा

451. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के सूरसागर तालाब के भर जाने पर हर दम वहां के आस-पास की बस्तियों को खतरा हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बार माह जुलाई, 69 में भी उस तालाब के भर जाने पर फौज व पुलिस के जवानों की सहायता से पानी बाहर फिकवाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य के समय में यह तालाब बरसात में समस्या बना हुआ था तथा प्रत्येक वर्ष इसमें छोटे बच्चों के डूब कर मरने की दुर्घटना होती है ?

(4) क्या सरकार इस तालाब में आने वाले पानी को अन्यत्र कहीं निकालने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक वह योजना लागू हो जावेगी और यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां ।

(2) जी नहीं, यह कार्य जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा मशीनरी की सहायता से किया गया ।

(3) इस विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

(4) राज्य सरकार ने गन्दे पानी को तालाब से बाहर निकालने के लिए 19.11 लाख की योजना सन् 67-68 में स्वीकृत की है । योजना का कार्य सन् 1971-72 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बताया गया कि 71-72 तक इस योजना के पूर्ण किये जाने की संभावना है तो मंत्री महोदया बतायेंगी कि इस योजना को इस वक्त लागू करना उचित नहीं समझतीं क्या ?

श्रीमती सुमित्रा : उचित तो समझते हैं पर फंड्स की कमी है । इस साल में तो इतना नहीं हो सकता । काम चालू है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अब तक इस योजना में कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्रीमती सुमित्रा : 67-68 में एक लाख और 68-69 में 6 लाख 3 हजार रुपया खर्च हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न 466।

श्री नाथूलाल करौल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण !

स्थगित प्रश्न

(20-8-69 व 28-8-69)

नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ द्वारा भूमि का बेचान

226. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ द्वारा सदस्य श्री हरनारायण बंसल एडवोकेट को उनके बंगले के वरशनिब उत्तर चित्तौड़गढ़ में एक लम्बे-चौड़े प्लॉट में से 20×100 फीट का प्लॉट लम्बी रोड पर स्ट्रिप ऑफ लैंण्ड कह कर 500 रुपये में दे देने का दि० 21-1-67 को सदस्य श्री बंसल की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया था ?

(2) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव को तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने स्ट्रिप ऑफ लैण्ड नहीं मानते हुए खारिज किया था ?

(3) क्या यह सच है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर व एग्जीक्युटिव ऑफिसर ने भी यह प्रस्ताव अनियमित व नगरपालिका को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हुए रद्द करने की सिफारिश कलेक्टर साहब के पास की थी ?

(4) यदि यह सच है कि इसके बाद सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में श्री हरनारायण बंसल को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया और इस नगर विकास प्रन्यास द्वारा इस भूमि को श्री हरनारायण बंसल को देने का निर्णय लिया गया और कलेक्टर साहब, श्री गणेशशंकर द्विवेदी, ए०डी०एम० द्वारा अनुमोदन कर 500) में ही श्री हरनारायण बंसल को जमीन दे दी गई और जमीन पर कब्जा व पट्टा भी दे दिया गया ?

(5) यदि यह सच है तो यह बताया जावे कि इस भूमि को प्राप्त करने के लिये अन्य किन-किन व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिया था और इन्होंने इसकी प्रारम्भिक राशि 5,000) रुपया बतायी थी ? क्या श्री रतनलाल खमेसरा, रंगलाल काबरा, श्री लादूराम तोशनीवाल, आदि ने आवेदन, किये थे और इन्होंने नीलामी की मांग की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(6) क्या यह सच है कि डिप्टी टाउन प्लानर ने भी इस भूमि को श्री बंसल को देने में आपत्ति की थी ? यदि हां, तो किस कानून के तहत यह भूमि दी गई है ? और इस भूमि को श्री बंसल को देने के क्या कारण हैं ? इससे संस्था को कितनी हानि हुई ?

(7) क्या यह सच है कि सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में श्री हरनारायण बंसल सदस्य ने मिसल नम्बर 25, सन् 68 ई०यू०आई०टी० में दिनांक 4-1-68 को वकालत करने के लिये उक्त मिसल में पैरवी की तथा जमशेद का रजिस्टर्ड वकील भी है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द) : (1) बोर्ड ने दिनांक 21-1-67 को सदस्य श्री हरनारायण बंसल को 20 बाई 100 फुट की भूमि का एरियां बंगले

(श्री मुल्कराज थिन्द)

के जानिब उत्तर में स्ट्रिप ऑफ लैण्ड मानते हुए बापी (फ्री होल्ड) देने का प्रस्ताव किया था बोर्ड के इस प्रस्ताव में श्री हरनारायण बंसल ने भाग नहीं लिया।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । यह सही है कि उन्होंने भूमि को स्ट्रिप ऑफ लैंण्ड नहीं माना था ।

(4) जी हां । रकम जमा होने के पश्चात् कब्जा अध्यक्ष, नगर न्यास के आदेश द्वारा दिया गया था । अभी तक पट्टा नहीं दिया गया है ।

(5) जी हां । न्यास के निर्णय के पश्चात् इन लोगों ने आवेदन-पत्र दिये थे । जिन पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(6) जी हां । नगरपालिका द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु निर्धारित रकम जमा कराने पर पट्टा जारी करने का निर्णय न्यास द्वारा लिया गया । जिसका न्यास को पूर्ण अधिकार है । हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

(7) जी नहीं । जमशेद के रजिस्टर्ड वकील होने की जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न के भाग (3) और (4) के उत्तर में कहा है "जी नहीं"। तो यह 'जी नहीं' कैसे जबकि प्रशासक और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने राय दी है कि इससे नगरपालिका को हानि होगी ।

श्री मुल्कराज थिन्द : अध्यक्ष महोदय, (3) में मैंने निवेदन किया है कि कलेक्टर साहब ने भूमि को स्ट्रिप ऑफ लैण्ड नहीं माना है । सारे फैक्ट्स का मंगा कर देखा गया है, एक्सपर्ट की राय ली है । पट्टा जारी करने के प्रश्न पर स्टे ऑर्डर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : कलेक्टर ने स्ट्रिप ऑफ लैण्ड नहीं माना और जमीन नहीं देने के आदेश दिये तो फिर यह स्ट्रिप ऑफ लैण्ड कैसे बन गई ?

श्री मुल्कराज थिन्द : जो यह बोर्ड ने निर्णय लिया था, उसके बाद यू० आई० टी० बन गया स्ट्रिप ऑफ लैण्ड है या नहीं इस बारे में सरकार ने एक्सपर्ट की ओपिनियन मांगी है । पट्टा देने के संबंध में स्टे ऑर्डर इश्यू कर दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : जमीन का टुकड़ा है, म्युनिसिपल अधिकारी जिम्मेदार हैं, वह जमीन के बारे में सिफारिश करते हैं, उधर जनता की तरफ से मांग की जाती है कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए म्युनिसिपैलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाय । पर उनको जमीन 500 रुपये में दे दी जाती है, यू० आई० टी० को नामजद कर दिया फिर बैकडोर से जमीन को हड़प ली । इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाई जाय और राज्य सरकार जानकारी के बाद भी कार्यवाही नहीं करे यह कहां तक उचित है ? तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री मुल्कराज थिन्द : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि स्ट्रिप ऑफ लैंड नहीं माना उसके ऊपर एक्सपर्ट की राय हमने मांगली है । पट्टा इश्यू करने का है उस पर स्टे ऑर्डर इश्यू कर दिया है ।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

स्थगित प्रश्न

(13-8-69), (20-8-69) व (28-8-69)

मांडलगढ़ में कमांड एरिया की भूमि का एलॉटमेंट

45. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ के श्री भंवरलाल खांटेड़, श्री सुगनचन्द जैन तथा श्री राधाकृष्ण खाती को राजस्व विभाग से बाला-बाला पन्द्रह-पन्द्रह बीघा जमीन कमांड एरिया की हर व्यक्ति को एलॉट की गई है ?

(2) यदि हां, तो क्यों ? क्या यह राजनैतिक पीड़ित हैं और कभी जेल म गये हैं ?

(3) यदि जेल गये हैं, तो कब ?

(4) एक-एक बीघा जमीन का दो दो हजार देने वाली जमीन को इस प्रकार एलॉट करने के क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र में वर्णित कारणों पर राज्य सरकार ने आवंटन किया है। उपलब्ध ब्यौरा के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रार्थीगण राजनैतिक पीड़ित हैं या जल गए हैं या नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न भाग नं० 2 के उत्तर में वर्णित किया जा चुका है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या तहसील में या पंचायत समिति में जमीन एलॉट करने के लिए एलॉटमेंट कमेटी बनी हुई होती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो फिर एलॉटमेंट कमेटी से परे जाकर आपको इनको जमीन देने की क्यों जरूरत पेश आई ?

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य सरकार को भी अधिकार है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो उन्होंने जो कारण लिखे हैं और जो उन्होंने नंबर लिखा है यहां से बाला-बाला दे दिया है, कलेक्टर से पूछने की जरूरत नहीं थी ? मैं भी 500-700 दरख्वास्तें लेकर आऊं तो किसी से पूछेंगे तो नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रार्थना-पत्रों में कारण लिखे हुए थे तब तो कलेक्टर ने और राजस्व अधिकारियों न उन भूमियों पर कब्जा दिलाया।

श्री मनोहरसिंह महता : इन्होंने अमानत म खयानत की है। करीब 25 हरिजन परिवारों के गलों पर छुरी मारकर यह काम किया है, जो खुद काश्त नहीं करते दूसरों से करवाते है। दूसरा प्रश्न आयेगा तो पूछूंगा कि चित्तौडगढ जिले में उन लोगों को और जगह भी जमीन एलॉट हुई है, एक-एक बीघा की दो-दो हजार कीमत है और दो बीघा जमीन पर 80 मन अनाज पैदा होता है, नहर के किनारे है, यह नाजायज काम किया है....

श्री अध्यक्ष : क्या यह सत्य है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। ये भूमि पाने के अधिकारी थे, इसलिए राज्य सरकार ने आवंटन किया और कब्जा दिया। इसमें अनियमितता नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कब्जा इसलिए दिया कि बाला-बाला केवल उनकी एप्लीकेशन्स पर एलॉट किया, कलेक्टर से पूछा नहीं कि जमीन है या नहीं, कुछ नहीं, खाली अर्जी दी और आपने एलॉट की।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं खसरा नंबर बता सकता हूं। खसरा 1/3 सुगनचन्द जैन, 2/2 कब्जा दिया राधाकृष्ण खाती और भंवरलाल को 1011 का कब्जा दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो वहां से दर्ज करवाकर, अर्जी यहां लाये बिना किसी सिफारिश के केवल राजस्व मंत्री ने लिख दिया कि जमीन एलॉट की जाय, क्योंकि राजस्व मंत्री की हुकूमत थी इसलिए एलॉट किया लेकिन अन्याय हुआ, इसमें दुरुस्ती की गुंजाइश है।

श्री गंगाराम चौधरी : वह भूमि पाने के अधिकारी थे, राज्य सरकार को अधिकार है, कोई अनियमितता नहीं हुई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : किस परिस्थिति में ? राजनैतिक पीड़ित हों, जेल गये हों, जो राजनैतिक पीड़ित न हों, जेल नहीं गया हो....

श्री अध्यक्ष : किन विशेष परिस्थितियों में दिया गया ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल ठीक है, पूछिये।

श्री गंगाराम चौधरी : भूमिहीन व्यक्ति थे, भूमि पाने के अधिकारी थे, यहां आकर प्रार्थना-पत्र दिया, स्वीकार होगया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनके पास पहले ही जमीन है, पिता के पास, पुत्र के पास अलग है, भाई के पास अलग है, फिर भी फरमाते हैं कि भूमिहीन हैं।

श्री रामकिशन (वैर): बहुत सीरियस मामला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो काम एलॉटमेंट कमेटी करती है, उसको राज्य सरकार डाइरेक्टली किन परिस्थितियों में, किस आधार पर करती है, कितने ही केसेज इस सदन में लाए गए हैं, तो आखिर बताइये कि इन पॉवर्स को किन हालात में, किन परिस्थितियों में, किस बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : यद्यपि कोई निर्धारित इस संबंध में आधार नहीं है लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जिनको आवंटन के अधिकारी होने के उपरांत भी जिला स्तर या तहसील स्तर पर आवंटन नहीं होता है और वह आकर प्रार्थना-पत्र राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो राज्य सरकार को नियम 16(2) के अन्तर्गत अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : एलाटमेंट कमेटी के समक्ष कोई प्रार्थना-पत्र पहले दिए थे जो समिति ने अस्वीकार किया ? क्या स्थिति है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रार्थना-पत्र में केवल लिखा गया है कि उन्हें आवंटन तहसील कमेटी द्वारा नहीं किया गया। यह जानकारी नहीं हो पाई कि उनके कोई प्राथना-पत्र अस्वीकार किए गए हों।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने पूछा कि इनके प्रार्थना-पत्र हैं या नहीं और इनको वहां जमीन एलॉट हुई या नहीं। अगर पूछ कर कलेक्टर लिख देते कि इनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किए हैं तब तो बात थी लेकिन बाला-बाला उनके प्रार्थना-पत्र पर कह दिया...

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : मेरे पास भी एप्लीकेशन आई है कि तहसीलदार गलत एलॉटमेन्ट करते हैं, उसके बाद सीरियस केस बनता है। ग्राम मूंडिया कलां में तहसील टोडारायसिंह एक प्रार्थी के कब्जे में खसरा नं० 1711, 1712, 1715... 22 वर्ष के कब्जे को दूसरों को एलॉट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : क्या मामला आ गया ?

श्री जगन्नाथ : किसानों को तकलीफ होती है और तहसीलदार अपनी मर्जी से एलॉट करते हैं। मैं प्रार्थना-पत्र सदन में पढ़कर सुनाता हूं। "श्री रामकरण जादू माली का विषय : वर्षों पूर्व कब्जाशुदा भूमि को एलॉट करके परेशान करना। उपरोक्त विषय में निवेदन है प्रार्थी ग्राम मूंडिया कलां, तहसील टोडारायसिंह का निवासी है और प्रार्थी के कब्जे में खसरा नं० इतने तालाबी जागीर के जमाने से काश्त करता आ रहा है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, बीच में न बोलें। पहले एक प्रश्न चल रहा है, यह दूसरा सवाल पैदा नहीं होता है। स्थान ग्रहण करें।

श्री जगन्नाथ : माननीय सदस्य ने मेरे भाषण के अंदर हस्तक्षेप किया था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि कानून के अन्तर्गत जमीन एलॉट करने का अधिकार जो सरकार को प्रदत्त है, वह अधिकार इस एलाटमेंट कमेटी को डेलीगेट किए हुए हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं, यह अधिकार एलॉटमेंट कमेटी को डेलीगेट किया हुआ नहीं है। नियम 16 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने स्वयं के पास अधिकार रखे हैं। धारा 101 के तहत यह अधिकार अवश्य तहसीलदार को हैं।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी-सु०) : क्या राज्य सरकार द्वारा डाइरेक्टली एलॉटमेंट होता है ? वह सारे का सारा इल्लीगल है कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम होते हैं, जनता के नाम नहीं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इसी प्रकार का एक एलॉटमेंट किया था, जिस एलॉटमेंट पर अपने राजस्व मंडल ने इस बात पर फैसला दिया है कि राज्य सरकार को कानून के अंदर अधिकार है जमीन एलॉट करने के, उनको नियमों के जरिए अलॉटमेंट कमेटी को ट्रांसफर कर दिया और इस कारण से राज्य सरकार को जमीन एलॉट करने के अधिकार नहीं हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : फैसले की जानकारी नहीं है लेकिन यह सही है कि यह एक नॉन-जुडिशियल मामला है, इस संबंध में राजस्व कोर्ट को अधिकार नहीं है जुरिस्डिक्शन नहीं है। राजस्व बोर्ड को केवल जुडिशियल मामलों के संबंध में विचार करने का अधिकार है, यह नॉन-जुडिशियल है, इसमें राज्य सरकार को स्वयं को अधिकार हैं।

Page No 28

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं, इस प्रश्न पर विधि मंत्री की राय ली जाय और वह राय नहीं देते तो एडवोकेट जनरल को बुला कर इस संबंध में उनसे हम पूछें कि क्या कानूनी पोजीशन है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कानूनी प्रश्न अवश्य है । जैसे माननीय सदस्य ने कहा, राजस्व मंडल का ऐसा कोई जजमेंट है जो मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं है। अगर वह जजमेंट इस सदन में आ जाय, तब भी कानूनी स्थिति का हल हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जिस समय ब्रजसुन्दर जी शर्मा के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव रखा था, जिसमें जजमेंट को रेफर किया गया था, जिसमें कोर्ट ने होल्ड किया है कि सरकार को डाइरेक्टली जमीन एलॉट करने का अधिकार नहीं है । इस प्रकार के केसेज डिसाइड नहीं हुए हैं लेकिन जब कभी सवाल आया तो कहा गया सरकार के इन्हेरेंट पॉवर्स थे वह पॉवर्स सारे के सारे एलॉटमेंट कमेटी के नाम ट्रांसफर कर दिये, इस कारण सरकार को कोई पॉवर्स नहीं हैं । इस संबंध म विधि मंत्री से पूछ लिया जाय और यदि वह परामर्श नहीं दे सकें तो एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय, यह सवाल हमेशा डिबेट में आता रहता है, तो निपटारा हो कि सरकार को पॉवर्स हैं या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी कुछ इसका निराकरण कर देंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस पर रेवेन्यू बोर्ड के अलावा किसी को फैसला देने का अधिकार नहीं है । एलॉटमेंट कमेटी के फसले का सवाल है, फसले की अपील और निगरानी का सवाल है, पार्टी के टाइटल का सवाल है, रेवेन्यू बोर्ड हाइएस्ट बाडी है । आपको डाउट है क्योंकि आप उनकी रूलिंग को मानने को तैयार नहीं हैं । मैं समझता हूं इस सिलसिले में लॉ डिपार्टमेंट को मैटर रेफर करना चाहिए। यह शिकायत आये दिन होती है । गवर्नमेंट ने इसका मिसयूज किया है । इस क्वेश्चन का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए । बिना कलेक्टर, तहसील के प्रोसीजर को पूरा किये गवर्नमेंट जिस तरह से एलॉटमेंट करती है, उससे इस तरह की धांधलेबाजी होती है । ऐसे ही मसले अदालत में पड़े हों, पैंडिंग पड़े हों, तब भी गवर्नमेंट एलॉटमेंट कर देती है। उस दौरान में गवर्नमेंट ने एलॉटमेंट कर दिया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी आर्बीट्रेरी पॉवर्स हैं, जिसका गवर्नमेंट ने मिसयूज किया है । अपील पेंडिंग हैं । अपील की पेंडेन्सी में अलॉटमेंट हो, जो हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, उसके बाद भी एलॉटमेंट करने का गवर्नमेंट को पॉवर नहीं है। स्टे आर्डर है। यह ग्रॉस मिसयूज ऑफ पॉवर वेस्टेड इन दी गवर्नमेंट है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को भूमि एलॉट करनी चाहिए या नहीं । उसको एलॉटमेंट के पॉवर्स हैं या नहीं, यह दूसरी बात है । जहां तक अधिकार की बात है, एलॉटमेंट का जो कानून है, उसकी जो धारा 101 है, उसके तहत तहसीलदार एलॉटिंग आथोरिटी है । एडवाइजरी कमेटी है, उसकी अपील कलेक्टर के पास आती है । कलेक्टर की निगरानी गवर्नमेंट के पास आती है । इस मामले में गवर्नमट को कलेक्टर की निगरानी सुनकर फैसला करना चाहिए था । जो तहसीलदार

(श्री शंकरलाल)

के पावर्स हैं, तहसीलदार के बाद कलेक्टर के पास आता है । गवर्नमेंट कलेक्टर की सिफारिश पर इसको एलॉट करे । गवर्नमेंट को एलॉटमेंट करने का अधिकार है । इस तरह कानून की स्थिति साफ है । इस मामले में वह करे या न करे । परन्तु जहां तक अधिकार का प्रश्न है, वह अधिकार जरूर है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेंट को यह रूल्स बनाने के बाद पॉवर्स हैं या नहीं । यह कन्ट्रोवर्सी का प्रश्न है । गवर्नमेंट का डिस्क्रीशन ज्यूडिशियरी तौर पर होना चाहिए । यह नहीं कहें कि कारण नहीं बतायेंगे, बेसिस नहीं बतायें । गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया तो उन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसमें उस पॉवर का इस्तेमाल करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्या गवर्नमेंट एलॉटमेंट कर सकती है । दिस इज ए पोइंट । यह प्रश्न है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन है कि यह मामला महत्वपूर्ण है । गवर्नमेंट को पॉवर है । वह अगर है तब भी यह इतना ही महत्वपूर्ण है कि आया इस तरह की पॉवर्स का इस्तेमाल हो ? जो तथ्य रूप में आया है । जहां एलॉटमेंट कमेटी एलॉटमेंट करे, उसके बाद भी उसी लैंड का एलॉटमेंट गवर्नमेंट करे । यह प्रश्न है । इस इश्यू को मैंने आपके सामने रखा है । जहां मिनिस्टर ने एलॉटमेंट अपने लड़के के नाम से कराया है । इसी तरह का एक प्रश्न मैंने पूछा था, लैंड लेस के कब्जे में एक जमीन थी, उसका एलॉटमेंट यहां से..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय मन्त्रीजी स्पष्टीकरण दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल :....जिसके अन्दर झगड़े की स्थिति पैदा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । माननीय मन्त्री जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लॉ मिनिस्टर ।

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय मन्त्रीजी ।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के तहत यह प्रावधान है । आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत होगा । जिसमें ये वर्ड्स हैं "Shall be subject to such rules as may be made by the State Govt. time to time." राज्य सरकार ने इस धारा के अन्तर्गत जो नियम बनाये हैं, उन नियमों के नियम 16 में प्रावधान रखा है, राज्य सरकार ऐसे आवंटन जो कि निर्धारित भूमि से अधिक हैं अथवा जो एक्स-सर्विसमैन से संबंधित हैं, या सहकारी समिति से संबंधित हैं, ऐसे आवंटन राज्य सरकार स्वयं करेगी । इसमें यह अवश्य है कि नियमों के अन्तर्गत जो अधिकृत व्यक्ति हैं भूमि पाने के उन्हीं को राज्य सरकार दे । 15 बीघा या उससे अधिक देने का प्रश्न हो तो राज्य सरकार देती है । यह प्रावधान है । मैं समझता हूं कि गवनमेंट को अधिकार है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, नियम 16 का जो हवाला दिया है, वह नियम 16 इनको यहां पर पढ़ने के लिए कहिये । उससे यह पोजीशन साफ हो जायेगी । यह पोजीशन तो साफ हो गयी कि नियम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के तहत आवंटन करने के लिये नियम 16 में आपको अधिकार है परन्तु इस नियम 16 में आपको अधिकार है या नहीं। इसके अन्तर्गत आप एलॉटमेंट कर सकते हैं या नहीं। आप नियम 16 को पढ़ दीजिये तो पूरा फैसला हो जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इसके अन्दर जैसा कि मन्त्रीजी ने कहा रूल 16 के अन्दर यह है कि इन नियमों के तहत एलॉटमेंट कमेटी होगी और वह कमेटी इन नियमों के तहत, नियमानुसार एलॉटमेंट करती है। यह पॉवर्स दे रखी है। इस बारे में गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है। परन्तु कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कलेक्टर समझता है कि यहां अधिक देने की आवश्यकता है, एक्स-मिलिट्रीमन हैं, जिन को अधिक जमीन देने की आवश्यकता है, उस मामले के अन्दर गवर्नमेंट को रिकमन्डेशन आती है। कमेटी कलेक्टर को रिकमन्डेशन करती है। कलेक्टर फिर आगे करता है। ऐसी हालत में कमेटी यह नहीं करती है। 15 बीघा जो निर्धारित है, यह महसूस करती है कि ज्यादा जमीन देने की आवश्यकता है, उस हालत में गवर्नमेंट के पास रिकमन्डेशन आती है। तो गवनमेंट ऐसे मैटर में एलॉटमेंट करे। ऐसा मेरा ख्याल है।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्रीजी।

श्री बरकतुल्लाह खां (विधि मन्त्री) : सारा मसला एकदम यहां पर आया है। इसका न तो मेरे पास नोटिस था और न मैंने इसका एक्ट पढ़ा है और न संबंधित रूल मैंने पढ़ा है। एसी हालत में मैं जो भी राय दूंगा वह सुपरफिसियल होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे आप मौका दें और जब भी आप हुकुम देंगे मैं तैयार होकर आ जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लम्बी-चौड़ी तैयारी नहीं करनी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसका एक पक्ष और है....

श्री अध्यक्ष : जितने पक्ष हैं, वे इस पर समाप्त कर देता हूं।

श्री दौलतराम सारण : इसमें राज्य सरकार की तरफ से एलॉटमेंट होता है, वह ऐसे लोगों को होता है जो व्यक्ति खेती करने वाले नहीं होते हैं, कृषि कार्य करने वाले नहीं होते हैं। वे गैर-कृषि कार्य करने वाले होते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय ने कहा है। पहले भी उल्लेख कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : यह नीति का सवाल है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि एलॉटमेंट कमेटी गैर काश्तकारों को भूमि एलॉट नहीं करेगी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा एक ही प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर. ऑर्डर, उत्तर इसका नहीं आयगा।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं वे राजस्व कानून के अन्तर्गत बड़े महत्व के हैं। यहां जिस प्रकार की परिस्थितियों का जिक्र किया गया भूमि आवंटन आदि के प्रश्न पर विधि मंत्री जी प्रकाश डाल सकते थे लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा वे इस बारे में तैयारी के लिए समय चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने जो चिन्तन और चिन्ता बताई है विधि मंत्री इस सारे प्रश्न पर, जो-जो प्रश्न उठाये हैं उनका अध्ययन कर लें। जहां तक उचित हो राज्य सरकार आवंटन और अन्य बातें जो उठायी हैं उस पर विचार कर सकती है। दूसरे सत्र में संभव होगा तो इस विषय पर बातचीत कर लेंगे और माननीय सदस्यों की शका का निराकरण हो सकेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शाम को 4 बजे तक इस बारे में वक्तव्य हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सारा मामला लॉ डिपार्टमेंट को रेफर कर दिया जाय तब तक गवर्नमेंट इस पॉवर का एक्सरसाइज नहीं करे।

श्री गंगाराम चौधरी : यह नहीं हो सकता।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि मण्डी, पाली का प्लान

556. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली में गये बोर्ड के पहले का जो बोर्ड था उस समय नजूल कमेटी ने चीफ टाउन प्लानर, श्री मेवाड़ा के समय कृषि मण्डी के लिए एक प्लान बनाया था ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस प्लान के अनुसार राज्य सरकार ने लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत सारी भूमि अवाप्त कर ली थी ? यदि हां, तो कौन-कौन से खसरे की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इसी प्लान को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वेयर हाउस व पोस्ट ऑफिस को भूमि दी गई ? यदि हां, तो फिर पिछली नगरपालिका ने किस तरह से कृषि मण्डी स्टेडियम के मैदान में लगाने की योजना बनाई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जिस जगह कृषि उपज मण्डी अपनी मण्डी बनाना चाहती है वह जगह नदी के बिल्कुल पास है और उपयुक्त जगह नहीं है ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान में ग्रामदान

559. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में अब तक किस किस जिले में किन-किन गांवों का ग्रामदान घोषित हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ग्रामदान करने की योजना क्या है और किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता

(श्री मोहन लाल मोदी)
है ।

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले में गत 2-3 वर्षों में कई ग्रामों का ग्रामदान किये जाने की घोषणा हुई है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील के किन 2 गांवों का ग्रामदान किसकी उपस्थिति में व किस विधि से हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि सीकर जिले के कुछ ग्राम के नागरिकों ने तहसीलदार एवं जिलाधीश को यह शिकायत की है कि हमारे गांवों का ग्रामदान करने की जो घोषणा हुई है वह फर्जी व गलत है ? यदि हां, तो कौन कौन से गांवों के नागरिकों ने शिकायत की और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राजस्थान में अब तक जिन-जिन गांवों का ग्रामदान घोषित हो चुका है उसकी जिलेवार सूची संलग्न है ।

(2) ग्रामदान की सारी योजना ऐच्छिक है। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1960 व इसके अन्तर्गत बने राजस्थान ग्रामदान नियम के अधीन उस योजना का उक्त कानून व नियम से नियमन होता है ।

(3) जी हां, जिन-जिन ग्रामों का ग्रामदान घोषित हुआ है उसकी सूची मेज पर रख दी गई है । घोषणा नियमानुसार की गई है ।

(4) जी हां, यह सही है कि कुछ ग्रामों एवं ढाणियों के नागरिकों ने माह जून व जुलाई में यह शिकायत की कि हमारे गांवों का ग्रामदान करने की जो घोषणा हुई है वह फर्जी व गलत है जिनकी सूची संलग्न है । ग्रामदानी घोषणा के विरुद्ध अपील ग्रामदान अधिनियम की धारा 4(5) के अन्तर्गत घोषणा के 30 दिन के अन्दर की जानी चाहिए चूंकि निर्धारित अवधि में कोई अपील नहीं हुई इसलिए इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(29-8-69)

जयपुर जिले में चारागाह की भूमि पर नाजायज कब्जे

466. **श्री नाथूलाल करोल** (जमवा-रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की हर एक तहसील के ग्रामों के चरागाह की जमीन पर ज्यादातर अनधिकृत कब्जे गत 3 साल से चले आ रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष चरागाह जमीन पर जो अनधिकृत कब्जे थे और जो फसल उन चरागाह जमीन पर पैदा हुई उसको नीलाम या मवेशी द्वारा नष्ट न की जाकर उन्हीं काश्तकारों को दे दी गई जिनका कब्जा था और अनधिकृत कब्जा आज तक नहीं हटाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस साल भी चरागाह जमीन पर लोगों ने काश्त करली है ? यदि हां, तो अब सरकार इस चरागाह जमीन के लिय आगे क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, हर साल कुछ चरागाह भूमि पर अतिक्रमण होता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) सारी चरागाह जमीन पर अतिक्रमण नहीं हुआ है जिन लोगों ने अतिक्रमण किये हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पलायत—सांगोद सड़क

841. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पलायत-सांगोद रोड वाया राजगढ़ कब मंजूर की गई और उस पर हर साल कितनी 2 रकम कितने 2 मीलों को बनाने हेतु मंजूर हुई व कितनी 2 खर्च की गई ? कृपया सालवार मंजूरी व खर्च मय ठेकेदार के नाम व काम की प्रगति बतलाने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क का 1964 का मंजूरशुदा काम एक साल के अन्दर 2 पूरा किये जाने को था और वह अब तक भी पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और सड़क को पूरा करवाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? व सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि राजगढ़ गांव के पास चम्बल इरिगेशन विभाग द्वारा एक्वेडक्ट्स के साथ-साथ काली सिन्ध व परवन पर ओवर हैड हाई ब्रिजेज बनाई हुई हैं जिनसे बारह महीने बारां व कोटा का ट्रेफिक चालू रह सकता है व काली सिन्ध पर पलायता के पास बरसात के समय रुक जाने वाले ट्रेफिकों को हमेशा के लिये आल्टरनेट रूट उपलब्ध हो सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस रूट को कब तक चालू कर देने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने पलायता-सांगोद सड़क के ठेकेदार का ठेका कसिल कर दिये जाने पर बिना उसके काम की जांच किये व महकमे से सलाह लिये, ठकेदार को स्टे दिया था ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

(1) 8-11-63 को । बजट प्रावधान व खर्चा रोडवार रखा जाता है । सालाना मंजूरी ठेकेदारों के नाम व खर्च के आंकड़े प्रस्तुत हैं ।

(2) जी हां । देरी के लिये ठेकेदारों पर जुर्माना किया गया है । मील 4 से 7 तथा 8 से 10 का काम क्रमशः 10-4-68 तथा 15-11-68 को पूरा करा दिया है । जैसे-जैसे धनराशि उपलब्ध होगी कार्य कराया जा सकेगा ।

(3) यह प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है ।

(4) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

खरंजों की मरम्मत

842. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी):

(श्री जुझारसिंह)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूत पूर्व कोटा स्टेट द्वारा बनाई गई कितनी ऐसी पुलियायें व खरन्जे हैं जो पी०डब्ल्यू०डी० सड़क पर स्थित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा पिछले बीस वर्षों म मरम्मत नहीं करवाये जा सके हैं ? कृपया पुलियाओं व खरन्जों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । इन वर्क्स की अनुमानित लागत क्या होगी ?

(2) क्या यह सही है कि यह खरन्जे व पुलियायें अधिकतर चालू फयरवदर रोड़ पर स्थित हैं और अधिकांश पर मोटर-बसें चलती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ये पुलियाएं सम्भवतः भविष्य में रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूट्स पर आने वाली हैं ?

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन पुलियाओं की मरम्मत व सुधार के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रावधान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जी हां । मोटरों के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) चतुर्थ योजना अभी स्वीकृत नहीं की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

भैंसरोड़गढ़ के पास पुल की स्वीकृति

843. **श्री जुझारसिंह** (राम गंज मण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा भैंसरोड़गढ के पास चम्बल पर नया पुल बनाने की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत का पुल कब तक बनाए जाने की योजना है ?

(2) चित्तौड़गढ़ जिले से रावतभाटा तक आवागमन की उपरोक्त सुविधा मिल जाने के बाद क्या राज्य सरकार इस पुल से झालावाड़ जिले को जोड़ने के लिये रावतभाटा से चेचट वाया खेड़ा रुद्धा सड़क बनाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि चेचट से रावतभाटा तक फेयर वेदर रोड व दीपुरा का घाटा बना हुआ है व इस पर रोजाना बसों का आवागमन है ?

(4) एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली सड़कों को प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था होते हुए भी, इस योजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(2) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(3) यह सड़क पंचायत समिति के अधीन है इसलिए इस विभाग को इस संबंध

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

में कोई जानकारी नहीं है।

(4) अर्थाभाव के कारण।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पेशल ग्रान्ट

844. श्री जुझारसिंह (राम गंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सन् 68-69 में बाढ एवं अकाल के तहत राजस्थान सरकार को स्पेशल ग्रान्ट मंजूर की जो सड़कों के मरम्मत हेतु विभिन्न जिलों म वितरित की गई थी? यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा कितनी रकम दी गई और वह किस-किस प्रकार बांटी गई? कृपया जिले व आइटम वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु रकम को बांटने के क्या-क्या आधार बनाये गये थे?

(3) क्या यह सही है कि इस रकम में से कोटा व झालावाड़ जिले को रकम नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों नहीं?

उत्तर

राजस्थान राज्य को केन्द्रीय सरकार से सन् 68-69 में फ्लड फेमीन रीलीफ हैड के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत हेतु 50 लाख की धनराशि मिली है जिसका जिलेवार आवंटन इस प्रकार है :—

उदयपुर	3,90,000
चित्तौड़गढ़	1,85,000
बांसवाड़ा	75,000
सवाई माधोपुर	9,00,000
अजमेर	3,00,000
सीकर	3,00,000
भरतपुर	50,000
नागौर	10,00,000
गंगानगर	5,00,000
भीलवाड़ा	2,00,000
डूंगरपुर	50,000
टोंक	2,20,000
कोटा	30,000
जयपुर	1,50,000
झुंझनू	3,00,000
अलवर	30,000
पाली	2,50,000
कुल योग:—	50 लाख

(2) राज्य सरकार द्वारा सड़कों की मरम्मत हेतु वहां के नुकसान व मरम्मत की आवश्यकता को देखते हुए राशि का आवंटन किया जाता है।

(3) कोटा जिले को 30 हजार का आवंटन किया गया था झालावाड़ को वहां आवश्यक नहीं होने के कारण आवटंन नहीं दिया गया।

जस्टाना व भाड़ोती से मलारना स्टेशन तक जाने वाली सड़क

845. श्री पृथ्वीराज पटेल (बामनवास-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि तहसील बोंली में जस्टाना व भाड़ोती से मलारना स्टेशन तक जाने वाली सड़क की हालत इतनी खराब है कि इसका जगह जगह से सोलिंग उखड़ गया है, हजारों खड्ढे पड़

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

गए हैं और बिना मरम्मत व डामर के यह सड़क बर्बाद हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष वर्षा के बाद जहां से सड़क टूट गई थी उसे मिट्टी भर कर ठीक कर दी जो अब वर्षा म बह गई और आवागमन अवरुद्ध हो गया है ?

(3) गत तीन वर्षों में इस सड़क पर कितना खर्चा किस-किस कार्य पर हुआ ?

(4) क्या सरकार को विदित है कि इस सड़क पर पीपल्दा का नाला पड़ता है जिस पर पुल बनाने का सर्वे चार वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु वह अभी तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह अब कब तक बनवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) सड़क की दशा साधारण है। डामर के अभाव में मिट्टी कहीं-कहीं निकली है।

(2) आवागमन चालू है।

(3) गत तीन वर्षों म सड़क मरम्मत पर निम्न खर्चा हुआ है:—

बोंली-जस्टाना रोड

66-67	13,324
67-68	14,160
68-69	5,448

भाड़ोती-मलारना डूंगर स्टेशन लिंक रोड

66-67	21610
67-68	45,177
68-69	44,000

(4) जी हां, अर्थाभाव के कारण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। धनाभाव के कारण यह काम कब तक हो सकेगा निश्चित नहीं कहा जा सकता।

राजगढ़-भादरा वाया सिधमुख सड़क निर्माण कार्य

846. **श्री शीशराम पूनीया** (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजगढ़ (चूरू) से भादरा वाया सीधमुख झुन्झुनू से (चूरू) वाया अलसीसर तथा राजगढ़ (चूरू) से बहल (हरियाना) तक पक्की सड़क बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राजगढ़ से भादरा तथा झुन्झुनू से चूरू वाया अलसीसर सड़कें बनाने की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन नहीं है। राजगढ़ से बहल तक पक्की सड़क बनाने की योजना अन्तर्प्रान्तीय सड़क योजना में विचाराधीन है। प्रश्न नहीं उठता। धनाभाव के कारण।

तहसील बोंली की सड़कें

847. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (बामनवास-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बोंली में पीपल्दा से दतवास तक राड़े वादा उदगांव, मित्रपुरा तथा बोरदा से दरवास रोड की 2 साल से बराबर मांग की जा रही है ?

Page No 37

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

(2) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? और यह सड़कें कब तक पूर्ण होंगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माल के कारण स्वीकृत नहीं लिया जा सका।

कोटा-पीपल्दा सड़क पर डामर कार्य

848. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा-कोटा जिले में एक तहसील का मुख्यालय है और कोटा से 54 मील दूर है?

(2) क्या कोटा से पीपल्दा जाने वाली सड़क बड़ोद तक डामर एवं उससे आगे पीपल्दा तक मेटल्ड है? यदि हां, तो क्या सरकार पीपल्दा तक इसे डामर की कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को पूरा कराया जायेगा?

(3) पीपल्दा कस्बे के बाहर जो नदी है उस पर पुल बनाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। अभी कोई ऐसी योजना नहीं है।

(3) 4 फुट चौड़ा पुल पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। नदी पर पुल निर्माण की अभी योजना नहीं है।

जिला नागौर के सरकारी भवन

849. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में ऐसे कौन-कौन से सरकारी भवन हैं जो किसी सरकारी कार्य में नहीं आ रहे हैं और उनकी कीमत क्या-क्या है?

(2) क्या उपरोक्त भवनों के निकट भविष्य में सरकारी कार्य में आने की संभावना है? यदि हां, तो किस-किस भवन के किस-किस कार्य में आने की?

(3) उपरोक्त भवनों की देखभाल या मरम्मत आदि पर कोई खर्चा किया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नाम भवन	कीमत
कस्टम थाना भवन,	24,007/-

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है। एलॉटमेंट जिलाधीश द्वारा किया जाता है।

(3) कोई खर्चा नहीं किया गया।

बारां निर्वाचन क्षेत्र की सड़कें

850. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां निर्वाचन क्षेत्र में अन्ता-सीसवाली सड़क, कोयला सड़क, अन्ता-मांगरोल सड़क एवं सीसवाली-मांगरोल सड़क अभी तक डामर रोड नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक हो जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि अन्ता-सीसवाली सड़क निर्माण का कार्य कई वर्षों से अधूरा पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि कोयला सड़क जो सिर्फ तीन चार मील लम्बी सड़क है की एक लम्बे समय से मरम्मत नहीं होने तथा डामर नहीं पड़ने के कारण इसकी मिट्टी आदि उखड़ गयी है ? यदि हां, तो क्यों और अब इस पर कब तक डामर हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सांभर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) यह सही नहीं है कार्य प्रगति पर मार्च, 68 तक रहा है।

(3) मरम्मत विभागीय गग द्वारा प्रति वर्ष होती रहती है तथा यातायात योग्य है डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

विभाग द्वारा सामान की खरीद

851. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के जयपुर मुख्यालय ने सन् 67-68 68-69 एवं 69-70 में सड़क निर्माण संबंधित गेंती फावड़े, तगारी आदि क्या 2 सामान किस दर से किस-किस पार्टी से किस किस तारीखों को खरीद किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह खरीद किया गया सामान टेण्डर्स आमंत्रित करके किया गया?

(3) यदि हां, तो किस-किस टेण्डर नम्बर के द्वारा खरीद किया गया और कितने 2 टेण्डर्स आए और उनमें सबसे न्यूनतम दर के टेण्डर व सामान सप्लाई करने वाली पार्टी के टेन्डर रेट तुलनात्मक प्रति मय आमंत्रित किए गए टेण्डर नम्बर की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय ने सन् 67-68 में सड़क निर्माण कार्य हेतु गेंती, फावड़े, तगारी आदि कोई सामान क्रय नहीं किया। सन् 68-69 व 69-70 में जो सामान क्रय किया गया है उसकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) ब्यौरा सूची (अ) प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले के ग्रामों में पानी की समस्या

852. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में बदनू, कवास, कोसरीया एवं लाडपुरा बरावली ग्रामों में भंयकर जल कष्ट की समस्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इस भयंकर जल कष्ट की समस्या का हल करने के लिए राज्य सरकार ने भीमडा ट्यूब वेल से बायतू कवाड, हुंडों की ढानी, छीतर का पार, माडपुरा सोनी, माडपुरा बरावला, कोसरीया, बनिया से धंधोटा एवं बटाडू गांवों को जल पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय पाइप लाइन योजना का सम्पूर्ण सर्वेक्षण करा कर स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस जल कष्ट की समस्या को हल करने के लिये भीमडा नल-कूप से आसपास के ग्रामों को शामिल कर एक क्षेत्रीय जल योजना तैयार की है, योजना बनाई जा चुकी है तथा उसकी तकनीकी जांच की जा रही है, योजना की स्वीकृति के बाद कार्य हाथ में लिया जा सकेगा, इस क्षेत्रीय योजना में निम्न ग्राम शामिल हैं :

	सन् 1961 की जनगणना के अनुसार जन संख्या
1. कोसलिया	1,227
2. बायतू पनजी	1,971
3. बायतू चिमन जी	1,801
4. बायतू भोपजी	2,726
5. बनिया सांदा धोरा	1,000
6. बरवाल मांडपुरा	1,000
7. बायतू भीमजी	2,358
8. सूंथों की ढाणी	876
9. छीतर का पार	1,422
10. काऊ का खेड़ा	500
11. सर का पार	500
12. कवास	1,000
13. बटारू	4,382
कुल संख्या ...	20,763

योजना बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये 31,203 की जन संख्या के लिये बनाई गई है, योजना की अनुमानित लागत 28.20 लाख रु० है। इस योजना में पानी भीमडा नल-कूप से जिसकी क्षमता 18 750 गैलन प्रति घंटा है प्राप्त किया जावेगा।

शाहबाद में पानी की समस्या

853. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, 68 के आस-पास शाहबाद (जिला कोटा) में जलदाय की समस्या के निदान हेतु ग्रामीण जल प्रदाय योजना का एक अभियन्ता गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उस अभियन्ता ने शाहबाद के दो कुओं में एंजिन लगा कर पानी की क्षमता का निरीक्षण किया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अभियन्ता ने अपनी रिपार्ट में यह लिखा था कि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उक्त कुओं से नल योजना चालू की जाकर शाहबाद की जनता को पानी पर्याप्त दिया जा सकता है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि शाहबाद एक आदिवासी (सहरिड़ा) पिछड़ा क्षेत्र है? यदि हां, तो नियमानुसार अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में जल समस्या के निर्णय हेतु इसको प्राथमिकता योजना में क्या नहीं दी, और अब कब तक शाहबाद में नल चालू हो जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। शाहबाद के लिये 38,000) रु० की पम्प व टेंक योजना बनाई गई थी।

(4) इसकी कोई सूचना इस विभाग को नहीं ह। राज्य सरकार के आयोजना विभाग के नवीनतम आदेश सं० एफ० 3 (12) प्लान/68, दिनांक 4-1-69 के अनुसार शाहबाद की जन संख्या यद्यपि 2,000 से कम है, किन्तु तहसील व पंचायत समिति का मुख्यालय होने की वजह अब इस ग्राम की पाइप्ड जल वितरण योजना बनाई जा रही है, योजना तैयार होने पर उसकी स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

जयपुर शहर में पानी की बकाया राशि की वसूली

854. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर म पानी के उपभोक्ताओं म चार-चार पांच-पांच वर्ष से पूर्व की बकाया रकम निकाल कर बिलों में जोड़ी जा रही है?

(2) इन रकमों को इतने वर्ष बाद यकायक बकाया बताकर वसूल करने का क्या कारण है तथा यह रकम पहले क्यों नहीं वसूल की गई?

(3) क्या यह सही है कि उपभोक्ता जब जानकारी करने कार्यालय में जाते हैं तो सहायक अभियन्ता अभद्र व्यवहार करते हैं और बिल की राशि को काट कर और ज्यादा रकम लिखदी जाती है? यदि हां, तो क्या विभाग के पास सही हिसाब उपलब्ध नहीं है?

(4) उपभोक्ताओं के साथ उपरोक्त अधिकारी द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें विभाग को की गई और क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई? यदि नहीं कराई, तो क्या अब जांच कराने का सरकार इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी हां, केवल उन उपभोक्ताओं के बिलों में जिनके नाम कार्यालय के खातों में बकाया निकलती है।

(2) अधिकतर बकाया धनराशि विभागों एवं सरकारी क्वार्टरों में निवास करने वाले ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध बहुत समय से चली आ रही है जिनके क्वार्टर खाली करने से पूर्व कार्यालय से बकाया प्रमाण-पत्र नहीं लिये हैं, और इस प्रकार से बकाया धनराशि बढती रही है। क्वार्टर छोड़ने के पश्चात् जलदाय विभाग को यह पता नहीं

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

रहता कि अमुक कर्मचारी किस स्थान पर स्थानान्तरित हुआ है, फलतः बकाया धनराशि वसूल नहीं हो पाती है। नया उपभोक्ता अपने समय की पूर्व की पुरानी बकाया भुगतान करने में असमर्थ रहता है और उसकी असुविधा को ध्यान में रखते हुये कनेक्शन काट दना भी संभव नहीं होता। इस प्रकार के कर्मचारियों के वर्तमान पते तलाश कर बकाया धनराशि वसूल की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभाग के पास इस प्रकार के मामले कभी कभी आते हैं कि रकम जमा कराने के बावजूद भी बिलों में बकाया लग गयी है, इसके कई कारण हैं? एक कारण तो यह है कि उपभोक्ता किसी बिल का भुगतान इतनी देर से कराता है कि उसके एक दो रोज पहिले अगला बिल कार्यालय में बनकर तैयार हो जाता है और भुगतान की सूचना बैंक द्वारा प्राप्त होकर कार्यालय के खातों में इन्द्राज होते होते-समय लग जाता है। और अगर खातों में इन्द्राज करने में ऐसी गल्ती हो भी जाती है तो ऐसे मामले ज्यों ही विभाग के नोटिस म लाये जाते हैं उनकी तुरन्त शुद्धि कर दी जाती है।

(3) जी नहीं, जब कोई उपभोक्ता किसी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत करता है तो उसकी शिकायत पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। उसकी शंका का समाधान किया जाता है तथा शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जाती है। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया है, बिल में सही रकम लिखी जाती ह।

(4) जब कभी किसी बात की शिकायत प्राप्त होती ह तो उसकी अविलम्ब जांच कर उचित कार्यवाही की जाती है, तथा शिकायत कर्ता का भी संशय निवारण कर संतोष करा दिया जाता है। भूतकाल में किसी भी अधिनस्थ कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं पाया गया है।

अमृतपुरी आदर्श बस्ती

855. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा अमृतपुरी आदर्श हरिजन बस्ती की योजना किस उद्देश्य से बनाई गई थी?

(2) यदि यह हरिजनों के लिये ही थी, तो अभी उसके कितने प्लाट्स पर अन्य लोगों का कब्जा है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

(3) जिन लोगों ने गलत कब्जे कर रखे हैं उनको हटाने के लिय क्या कार्यवाही की जा रही ह?

उत्तर

(1) जयपुर में अमृतपुरी हरिजन बस्ती की योजना समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर उनके द्वारा दी गई सूची के अनुसार 50 हरिजन परिवारों को बसाने हेतु तत्कालीन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा सन् 1957 में बनाई गई थी।

(2) जी नहीं। यह योजना केवल हरिजनों को ही बसाने हेतु नहीं है। जसा कि उत्तर संख्या 1 में स्पष्ट किया गया है कि प्रारम्भ में यह योजना राज्य समाज कल्याण विभाग) के प्रस्ताव पर उनके द्वारा प्रस्तुत

Page No 42

(नगर आयोजना मंत्री)

50 परिवारों को भू-खण्ड आवंटित करने हेतु बनाई गई थी। इस योजना में जैसे-जैसे भूमि प्राप्त होती गई वैसे-वैसे इस योजना का विस्तार होता गया। इसमें अन्य लोगों को भी आवंटन किया गया जिनमें मुख्यतः अनुसूचित जाति के परिवार तथा इस क्षेत्र के पुराने निवासी तथा नगरपालिका के दमकल विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं। जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस योजना में जिन लोगों ने जब-जब गलत कब्जे किये हैं उनके विरुद्ध न्यास के अतिक्रमण अधिकारी द्वारा विधिवत उचित कार्यवाही की जाती रही है। इसके अतिरिक्त जिन आवंटियों ने अर्से दराज से भू-खण्ड की राशि जमा नहीं कराई और उन भू-खण्डों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया है उनको बसाने पर भी शीघ्र विचार किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद के लिए प्रार्थना-पत्र

856. **श्री जयनारायण सालोदिया :** (निवाई) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जयपुर ने स्थानीय पत्रों के द्वारा ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की पोस्ट के लिये दिनांक 30 अप्रेल, 1967 तक प्रार्थना-पत्र मांगे थे? यदि हां, तो कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र भर कर दिया?

(2) क्या यह भी सच है कि दिनांक 8-6-67 को इन्टरव्यू के लिये तीन आदमियों की कमेटी बैठी थी?

(3) क्या इस कमेटी के सामने 14 आदमियों ने इन्टरव्यू दिया? यदि हां, तो कमेटी ने सबसे ज्यादा मार्क्स किसको दिये?

(4) क्या श्री सरवरचन्द भण्डारी जो पहले नगर सुधार न्यास में ही हैड क्लर्क थे उनको सेवा मुक्त कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों और क्या वह भी इस इन्टरव्यू में शामिल थे?

(5) क्या अब ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह को भर दिया गया है? यदि हां, तो किस व्यक्ति से और किस प्रकार से?

उत्तर

(1) जी हां 18 व्यक्तियों ने।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, केवल 13 ने।

योग्यता, अनुभव व अन्य कार्यालयों की प्रशंसनीय सेवाओं के आधार पर श्री सरवरचन्द का चयन किया गया।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता इन्टरव्यू म भी सरवरचन्द भी उपस्थित थे तथा इनका चयन कमेटी द्वारा अनुभव के आधार पर हुआ।

(5) जी हां। श्री सरवरचन्द भंडारी इस पद पर कमेटी द्वारा चयन कर लिये गये हैं तथा वह कार्य कर रहे हैं।

गृह कर

857. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान म कौन कौनसी नगर-पालिकाओं ने अब तक गृह कर नहीं लगाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान कौन कौनसी नगरपालिकाओं को ही दिया जा रहा है और क्यों ?

उत्तर

(1) 68-69 में जिन नगरपालिकाओं ने गृह कर की वसूली नहीं की है उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई ह ।

(2) वर्ष 1968-69 में सब ही नगरपालिकाओं को सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

नगर विकास न्यास द्वारा अवाप्त भूमि

858. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवा महल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर के विकास हेतु नगर विकास न्यास ने जयपुर नगर के आस पास किस-किस क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि अवाप्त कराई है ? कृपाया सूची सदन की मेज पर रख।

(2) क्या भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जिन व्यक्तियों से भूमि ली गई है उन्हें रहने के लिये भूमि खण्ड भी दिए जाने की व्यवस्था अपने एवार्ड में की है ?

(3) क्या नगर विकास न्यास ने अवार्ड के अनुपालनार्थ भूमि खण्ड एलॉट कर दिए ह ? यदि हां, तो प्रत्येक बस्ती में किस किस हिसाब से कितना-कितना डेवलपमेन्ट चार्ज लिया गया है ?

(4) अमानी-शाह नला व झोटवाड़ा के बीच के भूमि खण्ड में से कितने-कितने व्यक्तियों को एवार्ड में प्लाट एलॉट किए गए हैं और अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने आज्ञानुसार किस-किस को कितनी-कितनी भूमि किस-किस रेट पर एलॉट की है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, जयपुर का गठन दिनांक 26-12-60 के पश्चात् अवाप्त भूमि किये जाने का विवरण संलग्न तालिका 'अ' में प्रषित है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अधिकांश अवाप्त निर्णय में अवाप्त भूमि में रहने वाले व्यक्तियों को भू-खन्ड दिये जाने की भूमि अवाप्ति अधिका ी द्वारा सिफारिश की गई।

(3) जिन अवाप्त भूमियों के भू-खन्ड दिये जाने की सिफारिश है व भूस्वामियों से डेवलपमेन्ट चार्ज (नजराना) की मांग की गई है संलग्न तालिका 'ब' में दर्शित है। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) सूचना तालिका 'ब' में अंकित है

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जो कि सदन की मेज पर रख दी गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मोटर स्टेण्ड झालावाड़ के पास की दुकानों का किराया

859. **श्री रामप्रसाद वोहरा** (झालरा पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ मोटर स्टेण्ड पर जो टेम्परेरी दुकानें लगी हुई हैं इनके किराये नगरपालिका लेती है? ऐसी कितनी दुकानें है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इनको हटाने के नोटिस नगरपालिका द्वारा दिये गये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त दुकानदार इन दुकानों की जमीन मोल लेना चाहते हैं? जो नगरपालिका नहीं देना चाहती यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 27 दुकानें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) केवल एक दुकानदार ने जमीन कीमतन लेने का प्रार्थना-पत्र नगरपालिका में प्रस्तुत किया है।

नियमानुसार भूमि नीलाम द्वारा ही विक्रय की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

छत्रपुर नल योजना का कार्य

860. **श्री रामप्रसाद वोहरा (झालरा-पाटन)** :–क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि छत्रपुर, जिला झालावाड़ में नल योजना का कार्य पूरा हो चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि नल योजना का कार्य पूरा हो जाने पर भी लगभग दो साल से नलों द्वारा पानी नहीं दिया जाता है जब कि यह रेल्वे स्टेशन है और आवागमन जिले का इसी जगह से होता है?

(3) नल योजना में क्या कोई तकनीकी खामी है जिससे राज्य सरकार का इतना रुपया खर्च होने पर भी कार्य सूचारू रूप से शुरू नहीं हो सका?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, सरपंच द्वारा संधारण का पुराना बकाया रुपया जमा नहीं कराने के कारण योजना बन्द करदी गई थी।

टाउन प्लानिंग के अधिकारियों को प्रशिक्षण

861. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर):–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1967 म टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा किन-किन अधिकारियों को टाउन

(श्री भैरोंसिंह)

प्लानिंग का प्रशिक्षण दिलाने हेतु दिल्ली भेजा गया ?

(2) इनकी योग्यता क्या-क्या है और इनका चयन किस प्रकार किया गया ?

(3) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर किस-किस प्रकार का क्या-क्या खर्चा आयेगा ?

उत्तर

(1) 1967 में टाउन प्लानिंग के प्रशिक्षण हेतु सर्व श्री वी० के० सरीन एवं श्री पी० एन० भागव को दिल्ली भेजा गया।

(2) दोनों अधिकारी वास्तुकला में स्नातक (ब० आर्ट) थे। इनका चयन उस समय कार्य कर रहे सहायक नगर नियोजकों में से जो कि टाउन प्लानिंग में अनट्रेन्ड थे तथा जो इस प्रशिक्षण में निर्धारित शर्तो पर जाने को तयार थे, उनकी योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया।

(3) प्रत्येक ट्रेनीज पर दो वर्षों में लगभग 5,500) रु० का खर्च आया जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

विवरण	
1. छात्रवृत्ति	175 रु० मासिक
2. पुस्तक एवं लेख सामग्री खरीदने के लिए प्रतिवर्ष	200 रु०
3. अन्य दय शुल्क	200 रु०
4. यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष	200 रु०
5. थिसिस पर होने वाला व्यय	200 रु०

श्रमिकों के लिये मकान

862. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या नगर आयोजन **मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर तथा पाली में औद्योगिक विकास योजना के तहत श्रमिकों के लिये किराये पर देने के लिये रिहाइशी मकान बने हुए हैं ? अगर हां, तो इन मकानों में कितने श्रमिक परिवार रहते हैं और कितने गैर श्रमिक परिवार रहते हैं ?

(2) क्या यह सच है कि औद्योगिक विकास योजना के तहत बने मकानों में जो गैर श्रमिक परिवार रहते हैं उनमें किराया भी बकाया है ? अगर हां, तो उनमें सन् 64-65 व 66 में कितना किराया बकाया रहा और उसकी वसूली के लिये क्या किया गया ?

(3) श्रमिकों के लिये बनाये गये मकानों को गैर श्रमिकों को देने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि श्रमिकों के लिये बने मकान गैर श्रमिकों का एक निश्चित अनुमान से अधिक संख्या में नहीं दिय जा सकते ? यदि हां, तो सरकार ने अनुपात क्या निर्धारित किया है ?

(5) इस नियम की अवहेलना क्यों की जा रही है ? क्या अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) हां, श्रमिकों के रहने के लिए जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर तथा पाली में 1 850 मकान बनाये गये हैं उनमें इस समय 1 842 श्रमिक परिवार रह रहे हैं। शेष

(नगर अग्रोजना मंत्री)

मकानों म राज्य अधिकारी जो कि श्रम कल्याण कार्य में लगे हुए हैं, रहते हैं।

(2) इन मकानों में गैर श्रमिक नहीं रहते हैं लेकिन कुछ ऐसे श्रमिक परिवार रहते हैं जिनको नियमानुसार मकान नहीं दिय गये बल्कि इन्होंने दूसरे श्रमिक से मकान किराये पर ले लिया है। इन व्यक्तियों को अनाधिकृत कब्जा माना जाता है। तथा इनके निकालने की कार्यवाही कानूनन की जाती है। एसे व्यक्तियों में 1964-65 व 1965-66 में क्रमश: 3,51395, 44,481.32 किराया बाकी रहा है इसकी वसूली की कार्यवाही जारी हैं।

(3) श्रमिकों के लिए बनाये गये मकानों में से गैर श्रमिकों को मकान सरकार द्वारा नहीं दिये गये हैं। केवल उन व्यक्तियों को जो श्रम कल्याण कार्यों व औद्योगिक आवास योजना से संबंधित हैं, नियमानुसार मकान दिये गये हैं।

(4) जी हां, 2 प्रतिशत तक मकान राज्य सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को दे सकती है।

1. आवास योजना से संबंधित कर्मचारीगण ।

2. चौकीदार आवास योजना की देख-भाल करने वाला।

3. श्रम कल्याण कार्य से संबंधित कर्मचारी ।

(5) उपरोक्त अनुपात से अधिक मकान नहीं दिये गये है। अत: नियमों की कोई अवहेलना नहीं हुई ह अतः अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जयपुर नगर में साइकिल रिक्शा

863. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डौली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में जयपुर नगर में कितने साइकिल रिक्शा चल रहे हैं ?

(2) कितने साईकिल रिक्शे ऐसे हैं जिन्हें 18 वर्ष से 20 साल तक के लड़के चलाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से किशोर अवस्था के लड़कों का रिक्शा चलाना उचित नहीं है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार कम आयु के लड़कों द्वारा रिक्शे चलाने पर कानूनी रोक लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर नगर में 947 साईकिल रिक्शा स्वीकृत शुदा चल रहे हैं।

(2) नगरपरिषद् की जानकारी में नहीं है। रिक्शा चलाने का लाईसेन्स नगर-परिषद् इस उम्र के लड़कों को नहीं देती है।

रिक्शा चालकों की उम्र 21 से 45 तक निर्धारित है।

(3) जी हां।

(4) रिक्शा चालन के नियमन हेतु नगरपालिका अधिनियम, 1959 में आवश्यक संशोधन किये जाने का मामला विचाराधीन है ।

ग्राम खैरवा की जलप्रदाय योजना

864. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली तहसील के गांव खैरवा में जल प्रदाय योजना का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सत्य है कि गांव खैरवा की ओर से अपनी धनराशि का हिस्सा करीब 11,000 रु० जमा करवा दिए हैं और अगर हां, तो कब ?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना को पूरा करने के लिये जल्दी ही कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, माह फरवरी, 68 व जून, 68 में।

(2) जी हां, 11,617 रुपये की धनराशि माह अप्रेल, 69 में जमा करायी है।

(3) अभी तक पानी के निश्चित स्रोत के अभाव में योजना तैयार नहीं की जा सकी है। स्रोत निर्धारित करने तथा स्वीकृति मिलने पर योजना क्रियान्वित की जा सकेगी।

महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली से गृह कर की वसूली

865. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कृपा करगे :–

(1) इस पिछले नगरपालिका, पाली के बोर्ड ने आखिरी दिन तारीख 20-6-69 के 4।। बजे दिन को महाराजा श्री उम्मेद मिल्स से 20-22 हजार रुपए या इससे अधिक हाउस टैक्स की रकम वसूल की ? और यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) पिछले बोर्ड के पहले बोर्ड ने हाउस टैक्स का असेसमेंट महाराजा श्री उम्मेद मिल्स के नाम पर कितना किया था ? और पिछले बोर्ड ने उस असेसमेंट में कितनी कमी कर दी ? और करदी तो किन 2 कारणों से ?

(3) क्या यह सत्य है कि पिछले बोर्ड के असेसमेंट ने नगरपालिका, पाली को हजारों रुपयों का घाटा दे दिया ?

उत्तर

(1) वित्त समिति गृह कर रिवाईजिंग ऑथोरिटी के निर्णय दिनांक 1-6-69 के अनुसार 28,861.40 पै० दिनांक 20-6-69 को वसूल किय गये थे।

(2) 10,617.68 रुपये प्रतिवर्ष। दि० 1-10-62 से 31-3-69 तक कुल राशि 69,015.67 होती थी पिछले बोर्ड की रिवाईजिंग ऑथोरिटी ने दि० 1-6-69 को मिल द्वारा एन्यूअल रिपोर्ट इन्कम-टैक्स के कागजात पेश किये गये थे एन्यूअल वेल्यू के आधार पर कर की राशि में कमी करदी गई।

(3) जी नहीं।

पाली तहसील की जलप्रदाय योजनाएं

866. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :–

(1) पाली तहसील के किन 2 स्थानों

(श्री मूलचन्द डागा)

पर जल प्रदाय योजनाओं का निर्माण कार्य चालू है ?

(2) क्या यह सत्य ह कि पाली तहसील के गांव खैरवा की जल प्रदाय योजना के लिए गांव वालों ने अपनी हिस्सा पूंजी एक मश्त में जमा करादी ? और करादी तो कब और कितनी ?

(3) क्या यह सत्य है कि मंत्री महोदय ने आम पब्लिक मीटिंग में इस योजना के क्रियान्वयन का आश्वासन दिया था ? और यदि दिया था, तो कब ?

(4) क्या अब भी सरकार इस योजना को हाथ में लेकर कार्य सम्पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली तहसील में बूसी खोड़ व गुन्दोज में ग्रामों में जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य चालू ह।

(2) जी हां, 11,617 रु० माह अप्रल, 69 में जमा करा दिये हैं।

(3) इस विषय में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं ह ?

(4) योजना निश्चित जल स्रोत के अभाव में बनाई नहीं जा सकी ह। स्रोत निर्धारित करने तथा स्वीकृति मिलने पर योजना क्रियान्वित की जा सकेगी।

मेजर शैतानसिंह कॉलोनी का विस्तार

867. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मेजर शैतानसिंह कॉलोनी (बनीपार्क विस्तार योजना) में 8-1-64 को मकान बनाने के लिये भू-खण्डों का आवंटन कर दिया गया था तथा जनता से एक चौथाई रकम ले ली गई थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इसमें अभी तक कोई विकास कार्य नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि अभी तक न जमीन ही लेवल में की गई है और न सड़कें ही बनी हैं, और न पानी व बिजली ी पहुंचाई गई है ?

(3) यदि योजना के विकास होने की सम्भावना नहीं थी तो 5 साल पूर्व ही भू-खण्डों का आवंटन करके रुपये क्यों वसूल किये गये ? और बाद में फरवरी, 68 में विकास के लिये मौखिक व लिखित आश्वासन देकर बेची हुई तीन चौथाई रकम भी क्यों वसूल कर ली गई ?

(4) क्या सरकार वसूल की गई राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है ?

(5) क्या जुलाई, 66 में विभाग ने लिखित रूप में जनता को आश्वासन दिया था कि विकास कार्य 3 माह में पूर्ण हो जावेगा यदि हां, तो कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

(6) क्या राष्ट्रदूत पत्रिका ने अपने पत्र दिनांक 2-12-67 में मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(7) क्या इस योजना के बाद में बनी योजनाओं का विकास किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे क्यों टाला जा रहा है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(8) अब कितने समय में, इसमें सड़कें बिजली, पानी की व्यवस्था हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास के निर्णय दिनांक 8-5-64 के अनुसार मेजर शैतान सिंह कॉलोनी (बनी पार्क विस्तार योजना) में भू-आवंटन का श्री गणेश दि० 13-8-64 को किया गया व (एक/चार रकम) 1/4 रकम की मांग की गई। इस योजना में सभी विकास कार्यों में काफी प्रगति है।

(2) जी नहीं इस योजना में सड़कें, पानी तथा बिजली के संबंध में जो विकास कार्य हुये हैं वे संलग्न तालिका में दर्शित हैं।

(3) चूंकि आवंटन के समय योजना के विकास में कुछ समय लगने की सम्भावना थी अतः केवल एक चौथाई राशि की ही मांग सन् 1964 में की गई तथा शेष 3/4 राशि की मांग विकास कार्य में प्रगति होने पर तथा आवंटित भूमि का लेवलिंग होकर अधिपत्य देने की स्थिति में फरवरी सन् 68 में की गई।

(4) जी नहीं प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) विकास कार्य जुलाई सन् 1966 में द्रुतगति पर थे जिनको दृष्टि में रखते हुये शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की संभावना व्यक्त की गई थी।

(6) जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(7) नगर विकास न्यास द्वारा सभी योजनाओं में विकास कार्य किये जा रहे हैं। चूंकि इस योजना के अधिकांश भाग में विकास कार्य हो चुका है अतः शेष कार्यों को टालने का प्रश्न ही नहीं होता और वह प्रगति पर है।

(8) अनुमानित 6 माह में।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बीकानेर के भैंसावाड़ एवं स्टोर में पड़ा माल

868. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर नगर परिषद् के भैंसावाड़े एवं स्टोर में कुल कितने रुपये की धनराशि का माल पड़ा है ?

(2) क्या उसका वेल्यूएशन कभी किसी जिम्मेदार व्यक्ति से कराया गया है ? यदि हां, तो कब और किसने किया है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) 1,09,394.00 रुपयों की धनराशि का माल मौजूद है।

(2) आवश्यकता नहीं है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

मीणा होस्टल को अनुदान

869. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर पालिका, नीम का थाना में मीना होस्टल को अनुदान स्वरूप कोई धनराशि दी है ? अगर हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी ?

(श्री केदारनाथ)

(2) क्या नगरपालिका, नीम का थाना ने उपरोक्त आशय का कोई प्रस्ताव पास किया है ? अगर हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से इस अनुदान की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है ।

उत्तर

(1) मीना छात्रावास, नीम का थाना को नगरपालिका द्वारा दि० 19-10-65 को 2,500) रु० एवं दि० 30-12-66 को 2,500) रु० कुल 5,000) रु० श्री भालीराम मंत्री, मीना छात्राबास, नीम का थाना को तत्कालीन बोर्ड द्वारा दिया गया था ।

(2) नगरपालिका, नीम का थाना द्वारा नगरपालिका के सदस्यों की सिफारिश पर अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त अनुदान दिया जिसकी पुष्टि नगरपालिका के प्रस्ताव सं० 7(6), दि० 24-7-68 द्वारा की जा चुकी है।

(3) राज्य सरकार से इस अनुदान को दिये जाने की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है ।

मकराना में हिन्दू मोहल्ले की सड़क

870. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मकराना के किसी भी हिन्दू मोहल्ले में सड़क नहीं बनाई गई, यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि एक सड़क जो पानूजी के चबूतरे के सामने से हिन्दू मोहल्ले में बनाई गई थी उसे भी वापस तोड़ दिया गया है ।

उत्तर

(1) मकराना में कोई हिन्दू मोहल्ला कायम नहीं किया हुआ है । जिन-जिन स्थानों पर नगरपालिका द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया है उसकी सूची प्रस्तुत है ।

(2) नगरपालिका द्वारा कई वर्ष पूर्व मेटल रोड का निर्माण करवाया गया था । सड़क का लेवल ऊंचा होने से आस-पास के घरों में पानी भर जाता था इसी कारण जिस व्यक्ति के घर में पानी गया उसने अपने सामने की सड़क को तोड़ डाली । इसी से सड़क की तोड़ फोड़ हुई ।

पुनः सड़क का निर्माण करवाया गया है और इस समय भी मेटल रोड बनी हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सुजानगढ़ में पानी की समस्या

871. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या जन स्वास्थ्य विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ नगरपालिका क्षेत्र की जनता ने पीने के पानी की समस्याओं को लेकर किसी प्रकार का आन्दोलन किया था ?

(2) यदि हां, तो कब और उनकी समस्याओं के निदान हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही ह कि पानी की समस्या को लेकर नगरपालिका, राज्य सरकार

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

व श्री खेतान परिवार के बीच में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो यह समझौता क्या था ? और समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ की जनता ने पानी की समस्या निदान हेतु कोई सुझाव दिये थे ? यदि हां, तो वे सुझाव क्या थे और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बल्कि माह मई व जून के गर्मियों के महीनों में जल-योजना चालू न किये जाने के बारे में असंतोष व्यक्त किया था।

(2) योजना को शीघ्राति शीघ्र चालू करने के लिय लाड़नू से सुजानगढ़ की पाइप लाइन के टेस्टिंग आदि का कार्य लगभग पूर्ण किया गया तथा शीघ्र ही नल-योजना शुरू कर दी जावेगी। जी हां, समझौते की प्रतिलिपि संलग्न है तथा समझौता स्वमेव स्पष्ट है।

(4) जी हां, एक सुझाव योजना के लिय 14 ट्यूब-वैल बनाये जाने के लिये था और दूसरा शहर के चारों ओर बढ़ती हुई बस्तियों में पाइप लाइन डालन के बारे में था, ये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हरिजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

872. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सूरतगढ़ के हरिजन कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे ? यदि हां, तो किस तारीख से हड़ताल पर रहे ? और हड़ताल समाप्त कब हुई ?

(2) क्या यह सही है कि हरिजन औरतों ने भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो कब और कितने दिन तक भूख हड़ताल पर रही ?

(3) क्या यह सही है कि हड़ताली कर्मचारियों पर झूठे मुकदमे बनाकर उनको थाने म ले जाकर पिटाई की ? यदि हां, तो कितने हरिजनों को किस अपराध में गिरफ्तार किया था ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सही है कि हरिजन कर्मचारी अपनी मांगें मन्जूर करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे। क्या उन हरिजनों की मांग पूरी हुई हैं या नहीं ?

(5) कुल कितने कर्मचारी (हरिजन) ह ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 8-8-68 को 12 घन्टे का नोटिस देकर हड़ताल पर रहे थे। हड़ताल 16-9-68 को समाप्त हुई।

(2) नगरपालिका को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) नगरपालिका द्वारा हरिजन कर्मचारियों के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा नहीं बनाया गया। गिरफ्तारी करने संबंधी सूचना नगरपालिका को नहीं है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) हड़ताल करने का नोटिस नियमानुसार पर्याप्त अवधि का नहीं होने से उन पर नगरपालिका द्वारा विचार नहीं किया गया।

मांगें सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) कुल हरिजन कर्मचारी 40 हैं। सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

फतेहसिंह धर्मशाला को अवाप्त करने की कार्यवाही

873. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फतेहसिंह की धर्मशाला, स्टेशन रोड, जयपुर को राज्य सरकार द्वारा अवाप्त किया जाकर नगर विकास मण्डल, जयपुर को दे दिया गया है?

(2) इस धर्मशाला में कौन-कौन व्यक्ति किस-किस रूप में कब-कब से रह रहे हैं? कृपया एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित व्यक्तियों के आवास के लिये नगर विकास मण्डल की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

(1) जी हां। अवाप्त भूमि का हस्तान्तरण न्यास को होना अवशेष है।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा घोषित अधिनिणय के परिशिष्ट (अ) व (ब) में सूचना अंकित है।

(3) अधिनिर्णय में 10 व्यक्तियों को भू-आवंटन की सिफारिश की गई है जिनके प्रति कार्यवाही विचाराधीन है। चूंकि यह वाणिज्य योजना है अतः अन्य व्यक्तियों को आवासीय सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केकड़ी पालिका के सदस्यों एवं अध्यक्ष द्वारा उठाया गया यात्रा भत्ता

874. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु०): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केकड़ी नगरपालिका के सदस्यों एवं अध्यक्ष ने दिनांक 30-5-1966 से दिनांक 20-6-69 तक कुल कितना-कितना और कौन-कौन सी दिनांक को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता (टी०ए० और डी०ए०) उठाया? नाम वार पूर्ण विवरण मय कार्य के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पूर्ण विवरण सहित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू की जल योजना

875. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे :—

(1) क्या सरकार ने चूरू में ब्लॉक

(श्री मेघराज पंवार)

वाइज Rural Water Supp'y की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय ?

(2) अब तक किस किस ब्लॉक में क्या-क्या कार्य इन योजनाओंके अन्तर्गत हुआ है ? और उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में कुल 7 पंचायत समितियां हैं। क्रमश: राजगढ, सरदारशहर, डूंगरगढ, सुजानगढ, तारानगर, रतनगढ व रतननगर जिनके पेयजल समस्या के समाधान के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 6,07,50,850/- रुपये है । तथा इनकी प्रतियां जिलाधीश, जिला परिषद्, पंचायत समिति इत्यादि को भेजी जा चुकी हैं। मास्टर प्लान की प्रति-लिपियां करीब 500 पेज में हैं जिन्हें तैयार करने में काफी श्रम व समय लगेगा। अत: इतने कम समय में प्रतियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है ।

(2) यह मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है। मास्टर प्लान की स्वीकृति एवं धनो को उपलब्धि पर आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी । इसके अतिरिक्त चूरू जिले में विभाग द्वारा उपलब्ध धनराशि के अनुसार निम्न ग्रामीण एवं शहरीय जल-वितरण योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, संपूर्ण होने पर हैं व निर्माणाधीन हैं और लागत उनके सामने अंकित है ।

शहरीय जल-प्रदाय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ।

		रुपये लाख में
1.	राजगढ	5.54
2.	तारानगर	3.54
3.	सरदार शहर	8.92
4.	चूरू	15.84

सम्पूर्ण होने को हैं:—

(जुलाई, 69 तक खर्चा)

1.	रतननगर	3.52
2.	सुजानगढ	18.59

निर्माणाधीन हैं :—

1.	राजलदेसर	3.24

ग्रामीण जल-प्रदाय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं:-

1.	मोमासर	1.88
2.	बिग्गा	1.40

सम्पूर्ण होने को है :—

(जुलाई, 69 तक खर्चा)

1.	परिहारा	2.76

निर्माणाधीन है :—

1.	दरीबा	1.11
2.	बुचावास	0.54
3.	सीमला	0.35
4.	पुलासर	0.35
5.	चांदकोठी	0.27

भवन निर्माण के लिए ऋण

876. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका लाडनूं को जो पचास हजार रुपये भवन निर्माण के लिए ऋण दिया गया था उसका

Page No 54

(श्री हरजीराम बुरड़क)

दुरुपयोग संबंधित प्रशासक व अध्यक्ष ने किया ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और उक्त ऋण किसके द्वारा कब वसूल किया गया ?

(2) सरकार की जानकारी में आने के बाद अब तक इस प्रकार की राशि के दुरुपयोग के संबंध में संबंधित अब तक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) अब इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ? तथा उक्त राशि को किस-किस से तथा किस प्रकार से वसूल किया जावेगा ?

उत्तर

(1) नगरपालिका को पचास हजार रुपयों का ऋण भवन-निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था।

चूंकि ऋण की राशि नगरपालिका के कार्यों में ही खर्च की गई थी उसका किसी के द्वारा दुरुपयोग किया जाना नहीं कहा जा सकता।

संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण चाहा गया है।

(2) प्रश्न के भाग 1 में उत्तर दे दिया गया है।

(3) राशि पालिका कार्यों में व्यय की गई है इसलिए किसी से वसूल की जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अधिकारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर आवश्यकता हुई तो नियमानसार कार्यवाही की जावेगी।

अजमेर जिले में गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण

877. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में गृह निर्माण हेतु एल०आई०जी० एच० एवं एम० आई०जी० एच० योजना के अन्तर्गत कर्जा दिया जाता है ?

(2) अजमेर जिले में अब तक कुल कितने परिवारों को एल० आई० जी० एच० एवं एम० आई० जी० एच० के तहत कर्जा दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की एल० आई० जी० एच० एवं एम० आई० जी० एच० के ऋण की अत्यधिक मांग है ? अगर हां, तो कितनी तथा क्या समस्त मांगों को पूरा किया जाता है ?

(4) यदि समस्त मांगें पूरी नहीं की जातीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रत्येक जिला मुख्यालय म एल० आई० जी० एच० योजना के तहत गृह निर्माण हेतु ऋण दिया जाता है एवं एम० आई० जी० एच० योजना के तहत (1) टोंक, (2) जैसलमेर जिलों के अतिरिक्त समस्त जिला मुख्यालयों पर गृह निर्माण योजनाओं में ऋण दिया जाता है।

(2) अजमेर जिले में 744 परिवारों को एल० आई० जी० एच० एवं 105 परिवारों को एम० आई० जी० एच० योजनाओं के तहत गृह निर्माण हेतु ऋण दिया गया है।

Page No 55

(नगर आयोजन मंत्री)

(3) जी हां । जिलाधीश, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मांग की गई है :—

(अ) एल० आई० जी० एच० 5,97,500/-
(आ) एम० आई० जी० एच० 3,96,000/-

कुल .. 9,93,500/-

(आ) भारत सरकार (जीवन बीमा निगम) से प्राप्त धनराशि में से राज्य की पूरी मांग के अनुसार धनराशि प्राप्त नहीं होती है। अत: जितनी राशि मिलती है मांग के अनुसार समस्त जिलों में अनुपात से बांट दी जाती है ।

(4) इसका उत्तर प्रश्न 3 के भाग (आ) में दे दिया गया है ।

उनियारा के थानेदार के विरुद्ध शिकायतें

878. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि थानेदार उनियारा, जिला टोंक के विरुद्ध समरावता के कुछ काश्तकारों ने रिश्वत लेने की शिकायत की थी ?

(2) क्या उक्त शिकायत की जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच से क्या निर्णय निकला ?

(3) क्या यह सत्य है कि एडीशनल एस० पी०, टोंक द्वारा यह जांच की गई थी और शिकायतकर्त्ताओं ने यह सिद्ध करवाया कि थानेदार ने रिश्वत ली है ?

(4) क्या यह सही है कि जांच के दौरान शिकायतकर्त्ताओं को डराया गया और यह कहा गया कि उन्होंने सही बात कही तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी ?

(5) क्या यह सत्य है कि उक्त शिकायतकर्त्ताओं के बयान सही दर्ज नहीं किये गये जब कि उन्होंने सरेआम यह कहा है कि थानदार ने उनसे रिश्वत ली है ?

(6) क्या यह सत्य है कि एडीशनल एस०पी०, टोंक द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की गई है और उक्त थानेदार को बचाने की कार्यवाही की गई है ?

(7) क्या उक्त मामले की दुबारा से जांच करवाने की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । इसकी जांच अपर अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, टोंक, द्वारा कराई गई थी । जांच से यह शिकायत झूंठी और बेबुनियाद पाई गई ।

(3) यह जांच अपर अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, टोंक ने की थी और शिकायतकर्त्ता थानेदार द्वारा रिश्वत लेना सिद्ध नहीं कर सका ।

(4) जी नहीं । शिकायतकर्त्ताओं को डराया धमकाया नहीं गया ।

(5) जी नहीं । शिकायतकर्त्ताओं के बयान सही दर्ज किये गये हैं ।

(6) जी नहीं । जांच निष्पक्ष की गई है और थानेदार को बचाने की कतई कार्यवाही नहीं की गई है ।

(7) आवश्यकता नहीं है ।

Page No 56

ग्राम आवां में किये गये मृत्यु भोज

879. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जून-जुलाई, 1968 में ग्राम आवां, तहसील देवली, जिला टौंक में मृत्यु भोज किए गए थे ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सत्य है कि श्री भंवरलाल, मोतीलाल, घन्नालाल व श्री खाना ने अपने पिता रामलाल माली का मृत्यु भोज किया था जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को थी ? यदि हां, तो एस० आई० ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सत्य है, कि कुछ ही दिन बाद दो अन्य मृत्यु भोज भी श्री देवीलाल व श्री गंगाराम बलाई के नामों के किये गये, जिसकी भी जानकारी स्थानीय पुलिस एस० आई० को थी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि वहां के कुछ ग्रामवासियों ने एक दरख्वास्त एस० पी०, टौंक को लिख भेजी थी कि स्थानीय थानेदार ने रिश्वत लेकर मृत्यु भोज करवाये और उस पर डिप्टी एस० पी०, मालपुरा ने तफतीश की ? यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

(5) क्या यह सत्य है कि स्थानीय थानेदार, आवां को उक्त मृत्यु भोज की जानकारी होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों और उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं, ऐसी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली इसलिए एस० आई० द्वारा कोई कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(3) जी नहीं, इन नामों के लिए मृत्यु भोज नहीं किया गया, न पुलिस को सूचना किसी ने दी, न स्थानीय पुलिस के एस० आई० को जानकारी थी ।

(4) ग्रामवासियों ने कोई दरख्वास्त इस विषय की एस० पी०, टौंक को नहीं दी बल्कि एक गुमनाम दरख्वास्त ग्राम जनता, आवां की एस० पी०, टौंक के पास प्राप्त हुई जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। स- जांच के दौरान ग्राम आवां में मालूमात की गई तो किसी ने दरख्वास्त देना स्वीकार नहीं किया, न किसी ने रिश्वत देना बताया, न इस प्रकार की जानकारी होना बताया ।

(5) जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना स्थानीय उप-निरीक्षक, पुलिस को नहीं मिली, न कोई जानकारी थी। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। ऐसी सूरत में एस० आई० के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

थाना आवां में दर्ज मामले

880. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि थाना आवां, तहसील देवली, जिला टौंक म कोई मुकदमे दो-दो वर्ष से पेन्डिग चल रहे हैं और पुलिस उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है ?

(2) क्या यह सत्य है कि 12-8-66 को एक रिपोट मारपीट की श्री रामप्रसाद

(श्री दिग्विजयसिंह)

साकिन दूनी ने थाना आवां में जुर्म दफा 452, 148, 342, 149, 323, सीआर०पी०सी० म दर्ज की थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस इस मामले में जानबूझ करके देर लगा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो अभी तक चालान पेश क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि स्थानीय डिप्टी एस० पी०, मालपुरा ने इस केस में अभी तक कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों और अब चालान कब किया जावेगा ?

(5) क्या यह सत्य है कि शिकायत-कर्त्ता ने जब डिप्टी एस० पी०, मालपुरा से निवेदन किया तो उन्होंने केस का चालान देने से इन्कार किया ?

(6) क्या सरकार इस मामले में किसी और को नियुक्त कर वस्तु स्थिति का पता लगायेगी कि अभी तक केस का चालान नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सत्य नहीं है।

(2) जी नहीं। श्री रामप्रसाद कंजर ग्राम दूनी की रिपोर्ट पर दि० 12-8-66 को थाना आवां में सीआर० पी० सी० की किसी भी धारा का कोई भी अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। बल्कि श्री रामप्रसाद कंजर की पत्नी श्रीमती सोबरी की लिखित रिपोर्ट पर दि० 12-8-66 को थाना आवां में ता० हि० की धाराएं 452/148/342/149/323 के तहत अभियोग संख्या 26 पंजीबद्ध हुआ था।

(3) स्थानीय पुलिस ने जानबूझकर इस अभियोग के अन्वेषण में कोई देरी नहीं की है। प्रमाण और साक्षियों के अभाव में इस अभियोग का अन्वेषण दिनांक 30-3-68 को बन्दकर फाइनल रिपोर्ट अदम सबूत में दे दी गई थी। परन्तु माह अप्रेल, 68 म इस अभियोग में मजीद साक्षियां पेश करने के लिये श्री रामप्रसाद कंजर ने प्रार्थना-पत्र पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया था जिस पर अन्वेषण दिनांक 3-5-68 से पुनः आरम्भ कर दिया गया है। परन्तु अब भी अभियोग में सबूत चालान के योग्य नहीं प्राप्त हो सके हैं।

(4) जी नहीं। स्थानीय डिप्टी एस० पी०, मालपुरा ने स्वयं रामप्रसाद कंजर व उसके गवाहों से जांच की। परन्तु श्री रामप्रसाद कंजर के गवाहान पेश नहीं हुए। बाकी गवाह भी नहीं आये। श्री रामप्रसाद फर्जी गवाह पेश करने की कोशिश में हैं अतः बाकी गवाहों से तफतीश करने के बाद ही नतीजा तफतीश न्यायालय म प्रस्तुत किया जावेगा।

(5) जी हां। यह सत्य है कि शिकायत-कर्त्ता ने जब डिप्टी एस० पी०, मालपुरा से बातचीत की, तो उन्होंने झूंठे गवाहों की शहादत के आधार पर चालान करने से इन्कार किया।

(6) श्री रामप्रसाद कंजर के दो गवाह और सामने आने पर सही तरीके पर नतीजा जांच दिया जावेगा। अगर सबूत काबिले चालान समझा गया तो चालान दिया जावेगा अन्यथा नतीजा अदम सबूत में पहले ही स्थानीय पुलिस की ओर से दिया जा चुका है।

भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गये बयान

881. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री पनेचन्द सिंघवी, भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने तारीख 19-7-67 तथा 20-7-67 को कुल कितने मुकदमों में मुलजिमान के बयान लिये, कितनों में शहादत ली और कितने मुकदमों के फैसले किये ? क्या अदालत के समय में इतने मुकदमों में कोई भी मजिस्ट्रेट इतनी सारी कार्यवाही कर सकता है ?

(2) श्री पी० सी० सिंघवी द्वारा एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के रूप में दिये गये अपने कार्यकलाप के फैसलों में से कितने टाइप किये हुए हैं ? कितने इस्तफसार पूरे अथवा अधूरे टाइप किये हुए थे ? उनकी अदालत की कार्यवाही कहां से और किसके द्वारा की जाती थी ? क्या इस खर्च का कोई बिल चुकाया गया है ? क्या यह सही है कि श्री सिंघवी मुलजिमान या उनके वकीलों से टाइप करवा कर मंगवाते थे ?

उत्तर

(1) श्री पनेचन्द सिंघवी, भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर ने दिनांक 19-7-67 को 29 मुकदमों में मुलजिमान के बयान लिये, 5 मुकदमों में शहादत ली, 30 मुकदमों में फैसला किया जिनमें 29 मुकदमें माइनर एक्ट्स के तहत थे । तारीख 20-7-67 को 17 मुकदमों में मुलजिमान के बयान लिये व 4 मुकदमों में शहादत ली तथा 18 मुकदमों में फैसला किया जिनमें 16 मुकदमे माइनर एक्ट्स के तहत थे । इनका फैसला इतने समय में किया जा सकता था ।

(2) श्री पनेचन्द सिंघवी, भूतपूर्व एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के कार्यालय में उनके द्वारा किये गये कुल 214 फसले व 1,002 मुलजिमान के बयान टाइप किय हुए हैं । कोई भी मुलजिम का बयान अधूरा टाइप किया हुआ नहीं है ।

श्री सिंघवी टाइप का कार्य कहां से और किससे करवाते थे इस संबंध में उपलब्ध सूचना से ज्ञात हुआ है कि श्री सिंघवी न्यायिक दण्डनायक के अतिरिक्त आपत्तिकालीन दण्डनायक भी थे तथा सिविल डिफेन्स का काम भी करते थे । आई०पी०सी० के अलावा म्युनिसिपल एक्ट, पुलिस एक्ट तथा मोटर एक्ट के लिये मोबाइल कोर्ट का कार्य भी करते थ जिसमें जिलाधीश के स्टाफ से भी वे काम लेते थे । उन्होंने जो फैसले टाइप कराये हैं उनके खुद के लिपिक से जो टाइप जानते थे तथा जिलाधीश के स्टाफ से व सत्र न्यायाधीश से टाइप मशीन मंगवाकर करवाते थे । उनके न्यायालय में कार्य ज्यादा होने से भूतपूर्व सत्र न्यायाधीश, श्री रूपसिंहजी से भी निवेदन करने पर अपने टाइपिस्ट श्री विजयचन्द को यह आदेश दे दिया था कि वह श्री सिंघवी के फैसले टाइप कर दिया करें ।

बारां सब-जेलर के विरुद्ध शिकायतें

882. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या जेल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बारां सब-जेल के जेलर से संबंधित शिकायतें आज के करीब 8-10 माह पूर्व सरकार के पास आई थीं ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर सरकार न क्या-क्या कार्यवाही की और जेलर के ऊपर क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ?

उत्तर

(1) जी हां। बारां सब-जेल के भूतपूर्व सहायक जेलर से संबंधित शिकायती-पत्र दि० 2-12-68 को प्राप्त हुआ था। शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार ने सहायक जेलर का सब-जेल, बारां से स्थानान्तरण करने तथा जिलाधीश, कोटा द्वारा इस संबंध में जांच करवाने हेतु महानिरीक्षक कारागार को आदेश कर दिये। सरकार के आदेशों के अनुपालन में महानिरीक्षक, कारागार ने उक्त सहायक जेलर का सब-जेल, बारां से सब-जेल, छाबड़ा पर फरवरी, 69 में स्थानान्तर कर दिया तथा जिलाधीश, कोटा को उसकी जांच करने हेतु लिख दिया। जिलाधीश, कोटा ने परगना अधिकारी, बारां द्वारा शिकायत की गोपनीय जांच करवाई लेकिन शिकायत की पुष्टि नहीं हुई। शिकायती आवेदन-पत्र में जो आरोप लगाये गये थे वह निम्नांकित हैं :—

(1) जेल में मुल्जिमों के रिश्तेदारों द्वारा जो कपड़ा, साबुन व तेल तथा नगदी रुपया जमा कराया जाता है उसको जेलर मुल्जिमों को नहीं देकर स्वयं के काम में ले लेता है। और उनसे जबरन हस्ताक्षर व अंगूठा करवा लेता है। हस्ताक्षर करने से इन्कार करने पर जेलर उनके पैरों में बेड़ी व डंडा डलवाकर काल कोठरी में डाल देता है। इसी प्रकार से मनीआर्डर द्वारा आए रुपयों को भी यह स्वयं खर्च कर जाता है।

(2) जेल में मुल्जिमों को राशन खराब दिया जाता है और लकड़ी व सब्जी आदि को अपने घरू काम में लेता है। अब तक जो जेल पर मोदी राशन सप्लाई कर रहा है उससे सौ रुपया माहवारी जेलर ले रहा है।

(3) जिस मुल्जिम की रिहाई होती है उसको तब तक नहीं निकालते हैं जब तक जेलर की या उसके रिश्तेदार द्वारा पेट-पूजा नहीं कर दी जाती है। जेलर रिश्वत के खातिर मुल्जिमों को बेरहमी के साथ पिटाई भी करता है।

(4) मुल्जिम इसके जुल्म व अत्याचारों से इतने पीड़ित व त्रस्त हो चुके हैं कि दिनांक 18-10-68 को सभी मुल्जिमों ने जेल में जेलर के विरुद्ध नारे लगाए और अत्याचारों की जांच कराई जाने की मांग की।

(5) इस जलर, श्री नन्द किशोर का पूर्व का रेकार्ड बून्दी जेल एवं झालावाड़ जेल के समय का भी बहुत खराब रह चुका है। बून्दी जिलाधीश ने इसकी 10 हजार की जमानत की थी।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट भादरा द्वारा जारी किया गया वारन्ट

883. **श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करग :—

(1) क्या यह सही है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, भादरा, जिला गंगानगर ने दिनांक 21-1-65 को श्री सुरेन्द्रसिंह जाट के खिलाफ वरन्ट गिरफ्तारी निकाला था ? यदि हां, तो किस अपराध में ?

(2) उक्त अपराध के किस केस का कब क्या फसला हुआ और उक्त वारन्ट की तामील कब किस के द्वारा हुई ?

(श्री रामचन्द्र आय)

(3) क्या यह सही है कि उक्त केस जिस में यह वारन्ट गिरफ्तारी निकाला था, कोई फाइल कोर्ट में नहीं थी और न कोई रिपोर्ट ही ? यदि हां, तो यह वारन्ट किस आधार पर निकाला गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोर्ट में दावा करके मकान एवं दुकान खाली करवा कर पुनः किराये पर उठाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून

884. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि मकान अथवा दुकान मालिकान निजी आवश्यकता के नाम पर मकान व दुकान कोर्ट में दावा करके खाली करा लेते हैं और अधिक किराये अथवा पगड़ी की रकम लेकर पुनः किराये पर उठा देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु कोई कानून बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

राज्य सरकार के पास केवल यह शिकायत आई है कि सम्पत्ति के मालिक व्यापारिक एवं औद्योगिक स्थानों को व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए खाली करवा लेते हैं और उससे व्यापार अथवा उद्योग को बड़ा धक्का लगता है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम में बिजली

885. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चत्तौड़गढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधी शताब्दी समारोह की दृष्टि से इस वर्ष राज्य सरकार का बिजली विभाग उन कस्बों में जहां नगरपालिका है या पंचायत मुख्यालय है शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मुहल्लों में बिजली लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो चित्तौड़ जिले में किन-किन स्थानों के लिये यह योजना बनाई गई है ?

(2) इन योजनाओं पर कितनी धनराशि रखी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां इस कार्य हेतु समाजकल्याण विभाग से 7 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इस हेतु योजना तैयार की जा रही है।

(2) विद्युत् मण्डल को 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

बेगूं सब-डिवीजन के सिविल कोर्ट, चित्तौड़गढ़ में विचाराधीन मामले

886. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौडगढ़) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि बेंगू-भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के दीवानी एवं फोजदारी मामलों को सिविल जज,

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

चित्तौड़गढ़ सुनते है ? यदि हां, तो क्या बेगूं सब-डिवीजन में अलग मुन्सिफ कोट नहीं बनाई गई है ? यदि नहीं बनाई गई है तो क्या सरकार को विदित है कि इसमें आम जनता को कितनी परेशानी होती है जब कि चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़ चुण्डाल आदि क्षेत्र 100 व 125 मील दूर पड़ता है।

(3) क्या सरकार बेगूं म अलग कोर्ट खोलने का इरादा रखती है ?

(4) बेगूं सब-डिवीजन के कितने केस सिविल कोर्ट, चित्तौडगढ़ में पैंडिंग हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, आंशिक रूप में न्याय-पालिका और कार्यपालिका को 30-3-69 से अलग कर दिया है।

(2) जी हां, पृथक्करण की स्कीम में बगूं में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट कायम करने का प्रावधान कर दिया गया है इससे अब जनता की परेशानी दूर हो जावेगी।

(3) जी हां।

(4) सूचना एकत्रित की जा रही है।

तहसील राजगढ़ (चूरू) के गांवों को बिजली देने की योजना

887. **श्री शीशराम पूनिया** (सादुलपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू) द्वारा तहसील राजगढ़ (चूरू) के गांवों में बिजली देने हेतु कोई योजना पेश की थी ? यदि हां, तो कब और उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या सरकार उक्त तहसील के गांवों में एवं खेतों के कुओं को बिजली देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। 30-4-65 को कुछ गांवों की परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। लेकिन योजना लाभप्रद न होने के कारण इस पर स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(2) वर्ष 1969-70 के प्रस्ताव अभी मण्डल के विचाराधीन हैं।

हाड़ोती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां

888. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या खादी ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाड़ोती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां को गत दस वर्षों से प्रति वर्ष कितना कितना रुपया अनुदान व ऋण के रूप में दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त संस्था ने इन रुपयों को व अन्य सहायतार्थ प्राप्त चीजों को किस किस कार्य में खर्च किया ?

(3) उक्त संस्था के पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा इसकी किस स्थान पर शाखाऐं खुली हुई हैं की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि इस संस्था में धन का दुरुपयोग व गबन आदि की घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या क्या कार्यवाही हुई ?

Page No 62

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(5) इस संस्था में इस समय क्या क्या कार्य चल रहा है तथा कितने व्यक्तियों को क्या क्या रोजगार दे रही है, बतलाया जाय।

(6) इस संस्था पर अब कितना सरकारी कर्ज का रुपया बाकी है और वसूली की क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिये गये ऋण-सहायता की सूची वर्षवार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) नियमानुसार दी गई धनराशि के उपयोग का विवरण संलग्न है। उक्त संस्था को सहायता में कोई चीजें नहीं दी गई।

(3) वर्तमान में संस्था के अध्यक्ष श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, मंत्री श्री दौजमल व संयुक्त मंत्री, श्री मदनलाल शर्मा हैं। संस्था का कार्य सन् 63-64 से बन्द है। न कोई शाखायें खुली हुई हैं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) संस्था सन् 63-64 से बन्द है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(6) संस्था पर सरकार का कोई कर्ज नहीं है बोर्ड का कुल रु० 1,78,938.76 पैसे की धनराशि बाकी है। इसकी वसूली के लए संस्था की चल व अचल संपत्ति बोर्ड के कब्ज में लेने की कार्यवाही की जा चुकी है तथा जिसकी विक्रय व अन्य कार्यवाही से बोर्ड की बकाया रकम वसूल करने का प्रस्ताव है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा कोयले की खरीद

889. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 64-65 में राजस्थान लघु उद्योग निगम ने मैसर्स यूनीवर्सल ट्रेडर्स, जयपुर से कोयले खरीदे थे ? यदि हां, तो कितने, कौन कौन से कोयले खरीदे गये तथा उनको कितना रुपया कब-कब भुगतान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन-कौन से कोयलों की किस किस ग्रेड की क्या-क्या रेट तय की ?

(3) क्या यह भी सही है कि सप्लायर द्वारा जो कोयला सप्लाई किया गया था उस में जिन वैगनों की बिल्टियों व इन्वायसों में थर्ड ग्रेड कोयला था उसका भी भुगतान फर्स्ट ग्रेड मानकर कर दिया गया ? यदि हां, तो इस से निगम को कितना नुकसान हुआ ?

(4) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सरकार ने क्या इस मामले की जांच की ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

(5) क्या राजस्थान के योग्य कारीगरों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कोई पारितोषिक आदि दिये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1964-65 में मैसर्स यूनीवर्सल ट्रेडर्स, जयपुर से कोई कोयला खरीदा ही नहीं गया एवं कोयले की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर की जाती रही है।

(उद्योग मन्त्री)

(2) आलोच्य वर्ष में भारत सरकार द्वारा—समय समय पर कोयले की जो दरें निर्धारित की गई थीं, उसकी सूची संलग्न है।]

(3,4) इसम कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिए शिकायत का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) आलोच्य वर्ष में उपरोक्त फर्म को कोई ऑर्डर नहीं दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जोधपुर शहर के पास की पत्थर की खानें

890. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर के पास चारों ओर पत्थरों की कितनी खानें हैं और हर खान पर कितने मजदूर काम करते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को इन खानों से रॉयल्टी लीज, रोड टक्स, मोटर टैक्स आदि से कितना धन प्राप्त होता है? अलग-अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर की ये पत्थर की खानें किस सन् से चल रही हैं?

(4) क्या यह सच है कि सरकार इन खान मजदूरों के लिये पीने के पानी, दवाखाने, सड़कों, रहने के मकान आदि की कोई व्यवस्था नहीं करती जबकि उन खानों से हर साल सरकार को लाखों रुपये की आमदनी होती है? यदि हां, तो क्यों?

(5) इन पत्थरों की खानों का माल बाहर निकालने व लेजाने के लिये कितने ट्रक रोज आते जाते हैं? क्या इन सड़कों की अच्छी व्यवस्था न होने से हर साल कई मजदूरों की एक्सीडेन्ट्स से मृत्यु हो जाती है? यदि हां, तो हर साल कितनी मौतें होती हैं? पांच साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर के चारों तरफ करीब 1,800 खानें लीज पर दी हुई हैं। मजदूरों की संख्या इस कार्यालय को ज्ञात नहीं है।

(2) रॉयल्टी की आमदनी निम्न प्रकार है :—

वर्ष 64-65	5,31,528.40
65-66	6,60,687.69
66-67	7,16,589.12
67-68	7,07,622.39
68-69	9,41,587.54

लीज से आमदनी करीब 1,75,000/- सालाना होती है।

रोड टैक्स व मोटर टैक्स का संबंध इस विभाग से नहीं है।

(3) ये खानें कदीमी से चल रही हैं।

(4) मजदूरों के लिए रहने के मकान दवाखाने आदि की व्यवस्था श्रम कल्याण विभाग करता है उसकी जानकारी खनिज विभाग को नहीं है।

(5) हर रोज करीब 250-300 ट्रक आते जाते हैं रिकार्ड के अनुसार कोई दुर्घटना की जानकारी इस कार्यालय को नहीं हैं।

मकराने के चूने के बेचने की दरें

891. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने मकराने के चूने के बेचने की कोई दर निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि मकराने के चूने के ठेकेदार मनमाने पैसे लेते हैं, और वजन में बहुत ही कम तोलते हैं ?

(3) क्या तहसीलदार, परबतसर ने ऐसे ठेकेदारों को कभी चूने के कम वजन और अत्यधिक मिलावट के मामले में पकड़ा है ? यदि हां, तो कब-कब और ठेकेदारों को क्या सजा दी गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसे मामलों की जांच करवाने का विचार रखी है, और दोषी पाये जान वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी भी कानून के तहत चूने के भाव तय करने के अधिकार इस विभाग को नहीं हैं।

(2) राज्य सरकार को एसी कोई सूचना नहीं है।

(3) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है और न विभाग को पूछन का अधिकार ही है क्योंकि चून पर कोई नियंत्रण नहीं है।

राजस्थान लघु उद्योग निगम क अधिकारी द्वारा ब्यावर में बेची गई कोयले की बिल्टी

892. हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम ने सन् 1964-65 में ऑफिस सुपरिन्टन्डेन्ट श्री कान्तीचन्द्र शर्मा को कोयले की एक बिल्टी देकर ब्यावर, उक्त बिल्टी बेचने के लिये भेजा ? यदि हां, तो कितने रुपये के कोयले की उक्त बिल्टी थी और वह कितने रुपये में किसको किस प्रकार से बेची गई ?

(2) उक्त कोयलों पर कीमत व खर्चा कुल मिलाकर निगम के कितने रुपये व्यय हुए और विक्रय कीमत के बाद देने से कितने रुपयों का नुकसान रहा ?

(3) उक्त कोयले ब्यावर क्यों भेजे गयेथे तथा किसका ऑर्डर था या बिना ऑर्डर के ही भेजे थे ? और किस अधिकारी द्वारा भेजे गये थे ?

(4) इस संबंध में जो भी नुकसान निगम को हुआ उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां उक्त बिल्टी 611)07 रु० के कीमत के कोयले की थी। उक्त बिल्टी का माल 985) रु० में मैसर्स दौलतराम मूलचन्द, ब्यावर को उक्त कीमत मे बेचा गया था। माल तोलकर दिया गया था।

(2) कोयले की कीमत 611)07 रु० थी। उस पर 821) रेल्वे भाड़ा व 18) रु० रेल्वे को बैगन खाली करवाई के व डेमरेज के 42) रु० तथा व्हारफज के 73)50 इस प्रकार कुल मिलाकर रेल्वे को भुगतान 954)70 का किया गया।

इस तरह कोयले की कीमत 611)07 व रेल्वे को चुकाई गई राशि 954)70

(उद्योग मंत्री)

मिलाकर उक्त कोयले पर 1,565)77 निगम को व्यय करने पड़े।

विक्रय की कीमत 985) रु० बाद देने के उपरान्त 580)77 का नुकसान निगम को उठाना पड़ा, क्योंकि माल 7.3 मट्रिक टन कम उतरा था। उपरोक्त कम माल प्राप्त होने के संबंध में सप्लायर्स मैसर्स नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, कलकत्ता, जो भारत सरकार का एक संस्थान है, से निरन्तर सम्पर्क जारी है। इस निमित्त 580)77 की राशि क्षति पूर्ति हेतु निवेदन किया हुआ है।

(3) उपरोक्त कोयले संचालक, उद्योग एवं रसद विभाग, राजस्थान के आदेशानुसार ब्यावर भजे गये थे। क्योंकि मैसर्स इकबाल आईरन इण्डस्ट्रीज, ब्यावर का उनके यहां ऑर्डर था। संचालक, उद्योग विभाग के आर्डर से कोयला भेजा गया था। उक्त पार्टी मैसर्स इकबाल आईरन इण्डस्ट्रीज द्वारा मना कर दिए जाने की स्थिति में निगम ने श्री कान्तीचन्द शर्मा को उपरोक्त बिल्टी लेकर इसे बेचने के लिये ब्यावर भेजा था।

(4) संचालक, उद्योग विभाग राजस्थान के आदेशानुसार कोयला भिजवाया गया था। उन द्वारा निर्दिष्ट पार्टी के द्वारा माल न लेने की वजह से निगम को अन्य पार्टी को येन-केन-प्रकारेण माल बेचने हेतु तत्काल नियोजन करना पड़ा। इस प्रकार यह नुकसान उठाना पड़ा।

हाथी दांत का कोटा

893. **श्री लादूराम पुलानिया** (फागी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में हाथी दांत का कोटा सन् 1960 से मार्च, 1968 तक किन किन व्यापारियों को कितना कितना दिया है?

(2) क्या यह सत्य है कि व्यापारियों को दिये गये हाथी दांत के कोटे का माल सबने प्राप्त कर लिया है? यदि हां, तो उन व्यापारियों (फर्मों) अथवा कारीगरों के नाम क्या-क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

(3) क्या कोटे के माल से हाथी दांत के बने सामान की बिक्री की कीमत निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो उसके विवरण सदन की मेज पर रखनें की कृपा करें।

(4) राजस्थान में कितनी हाथीं दांत की सहकारी समितियां हैं और उन समितियों में कारीगरों का प्रतिशत क्या है और उन्हें कितना कितना कोटा दिया गया हैं? सूचना मय पूरे विवरण के देने की कृपा करें।

(5) क्या राजस्थान के योग्य कारीगरों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है और उनका उत्साह बढाने के लिये कोई पारितोषिक आदि दिये जान की योजना है? यदि हां, तो अब तक कितने कारीगरों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है? सूची सदन की मेज पर मय कारीगरों के नाम, पिता के नाम, जिला, जाति, निवासस्थान व किये गये प्रशिक्षण एवं पारितोषिक विवरण के रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा व्यापारियों को हाथी दांत का कोई कोटा नहीं दिया गया है। अखिल भारत हस्तशिल्प मण्डल, भारत

(श्री उद्योग मन्त्री)

सरकार, नई दिल्ली द्वारा कार्विंग आइवरी का कोटा जो व्यापारियों को उनकी बिक्री के आंकड़ों के आधार पर दिया गया है उसकी सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है। हाथी दांत के टुकड़े व कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन एवं विक्रयकर्त्ताओं को जो कोटा विभाग द्वारा दिया गया है उसकी सूचियां संलग्न हैं। सन् 1964-65 के पश्चात भारत सरकार द्वारा आयात नीति में परिवर्तन होने के कारण राज्य सरकार को हाथी दांत आयात लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया।

(2) जी हां।

व्यापारियों को विभाग द्वारा हाथी दांत का कोई कोटा नहीं दिया गया है। हाथी दांत के चूड़े व कलात्मक वस्तुएं बनाने व बनाकर बेचने वाली इकाइयों को जो कोटा दिया गया है उसकी सूची उपरोक्त प्रश्न (1) के उत्तर में दे दी गई है।

(3) हाथी दांत की बनी हुई चीजों के मूल्यों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। क्योंकि यह एसेन्शियल कमोडीटीज एक्ट के अन्तर्गत नहीं आता है।

(4) राजस्थान में हाथी दांत की 17 सहकारी समितियां हैं। समितियों की सदस्य संख्या व दिया गया कोटा आदि का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(5) जी हां।

अखिल भारत हस्त शल्प मण्डल द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त शिल्पकारों की देख रेख में राज्य के कारागरों को प्रशिक्षण दिया जारहा है व राज्य सरकार भी ट्रेनिंग अन्डर मास्टर क्राफ्ट्समैन की योजना चालू करने पर विचार कर रही है। योग्य कारीगरों को इनका उत्साह बढ़ाने व उनकी कलाकृति को अत्यधिक सुन्दर करने की होड़ लगाने के लिए राज्य में आयोजित प्रतिवर्ष हस्तशिल्प सप्ताह के अवसर पर उनकी कलाकृति का चयन कर उन्हें पारितोषिक से पुरस्कृत किया जाता है। इतना ही नहीं भारत सरकार द्वारा देश की विभिन्न कलाकृति के कुशल कारीगरों को प्रतिवर्ष उनकी कलाकृति एवं उनके द्वारा कला के विकास में योगदान, अनुभव आदि 2 को दृष्टिगत कर केन्द्रीय चयन समिति द्वारा चयन कर प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में एक विशेष समारोह का आयोजन कर 25 जनवरी को देश के चुने हुए कुशल कारीगरों को आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्रमाण-पत्र, एक हजार रुपये नकद, ऊनी शाल व शील्ड आदि से पुरस्कृत कर सम्मान प्रदान करते हैं। अब तक राज्य के 10 कुशल शिल्पियों को राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित किया जा चुका है। विवरण तालिका संलग्न है। राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त इन शिल्पकारों को एक हजार रुपया नकद इनाम देना स्वीकार किया है व भविष्य में इन राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले शिल्पियों को भी एक एक हजार रुपया नकद इनाम दिया जावेगा ताकि कारीगरों का उत्साह बढ़ता रहे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना तथा विस्तार हेतु योजना

894. श्री केशरीसिंह हाडा (हिण्डोली) :

(श्री केशरीसिंह हुंडा)

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना तथा विस्तार के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना म प्रावधान हैं ?

(2) यदि हां, तो इस योजना पर कितनी धनराशि लगाने का अनुमान है और किस किस उद्योग के लिए ?

(3) पहले ही इन उद्योगों पर कितनी धनराशि लग चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

पंचायत समितियों में उद्योग विभाग द्वारा चलाये गये औद्योगिक प्रशिक्षण

895. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किन किन पंचायत समितियों में विभाग द्वारा उद्योग प्रसार अधिकारी को हटाने से पूर्व क्या क्या उद्योग प्रशिक्षण हेतु, किन किन पंचायत समितियों में चलाये जा रहे थे ?

(2) सन् 1969 से किन किन पंचायत समितियों को कब कब कितने रुपये के मूल्य के करघे व अन्य प्रशिक्षण सामान भेजे गए ? और उक्त सामान कहां पर है और किस काम आ रहा है ? अगर काम में नहीं आ रहा है तो किस कारण से नहीं आ रहा है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 1969 से किसी भी पंचायत समिति को करघे व अन्य प्रशिक्षण सामान नहीं भेजा गया।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर

896. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री महालक्ष्मी मिल, ब्यावर को राज्य सरकार बेचने या किसी को लीज पर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या इस संबंध में किन्हीं के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किन किन के क्या क्या प्रस्ताव हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) इस मिल को आगे सरकार किस रूप में चलाने का विचार रखती है ?

(4) इसमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह मिल भारत सरकार के नियंत्रण म है। राज्य सरकार द्वारा सिर्फ उसकी देखभाल की जाती है।

(2) जी नहीं। यह प्रश्न भारत सरकार

(श्री उद्योग मन्त्री)

के विचाराधीन है कि नेशनल टैक्सटाइल कॉर्पोरेशन द्वारा इसे चलाया जावे।

(3) राज्य सरकार यह चाहती है कि मिल ठीक ढंग से चले। प्रकार तय करने का कार्य शेयर होल्डर्स या भारत सरकार का है।

(4) 12,99,600 रु० की पूंजी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें राज्य सरकार की निम्न प्रकार से पूंजी लगी हुई है:—

1. 7.50 लाख रुपये के अधिविकर्ष के लिए गारन्टी (चालू लेखे में)

2. कपड़े, रूई और सूत के बंधक पर नकद ऋण (कैश क्रेडिट) लेख 15.50 लाख रुपये के विरुद्ध 4.5 लाख रु.क की गारंटी।

3. नवीकरण की योजना की क्रियान्विति के लिए राजस्थान वित्त निगम को 5.00 लाख रुपयों की गारन्टी।

4. सक्रिय पूंजी के लिए 4.50 लाख रुपये का ऋण। यह ऋण अभी कुछ समय पूर्व ही स्वीकृत किया गया है।

लाखेरी की लावारिश जायदाद, मकान, जमीन आदि पर अनधिकृत कब्जा

897. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या राजस्वमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी ग्राम में मेहताब बेवा घुली लाल पुरोहित नाम की औरत रहती थी जिसके पास निजी खाते की भूमि खसरा नं० 126 व 1,704/1 कुल 3,511 बीघा भूमि व अन्य चल अचल सम्पत्ति करीब 70–80 हजार रुपये की थी किन्तु परिवार में कोई नहीं होने से वह लावारिश मानी गई व लैंड रेवेन्यू के कानूगो ने इसकी जानकारी सरकार को दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उस लावारिश की जायदाद, मकान, जमीन आम के पेड़ व अन्य सम्पत्ति पर एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार लावारिश सम्पत्ति के हड़प कर जाने पर जो कार्यवाही की गई थी उसे दबा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में अब क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम लाखेरी में मेहताब बाई बेवा घुली लाल पुरोहित नाम की औरत रहती थी जिसके खाते में भूमि खसरा नं० 126।, 18।।।)3 व 1,704-1-16।।)3 कुल 35।।)3 भूमि थी इसके अलावा मकान की कीमत 1,000) रु० व 5 पेड़ आमों की कीमत 200) रु० थी।

इस औरत के मरने की सूचना सर्किल कानूगो ने तहसील में दी थी।

(2) हां यह सही है कि उस संपूर्ण संपत्ति पर श्री राम कल्याण वल्द उदेलाल ब्राह्मण, लाखेरी का अधिकार है क्योंकि श्री मेहताब बाई ने अपने जीवन काल ही में जरिये बयनामा अपने अधिकार श्री राम कल्याण को सौंप दिये थ।

(3) जी नहीं। जांच करने के बाद, तहसीलदार द्वारा दिनांक 4-11-6 पत्रावली दाखिल दफ्तर की गई।

भू-राजस्व की वसूली

898. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर के कुछ गांव सं० 2020 के बाद की सालों में अकालग्रस्त घोषित हुए थे और उनमें भू-राजस्व में छूट दी गई थी यदि हां, तो किस किस वर्ष में किन किन गांवों में कितनी कितनी छूट दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में दी गई छूट की रकम अभी भी काश्तकारों के नाम से सरकार ने बकाया निकाल रखी है और मतालबे में से खारिज नहीं की गई ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में किन किन गांवों की कितनी कितनी रकम ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस प्रकार से छूट दी गई राशि को अब तक काश्तकारों के नाम से बकाया निकालते रहने का क्या कारण है तथा किस अधिकारी की गलती से ऐसा किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । सं० 2022 में 42, सं० 2023 में 33, सं० 2024 में 6 गां अभावग्रस्त घोषित हुए थे छूट दिये जाने की कार्यवाही हो रही है । अभावग्रस्त गांवों की सूची सदन की मेज पर रखदी है ।

(2) जी हां । जब तक छूट की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जावे तब तक रेकार्ड में बाकी बतलाई जावेगी । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

तहसील नोहर में भू-राजस्व विभाग द्वारा की गई पैमाइश

899. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नोहर में भू-राजस्व विभाग द्वारा कौन से सन् में पैमाइश की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में भू-प्रबन्धक विभाग में काश्तकारों के मुकद्दमे बड़ी तादाद में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कुल कितने मुकद्दमे चल रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गांव बिसरासर के काश्तकारों से रिश्वत लेकर भूतपूर्व सहायक प्रबन्धक अधिकारी, मसानी ने गलत पट्टे दिए थे और उसकी काश्तकारों ने शिकायत की थी ? यदि हां, तो सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी, मसानी को पूरी सजा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा भूमि का पड़ता कब सुनाया जायेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-11-63 से 28-2-65 तक पैमाइश एवं भू-अभिलेख का कार्य हुआ ।

(2) जी नहीं । सिर्फ तस्दीक संबंधी 174 उजरदारियां जेरकार हैं ।

(3) जी नहीं । रिश्वत के बारे में कोई शिकायत नहीं आई । काश्तकारों की शिकायत

(राजस्व मंत्री)

गलत पट्टे देने के बारे में थी, जिनकी दुरुस्ती की जा चुकी है। गलत पट्टे देने की घटना उस अधिकारी के सेवा-निवृत्त होने से 4 साल पूर्व की थी अतः राजस्थान सेवा नियम के नियम 170 के अनुसार उनके विरुद्ध अब जांच सम्भव नहीं है।

(4) सन् 1969 में।

तहसील नोहर में भूमि का अलॉटमेंट

900. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में सरकारी अधिकारियों द्वारा बारानी क्षेत्र में अपने नाबालिग लड़कों व औरतों के नाम से एलॉट करवा रखी है?

(2) क्या यह सही है कि एलॉटमेंट कमेटी द्वारा नाजायज समझकर जो रकबा खारिज किया गया था उसको ए०डी०एम० व जिलाधीश द्वारा एक साला एलॉट करने का आदेश दे दिया गया हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने केस हैं? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर की तहसील नोहर में केवल एक सरकारी अधिकारी मगनसिंह ने सन् 1965-66 में अपने लड़के राजेन्द्रसिंह के नाम से खसरा नम्बर 163 में 100) बीघा भूमि ग्राम बिसरासर में एलॉट करवा ली थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी के लड़के अथवा औरत के नाम कोई भूमि एलॉट होनी नहीं पाई जाती।

(2) यह सही नहीं, सिर्फ एक मामला दिनांक 28-7-68 को भूमि आवंटन कमेटी तहसील द्वारा एलॉटी को नाबालिग होने व अपने पिता श्री मगनसिंह जो सरकारी कर्मचारी हैं के पास रहने के कारण खारिज किया था उस आदेश के विरुद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त जिलाधीश के समक्ष अपील पेश की जिस पर दिनांक 26-8-68 को स्थगन आदेश जारी किये गये थे।

टोडारायसिंह तहसील में सिवाय चक भूमि में काश्त करने वाले काश्तकारों का बेदखली के नोटिस

901. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले की टोडारायसिंह तहसील में सिवाय चक भूमि में वर्षों से काश्त करने वाले कितने काश्तकारों को बेदखली के नोटिस दिये हैं? गांववार सूची सदन की मेज पर रखी जाय। यह भी बतलाया जाय कि किसान भूमि पर कब से काबिज हैं?

(2) क्या वे लगातार लगान अदा कर रहे हैं? ऐसे कितने किसान हैं जिन पर तावान भी कभी नहीं लगाया गया है?

(3) ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनसे उनके कब्जे के समय से ही तावान लगवाया जाकर वसूल किया गया है? अथवा कबसे तावान लगाया गया है और कितना?

(4) इनके कब्जे की भूमि नियमित क्यों नहीं की गई? क्या राज्य सरकार नियमित कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री दौलतराम सारण)

(5) क्या इससे पूर्व भी इन्हें बेदखल के नोटिस दिये गये थे। यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(6) ये नोटिस किसानों को कब दिये गये हैं?

(7) इन किसानों में से कितने भूमिहीन हैं, और कितने अल्प आय वाली जोत के मालिक हैं? और कितने सीलिंग की सीमा से अधिक भूमि के स्वामी हैं?

(8) क्या यह समस्या सारे राजस्थान में है? यदि हां, तो राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है?

उत्तर

(1) 9,666 काश्तकारों को नोटिस दिए गये थे। सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है। 841 किसान सं० 2012 से 1,554, सं० 2018 से 1,905, सं० 2023 के पूर्व से तथा 5,366 किसान सं० 2024 व 2,025 से अतिक्रमणी है।

(2) जी नहीं। 5,366 किसान ऐसे हैं।

(3) ऐसे कोई काश्तकार नहीं हैं।

(4) जो नियमान्तर्गत नियमित की जा सकती हैं ऐसी भूमियां नियमित की जाती रही हैं और की जा रही हैं।

(5) जी हां। इससे पूर्व भी इन्हें बेदखली के नोटिस दिए गये थे जो उसी वर्ष गत की समाप्ति के बाद पटवारी की प्रतिक्रमण की रिपोर्ट होने पर दिये गये हैं।

(6) ये नोटिस किसानों को प्रतिवर्ष उनके प्रतिक्रमण, पर दिए गये हैं क्योंकि प्रतिवर्ष बेदखली के आदेश हो जाने पर भी वास्तविक कब्जा न छोड़ने और पुनः उसी भूमि को काश्त कर लेने पर नोटिस दिये जाते हैं।

(7) 1,527 किसान भूमिहीन हैं 1,934 अलाभकारी जोत के हैं। सीलिंग की सीमा से अधिक वाला कोई किसान नहीं है।

(8) राज्य सरकार ने इस संबंध में समय समय पर नियमादि बनाये हैं एवं आवश्यक आदेश प्रचलित किए है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमि का नामांतरण

902. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने समस्त जिलाधीशों एवं तहसीलदारों को ऐसे आदेश प्रदान किए हैं कि जिस व्यक्ति के पास सीलिंग एक्ट में प्रस्थापित भूमि से अधिक भूमि हो तो ऐसी भूमि का नामांतरण नहीं किया जावे? यदि हां, तो यह आदेश कब प्रसारित किए गए हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकमी काश्तकारों को खातेदारी जब भी चाहे मिल सकती है? यदि हां, तो इसका सीलिंग में आने वाले व्यक्ति पर क्या असर होगा?

(राजस्व मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, आदेश संख्या एफ० 6 (15) राजस्व 68, दिनांक 11-11-68 प्रसारित किया गया ह। जिसकी प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं, नियमों में प्रावधान स्पष्ट हैं तथा ऐसे प्रार्थना-पत्र प्रेषित की जाने की अंतिम तिथि भी निश्चित करदी गई थी।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

मनीलैन्डिग लाइसेन्स

903. **श्री गंगासहाय कोली** (कठूमर-सु०) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मनीलैण्डर्स एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान म कितने मनीलैण्डर्स के प्रार्थना-पत्र लाइसेन्स के लिये सरकार को प्राप्त हुए ?

(2) कितनी धनराशि लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये मनीलैण्डर्स (साहूकारों) ने सरकार के पास जमा कराई व कब कराई ?

(3) अब तक कितने मनीलण्डिग लाइसेन्स दिये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मनीलैण्डर्स एक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु राजस्थान सरकार के पास 30-6-69 तक कुल 34,786 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।

(2) लाइसेन्स हेतु मनीलैण्डर्स ने कुल धनराशि 1-10-65 से 30-6-69 तक 5,24,396 रु० जमा कराये।

(3) दिनांक 30-6-69 तक कुल 11,863 लाइसेन्स मनीलैण्डर्स को दिये गये जिनकी जिलेवार सूचि परिशिष्ट (क) पर संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिय)

तहसील चाकसू में भूमि का वितरण

904. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील चाकसू (जिला जयपुर) में भूमि का वितरण खेती करने वाले भूमिहीनों को न किया जाकर ऐसे लोगों को किया गया है जो राज्य के कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं और हाथ से खेती नहीं करते हैं ?

(2) यदि यह सही है तो कृपा करके ऐसे सभी लोगों की फहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

(3) क्या गांव तथा क्षत्र के लोगों न इसका विरोध किया और यदि विरोध किया गया तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कौन से कदम उठाये गय ?

उत्तर

(1) तहसील चाकसू में कुछ भूमि का वितरण ऐसे व्यक्तियों को किया गया था जो राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित थे।

(राजस्व मन्त्री)

(2) ऐसे जिन 14 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन हुआ था उनकी सूची संलग्न है ।

(3) गांव वालों का विरोध-पत्र तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन श्री त्रिलोक चन्द मंत्री, राजस्थान समग्र सेवा संघ व एक कर्मचारी द्वारा शिकायत प्रस्तुत होने पर इस मामले की जांच की गई तो पाया गया कि नम्बर 9 पर अंकित श्री नेमीचन्द्र के पिता को रिटायर्ड होने के बाद भूमिहीन होने के कारण भूमि का आवंटन किया गया। तथा नम्बर 12 पर अंकित श्री मुकन्दसिंह ऑफिस कानूनगों के रिश्तेदार को भी भूमिहीन होने के कारण भूमि का आवंटन हुआ शेष में से नम्बर 1 से 5 तक के व्यक्तियों के मामले राज्य सरकार को आवंटन निरस्त करने-हेतु भज गये तथा उनके आवंटनों को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिये गये। नम्बर 6, 7, 8, 10 व 11 के एलॉटीज न स्वयं ही आवंटन को सरकार के हित में वापिस समर्पित कर दिया। नम्बर 13, 14 के बारे में जांच परगना अधिकारी के यहां चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

तहसील नोहर में भूमि का अलॉटमेंट

905. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नोहर में सन् 1966 में कितने काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई थी । ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या यह सही है कि अलॉटमेंट कमेटी की बैठकों में ही भूमि अलॉट हुई थी? यदि हां, तो कौनसी तारीखों में अलॉटमेन्ट कमेटी की बैठक कौन से स्थान पर हुई और सदस्य कौन कौन उपस्थित थे? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सही है कि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा मौके पर जो भूमि खारिज की गई थी उसको तहसीलदार ने पुनः एक साल के लिए बगैर कमेटी की राय लिये ही अलॉट कर दी थी? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने काश्तकार हैं? ग्राम वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

(4) क्या यह सही है कि अलॉट शुदा रकबा को ढाल बाछ में दर्ज नहीं किया गया ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने काश्तकार हैं ?

(5) क्या यह सही है कि नाजायज काश्त के लिए धारा 91 की कार्यवाही नहीं करके एक साला तहसीलदार द्वारा अलॉटमेंट किया गया ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को धारा 91 की कार्यवाही से बचाया गया ?

(6) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कार्यवाही करके सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था ? यदि हां, तो कुल कितने का नुकसान किया ?

उत्तर

(1) तहसील नोहर में सन् 1966 में 5513 काश्तकारान को भूमि अलॉट की गई थी जिनकी ग्राम वाईज सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 74

(राजस्व मंत्री)

(2) यह सही है कि भूमि अलॉटमेंट कमेटी की बैठक में ही अलॉट की गई थी। तारीख व स्थान और सदस्य की सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही है। जिन काश्तकारों का कब्जा था और कमेटी द्वारा खारिज हुआ था, वह तहसीलदार द्वारा सन् 1966-67 के लिये कई काश्तकारों को बिना राय कमेटी एक साला अलॉट कर दी गई थी। सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है जिसके कालम 4 में सूचना अंकित है।

(4) यह सही है। चूंकि इन काश्तकारान को रकबा अलॉट होने पर भी ढ़ाल बाछ में दर्ज नहीं किया गया क्योंकि जिन खसरों में भूमि अलॉट हुई उसमे रकवा नहीं था इसलिये ढाल बाछ में दर्ज नहीं किया गया।

(5) यह सही नहीं है। चूंकि तहसील द्वारा सन् 1966 में 328 खारिज शुदा केसेज में एक साला अलॉटमेंट कमेटी के आदेशों के विरुद्ध नजरसानियां पेश होने पर नजरसानियां सुन कर उनकी जमीन एक साल के लिये बहाल करदी गई। तहसील में इस प्रकार के 21 काश्तकार थे बाकी काश्तकार साबका रकबा काश्त शुदा होने के कारण एक साल के लि अलॉटमेंट के आदेश दिये गये थे।

(6) यह सही नहीं है। चूंकि नजर सानियों के पेश होने पर उन्हें स्वीकार किया जाकर रकबा बहाल कर दिया गया तो नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमि आवंटन तहसील हिण्डोली

906. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसीलदार, हिन्डोली ने सन् 1969 की जनवरी से जुलाई, 31 तक कितनी भूमि आवंटित की और बैठक किस किस तारीख को बुलाई गई? बैठक में कौन कौन उपस्थित थे?

(2) क्या 2-4-69 को 10-4-69 की बैठक की सूचना निकाली थी? क्या यह सत्य है कि सूचना डाक में 14-4-69 को डाली गई जो मुझे 16-4-69 को प्राप्त हुई?

(3) दिनांक 10-4-69 की बैठक में सदस्यों में से कौन कौन मौजूद थे? भूमि किस किस को दी गई। सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री तहसीलदार, हिन्डोली ने जनवरी, 1969 से 31 जुलाई, 69 तक 348 एकड़ भूमि अनकमाण्ड क्षेत्र की आवंटन की। एडवाईजरी कमेटी की बैठक दिनांक 21-5-69, 23-5-69, 17-6-69, 18-6-69, 19-6-69, 28-6-69 तथा 27-7-69 को बुलाई गई थी जिसमें संलग्न सूची के अनुसार मेम्बर उपस्थित हुए थे।

(2) दिनांक 2-4-69 को ग्राम पंचायत ठीकरदा के आवंटन हेतु दिनांक 10-4-69 को सूचना निकाली गई थी परन्तु घोषणा-पत्र समय पर तामील न होने

(राजस्व मन्त्री)

से 10-4-69 का प्रोग्राम कैन्सिल किया गया जिसकी सूचना एडवाईजरी कमेटी के सदस्यों को 9-4-69 को जारी की गई। यह सत्य नहीं है कि सूचना डाक में दिनांक 14-4-69 को डाली गई हो।

(3) दिनांक 10-4-69 की बैठक का प्रोग्राम कैन्सिल होने से सदस्यों की उपस्थिति एवं अ.संटन का प्रश्न नहीं उठता है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

अकाल घोषित क्षेत्र के काश्तकारों से वसूलियां

907. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करग :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल क्षेत्र के काश्तकारों से भू-राजस्व के अलावा समस्त प्रकार की वसूलियां सख्ती से की जा रही ह ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि गत विधान सभा में यह घोषणा की गई थी कि समस्त प्रकार की वसूलियां अकाल क्षेत्र में रोक दी गई हैं तो फिर वसूली करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अकाल घोषित क्षेत्र के काश्तकारों से काफी तादाद में वसूलियां की गई हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी वसूली की गई ? जिलेवाईज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

उत्तर

(1) संलग्न परिपत्र अनुसार ही वसूली करने के आदेश हैं।

(2) भू-राजस्व एवं तकाबी की वसूली स्थगित है। वसूली करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। संलग्न परिपत्र के अनुसार कुछ कृषि ऋण ही वसूल किये जा रहे हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम मुंजासर का सार्वजनिक नया कुआ

908. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मुंजासर, त० फलोदी, जि० जोधपुर में एक सार्वजनिक नया कुआ गांवई चन्दे एवं सरकार के सहयोग से बनाया गया है, जो किसी की खातेदारी की जमीन में बना है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि मीठा पानी इसी जगह उपलब्ध होने से सब गांव वालों की राय से एवं खातेदार की इच्छा से बनाया गया था, और इस बारे में खातेदार ने आज दिन तक कभी कोई ऐतराज नहीं किया था ? अगर हां, तो अब तक कुए के आस पास खातेदारी की जमीन को कुए की आबादी में क्यों नहीं परिवर्तित कराया गया है ? अब कब तक वह जमीन कुए की आबादी में परिवर्तित कर दी जावगी ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस कुए पर पानी पीने के लिए आने के लिए गांवई मवेशियों के लिए आम रास्ते भी नहीं है? अगर हां, तो ऐसे रास्ते कब तक छुड़ा दिए जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, परिवर्तन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण कुए की जमीन का आबादी में अभी तक परिवर्तन नहीं किया जा सका। भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की कार्यवाही पंचायत समिति द्वारा मांग करते ही आरम्भ कर दी जावेगी।

(3) जी हां, इस कुए से पानी पीने के लिये गांवई मवेशियों के लिये आम रास्ता नहीं है क्योंकि यह कुआ एक खातेदारी कृषि भूमि में आया हुआ है। जब कुए के आस पास की भूमि पंचायत की मांग पर आबादी में परिवर्तन कर दी जावेगी, उसी समय पक्का रास्ता बनवा दिया जावेगा।

जैसलमेर जिले के उत्तरी भाग के लोगों का खातेदारी हक

909. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जसलमेर जिले के उत्तरी भाग को राजस्थान नहरी क्षेत्र घोषित कर कोलोनाइजेशन कानून के अधीन दे रखा है और वहां पर न तो किसी को खातेदारी हक दिया गया है जब कि वे लोग सकड़ों वर्षों से उस पर काबिज हैं? क्या राज्य सरकार इस पर भविष्य में इन लोगों को खातेदारी हक देने का विचार रखती है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(स्थगित किया गया)

अकालग्रस्त क्षेत्र के लोगों को भुगतान के समय ब्याज माफी का विचार

910. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में लगातार सात वर्ष से अकाल होने के कारण लोगों का जीवन आधार पशुधन खत्म हो गया है और इस वर्ष भी लोगों की ऋण व भू-राजस्व का भुगतान करने की क्षमता नहीं रही है? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार भुगतान के समय ब्याज माफ करने का कोई विचार रखती है? अगर नहीं, तो क्या राज्य संरकार समझती है कि अकालग्रस्त क्षेत्रों से वसूली हो सकती है?

उत्तर

जी हां। जैसलमेर जिले के कई भागों में लगातार सात वर्षों से अकाल पड़ रहा है एवम् अकाल होने के कारण तथा पशुधन मरने के कारण लोगों का जीवन दूभर हो गया है और इस वर्ष भी भंयकर अकाल होने के कारण लोगों की ऋण एवं भू-राजस्व का भुगतान करने की क्षमता नहीं है। अकालग्रस्त ग्रामों में भू-राजस्व एवं तकावी ऋण की रकम-वसूली स्थगित रखी गई है। जिन ग्रामों में लगातार तीन वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि तक अकाल रहा है उन ग्रामों में नियमानुसार लगान की छूट दी

(राजस्व मन्त्री)

जायेगी। लगान की माफी के साथ ब्याज की भी माफी दी जायेगी।

गांव सांडास के पास की रावली नाम की नाड़ी

911. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं, जिला नागौर के गांव सांडास और ढीगसरी के बीच एक रावली नाम की नाड़ी है? यदि हां, तो वह किस गांव की सरहद में है, उसका खसरा नम्बर तथा रकबा क्या है, और उनके पायतन के खसरा नम्बर व रकबा क्या हैं?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त नाड़ी किसी गांव के नक्शे में शामिल नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त नाड़ी कौन से पटवार सर्कल व कौनसी पंचायत के क्षेत्र में है?

उत्तर

(1) तहसील लाडनूं के ग्राम सांडास और ढीगसरी व तहसील जायल के ग्राम गौराऊ के बीच रावली नाम की नाड़ी है। उसके खसरा नम्बर व रकबा इन तीनों ही गांवों के रेकार्ड म दर्ज नहीं है न उसके पायतन का ही खसरा नम्बर व रकबा रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर नाड़ी जरूर है।

(2) यह नाड़ी उपरोक्त किसी भी गांव के नक्श में शामिल होना नहीं पाया जाता है।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के अनुसार है।

तहसील लाडनूं की नाड़ियां और तालाब

912. **श्री हरजीराम बरडक** (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम मणू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में कौन कौन सी नाडियें व तालाब हैं तथा उनके खसरा नम्बर व रकबा क्या है? नाड़ियों व तालाबों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

जयपुर-हिन्डौन सड़क के पास की कृषि भूमि

913. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शुभ लक्ष्मी मिल्स लि० को कितनी भूमि मिल बनाने के लिये कब किस हिसाब से दी गई तथा लीज के कितने रुपये सालाना सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं?

(2) क्या यह सच है कि लाखों गज भूमि पर भिन्न 2 मिलों द्वारा कब्जा किया होने पर भी राज्य सरकार द्वारा रेगुलेराइजेशन की कार्यवाही नहीं हो रही है?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर रोड और हिन्डौन रोड पर भी मनमाने ढंग से कृषि भूमि पर मिलों का निर्माण हो रहा है?

(4) क्या यह सरकारी नीति के अनुसार है या चीफ टाउन प्लानर की सहमति से निर्माण हो रहा है?

(5) क्या सरकार प्लानिंग से काम करना चाहती है या मनमाने ढंग से?

(स्थगित किया गया)

ढाणी जेवल्या बिचुन का पुख्ता मकान

914. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील दूदू में ग्राम बिचून में कितने मकान, नोहरे आदि गोचर भूमि गै० मु० पहाड व सिवाय चक में बने हुए हैं और उनमें कितने तहसील की इजाजत से व कितने पंचायत की इजाजत से बने हैं? क्या इनको इजाजत देते समय कोई नजराना लिया गया है? अगर हां, तो क्या नजराना लेना कानून के अन्तर्गत आता है?

(2) क्या इसी ग्राम के तहत ढाणी जेवल्या (ढाणी भोलान) में श्री शिवलाल पुत्र काना जाट ने कोई पुख्ता भवन बनाया है? अगर हां, तो इसने किस किस खसरा नम्बर में बनाया है और इन नम्बरों की किस्म जमीन क्या है? खातेदारी के खाने में किस के नाम का इन्द्राज है?

उत्तर

(1) ग्राम बिचून में सिवाय चक भूमि चरागाह व गैरमुमकिन पहाड़ में 59 मकान बाड़, नोहरे इत्यादि बने हुए हैं। ये मकान आदि बिना तहसील की इजाजत प्राप्त किये बने हैं। इनमें से तीन बीघा जमीन खसरा नं० 2572 की स्वीकृति आबादी में परिवर्तन करने की हो चुकी है। जिनमें 6 बाड़े व मकान हैं। उसमें इस भूमि का 20 गुना लगान पंचायत से लिये जाने का आदेश हुआ है। जो पंचायत ने अभी जमा नहीं कराया है। शेष अतिक्रमण के बारे में तहसील में कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां।

खसरा नं० 986, 963 एवं 984 के तिगड़े पर।

खसरा नं० 986 गैरमुमकिन पहाड़ दर्ज है। खसरा नं० 963 गैरमुमकिन चारागाह दर्ज है। खसरा नं० 984 स्वयं की खातेदारी में दर्ज है।

भूमि पर अनधिकृत कब्जा, तहसील दूदू

915. **श्री सुआलाल चौधरी** (दूदू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गहलोता, तहसील दूदू के खसरा नं० 587·8 3/4 का इन्द्राज चारागाह के नाम से है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नम्बर 587 को सरपंच, श्री दयालराम ने अपने साले श्री बीजा वल्द हरलाल के नाम से आवंटन करवा कर काश्त की है? अगर हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के खसरा नम्बर 330 व 571 को चारागाह की स्वीकृति दि० 23-12-63 को जिलाधीश, जयपुर ने दी है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त नम्बरान में सरपंच, दयालराम व प्रधान, श्री मांगीलाल ने अनाधिकार कब्जा करके काश्त कर ली है? अगर हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ख० नं० 587 रकबा 8।।।) ग्राम गहलोत का चरागाह में दर्ज है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) जी हां, यह सही है कि ख० नं० 587 का आवंटन श्री बीजां वल्द हरलाल के नाम हो गया था इस समय वही इस भूमि को काश्त कर रहा है।

(3) जी हां, यह सही है कि ग्राम गहलोत के ख० नं० 330 व 571 की स्वीकृति चरागाह हेतु जिलाधीश, जयपुर द्वारा दिनांक 23-12-63 को दी थी।

(4) उपरोक्त खसरा नम्बरान में से ख० नं० 571 में से 15) बीघा भूमि पंचायत सिरोही के कब्जे काश्त में है। ख०नं० 2025 में पड़त रही है। श्री मांगीलाल के काश्त करने का कोई इन्द्राज नहीं है।

मिसलों की नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

916. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ तहसील में लद्दासर ग्राम निवासी सूबेदार मगेजसिंह ने दिनांक 3-4-67 के दो मिसलों की नकलें प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना-पत्र एस० डी० ओ०, रतनगढ़ के समक्ष पेश किया था ?

(2) क्या यह सही है कि मंगेजसिंह ने मिसल नम्बर 42 मर-31-1-56 मुरतिबा तहसील रतनगढ़ सीमा मालवा मि० नम्बर 15 मर सन् 52 फ० 24-3-53 मुरतिबा ए० सी० रतनगढ़ सीमा रेवेन्यू की नकलें प्राप्ति हेतु दर्ख्वास्त की थी ?

(3) क्या यह सही है कि इसके बाद अनेक तहसील रतनगढ़ एस० डी० ओ०, रतनगढ़ कलेक्टर, चूरू एवं मुख्य मंत्री महोदय को भिन्न भिन्न तारीखों में उक्त मंगेजसिंह उसकी पत्नी श्रीमती लिछमा देवी द्वारा नकलें प्राप्ति हेतु पेश की गई ?

(4) क्या यह सही है कि आज तक सम्बन्धित मिसलों की नकलें प्रार्थी को नहीं दी गई हैं ? अगर हां, तो क्यों तथा इसका जिम्मेदार कौन है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सुबेदार मंगेजसिंह ने दिनांक 3-4-67 को कोई दरख्वास्त नकल लेने हेतु एस० डी० ओ०, रतनगढ़ के समक्ष पेश नहीं की।

(2) मिसल नं० 42 मर० 31-1-56 मुरतिबा तहसील रतनगढ़ सीमा माल के बारे में मंगेजसिंह ने कोई दरख्वास्त परगना अधिकारी के कार्यालय में नहीं दी।

(3) हां। यह सही है कि श्री मंगेजसिंह व श्रीमती लिछमा देवी द्वारा नकलें लेने हेतु पेश की थी। परन्तु मिसल के उपलब्ध न होने के कारण इन्हें नकल नहीं दी जा सकी है।

(4) जी हां। अभी तक भी इन्हें उक्त मिसल की नकल नहीं दी जा सकी है। मिसल उपलब्ध नहीं होने के कारण नकल नहीं दी गई है। इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु अलग कार्यवाही चालू है।

पशुपालकों की समस्याओं के निवारण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट

917. **श्री शंकरलाल** (जतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों की समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव देने के लिय राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था? यदि हां, तो कब?

(2) इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की गई और कमेटी के क्या क्या सुझाव थे? सुझावों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कमेटी के सुझावों पर सरकार द्वारा क्या क्या निर्णय लिये गये और किन किन सुझावों को स्वीकृत किया गया व किन किन सुझावों को स्वीकृत नहीं किया गया?

(4) क्या यह सही है कि पशुपालकों की समस्याओं का स्थायी हल अभी तक नहीं हो पाया है और कमेटी द्वारा प्रेषित सुझावों म से एक को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है?

(5) पशुपालकों की समस्याओं के स्थायी निवारण हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 19 सितम्बर, 1968 को समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) अभी तक कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्रेषित नहीं हुई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) इस संबंध में विचार विमर्श हेतु अभी कमेटी की बैठकें हो रही हैं और बैठकों की कार्यवाही के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान एवं राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर से सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं। सूचनायें कमेटी की अगली बठक में प्रस्तुत की जावेंगी।

(5) कमेटी के अन्तिम निर्णय लेते के पश्चात् जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत होगी उस पर निर्णय लेने पर ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

आचार्य श्री राम विद्यालय, बीकानेर को दिया गया अनुदान

918. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर में आचार्य श्री राम विद्यालय द्वारा सन् 1963 से 65 तक चलने वाले शिशु कक्षाओं के लिये सरकार ने कितना रुपया अनुदान दिया है? इन दो वर्षों में वहां कितने शिक्षकों ने काम किया व उन्हें कितना वेतन दिया गया? कृपया शिक्षकों की नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाय। इन शिशु कक्षाओं के चलने व उन्हें वेतन देने की प्रमाणिकता आचार्य श्री राम विद्यालय के किन किन पदाधिकारी ने की है? उनके बिल सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर में आचार्य श्री राम विद्यालय द्वारा सन् 63 से 65 तक चलने वाली शिशु कक्षाओं के लिये समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण मंत्री)

द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया अतः आगे की सूचना का प्रश्न ही नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग पर खर्च की गई धनराशि का वितरण

919. **श्री गंगासहाय** (कठूमर–सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान समाज कल्याण विभाग पर 1968-69 में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? निम्न तालिका में विवरण प्रस्तुत किया जाय:–

(1) स्टाफ यात्रा भत्ता एवं वेतन
(2) स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान
(3) छात्रवृत्ति
(4) भवन निर्माण अनुदान
(5) ऋण छत्रावासों पर
(6) लीगल एड
(7) सं० केन्द्र
(8) अन्य

उत्तर

समाज कल्याण विभाग में वर्ष 1968-69 में 1,19,64,010 रुपये का व्यय हुआ, वांछित विवरण संलग्न सूची म प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 16 दखिये)

मेड़ता सिटी में हरिजन छात्रावास

920. **श्री गोर्धन सोनी** (मेड़ता) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी में हरिजन एवं अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था नहीं है।

(2) राजस्थान में जहां जहां ऐसे छात्रावास हैं उन गांवों व शहरों के नाम एवं उस विधान सभाई क्षेत्र की हरिजन व अनुसूचित जाति की आबादी के आंकड़े का चार्ट सदन की मेज पर रखनें की कृपा करें?

(3) क्या सरकार मेड़ता सिटी में शीघ्र ही हरिजन छात्रावास की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां यह सही है।

(2) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये जहां जहां छात्रावास हैं उसकी सूची संलग्न है, विधान सभाई क्षेत्र के आधार पर जनगणना नहीं होती। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के जिलेवार आंकड़े संलग्न हैं।

(3) अर्थाभाव के कारण वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका, लाडनूं को ऋण एवं सहायता

921. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि समाज,

(हरजीराम बुरड़क)

कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिका लाडनूं को कभी ऋण व सहायता दी गयी थी? यदि हां, तो कब कब किस किस कार्य के लिये और उक्त राशि का क्या क्या उपयोग हुआ ?

(2) क्या विभाग को यह भी जानकारी दी है कि उक्त नगरपालिका को दी गयी राशि का सदुपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो किस किस राशि का ?

(3) क्या विभाग को यह भी जानकारी है कि जो भी राशि पहले दी गई थी उसकी उपयोगिता का ध्यान रखे बिना ही दूसरी बार राशि दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका, लाडनूं को वर्ष 63-64 में मेहतरों को व्हील बेरोज देने के लिये 300) रुपये की सहायता दी गई थी उसको अभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) विभाग को अभी उक्त राशि के उपयोग होने की सूचना नहीं है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

लोकवाणी सोसायटी, जयपुर

315. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि "लोकवाणी" दैनिक, जयपुर का प्रकाशन जुलाई, 1965 में बन्द हो गया था और उस समय इस पत्र का डिक्लेरेशन "लोकवाणी सोसाइटी" इस पत्र की मालिक होने की हैसियत में जिलाधीश, जयपुर द्वारा जारी किया गया था ? कृपया जुलाई, 1965 तक जिस डिक्लेरेशन के तहत "लोकवाणी" दैनिक का प्रकाशन होता था उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खी जावे।

(2) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने दिसम्बर, 1966 में राष्ट्र दर्शन, सोसाइटी (मालिक) की ओर से प्रकाशक, मुद्रक और सम्पादक के रूप में "लोकवाणी" नाम से दैनिक पत्र निकालने के लिये डिक्लेरेशन लेने के लिये जिलाधीश, जयपुर को एक प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो कृपया प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री अमरहंस, भूतपूर्व सहायक सम्पादक, लोकवाणी ने भी "लोकवाणी" पत्र निकालने के लिये इन्हीं दिनों जिलाधीश से डिक्लेरेशन देने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने इन दोनों प्रार्थना-पत्र को प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया के पास भेजा था और उसने जनवरी, 1967 में दोनों प्रार्थियों को डिक्लेरेशन देने से इन्कार कर दिया था कि चूंकि "लोकवाणी" एक दूसरे मालिक लोकवाणी सोसाइटी द्वारा निकाली जाती रही है, अतः अन्य आदमी को उसका डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता ? कृपया प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया के इन प्राथियों के डिक्लेरेशन सम्बन्धी जनवरी, 1967 की आज्ञाओं की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने दि० 2-2-67 को "लोकवाणी" सोसाइटी (मालिक) की ओर से "लोकवाणी" पत्र को पुन: चालू करने के लिये प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक के रूप में डिक्लेरेशन लेने के लिये जिलाधीश, जयपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र ेश की जिसको जिलाधीश ने मन्जूर किया ? यदि हां, तो इस डिक्लेरेशन की प्रतिलिपि पत्र जिलाधीश की आज्ञा सदन की मेज पर पेश करें।

(6) क्या यह सही है कि दि० 3-3-67 को श्री सुधाकर शास्त्री ने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक्स एक्ट की धारा 5 (2ई) के तहत राष्ट्रदर्शन सोसाइटी (मालिक) की ओर से लोकवाणी सोसाइटी से लोकवाणी पत्र की मिल्कियत ट्रांसफर हो जाने के कारण डिक्लेरेशन अधिकृत कराये जाने के लिये जिलाधीश, जयपुर को प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर उप-जिलाधीश, जयपुर ने अपने निर्णय ता० 25-3-67 को इस डिक्लेरेशन को अधिकृत करने से इन्कार कर दिया और 15-2-67 से फैसले तक "लोकवाणी" पत्र का प्रकाशन अवैध घोषित किया ? कृपया उप-जिलाधीश के निर्णय दि० 27-5-67 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख।

(7) क्या यह सही है कि जबकि श्री सुधाकर शास्त्री द्वारा दी गई 3-3-67 की दरख्वास्त उप-जिलाधीश के विचाराधीन थी तो जिलाधीश को एक अन्य दरख्वास्त राष्ट्रदर्शन सोसाइटी की ओर से श्री सुधाकर शास्त्री ने लोकवाणी पत्र का डिक्लेरेशन लेने के लिय दी जिस पर जिलाधीश ने 22-3-67 को या उसके करीब प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया को डिक्लेरेशन देने के लिये सिफारिश करदी और रजिस्ट्रार ने डिक्लेरेशन की मन्जूरी 12-6-67 को देदी ? कृपया श्री सुधाकर शास्त्री की दरख्वास्त व डिक्लेरेशन जिलाधीश की सिफारिश और रजिस्ट्रार के आदेश की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि श्री सुधाकर शास्त्री ने जिलाधीश के सामने अपनी इस दरख्वास्त में जिस पर जिलाधीश ने 22-5-67 को डिक्लेरेशन देने की सिफारिश की इस तथ्य को सामने नहीं रखा था कि जनवरी, 1967 में उनकी इसी प्रकार की दरख्वास्त प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इण्डिया से खारिज हो चुकी है ?

(9) क्या यह सही है कि जिलाधीश द्वारा राष्ट्रदर्शन सोसाइटी के नाम से डिक्लेरेशन देने के समय श्री सुधाकर शास्त्री राष्ट्रदर्शन सोसाइटी की ओर से लोकवाणी पत्र का प्रकाशन किसी प्रकार का डिक्लेरेशन न होते हुए भी अवैध रूप से कर रहे थे ? ऐसे कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को डिक्लेरेशन की सिफ़ारिश जिलाधीश ने किस आधार पर की ?

(10) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एण्ड बुक एक्ट की धारा 8 (बी) के तहत मजिस्ट्रेट को दिये हुए डिक्लेरेशन को कुछ नये तथ्य सामने आने पर कैन्सिल करने का अधिकार है ? यदि हां, तो राष्ट्रदर्शन सोसाइटी की मिल्कियत में श्री सुधाकर शास्त्री को लोकवाणी के प्रकाशन का डिक्लेरेशन रद्द करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

(11) क्या यह सही है कि 5-5-67 से जिस दिन उप-जिलाधीश ने अपने निर्णय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

द्वारा "लोकवाणी" का प्रकाशन अवैध करार दिया 12-6-67 तक की लोकवाणी का अवैध प्रकाशन लगातार चालू रहा? यदि हां, तो इस कानून की अवहेलना के लिए श्री सुधाकर शास्त्री के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई

उत्तर

(1) जी हां। जौलाई, 1965 में दैनिक लोकवाणी का प्रकाशन बन्द हो गया था। जुलाई, 1965 तक लोकवाणी दैनिक का प्रकाशन जिस घोषणा-पत्र के अन्तर्गत होता था, उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। श्री अमर हंस ने दिनांक 30-12-66 को एक प्रार्थना-पत्र दिया था।

(4) श्री अमरहंस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय के प्रेस रजिस्ट्रार, भारत सरकार, नई दिल्ली को शीर्षक की जांच के लिए पत्र सं० 1 (ज० ए०) दिनांक 4-1-67 द्वारा भजा गया था जो नामंजूर होकर इस कार्यालय में दि० 27-1-67 को प्राप्त हुआ था। प्रेस रजिस्ट्रार के उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(5) जी हां, डिक्लेरेशन की प्रतिलिपि संलग्न है।

(6) यह सही है कि दिनांक 3-3-67 को श्री सुधाकर शास्त्री ने राष्ट्र दर्शन सोसाइटी की ओर से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही श्री अमरहंस की ओर से ऐतराज भी पेश हुए जिस पर जांच के पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डनायक, जयपुर द्वारा श्री सुधाकर शास्त्री का घोषणा-पत्र दिनांक 12-6-67 को सत्यापित किया गया। अतिरिक्त जिला दण्डनायक, जयपुर के निर्णय दि० 27-5-67 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(7) दिनांक 3-3-1967 को डिक्लेरेशन भरने के संबंध में श्री सुधाकर शास्त्री का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर दैनिक पत्र के शीर्षक की जांच हेतु रजिस्ट्रार को दि० 23-5-67 को लिखा गया। श्री सुधाकर शास्त्री की दरख्वास्त डिक्लेरेशन जिलाधीश के पत्र एवं प्रेस रजिस्ट्रार के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है। जिलाधीश द्वारा डिक्लेरेशन देने के सम्बन्ध में कोई सिफारिश उपरोक्त पत्र में नहीं की गई थी।

(8) जी नहीं। जनवरी सन् 1967 में ऐसी कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई।

(9) जी नहीं। सिफारिश नहीं की गई थी परन्तु शीर्षक की जांच के लिए प्रेस रजिस्ट्रार को लिखा गया था।

(10) जी हां। इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

(11) दिनांक 27-5-67 के निर्णय में लोकवाणी के प्रकाशन को नियम विरुद्ध अवश्य माना गया लेकिन इसके लिए श्री सुधाकर शास्त्री को खिलाफ केवल वार्निंग देना पर्याप्त समझा गया था।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(25-8-69)

अफीम की खेती

514. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा व झालावाड़ जिले की किस किस तहसील में अफीम की खेती होती है?

(2) प्रत्येक तहसील का कितना कितना रकबा अफीम की पैदावार के काम में लिया जाता है?

(3) उक्त दोनों जिलों में कुल कितनी अफीम गत 3 वर्षों में पैदा की गई है?

(4) भारत सरकार उक्त अफीम को किस भाव से क्रय करती है?

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील छीपा-बडौद, छबड़ा, अटरु, रामगंज मंडी व सांगोद तथा झालावाड़ जिले की तहसील झालरा-पाटन, पचपहाड़, गंगधार, पिड़ावा, खानपुर व अकलेरा में अफीम की खेती होती है।

(2) सन् 1968-69 में प्रत्येक तहसील का निम्न प्रकार रकबा अफीम की पैदावार के काम लिया गया है :—

जिला कोटा

सं०.	नाम तहसील	रकबा हैक्टर में
1.	छीपाबडोद	1,121.82
2.	छबड़ा	663.91
4.	अटरु	468.44
4.	रामगंज मंडी	188.50
5.	सांगोद	99.08

जिला झालावाड़

सं०	नाम तहसील	रकबा एकड़ों में
1.	झालरापाटन	1,512
2.	पिड़ावा	1,396
3.	गंगधार	1,465
4.	पचपहाड़	1,543
5.	अकलेरा	1,764
6.	खानपुर	1,126

(3) जिलावार गत तीन वर्षों में जितनी अफीम पदा की गई है उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम जिला	नाम वर्ष	पैदावार किलों में
कोटा	1966-67	48,718.623
	1967-68	68,951.798
	1968-69	10,135.300

नाम जिला	नाम वर्ष	पैदावार मैट्रिक टनों में
झालावाड़	1966-67	50
	1967-68	76
	1968-69	110

कोटा जिला	साल	रेट्स
	1966-67	30,33,36 रु० फी किलो
	1967-68	30,33,3,638

झालावाड़ जिला

1966-67 30,33,36 फी किलो ग्राम

1967-68 30,33,36,38 फी किलो ग्राम

1968-69 30,35,38 40,45 फी किलोग्राम

Page No 86

स्थगित प्रश्न

(12-8-69, 20-8-69 व 28-8-69)

आवास विहीन नागरिकों की समस्या

4 **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या गृह निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के कितने निवासी आवास विहीन हैं जिनके पास न रहने के लिए भूमि है और न मकान हैं ? जिलेवार शहरी और देहाती क्षेत्रों की अलग अलग संख्या दी जाय।

(2) आवास समस्या के समाधान के लिए क्या योजना है ?

(3) अब तक इस संबंध में क्या किया गया है ?

(4) आवास विहीन नागरिकों को आवास सुविधा दने के संबंध में राज्य की क्या नीति व कार्यक्रम है ?

उत्तर

(1) इस क्रम में इस विभाग म आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(2) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं में 630·00 लाख रुपय के व्यय का लक्ष्य रखा गया है जिसके द्वारा 4755 मकान बनाने की योजना है।

(3) विभिन्न आवास गृह निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत अब तक 2178 भवनों का निर्माण किया गया है।

नगर सुधार न्यासों द्वारा भी 74 योजनायें बनाई गई है जिनमें करीब 26528 भू-खण्ड आवास योजनाओं हेतु तैयार किये गये है ?

(4) राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की स्थापना शीघ्र की जा रही है जिसके द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बने बनाये मकान तैयार करके आवास विहीन व्यक्तियों को किराये पर या किश्तों पर दिवें जावेंगे । नगर सुधार न्यासों द्वारा भी नई योजनायें बनाकर भू-खण्डो का निर्धारित दरों पर आंवटन किया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(16-8-69 अ 27-8-69)

रानी खुर्द में डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण

143. **श्री फुलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

रानी खुर्द, जिला पाली में डिस्पेंसरी भवन बनाने हेतु क्या एक ड्राफ्ट रुपये चालीस हजार का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जोधपुर को मिला है ? यदि हां, तो कब मिला है व सम्बन्धित निर्माणारम्भ कब किया जायेगा ? निर्माणारम्भ में इतनी दे ी का क्या कारण है ?

उत्तर

जी हां, ड्राफट की रकम अधीक्षण अभियन्ता, इस्ट, जोधपुर के कार्यालय में 7-9-68 को जमा हुई है।

कार्य चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने की आशा है। मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग से प्लान अनुमोदित न होने के कारण कार्य आंरम्भ नहीं हो सका।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69 व 28-8-69)

आत्म हत्या के मामले

394. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1962 से मार्च सन् 1969 तक राज्य में कुल कितने लोगों ने आत्महत्या की ? इनमें स्त्री तथा पुरुषों की अलग अलग सूची सदन के पटल पर रखी जावे।

(2) इन आत्महत्याओं के क्या क्या कारण रहे ? विस्तृत ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में सन् 1962 से मार्च 1969 तक कुल 2,829 आत्महत्या के केसेज हुए हैं। आत्महत्या करने वालों में 1,376 पुरुष व 1,453 स्त्रियां हैं।

(2) आत्महत्या करना निम्नलिखित कारणों से ज्ञात हुआ है :–

1 आर्थिक कठिनाइयां।
2 बीमारियों से परेशानी।
3 प्रेम में विफलता।
4 परीक्षाओं में असफलता।
5 घरेलू झगड़े।
6 अन्य कारणों से ।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(20-8-69 व 28-8-69)

एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, झालावाड़ द्वारा सामान की खरीद

398. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कार्यालय द्वारा गत मार्च 69 से अगस्त, 69 तक कितना 2 कौन कौन सा सामान खरीदा गया ?

(2) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि प्रमुख व्यापारियों, व्यापारिक संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं प्रमुख प्रमुख नागरिकों का सम्मेलन बुलाकर इस सम्बन्ध में शीघ्र और अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ?

उत्तर

(1) सूची (क) तथा (ख) प्रस्तुत है।

सूची (क) में वर्णित सामान अकाल सहायता बजट से तथा सूची (ख) में वर्णित सामान सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट से खरीदा गया है।

उप-खंड, झालावाड़, भवानी मंडी, बारां तथा अकलेरा उप-खंडों में आवश्यकतानुसार काम आया है।

(2) जी हां, टेन्डर लिये गये हैं और न्यूनतम टेन्डर स्वीकार किया है। फर्म जिससे सामान खरीद किया है सूचियों में अंकित है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(28-8-69)

सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध गबन की जांच

656. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री मदनलाल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरपंच एवं श्री रामप्रसाद सचिव, ग्राम पंचायत, सांगानेर, जिला भीलवाड़ा के खिलाफ पंचायत की रकम गबन करने की शिकायत दिनांक 1-8-61 को श्री केशरीमल अग्रवाल सांगानेर ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भीलवाड़ा को की ?

(2) क्या यह सही, है कि इस गबन की जांच एस०डी०एम०, भीलवाडा ने 1962 में की और गबन को सही पाया ?

(3) क्या यह सही है कि यह फाइल एस०डी०एम०, भीलवाड़ा द्वारा जिलाधीश, भीलवाड़ा को भेज दी गई परन्तु वहां से फाइल गुम हो गई है ?

(4) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज के हस्तक्षेप से इस मामले की पुनः जांच श्री गणेशशंकर द्विवेदी उप-जिला विकास अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा 1965 में की गई और उन्होंने मामला सही पाया इसलिए प्रोसीक्यूशन करने के लिये पुलिस को सोंप दिया ?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ दफा 409 ताजीरात हिन्द में मुकद्दमा नं० 8 सन् 1965 में की गई और उन्होंने मामला सही पाया इसलिए प्रोसीक्यूशन करने को सौंप दिया ?

(6) क्या यह सही है कि पुलिस ने 13-1-68 को जिलाधीश, भीलवाड़ा से सरपंच को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी तो जिलाधीश, भीलवाड़ा ने दुबारा जांच करने के आदेश दिये ?

(7) क्या यह सही है कि जिलाधीश, भीलवाड़ा को मंत्रिमंडल के एक सदस्य का इस विषय म एक पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां ।

(5) यह सही है कि यह मुकद्दमा 8/66 जुर्म 409 ता० हि० रामप्रसाद सचिव एवं मदनलाल डाड, सरपंच, पंचायत सांगानेर के विरुद्ध दर्ज हुआ था । प्रोसीक्यूशन की इजाजत जिलाधीश, भीलवाड़ा से सन् 1968 में मांगी गई थी लेकिन अनुसंधान जिलाधीश, भीलवाड़ा द्वारा अपूर्ण पाने पर अनुसंधान को पुनः प्रारम्भ किया ।

(6) सही है, परन्तु जिलाधीश महोदय ने अनुसंधान करने का आदेश बाद विचार विमर्श अधीक्षक, आरक्षी, मण्डल, भीलवाड़ा से करने के पश्चात् पुनः अनुसंधान करने का आदेश दिया ।

(7) यह सही है कि जिलाधीश, भीलवाड़ा को एक प्रार्थना-पत्र मंत्रिमण्डल के सदस्य से प्राप्त हुआ था जिसमें मंत्री महोदय को श्री मदनलाल डाड ने यह प्रार्थना की थी कि उसे अपने आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं दिया गया था और पुलिस की कार्यवाही पुनः आरम्भ की जाये जिससे वास्तविकता का पता लग सके । प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि एवं मंत्री महोदय की टिप्पणी दिनांक 12-1-68 संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(28-8-69)

क्रय विक्रय सहकारी समिति, कांकरोली में गबन का मामला

657. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु०): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कांकरोली क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गबन हुए व फर्जी रेकार्ड व फर्जी रसीदें बनाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष ने फर्जी रेकार्ड बनाने, फर्जी रसीदें बनाने गबन करने की कार्यवाही हेतु नवम्बर, 1968 में भूतपूर्व मैनेजर श्री चतरलाल श्री गणेशलाल मास्टर पर मुकदमा दर्ज कराया था ?

(3) क्या यह सही है कि नवम्बर 68 में मुकदमा दर्ज करने पर भी पुलिस ने अभी तक जांच नहीं की ? यदि हां, तो जांच, चालान कार्यवाही आदि नहीं करने का क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री चतरलाल, श्री गणेशलाल. मास्टर, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, कांकरोली भ्रष्टाचार अव्यावहारिक माउन्ट आबू से सरकारी नौकरी से निकाला गया है ? कृपया स्पष्ट बताया जावे ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्री गणेशलाल मास्टर पर लड़की भगाने का भी मुकद्दमा चलाया था एवं यह लड़की भगाकर श्री अमृतलाल यादव के घर लाई गई थी ?

(6) क्या यह सही है कि इस लड़की को भगाकर लाने का केस भी चालान नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। तफतीश जारी है।

(4) इसकी जानकारी नहीं है।

(5) जी हां। श्री गणेशलाल के खिलाफ फरारी का मुकद्दमा चला था।

(6) मुकद्दमा चालान किया गया मुल्जिम 6-2-69 को सैशन कोर्ट, उदयपुर से बरी भी किया जा चुका है।

स्थगित प्रश्न

(28-8-68)

नगरपालिका लाडनूं द्वारा ऑडिट एतराजों की पूर्ति

676. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, लाडनूं द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में किये गये एतराजों की पूर्ति नही की गई है ? यदि हां, तो कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट के कौन कौन से एतराज हैं जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(3) इसमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार द्वारा ढिलाई क्यों बरती जाती है ?

उत्तर

(1) पूर्ति तो की गई है, परन्तु अभी तक पूर्ण ऐतराजों की पूर्ति नहीं हुई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूंकि कार्यवाही नगरपालिका द्वारा ही की जा रही है सरकार द्वारा अभी किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(28-8-69)

भारत सरकार से शहरों में पानी की व्यवस्था हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त राशि

673. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार से राजस्थान सरकार को शहरी इलाकों के लिये पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के कार्य-काल में कितनी धनराशि पीने के पानी की योजनाओं के लिये प्राप्त हुई थी ?

(2) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में कितनी योजनाएं हाथ में लीं और कहां कहां थीं ?

(3) जो योजनायें सरकार ने शुरू कीं उन पर अलग अलग कितनी धनराशि व्यय की गई? किस किस स्थान की योजनाएं पूरी हुईं और कहां कहां की अभी अधूरी पड़ी हैं और क्यों ?

(4) इन योजनाओं के लिए भारत सरकार से कितनी रकम सहायता के रूप में मिली ?

उत्तर

(1) राज्य की तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर 7.15 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। भारत सरकार से शहरी जलदाय योजनाओं पर 100 प्रतिशत ऋण मिलता है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है। योजनाएं जो पूर्ण नहीं की जा सकी हैं उनका कारण धनराशि का उपलब्ध न होना है।

(4) इन योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान सहायता नहीं मिलती।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(28-8-69)

कस्बा नोहर में पानी की व्यवस्था

674. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर वाटर वर्क्स का पानी खारा हो गया है ? यदि हां, तो इस कस्बे की जनता पानी कहां से पी रही है ?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(2) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर को नहर से पानी देने के लिये नवम्बर, 1968 में मुख्य मन्त्री द्वारा नोहर के दौरे पर 80 हजार रुपया देने का वचन दिया था ? यदि हां, तो रकम आज तक खर्च नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि नहर से पानी लाने के लिये खाला तैयार करवाने का एक मरतबा काम शुरू करके बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(28-8-69)

अनिवार्य शिक्षा एक्ट के आधीन स्कूल

681. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा एक्ट, 1964 लागू हो जाने तथा अनिवार्य शिक्षा एक्ट, 1929 तथा उसके तहत बने नियमों के निरस्त हो जाने से बीकानेर संभाग की अनिवार्य शिक्षा स्कूलों की क्या कानूनी स्थिति है ?

(2) क्या पंचायत समिति के शिक्षकों की तरह से नगरपालिका शालाओं में काम करने वाले अध्यापकों को भी चूरू जिले की संयुक्त वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर संभाग के जिला बोर्डों के अध्यापकों को पंचायत समिति एवं राजकीय शिक्षा विभाग में ले लिया गया है ? यदि हां, तो अनिवार्य शिक्षा शालाओं के अध्यापकों को क्यों नहीं लिया गया ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(28-8-69)

बाकलिया-बल्दू सड़क निर्माण कार्य

694. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने अकाल सहायता के अन्तर्गत इस वर्ष बाकलिया से बल्दू, तहसील लाडनू, जिला नागौर में सड़क निर्माण का कार्य करवाया था ? यदि हां, तो कब से कब तक और कितने मजदूर लगे, कितने रुपये खर्च हुए और नाप के हिसाब से कुल कितना कार्य हुआ ?

(2) उक्त सड़क के कार्य का निरीक्षण कब कब विभागीय अधिकारियों ने किया ?

(3) विभाग द्वारा निर्धारित तखमीने के अनुसार कार्य हुआ या नहीं ? यदि कम हुआ तो कितना और इसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी ?

(4) अब तक इस वर्ष में यह सड़क कितनी लम्बी बन चुकी ?

उत्तर

(1) जी हां। 26-5-69 से 27-6-69

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तक 11574-70 रुपय खर्च हुए। कार्य माप के हिसाब से किया गया है।

(2) कार्य का निरीक्षण निम्न अधिकारियों ने किया :

ओवरसियर फेमीन लाडनूं
26-5-69, 17-6-69, 18-6-69 एवं 26-6-69।

अधिशासी अभियन्ता नागौर 17-6-69.

(3) विभाग द्वारा निर्धारित तखमीने के अनुसार कार्य हुआ। प्रश्न नहीं उठता।

(4) कुल सड़क 13 कि० मी० है उसमें से 5–1/2 कि. मी. बाकी है। इस वर्ष फेमीन में 4 कि०मी० के भुरड़ा की खुदाई हुई व 2 कि० मी० सड़क के पटरी पर मिट्टी का कार्य हुआ।

स्थगित प्रश्न
(28-8-69)

भादरा-झांसल सड़क की मरम्मत

695. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भादरा-झांसल सड़क की मरम्मत कब तक होने की आशा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क की हालत बहुत खराब हो चुकी है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती ? यदि मरम्मत की हो, तो कुल कितने रुपय खर्च हुए ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भादरा झांसल सड़क की मरम्मत हर साल होती है।

(2) इस सड़क की हालत साधारणतया ठीक है और समय समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती है। इस सड़क में पिछले साल रु० 38,682) खर्च किये गय थे। इस साल अभी 4,332 खर्च किये गय हैं।

स्थगित प्रश्न
(28-8-69)

पाली एवं नागौर जिले के अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

699. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या सावजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पाली जिले म इस साल कितनी सादी (मुरड़वाली) एवं कितनी डामर रोड बनीं ? एवं इसके पहले पाली जिले में डामर रोड कितनी है ? ब्यौरा तमाम किलोमीटर में दिलावें।

(2) नागौर जिले में अकाल राहत के तहत इस साल कितनी सादी एवं कितनी डामर रोड अब तक बनी एवं इससे पहले कितनी डामर रोड है ? ब्यौरा किलोमीटर में दिलावें।

(3) मेड़ता सिटी जहां कि सशन कोर्ट है एवं नागौर जिले की प्रमुख मण्डी है, तहसील एवं सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर होते हुए भी जिला हैड क्वार्टर नागौर एवं डिवीजन हैड क्वार्टर जोधपुर से अब तक डामर रोड

Page No 93

(श्री गोरधन सोनी)

से कनेक्टेड क्यों नहीं किया गया व कब तक कनेक्टेड कर दिया जावेगा ?

(4) मेड़ता सिटी से पुष्कर एवं ब्यावर के लिए बसें वाया रीयां-आलनियावास होकर रोज आती जाती हैं, रीयां-आलनियावास के बीच नदी होने के कारण बारिश म यातायात की बड़ी दिक्कत होती है, सरकार इस नदी को ढंग से बंधा कर आवश्यक जगह पुलिया बंधाने का कार्य जनहितार्थ क्यों नहीं कर रही है ?

(5) मेड़ता जैतारण रोड पर जसनगर के पास नदी बंधवाने का आवश्यक कार्य कब तक कर रहो है ?

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है।

(2) सूची (ख) संलग्न है।

(3) जी हां। नागौर से मेड़ता व मेड़ता से जोधपुर की सड़कों को डामर की सड़क बनाने के लिए चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में विचार किया जा रहा है।

(4) धनाभाव के कारण अभी कोई योजना नहीं है।

(5) अभी कोई योजना नहीं है। धनाभाव के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य कब तक लिया जायगा।

(कृपया परिशिष्ट 20 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(28-8-69)

फतहपुर-रतनगढ़ सड़क निर्माण कार्य

702. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) फतहपुर-रतनगढ़ सड़क का निर्माण कार्य कब से चालू है ? अब तक किये गये कार्य का एस्टीमेंट कितना है ?

(2) इस सड़क के बाकी काम को सरकार कब तक पूरा कराने का इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सड़क "नेशनल हाई वे" का अंग है ? यदि हां, तो यह सड़क किस सन् में मन्जूर की गई थी ?

उत्तर

(1) इस सड़क को डामर करने का कार्य सन् 66-67 में शुरु हुआ था। (एस्टीमेटेड) अनुमानतः लागत कुल 65 हजार रुपये है।

(2) 1 मील 2 फर्लांग में डामर रोड का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष 69-70 में 30 हजार रुपये का प्रावधान है।

(3) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न
(19-8-69, 20-8-69 व 28-8-69)

दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इण्डेब्टेडनेस एक्ट

44. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) :

Page No 94

(श्री दौलतराम सारण)

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) दी रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर इन्डटेडनेस एक्ट के अन्तर्गत कितने मामले सुलझाये गए और कितने परिवारों को लाभ हुआ ? यह कानून कबसे लागू है ?

(2) राजस्थान में कुल कितने ऐसे कर्जदार हैं जो उपरोक्त कानून के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ?

(3) इस कानून से लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

(4) क्या इस कानून के अन्तर्गत बनने वाले नियम बन चुके हैं ? यदि हां, तो कब, इनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(20-8-69 व 29-8-69)

सरकार पर देनदारियों के दावे

356. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिण्डोली) : क्या विधि विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान के निर्माण के बाद में सरकार पर कितने देनदारियों के दावे दायर किए गए ? सालवार व जिलेवार बतलावें।

(2) अब तक जितने देनदारियों के दावें किये गए उनमें से कितनों पर अदालत से वादी सरकार पर कुर्की लाया और किस पर ?

(3) सरकार का देनदारियों के मुकद्दमें लड़ने में कितना खर्चा लगा, कितना अदालती खर्चा दिया गया और कितना देना बाकी है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक जितने देनदारियों के दावे किए गए उनमें से 18 में न्यायालय द्वारा वादी सरकार पर कुर्की लाया । सूची संलग्न है ।

(3) सूची संलग्न है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(22-8-69 व 29-8-69)

बंगाली विस्थापितों की कोलोनी की चद्दरें

463. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला कोटा की तहसील किशनगंज में स्थित बंगाली विस्थापितों की तीन कॉलोनी घट घट्टी, परानियां एवं गोरधनपुरा में बने विस्थापितों के मकानों पर कितनी कितनी नालीदार चद्दरें लगी थीं और अब कितनी कितनी चद्दरें लगी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि विस्थापित कॉलोनी में लगाई गई चद्दरों में से बहुत सी चद्दरें गायब हो गई हैं ।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

यदि हां, तो कब कितनी चद्दरें गायब हुईं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(22-8-69 व 29-8-69)

ग्राम कनवास की जमीन का एलॉटमेंट

474. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कनवास, तहसील सांगोद में श्री छीतर वल्द गणेश भील को दिनांक 21-8-64 को आराजी नं० 161 में 5 बीघा व आराजी नं० 186 में 5 बीघा कुल 10 बीघा जमीन एलॉटमेंट कमेटी द्वारा एलॉट की गई थी और उक्त जमीन का गणेश लगान देता आ रहा है?

(2) क्या यह सही है कि आराजी नं० 186 की जमीन पथरीली होने के कारण गणेश ने इसी नम्बर की अतिरिक्त भूमि से तब्दील करने की दरख्वास्त की थी जो मन्जूर नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि 186 नम्बर खसरा की अतिरिक्त भूमि में से कुछ जमीन फूल खां नाम के व्यक्ति को एलॉट करदी गई थी और इसकी आड़ में पटवारी गणेश की एलॉटशुदा भूमि को भी छुड़ाने का प्रयास कर रहा है ?

(4) क्या सरकार भूमि सम्बन्धी अनेकों व्यवहारिक कठिनाइयों की वास्तविक जानकारी करने व उन्हें स्थायी तौर से सुलझाने की व्यवस्था करने का विचार करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) श्री फूलखां को आराजी खसरा नम्बर 186 में से भूमि आवंटन किया जाना सही है। प्रश्न का शेष हिस्सा सही नहीं है।

(4) वर्तमान नियमों तथा आदेशों के अनुसार भूमि आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है ।

स्थगित प्रश्न

(22-8-69 व 29-8-69)

चूरू और लाडनूं की ऊन मिलें

492. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू और लाडनूं में शुरू होने वाली ऊन मिलों में उत्पादन शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कब कब से और अब तक प्रति माह कितने कितने मूल्य का कितना कितना उत्पादन हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त दोनों मिलों में अब तक कच्चा माल कहां से कब कब कितने कितन रुपयों का खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) माल कच्चा खरीदने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? यदि इस संबंध

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में कोई नियम बनाये हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त मिलों से उत्पादन हुए ऊनी धागे को बेचा है ? यदि हां, तो कब कब, कितना कितना धागा किस किस को बेचा, किस-किस रेट पर बेचा तथा उसका उत्पादन मूल्य क्या था तथा कितना मार्जिन रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उपरोक्त मिलों में उत्पादन हुए धागे को किस प्रकार से बेचा जाता है और इस संबंध में कोई नियम बना रखे हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उपरोक्त दोनों मिलों के निर्माण में कुल कितने-कितने रुपये चालू होने तक खर्च हुए थे और उसके बाद कार्यशील पूंजी कितनी-कितनी है तथा कितना -कितना माल स्टाक में है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) उक्त मिलों के उत्पादन शुरू होने के बाद अब तक प्रति माह किस-किस मद में कितना-कितना खर्चा और कितनी-कितनी आय हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) उत्पादन शुरू होने से लेकर अब तक उक्त मिलों में प्रति माह कितना कितना नफा या नुकसान रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(9) मिलों में बनने वाले धागे का उत्पादन मूल्य निर्धारित करते समय क्या क्या खर्चा शामिल करते हैं और उसको बेचने के मूल्य में कितना मार्जिन रखते हैं ?

(10) उक्त मिलों को खोलने का उद्देश्य क्या था और उसकी पूर्ति कहां तक हो रही है ?

(11) उक्त मिलों के संचालन के संबंध में कोई नियम बना रखे हैं तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(12) उक्त मिलों में शुरू से लेकर अब तक किन-किन कर्मचारियों ने किस-किस पद पर, तथा उक्त पद के लिये क्या-क्या योग्यता होनी चाहिये थी तथा उस पर नियुक्त कर्मचारियों की क्या क्या योग्यतायें हैं और अब इनमें कौनसे कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा किसी की सेवायें समाप्त की गई तो किन-किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में कोई नियम बने हुए हों, तो उनकी प्रति भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(13) उपरोक्त मिलों का किसी अधिकारी द्वारा अब तक निरीक्षण किया हो तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(14) उक्त दोनों मिलों में कितने-कितने मूल्यों की कौन-कौन सी मशीनें कब-कब, किस-किस फर्म से खरीदी गई तथा उनका मूल्यों किस आधार पर तय किया गया था तथा उनको कितना-कितना पेमेन्ट कब-कब किया और कितने 12 पेमेन्ट किन-किन कारणों से बकाया है ? मशीनें सप्लाई करने वाली फर्मों के साथ किये गये एग्रीमेन्ट की प्रतियां सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(15) उक्त मिलों में यदि घाटा हो रहा हो तो किन-किन कारणों से तथा उसको पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं और भविष्य में क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

चूरू मिल में दिनांक 9 नवम्बर, 1967 से तथा लाडनूं मिल में दिनांक 21 जनवरी, 1968 से उत्पादन शुरू हो गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तालिका 'अ'।

(2) कच्चा माल खुले बाजार से खरीदा गया है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। तालिका 'ब'।

(3) मिलों के लिए कच्चे माल की खरीद बाजार से, अखबारों में विज्ञापन देकर एवं विक्रेताओं से सम्पर्क द्वारा नमूने मंगवाकर, बाजार से दलालों की मार्फत नमूने लेकर एवं व्यक्तिगत व पत्रादि द्वारा नगोसियेशन करके तय करली जाती है।

(4) जी हां।

माल काफी फुटकर में बचा है। माहवारी बिक्री की तालिका 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है। मिलें प्रारम्भावस्था होने व इस इलाके में प्रशिक्षित कामगार न मिलने से उत्पादन लागत अधिक पड़ना स्वाभाविक था परन्तु अब कामगारों को काम सिखलाकर काम लेने से काफी सुधार आया है और उत्पादन लागत अब पहिले से कम आती है।

(5) मिलों में उत्पादन हुए धागे को मिलों के अधिकृत विक्रेता द्वारा जो लुधियाने में है, के द्वारा बेचा जाता है। इसके लिए कोई नियम नहीं हैं।

(6) कार्यारम्भ होने तक चूरू मिल में रु० 9,75,463.29 तथा लाडनूं में रु० 8,56,880.68 खर्च हो चुके थे। प्रत्येक मिल के लिए 12 लाख रुपये कुल 24,00,000 रुपये राज्य सरकार से बतौर ऋण लिया गया है इसके अलावा मिलों की कार्यशील पूंजी नहीं है। दिनांक 28-2-69 तक जो माल स्टाक में था उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तालिका 'द'।

(7) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। तालिका 'र'।

(8) चूरू तथा लाडनूं, दोनों ही मिलों का आरम्भ 1967-68 के दौरान हुआ था। इन पर हुए व्यय, हानि तथा आय का विवरण इस प्रकार से है :—

चूरू मिल

वर्ष	व्यय रु०	आय रु०	हानि रु०
1967-68	2,05,207.35	972.93	2,04,234.42
1968-69	4,93,176.61	3,04,588.17	1,88,583.44

(उद्योग मंत्री) लाडनूं मिल

1967-68	1,67,437.66	550.00	1,66,887.66
1968-69	3,47,626.19	1,52,243.07	1,95,383.12

धागे का उत्पादन मूल्य निर्धारित करते समय निम्न खर्च की मदों को शामिल किया जाता है :—

(1) कच्चे माल की कीमत (मिल तक पहुंचने तक)

(2) वेस्टेज

(3) मजदूरी

(4) केन्द्रीय उत्पादन कर।

माल को बाजार भाव से बेचा जाता है जिसका उल्लेख प्रश्न 4 के जवाब में कर दिया गया है।

(9) इन इलाकों में ग्रामोद्योग औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा वहां उत्पादित ऊन को वहीं पर काम में लेने का उद्देश्य था, इन उद्देश्यों की पूर्ति कुछ हद तक तो हो गई है।

(10) उक्त मिलें राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाई हैं। मिलों का संचालन निगम के संचालक मण्डल द्वारा निगम की एक इकाई के रूप में होता है। चूरू व लाडनूं मिलों का कार्य संभालने के लिये प्रशासनिक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी रखे हुए हैं। निगम का संचालक मण्डल ही वस्तुत: सर्वोच्च सत्ता है।

(11) संचालन के लिये एक एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है, जिसके सदस्य निम्न हैं :—

1. प्रधान प्रबन्धक, मुख्यालय, जयपुर।
2. लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी, चूरू।
4. स्पिनिंग मास्टर, चूरू।
5. स्पिनिंग मास्टर, लाडनूं।

औद्योगिक संस्थान को चलाने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुरूप कार्य वहन होता है।

(12) उक्त दोनों मिलें राजस्थान लघु उद्योग निगम की इकाईयां हैं। उनमें सेवाओं संबंधित नियम जो निगम के हैं, वो ही लागू होते हैं। ये नियम निगम के संचालक मण्डल द्वारा बनाए गए हैं। निगम के सेवा नियमों (सर्विस रूल्स) की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(13) चूरू तथा लाडनूं मिलों के कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। तालिका 'प'।

इस संबंध में यहां यह उल्लेख कर देना प्रासंगिक होगा कि अधिकांश व्यक्ति स्वेच्छा से ही गए हैं। कुछ तो काम नया व तकनीकी ढंग का है, और कुछ यह भी कि ये देहाती इलाके हैं। मजदूरों की भर्ती करके शुरू में उन्हें काम सिखाया जाता है, यदि वे सीख नहीं पाते अथवा काम में रुचि नहीं रखते तो उन्हें सेवारत नहीं रखना ही विकल्प होता है। अन्यथा मिलों म, जैसा कि पूर्व निवेदित है, कामगारों को हर संभव अवसर काम सीखने का व काम करने का उपलब्ध कराने का प्रयत्न रहता है।

(14) उक्त मिलों का निरीक्षण निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा किया गया :—

1. असिस्टन्ट कलेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज, जोधपुर।
2. सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेन्ट्रल एक्साइज, बीकानेर।
3. इन्सपेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज, चूरू।

(उद्योग मंत्री)

4. सुपरिन्टन्डेन्ट, सेन्ट्रल एक्साइज (पी० एन्ड आई०), जयपुर।

5. इन्सपेक्टर, फक्टरीज एन्ड बायलर्स, राजस्थान।

6. लेबर इन्सपेक्टर, राजस्थान।

(15) महालेखाकार द्वारा मिलों का सर्वांगीण निरीक्षण किया गया, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

1. मुख्य मशीनरी मैसर्स पर्ल मेकेनिकल इन्जीनियरिंग एण्ड फाउन्ड्री वर्क्स प्रा० लि०, लुधियाना द्वारा सप्लाई की गई है, जिस पर कुल लागत 18,34,762 रु० आई है।

2. भवन निर्माण का कार्य मैसर्स मंगल कनीराम, जयपुर द्वारा निष्पादित किया गया है, जिस पर कुल लागत रु० 4,18,064) आई है।

3. इलेक्ट्रिक इन्सटालेशन का कार्य मैसर्स इलेक्ट्रोलाइट्स, जयपुर द्वारा निष्पादित किया गया है, जिसके संबंध में रु० 1,62,952) का खर्चा हुआ है।

4. शेष अन्य सामान विभिन्न पार्टियों से क्रय किया गया है।

उक्त मिलों में घाटा होने के निम्न कारण हैं:—

1. केन्द्रीय उत्पादन कर जो 3.60 रु० प्रति किलो ग्राम है।

2. इनके साथ कोम्बिग यूनिटों का नम लगना तथा वूलटाप्स बाजार से खरीदे जाना।

3. मिलों को मेरीनो ऊन का कोटा उपलब्ध न होना।

4. मिलों में पूरी क्षमता में तकुओं का न लगना तथा तीनों पारियों में कार्य पूरे तौर पर न चलना।

5. माल की बाजार में मांग कभी कम होना क्योंकि यह सीजन नहीं है।

6. आरम्भ में इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो गस्टेशन पीरीयड होता है लाभ नहीं आंका जाता।

7. काम नया होने तथा टैक्नीकल ढंग का होने के कारण व पूर्ण अनुभव न होने से भी मिलों की गतिविधि प्रभावित हुई है।

8. टैक्निकल कार्य जानने वाले कुशल कारीगरों का अभाव।

9. पूरी तरह बिजली का उपलब्ध न होना।

10. तैयार माल को दूसरे राज्यों में भेजना क्योंकि राजस्थान में उद्योग इकाईयां पूरा माल उठाने में समर्थ नहीं हैं।

स्थगित प्रश्न

(29-8-69)

बाड़मेर जिले में कृषि की उन्नति के लिए कुओं का विद्युतिकरण

722. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में कृषि की उन्नति के लिहाज से किन किन गांवों में किन-किन

(श्री वृद्धिचन्द्र जेन)

व्यक्तियों के कितने-कितने कुओं का विद्युतिकरण किया गया ? सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विद्युत् बोर्ड के समक्ष कितने व्यक्तियों की कुओं का विद्युतिकरण की दरख्वास्तें पेन्डिग हैं ? सूची मय नाम व पते के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत् बोर्ड उक्त दरख्वास्तों के बारे में प्राथमिकता के आधार पर निणय लेता है ? यदि हां, तो उक्त कुओं का कब तक विद्युतिकरण करा देगा ?

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) सूची 'ब' संलग्न है।

(3) प्राथमिकता के आधार पर ही कुओं का विद्युतिकरण किया जाता है। आशा की जाती है कि इस साल अलग अलग गांवों में प्राथमिकता के अनुसार 150 कुओं का विद्युतिकरण कर दिया जावेगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय म रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(29-8-69)

जिला नागौर के गांवों में बिजली

727. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर के किन-किन गांवों में कब-कब बिजली दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि गांवों में बिजली देने के लिए आवश्यक है कि उन गांवों में खेती के कुओं पर बिजली दी जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों में ऐसे गांव कैसे लिये गये जिसमें खेती का कुआ एक भी नहीं है ?

(3) क्या सरकार ने कोई नीति निर्धारित कर रखी है कि इतनी मा ा में बिजली खर्च होने से या इतने कनेक्शन होने पर ट्रान्सफॉर्मर लगाकर बिजली दी जावेगी ? यदि हां, तो कितने कनेक्शन और कितनी बिजली खर्च होनी चाहिए ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कई गांवों में बिजली देने से विद्युत् मण्डल को घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों के स्थान पर अन्य गांवों में बिजली देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि नागौर जिले म कई गांव एसे भी हैं जिनमें बिजली की लाइनें पहुंच चुकी हैं और गांव वाले बिजली के लिये बराबर मांग कर रहे हैं यदि हां, तो कौन कौन से गांवों की मांग है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) उपरोक्त गांवों में जिन में बिजली दी जा चुकी है बिजली देने से पूर्व कितने कितने कनेक्शन की किस-किस काय के लिये मांग थी जिसके आधार पर उनको बिजली ी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(श्री विद्युत् मंत्री)

(2) गांवों का विद्युत्तिकरण योजना अनुसार किया जाता है जिसके अन्तर्गत सभी श्रणियों के विद्युत् उपभोग की सम्भावना है, आंकी जाती है और खेती वाले गांव को प्राथमिकता दी जाती है।

(3) विद्युत्तिकरण करने के लिए ट्रान्सफॉर्मर लगाना पड़ता है। अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर शक्तिभार की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

(4) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का लाभ हानि पूरे मण्डल के स्तर पर निकलता है।

(5) उपलब्ध सूची संलग्न है।

(6) ग्रामों का विद्युत्तिकरण करने के पहले तत्संबंधी प्रस्तावों में लेने वाले कनेक्शनों का ब्यौरा नहीं होता है। ग्रामों का विद्युत्तिकरण करने से पहले सर्वेक्षण करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। जिसकी स्वीकृति पर विद्युत्तिकरण किया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(29-8-69)

जिला गंगानगर में इन्तकाल के मामले

732. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में हर प्रकार के इन्तकाल बन्द किये गये हैं? यदि हां, तो यह आदेश कब व क्यों दिया गया है? आदेश के नम्बर व तारीख सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन्तकाल बन्द करने से काश्तकारों को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो ऐसा आदेश क्यों दिया गया है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जिला गंगानगर में हर प्रकार के इन्तकाल बन्द किए हुए हैं। इस जिले का 6 तहसीलों में भू-प्रबन्ध कार्य चालू है। जिसके नामान्तरकरण भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नियमानुसार किये जाते हैं। बाकी 6 तहसीलों में इन्तकाल नियमानुसार कियेजाते हैं।

(2) जब इन्तकाल बन्द नहीं है तो काश्तकारान को कष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(12.20 म० प०)

राष्ट्रपति द्वारा धन्यवाद का ज्ञापन

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। भारत के राष्ट्रपति महोदय को उनके निर्वाचन पर जो बधाई मेरे द्वारा 21 अगस्त, 1969 को भेजी गई थी उसका उत्तर प्राप्त हो गया है और वह इस प्रकार है:

"मेरे निर्वाचन पर भेजी आप तथा विधान सभा के अन्य सदस्यों की शुभकामनाओं के लिए मैं कृतज्ञ हूं। कृपया आप सब मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिये।"

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र ।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, म उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, 1967-68 तथा 1966-67 का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : आप एक ही प्रति सदन की मेज पर रख रहे हैं या सभी माननीय सदस्यों को भी सरक्यूलेट की जायेंगी ?

श्री शोभाराम : हमारे पास तो एक ही आई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : युनिर्वसिटीज की रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को अवेलेबल होनी चाहिये, जबकि यह हमारे विधान में प्रोविजन है । एक ही प्रति रखने से क्या लाभ है ? सदस्यों को जब तक पढने को नहीं मिलेगी यह बेकार की बात है ।

श्री शोभाराम : पार्टी लीडर्स को एक एक कॉपी दे दी जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो प्रिविलेज का सवाल है.....

श्री शोभाराम : इस वक्त तो एक कॉपी ही सदन की मेज पर रखी गई है। दस बीस इसकी प्रतिलिपियां करवाकर पार्टीज के नेताओं को सरक्यूलेट करदी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आखिर यह छपती है तो दो चार ही नहीं छपती हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, विशिष्ट दलों के नेताओं को एक एक प्रति दे दी जाय तीन इन्डीपेण्डेण्ट विधायकों के लिये और एक प्रति कम्युनिस्ट दल के नेता एवं सदस्य को दे दी जाय ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : हमारी पार्टी के सदस्यों के लिये भी दिला दीजिये ।

श्री भैरोंसिह : एक पार्टी के हन्ड्रेड पर्सेन्ट सदस्यों को कॉपी दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : समय पर लाभ मिलता ही है सभी बातों का लाभ उठाते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : यह रिपोर्ट तो सभी माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये नहीं तो यह हमारे मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें मूलभूत अधिकारों का प्रश्न नहीं है । मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है सभी दलों के नेताओं को एक एक प्रति दे दी जायगी उसके अलावा स्वतन्त्र सदस्यों को अलग अलग मिलेगी । दल के नताओं को देने के बाद कॉपियां बच जायें तो और माननीय सदस्यों को दे दी जायं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यदि यह वार्षिक प्रतिवेदन है तो सरकार को बाध्य तो नहीं कर सकते लेकिन सरकार को चाहिए कि सामान्यतया इसकी सौ कापियां सदन की मेज पर रखी जायं वह पूरे सदस्यों में वितरण के लिए पर्याप्त हो सकती हैं ।

श्री लाबूराम सुलानिया (फागी-सु०) : यह बात तो कानून के अन्तर्गत आती है जो भी सदन की मेज पर कागज आते हैं वह हमको भी मिलने चाहियें।

श्री अध्यक्ष : कानून के अन्तर्गत आती है वही समस्या हल हो रही है।

श्री शोभाराम : 100 प्रतियां सदन की मेज पर रख दी जायेंगी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री श्रीराम रावत (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, बन्ध मोरेल एवं उसकी नहरों के लिये अवाप्त की गई जमीन एवं पंचायत समिति, मलारना चौड में बनाई गई सड़कों में अवाप्त की गई जमीन का मुआवजा दिलाने तथा चणक्या दप लिफ्ट इर्रीगेशन योजना को कार्यान्वित कराने से संबंधित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पोहड़का के चक को कमाण्ड एरिया घोषित कराने से संबंधित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाई मानसिंह अस्पताल में हो रही अनियमितताओं से संबंधित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधायी कार्य

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1969 को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह कहा है कि कस्बा नोहर में सेकेण्डरी स्कूल के पास शराब का ठेका होने से आम जनता व विद्यार्थियों में असन्तोष है। यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

(2) इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी है जिसमें यह बतलाया गया है कि तहसील नोहर के कस्बा रावतसर में बिजली के कनेक्शन नहीं देने से जनता में असंतोष है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(3) श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा, ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें यह कहा गया है कि नीम

(श्री अध्यक्ष)

का थाना के कृषकों को बिजली के कनेक्शन दज के लिए जो प्रॉयोरिटी लिस्ट तैयार की गयी थी उसमें उन कृषकों के नाम नहीं हैं जिन्होंने सिक्योरिटी जमा करा दी है। इसके फलस्वरूप कृषकों में असंतोष है।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने ब्यावर में कृष्णा कपड़ा मिल में गैरकानूनी तरीके से तालाबन्दी करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) इन्हीं माननीय सदस्य ने जयपुर के राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एवं मालवीया इन्जीनियरिंग कॉलेज में छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) इसी विषय से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री केदारनाथ व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है।

(7) श्री लाभचन्द वैद व श्री रावतराम, सदस्य विधान सभा ने कस्बा बीदासर, छापर, चाड़वास, जिला चूरू में पीने के पानी की कमी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

(8) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि संविधान के आठव शिड्यूल में सिन्धी भाषा को मान्यता मिलने पर भी आज तक सिन्धी भाषी छात्र एवं छात्राओं की सुविधा के लिये अजमेर नगर के सिन्धी भाषी विद्यालयों म सिन्धी भाषा पढ़ाई जाने की व्यवस्था नहीं की गई है।

(9) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में मकराना के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

ये सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पेन्डिंग रखे गये थे ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने किशनगढ़ में दो अध्यापिकाओं व अध्यापक द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध भूख-हड़ताल करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि हड़ताल पर बैठे व्यक्तियों से समझौता हो गया है एवं दिनांक 21-8-69 को हड़ताल समाप्त हो गई है।

(2) श्री मदनसिंह दांता सदस्य, विधान सभा ने दांतारामगढ़ क्षेत्र के हरिजन की खातेदारी की भूमि को तहसीलदार द्वारा सवर्णों के नाम रजिस्ट्री करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की

(श्री अध्यक्ष)

सूचना दी थी यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(3) श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें पाली जिले में बने जवाई बान्ध की डूब में कई गांवों के काश्तकारों की भूमि आने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

(4) श्री मुकुटविहारीलाल, सदस्य, विधान सभा ने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी उसमें यह कहा गया है कि पंचायत समिति, वैर के विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें करने पर भी उसके स्थानान्तरण के आदेश रद्द कर दिये गये हैं। यह मामला एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध शिकायत का है।

(5) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह व श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थीं जिसमें जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम लक्ष्मीपुरा से कुछ वर्ष पूव एक महिला को जबरन पंजाब ले जाने से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय से मुकद्दमे को उठा लिये जाने से सम्बन्धित स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने से सम्बन्धित है।

(6) श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में पंचायत समिति, श्री माधोपुर, जिला सीकर में बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए ट्रान्सफॉर्मर्स के ओवरलोड होने व कृषकों को बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है।

(7) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन एवं अलगांव की भावनाओं का उल्लेख किया है। सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह विदित होता है कि क्षेत्रीय असन्तुलन नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखा गया है तथा इसको आंकड़ों से भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है

(8) श्री रामानन्द अग्रवा [illegible] विधान सभा ने कुम्हेर-डीग [illegible] जिला भरतपुर के विधायक [illegible] के संबंध में एक स्थगन प्र [illegible] दी थी। यह मामला राज्य [illegible] व्यवस्था कायम रखने से सम्ब [illegible]

ऐसी स्थिति में उपरोक्त स [illegible] प्रस्तावों को जो जानकारी के लिए [illegible] रखे गये थे उनको सदन में प्रस्तुत किये जा [illegible] की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक महिला को जबर्दस्ती उड़ा कर ले गये, कई साल बीत गये उसका पता नहीं । दो थानेदारों को पीट दिया गया, न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है और सरकार 366 में मुकद्दमा जो चल रहा था उस को वापिस लेने का आदेश देती है। यह जूडीशियरी का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है इन पर कोई वक्तव्य नहीं होगा। आपका भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया: लड़की बरामद नहीं हुई। थानदार पीटे गय। न्यायालय ने गिरफ्तारी के वारन्ट जारी किये। पर इसमें लड़की को उड़ाने में एक करोड़पति सेठ का हाथ होने से जो सरदार प्रतापसिंह कैरों का आदमी बताया जाता है राजनैतिक आधार पर सरकार उस केस को न्यायालय से उठा रही है। यह बहुत बड़ा न्यायालय का अपमान है। और लड़की का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय? आज तक वह बरामद नहीं हुई। न्यायालय ने गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया। पर सरकार इसमें भी हस्तक्षेप कर रही है। इस पर राज्य सरकार का वक्तव्य दिलाया [illegible]ये।

[illegible] मेरा बिजली के सम्बन्ध में है।

[illegible]: किसके सम्बन्ध में?

[illegible] गाड़िया: कोटा जिले की [illegible] में बिजली 16 तारीख से नहीं [illegible] गायब है। सारे लघु उद्योग [illegible]य हैं। हजारों मजदूर बेकार हो [illegible]।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। मैं अब निर्णय दूंगा उस पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, ब्यावर में कृष्णा मिल्स परसों से बन्द कर दी गई है। इससे पहले एडवड मिल्स बन्द हो गई। 1,500 आदमी उसके बकार हो गये इसके बन्द होने से 2,000 मजदूर और बेकार हो गये। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।

कृष्णा मिल में ले ऑफ का गैरकानूनी नोटिस लगाकर उसे मिल मालिक बन्द कर दिया है। इससे दो हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। कुल मिलाकर 3।। हजार मजदूर बेकार हो गय हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो भी हो, यह ले ऑफ बिल्कुल गैरकानूनी है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मिल मालिकों की तरफ से योजनाबद्ध तरीकों से मजदूरों को बेरोजगार करने के लिये और कलेक्टिवली गैर-कानूनी तरीके से उन पर वेज कट लादने के लिये यह सब कार्यवाही की जा रही है। यह जो तरीका है मिल मालिकों का गैर-कानूनी है और जिस तरह से गैरकानूनी हड़ताल मजदूर कर दें तो सरकार उनको गिरफ्तार करती है और उनके खिलाफ एक्शन लेती है, मुकद्दमा चलाती है। पर आज जो गैरकानूनी क़दम मिल मालिकों की तरफ से उठाये जा रहे हैं तो सरकार की तरफ से यह नहीं किया जा रहा है कि मिल मालिकों को गिरफ्तार किया जाय और उन पर मुकद्दमे चलाये जावें। तो मेरा कहना है मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। इस गैरकानूनी तालाबन्दी को खत्म करके कारखाने को चलाया जाना चाहिये।

दूसरा मैंने विद्यार्थियों के लिये स्थगन प्रस्ताव दिया है। तीन कॉलेजों के विद्यार्थी, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और महाराजा कॉलेज के, स्ट्राइक पर हैं और मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी भी स्ट्राइक पर हैं। इनकी मांगे हैं अपनी।

जहां तक मालवीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों की मांगों का सवाल है उसम एक तो यह है कि अगर वे एक दो सबजक्ट में थोड़े मार्क्स से फेल हो जाते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं तो सप्लीमन्ट्री का अवसर उनको दना चाहिये। जैसे दूसरे मेडिकल कॉलेज में हैं दूसरे पिलानी कॉलेज में हैं और दूसरी यनिवर्सिटियों के इन्जीनियरिंग कॉलेजों म हैं। तीन तीन हजार रुपया एक एक साल में उनको पढाई के लिये खर्च करना पड़ता है और एक सबजेक्ट में अगर दो नम्बर से भी पीछ रह गये तो एक साल पूरा उनका खराब होता है। उनकी मांग वाजिब है, उनको सप्लीमेन्ट्री की इजाजत मिलनी चाहिये।

दूसरी माननीय अध्यक्ष, ये जो दूसरे कॉलेजों के विद्यार्थी हैं उनकी आठ मांगें हैं और उनम सबसे प्रमुख मांग यह है कि सरकार ने जो कॉलेजों के प्रिन्सिपलों को जो यह पॉवर दी है कि वे चाहे जिस विद्यार्थी को कोई भी कारण बिना बताय दाखिला देने से इन्कार कर सकते हैं। यह जो पॉवर उनको दी गई है यह नहीं दी जानी चाहिये। इसके अलावा और भी सात मांगें हैं और कितने ही मामले हैं जिनकी वजह से विद्यार्थियों म आज तीव्र असंतोष है। यह मामला अभी जयपुर तक सीमित है। पर अगर इसे जल्दी नहीं सुलझाया गया तो सारे राजस्थान म फलन का भय है। वसे भी विद्यार्थियों के अन्दर आज बेरोजगारी को लेकर बड़ा असंतोष है और इसके विरोध म पांच तारीख को वे सांकेतिक हड़ताल करने के बारे म भी विचार कर रहे हैं।

तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध म आज एक वक्तव्य सदन म दिया जाय। शिक्षा मंत्रीजी बैठ ह। विद्यार्थी हड़ताल पर हैं और हमारी विधान सभा भी शायद आज समाप्त हो रही है। बाद म मौका नहीं मिलेगा हम। इसलिय शिक्षा मंत्रीजी आज ही इस पर अपना बयान दें और सरकार की इस ओर अपनाई जाने वाली नीति को पूरी तरह से स्पष्ट करें।

राजा मानसिंह के बारे में भी इस सदन म मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। ये यहां सदन के भी एक माननीय सदस्य हैं। इस बारे में यह कह कर कि यह एक प्रशासनिक मामला है और यहां नहीं लिया जा सकता है, उसे टाल दिया गया है।

म पूरी तरह सुन नहीं सका। पर उसे यहां इजाजत दी नहीं है। माननीय सदस्य के इस विधान सभा के एक सदस्य होने के नाते भी उनका कण्डक्ट कैसा होना चाहिये वह भी क्वेश्चनेबल है। इसके अलावा वे एक नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वे भी उनको पूरी करना ह। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा था कि राजा मानसिह गैरकानूनी तरीके से मवेशियों को जबर्दस्ती पकड़कर जुर्माना लोगों से लेकर छोड़ते हैं जबकि इस तरह के कोई अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: 5-5 रुपये, 50-50 रुपये वसूल करते हैं। जो लोग नहीं ते हैं, बन्दूक से उनके मवेशी मार ते हैं। पिस्तोल और बन्दूकें दिखा दिखा कर लोगों को डराते हैं पुलिस के साथ मिले हुये ह, झूठे मुकद्दम पुलिस म दर्ज कराय हैं। उसने लोगों के सामने यह कहा कि जो सदस्य सदन म इस सवाल को उठाते हैं तो हम उनको दख लग। उनके देख लेने से घबराहट नहीं, अध्यक्ष महोदय। उनका राज्य था तभी वे नहीं देख सके अब तो वे

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

क्या देख लेंगे ? मैंने तो कहा हम तो आपके सामने रहते हैं, आपके सामने क्वार्टर है। तीन भाइयों समेत आ जाना, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि एक सदस्य इस विधान सभा का सदस्य है और उनके खिलाफ संगीन आरोप हैं उन संगीन आरोपों को मोशन के रूप म लाया गया है, जिनको मोशन के रूप म जवाबतलबी की जानी चाहिय लेकिन उन बातों की कोई एन्क्वायरी नहीं कराई। पुलिस थाने म रिपोर्ट दर्ज है, पंचायत म रिपोर्ट दर्ज है। जनता से गैर कानूनी तरीके से पसा वसूल किया जा रहा है। 5 हजार, 8 हजार रुपया वसूल किया है, वह पंचायत म जमा कर, उन्हें ऐसा नोटिस मिला लेकिन उन्होंने नोटिस को लेने से इन्कार कर दिया। उनका राज्य न होते हुय भी उन्होंने जबरदस्ती एक स्टट कायम की हुई है......

(शोरगुल, अश्रव्य)

सिविल पॉवर, टेक्सेशन, पॉवर अपने हाथ म लिय हुए ह। क्या कारण हैं कि सुखाड़िया सरकार इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना चाहती। सिन्डीकेट की सेन्ट्रल में पुलिस है...

श्री अध्यक्ष: समाप्त कर, माननीय सदस्य।

(पुन: शोरगल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल: उसके तहत मैं समझता हूं सरकार कुछ कार्यवाही नहीं करना चाहती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय सदस्य के खिलाफ क्या एक्शन हो और क्या नहीं हो, यह बात महत्व की नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आज तालाबन्दी है। क्योंकि काफी मजदूर हड़ताल पर हैं। श्रम मंत्रीजी को चाहिये आज 5 बजे से पहले पहले या तो मिल मालिकों के खिलाफ एक्शन ले या मजदूरों के खिलाफ। अब जमाना नहीं है कि मजदूर काफी दिन तक हड़ताल पर रह सकें। आज बहुत महंगाई का जमाना है। आज का आज श्रम मंत्री जी को स्टेमेंट देना चाहिये। तीन हजार मजदूर बेकार हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैंने वर पंचायत को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आपने उस पर कृपा पूर्वक सरकार से जांच चाही है। आपने बताया यह एक आदमी के ट्रांसफर का ताल्लुक है। यह मिस रीडिंग हुआ है इसलिये मैं यहां पर यह कहने को खड़ा हुआ हूं कि पंचायत समिति तो चार्ज देने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ गबन के आरोप हैं। क्लेक्टर न डी० ओ० लिख दिया और 28, 28 सरपंचों ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया और इसके अलावा आपके राज्य सरकार के उप मंत्री महोदय श्री रामचरणजी वहां जाते हैं, उनके दौरे की कॉपी मेरे पास मौजद है, प्रस्ताव की नकल मौजूद है। वे वहां पर [×××]

श्री अध्यक्ष: ऑडर, ऑर्डर।

(माननीय सदस्य के बोलते रहने पर)

ऑडर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: यह लिखी हुई बात है.............

×××अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : खाम खां का ऐलीगेशन लगाते हैं, निराधार ऐलीगेशन नहीं लगाने चाहियें.....

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं. पहले तो स्थगन प्रस्ताव पर आप बोलने की स्थिति नहीं रखते हैं। म कुछ उदारवृत्ति से काम लेता हूं तो आप आरोप लगाने पर चले जाते हैं। यह सदन म कुछ नियमों के अनुकूल नहीं रहता है। व्यवस्था का प्रश्न है।[× × ×]वे डिफेन्ड करते हैं। मैं इन शब्दों को एक्सपंज करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने जो व्यवस्था दी है वह मैं सिर के ऊपर स्वीकार करता हूं। मैंने जिक्र किया है पंचायत समिति ने अपने प्रस्ताव में जिक्र किया है जिसकी असल कापी मेरे पास है। 28-28 सरपंचों ने दस्तखत किये हैं। जिसमें जिक्र किया है। वह मैं श कर चुका हूं । मैं कहना चाहता हूं इन उप-मंत्री महोदय ने सरे आम घोषणा की है कि ऐसे प्रधान को गोली से मार दिया जायगा, सरपंच को गोली से मार दिया जायगा ऐसा वातावरण बना रखा है। पंचायत समिति अपना चार्ज देने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ गबन के आरोप हैं...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक मिनिट में कहता हूं। अध्यक्ष महोदय ऐसी बात समझ में नहीं आई। इसलिये आप कृपा पूर्वक सरकार से कहें कि....

श्री अध्यक्ष : अबकी बार, अबकी बार। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गलत तरीके से अपने पावर्स इस्तेमाल न करें..

श्री अध्यक्ष : सरकार संकेत ले ले ।

(माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे)

मने संकेत के लिये कह दिया है...

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : दूसरा अध्यक्ष महोदय, राजा मानसिंह के स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : इस पर भाषण नहीं होगा। माननीय रामानन्द जी ने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, वह राजा मान सिंह कहता है मैं दामोदर जी को तो अपनी जेब में रखता हूं, आई० जी० मेरे साथ शराब पीते हैं....

श्री अध्यक्ष : क्यों ख्वाम ख्वाह ऐसी बाते लाते ह। मैं उसको आधार नहीं मानता हूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : इस प्रकार के भीषण आरोप उन पर हैं। जनता के साथ घोर अत्याचार है, लोगों को मारा जाता है। अध्यक्ष महोदय बहिन बेटियों की इज्जत खतरे में है। शराब पी पी कर घूमा करते हैं। लोगों को बन्दूकें और पिस्तोल दिखा दिखा कर डराते हैं आखिर यह गोली उनकी कब तक चलेगी? बन्दूकों से लोगों के मवेशियों को मारा जाता है! वे कहते हैं दामोदर जी तो हमारी जेब में हैं। आज भी बन्दूकों के डर से लोगों को धमकाया जाता

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

Page No 110

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

है। आज उनका राज्य है, उनके भाईयों का राज्य है, उनके भतीजों का राज्य है। यह बात तो हम देखेंगे मैदान में। उन्होंने मेरे को मारने के लिये कहा, माननीय रामानन्द जी को मारने के लिये कहा....

श्री अध्यक्ष : आपको गोली से कोई नहीं मारेगा।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार ऐसे मामलों में आगे आये और कम से कम...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गरीब जनता की संरक्षण के लिये कुछ करें। मेरी समझ म नहीं आया माननीय दामोदरजी आप उनकी जब म कैसे हैं ? मैं नम्रता पूवक निवेदन करना चाहता हूं गरीब जनता के साथ न्याय होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : आपकी इजाजत से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं । कल माननीय रामानन्दजी मुझ से मिले थे। राजा मानसिंह की स्थिति से मैंने उन्हें अवगत कराया जिनको एन्क्वायरी के लिय भजा था वे उपस्थित नहीं हुये थे। अब मैं यहां से एन्क्वायरी आफिसर भेज दूंगा। आप एलीगेशन्स की डिटेल्स, नाम वगैरह लिख कर दे दें मैंने कल ही उनको सारी बात कहदी थी और मैंने कल ही कहा है एन्क्वायरी ओफिसर यहां से भेजकर जानकारी कराऊंगा और आपने मुझ वायदा किया है कि आप मुझ सारी डिटेल्स देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं विधान सभा म कहलवाना चाहता था। डिटेल्स सारी तैयार हैं, आपको मिल जायगी। जहां तक एन्क्वायरी ओफिसर की बात है आपने उस डीवाई० एस० पी० को भेजा जिसके खिलाफ शिकायत है ।

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री देवीदत गाडिया (बारां): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय गाडियाजी, आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत गाडिया : यह केस विथ-ड्रा क्यों किया जाय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य (जोर की अवाज में) कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस प्रकार राजस्थान की....

श्री अध्यक्ष: ओर्डर प्लीज, आर्डर ।

(माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे)

आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री देवीदत्त गाडिया: यह केस क्यों उठाया जाय...

श्री अध्यक्ष: अंकित न किया जाय ।

श्री देवीदत्त गाडिया: XXXX

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे व्यवस्था दें बोलने की..पेय जल का जहां संकट है, वहां

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

(श्री लाभचन्द वैद)

आपका सवाल आता है अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। पेय जल का ही लोक महत्व का नहीं है तो फिर कौनसा प्रश्न महत्व का होगा ? वहां पर पीने को पानी नहीं मिले, चार आने बाल्टी पानी मिले...

श्री अध्यक्ष : वह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अब आप बोल दीजिये।

श्री लाभचन्द वैद: चार आना बाल्टी मिलती है। पानी के अभाव में जनता त्रस्त हो रही है। बहुत दफा डेलीगेशन के रूप में मिला, बहुत दफा निजी हैसियत से मिला लेकिन आज तक सुनाई नहीं हुई है। मैंने कई दफा सवाल उठाया है लेकिन आज तक, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हल नहीं हुआ है। उसको राजनैतिक दृष्टिकोण से बिगाड़ा जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, तीन जगह का सवाल है, आप तीनों जगहों के लिए एक साथ जल प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम एक एक जगह की पूर्ति तो करते।

श्री अध्यक्ष : स्थान गृहण कर, माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह (मकराना): अध्यक्ष महोदय, मकराना के बारे में जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है कि मकराना के लोगों को जो पाकिस्तान जाना चाहते ह उनको पासपोट सरल तरीके से नहीं मिलता और जब वह पासपोर्ट के लिए एप्लाई करते हैं तो उनको चार-चार महीने तक नहीं मिलता। यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की दीवालिया नीति ने देश के दो टुकड़े करवाये और उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में बैठे हैं वह उनसे मिलना चाहते हैं, कोई आदमी खत्म हो जाता है तो वहां पर जाना चाहते हैं, किसी शादी म जाना चाहते ह तो पुलिस पहले रिश्वत लेती है और रिश्वत भी हमारे बहुमूल्य संगमरमर के पत्थरों की। अगर वह संगमरमर इस विधान सभा म लगाते तो आपकी भी शान होती और माननीय सदस्यों की भी शान होती.....

श्री अध्यक्ष : हम तो मानते हैं कि एक-विधायक वहां के हैं वह लगवा देंगे कभी न कभी।

श्री विजयसिंह: तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी डिपार्टमेंट को इन्क्वायरी करनी है वह एक साथ कर लेनी चाहिए। इसके अन्दर बारबार पूछा जाये कि आपने 10 पैसे का टिकट नहीं लगाया और यह नहीं किया इस प्रकार की टालमटोल नहीं होनी चाहिए और डिपार्टमेंट इस प्रकार की अव्यवस्था रखता है इस प्रकार का नहीं होना चाहिये। लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पासपोर्ट लेने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारा राज्य और हमारा ेश धर्म निर्पेक्ष राज्य है और किसी जाति विशेष के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए जब कि मुन्नालाल आर्य जर्मनी वगैरह जा रहे हैं और उनको फौरन पासपोर्ट मिल गया और मकराना के लोगों को चार-चार महीने तक पास-पोर्ट नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर शिक्षा मंत्री जी ह। जब से हमारी सिन्धी भाषा भारत के संविधान के 8वें अनुच्छेद में आई है आपको मालूम है कि हमारे अजमेर में करीब 75 प्रतिशत सिन्धी हैं। जो सिन्धी टीचर्स हैं उनको लोकल स्कूलों में भेज देते हैं और जो लोकल टीचर्स हैं उनको सिन्धी स्कूलों में भेजा जाता है। कितना भी शिक्षक प्रवीण पंडित हो, कितनी भी शिक्षा प्राप्त किया हुआ हो तो भी जो मातृभाषा होती है उसके प्रयोग की आवश्यकता किसी न किसी लैंग्वेज में आ जाती है। किसी भी बच्चे को किसी मीनिंग का पता नहीं होता तो वह मदर लग्वेज म उसको प्रकट कर सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि लोक महत्व का प्रस्ताव नहीं है पर 8वें शिड्यूल में आने के बाद जितना बलिदान सिन्ध प्रान्त ने किया उतना किसी में नहीं किया। पंजाब आधा हुआ, बंगाल आधा हुआ लेकिन सिन्ध पूरा का पूरा हराभरा और नदियों से सुसज्जित और भारत के कल्याणार्थ वहां के लोग भारत में आये और वह अपनी मेहनत से, अपने संगठन से ऊंच उठे और उच्च कोटि तक पहुंचने की सम्भावना करते हैं तो मेरी प्राथना है कि सिन्धी भाषी स्कूल हों उनमें विशेष व्यवस्था की जाय जिससे कि सिन्धी का प्रसार हो और सिन्धी भाषा जितनी संस्कृत के निकट है उतनी कोई भाषा नहीं है। इसलिए संस्कृत के साथ ही साथ जो लोक सभा में भी आया कि सिन्धी को रखें तो उसकी यूनीवर्सिटी कम से कम बना दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर।

गृह मंत्री जी केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री के अजमेर के दौरे से संबंधित मामले के ऊपर वक्तव्य देंगे।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

गृह मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री के अजमेर के दौरे से संबंधित मामले पर गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : श्री मौहम्मद शफी कुरेशी जो स्टील और हैवी इन्जीनियरिंग के केन्द्रीय उप-मंत्री हैं तारीख 1-9-69 को प्रातः काल दिल्ली से अजमेर आये। उनके साथ सात व्यक्तियों की पार्टी थी जिसमें पाक नागरिक श्री अजीज-उल्ला कादरी उम्र 55 साल उनकी पाक नागरिक पत्नी श्रीमती ताहिरा बेगम उम्र 21 साल और सात वर्ष और 9 महीने की उम्र के दो बालक भी थ।

इनमें से श्री अजीज उल्ला पिछले वर्ष के उर्स के समय भी जियारत के लिये अजमेर आये थे। अतः उनके वीसा के लिये पूछताछ की गई तो केन्द्रीय उप-मंत्रीजी ने बतलाया कि यह परिवार उनके साथ आया है और उनके-सफर-के डोकुमेन्ट्स भूल से दिल्ली ही रह गये हैं। केन्द्रीय उप-मंत्रीजी ने अपने कथन के समर्थन में यह लिखकर मुकामी पुलिस को दे दिया कि....

"He is staying with me in New Delhi, He has come from Pakistan...

Page No 113

(श्री दामोदरलाल व्यास)

under valid passport today the 1st September, 1969. He accompanied me to Dargah Hazrat Khwaja at Ajmer. Unfortunately, his papers are lying in New Delhi. I shall check up party's visa at Delhi and let concerned authorities know about it. Peer Saheb is accompanied by...."

श्री भैंरोंसिंह: साफ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं यह नहीं कहता कि आपकी आवाज डिफेक्टिव है या माईक डिफेक्टिव है, आवाज नहीं आ रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास: केन्द्रीय उप-मंत्री जी ने अपने कथन के समर्थन में यह लिखकर मुकामी पुलिस को दे दिया कि:

"He is staying with me in New Delhi. He has come from Pakistan under valid passport today the 1st September 1969. He accompanided me to Dargah Hazrat Khwaja at Ajmer. Unfortunately, his papers are lying in New Delhi. I shall check up party's visa at Delhi and let concerned authorities know about it. Peer Saheb is accompanied by his wife aged 21 years Tahira Begum and two minor children Razia aged about 7 years and Madni aged about 9 months. Their visas will also be checked in Delhi and information conveyed accordingly. I have requested the Addl. Superintendent of Police to allow him and his family to proceed to Delhi."

उप-मंत्रीजी के इस आलेख के आधार पर पीर अजीज उल्ला और उनके परिवार को दिल्ली लौटने की इजाजत दे दी गई और दिल्ली की सी० आई० डी० को यह सब सूचना दे दी गई ताकि वे श्री अजीज उल्ला और उनके परिवार के डोकुमेंट्स के बाबत जरूरी तस्दीक और आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री भैंरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव रखा था उस स्थगन प्रस्ताव में दो मुख्य बातें थीं। एक तो जो व्यक्ति अजमेर आये उन लोगों के पास वीसा, पासपोर्ट नहीं था। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय चुप हैं.....

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ?

श्री भैंरोंसिंह: आपने अभी तक नहीं बताया कि दिल्ली में जाकर इसकी जांच कर ली गई और जांच से यह तथ्य सामने आये हैं कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई वीसा था। अब, अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस संबंध में अजमेर पुलिस की इस बात की तो तारीफ करूंगा कि उन्होंने ज्योंहि उनको इस बात की सूचना मिली कि कुछ पाकिस्तान के नागरिक बिना पासपोर्ट या वीसा के अजमेर में आये हुए हैं उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि उप-मंत्री महोदय के साथ हैं लेकिन फिर भी वह जाकर उनसे दरयाफ्त करने लगे। उनसे वीसा के संबंध में जानकारी की और मुझे अफसोस इस बात का है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि फॉरेनर्स एक्ट के मातहत जितनी अनियमिततायें हुई हैं उन सब के अन्तर्गत इन व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया

(श्री भैरोंसिंह)

जाये। लेकिन जब वह उनकी जानकारी करने के लिए पहुंचे कि वीसा बताइये तो पहले प्रश्न पर ही उनको जवाब दिया गया है कि आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है यह मेरे साथ हैं, मैं केन्द्रीय सरकार का उप-मंत्री हूं, आप लोगों को पता नहीं कि मैं सरकार चलाता हूं और मेरे साथ के व्यक्तियों को किसी प्रकार की आइडेन्टीफिकेशन पूछने का अख्तियार तुमको नहीं है। तो उन पुलिस अधिकारियों को उप-मंत्री जी ने अपना रौब दिखाया तो पहले तो वे चुप रहे और बाद में कहने लगे कि हम जाने नहीं देंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन इनको नहीं जान देंगे। या तो वीसा बतायें या कोई परमिट बतायें उसी हालत में हम मूव करने देंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जहां पुलिस के अल्प वैतनिक कर्मचारियों ने इस प्रकार का साहस दिखाया वहां उप-मंत्री के रौब में राजस्थान की सरकार आ गयी, केन्द्रीय सरकार आ गयी और उप-मंत्री के रौब में अजमेर के बड़ अधिकारी आ गय और उन लोगों को जाने दिया....

(1.00 म० प०)

मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न कोई नया नहीं है, यह मामला कोई चोरी या डकैती का मामला नहीं है, यह मामला कोई अपहरण का मामला नहीं है। आप लोगों को इस तरह की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से लगी हो या आपके स्वयंम् के इन्टेलिजेन्स विभाग की जानकारी से यह आपको मालूम हुआ होगा कि पाकिस्तान ने अभी अभी पिछले दिनों कुछ पाकिस्तानी वैश्याओं, कुछ महिलाओं को हिन्दुस्तान भेजा है। वे महिलाएं स्थान स्थान पर गई हैं। उनके साथ में कुछ पाकिस्तानी लोग भी आये हैं तो क्या आपने कभी इस बात की भी जानकारी की है, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि वे किस प्रकार से हिन्दुस्तान में आई हैं किन लोगों से मिलने के लिए गई हैं और हिन्दुस्तान में किस परपज से आई हैं? अफसोस इस बात का है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने सिर्फ यह कह कर संतोष कर लिया कि कुरेशी ने पत्र लिखकर यह कहा कि वीसा और कागज वहां भूलकर आगये हैं। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि क्या यह कानून में प्रॉवीजन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हिन्दुस्तान में फॉरेनस एक्ट में आता है तो चाहे वह दिल्ली में घूमेगा और कहीं तो वह वेलिड डोक्यूमेन्ट्स साथ में लेकर चले। अगर लेकर नहीं चलता है तो यह कानून का वायेलेशन है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी वीसा लेकर हिन्दुस्तान में आ जाता है तो कानून के अन्तगत उसको परमिट लेना पड़ता है यदि वह दिल्ली से जयपुर जाना चाहता है या दिल्ली से अजमेर जाना चाहता है तो या तो उसको उस जगह का वीसा बनवाना चाहिए था। यदि हिन्दुस्तान का कोई आदमी पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान में किस किस स्थान की वह यात्रा करना चाहता है वे सारे स्थान वह इन्डीकेट कर देगा। यदि वह उस समय इन्डीकेट नहीं करता है तो वह वीसा और पासपोट के साथ सिविल आथोरिटीज हैं उन सिविल आथोरिटीज को एप्लीकेशन देता है कि वह इस स्थान पर जाना चाहता है और उसका परमिट लेता है। तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से केटगोरिकली यह बात पूछना चाहूंगा कि यदि आप यह कह कि वीसा था तो क्या आप यह कह सकते हैं कि उसके पास अजमेर आने का परमिट था? उनके पास न तो

(श्री भैरोंसिंह)

अजमेर आने का परमिट था और न वीसा था, बल्कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार केन्द्रीय उप-मंत्रीजी को इसलिए बचाव की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान से जो लोग आये थे उनके पास न तो पासपोर्ट था और न वीसा था, लेकिन उनके नाम से अन्य लोगों का वीसा देख लिया और उस नागरिक को दिल्ली के लिए टाल दिया जाय और यह साबित कर दिया जाय कि ये लोग वीसा लेकर आये थे जबवीसा नहीं था, परमिट नहीं था, उनके पास वेलिड डॉक्यूमेन्ट्स नहीं थे तो आपकी पुलिस के द्वारा उन लोगों को उसी समय गिरफ्तार नहीं किया गया और केन्द्रीय उप-मंत्री कुरेशी के दबाव में आकर उन लोगों को छोड़ दिया।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मैं इन कुरेशी साहब का सन् 47 और सन् 65 में रोल किस प्रकार का रहा है। इनकी किस प्रकार से हिन्दुस्तान के साथ में हमदर्दी रही है और पाकिस्तान को किस प्रकार से इन्होंने मदद दी है, हिन्दुस्तान की फाइलें इनके सम्बन्ध म भरी हुई हैं। गुप्तचर विभाग ने समय समय पर हिन्दुस्तान की सरकार को इनके संबंध में किस प्रकार से कहा है। वे दरगाह शरीफ के दर्शन करने आयें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रकार से एक उत्तरदायी मंत्री द्वारा लिखकर गुप्तचर विभाग के काम में बाधा पहुंचाई जाती है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हिन्दुस्तान और राजस्थान की सरकारें आज भी ऐसे राष्ट्रीय प्रश्नों पर सतर्क नहीं ह, और सतर्क यदि होती हैं तो कोई गरीब आदमी मिल जाता है तो हमारे गृह मंत्रीजी उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और कहते कि हमने पाकिस्तान का एक गुप्तचर पकड़ा है और गृह मंत्रीजी पुलिस की तारीफ करते कि राजस्थान की पुलिस ने एक गप्तचर को सीमातिक्रमण करते हुए पकड़ा है, एक गुप्तचर जयपुर में पकड़ लिया, अपना फोटो छपवाते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान पत्रिका और राष्ट्रदूत के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया होगा कि यदि इसकी खबर छप गई और लोगों को इसकी खबर लग गई और यह खबर छपी तो मुश्किल हो जायगी। आप छोटे छोटे व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है कि जो पाकिस्तान से आते हैं उनको वेलिड पासपोर्ट होते हुए भी थोड़ी सी गलती पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं जानकारी करना चाहता हूं कि वे पाकिस्तान से आये थे तो उन्होंने नियमों के अनुसार पुलिस को और सिविल आथोरिटीज को रिपोर्ट दी कि हम लोग पाकिस्तान से आये हैं और हमारे पास वीसा है और हम दरगाह शरीफ के दर्शन करने आये हैं। क्या उन्होंने इस बात की सूचना दी? यदि नहीं दी तो इन नियमों के उल्लंघन के बारे में उन पर क्या एक्शन लिया गया? क्या कोई व्यक्ति बिना वीसा के हिन्दुस्तान में आ सकता है? वह हिन्दुस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता है। उन्होंने वीसा नहीं बताया, उनका वीसा नहीं दखा, उनका आइडेन्टिफिकेशन नहीं किया गया तो इनके उल्लंघन के बारे में क्या एक्शन लिया? वे बिना परमिट के अजमेर में आये, इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया? वीसा के सम्बन्ध में अभी तक आपने तस्दीक नहीं की। मेरी जानकारी में यह आया है कि उनके

(श्री भरतसिंह)

पास वीसा नहीं था और इसलिए गृह मंत्री जी यह बात नहीं कहते कि कुरेशी साहब ने जो कुछ कहा है उसी आधार पर मान लिया। ये कह रहे हैं कि वीसा आपके पास था। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री को इतनी नॉलिज तो होना चाहिए कि कोई भी यदि उनके साथ में जाता है तो वेलिड डाक्यूमेंट्स लेकर जाये, लेकिन हिन्दुस्तान के मंत्री महोदय कानून जानें या न जानें लेकिन कानून की अवहेलना करने की उनकी आदत है, इसलिए मैं इस सदन के मारफत भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार का एक उप-मंत्री बिना वीसा और परमिट के पाकिस्तानी नागरिक को हिन्दुस्तान की यात्रा करायें तो वह अपने आप में एक अपराध है, और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

राजस्थान सरकार फिर भी मौन होकर बैठी है। उसने आज तक किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकद्दमा नहीं बनाया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कार्यवाही नहीं की, इससे ज्यादा राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान सरकार के लिए कोई शर्म की बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में स्पष्टिकरण मांगा है। वही तो प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, केवल मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि दिल्ली आये तब उनके पास वीसा मिला या नहीं, इसका माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में कोई जिक्र नहीं किया है। मैं यह तो नहीं मानता कि किसी दूसरे आदमी का वीसा दिखाया जा सकता है, क्योंकि पासपोर्ट पर फोटो होता है और उसकी बुनियाद पर वीसा जारी किया जाता है। ऐसा भी पॉसीबल है नहीं कि यदि वीसा है और वीसा भूलकर आये थे तो रेग्युलेराइजेशन की बात हो सकती है और ज्यादा गम्भीर मामला नहीं रहता है, और अगर वीसा नहीं है तो बात जरूर गम्भीर है, और काफी गम्भीर है। तो इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह बतानी चाहिए दिल्ली जाकर क्या हुआ? इसलिए माननीय मंत्रीजी इस पर पूर्ण प्रकाश डालें ताकि गलतफहमी न हो और किसी के साथ जबरदस्ती की कार्यवाही भी न हो और कोई आदमी उसका दुरुपयोग भी न कर सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने इस मामले को लेकर जो कुछ प्रश्न उठाये हैं मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि पुलिस की तरफ से या राजस्थान सरकार की तरफ से कोई गफलत या लापरवाही या जानबूझकर चश्मपोशी नहीं की गई है, बल्कि उस मसले की अहमियत को ज्यादा अच्छी तरह से राजस्थान सरकार जानती है, और इस मसले की अहमियत को जानते हुए पूरी कार्यवाही की गई है। रहा सवाल इस बात का कि आप सिर्फ इस बात से खुश होते यदि उसको गिरफ्तार किया जाता, उसको जलील किया जाता, अगर यह नियत है तो राजस्थान सरकार इसमें पार्टी बनना पसन्द नहीं करेगी। सिर्फ इसमें देखना यह है कि जिस आदमी के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पासपोर्ट का सवाल था वह पासपोर्ट लेकर आया था या नहीं आया था इसकी यहां से रवानगी से पहले तस्दीक कर ली जाय। उसका पासपोर्ट दिल्ली तक का था। इसलिए यह सवाल ठीक नहीं कि पासपोर्ट नहीं था। यह सवाल माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी आम तौर पर बताने में जरा मेरी मजबूरी हो सकती है। इसलिए विधान सभा में मेरी मजबूरी हो सकती है कि बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अन्जाम गहरा हो। इसलिए यह कहना कि डिप्टी मिनिस्टर कुरैशी ने जानबूझकर किसी पासपोर्ट एक्ट या फोरेनर्स एक्ट की अवहेलना करते रहे हैं, और मौजूदा केस में तो हमने यह हिदायत बरती है कि जसे ही उनको रवाना किया है दिल्ली को तो दिल्ली की सी०आई० डी० की स्पेशल ब्रान्च, इन्टलिजेन्स ब्रान्च को हमने बराबर उसकी सूचना दी है, और हम बराबर उनके कान्टेक्ट में हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही या रियायत की हो ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह : आपको दिल्ली की सरकार से यह सूचना मिली है कि उनके पास वीसा है और अजमेर आने का परमिट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : दिल्ली की सरकार की बात नहीं है। मैंने मिनिस्ट्री ओफ होम अफेयर्स से बात की है।

श्री भैरोंसिह : क्या आपको इस बात की सूचना मिली है दिल्ली गवर्नमट से, सेन्ट्रल गवर्नमट से, चाहे कोई डिपाटमट हो उनसे, कि इनके पास वीसा है और उस वीसा में उनको अजमेर जाने का परमिट इनको मिला हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो आपसे बात कही है वह स्पेशल ब्रान्च के लिए कही है और स्पेशल ब्रान्च से यह पता लगाया है कि वेलिड पासपोर्ट उनके पास था।

श्री भैरोंसिह : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह बात पूछ रहा हूं कि आप दूसरों को गिरफ्तार करते हैं तो उनको क्यों नहीं किया? मैं यह मानता हूं कि उनके पास सही वेलिड पासपोर्ट था पर क्या अजमेर आने का परमिट था?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि उसके लिए इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेंट को कह दिया है और वे चैक करके जवाब देंगे।

श्री भैरोंसिह : कब जवाब देंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमने बराबर उनको इमीजिएटली कह दिया है कि इसकी तलाश की जाय कि परमिट है कि नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो कार्यवाही के लिए लिख दिया है। वे कार्यवाही करेंगे अगर नहीं होगा तो।

श्री भैरोंसिह : क्या उनके पास वीसा था?

श्री दामोदरलाल व्यास : वीसे से आप मतलब क्या समझते हैं?

श्री भैरोंसिह : जो मतलब आप समझते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पासपोर्ट समझता हूं वीसा नहीं समझता।

श्री भैरोंसिह : आप बताईये कि वीसा था या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि उनके पास वीसा और पासपोर्ट दोनों ही नहीं थे अजमेर आने के।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी तक जो जानकारी की है उस जानकारी के बिना पर उनके पास वीसा था या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितनी जानकारी मेरे पास थी, वह बतादी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, म टालरेट नहीं करूंगा। पहले तो आपने कहा कि उनके पास वेलिड डोकूमेंटस थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अगर उनके पास वीसा नहीं होता तो उनका एन्ट्रेन्स यहां पर नहीं हो सकता था। अगर वह रेल से आते तो अमृतसर से आगे नहीं चल सकते थे। अगर हवाई जहाज से आये थे तो पोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे। वीसा के बगैर कुरेशी साहब के साथ नहीं जा सकते थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंन स्पेशल ब्रांच से पूछकर पता लगाया है, वह वेलिड पास्पोर्ट से इण्डिया में आये थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाया गया है, उसका माननीय गृहमंत्री जी ठीक उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न सीधा सादा है। पासपोर्ट बनता है तो पहले उसकी तस्दीक होती है। मेरे पास हजारों पासपोर्ट तस्दीक करने के लिए आते हैं। 15 हजार पासपोर्ट की तस्दीक की है। तस्दीक करने के बाद सरकार उसको बनाती है। उसको होम डिपार्टमेन्ट का सैकेट्री बना देगा। फिर पाकिस्तान हाई कमिश्नर से वीसा के लिए इजाजत चाही जाएगी। इजाजत दे दगे तो उसमें यह भी लिख दिया जाएगा कि इन इन प्लेसेज में विजिट की जा सक्ती है। जिन प्लेसेज में विजिट करने की परमीशन मिलती है, उन्हीं में वह विजिट कर सक्ता है। परमीशन मिलती है तभी आप पाकिस्तान में चाहे जहां घूम सकते हैं। आप यह कहते हैं कि वह वेलिड पासपोर्ट से आये थे। उसके साथ में एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पैदा होता है कि वह वेलिड पासपोर्ट से स्पेसिफिक्ली हिन्दुस्तान में कब आये। इन्ट्रीज में जो कोलम्स ह, उनमें कौन कौन सी प्लेसेज मशन थीं। अजमेर मेंशन था या नहीं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना): पासपोर्ट कभी भी ले सक्ते हैं। पासपोर्ट 10 साल के लिए हो सक्ता है। वीसा होना चाहिए। वीसे में यह लिखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया। आर्डर, ओर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि वह वेलिड पासपोर्ट से आये थे। पासपोर्ट बनवा लिया तो उससे वह कण्ट्री में हर जगह विजिट नहीं कर सकते हैं। पर्टीकुलर प्लेसेज के अलावा वह और जगह विजिट नहीं कर सकते हैं। अगर वह विजिट करते हैं तो वह ओफेंस करते हैं। वह जुर्म है। उसमें 5 साल की सजा हो सकती है। माननीय गृहमन्त्री इसको हलके तौर पर ले रहे हैं। यह बात सही है कि वह गृहमन्त्री हैं। रजाकारों के मूवमेंट के समय यही कुरेशी साहब थे। उनको इस प्रकार से प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लोग ओफेंस करते हैं। यह ब्रीच आफ फोरिनर्स एक्ट है। Section 14 of the Foreigners' Act says:—

"If any person contravenes the provisions of this Act or of any order made thereunder or any direction given in pursuance of this Act or such order, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine, and if such person has entered into a bond in pursuance of clause (f) of sub-section (2) of section 3, his bond shall be forfeited, and any person bound thereby shall pay the penalty thereof, or show cause to the satisfaction of the convicting court why such penalty should not be paid."

यह पैनल्टी का यह प्रॉविजन एक्ट में दिया है। पांच साल से ज्यादा की सजा भले ही हो। क्या आप ने उनसे बॉड लिखाया है। जो बिना डाकुमेंट के अजमेर में आये थे। किस प्रकार का बॉड पुलिस ने भरवाया था। इस सिलसिले में अब लेटस्ट पोजीशन क्या है। वीसा है या नहीं। परमिट है या या नहीं। पासपोर्ट की मियाद कब से कब तक थी? इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जानकारी दे दी जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये पाकिस्तान से इण्डिया वैलिड पासपोर्ट से आये थे। अब इस बारे में विशेष जानकारी की है। उनका वीसा वेलिड फॉर श्री मन्थ्स दिल्ली के लिए था। अब रहा सवाल यह कि उन्होंने परमीशन ली या नहीं ली है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की है? मुकद्मा क्यों नहीं बनाया है? माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकती है। हमने यह जानकारी कर ली है। जो लोग अजमेर आये थे वह दिल्ली सी० आई० डी० की निगरानी में पहुंच गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ने पहले यह क्यों नहीं बता दिया कि दिल्ली का वीसा था। यह आप ने पहले क्यों नहीं कह दिया था?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: क्या यह सही है कि दिल्ली से आये थे उसकी मियाद खत्म हो चुकी थी?

श्री दामोदरलाल व्यास: उन्होंने 20 अगस्त को ही लिया है।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि उनके पास दिल्ली आन का वीसा नहीं था?

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने यह कहा है कि यहां की स्पशल ब्रांच ने पता लगाया है। यह जानकारी मिली है कि वह सर्नवाल रूट से आये थे।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और बता दें कि जब किसी व्यक्ति के पास वीसा या वेलिड डाक्यूमेंट नहीं था तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? छोड़ा क्यों गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां से भेजा गया है। जब वह कहते हैं कि हमारे डाक्युमेंट दिल्ली में रह गये हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं थी कि उनको लेने के लिए वह दिल्ली जाते। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है जब वह दिल्ली पहुंच जायें तो दिल्ली इण्टैलीजेंस में उनको ले लिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि वहां जाने के बाद डाक्युमेंट मिले या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह दिल्ली पुलिस जांच कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये, जब वह बिना परमिट के अजमेर आये तो क्या यह राजस्थान सरकार के गृह मंत्री की दृष्टि में ऑफेन्स नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर वह बिना परमिट के आये तो बराबर ऑफेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें अगर मगर का क्या सवाल है ? मैं पूछ रहा हूं जब वह बिना परमिट के अजमेर आये तो क्या गृह मंत्रीजी की दृष्टि में ऑफेन्स नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर मगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर बिना परमिट के आये तो बराबर ऑफेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस बात की जांच की कि क्यों वह बिना परमिट के आये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने कहा कि डाक्यूमेंट तसदीक होने के लिए...

श्री भैरोंसिंह : जांच से क्या साबित होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को टालमटोल करने की कोशिश की जा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : टालमटोल करने की कोशिश नहीं की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं उससे वह परमिट से आये या नहीं, यह मालूम नहीं होता। इस मामले में भारत सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों षड्यंत्र करके उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी वही हैं, पाक नागरिक दिल्ली में हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : वह निगरानी में हैं, उनकी निगरानी हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, कतई।

श्री अध्यक्ष : जो ऑफेन्स है वह अब होता है तो उन पर मुकद्दमा चल सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल चल सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑफेन्स अजमेर में बना, अजमेर वह बिना परमिट के आये तो क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से अनुमति मांगी है कि

(श्री भैरोंसिंह)

क्योंकि यह बिना परमिट के आये हैं इसलिए इनके खिलाफ केस रजिस्टर करने की अनुमति दी जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भारत सरकार को राजस्थान सरकार ने सूचना दी है। यह कन्टीनुअस ऑफेन्स है, इसमें मुकद्दमा अजमेर में भी बन सकता है और दिल्ली में भी बन सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर में बन सकता है, दिल्ली में क्यों बन सकता है ऑफेन्स अजमेर में कमिट हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी दिल्ली को सूचना दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : जब आप स्वयं मानते हैं कि बिना परमिट के वह अजमेर आये तो अजमेर में क्यों नहीं केस रजिस्टर किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कन्टीनुअस ऑफेन्स है।

श्री भैरोंसिंह : जब आप इसको कन्टीनुअस ऑफेन्स मानते हैं तो क्यों नहीं अजमेर में मुकद्दमा चला सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह समझने की बात है, आप समझने की कोशिश करिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं सब समझता हूं और आपकी चालबाजी को भी समझता हूं। आप इस मामले में उन लोगों को बचाना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी इस हठधर्मी का म जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : आप मेरी इस हठधर्मी का जवाब नहीं दे सकते, तो मैं आपकी नाकाबलियत का जवाब नहीं दे सकता। इसमें मेरी हठधर्मी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गृह मंत्रीजी लोगों को बचावें और पाकिस्तान के नागरिक को उनके द्वारा बचाने की चेष्टा की जाय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह हठधर्मी की बात गृह मंत्रीजी कहते हैं वह पाकिस्तान के नागरिक को बचाने का षड्यन्त्र रचते हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक पाकिस्तानी नागरिक को बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार के उप-मंत्री और यहां के गृह मंत्री षड्यन्त्र कर रहे हैं। आप माननीय सदस्य के लिए हठधर्मिता कह रहे हैं लेकिन....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! शिक्षा मंत्री जी !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय जो मेरे लिए हठधर्मी का शब्द का गृह मंत्रीजी उपयोग किया है, मैं समझता हूं, वह अन पार्लियामेन्ट्री है और उसको एक्सपंज किया जाना चाहिए !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय शिक्षा मंत्री जी !

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या गृह मंत्रीजी बतायेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ अबेटमेंट का मुकद्दमा दर्ज किया जायगा ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला गम्भीर है। माननीय मंत्रीजी ने मेरे लिए कहा कि मैं इस हठधर्मी का जवाब देने को तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जिस रेफरेन्स के अन्दर यह हठधर्मी का शब्द उन्होंने उपयोग किया है, इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं शब्द एक्सपंज करने लगूंगा तो मुझे सारी प्रोसीडिंग्स देखनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह : फिर हम भी मंत्रियों के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे और हमें रोका नहीं जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : धर्मी और हठधर्मी यानि दृढ़ता के साथ धर्मी—इसमें आशय असंसदीय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे लिए मंत्रीजी के द्वारा हठधर्मी का प्रयोग हो सकता है तो मैं इस हठधर्मी के विरोध में, इन्होंने जो अराष्ट्रीय तत्व को बचाने का षड़यन्त्र किया है उसके विरोध में, और इन्होंने जो अराष्ट्रीय तत्व को बचाने की साजिश की है इसके विरोध में मैं सदन में माननीय गृह मंत्रीजी पर चार्ज लगाता हूं कि वह अराष्ट्रीय तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो उप-मंत्री ने देशद्रोहिता का काम किया है....

श्री भैरोंसिंह : यह देशद्रोहिता नहीं चलेगी, सदन में नहीं चलेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और जो देशद्रोहिता का दोषी था उसके साथ गृह मंत्रीजी ने षड़यन्त्र रच कर बचाने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०) : कोई हिन्दुस्तान का नागरिक पाकिस्तान में चला जाय तो उसको गोलियों से उड़ा दिया जाता है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! शिक्षा मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह : शिक्षा मंत्रीजी तो बाद में आयेंगे, पहले गृह मंत्रीजी आयेंगे। उनसे इस प्रश्न का जवाब दिलाया जाय, जब उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि ऑफेन्स बनता है तो इस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, विद्युत) : यह पुलिस को दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, म....

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे चुके हैं कि यह कन्टीनुइंग ऑफेन्स है, अतः, इसका कॉग्नीजेन्स दिल्ली में लिया जा सकता है, अजमेर में लिया जा सकता है, यहां लिया जा सकता है।

मेजर श्री फतेहसिंह : क्या उस व्यक्ति के खिलाफ सरकार अबेटमेंट का मुकद्दमा रजिस्टर करेगी ? क्या डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ सरकार अबेटमेंट का मुकद्दमा दर्ज करेगी या नहीं ? वह व्यक्ति अजमेर में बिना परमिट के आया और पुलिस को

(मेजर श्री फतेहसिंह)

झांसा देकर उसे संरक्षण दिया है, तो इसलिए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या उप-मंत्री को भी नजर में रखा जायेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दफा फिर सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी जुर्म किया है उसके साथ में कोई रियायत नहीं की जायेगी। यह मैंने पहले भी निवेदन किया है, उसके पास वेलिड परमिट नहीं था—यह साबित हुआ तो जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था, दिल्ली में मुकदमा बन सकता है, अजमेर में भी बन सकता है, क्योंकि यह कन्टीनुइंग ऑफेन्स है, कहीं भी हो सकता है और उसमें कोई कमी नहीं रखी जायगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। अगर वह वास्तव में स्थाई है तो उसके साथ में कठोरता बरतनी चाहिए। लेकिन अगर किसी तरीके से वह भूल आये थे, यह पाया जाय....

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। ऑर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

शिक्षा मंत्री जी ! कक्षा चार की पाठ्य पुस्तक के बारे में।

श्री रामकिशन : हठधर्मी का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : हठधर्मी वहीं रह गया।

श्री भैरोंसिंह : हठधर्मी का आदान प्रदान हो गया है।

श्री अध्यक्ष : हो गया। वह सरसता में परिवर्तित हो गया।

शिक्षा मंत्री जी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसका वक्तव्य आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : कक्षा चार की पाठ्य पुस्तक के बारे में है।

कक्षा चार की पाठ्य पुस्तकों के बारे में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जयनारायण सालोदिया ने कक्षा चार की पाठ्य पुस्तकों के संबंध में जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, उसके संबंध में मैं निम्न वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

इस स्थगन प्रस्ताव में जिस राजस्थान ऐटलस का उल्लेख है वह ऐटलस एक निजी प्रकाशक, इण्डियन बुक डिपो, डिप्टी गंज, देहली द्वारा प्रकाशित है। यह ऐटलस राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं है। सचिव, राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा निदेशक, प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को यह लिखा जा चुका है कि राजस्थान में जो अनधिकृत पाठ्य पुस्तकें व ऐटलस चल रहे हैं उनको रोकने के लिए तमाम विद्यालय निरीक्षकों को आदेश प्रसारित किये जायें। निदेशक जी द्वारा समय समय पर इस प्रकार के आदेश प्रसारित होते रहते हैं और इस एटलस के संबंध में भी शीघ्र आदेश प्रसारित करने की कार्यवाही कर दी गई है।

(श्री शिवचरण माथुर)

कक्षा चार की अंक-गणित की पुस्तक के पृष्ठ सं० 12 पर प्रश्नावली सात के प्रश्न संख्या 1 के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। जिस पुस्तक में 67.50 ÷ 45 छपा है वह सत्र 1967-68 का संस्करण है और जिस पुस्तक में 67.50 पै० ÷ 5 छपा वह सत्र 1968-69 का संस्करण है। 1968-69 के संस्करण में आवश्यक सुधार किये गये हैं। चूंकि भाग देने का अभ्यास इस प्रश्नावली से आरम्भ किया गया है अतः यह उचित समझा गया कि प्रश्नावली 7 में प्रश्न संख्या 1 सबसे सरल हो। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रश्न में सुधार कर 45 से भाग देने के बजाय 5 से भाग

(1.25 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दिलाना उपयुक्त समझ कर संशोधन किया गया। इनके उत्तर भी प्रश्नों के आधार पर अलग अलग हैं। इन दोनों पुस्तकों को एक साथ पढ़ाने में छात्रों में कोई हानि होना नहीं कहा जा सकता। बहुत से छात्र पुराना संस्करण खरीद लेते हैं और बहुत से नया संशोधित संस्करण खरीद लेते हैं इसी कारण यह फर्क मालूम हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जो कॉलेजों में स्ट्राइक हो रही है उसके संबंध में कहें।

श्री शिव चरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रामानन्द जी का जो स्थगन प्रस्ताव है उसकी सूचना मुझे आज प्रातः साढ़े दस बजे मिली है, उसके संबंध में यूनीवर्सिटी के वाइस-चान्सलर से इत्तला प्राप्त करनी है, लेकिन वाइस चान्सलर आज यहां पर हैं नहीं, इसलिए पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से मैं आज वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विद्यार्थियों से तो मिल लें।

श्री शिवचरण माथुर : विद्यार्थियों से मिल लूंगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही स्थगित हो जायगी और हड़ताल कॉलेज और स्कूलों की हो चुकी है और आगे के लिए नोटिस दे दिया है। यह राज्य व्यापी छात्रों की हड़ताल बन सकती है, आप उनकी मांगों पर विचार करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उप-कुलपति जी छुट्टी पर गए हैं। आज सदन स्थगित हो जायगा, तो छात्रों की मांगों का कुछ न कुछ तो समाधान होना चाहिए.....

श्री शिवचरण माथुर : वाइस-चान्सलर मीटिंग अटेण्ड करने के लिए गए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो छात्रों में असंतोष है उसका कुछ न कुछ समाधान तो होना चाहिये। छात्रों की जो मांगें हैं उनके बारे में कोई समाधान होना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : छात्रों की मांगों के संबंध में बात करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर तीसरे पहर चार बजे के बाद, आप जानकारी करके, बात करके जो स्थिति हो उस पर वक्तव्य दे दें क्योंकि फिर सदन स्थगित हो जाने वाला है और इस तमाम स्थिति का सब जगह राजस्थान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व्यापी प्रभाव पड़ने वाला है । हम चाहेंगे कि यह शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलझ जायें इसलिए आप हाउस को कॉन्फीडेन्स में लेते हुए जो स्थिति है उससे अवगत करायें ।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी कठिनाई यह है....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि यह छात्र काफी लम्बे समय से राज्य सरकार से, वाइस-चान्सलर से लिखा पढ़ी कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं अपनी मांगों के संबंध में काफी पत्र-व्यवहार किया है, कई बार मिले हैं प्रिन्सिपल से, वाइस-चान्सलर से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और शिक्षा मंत्री जी से, फिर क्या कारण है कि जब तक यह लोग हड़ताल नहीं करें तब तक आप उनकी मांगों पर विचार नहीं करें, उनके बारे में निर्णय नहीं करें और अब यह कहें कि वाइस-चान्सलर आज यहां पर हैं नहीं, इसलिये आज सम्भव नहीं हो सकेगा । इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : पक्का इरादा मालूम हो जाय कि हड़ताल-वड़ताल होगी या नहीं । पक्का इरादा मालूम नहीं है इसलिए अब यह बात कह रहे हैं । अगला स्थगन प्रस्ताव ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ब्यावर की कृष्णा मिल के संबंध में कहा था । हाउस आज स्थगित हो जायगा और तीन हजार मजदूर उसके बेरोजगार हो गये हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां थे.....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रम मंत्री कहां हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्री को लटर एड्रेस किया था कि गैर कानूनी तरीके से वहां तालाबन्दी हो गई है......

श्री उपाध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य व्यवस्था दी जा चुकी है । अभी तो कार्य सूची में जो अगला स्थगन प्रस्ताव है उस पर शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य होगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि थोड़ी देर में व्यवस्था देंगे । अभी तक व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी थोड़ी देर हुई है । थोड़ी देर के अन्दर व्यवस्था हो जायगी ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा निवेदन है कि सात तहसीलों के अन्दर अन्धकार छाया हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ध्यान में है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हजारों लोग उस कारण बेकार हो गये हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस संबंध में तुरन्त वक्तव्य दिलाया जाना चाहिए और इसके साथ-साथ यह आश्वासन दें कि कब तक बिजली की व्यवस्था ठीक हो जायगी । हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि थोड़ी देर में व्यवस्था देंगे, इस संबंध में क्या हुआ ।

श्री रामकिशन : बिजली नहीं तो दीपक तो जलता होगा ।

श्री मथुरादास माथुर : बिजली बन्द हो गई है तो बात कर लेंगे, आप बात कर लीजिये, बिजली बन्द हो गई है तो। टैक्निकली क्या कारण हो सकते हैं, आप बात कर लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कालीसिंघ नदी में भयंकर बाढ़ आने से पुलियों पर जो पोल्स खड़े थे वे उखड़ गये हैं। सैकड़ों लघु उद्योग बन्द हो गये हैं, हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं, आखिर कब तक वहां बिजली चालू कर दी जायगी।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें दो राय नहीं हो सकती कि बाढ़ से पोल्स गिर गये हैं। अभी चीफ इन्जीनियर को बुला कर कह देंगे कि जल्दी से जल्दी उसे ठीक करवाने की कार्यवाही की जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लघु उद्योग वाले कहते हैं कि 75 रुपया जमा कराओ, उनसे जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। आखिर हमें पता तो लगे कि कब तक बिजली चालू कर दी जायगी? दूसरी यह है कि हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं, यह तो बताना चाहिए कि कब तक बिजली ठीक हो जायगी? इस संबंध में मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य दिलाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया न कि थोड़ी देर ठहरिये।

पाली जिले के जूनाखेड़ा के पुरातत्व के अवशेषों की सुरक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य। शिक्षा मंत्री।

पाली जिले के जूनाखेड़ा के पुरातत्व के अवशेषों की सुरक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री शिवचरण माथुर : इस सदन के माननीय सदस्य श्री फूलचन्द बाफना ने जूनाखेड़ा के पुरातत्व अवशेषों की सुरक्षा के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में निवेदन है:

"जूनाखेड़ा का शाब्दिक अर्थ प्राचीन टीला है। यह वर्तमान नाडोल के कुछ पूर्व की ओर है। नाडोल-देसूरी से 15 मील दूर पाली जिले में है। यह स्थान जावली से 28 मील दूर है।

जूनाखेड़ा को कभी नारदपुरी भी कहते थे। यह चौहानों की संस्कृति का एक प्रमुख केन्द्र था इस टीले पर यत्र-तत्र प्राचीन मृद्-पात्रों के टुकड़े व जली हुई ईंटें अब भी मिलती हैं। यह वर्तमान नाडोल से पूर्व का नाडोल नामक प्राचीन चौहान कालीन नगर के अवशेषों को अपने में स्थान देता है। इस टीले के नीचे चौहान तथा अन्य युगीन मन्दिरों के अवशेषों के होने का अनुमान है। आर्चियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट वाल्यूम 23 में जूनाखेड़ा का विस्तृत विवरण है और इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पर किसी एक अच्छी दशा में जन मन्दिर का तोरण था और चार अन्य मन्दिर स्थान पाते थे। यहां से बहुत से शिलालेख भी प्राप्त किये गये हैं जिनमें से विक्रम सम्वत् 1143 का सबसे प्राचीन है किन्तु नाडोल के कुछ व्यक्तियों से प्राप्त ताम्र दान पत्रों से यहां के इतिहास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन दानपत्रों में दो दानपत्र (ताम्र) जो कि विक्रम सम्वत् 1218 के हैं और अन्य ताम्रपत्र जो 1213 का है इनसे हमें यह पता लगता है कि इस क्षत्र पर महाराजा अल्हण देव चौहान का राज्य था। इनसे उनकी वंशावली पर भी प्रकाश पड़ता है। यद्यपि नाडोल के अधिकांश भवन 12वीं शताब्दी के हैं और ताम्रपत्रों से इसकी प्राचीनता 12वीं शताब्दी की सिद्ध होती है

(श्री शिवचरण माथुर)

किन्तु नाडोल के बाहर एक स्तम्भ युक्त मन्दिर के अवशेष जिसको कि खेतला का स्थान कहते हैं, उसमें प्रयुक्त प्राचीन लिपि के अक्षरों से जो कि नवीं शताब्दि की लिखावट में है और जो पुरातत्वविदों को आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व देखने को मिले थे। उनसे इस क्षेत्र की लगभग 1,100 वर्ष पूर्व की स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। विभाग की इसको संरक्षित घोषित कराने के पश्चात् वहां पर खुदाई कराने की योजना है। इससे विभाग को खेड़े के गर्भ में दबी हुई सामग्री के आधार पर उस क्षेत्र के इतिहास को ठीक प्रकार से जानने में सहायता मिलेगी।

इस स्थान को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित करने की कार्यवाही कर दी गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम अभी लागू होने से यह कार्य अब सम्पन्न हो सका है। संरक्षित घोषित होने वाले स्मारकों एवं अवशेषों की सूची में इसको स्थान दे दिया गया है।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक वहां इन्तजाम हुआ नहीं है, वहां से लोग पुरानी चीजें निकाल निकाल कर ले जाते हैं। इसलिये वहां तत्काल इन्तजाम किये जाने की आवश्यकता है।

श्री शिवचरण माथुर : जब तक ये नियम गजट में प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, अब नियम घोषित हो चुके हैं। अब कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : कब तक कितने दिनों बाद तक सुरक्षा की कार्यवाही की जा सकेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : यह सूची अभी प्रकाशित की जा रही है। गजट में उसके प्रकाशित हो जाने पर व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : इसका मतलब यह हुआ कि गजट में प्रकाशित होने से पहले वहां से पुरातत्व की चीजें ले जाने की छूट है।

श्री शिवचरण माथुर : यह फैक्ट बात है कि वहां से लोग चीजें ले जाते हैं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सारे राजस्थान में यह हो रहा है, प्राचीन शिलालेख, मूर्तियां लोग चुरा कर ले जा रहे हैं और ये चीजें यूरोप और अमेरिका जाती हैं। ऐसे लोगों का गैंग है। अपनी संस्कृति का संरक्षण करना सरकार का परम कर्त्तव्य है। मैं आशा करता हूं शिक्षा मंत्री इस संबंध में, प्राथमिकता देकर जो कानूनी आवश्यकता इसके लिये है, उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : इसके संरक्षण के लिए ही नियम बनाये हैं, वे बन चुके हैं, गजट में प्रकाशित हो चुके हैं, सूची प्रकाशित होनी है, वह होने पर कहीं चोरी होगी तो कार्यवाही की जायगी। पहले नियमों के अभाव में कानूनी कार्यवाही करना संभव नहीं था।

श्री फूलचन्द बाफना : यह ठीक है पर जब तक गजट में प्रकाशित नहीं हो तब तक वहां एक दो पुलिस वालों को बैठा द ताकि लोग वहां से चीजें तो नहीं ले जावें।

श्री शिवचरण माथुर : इसकी व्यवस्था कर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : बी० एस० टी० सी० पास अध्यापकों की नियुक्तियों के संबंध में अनियमितताओं संबंधी स्थगन प्रस्ताव के संबंध में वक्तव्य ।

शिक्षा मंत्री !

बी० एस० टी० सी० पास अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमितताओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : द्वितीय श्रेणी के रिक्त स्थानों में से 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत नई नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्तियां मैरिट के आधार पर जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार की जाती है, ये नियम मुख्यतया ये हैं :

(1) प्रत्याशी द्वारा शैक्षिक योग्यता जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किये हुए अंक व श्रेणी ।

(2) विद्यार्थी काल में विभिन्न प्रवृत्तियों में प्राप्त की हुई योग्यता तथा अच्छा खिलाड़ी होना, स्काउटिंग की परीक्षा पास करना, एन० सी० सी० में भाग लेना आदि ।

(3) अधिक शक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले छात्र को उपर्युक्त छात्रों की अपेक्षा अधिक अंक (5) दिये जाते हैं।

(4) अध्यापक का पुत्र/पुत्री को पांच अंक अधिक प्रदान किये जाते हैं।

(5) तृतीय श्रेणी (श्रृंखला) में प्रत्याशियों में विज्ञान वाले छात्रों को अधिक अंक दिये जाते हैं।

इन सब केन्डीडेट्स की विभिन्न श्रेणी के अनुसार भिन्न भिन्न लिस्ट बनाई जाती है जैसे पी० टी० आई० की अलग, साइन्स टीचर्स की अलग, क्राफ्ट टीचर्स की अलग तथा जनरल टीचर्स की अलग। इन लिस्टों से मैरिट के क्रमानुसार जैसे जैसे स्थान रिक्त होते हैं नियुक्तियां की जाती हैं। थोड़े समय के लिये नियुक्ति कुछ दिनों अध्यापक के अवकाश पर जाने के कारण एडहॉक रूप में नियुक्ति करली जाती है, और यह व्यवस्था अल्प कालीन होती है। ताकि अध्यापन कार्य में बाधा न पड़े और कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। जयपुर-अजमेर वृत्त में शिक्षा अधिकारियों ने ऐसा अनुभव किया कि मैट्रिक या हायर सैकेण्डरी पास व्यक्तियों के ज्ञान का स्तर इतना नहीं होता कि वे उच्च प्राथमिक (मिडिल) कक्षाओं को पढाने में समर्थ हों। साथ-साथ शिक्षा के तीव्र प्रसार के कारण आज अनेकों माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीं कक्षा से ही प्रारम्भ होते हैं और ऐसे विद्यालयों में उन अध्यापकों की जो कम से कम स्नातक की उपाधि प्राप्त न हों कोई उपयोगिता नहीं रहती अतः इस वृत्त के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तृतीय वेतन श्रृंखला में भी प्रशिक्षित स्नातक से कम योग्यता प्राप्त व्यक्ति की अध्यापक के पद पर नियुक्ति न की जाय। और इन पदों के लिए पृथक वरिष्ठता सूचियां बनायी जावें।

इस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित वरीयता मापदंड की कहीं जान बूझकर अवहेलना नहीं की गई है, वरन् उसमें आंशिक संशोधन अवश्य किया गया है

(श्री शिवचरण माथुर)

सदस्य महोदय यदि अवहेलना के संबंध में कोई वाकया बतावें तो उसकी जानकारी कर सदन को अवगत करा दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने अध्यापकों का घरना।

शिक्षा मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे कितने वक्तव्य और हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसके पश्चात् फिर विधायी कार्य।

बीकानेर के शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने घरने के संबंध में वक्तव्य

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : राजस्थान शिक्षक संघ की गंगानगर शाखा न कुछ मांगें लेकर 25 अगस्त 1969 को शिक्षा विभाग, बीकानेर के कार्यालय के सामने घरना शुरू किया। बीकानेर शाखा का इस घरने को समर्थन था। 23 अगस्त, 1969 को इन शाखाओं के प्रतिनिधियों को मिलन का समय निदेशक न दिया था लेकिन प्रतिनिधि नहीं मिले।

25 अगस्त, 1969 को बीकानेर शाखा के प्रतिनिधि जैसे ही मिलने आय, उनको तुरन्त मिलने का अवसर दिया। घरना तब शुरू हो चुका था। समस्याओं के निराकरण के लिए निदेशक न यह उपयुक्त समझा कि इस वार्ता में गंगानगर के प्रतिनिधि भी आ जायें। उनको बुलाया गया और वे बातचीत के लिए आय।

शिक्षा विभाग चाहता था कि शिक्षकों की समस्याओं पर जो बातचीत हो उसको तुरन्त क्रियान्वित किया जाय। इसलिए इस वार्ता के दौरान में विभाग के 2 उच्च अधिकारियों को भी सम्मिलित कर लिया गया। गंगानगर शिक्षक संघ की मांगें वही थीं जिन पर कि राजस्थान शिक्षक संघ के प्रतिनिधि व निदेशक पहले ही विस्तृत रूप से बातचीत कर चुके थ। उस वार्ता के बाद निदेशक ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी उचित कदम था, वह उठा लिया था। गंगानगर व बीकानेर शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को स्थिति से विस्तृत रूप से अवगत करवा दिया गया। यह वार्ता करीब एक घंटा हुई व शिक्षक संघ के प्रतिनिधि आश्वासित हो गए थ कि विभाग उनकी कठिनाइयों पर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर रहा है। संक्षेप में लिखित एक आश्वासन भी बाद में दे दिया गया जैसा कि प्रतिनिधियों न चाहा था।

ऐसा लगता था कि इस बातचीत के बाद वे घरना समाप्त कर देंगे लेकिन आश्वासन का संक्षप में होने का कारण बताकर उन्होंने घरना जारी रखना ही उचित समझा।

30 अगस्त, 1969 को गंगानगर व बीकानेर शाखाओं के अलावा कुछ अन्य जिलों के शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शिक्षा निदेशक के कार्यालय में आये और वार्ता की इच्छा व्यक्त की। उनके इच्छानुसार एक घंटा बातचीत हुई जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी सभी उचित मांगों पर विभाग सक्रिय कार्यवाही कर रहा है और अपने प्रयत्नों में गति लाने के लिये आश्वासन दे दिया। मौखिक आश्वासन फिर दोहराया गया। इस बातचीत के बाद घरना वापिस उठा लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा आधे घंटे की चर्चा का प्रश्न नियम 49 के अन्तर्गत दिया हुआ है, उसको कार्यसूची में अंत में रखा गया है जबकि ऐसे अल्पकालीन विषय हमेशा पहले लिए जाते हैं, ऐसी परम्परा रही है आसन की तरफ से....

श्री उपाध्यक्ष : आज के बिजिनेस को देखकर इसको आखिर में रखा गया। कायदा यह है कि इस तरह की आधे घंटे की चर्चा सब के अंत में होती है । कार्यसूची में सब काम समाप्त हो जाता है. तब होती है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसको पहले लेने की व्यवस्था फर्मा दें, यह मेरा निवेदन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने इस सदन में अध्यक्ष महोदय से इस बात की जानकारी चाही थी कि 29 अगस्त को अकाल राहत के संबंध में हुए वादविवाद में....

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म पूछना चाहता हूं कि मोशन कब आएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का They should have priority. Either reject it or accept it. आप लटका कर नहीं रख सकते । 29 तारीख की घटना है, एक तारीख को मोशन मूव किया है और अध्यक्ष महोदय ने सदन में आश्वासन दिया था कि मेरे पास कुछ के जवाब आये हैं और कुछ के नहीं आए हैं। आखिर फ़सला किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। उनके पास सूचना भेज दी गई है, कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे आज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बाद एक और है । कल मैंने एक प्रश्न....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय के पास विशेषाधिकार का प्रश्न इसी प्रकार का और पडिंग है। वह है बृजसुन्दरजी शर्मा के संबंध में जब बहस चल रही थी उस समय माननीय सतीशचन्द्र ने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कोटा के कलेक्टर के खिलाफ, उसका अभी भी निर्णय नहीं हो पाया, उस संबंध में व्यवस्था दी जानी चाहिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है....

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष के विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कि केवल 10 सदस्य खड़े हो जायं देन दी मैटर इज रिफर्ड टु दी प्रिविलेज कमेटी, उसके बाद वहां रिजेक्ट हो सकता है इफ नो प्रिविलेज इज मेड आउट ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : परमीशन स्पीकर साहब ने दी थी तो खड़े होकर कहिये ।

श्री भैरोंसिंह : हम स्पीकर से कह रहे हैं, आप से नहीं कह रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोशन को पडिंग रखना, सदन का प्रीरोगेट होना....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी देर में अध्यक्ष पधारगे.....

श्री मूलचन्द डागा : यह रिफ्लेक्शन है आप पर। फैक्ट्स को एसर्ट करने का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक और है।

श्री उपाध्यक्ष : साथ ही बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कलेक्टर के खिलाफ जो मोशन दिया है उसको 10-12 दिन हो गए, यह दूसरा है जिसको 4 दिन हो गए। तीसरा मसला है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह : निंदा का प्रस्ताव श्री यादव के खिलाफ प्रस्तुत किया था। उसको आज से दो दिन पहले रखा था लेकिन उस दिन अवसर नहीं आया लेकिन जब अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कल अपनी व्यवस्था करके बतायेंगे कि किस समय रखा जाय तो मैं जानकारी करना चाहता हूं कि प्रस्ताव किस समय लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : इन तीनों प्रस्तावों के संबंध में अध्यक्ष महोदय स्वयं थोड़ी देर पश्चात् पधारेंगे और इस संबंध में क्या किया जायगा, कौनसा प्रस्ताव लिया जाय, वह व्यवस्था देंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में जो पेन्शनर्स है, महंगाई के युग में उनकी महंगाई आदि में बढ़ोतरी की जाय, इस प्रश्न की ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं इस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता, कारण कि परसों जब यह प्रश्न सदन में मैंने उठाया था उस दिन काफी इस संबंध में निवेदन कर चुका हूं और मैं समझता हूं राज्य सरकार ने उस दिन इस पर उत्तर देने के लिए समय चाहा था और इसलिए वित्त मंत्री महोदय, जो कुछ मैंने विचार उस दिन प्रकट किए, उनको ध्यान में रखते हुए मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की गलत योजनाओं के कारण; योजनाओं की त्रुटिपूर्ण क्रियान्विति के कारण, जो महंगाई बढ़ रही है और इस राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा इस महंगाई को रोकने में असफल होने के कारण जनजीवन दूभर हो गया है। राज्य कर्मचारी जो राज्य सेवा में हैं उनकी तनख्वाह व महंगाई भत्ते बढ गए लेकिन वह अभागा तबका निग्लेक्टेड पक्ष पेन्शनर्स का, जो पिछले अनेक वर्षों से राज्य सरकार की सेवा करने के पश्चात् जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं और जिनको सेवा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन दी जा रही है, वह इतना निग्लेक्टेड पक्ष है कि राज्य सेवा में जब तक राज्य कर्मचारी रहते हैं चाहे वित्तीय सचिव हो, उनके सामने मसला जायगा तो कहेंगे कि हमारे पास वित्तीय साधनों की कमी है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, परन्तु वही वित्तीय सचिव या मुख्य सचिव जब सेवा-निवृत्त होते हैं तब जाकर उन बगीचों में बैठते हैं प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते हैं तब जाकर महसूस होता है कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से जब

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कुर्सी पर होते हैं तो ध्यान नहीं देते ह जब हवा खाने टहलने जाते हैं तब सारी बातें याद आती हैं। ये उनकी मजबूरियों का नाजायज लाभ न उठायें और पेन्शनर्स के लिए जो पेन्शनर्स तबका उपेक्षित रहा है, इस महंगाई के युग में उनकी मांगों के संबंध में जो ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

उन्होंने मेडिकल सुविधाओं की मांग की है। राजकीय सेवाओं में रत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलता है, वह बढ़ता भी है। इसके अलावा उनको रिवीजन ऑफ पे-स्केल भी होता है। मेडिकल फेसिलिटीज और ऐमेनिटीज भी उनको मिलती हैं। परन्तु वही व्यक्ति राजकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद मेडिकल फेसिलिटीज, एमेनिटीज कम हो जाती हैं, इमोल्यूमेन्ट्स घट जाते हैं। इसलिए पेन्शन में इन्क्रीज देने की जो लिमिट 200) रुपया है, वह अन्य प्रान्तों में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरल आन्ध्रप्रदेश में बढ़ गई है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह टेम्परेरी इन्क्रीज जो इन स्टेट्स में है, यहां भी बढ़ायी जाये। 30, 35, 37, 40 रुपयों को पेंशन आप देते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को टम्परेरी इन्क्रीज का पैसा बढ़ाना चाहिए। और जो लिमिट 200 रुपया है, उस लिमिट को बढ़ाकर 500 रुपया तक बढ़ाना चाहिए जिससे कि लोगों को 400, 500 तक का टम्परेरी इन्क्रीज का लाभ मिल सके।

दूसरा मेडिकल फेसिलिटीज पेन्शनर्स को मिलनी चाहिए। एक रिटायर्ड पेंशनर सरकार को 5,000 रुपये डोनेट करने के लिए लिखा है जिसका उत्तर राज्य सरकार की तरफ से अभी तक नहीं गया है। वित्त मन्त्रीजी को 5,000 का दान उदारता पूर्वक वहन करना चाहिये और उससे सवाई मानसिंह अस्पताल में पेंशनर के लिए अलग से एक काटज वार्ड बनाने की व्यवस्था करना चाहिए। और यह काटेज वार्ड पेन्शनर के लिए इयर मार्क कर दिया जाये। जो यह उनकी मांग है, वह वाजिब है। मैं जानता हूं मेडिकल फसिलिटीज के बारे में वित्त मन्त्री महोदय यह कहगे कि वित्तीय साधनों का अभाव है और वे यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि दे दिया जायेगा। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करें। ऐसी हार्डशिप म उनकी मांग के साथ सहानुभूति से विचार करना चाहिए। यह नहीं हो कि राजकीय सेवा मे से निवृत्त होने के बाद वित्त मन्त्री महोदय यह कहें कि यह सभी सुविधायें राजस्थान सरकार देने में असमर्थ है। उन्होंने इन छोटी-मोटी मांगों पर एक रिप्रिजेन्टेशन, मेमोरेन्डम सरकार को दिया है और सरकार को अत्यन्त सहानुभूति के साथ उनकी मांगों पर विचार करना चाहिये और जितनी सरकार घोषणा आज कर सके, कर दे जो नहीं कर सके उनकी सारी पहलुओं पर विचार करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार घोषणा करेगी, ऐसी म आशा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान पेंशनर्स की मांगों की ओर आकर्षित करता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, रिटायर्ड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की पेंशन के सिलसिले में जो राज्य सरकार का ध्यान जयपुर से आने वाले माननीय

(श्री मथुरादास माथुर)

सदस्य ने आकर्षित किया है, मैं उन्हें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पेंशनर्स की मांगों के ऊपर राज्य सरकार ने कई दफा विचार किया वक्तन-फ-वक्तन उनमें तब्दीली होती रही है। आज भी मैं यह कह सकता हूं कि टोटल पेंशन जो हम देते हैं, वह भारत सरकार से कम नहीं है। अभी अभी भारत सरकार ने एडहॉक पेंशन का जो फैसला किया है, उसकी ऑफिशियल सूचना हमने मांगी है। अखबारों, रेडियो में अनाउन्स हो चुका है। मुख्य मन्त्रीजी ने कल नहीं परसों जब वो अपनी फेमिन की डिबेट में इन्टरवीन की थी, उनने फाइनेन्स कमीशन की बात की थी। उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। म यह निवेदन करूंगा कि एडहॉक ग्रान्ट के रूप में जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने की है, उसका प्रान्तों में से सिर्फ आन्ध्र प्रदेश ने ऐलान किया है बाकी रियासतों ने क्या क्या किया, उसकी हमारे पास में ऑफिशियली सूचना नहीं है। आन्ध्र प्रदेश ने जरूर उसको माना है। मैंने इस एडहॉक इन्क्रीज से जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, उसको केलकुलेट करने के आदेश दिये हैं। फीगर्स आने के बाद उसके ऊपर राज्य सरकार निर्णय लेगी।

जहां तक मेडिकल दवाई-दारू का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : दवाई, दारू नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : दारू की दवाई !

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह दूं.....

जहां तक मेडिकल एड का जो सवाल है, या जहां तक उनकी दवाई का सवाल है हमारे यहां राजस्थान के अन्दर हरेक नागरिक को फ्री मेडिकल एड है, और सरकारी नौकरी से चले जाने के बाद वह भी देश का एक नागरिक है और और नागरिकों की भांति फ्री मेडिकल एड का वह अधिकारी है। वह उनको दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों को जो मेडिकल एड मिलती है, या जिस तरह से दवाइयां हम उनको रि-एम्बर्स कर देते हैं इस प्रकार की सुविधा उनको मिलनी चाहिये, तो इसके लिए मैं निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार इसमें असमर्थ है। इस बात पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि मेडिकल एड को रि-एम्बर्स करने में राज्य सरकार तैयार नहीं है। जो मेडिकल एड सब नागरिकों को देते हैं। उन्हीं नागरिकों की तरह इसका फायदा उठा सकते हैं। एक महानुभाव ने जो रिटायर हो चुके हैं, 5,000 रुपये डोनेट करने की ख्वाहिश की है और यह चाहा है उसके साथ कि इससे अस्पताल के अन्दर एक कॉटेज वार्ड बनाया जाये। आप जानते हैं कि 5,000 में कॉटेज वार्ड छोड़ कर के एक कमरा भी नहीं बन सकता। इस लिये उन्होंने जो कन्डीशन लिखी है, उसके लिये उनको बुलाया है। उनसे बैठकर के बातचीत कर लेंगे। 5,000 रुपया देते हैं तो मंजूर करेंगे। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया है। बातचीत करने के बाद ही हम निर्णय ले सकेंगे।

जहां तक पेंशनर्स की सुख, सुविधा और एडहॉक ग्रान्ट की बात है, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सारे भारतवर्ष में इस सिलसिले में एक से रूल्स हैं और उस का एक ही फार्म है। आज डियरनेस पे बढ़ाई है। उसको पे में मर्ज किया है।

(श्री मथुरादास माथुर)

तो इससे भी पेंशन में फायदा मिलेगा। मुझे इस विषय में इतना ही कहना है।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय अभी वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि मेडिकल एड फ्री मिलती है। पर मेडिकलएड मिलती है कहां? 10-15 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं, मेडिकल एड है कहां? वे दवाइयां बाजार से लिख देते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसलिये मेरी तो यह रिक्वेस्ट है कि जनता को जो सुविधा देनी चाहिये वह दी जाय मेडिकल एड में बढ़ोतरी करके।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर में रिटायर्ड डाक्टर वांचू हैं। उनको आपने वार्ड दे रखा है। क्या यह उनकी प्रेक्टिस के लिये नहीं है। पेंशन भी लेते रहें और उसकी देखरेख के नाम पर कमाई भी करते रहें और उससे अपना जीवन-निर्वाह करते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पेंशन के मामले में मैं डाइरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं हूं किन्तु इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है 20) रुपया। क्या इस मंहगाई को देखते हुए सरकार इनको भी इन्क्रीज करने पर विचार करेगी। अपाहिजों को 20 रुपया मिलता है। 65 से ओल्ड एज पेंशन 20 रुपया मुकर्रर कर रखा है। इस मंहगाई को देखते हुए इसमें भी इजाफा करने की कम से कम 20 से 30 बढ़ाने का, इस पर गवर्नमेंट क्या विचार रखती है? राज्य सरकार का जो बजट है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कर्मचारियों, डॉक्टर, नर्सेज, कम्पाउन्डर्स व दूसरे स्टाफ में ही चला जाता है और बहुत कम हिस्सा रहता है दवाइयों का जो पर्याप्त नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इसका प्रावधान बजट में बढ़ाने का प्रयत्न करेगी?

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। वित्त मंत्री जी

(2 म० प०)

विधायी कार्य

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजथान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969 विधेयक संख्या 32 सन् 1969 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जिस विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज एक तरफ....

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) **:** आप अधिक रुपया नहीं लेना चाहते हैं तो वैसा भी प्रावधान किया गया है।

श्री रामकिशन : आप शान्तिपूर्वक नहीं सुनना चाहते हैं तो चले जायं। आपकी पत्नी भी आई हुई हैं आपका इन्तजार कर रही हैं।

(श्री रामकिशन)

उपाध्यक्षम होदय, मैं निवेदन यह कर रहा था....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य को और कोई काम नहीं है जो यह दूसरों की पत्नी को ही देखा करते हैं।

श्री रामकिशन : ऐसा है कि वे मुझ से मिली थीं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो कानून में प्रावधान कर दिया है पत्नियों को ला सकते हैं अब दूसरों को देखने की नौबत नहीं आया करेगी ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, साधारण तौर पर आज विधान सभा के सदस्य यह कह सकते हैं कि इतने रुपयों में हमारा काम नहीं चलता। मैं इस विचार से सहमत हूं लेकिन आपको सारे राजस्थान को दृष्टि में रखकर चलना होगा। यदि काम की दृष्टि से किसी प्रकार की सहूलियत प्रदान करने की बात हो तो मैं उसका सब से पहले समर्थक हूं। आज राजस्थान की स्थिति क्या है, सारा राजस्थान अकाल की पीड़ा से कराह रहा है। आज राजस्थान के 60 लाख लोग भील, आदिवासी ऐसे हैं जो बिना जमीन वाले हैं। उनकी आय को आप देखेंगे तो तीन आना प्रति रोज की आय है, क्या तीन आने में वह अपना पेट पाल सकते हैं ? काम करने की दृष्टि से कुछ संशोधन किये जाते हैं तो मैं उसका समर्थन कर सकता हूं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यह व्रत लेकर आते हैं कि हम यहां पर जनता की सेवा करेंगे। क्या आपने पता लगाया है कि इस प्रकार वेतन-वृद्धि में जनता का सहयोग है?

आज राजस्थान की हालत यह है कि अकाल चारों ओर व्याप्त है। आज हम एक एक पैसे के लिये बंबई कलकत्ता के लोगों से दान मांगते फिरते हैं दूसरी तरफ हम विधान सभा सदस्य अपनी आमदनी बढ़ाने का बिल लाते हैं, इससे हम जनता की नजरों में गिरेंगे। जैसा कि कहा गया है कि इससे 6.85 लाख का अधिक खर्चा आयेगा। इतना रुपया कोई कीमत नहीं रखता है। आज जहां राज्य सरकार अपने एक विभाग के ऊपर खर्च करती हैं जिसमें लाखों करोड़ों के घोटाले होते हैं उस हिसाब से यह 6.85 कोई कीमत नहीं रखता लेकिन जनता के बीच जब हम जाते हैं तो हमें यह सुनने को मिलता है आपने अपने पैसे तो बढ़ा लिये जनता को क्या राहत मिली है ? एक तरफ हमारे पास अकाल पीड़ित लोगों के लिए पैसा नहीं है, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन-वृद्धि की मांग रखते हैं उसके लिये भी हमारे पास पैसा नहीं है। यह मैं मानता हूं कि उनके मुकाबले हमारी संख्या बहुत कम है। संख्या का कम प्रभाव इस पर पड़ता है इसको मंत्री महोदय कहकर बचने की कोशिश कर सकते हैं। सब से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस काम का केवल आर्थिक पक्ष ही नहीं है इसका नैतिक पक्ष भी होता है। हमारा प्रान्त अकाल से मुक्त नहीं है, आम लोगों की जो माली हालत है वह बहुत कमजोर है वैसी हालत में वेतन बढ़ाने का समर्थन किस आधार पर किया जा सकता है ? आज राजस्थान कंगाली के गर्त में पड़ा हुआ है, अकाल की वजह से हाहाकार मचा हुआ है गरीब तबका कराह रहा है। इस चीज को हम नहीं देखते, आज की स्थिति में इस प्रकार का बिल कहां तक उचित है ।

(श्री रामकिशन)

इस प्रकार भत्ता और वेतन बढ़ाने म सरकार की मन्शा क्या रही है सरकार की यह आम नीति है कि किसी भी तरह से हो सदस्यों को सन्तुष्ट किया जाय लेकिन जिस तरह से वे वेतन भत्ता बढ़ाने जा रहे हैं आज की स्थिति में वह उचित नहीं प्रतीत होता।

बीस बरस के शासन काल के बाद भी आज हम देखते हैं कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति नहीं कर सके। हमेशा यही सुनते आये हैं कि धन का अभाव है। यह मैं भी मानता हूं जो माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, चुनाव में काफ़ी ख़र्चा करना पड़ता है, यहां आने पर भी बीसियों लोग उनसे मिलने आते हैं, यह सही है। इन तथ्यों से इन्कार कोई नहीं कर सकता। ऐसा होते हुए भी म माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान की आज की जो हालत है एक नया पैसा भी हम लेने का अधिकार नहीं रखते। कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेलीफोन, रेल्वे की सुविधा आदि के जो भी संशोधन हों उसका मैं समर्थन करता हूं। इससे कार्यक्षमता बढ़ती है। एक सदस्य सारे प्रान्त के कौने कौने में घूम सकता है और वह राजनैतिक पृष्ठ भूमि तैयार कर सकता है। आज हम देखते हैं जहां आज जो सब से बड़ा दल है उनके सिद्धान्तों में भी परिवर्तन आ रहा है, यदि रेलवे की सुविधा मिलती है, वे जाकर अपने अपने क्षेत्र में अपनी हलकी बातें रखेंगे, राजनीति के शिक्षण का कार्य करेंगे। आप 21 की जगह 31 और 100 की जगह 200 रुपया करके जो वेतन बढ़ा रहे हैं मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। अगर सुविधाओं के बढ़ाने की कोई बात हो तो हम मान सकते हैं।

इसके अलावा इसमें यह भी सुविधा दी गई है कि जिन माननीय सदस्यों के मकान हैं शहर में मकान हैं जो जयपुर में ही रहते हैं उनकी क्षति पूर्ति के लिए 200 रुपया माहवार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। लोग जब इस क्लॉज को पढ़ेंगे उनकी मनःस्थिति क्या होगी? जिनके मकान हैं स्थायी तौर से यहां बसे हुए हैं उनको भी 200 रुपया मिलेगा। इसके अलावा विधान सभा के सदस्य जो जयपुर में रहेंगे जिनको सरकारी बंगले एलॉटेड नहीं हैं उनको भी 200 रुपया दिया जायगा यह बिल्कुल अनुचित है और बहुत गलत है। इस तरह से पैसा लेकर आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, कमेटियों के जो मेम्बर यहां आते हैं, जिन्होंने अन्तरात्मा की पुकार पर वोट दिये थे, उनको इस तरह से पैसा देकर चुपचाप करना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा माथुर साहब! तो उन लोगों की जनता में बदनामी हो इस नीयत से यह बिल लाये हैं। कई कमेटियों के चेयरमैन हैं जिनके आलीशान मकान हैं उनको भी आप दो सौ रुपया देना चाहते हैं इसका मैं पूरी तरह से विरोध करना चाहता हूं। इससे तो यह भी होगा जो सारे सदस्य हैं इस समय होस्टल में रहते हैं वे होस्टल में भी नहीं रहना चाहेंगे। वे मकान के नाम पर 200 रुपया ले सकेंगे।

कुछ लोग बंगलों में रहते हैं, सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं जिनके लिये विभाग से व्यवस्था करदी गई है उनके लिये 200 रुपया कुछ नहीं है। क्योंकि जिन बंगलों में विधान सभा सदस्य रहते हैं उनका किराया 400 माहवार से कम नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह जो 200 रुपया किराये के नाम पर देने का किया है वह जन-आलोचना का विषय बने इसीलिये यह किया गया है। आज भी हम देखते हैं गवर्नमेंट होस्टल में

(श्री रामकिशन)

जिनके नाम से कमरे एलॉटेड हैं उनका बिजली और पानी का बिल 250 रुपये तक आजाता है। कई कमरों में लोग पंखे और बिजली जलाकर घर चले जाते हैं। इस तरह से जो अनियंत्रित रूप से बिजली और पानी का खर्च हो रहा है उस पर नियन्त्रण करना चाहिये। इस आधार पर आप दूसरों को नहीं कह सकते कि आप खर्चा कम करिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सदस्य सरकार द्वारा दिये हुए बंगलों में रहते हैं उनके पानी और बिजली के खर्च पर सीलिंग होना चाहिये। अगर वे सीलिंग से ज्यादा खर्चा करते हैं तो उनको अपने जेब से देना चाहिए। इस तरह से जनता में हमारी बदनामी नहीं होगी। आज तो यह लोकचर्चा का विषय बन गया है। लोग यह कहने लग गये हैं विधान सभा सदस्य का भी एक वर्ग बन गया है जिस प्रकार से पुराने जमाने में राजा जागीरदारों का वर्ग हुआ करता था। हम लोग विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में आते जा रहे हैं। आज हमारे प्रान्त की आवश्यकता के लिये एक एक पैसे की बचत करनी है। जब तक हम अपने पर नियन्त्रण नहीं रखेंगे जनता को बचत के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर पायेंगे ? किस प्रकार से हम जनता के सामने अपना उज्जवल मुख लेकर जा पायेंगे ? टेलीफोन और रेलवे की सुविधा दें अगर सरकार उसको उचित समझे तो यह बढ़िया है अन्यथा इन सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक दो बातें और कही गई हैं। यह जिक्र किया गया है कि जो माननीय सदस्य सदन की बैठकों में आवेंगे वे अपनी पत्नियों को या पतियों को साथ ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक ऐतराज है। खास तौर से मेरे दल में इस से संकट पैदा हो गया है। पत्नियों को साथ लावें या पतियों को साथ लावें तो कितनी पत्नियों को साथ लावे यह इसमें अमेण्डमेन्ट करना पड़ेगा। हीराभाई के तीन पत्नियां हैं। अब इनमें से किसको लावें ? विट्ठल भाई अब किसको लावे ? तो मेरे दल का यह संकट है। दूसरों की मैं नहीं कहता। कई के कई पत्नियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कांग्रेस दल में जो बैठते हैं उनमें भी कइयों के कई पत्नियां होंगी। अब वे बतावें या नहीं यह उनकी बात है। हम में तो साहस है इसलिये बता देते हैं कि किसके कितनी पत्नियां हैं। साफ तौर से मान रहे हैं कि अधिक हैं। पर कांग्रेस दल में किसी को साहस नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप में संख्या निर्धारित है। उनकी संख्या सीमित ही नहीं है।

श्री रामकिशन : इसलिये मैं कहता हूं इस संबंध में आप दुबारा सोचें। हमारे में कई पत्नियों वाले हैं, एक को लावेंगे और दूसरी को नहीं तो घर में दिक्कत खड़ी हो जावेगी। उनके घर में झगड़ा हो जावेगा। एक कहेगी कि किराया मुफ्त में है तो हम भी चलेंगे। अब किस किस को लावें ?

एक माननीय सदस्य : आप तो समाजवाद की बात कहते हैं।

श्री रामकिशन : यह प्रथा पुरानी है। समाजवादी दल में आने से पहले ही शादियां इनकी हो चुकी थीं। अब तो कानून भी बन चुका है और अब तो सोशियेलिस्ट पार्टी इजाजत भी नहीं देगी। गैर कानूनी रूप से

(श्री रामकिशन)

कोई कितनी ही रखे मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। तो आपने यह संशोधन ऐसा रखा है जो घरों में झगड़ा डालने वाला है। आपकी इच्छा है कि इस तरह से घरों में क्लेष पैदा हो जावे ?

इस सारी चीजों के साथ-साथ एक दो प्रावधान और ऐसे हैं जो ठीक नहीं हैं। कुछ माननीय सदस्यों के संशोधन मैंने देखे। विस्तार में तो वे जब बोलेंगे तब समझ सकूंगा। उन्होंने यह संशोधन रखा है कि जो चाहे वह पैसा ले चढ़ा हुआ जो चाहे वह नहीं ले। इस संशोधन की जरूरत ही क्या है। जो नहीं लेना चाहेंगे वैसे ही नहीं लेंगे आप उनके घर में रखकर आवेंगे क्या अगर वे नहीं लेना चाहेंगे तो ? मुझे ऐसा लगता है सरकार के लोगों ने मिलकर यह संशोधन रखवाया है। पर इस संशोधन से बनेगा क्या ? जो लेना चाहेगा लेगा, नहीं लेना चाहेगा वैसे ही नहीं लेगा। इस पर मुझे अफसोस है।

माननीय दिग्विजयसिंह जी को इस संशोधन से सहायता जरूर मिलेगी। आज से तीन चार दिन पहले वे मुझे केन्टीन में मिल गये। अपना कभी खाना नहीं चाहिये, कोई खिलावे तो खा लें। उस दिन उनका 12½ रुपया खर्च करवा दिया। हालांकि इसमें मैं अकेला नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक इमरती खाई थी।

श्री दिग्विजयसिंह : मेरे में तो दिक्कत यह है कि कभी यह खर्चा 24) तक पहुंच जाता है।

श्री रामकिशन : पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को वह वापिस लें। कम से कम आज की इस अकाल की हालत में हम लोकचर्चा के विषय इस तरह से नहीं बनना चाहते। हमारे प्रान्त में अभी अकाल है, गरीबी है ऐसी स्थिति में इस पर इस समय विचार करने की जरूरत नहीं है। केवल इस सुविधा के लिये विचार किया जा सकता है जिससे हमारे कार्य में दक्षता बढ़ती हो—रेल, बस किराये का है टेलीफोन का है तो इन पर विचार किया जा सकता है।

आज आपके संशोधनों से वर्ग भेद पैदा हो रहा है। कुछ लोग सरकारी क्वार्टरों में बंगलों में रहते हैं। जो नहीं रहते या नहीं रहना चाहते और अलग से मकान किराये पर लेकर रहना चाहते हैं उनको 200) माहवार आप और देंगे मकान भत्ते का। मेरी इसमें शंका है। जब आप दो सौ रुपया हरेक को लेने की छूट दे देंगे तो कौन इन क्वार्टरों में रहना चाहेगा। सबके लिये क्वार्टर मिल जावें तो अच्छा है। ज्यादा वे सदन में हाजिर रह सकेंगे सुविधा से रह सकेंगे। हरेक चाहेगा कि अलग मकान मिले। तो इसका नियम होना चाहिये। जब तक सरकारी बंगला मिले उसमें रहें होस्टल में रहें। जरूरत हो तो और क्वार्टर बनावें आज तो सरकार को एक एक पैसे की सख्त जरूरत है। अनावश्यक खर्च को नहीं बढ़ाना चाहिये।

कमेटियों के चेयरमैनों के लिए प्रावधान रखा है यह भी असंगत है। बड़ी चर्चा लोगों में होगी इससे। इस पर पुनर्विचार करें।

माननीय वित्त मंत्री भी चालाकी से बच गए हैं। एम०एल०एज० से माथुर साहब ने कहा है कि चुनावों के लिए पैसा बचाओ। पर हमारा खर्चा नहीं है। 31 रुपया हर रोज का भत्ता हो गया है। माथुर साहब चाहे नहीं रहते हों दौरों में बहुत। पर बहुत से मन्त्री

(श्री रामकिशन)

और उप-मन्त्री तो 24 घंटे दौरों पर रहते हैं। 40/35 की मन्त्रियों की फौज में पांच सात के पास काम है, बाकी के पास काम नहीं है। पहले तो काम ही नहीं है इतना, फिर जो काम है भी तो उसे पांच सात मन्त्रियों ने इतना कर रखा है कि उप-मन्त्री के पास फाइल ही नहीं जाती है। मुझे कल नत्थीसिंहजी कह रहे थे एक अखबार में उन्होंने पढा है कि राजस्थान के कुछ मन्त्रियों और उपमन्त्रियों को मुख्य मन्त्रीजी से मिलने के लिये चार चार दिन तक इन्तजार करनी पड़ती है, वे चार-चार, पांच-पांच दिन तक तड़पते रहते हैं पर मिल नहीं पाते।

(2.14 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : महीनों।

श्री रामकिशन : महीनों तड़पते रहते हैं। तो मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों के पास काम नहीं, पांच सात को छोड़कर। इनके पास सारा काम है चाहे प्रशासन का काम हो चाहे दल के संचालन का काम हो। उन्होंने नियुक्तियां ही ऐसी की हैं मन्त्रि-मण्डल में कि उनकी सत्ता बनी रहे बस। सरकार चलती रहे। इसके सिवाय उन के पास कोई काम नहीं दिया। अब वे सोचते हैं कि 31 रुपया कर देंगे तो 900 रुपया से महीना कम नहीं बनेगा। तो वे दौरों पर बने रहेंगे। साल में दो चार पटवारियों का ट्रान्सफर करा देते हैं तीन चार और अपने जान पहचान वालों को इधर से उधर कर देते हैं यह काम है उनका बस। और वह भी आपकी मार्फत माथुर साहब। आपने सब सरकारी अधिकारियों को कह रखा है कि इनके कहने से कुछ नहीं किया जाय। आपने इनको भी कह रखा है कि तुम्हारा कहा कोई नहीं मानेगा। जो तुम्हें कराना हो हमें कहो।

अब सरकार के खर्चे का अन्दाज लगाया है। मन्त्री, उप-मन्त्री तीसों दिन घूमेंगे उनका क्या होगा। आप भी जानते हैं इसके सिवाय उनके पास काम है ही नहीं। तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं और माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि राजकीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोकतान्त्रिक भावना को समझते हुए और हम लोक चर्चा का विषय न बन जावें यह विचार करके आप इसे वापिस ले लें। ये रेल या टेलीफोन वाली बात का मैं कार्य में दक्षता की दृष्टि से समर्थन करूंगा। वरना बाकी बातों का हम विरोध करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के विरोध के लिये खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैं इस बिल पर अपना दृष्टिकोण रख रहा हूं। इसमें मेरा उद्देश्य किन्हीं माननीय सदस्यों पर या किन्हीं दलों पर किसी प्रकार का छींटाकशी करने का नहीं है। या इसका मकसद किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ उठाने का भी नहीं है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बिल के अनुदानों को केवल अपनी आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से ही न देखें बल्कि आज समाज में जो दूसरे वर्ग हैं जिनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों पर समाज के चुने हुए नुमाइन्दों की हैसियत के कारण है उस समाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आई है हम पर उस नाते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उस समाज की व्यवस्था को उसकी कठिनाइयों को उन सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए, पूरे समाज की समस्याओं को किसी हद तक हम हल कर पाते हैं उस हद तक उस अनुपात में हमें अपनी भी समस्याओं को देखने का प्रयत्न करना है। और इस दृष्टिकोण से इस बिल पर हम विचार करेंगे, तो हम अपनी प्रतिष्ठा को भी बनावेंगे और जनता के प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है जो हमारा दायित्व है उसको भी हम पूरा कर पावेंगे।

सभापति महोदय, इस बिल का जो मुख्य प्रावधान है, उसके अनुसार आम सदस्यों को जो वेतन मिलता है जो इस समय 300 रुपया और 100 रुपया भत्ता के नाम से है वह चार सौ रुपया करने का है। और इस तरह यह पांच सौ रुपया करने का प्रावधान है। यद्यपि वह एक सौ रुपयों का अन्तर वेतन में वृद्धि न करके और भत्ते में वृद्धि कहकर की गई है, लेकिन वास्तविक रूप में वह 400 से पांच सौ रुपया करना है। दूसरा प्रावधान जो हमको दैनिक भत्ता इस सदन की मीटिंगों में और कमेटियों में शामिल होने के लिये 21) प्रतिदिन पहले मिलता था वह 31) करने का यानी पचास प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है।

तीसरा मुख्य प्रावधान जो इसमें मैं समझता हूं जो अब तक किये गये हैं। ये तो केवल एमेन्डमेन्ट्स हैं। अभी तक दोनों चीजों का प्रावधान आलरेडी था। और उनके एग्जीस्टिंग इमाॅल्यूमेंट्स में एक 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और एक में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया है लेकिन तीसरा प्रावधान जो बिलकुल नया है वह यह है कि तमाम माननीय सदस्य जो सरकारी मकान में न रहना चाहे-चाहे वह गवर्नमेंट होस्टल हो, धाभाई जी का मकान हो या विधायक पुरी हो या एम०एल० एज० क्वार्टर्स में रहते हैं, इनमें न रहें तो उनको 200 रु० प्रति माह मकान भत्ता मिलेगा। इस प्रकार का तीसरा प्रावधान है। इसके अलावा तीन और प्रावधान हैं, उसमें एक स्टेट रोडवेज की सुविधा है, जो एग्जिस्टिंग है रोडवेज जाती है उसको एक्सटेन्ड किया है। उसको मैं बहुत बुनियादी परिवर्तन नहीं मानता हूं। इसी प्रकार कुछ दलों के नेताओं को टेलीफोन की सुविधा देने की बात है, उसमें पैसा न देकर जनता की सुविधायें देने का उसके अन्दर रखा गया है और तीसरा रेलवे के सम्बन्ध में है-राजस्थान के अन्दर जाने की सुविधा फर्स्ट क्लास की सुविधा रखी गई है। इस प्रकार, सभापति महोदय, 6 सुविधायें हैं जिनमें तीन पुरानी और एक जिसमें कुछ आर्थिक है और कुछ मनोवैज्ञानिक है। दो सुविधायें और दी गई हैं। 7 सुविधाओं का जिक्र है।

सभापति महोदय, इसके अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जबसे राजस्थान में यह सदन बना है सबसे पहले माननीय सदस्यों का वेतन 250) रु० माहवार था और उस 250) से.....

श्री मूलचन्द डागा : 200 रु० माहवार था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाद में उनको 250) रु० किया गया, 62 में 300) रु० किया गया और फिर उसको 400 और 500। मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि हम लोग अपनी तनख्वाहों के लिये दलील रखें, जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वेतन हमारा 52 में था उसके मुकाबले इन्डेक्स नं० बहुत बढ़ गया है, मंहगाई का सूचना अंक बहुत बढ़ गया है और जितना सूचना अंक बढ़ गया है उसी के अनुसार मंहगाई बढ़नी चाहिये। इसका मतलब माथुर कमेटी की रिपोर्ट जो मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन के बारे में जिसकी सिफारिशें की गई थीं-जिसकी सिफारिशों को इसी सदन में कानून बनाने से इन्कार कर दिया। जिस माथुर कमेटी ने यह कहा हर एक मजदूर को कम से कम 60) रु० माहवार मिलने चाहिये। इन न्यूनतम वेतन के अनुसार जितनी मंहगाई बढ़ी उसी के अनुपात में उसको मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये। इस सिद्धान्त को सरकार दुरुस्त अवश्य मानती है। सरकार ने घोषणा अवश्य की कि यह माना जाना चाहिये लेकिन सरकार ने इसको कानून बनाने से इन्कार कर दिया। बेसिक वेतन में इन्क्रीज की बात नहीं है केवल मंहगाई भत्ते में इन्क्रीज की बात है और न्यूनतम वेतन मिलता है उन मजदूरों के लिये जिनको दो समय रोटी भी पूरी नहीं मिलती है। उसको इस आधार पर, आवश्यकता के आधार पर स्वीकार्य मानते हैं, दुरु त मा ते हैं, व्यवहारिक आधार पर इन्कार कर दिया, कानून बनाने से इन्कार कर दिया। आज इंजीनियरिंग के मजदूरों की हड़ताल है, आज वेतन बोर्ड ने जो सिफारिश की है राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एम्पलॉयर्स के सामने सजेशन रखा कि न्यूनतम वेतन इतना हो जाना चाहिये, उसमें ए० सी० मुकर्जी के मजदूर आज सड़कों पर फिर रहे हैं, मान कॉर्पोरेशन के मजदूर आज सड़कों पर फिर रहे हैं, केपस्टेन के मजदूर सड़कों पर फिर रहे हैं...

श्री सभापति: ऑर्डर, ऑर्डर। आप विषय से बाहर न जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं समझता हूं यह रेलेवेन्ट बात है आखिर यह सदन, हम माननीय सदस्य समाज के दूसरे वर्गों को जिन्हें कानून में जो हमको अधिकार हैं वे ही उनको भी है। हम समाज के दूसरे वर्गों को किस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको किस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं यह बहुत रेलेवेन्ट होगा क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा आचार, हमारा केरेक्टर जनता की तुलना पर परीक्षण पर होगा। हमारे आचरण का, हमारे निज के आर्थिक लाभ को जनता को देखने का मौका मिलेगा। उस न्यूनतम वेतन को आज सरकार पूरा कराने में मजबूर है और आज उनको हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। माथुर कमेटी को हम मंजूर नहीं करा सके और आज उस सिद्धान्त पर मंहगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। उसका मतलब जहां 200 सन् 52 में स्टार्ट किया आज हम उसको 500) रु० कर रहे हैं। ढ ई सौ प्रति वर्ष की इन्क्रीज करना चाहते हैं। हम यह देखें समाज के दूसरे वर्ग इन्क्रीज कर दिये हैं क्या इस तरीके से? इस बढ़ती हुई मंहगाई के अनुसार उनको जो वेतन देने के अधिकारी हमारी सरकार है या जिसका बजट हम लोग मंजूर करते हैं जो पब्लिक सेक्टर को सरकार नियंत्रण करती है या निजी उद्योगों में सरकार अपने हस्तक्षेप से करा सकती है उसमें यह तथ्य है नहीं करवा सकी। जो थोड़े बहुत मजदूर प्राप्त कर पाये हैं उनको मजदूर अपने कलेक्टिव वतरी के से लड़कर हासिल कर पाये हैं।

सभापति महोदय, मैं दूसरी दृष्टि से भी चाहूंगा यह विचार करें यही वेतन भत्ता दूसरी विधान सभा सदस्यों को है या नहीं?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन विधान सभाओं में क्या मिलता है? जहां तक मेरी जानकारी है सभापति महोदय, शायद मध्य प्रदेश को छोड़कर....

श्री रामकिशन : महाराष्ट्र।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनकी पर केपिटा इन्कम, जिस स्टेट्स की पर केपिटा इन्कम हमारी स्टेट से अधिक है। हमारी नीचे से तीसरे दर्जे पर है और हम विधान सभा के सदस्य हम अपने वेतन और कुछ ऊपर के सदस्यों के अनुसार चाहें, आप भी, माननीय सदस्य, इस पर विचार करें यह कहां तक उपयुक्त होगा, कहां तक वाजिब होगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप यह ख्याल रखें 500 रु० वेतन और 31 रु० रोज का भत्ता। अगर सौ दिन भी हाउस और कमेटियां चलें तो तीन हजार रुपये हो जाते हैं जो ढाई सौ रुपये माहवार के हिसाब से भत्ता मिल जाता है-550, 200, 750 और 200 साढे नौ सौ रेलवे फेयर यह एक हजार रुपया माहवार के करीब पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अभी राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उत्तर दिया था और उस उत्तर में-जो उस उत्तर का मुख्य आधार स्तम्भ था, कई बातों को वाजिब मानते हुये आर्थिक कारणों से व्यवहारिक नहीं मानते हुये कि स्टेट पर बहुत बोझा पड़ेगा इस कारण दुरुस्त होते हुये भी नहीं बढ़ाया। अभी पेन्शन का सवाल आया। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पेन्शन में एड हॉक वृद्धि की है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा इस पर विचार करेंगे कि कितना वित्तीय असर पड़ता है फिर तय करेंगे। आखिर वित्तीय, वित्तीय पहलू है, उसकी वित्तीय आवश्यकता क्या है, उसके मोरल पहलू हैं उसका समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या असर पड़ेगा, हम इस बात पर सोचें। माननीय मंत्रीजी को इस बात की जानकारी होगी कि जब सरकारी कर्मचारियों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था तो उन्होंने यह कहा था सरकारी कर्मचारियों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उनको अपनी वेतन-वृद्धि में मांग करते हुये इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हमारे समाज के दूसरे अंग कहां पर खड़े हुये हैं।

दूसरे निजी इन्डस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों की तनख्वाह के स्तर क्या हैं, यह नहीं हो सकता कि उनके स्तर नीचे रहें और केवल राज्य कर्मचारियों का स्तर ही ऊंचा रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दलील को हम अपने ऊपर भी लागू करके देखें। हम अपने से ही पूछें कि क्या समाज के दूसरे अंग जब इस बिल में हमारे ही हाउस में, हम ही वोट करने वाले, मैं नहीं समझता कि हमारी विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम हैं जिनमें कहा गया है कि जिस मामले से किसी सदस्य का निजी हित संबंधित हो तो वह बोल नहीं सकता। मैं कहां तक उन नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं या माननीय सदस्य सब के सब इस पर वोट के अधिकारी हैं या नहीं और हम अपना वेतन खुद ही तय कर रहे हैं, अपनी दलील को हम अपने ही लिए रख रहे हैं और अपने ही पक्ष को हम अपने ही लिये रख रहे हैं और जो जनता टैक्स पेयर है वह मूक दर्शक के रूप में देख रही है। वह वोट नहीं दे सकती। इच्छा है उसकी इन्टरवीन करने की। हो सकता है वह इस हाउस में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्टरवीन नहीं कर सके लेकिन बाहर जरूर करेगी। माननीय सदस्य जब जनता में जायेंगे चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों-चाहे मैं हूं और और चाहे आप हों सब को जनता कहेगी...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : आप अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए त्याग करके जनता के सामने आइये। उन्हें बतायें कि आपका यह मनोबल है। कहने से कुछ नहीं होता। अपना करके बता दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्या से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह न मेरे लिए उचित होगा कि मैं इस बात का बखान करूं कि हम पार्टी वाले क्या कुर्बानी करते हैं। यह माननीय सदस्यों की जानकारी में है। न मैं आपसे सर्टीफिकेट चाहता हूं। मैं इस बुनियाद पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप न इसको अपने ऊपर छींटाकशी समझें और माननीय सदस्य जो दूसरे विचार रखते हैं उनको भी बहुत आजादी से अपने विचार रखने का अधिकार है, वह रखें। जो हमारा विश्वास है वह विश्वास के साथ, जनता के साथ हम उस बात को रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी इस सदन में जो भी मेजोरिटी है, जो भी हाउस का कान्शसनैस है उसके मुताबिक इस हाउस में निर्णय होते हैं। उसको किस हद तक रोका जायेगा वह हमारे सामने सीमा है। तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस दृष्टिकोण से हमारा जो यह 500 का अंक है, जो यह बढ़ोतरी है यह बिलकुल अनुचित मालूम पड़ती है। जब 300 से 400 की बात थी उस समय भी मैंने जब विभिन्न दलों के नेता एकत्रित हुए उस समय भी मैंने एक सुझाव दिया था और मैं आज भी अपना दृष्टिकोण दुरुस्त मानता हूं। आम तौर पर जो सारे सदस्य हैं जिनके पास अधिकतर कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि जिनके पास अपने वाहन नहीं हैं और खास तौर पर जो देहात से चुनकर आये हैं उन लोगों के लिए अपनी कान्सटीटूएन्सी जाना सम्भव नहीं है बगैर वाहन के इसलिए यदि सरकार वाहनों का इन्तजाम अपनी तरफ से कुछ लिमिटेड दिनों के लिए-महीने में या पीरियोडीकली कर दे तो ज्यादा अच्छा है। किसी तरीके से तनख्वाह नहीं बढाकर इसमें बढ़ोत्तरी नहीं करें और जो आप भत्ते की बात करते हैं वह न करें और जनता के अन्दर जाकर जनता की सेवा करें। पैसे को पाकेट में नहीं डालें, आपकी बैंक बैलेंस बढ़ने की कोशिश नहीं हो बल्कि लाजिमी तौर पर जनता की सेवा करें। ऐसा करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि पूल की जीप 3 रोज के लिए विधायकों को मिल जाये ऐसी व्यवस्था कर दें लेकिन आप भत्ते का और पैसे बढ़ने की पैरवी करेंगे तो उस पैसे का निजी फायदे के लिए उपयोग करने की बात होगी और वह गलत मनोवृत्ति और गलत दृष्टिकोण माननीय सदस्यों में पैदा करने की बात होगी। जो 100 रुपये की बढ़ोत्तरी है उसके बारे में हमारा यह दृष्टिकोण है।

सभापति महोदय, जहां तक हाउस अलाउन्स का सवाल है मैं समझता हूं कि इसका जस्टीफिकेशन या इसका एक कारण शायद यह पैदा होता है कि हमारी सरकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने सभी लोगों के लिए क्वार्टर्स या बंगले नहीं बनाये हैं। ये तीन जगहों पर हैं जिनमें मैं समझता हूं कि करीब 50 या 55 माननीय सदस्यों को एकोमोडेशन मिलती है। बाकी माननीय सदस्यों को गवर्नमेंट हास्टल में बगैर अपने परिवार के रहना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत बोलने वाले नहीं हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता: कई सदस्य बोलने वाले हैं। कृपा करके समय का निर्धारण कर दें।

श्री सभापति: यह आपके दल का मामला है। इस पर बहुत विचार व्यक्त करना चाहेंगे। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि व अपने विचार संक्षेप में रखने की चेष्टा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर दो बातों पर बोलकर खतम करूंगा।

जहां तक मकानों की सुविधाओं का सवाल है, सभापति महोदय, मैं यह मानता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को क्वार्टर्स या बंगले नहीं मिले हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की सी स्थिति अवश्य है और उनको अवश्य यह बात अखरती होगी कि जिन लोगों के पास बंगले हैं वह ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं और इसके अलावा पीछे जिस तरह के अमेन्डमेन्ट्स किये गये हैं जिनमें बिजली और पानी की सीमा निर्धारित करके उनके बिल पेमेन्ट नहीं करने की सुविधा थी उसका मैं समझता हूं कि दुरुपयोग हो रहा है। उस समय यह ख्याल था कि बिजली के 12 रु० और पानी के 10 रु० इस तरह से उसका ब्रेक-अप किया गया था लेकिन अभी जिस तरह से एक्चुअली इसका खर्चा आ रहा है यह खर्चा बहुत ऊंचा है और जिस समय इसमें अमेन्डमेंट किया गया था उस समय माननीय सदस्यों ने दिक्कत बताई थी कि पेमेन्ट की दिक्कत होती है और इससे आर्थिक लाभ उठाने की इच्छा बिलकुल नहीं थी और अभी जो हाउस कमेटी ने हमारे पास फीगर्स भेजी हैं उसमें माननीय रामकिशन जी ने बताया कि 6-6 महीने के 1,500 रुपये बिजली का खर्चा है। मैं किसी भी माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता और न उसकी आवश्यकता ही है। मेरा भी थोड़ा उससे अधिक है। मैं समझता हूं कि इस तरह से खुला रखने में हमारे घरों में गलत दृष्टिकोण पैदा होता है। बाहर की बिजली जबरदस्ती जल रही है और पानी वेस्ट जा रहा है यह राष्ट्रीय अपव्यय है जिसको रोका जाना चाहिए इस लिए मेरा सुझाव यह है, सभापति महोदय, कि या तो एक सीलिंग मुकर्रर कर दी जाये या जो ब्रेक-अप पहले का है वह सीलिंग रखी जाये या फिर जो एक्चुअल्स हैं वह पेमेन्ट किया जाये और पेमेन्ट की व्यवस्था हमारे सेलेरी बिल के साथ कर दी जाये ताकि वहां पेमेन्ट करने के लिए नहीं जाना पड़े। मुझे इसमें भी ऐतराज नहीं है और जो मेरे घर में ज्यादा खर्चा हुआ है उसका भी पैसा काट लिया जाये उससे भी मुझे ऐतराज नहीं है सभापति महोदय, मुझे इस बात में भी ऐतराज नहीं होगा कि इन बंगलोज का रेन्ट इनमें कुछ मरम्मत हुई हो, सरकार इनमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही हो, तो इनकी कीमतों को देखते हुए रेज भी कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह वाजिब होगा. वह दुरुस्त होगा। माननीय सदस्यों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के लिये सरकार को क्वार्टर्स बनाने की कोशिश करना चाहिए, तब तक माननीय सदस्यों को जिनको गवर्नमेंट होस्टल में रहना पड़ता है उनको डबल रूम्स अलॉट कर दिये जायं। कई तो वहां पर डबल रूम्स हैं, लेकिन जो सिंगल रूम्स है उनके बीच में दरवाजा निकाल कर उनको डबल रूम बनाया जाना चाहिये और ये डबल रूम बिना किसी किराये के माननीय सदस्यों को दिये जायं और जो अभी किराया 1 रु० 10 पैसा प्रति दिन का लिया जाता है वह न लिया जाय और इस रूप में उनको कम्पेन्सेट किया जाय। बाकी यह जो 200 रुपये वाली बात है मैं समझता हूं माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे कि यह अनुचित बात होगी।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): आप वेहीकिल की बात कहते हैं तो क्या माननीय सदस्य आप जैसे मिसयूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। वेहीकिल का एक हजार रुपया भी कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करें। आज हमारे समाज में, परिवार में मां सब को खाना परोसती है और सब बच्चों का पेट भरकर जितना भी बचता है उससे अपना पेट भरती है। कम रह जाता है तो कम भी लेलेती है और ज्यादा होता है तो दूसरे दिन बच्चे सवेरे खा लेंगे उनके लिए रख कर अपना पेट भर लेती हैं। हम सभी इस समाज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उस रूप में हम समाज के प्रति मां जैसे परिवार के अन्दर जिम्मेवारी होती है हम समाज की मां हैं और मां के हिसाब से, मां के दृष्टिकोण से आप लोगों का, हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्या मां सबसे पहले अपनी थाली में खानाप रोस्ती है? क्या मां अपनी थाली में हलवा और खीर रखती है? इस दृष्टिकोण से सोचना है, इस बात पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह बिल माननीय सदस्यों को आर्थिक रूप से भ्रष्ट रास्ते पर लेजाने वाला बिल है। माननीय सदस्यों को गलत रास्ते पर...

श्री रघुनाथ विश्नोई: भ्रष्ट का कैसे कहते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह गलत मनोवृत्ति पैदा करने का दृष्टिकोण है। सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीरता से इस बिल पर विचार करें, और मैं भी माननीय वित्त मंत्रीजी से यह कहूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें।

श्री सभापति: श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह: सभापति महोदय, इस बिल का जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया है उनका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): वाह, वाह।

श्री विजयसिंह: सभापति महोदय, अगर कोई बुड्ढा आदमी 60-70 साल का

(श्री विजयसिंह)

अपने जवान बच्चों को कहें कि तुम शादी मत करो यह बहुत बुरी चीज है तो वह बुड्ढा आदमी उस जवान बच्चे की तड़फ को कब समझेगा ?

निवेदन यह है कि जो 400 रुपये महीने के माननीय सदस्यों को दिये जा रहे हैं जिनमें से 50 रुपया तो, मैं व्यक्तिगत समझता हूं, हाउस रेन्ट में ही कट जाता है, और 50 रुपया और टैक्स लेने वाले आते हैं उनमें कट जाता है, तो अब 300 रु॰ रहते हैं तो अगर किसी ने फेमिली प्लानिंग को अपनाया हो तो जैसे मेरे दो बच्चे हैं तो 100 रु॰ महीना तो उनकी शिक्षा पर चला जाता है। अब 200 रुपये रहते हैं उनमें क्या होता है ? इसका मतलब यह है कि हमें यह बताया गया है कि जब कोई साधन न रहे और कोई आमदनी का जरिया हम नहीं कर सकते हैं तो भ्रष्टाचार करें। वह भ्रष्टाचार हम कर नहीं सकते। तो, सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जब जिस कार्य में लगे हुए हैं जिसके लिए हमें परमेनेन्ट पट्टा तो नहीं दिया गया है कि हम हमेशा विधायक ही रहेंगे। जनता का राज्य है। जनता जिस रोज तक चाहेगी जनता रखेगी और जिस रोज चाहेगी जनता रवाना कर देगी। किसी को हमेशा के लिए पट्टा नहीं दिया गया है। कई जगहों पर दूसरे सदस्य आयेंगे तो उनको भी ये ही फेसिलिटीज मिलेगीं, और इन फेसिलिटीज के मारफत हम ठीक तरीके से कार्य कर सकें, ठीक तरीके से पब्लिक की सेवा कर सकें। और इसके अन्दर तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन करने वाला हूं कि टेलीफोन की सुविधा चीफ व्हिप को न देकर सभी माननीय सदस्यों को दी जाय, क्योंकि यह अत्यन्त जरूरी है और इसके मारफत बहुत से काम हो सकते हैं, वर्ना एक माननीय सदस्य को रिक्शा भाड़े में बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए और नहीं तो कम से कम टेलीफोन लगा दिये जायं उसका खर्चा हम बरदाश्त कर लेंगे। यह सहूलियत तो होनी चाहिए।

श्री सभापति: श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में सरकारी पक्ष की ओर से विरोधी दल के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया, और इस प्रश्न के ऊपर कई दिनों तक विचार होता रहा। इस सारी चर्चा में विवाद दो बातों पर विशेष तौर से चला। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि माननीय सदस्यों को नकद में सुविधा न देकर काइण्ड में सुविधाएं दी जायं ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा राजस्थान के अन्य भागों में जाकर जनता की सेवा कर सकें। उसी विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप सरकारी पक्ष ने जो उचित समझा उस आधार पर यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय, सन् 53 में जब मैं इस विधान सभा में सदस्य बना था तो सन् 1952 के चुनाव में मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि विधायक के नाते मुझे वेतन मिलेगा, और इस कारण जब पहली बार विधान सभा में विधायकों के परिलाभ एवं वृत्ति के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत किया गया तो उस विषय

(श्री भैरोंसिंह)

में मुझ को ही नहीं अधिकांश सदस्यों को इस बात पर कोतूहल था कि हम लोगों को भी वेतन मिल रहा है। उस समय से लेकर अब तक जब कभी भी विधान सभा में सदस्यों के परिलाभ एवं वृत्ति के सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत हुआ है मैं समझता हूं विधान सभा के लिए और हम सब के लिए भी एक आलोचना का विषय रहा है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली में हमने इस बात की व्यवस्था की है कि जिस प्रश्न के सम्बन्ध में या जिस विषय के सम्बन्ध में किसी भी माननीय सदस्य की कोई रुचि हो तो न तो वह उस पर बोल सकता है और न उस पर अपना मतदान कर सकता है। जहां तक नियमों की भावना का सवाल है वह केवल यही रही है कि कोई भी सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के प्रश्न पर इस विधान सभा के प्रांगण का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी व्यवस्था को आज सामूहिक रूप में मैं देखता हूं तो मुझे इस बात की वेदना होती है कि विधान सभा के सदस्य स्वयं ही अपने भत्ते और वेतन के सम्बन्ध में निर्णय लें और वह निर्णय सब को स्वीकार हों तो इसके लिए आरम्भ से ही मैं इस बात की मांग करता चला आ रहा हूं कि हम यदि इस प्रकार के निर्णय अपने आप से लेंगे तो निश्चित रूप से जनता की आलोचना के शिकार होंगे, और इसलिए कोई भी इन्डिपेन्डेन्ट मशीनरी हमें इवॉल्व करके चलना चाहिए कि जो समय समय के ऊपर विधायकों को किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं इस सम्बन्ध में निर्णय या विचार विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते रहें। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि यह केवल राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण देश में इस बात की मांग होते के बावजूद हम आज तक इस व्यवस्था को नहीं पनपा पाये हैं, और उसी का परिणाम है कि जब लोक सभा में लोक सभा के माननीय सदस्यों के वेतन, भत्ते और बाकी की सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया तो आपने और हमने सबने समाचार-पत्रों में इसकी टीका टिप्पणी को पढ़ा होगा कि किस प्रकार की आलोचना हुई है, उसका भी हमने अनुभव किया होगा तथा आलोचना का मुख्य आधार भी यही बनाया गया। जिन लोगों के हाथ में सत्ता है, जो निर्णय लेने के अधिकारी हैं, वह अपने स्वयं के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए मैं सदन को इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि वह निर्णय हम नहीं लायें। उदारता के स्वरूप में कुछ न कुछ क्राइटेरिया मानकर चलना है जिन लोगों ने हमारी आलोचना की है। किस प्रकार की अब तक वेतन और मंहगाई भत्ते के विरोध करने की आवश्यकता पड़ी है। इसलिए मैंने सदन को कहा था कि नकद के बजाय जो हमें किसी प्रकार की मदद दे रहे हैं, उसको काइंड में दें। जैसे 100 रु० टेलीफोन के लिए दे रहे हैं। व्यक्ति के पास पैसा आता है। कामों में खर्च होजाता है जिस परपज के लिए धन दे रहे हैं, उसका हल नहीं होता है। 100 रु० के बजाय प्रत्येक विधायक जो जयपुर में निवास करता है, जयपुर में हो, या जहां कहीं निवास करता हो, उसको टेलीफोन दीजिए सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सरकारी पक्ष यह व्यवस्था करके चले कि हर विधायक को टेलीफोन देंगे और उस पर सीलिंग करके चलें कि इतना खर्चा होगा। उसके ऊपर जो खर्चा होगा वह विधायक को स्वयं वहन करना होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

जयपुर में अगर हमारे पास टेलीफोन नहीं हो तो कितनी असुविधा हम को हो सकती है। आज साइंटीफिक युग में विधायक के पास टेलीफोन न हो तो उसे काम करना कठिन हो जाएगा। विधान सभा चल रही है, हमें कोई जानकारी नहीं होती है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, कई बार रात को टेलीग्राम आते हैं जब रात में टेलीग्राम आता है और वह घटना ऐसी है कि उसके आधार पर हम एडजोर्नमेंट मोशन मूव करते हैं। टेलीफोन न होने से हमें जानकारी नहीं मिलती है। हम अपने पक्ष को रखते हैं सरकार अपने पक्ष को रखती है। उसके पास जानकारी के लिए साधन हैं। हम अपने पक्ष में जानकारी से असमर्थ रहते हैं। ऐसे विषय में मूल चर्चा नहीं हो पाती है। जो 100 रु० का भत्ता देना चाहते हैं, उस भत्ता देने के स्थान पर टेलीफोन की सुविधा दें तो 100 रु० का जो जो देना चाहते हैं उससे कम खर्चा होगा। आपके खर्चे में 100 के हिसाब से 1,72,800 रु० का खर्च रखा गया है। टेलीफोन में 200 रु० का फर्स्ट इंस्टालमेंट का खर्चा मान लें। तो टेलीफोन तो लेकर कोई विधायक जानेवाला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हर साल नहीं एक बार ही है।

श्री भैरोंसिंह : वह एक बार का खर्चा लगाकर चलें तो भी कम रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी जरूरत हो वह सुविधा आप दें। सुविधाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा जैसा कि अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट के मेम्बर्स आये थे। उनसे जो बातचीत हुई तो उसकी तुलना में राजस्थान विधान सभा और हिन्दुस्तान की लोक सभा भी बहुत पीछे रहते हैं। उन्होंने बताया कि हम को सुविधाएं ज्यादातर काइंड के रूप में की जाती हैं। आज कोई भी ऐसा मेम्बर नहीं है जिसके पास लाइब्रेरी नहीं हो। हर सब्जेक्ट की नॉलेज ग्रहण करने की सुविधा है। दुर्भाग्य से किताबों की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं।

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)।

श्री भैरोंसिंह : आप बाद में बोल लेना। बीच में उछलकूद करने की आदत पड़ गई है! शक्ल से तो भोले आदमी मालूम होते हैं।

तो उन लोगों ने बताया कि हर एम० एल० ए० के पास लाइब्रेरी की सुविधा है।

श्री मूलचन्द डागा : सुविधाओं की बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लाइब्रेरी में सरकार अलग अलग विषय की पुस्तकें खरीदें। मैं तीसरा प्रश्न भी प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर विधायक के पास मैं समझता हूं 10-15 लैटर प्रतिदिन अपनी कान्स्टीटुएन्सी से आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम उन लैटर्स में यह लिखकर भेजें तो 100 के 100 काम नहीं होंगे। लेकिन 30-40 प्रतिशत काम होंगे। फिर उनकी कोई प्रति भी नहीं रह सकती। अगर हम पैसा देकर टाइप करायें तो हमें सुविधा नहीं हो सकती। विधायकों को इस बात की सुविधा की आवश्यकता है कि विधायकों को ग्रुप के साथ करके, पार्टीज को साथ करके किसी प्रकार से विधायकों को स्टेनो टाइपिस्ट की व्यवस्था

(श्री भैरोंसिंह)

करें। जिससे विधायक अपनी सरकार के सामने ठीक प्रकार से अपने कार्य सम्पादन कर सकें। इन खर्चों पर यह व्यवस्था हो सकती है। बाकी वेतन भत्ता कुछ भी मिले वह न स्टेनो रख सकता है। न वह अपने खर्चे से कॉन्स्टीटूएन्सी की समुचित सेवा कर सकता है। पैसा आएगा तो घर में खर्च होगा। कुछ पान वाला लेजाएगा। बाकी लेनेवाले ले जायेंगे। सिर्फ बाबाजी बचेंगे। आज ऐसी स्थिति में विचार करना पड़ेगा। हमने रोडवेज की सुविधा दी है। यह बहुत अच्छा है। मैं कई बार यात्रा नहीं कर सकता हूं। कई बार खर्च की जरूरत होती है। पैसा नहीं होता है। हम भी नहीं जा पाते हैं। जैसे अकाल का मसला आया था। यदि इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो वहां नहीं जा सकता था। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार मंहगाई भत्ते का प्रश्न है। आज आवश्यकता है चीजों के भावों को स्थायी करने की। चीजों का यह आधार लेकर चलें तो राजस्थान की जनता की स्थिति क्या है? तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो हमें 300 रु० वेतन मिलता है वह भी कम है।

(3 म० प०)

वह भी ज्यादा है। राजस्थान की अपर-केपिटा इन्कम के अनुपात से हिसाब लगाया जाय, राजस्थान के लेबर की इन्कम जो प्राइस इन्डेक्स के आधार पर हो, के आधार पर लगायें तो भी मैं विश्वास से कह सकता हूं कि तीन सौ रुपये ज्यादा हैं और उसमें कटौती की जानी चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमारी सुविधाओं का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है इसलिए पर-केपिटा इन्कम के आधार पर इस प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकते। हमें इस प्रश्न का निर्णय करना पड़ेगा विधायक की जिम्मेदारी के साथ, हमें इस प्रश्न पर निर्णय करना पड़ेगा विधायक की अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के प्रति रेस्पान्सिबिलिटी के साथ-वैसे विधायक केवल अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी का ही नहीं है, वह चुने जाने के बाद पूरे राजस्थान का प्रतिनिधि है। उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी की दृष्टि से बाकी की चीजों के आधार पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं, राजस्थान में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी पर-केपिट इन्कम बहुत कम है, उनको दो टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। इस मापदण्ड के आधार पर चलते हैं तो पचास रुपये माहवार से ज्यादा लेने की हिमाकत हमें नहीं करनी चाहिए, पचास रुपये के लेवल तक इस राशि को ले जाना चाहिए। इसी आधार पर मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि कल ऐसा ही एक प्रश्न आया था, सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, सरकारी कर्मचारी जो यह मांग कर रहे थे। कि क्योंकि वह जयपुर में रहते हैं इसलिए जयपुर में बसते हुए उन्हें उनका खुद का मकान होते हुए भी मकान का भत्ता मिलना चाहिये, लेकिन उस मांग को सरकार ने रिजेक्ट किया। उसके बाद भी इस सदन के माननीय सदस्यों को इस आधार पर भत्ता दें तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन यह एक बहुत ही आलोचना का विषय बनेगा। इसलिए इस दृष्टि से इस प्रश्न पर सदन द्वारा विचार करना चाहिए।

अब, मैं सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान में राजनीति और राजनैतिक क्षेत्र एक आलोचना का विषय बन गया है। इसलिए हमें प्रयत्न यह करना चाहिये कि राजनीति

Page No 150

(श्री भैरोंसिंह)

शुद्ध रहे और राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ता के दिमाग में ईमानदरी, ने इन्सेंटिव और एफीशियेन्सी से काम करने की लगन हो। लेकिन आज हालत यह हो गई है किसी आदमी के पास जाओ, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्त्ता जायं या हम चले जायं, मेरे अनुभव में यह आया है कि किसी व्यक्ति को जाकर कहें कि तुम दुनिया भर की आलोचना करते हो, तुम्हें इसके बजाय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और मर्जी आये जिस पार्टी का सदस्य बनना चाहिए तो वह व्यक्ति एक वाक्य में जवाब देता है। राजनैतिक पार्टी में मैं नहीं जाना चाहता हूं। यह बेइमानी का धन्धा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइस वर्ष के अन्दर राजनीति को आपने इस स्तर तक ला दिया है कि साधारण से साधारण आदमी भी, जो राजनैतिक क्षेत्र में काम करते हैं उनके ऊपर एक बार तो कमेण्ट किये बिना नहीं रह सकता। वह राजनैतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनना चाहता आज कोई आदमी झूठ बोलता है, बेइमानी करता है, किसी आदमी को धोखा देता है और उसको कोई जाकर कह दे कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो एकदम से जवाब यह मिलता है। तुम पागल हो, यह तो आज की राजनीति है आपने आज राजनीति और राजनैतिक क्षेत्र की यह दुर्दशा कर दी है। इसलिए मुझे यह भय है कि इस प्रकार का कदम उठाने से राजनैतिक क्षेत्र की आलोचना में कुछ वृद्धि होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करन चाहिए और गम्भीरता से विचार करने के साथ में हमें अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से, स्वस्थ रूप से और दूसरे रूप से कार्य रूप में परिणत करने की व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए, पार्लियामेंट के लेवल पर विचार करना चाहिए और विधेयक स्वयं अपने भत्ते आदि के बारे में निर्णय लेते हैं वह न लेकर ऐसी कोई मशीनरी के हाथ में इन प्रश्नों पर विचार और निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए और वह किस प्रकार की सुविधायें विधायकों को दी जायं—इस प्रश्न पर विचार करके अपना निर्णय दें और उस निर्णय के अनुसार व्यवस्था की जाय। ऐसी हालत में जो सुविधायें इस बिल में दी गई हैं उनका मैं विरोध करता हूं और इस नाते इस बिल का भी विरोध करता हूं।

श्री शंकरलाल : क्या आपका सजेशन वेज बोर्ड का है?

श्री भैरोंसिंह : वेज बोर्ड का नहीं है।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : सभापति महोदय, जब एक माननीय सदस्य ने इस बिल का विरोध किया है तो वैसे तो मैं उनके विरोध का स्वागत करता हूं क्योंकि उनके मन में गरीबों के प्रति बड़ा रहम है लेकिन जब एक तरफ हम विरोध करें और दूसरी तरफ बाद में भत्ते आदि लेते वक्त ले लें तो मैं तो ग्रामीण आदमी हूं; मेरे विचार से तो यह ऐसी बात है :

बातां में कांई धरयो कथनी करनी मायंने
कौड़ी लगे न एक जदी आंतरो होय
बोले ज्यों चाले सदा ऊ नर को कदी
हे सांचो नेक ! आदर करे न कोय

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

कथनी और करनी के अन्दर एका बैठाना चाहिए, सामंजस्य लाना चाहिए। अगर विरोध केवल इसलिए करें कि अखबारों में आ जाय, उसमें आ जाय तो बहुत बुरी चीज होगी। मैं यह नहीं कहना चाहता था किन्तु आज मैं निवेदन करता हूं, जब मैं पहले पहले इस विधान सभा का सदस्य बन कर आया, तब मैंने कुछ माननीय सदस्यों के क्वार्टर के बिजली के बिल देखे, दो दो सौ रुपये के बिजली के बिल थे, तो मुझे उन्हें देख कर बड़ी पीड़ा हुई। मैंने उनके घरों में हीटर जलते हुए देखे। मैंने उनको कहा कि यह हीटर क्यों जलाते हो। तो उन्होंने उत्तर दिया—क्या आपने खरीद कर दिया है। जो राष्ट्र का पैसा है, वह क्या हमारा पैसा नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्या किया मैंने एक दरख्वास्त लिख कर दे दी कि मैं बिजली की रियायत नहीं लूंगा। मेरे क्वार्टर में आप मीटर लगा दीजिये। उसके बाद जो भी बीस पच्चीस रुपये का बिल आता है वह मैं चुकाता हूं और बिजली और पानी का पैसा मैं यहां से नहीं लेता हूं। इसका परिणाम यह हुआ है कि इसका असर मेरे बच्चों पर भी पड़ा है। शाम को जब वह गप्प शप्प लड़ाने बाहर बैठते हैं तो वह बिना लाइट जलाये बैठते हैं। उधर से गुजरने वाला व्यक्ति होता है वह उनको बिना लाइट जलाये बैठ देख कर पूंछता है—बिना लाइट जलाये क्यों बैठे हो तो वह उत्तर देते हैं— आपको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता है, लेकिन हम देते हैं। इसलिए हम इस प्रकार बैठते हैं। इसी तरह से जो प्रथम श्रेणी से यात्रा नहीं करते हैं फिर भी वह प्रथम श्रेणी का किराया लेते हैं—यह एक गैर कानूनी चीज है, लेकिन इसको आपने कानूनी दृष्टि से जायज कर रखा है। लेकिन मैं इसको पाप मानता हूं। इस कारण ही कई अधिकारी हमारी ओर अंगुली उठाते हैं, यह आपके विधायकों की स्थिति है कि प्रथम श्रेणी का किराया लेते हैं लेकिन विधायक थर्ड श्रेणी में यात्रा करते हैं। तो इससे बचने को मैंने क्या किया, मैंने तय कर लिया कि चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, मैं फर्स्ट क्लास का उपयोग नहीं करूंगा और मैं बराबर थर्ड क्लास का ही किराया चार्ज करता आया हूं, और ऐसा मैं वक्त तक करता रहूंगा जब तक कि यह हाउस यह तय नहीं कर ले कि बस के पास की तरह ही रेल का पास भी विधायकों को मिलेगा। जब ऐसी स्थिति होगी तब मैं रेल में फर्स्ट क्लास में आऊंगा, बाकी जब तक मैं इस सदन का सदस्य रहूंगा, तब तक मैं थर्ड क्लास में बराबर आऊंगा। बिजली, पानी और पास के मामले में मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों को रियायतें नहीं मिले, वह मिलनी चाहिएं क्योंकि वह लोग एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं और उनके जिम्मे बहुत ज्यादा काम है और इसलिए उनको कुछ न कुछ रियायत मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो सीलिंग हो। इसलिए आप बिजली आदि के मामले में सीलिंग करिये और उसके बाद में जितना भी खर्च हो, विधायक अपनी पॉकेट से दें। मैं माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ऊपर सीलिंग नहीं है तो आप सीलिंग कीजिये। और अगर है, तो अच्छी बात है। तो एक सब सदस्यों के लिए बिजली आदि के मामले में सीलिंग करें, और दूसरी तरफ यह कहें कि फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ कर वह थर्ड क्लास में क्यों आते हैं?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बहुत दफा, मैं मानता हूं, आर्थिक परिस्थितियां मजबूर करती हैं, मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन एम० एल० ए०, एम० पी० को ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नैतिक दृष्टि से पाप है। वह पाप न करें। अनैतिकता की तरफ न बढ़ें। नैतिकता की तरफ बढ़ें तो अच्छा होगा।

हरएक ने कहा है कि जो चपरासी हम रखते हैं, उसकी जो स्थिति है सचमुच उसके प्रति हमारे दिल में दर्द है। कई लोगों को वाकई में कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी आय पचास रुपये है जो अपर्याप्त होती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए भी पचास रुपये पर्याप्त होते हैं, हम भी इस आय में रूखी सूखी खाकर गुजारा करें। लेकिन यह तो करें नहीं और यहां पर ख्वामख्वाह में आलोचना करें यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई मामले ऐसे हैं जिन पर हमें सोचना पड़ेगा। विधायक गवर्नमेंट होस्टल में आराम से रहते हैं। मुझे यह कहा गया कि आप निकम्मे मकान में क्यों रहते हैं। मैंने कहा कि मेरा जो घर है उससे तो यह हजार गुना अच्छा है। यहां से जाकर तो मुझे वही खपरैल के मकान में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं। तो यह जो प्रोवीजन रखा है, यह कृपा करके न रखें। मैं मानता हूं कि यह माननीय सदस्यों को बुरा लग सकता है। जो जयपुर में रहते हैं, उनको क्यों न मिले और जब किराया मिनिस्टर लेते हैं तो वह भी लेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदयों से कहूंगा कि आपमें से जो घर के मकान में रहते हैं वह कृपा कर के किराया न लें। मैं मंत्री महोदयों से यह भी निवेदन करता हूं कि हम बीस या चालीस कुछ तो देते ही हैं, कृपा करके आप भी दीजिए, ताकि यह चीज सारी की सारी खत्म हो जाय। और आज जिस तरह विधायक होस्टल में रहते हैं वह आप किराया कभी नहीं चाहेंगे। इसी तरह से आप भी नहीं चाहें....

श्री नत्थीसिंह: मंत्रियों का होस्टल बना देना चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता: जो सुविधाओं का सवाल है, प्रथम श्रेणी का, उसके लिए आप निर्धारित कर दीजिये। इसके अलावा जो होस्टल में रहते हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि होस्टल में आपको तकलीफ हो, लेकिन कृपा करके उनको आप बर्दाश्त कीजिये लेकिन दो सौ रुपये लेकर आप अलग मकान मत लीजिये। एक बात अक्सर मेरे मन में उठा करती है

भत्तो लो थें थापका
आप थाप कानून।
कोरो दो पूरो नहीं
चपरासी ने चून!

जो प्रहरी यहां पर आठ दस घण्टे खड़े रहते हैं, अगर सेशन एक महीने ज्यादा नहीं रहे तो उनको अलाउन्स नहीं मिलेगा, जब कि हमें मिलेगा। इसलिए कृपा करके इस तरफ सोचिये। जब हम लोगों को एलाउन्स मिलता है तो जो प्रहरी हमारे लिए खड़ा होता है, उसको भी जब तक हम रहें तब तक अलाउन्स मिलना चाहिए। नहीं तो लोगों को कहने का मौका मिलता है, जैसा कि एक आदमी ने मेरे पास में लिख कर भेजा है :

पूछूं बात विधायकां (विधायकों गुस्सा मत करना)

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मत ना लाजो रीस,
स्वर्ण कोर जीमो कई
जो लेवो इक्कीस !

आप क्या सोने का कोर खाते हैं ? यह तो इक्कीस में स्थिति है, अब यदि इकत्तीस हो जायेंगे तो हम क्या जवाब देंगे ? मैं इकत्तीस नहीं लूंगा, यह मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरा रेडियो पर नाम आ जाये। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को बहुत तकलीफ है, इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है, यह जो इकत्तीस मिलेंगे, इसके लिए एक तरफ तो सोचा है कि इस बात को मैं न्याय समझता हूं कि इकत्तीस लेने से इन्कार कर दूं, दूसरे यदि सब इकत्तीस इकत्तीस लेंगे तो मैंने सोचा है कि राज्य सरकार ने शराबबन्दी का एक बहुत अच्छा काम किया है, इसलिये इक्कीस रुपये तो मैं रखूंगा, बाकी दस रुपये में शराबबन्दी के इन्टेन्सिव काम पर लगाऊंगा। इसी तरह तीन सौ के चार सौ होंगे, तो बाकी के यह सौ रुपये मेरे घर पर खर्च नहीं होंगे, यह मेरे क्षेत्र का दौरा करने पर खर्च होंगे। जीप रहती है तो उसका दे दूंगा, अगर जीप नहीं होती है तो किराया दे दूंगा और इस प्रकार मैं काम चलाऊंगा पर मेरे और और सहयोगी और और बातों में जुटे हैं। रामकिशनजी हमारे बीच में बैठे हैं। यह संशोधन दिया है कि पति पत्नी आयें। पर इन बड़े आदमी ने व्रत ले रखा है कि जितने बच्चे पैदा कर सकता हूं करूंगा। तो अब दो छोटे छोटे बच्चे साथ में आयें तो उनके लिये आधा टिकट मिल जाय। उधर केदार साहब उखड़ पड़े कि मैं किसको लाऊं,.

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मन्त्री महोदय इन्तजाम कर देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप यह नहीं सोचें कि यह हमारा रुपया बढ़ रहा है तो इसकी लोग आलोचना करेंगे। आप तो ईमानदारी से काम करते जाओ।

कुण होसी प्रतिकूल यूं
कुण होसी अनुकूल। (यह मत सोचिये।)
सेवक या सोचे नहीं,
चाले लेर उसूल ।

आपका परिवार नहीं खा सके बादाम, पिश्ते पर रोटी खा सके, आपके बच्चों की पढ़ाई हो सके। बस इतना होना चाहिये। कोई अनैतिक काम मत करिये, यह ध्यान में रखिये। सत्यमेव जयते।

इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। कुछ माने में आपको सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं पादरी से नर्तकी को अच्छा समझता हूं। पादरी अपने पापों को छुपाता है और नर्तकी सबके सामने नृत्य करती है। आज पार्लियामेंट में एस० एस० पी० के, जनसंघ के और दूसरी पार्टियों के लोग हैं, वे 51 रुपया रोज भत्ता लेते हैं, या हरियाणा में इनकी पार्टी के लोग हैं, एस० एस० पी० के हैं वे कितनी तनख्वाह लेते हैं। पर आज का दिन त्याग का दिन है। मेरे पहले बोलने वाले वक्ता ने कह दिया कि 100 रुपया मैं अपनी कान्स्टीट्युएन्सी में खर्च करूंगा। जो जो बातें त्याग की हैं वह आज कह दें ताकि अखबार वाले हैडिंग

(श्री मूलचन्द डागा)

में देंगे कि अमुक अमुक विधायक ने यह यह त्याग किया। लेकिन कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लायब्रेरी चाहिये, टेलीफोन चाहिये, निर्वाचन क्षेत्र में और और सुविधाएं चाहिए। यह नैतिक पतन नहीं है। पर 200 रुपया 52 में मिला है, आज 100 रु० बढे हैं, उसको चर्चा का विषय आप बना सकते हैं। आप सोचिये जब आप इस तरह की बाते करते थे कि आज राजस्थान सरकार के अधिकार 2,000) और 1800) उठा सकते हैं जो विधायक सुबह से शाम तक ईमानदारी से काम करता है वह किताबें अखबार खरीदना चाहे तो उसके लिये यह आवश्यक है। माननीय सदस्य मां की बात करते हैं, मां की तरह चलते तो फटे कपड़े पहन कर आते, न रामकिशनजी फटे कपड़े पहन कर आते हैं और न उनकी पत्नी फटे कपड़े पहन कर आती हैं, वे झब्बेदार साड़ी पहिन कर आती हैं। तो इस तरह से टेबल पर तो हो रामायण और आलमारी में कोक शास्त्र रखें और यह बातें करें। बातें करने में कोई कसर मत रखिये।

श्री रामकिशन: सभापति महोदय, एक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है। माननीय मूलचन्दजी डागा कभी कोक शास्त्र की और कभी झब्बेदार साड़ियों की बातें करते हैं। हम इस बिल के बारे में बातें सुनना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे कहने का एक ही मतलब था कि जब 100 रुपया 52 में बढ़ाने की मांग की तो आज जो मंहगाई की हालत है, जिस तरह रहते हैं....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप क्या तनख्वाह पर ही मुनस्सर हैं, व्यापार चला रखा है, वकालत चला रखी है।

श्री रामकिशन: आपकी 3,000) की वकालत है।

श्री मूलचन्द डागा : जब यह बिल यहां सदन में पेश किया है तो उससे पहले जो बातें हो चुकी हैं, उन बातों को यहां रखने की आवश्यकता नहीं है। पर इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों को पूछा गया है, मुझसे बयान दिलाना चाहें तो बयान देने को तैयार हूं। जो बोलना चाहते हैं वे हिम्मत के साथ कहें कि पहले बात की या नहीं ?

श्री नत्थीसिंह: हमसे क्या बात की, आप कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : आज हरियाणा में 500 रुपय मिलते है, 35 रुपये रोज का भत्ता मिलता है, 450 रुपया गुजरात में, महाराष्ट्र में, दूसरे प्रान्तों में मिलता है। मैं उन बातों की तुलना में नहीं जाना चाहता पर एक बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि कार्यक्षमता बढाना चाहते हैं, पूरे समय में अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं तो यह जो बढाया है, वह ज्यादा नहीं है। इसको लोक चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस पहली पार्टी है जो भत्ते के लिये कहेगी। फिर खामोख्वाह कहें इससे कोई मतलब नहीं मंहगाई बढ़ चुकी है, हिसाब बिलकुल ठीक है, उसके बाद भी कहना चाहते हैं तो यह चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए।

श्री सभापति: श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो विचारणीय विषय सदन के सामने है वह बहुत गम्भीर है। हम अपने सम्बन्ध में स्वयं निर्णय देने के लिये यहां उपस्थित हैं, हम अपनी कार्यक्षमता की दुहाई देते हैं, या हम अपनी आवश्यकता बतलाते हैं। यह हो सकता कि हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये प्रस्तावित सुविधाओं से अधिक सुविधाओं की आवश्यकता हो। पर हम हमारे लिये सुविधाएं चाहते हैं पर जिनकी सुविधाओं के लिये यहां आये हैं उन लोगों की सुविधा की आज क्या स्थिति है, यह हमें सबसे पहले देखना होगा। मैं मेरे क्षेत्र की कह सकता हूं, आज तक वहां पानी नहीं बरसा है, पीने के लिये पानी बीस बीस मील दूर से 22 वर्ष की आजादी के बाद आज लोगों को वहां लाना पड़ रहा है। घर में पीने को पानी नहीं। दिन भर बच्चे पानी लाते हैं। लोग अपने बच्चों को वहां स्कूल इसलिये नहीं भेज सकते कि घर में पीने के लिये पानी नहीं है। वहां लोगों को पीने के लिये पानी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रोजगार का कोई साधन नहीं, आज हमें सबसे पहले उन लोगों की कार्यक्षमता की चिन्ता करनी चाहिये। हमें केवल अपनी कार्यक्षमता की ही चिन्ता नहीं, बल्कि 2 करोड़ 15 लाख लोगों की कार्यक्षमता का ध्यान रखना है। वे किस तरह अपने लिये और अपनी औलाद के लिये कार्यक्षमता की चिन्ता करते हैं, इसके लिये हमारे दिलों में चिन्ता होनी चाहिये।

उधर से बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में सबसे सलाह की गई थी। हो सकता है कि सलाह की गई हो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह सलाह अगर इस कार की होगी तो वह सलाह देश काल और परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं। हम विधायक पुरी में रहें, एम० एल० एज० क्वार्टर्स में रहें, गवर्नमेंट होस्टल में रहें, हमें जो सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं, उन को कम नहीं कहा जा सकता, हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये। एक तरफ हम समानता की, आर्थिक समानता की, सामाजिक समानता की, न्याय की समानता की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोग रोटी के लिये पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं, वहां हमारे पास पैसा नहीं है, यह कह देते हैं और यहां हम यहं 7 लाख का खर्चा करने का प्रावधान कर रहे हैं, एक बिल में 15 हजार के खर्च का प्रावधान कर चुके हैं, 45 हजार के खर्च का प्रावधान दूसरे बिल में किया है और 7 लाख के खर्च का प्रावधान इस बिल में कर रहे हैं, लाखों का प्रावधान करने के लिये तैयार हैं पर जो रोटी और रोजी की मांग करते हैं, उनके लिये प्रावधान नहीं है। 200 रुपयों की विधायकों के लिए व्यवस्था है कि मकान किराए का ले लें, घर का बंगला हजारों रुपये किराये पर दे रखा है और सरकारी बंगला चूंकि मामूली किराए पर मिलता है, इसलिये उसका उपभोग चल रहा है। बिजली का पैसा मामूली देना पड़ता है, इसलिए चाहे कितनी बिजली लगे, रोटी, गाय-भैंस का बांटा सभी हीटर पर सिजाते रहते हैं। यह विवाद का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। अगर हम विवाद की दृष्टि से देखेंगे तो न्याय नहीं करेंगे, यह आत्म-विश्लेषण का सवाल है हमारे सामने, इसलिए

(श्री दौलतराम सारण)

इसे उस पृष्ठभूमि में देखना चाहिए कि आज देश और राजस्थान की परिस्थिति क्या है और हम अपनी कार्यक्षमता के नाम पर क्या करने जा रहे हैं। 200) प्रति मास मकान किराया, बिजली और पानी की सुविधा अलग और फिर जब यहां आयेंगे तब बीबी भी साथ आएगी और कोई महिला सदस्या है तो वह पति को भी ले आयेगी और जैसे मनोहरसिंहजी मेहता ने प्रस्ताव कर दिया, बच्चों का क्या होगा, तो फिर बच्चों का प्रावधान किया जायगा। अगर आप दो बच्चों का प्रावधान करेंगे तो किसी मेरे जैसे के 7 बच्चे होंगे या हीराभाई जैसे सदस्य को 12 होंगे तो, उनका भी प्रावधान होगा। इसलिए ऐसी बातें हमारे लिए उचित प्रतीत नहीं होतीं, हम देश, काल और परिस्थिति के विपरीत जाते हैं। इसलिए, सभापतिजी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सुविधाओं का प्रावधान इसमें किया है और खास तौर से जो इसमें 200) मकान का विशेष भत्ता पत्नि और पति के किराए का और बिजली और पानी का जो अनाप-शनाप खर्चा होता है उसमें सीलिंग का प्रावधान किया जाय।

एक काम और बैक डोर काम होता है। बी क्लास बंगले हैं, सी क्लास बंगले हैं, बी क्लास में और एक दूसरा बी क्लास बंगला नया बनाया जाता है और सी क्लास है तो वहां एक और सी क्लास बनाया गया है। एक तरफ टूंटी चल रही है, महीनों तक कितनी बार फोन कर दो, पानी बंद करने के लिए कोई नहीं आता, मीटर खराब हो रहा है, तो बिजली की संभाल का कोई इंतजाम नहीं और एक तरफ यह स्थिति है जैसे किताबों को चूहों ने काट दिया, अलमारी का दरवाजा ठीक नहीं है तो सुविधा के नाम असुविधा पैदा हो रही है, बाधा और विषमता पैदा की जा रही है, मेहरबानी करके यह न करें। अगर आप ए क्लास का कोई बंगला बनाते हैं या बी क्लास का बनाते हैं, सी क्लास का कोई बंगला रखते हैं, तो आखिर उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर बिना किसी क्राइटेरिया के आप कोई बंगला ए०बी०सी० नामजद कराते हैं और मनमाना कन्सट्रक्शन कराते हैं बिना सैंक्शन के और उपभोग करते हैं तो ब्लैकमेलिंग नहीं है? मैं इसे ब्लैकमेलिंग कहता हूं, इसको रोका जाना चाहिए।

इसके अलवा ऐसी कई बातें हैं, जिनको मैंने हाउस कमेटी में कहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मकान किराया, बिजली चार्जेज और पानी ये सब किसी बेसिस पर फिक्स किए जायें फिर मकान किराया फिक्स किया जाय। इसी तरह बिजली और पानी की सीलिंग फिक्स की जाय, नहीं तो अपने मन मर्जी से दुरुपयोग किया जाता है। इसके अलावा 200) मासिक मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर विधायकों को सुविधा देना चाहते हैं निवास की, तो 6 लाख आप मकान किराया न देकर इनसे आप नई कॉलोनी बना दें! मैं सहमत हूं और 200) प्रतिमास के लिए कम से कम म तो सहमत नहीं।

अब रहा सवाल कि आप एम० एल० ए० क्वार्टर्स में रहते हैं दूसरे गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं। उसके लिए आप समान क्राइटेरिया बनाते हैं। अगर एम० एल० ए० क्वार्टर्स में नम्बर नहीं आता है, गवर्नमेंट हॉस्टल में आएगा तो उस दृष्टि से मैं एकोमोडेट करने के लिए तैयार हूं लेकिन आखिर कोई आधार

(श्री दौलतराम सारण)

तो रखें। यह विवाद का विषय नहीं है। मुझे उसमें आपत्ति नहीं होगी लेकिन हमें अपने लिए निर्णय करने से पहले न्यायोचित आधार सोचना चाहिए। विशेष भत्ता बढाना कहां तक मुनासिब होगा, यह सब लोगों को सोचना चाहिए।

रेल किराये में जो सुविधा रखी है, मेरे खयाल से फर्स्ट क्लास किराये की अपेक्षा वह ज्यादा अच्छा है इसलिए कि फर्स्ट क्लास के किराए का दुरुपयोग होता था, उसमें अनेक शिकायतें पैदा होती थीं, जैसे मनोहरसिंहजी मेहता ने कहा, इसलिए उसको उधर कन्वर्ट किया गया, वह अच्छा है बनिस्बत कि फर्स्ट क्लास किराया देते थे और इस तरह से रोडवेज को जो सुविधा है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

रहा सवाल टेलीफोन देने का। यह सही है कि टेलीफोन यदि हरेक सदस्य के पास हो जाता है तो उससे निश्चित रूप से उसकी कार्यशक्ति में और बढ़ोत्तरी आएगी, क्षमता आएगी, इसमें दो राय नहीं, तो आप कैश नकद में सुविधा देने की अपेक्षा ऐसी सुविधा दें जिससे सदन अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सके लेकिन वह सुविधा भी इससे अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे आलोचना की बात पैदा हो जाय इसलिए कुछ बातों पर गौर करके इनमें संशोधन करके इस बिल को ठीक रूप से लेने की चेष्टा करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं नहीं समझता था कि यह विधेयक इतने बहस का और विवाद का विषय बनेगा। इस दृष्टि से भी कि काफी सदस्यों से इस संबंध में अनौपचारिक रूप से चर्चा हुई थी लेकिन इस समय सदन में इस प्रकार की बात मालूम होती है कि जैसे कुछ पक्ष या कुछ व्यक्ति इस विधेयक के जरिए ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की वृत्ति रखते हैं और उस त्याग की वृत्ति से इसमें विचार रखते हैं। मैं समझता हूं कि जो विधेयक यहां पर हैं, विधान सभा सदस्य यहां पर हैं, सभी की एक ही भावना नजर आई है। इस प्रश्न को हम कोई बहुमत या अल्पमत की दृष्टि से इसमें निर्णय करके और इसके अंदर जल्दी इसको पारित करने के लिए इस पार्टी के सदस्य या और कोई उत्सुक हो, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको डेफर कर दिया जाय डिस्कशन्स को और अनौपचारिक रूप से संभव हो तो आज चर्चा हो शाम को किसी भी समय जैसे इस पर एग्रीड कॉन्सेन्स सा बन जाय, उस लाइट में विचार किया जाय बजाय हम एक दूसरों पर डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली कोई एसपरशन्स करें, उस चीज की चर्चा मैं समझता हूं एवाइड की जानी चाहिए इस तरफ बैठने वाले कोई सदस्य उत्सुक हों कि यह चीज मान ली जाय या दूसरी चीज हो जाय, ऐसी बात नहीं है। कई तरफ के लोगों से मिलकर इस संबंध में बातचीत की थी और यह पार्टीज के इश्यूज के तौर पर प्रश्न नहीं है। इसमें डेलीकेसीज और परसनल इश्यूज इन्वॉल्वड हो जाते हैं।

इतना बैकग्राउन्ड निवेदन करूंगा कि टेलीफोन वाली बात कही गई थी तो मैंने कहा था कि टेलीफोन के लिए आप सुविधा दे दें, उस टेलीफोन की सुविधा देने पर जो खर्च किया जाय, उसके मुकाबले में डेली

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एलाउन्स के अंदर या फिक्स्ड एलाउन्स के अन्दर वृद्धि कर दी जाय तो उससे कम्पेन्सेट करने जैसी स्थिति हो। उसके अनुसार कम्पेन्सेट कर लें बजाय कि टेलीफोन के अलग अलग सुविधा हो क्योंकि सदस्यों को यहां जरूरत हो सकती है, जहां रहते हैं वहां पर भी हो सकती है। कई होस्टल में रहते हैं, कमरे में नहीं हो सकता, जिनको क्वार्टर्स मिला हुआ है, वहां टेलीफोन रह सकता है, इसलिए इस दृष्टि से यह किया।

हाउस एलाउन्स के बारे में चर्चा हुई, उस संबंध में भी यह था कि एक व्यक्ति जो बाहर से आता है, वह अपना मकान चाहे तो किराये पर देकर जयपुर के अन्दर आए तो उसको मकान मिल सकता है और यहीं रहने वाला अगर यहीं पर रहता है और जो बिजली पानी की सुविधा सरकार के क्वार्टर्स की एकोमोडेशन के अन्दर है, उसमें अगर रहे तो उसको उपलब्ध हो जाती है लेकिन अगर खुद के मकान में रहता है तो न बिजली की सुविधा उपलब्ध, न पानी की सुविधा उपलब्ध होती है, न किराए की सुविधा उपलब्ध होती है जबकि दूसरे विधान सभा सदस्य को ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए लॉजिक की वजह से इस प्लान को हमने माना था। कुछ व्यक्तियों का प्रश्न हो सकता है लेकिन लॉजिक यह है कि अगर व्यक्ति आज उसका मकान नहीं होता है, तो सरकार को खर्च करना पड़े।

गवर्नमेंट को कुल मिला करके इसके अन्दर सेविंग होती है, ज्यादा इसके अन्दर खर्च नहीं होता है। यह समझने की बात है मैं समझता हूं कि गंभीरता से इस पर विचार कर लें। कोई लाभ उठाने की दृष्टि से यह बिल यहां नहीं रखा है हरियाणा, महाराष्ट्र, सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट सब जगह हुआ है। उससे यह सवाल आया और काफी चर्चाओं के बाद इस विधेयक को यहां लाने का प्रयत्न किया है। हम इस पर अधिक चर्चा यहां न करके आपस में चर्चा कर लें और एक कन्सट बनाकर, उस मंशा के अनुसार बिल को यहां पेश कर दें।

श्री सभापति : माननीय वित्त मन्त्रीजी।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी-सु०) : इससे पहले कुछ हम बोलना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें आदेश दिया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): हम भी अपने विचार रख दें और जो सुझाव है......

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। पहले वित्त मन्त्री महोदय और तदुपरांत स पर विचार किया जावेगा।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): माननीय सदस्यों ने इस संबंध में जो विचार रखे हैं, शुरूआत में इसकी जो चर्चा हुई है, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने भी कहा था और, और भी सदस्यों ने यहां निवेदन किया है कि यह अपना सवाल, खुद को ही अपना निर्णय लेना है, आगे की भी यह परम्परा रही है कि ऐसे मामलों में हमें इस सदन में बैठकर बहस-मुबाहिसे में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ऐसा बताया गया था कि इस मामले के अन्दर बाई एण्ड लार्ज कन्सेन्ट सब पार्टीज की होगी। इसी को समझ कर राज्य सरकार की तरफ से यह लाया गया है। आज मुझे कुछ अफसोस हुआ, ताज्जुब हुआ और मुझे कहने में हिचकिचाहट

(श्री मथुरादास माथुर)

नहीं कि मेरी पार्टी के लोगों ने गवर्नमेंट को डिफेन्ड किया, उनको यहां डिफेंस करना पड़ा। तीन, चार पार्टीज के सदस्यों ने यहां विचार रखे हैं, जनसंघ, बी०के०डी० कम्युनिस्ट, इन्डिपेन्डेंट्स, संसोपा के सदस्य बोल चुके हैं। अब स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य बोलना चाहते हैं अपनी बात एक और ढंग से रखते हैं। यह सब हमारी तरफ से हुआ है ऐसी बात नहीं है। मेरा सुझाव है और जैसा मुख्यमंत्रीजी ताकीद करते हैं कि अपनी बहस में न पड़ें और अपन लोग बैठ जायें और जो कन्सेशन्स तय कर लें, उसको बिल में ड्राफ्ट कर लें। राज्य सरकार यह कतई नहीं चाहती कि कुनैन की गोली की तरह जबर्दस्ती इसको आपको दिया जाये। ऐसी हमारी भावना नहीं है। अपन बैठ जायं इस पर अब चर्चा न होनी चाहिए।

श्री लादूराम सुलानिया : एक ही पार्टी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : स्पष्ट रूप से इस सदन में काफी बात हो चुकी है। जहां तक मुख्य मंत्री का सुझाव है, कोई बात नहीं। यह निश्च्यात्मक बात है कि सभी दलों के व्यक्तियों से सम्पर्क करके, विचार विमर्श करके और उसके बाद इस विधेयक को लाया गया है उसके बाद इस विधेयक की सदन के सामने विचारार्थ लिया जारहा है। आपके सामने जितने भी माननीय सदस्य बोले, उनके विचारों को सुनने के बाद, एक व्यक्ति कहें या न माने तो अपने अपने पक्ष को, दृष्टिकोण को कि अमुक अमुक सुविधा इस प्रकार की दी जावे तो इसके लिये मेरा एक संशोधन प्रस्ताव है। उसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई इन सुविधाओं को छोड़ना चाहे तो वह उसको छोड़ सकता है। वह पुरानी सुविधा को ऑप्ट कर सकता है। यह सुझाव आता है। इससे किसी को नहीं रोक सकते। अब इसको आलोचना का विषय बनाया जारहा है। एक सुझाव यह है कि अपन बैठकर निर्णय करें। इस प्रकार के विवाद से यह आलोचना का विषय हो जाता है। मैं सभी एम०एल०एज० को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वह जनता का पांच वर्ष के लिए प्रतिनिधि है। उसके बाद उसको जनता के पास उसका मेन्डेट लेन के लिये जाना पड़ता है। जनता का मेन्डेट उसको मिलता है आगे जनता को यह अधिकार है कि वह उसको दे या न दे। यहां बैठने वालों का यह अधिकार नहीं कि वे पेंशन लें। आप जो सुविधाएं लेन जारहे हैं, वह हर एम०एल०एज० को मिलेंगी और आने वाला हर सदस्य इन एमेनिटीज को लेंगे। राज्य सरकार इसके लिये जो बिल बना रही है, वह उचित है या अनुचित उस पर विचार करने के लिये हर आदमी को स्वतन्त्रता है। बेकारी है, मजदूरों की समस्या है, राज्य सरकार उनको हल नहीं करती, यह कहा गया है। राज्य कर्मचारियों की समस्या है, उसको भी हल नहीं करती। जब शन्तिपूर्वक इन पर विचार करने का सवाल आयेगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कर्मचारी का सवाल हो, मजदूर हो, गजेटेड ऑफिसर हो, उसका कोई विरोध नहीं करता है। माननीय भैरोंसिहजी ने भी यहां अपने विचार व्यक्त किये हैं, सभी जानते हैं। यह कहते हैं कि जनता विरोध करेगी (घन्टी)... परन्तु जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि कितना प्रबल राज्य पक्ष है और उसका विरोधी पक्ष मुकाबला करता है। कितने बड़े साधन हैं उसके पास। जब हमारी

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

एमिनिटीज, फेसिलिटीज का सवाल आता है तो कुछ सदस्य इस सदन में विरोध करते हैं। माननीय सभापतिजी, मैंने इस बिल में इस तरह का एमेन्डमेन्ट दिया है कि आप यह एमेनिटीज, फेसिलिटीज हैं, उसको चाहे तो रखें और न चाहें तो पुरानी सुविधाओं को एडाप्ट कर लें। इस विधेयक में इस तरह का ऑप्शन दिया जाये कि चाहें तो आप ये एमेनिटीज रखें कम या ज्यादा, इसका कोई सवाल नहीं है। इस तरह से हम उन लोगों को देख लेंगे जो आदर्श, सिद्धान्त और त्याग की बात यहां करते हैं (भारी शोर गुल-अश्रव्य).... उनका इम्तहान इस पर हो जायेगा। यह ऑप्शन दें। यह उस एम० एल०ए० के ऊपर रहेगा और आगे आने वाले एम०एल०ए० के ऊपर रहेगा (शोरगुल)... आप यहां कहते हैं स्वतन्त्र पार्टी यह चाहती है। मैं कहता हूं आप कम्युनिस्ट पार्टी की हरकतों को देखें। वे आन्दोलन करायेंगे मजदूरों से, उनसे हड़ताल करायेंगे और जब उनको 15, 15 दिन तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, वे लोग भूखे मरने लगते हैं और ये नेता आराम करने लगते हैं। इस तरह से मजदूरों को भड़का कर ये आन्दोलन कराते हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लीजिये, इनके त्याग की कसौटी हो जायेगी। मैंने यह संशोधन दिया है उसको ले लीजियेगा और फिर आप देखियेगा कि कौन कौन सही है। असलियत मालूम पड़ जायेगी (शोरगुल)...कितने समाजवादी हैं। समाजवाद....समाजवाद के सिद्धान्त कितने, कहां तक हैं.... (शोरगुल)....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आइडियोलॉजी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। इस सारे मामले में यह तय करना चाहते हैं, इस आधार पर कि सुविधा मिले तो हम तैयार हैं। आप यह चाहते हैं कि महल में रहें और दूसरे आदमी सड़क पर रहें तो यह सुविधा नहीं दी जायेगी। महल में रहने वालों को सड़क पर लाया जायेगा....

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके कहने से थोड़े ही हो जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैंने अभी तक व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की। और न मेरा इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण हो सकता है। जहां तक नीतियों का, रीतियों का, सिद्धान्तों का सवाल है आप हमारे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, खण्डन कर सकते हैं। संविधान के अनुसार हमको भी अधिकार मिले हैं कि सिद्धान्तों का हम मण्डन-खण्डन कर सकते हैं। इस अधिकार से आप हमें वंचित नहीं कर सकते। आवश्यता आज यह है कि हम अपने नैतिक चरित्र को कितना सुधार कर चलते हैं। आज एम० एल०एज० को जिस प्रकार की सुविधा देते हैं, उनका एक कोड आफ कन्डक्ट कायम किया जाय। यह तो आप अपने स्वयं पर करते हैं। एक गृहस्थ का लंबा कुटुम्ब है और उसके जो साधन हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से इन साधनों में गुजर कर सकते हैं। लेकिन सवाल आकर के यह पड़ता है लेकिन सवाल अब त्याग और तपस्या का नहीं है....

श्री रामकिशन : आपको तो इसमें भी राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिखता....

Page No 161

श्री नत्थीसिंह : समाजवादी व्यवस्था पर....

(शोरगुल, अश्रव्य, व्यवधान)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में सदन के सदस्य जानते हैं, हम यह जानते हैं कि यहां पर राजा लोग भी रहे हैं सामन्ती तत्व भी रहे हैं यहां तो सभी प्रकार के आदमी रहे हैं। हरेक व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में रहकर कर्त्तव्य का पालन किया है।

कितने ही आदमी कितने ही माननीय सदस्य ऐसे हैं जो जयपुर शहर में रह रहें हैं, मैं अपने ही लिये निवेदन करूं मेरा खुद क घर होते हुए भी मैंने बंगले के लिये एप्लाई नहीं किया। जो आज इसके लिये इन्कार कर रहे हैं उस दल के सदस्यों ने सब से पहले बंगले ऑक्यूपाई किये हैं। मेरे पास अपना मकान है मैंने मकान के लिये एप्लाई नहीं किया है। इसके विपरीत भी हम लोग आलोचना के विषय बन गये....

श्री नत्थीसिंह : सोशियेलिस्ट पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसके किसी भी सदस्य के पास बंगला नहीं है...

श्री दौलतराम सारण : मैं यह चाहूंगा कि इसको वाद-विवाद का विषय नहीं बनाया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं.....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जैसा कि अभी दौलतरामजी ने फ़रमाया....

श्री लादूराम सुलानियां : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है, सभापति महोदय, हम जो बोलना चाहते हैं उसके लिये हमें समय नहीं मिलता। हम सदन का साथ देते हैं फिर भी हमारी पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता और उधर के माननीय सदस्य ही हल्ला करते रहते हैं।

श्री सभापति : आसन भी आपकी बात से सहमत है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब लम्बी चौड़ी सिद्धान्त की बात सदन में कही जाती है तो बाध्य होकर मुझे कुछ कहना पड़ा। हाउस की जिस प्रकार की मन्शा है उससे यह स्पष्ट है कि हाउस चाहता है कि एमेनिटीज फेसीलिटीज बढ़नी चाहिये, वह किस रूप में बढ़नी चाहिये, इसमें अन्तर हो सकता है। बाकी और कारणों में अन्तर नहीं होना चाहिये। इसके अलावा जो सिद्धान्तवादी सदस्य हैं जो इन सुविधाओं को लेना नहीं चाहते और पुराने ही वेतन भत्ते रखना चाहते हैं वे अपना ऑप्शन ले सकते हैं। उसी के लए यह संशोधन दिया गया है।

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : माननीय सभापतिजी, सभी दिल के अन्दर तो चावे है कि ओ बिल पास होनो चाहिये।

श्री सभापति : इस बिल पर अधिक वाद-विवाद न हो इसलिये मैं समझता हूं सर्व सम्मति से इस बिल को विचारार्थ ले लिया जाय।

बिल को सर्व सम्मति से विचारार्थ लिया गया।

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्रीजी के सुझाव के मुताबिक इस पर कार्यवाही को जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति से इस विधेयक को सर्वसम्मति से विचारार्थ लिया जाय। इस पर आगे बहस नहीं की जाय। मुख्य मंत्री ने एक बात रखी थी वित्त मंत्रीजी के सुझाव पर इस बिल पर विचार कुछ समय के लिये डेफर कर दिया जाय।

मै नहीं समझ पा रहा हूं यह कहां तक ठीक होगा। इस पर जिस प्रकार की बहस हो रही है मैं समझता हूं सदन की परम्परा और गरिमा के अनुकूल नहीं हो रही है। इसलिये इस पर आगे वाद-विवाद न हो इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की आज्ञा से इसको सर्व सम्मति से विचारार्थ लिया जाय।

श्री नत्थीसिंह : सर्व सम्मति में हम शामिल नहीं हैं।

श्री सभापति : क्या इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जैसा मैंने कहा उपयुक्त यह होगा दो घंटे बाद इसको वापिस विचारार्थ लिया जाय। इस बिल को इनफॉर्मली बातचीत करके कुछ हल निकाल लिया जाय तो अच्छा है ताकि इस पर किसी प्रकार से वाद-विवाद की स्थिति पैदा न हो।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से इस बिल पर विचारार्थ कुछ समय के लिये डेफर कर दिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ डेफर किया गया।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर विचार

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, इससे पहले कि इस रिपोर्ट पर विचार प्रारम्भ हो वैसे सामान्य तौर से तो संबंधित मंत्री आखिर में ही बहस का उत्तर देते हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनकी घोषणा मंत्री महोदय पहले करदें संक्षेप में ताकि बहस में उनका भी समावेश हो सकता है। बहस की समाप्ति के बाद वे उत्तर देंगे ही लेकिन कुछ घोषणायें पहले करदें इसमें सदन को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जैसा कहा कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें राज्य मन्त्री करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उचित तो यह होता कि जिस समय वाद-विवाद आरम्भ हुआ उस समय ऐसी घोषणाओं का जिक्र किया जाता। आज तो अन्तिम दिन है। मेम्बरों के बोलने के बाद में मन्त्री अपने आप बोलेंगे। इसलिए निवेदन करूंगा कि एक ही को दो बार बोलने का अवसर देना नियमों का भी उल्लंघन होगा, इससे फिर विशेष लाभ हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है इसलिए नई बात तो है नहीं; इसके बाद ही जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर। कल दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने जैसा कहा कि 12।। पर्सेन्ट का रिजर्वेशन बढ़ाया जाना चाहिये और आज भी जो बहस होगी उस में इस विषय की पुनरावृत्ति न हो और सदन का कीमती समय बचे, बिना वजह वह जाया न हो, इसलिये निवेदन करता हूं कि माननीय सभापतिजी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाषण नहीं, सिर्फ घोषणा ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : डिसीजन । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस बात को मद्दे नजर रखते हुए कि पिछले बीस सालों से जो भी सुविधा दी जाती रही है पिछड़े वर्ग के लोगों को और चूंकि राजस्थान में पढे लिखे उन में उपलब्ध नहीं हो पाये और इसके अलावा सन् 51 में यह ऑर्डर हुआ था उस समय जन गणना के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं थे तो इसलिये एड हॉक बेसिस पर रिजर्वेशन किया गया था। अब जब कि 61 की जन गणना के आंकड़े हमारे सामने हैं तो राज्य सरकार ने उस 12।। प्रतिशत के एवरेज को बढ़ाकर 28 करने का निर्णय ले लिया है। इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि 28 प्रतिशत जो हमने रिजर्वेशन किया है यह राज्य सेवा की चारों श्रेणियों पर समान रूप से लागू होगा । गजेटेड मिनिस्टेरियल, सबोर्डिनेट और क्लास फोर ।

दूसरी खुशी की बात और अर्ज कर दूं कि यह निर्णय न केवल राज्य सेवाओं पर लागू होगा बल्कि यह भी आदेश जारी किये जा रहे हैं कि समस्त ऑटोनॉमस बोडीज, सेमी-गवर्नमेंट बोडीज, स्वायत्त शासन संस्थाओं राजकीय उपक्रमों पर भी समान रूप से लागू होगा ।

इसके साथ-साथ यह फरदर सूचना देना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें भी सरकार के ध्यान में आती रही हैं कि इस 12।। प्रतिशत में चूंकि यह अनुसूचित जाति और जन-जाति दोनों के लिये कम्बाइन्ड था तो शिकायतें आती रहती थीं कि एक को अधिक मिल गया दूसरे को कम मिला तो इस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए और इस दिक्कत को हल करने के लिए आबादी के अनुपात से 1961 की जनगणना में जो प्रतिशत था उसके मुताबिक इस 28 प्रतिशत में से 17 प्रतिशत शिड्यूल्ड कॉस्ट के लिये और 11 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अलग अलग कायम कर दिया गया है। यह जानकारी के लिये कह देता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मन्त्रि मण्डल पर भी लागू होना चाहिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : और बताओ न ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : और भी निवेदन कर दूं कि यह सम्भव है कि गजेटेड श्रेणी के लिये या किसी और श्रेणी के लिये उन श्रेणियों के उपयुक्त पढे लिखे और उपयुक्त योग्यता के लोग उपयुक्त संख्या में न मिल सकें तो जितनी संख्या में कमी रहेगी यह स्थान अगले साल के लिए कैरी फारवड हो जायगी। दूसरे साल में भी अगर वे जगहें नहीं भरती हैं तो फिर उससे अगले साल कैरी फारवर्ड होंगी। दो साल तक कैरी फारवर्ड होंगी ।

इसके साथ-साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जमीनों के आवंटन के मामले में इस वर्ष में विशेष तौर पर गांधी शताब्दी के समय में विशेष अभियान चलाया जावेगा। सारी उपलब्ध जमीन एलॉटेबल एग्रीकल्चरल भूमि इन शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों में जो भूमिहीन हैं बांटने का अभियान चलाया जावेगा और इस तरह से इनमें ज्यादा से ज्यादा

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

भूमि का आवंटन करने का प्रयत्न किया जावेगा ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, लैंड एलॉटमेंट के बारे में जो कहा उसका आशय यह है कि जो लैंड एवेलेबल है एग्रीकल्चरल परपज के लिये वह न सिर्फ गांधी शताब्दी पीरियड में यानी दो अक्टूबर तक नहीं, बल्कि पूरे वर्ष तक जो लैंड एलॉटेबल होगी मीडियम और माइनर इरिगेशन को इन्क्लूड करते हुए जिसमें रिजर्व्ड फॉरेस्ट की रिलीज करने के गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसमें भी और इसके अलावा जो भी बाकी की बारानी लैंड है उस सबका एलॉटमेंट साल भर तक सिर्फ शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को किया जावेगा । इसके अलावा किसी को एलॉटमेंट नहीं किया जावेगा और इसके लिये स्पेशल ड्राइव आर्गेनाइज किया जावेगा। अलग-अलग जिलों में जिनमें उनको एलॉटमेन्ट की कार्यवाही की जावेगी ।

श्री लादूराम सुलानियां : फॉरेस्ट लैंड जो कनवर्ट किया जा रहा है उसमें भी उनको हिस्सा दगे कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रोजेक्ट्स जैसे राजस्थान कैनाल, भाखरा इसमें इन्क्लूड नहीं हैं। बाकी फॉरेस्ट बीड़ से जो भी आबादी या एग्रीकल्चर लैंड में कनवर्ट की जावेगी उन सब पर यह नियम लागू होगा।

श्री नाथूलाल करोल (जमुवा रामगढ) : मैं अर्ज करूं । ये जो आई. ए. एस. और आर० ए० एस० की बड़ी बड़ी पोस्टें ह और पी०एस० हैं, दूसरी हैं उन पर प्रोमोशन और कन्फर्मेशन में भी रिजर्वेशन रखा है या नहीं ? जोशीजी महाराज, आप यह बताने की कृपा करें जरा ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सभापति महोदय, हम इस सवाल को एग्जामिन कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने इस मामले में कुछ सोच-विचार किया है । हमने भी जानकारी करने की कोशिश की । कुछ क्वार्टरों से जानकारी मिली थी । सुप्रिम कोर्ट में भी प्रोमोशन के बारे में रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं, इसके लिये कुछ फैसला किया है । तो हम इन सारे मामलों को एग्जामिन कर रहे हैं और इसके बाद अगर इसके अन्दर कोई लीगल डिफिकल्टी नहीं होगी तो सरकार इस मामले में भी लिबरल एक्शन लेने का विचार रखती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैबिनेट में भी 28 पर्सेन्ट रिप्रेजेन्टेशन करें तो अच्छा हो ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर। सभापति महोदय, जो फिगर आये हैं फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के और दूसरे गजेटेड अफसरों के इनमें होता क्या है कि फोर्थ क्लास में सवाल आवेगा तो वहां शिडूयुल्ड कास्ट के लोगों को काफी भर लेते हैं और इसके बेसिस पर राज कर्मचारियों का अनुपात बता देते हैं ।

अब तो खैर आपने श्रणीवाइज कर दिया है। यह अच्छा है। पर अब तक जो डिस्क्रिमिनशन होता आया है और इसकी वजह से जो गैप रह गया है उसको भी क्या श्रेणीवाइज आप कैरी फार्वर्ड करेंग क्या ?

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जो ऊंची श्रणी की नौकरियों में आज दिन तक गैप रह गया है उनको भी इस अनुपात के अनुसार ठीक करने के लिये मामला टेक-अप करने का भी निर्णय लिया है क्या ?

(4 म० प०)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करूं पास्ट गैप क्या है, उसको मेक-अप करने का प्रश्न नहीं आता है। अब उसको उस हिसाब से केरी फारवर्ड कर रहे हैं, वह भी दो साल से ज्यादा इसलिये टू ईयर्स का प्रोविजन किया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : राज्य सरकार ने जो घोषणा की है वाकई प्रशंसनीय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने साढे बारह प्रतिशत के हिसाब से आज राजस्थान में एक डिपार्टमेंट में भी नियुक्ति नहीं होती आपने 28 प्रतिशत कर दिया उसके बावजूद भी नहीं करेंगे तो क्या....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ क्लासेज में आज साढे बारह प्रतिशत रखा है, क्लास थ्री में ज्यादा है, क्लास टू में कुछ वर्षों से हुआ है और जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनमें कम है। यह चीज है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करें और एक साल में केरी फारवर्ड करें। अब दिन ब दिन हालत यह होती जा रही है पढे लिखे नौजवान शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स अब अलग अलग जगह के लिये उपलब्ध होने लग गये हैं। अब वक्त-वक्त पर कमेटी को कहा गया है उसको चैक-अप करें। सब डिपाटमेंट में यह होता है या नहीं इसको चैक-अप करें, इसको और मजबूत बनायेंगे। इसको कैसे देखा जाय गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। कुछ डिपार्टमेंट्स के अन्दर 2-4 वक्त वक्त पर वेकेन्सी निकलती ह उससे पर्सन्टेज में बहुत फक पड़ जाता है। साल भर में टुकड़े टुकड़े करके भरती की जाय उसको भी प्रोटेक्शन मिल सके।

श्री भैरोंसिह : क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस वर्ष राज्य सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें एक भी नई पोस्ट क्रियेट करने का प्रावधान है ? बल्कि इकोनॉमी कट करने का प्रावधान है जिसमें सर्विसेज से हटाया जा रहा है, सरप्लस किया जा रहा है, उसमें जानकारी करना चाहता हूं 28 पर्सेन्ट की घोषणा करके लोगों को प्रभावित करने वाली चेष्टा करना है। आप रफ आइडिया दे सकते हैं। मिनिस्टेरियल क्लास में या और किसी क्लास में कितनी नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें नई भरती न की जाय नई भरती जब तक न की जाय जब तक डिपार्टमेंटवाइज गवर्नमेंट उसमें क्या इकोनॉमी और क्या सरप्लस हो सकते हैं यह जब तक फैसला न हो तब तक नई भरती न की जाय कहा था। हमने कई डिपार्टमेंट्स में इजाजत दी है जैसा एज्यूकेशन में, पुलिस में और डिपार्टमेंट्स के अन्दर भी जहां सरप्लस करने की कोई गुंजाईश नहीं है बल्कि उन्होंने कहा और नई भरती की जाय तो वहां पर मैं कहूंगा हमने इजाजत दी है और काफी तादाद में नई भरती हुई है।

श्री भैरोंसिह : जो घोषणा की है उसके बारे में रफ आइडिया भी दे सकते हैं कि अमुक अमुक कटेगरी में इतना इतना पर्सेन्ट....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रफ आइडिया तो मैं यहां पर अभी नहीं दे सकता हूं नई भरती वाली बात जो कही गई है वह इसी आधार पर कही गई है।

श्री वृद्धिचन्द जैन,
श्री केदारनाथ,
श्री लादूराम सुलानियां,
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : | एक साथ बोलने पर, अश्रव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :....सुना नहीं है नई भरती पर पाबन्दी लगा कर.....नये रिक्रूटमेंट नहीं कर 28 पर्सेन्ट वाली बातें कहकर लोगों की आंख में धूल झोंकने के बराबर है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्य इस घोषणा से ज्यादा परटर्ब मालूम पड़ते हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

इसलिये हमने तो केवल इन जातियों के लिये जो पर्सेन्टेज है और अब जो एवेलेबिलिटि कुछ अर्से से बढ़ रही है–सैकड़ों नौजवान मिलते हैं जो एम्पलायमेंट के लिए आते हैं इसलिये रास्ता खोला है। एम्पलॉयमेंट जितना होगा उसी अनुपात में इनको मिलेगा। मैं यह गारन्टी नहीं दे रहा हूं सबको एपाइन्टमेंट दे देंगे। जितने एपाईन्टमेंट दिये जायेंगे और जितना पर्सेन्टेज अब था उससे अधिक है।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : आपने हरिजनों को जमीन एलॉट करने के बारे में कहा कि राज्य का रकबा जो सिंचित है मीडियम और माइनर इर्रीगेशन के नीचे उसमें एलाट करेंगे मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपने 10 साल में जो एलॉट किये हैं, जो गैर हरिजनों को चले गये हैं लीज पर या अन्य शर्तों पर उसमें आपने हमदर्दी क्यों नहीं रखी ? उसके बारे में भी घोषणा करें। मुकद्दमा दायर किया जाय जो जमीनें गैर हरिजनों के पास चली गई हैं, जिन पर उनका कब्जा हो गया है, आप उस पर घोषणा करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसे स्पेसिफिक केसेज आयें तो कह सकता हूं। जनरल तो क्या कहा जाय। जहां इल्लीगल ट्रान्सफर हुए हैं तो सर्टेनली इल्लीगल ट्रान्सफर के नोटिस आने पर एक्शन लिया जायगा।

श्री रामचन्द्र अग्रवाल : हरिजनों के नाम पर स्वर्ण लोगों ने बड़े पैमाने पर जमीनें एलॉट कराई हैं। गंगानगर और दूसरे इलाकों से ऐसे केसेज आये हैं उस खरीद में बैनामा उन लोगों के नाम पर हैं। ऐसे बैनामों को क्या आप केन्सिल करेंगे और हरिजनों को उसका कब्जा दिलायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बात को रखकर चला जाय जो एलॉटमेंट हरिजनों को किया जाय और वह बैनामा उनके नाम हो तब तो एलॉट करना मुश्किल हो जायगा। गवर्नमेन्ट ने लॉ बना रखा है शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन दूसरे स्वर्ण जाति के नहीं खरीद सकते हैं वह इल्लीगल है। अगर इस प्रकार का ट्रान्जेक्शन हुआ है तो वह इल्लीगल ट्रान्जेक्शन है और उसके मुताबिक एक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने इस बात की तो घोषणा कर दी कि माईनर और मीडियम प्रोजैक्ट हैं उनमें एक साल तक हरिजनों को जमीन एलॉट की जाय। मैं यह कह सकता हूं माईनर इर्रिगेशन प्रोजैक्ट के नाते राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार के पास एक बीघा जमीन नहीं है। नये प्रोजैक्ट होते हैं मैं नहीं कहता जितने माईनर प्रोजैक्ट हैं उन्हीं स्थानों पर काश्तकारों को फायदा मिलता है, यह घोषणा स्वागत योग्य है, जमीन मिल जायगी यह मैं नहीं कहता।

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय.......

श्री भैरोंसिंह : ठहरजाओ, बैठ जावो। मीडियम का जहां तक सवाल है अब तक तो जितने प्रोजैक्ट हैं उन प्रोजैक्ट में पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा था, मुझे एक्चुअल फीगर याद नहीं है लेकिन राज्य सरकार के इल्म में है मीडियम इर्रीगेशन प्रोजैक्ट में जमीन एलाट नहीं करते हैं, बहुत कम फिगर था, इस सदन में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था, जो घोषणा आपने की है वह स्वागत योग्य है। जमीनें हरिजनों को मिलें और इसकी दाद भी हम देते हैं आपने इस प्रकार की घोषणा की। मीडियम और माईनर इर्रीगेशन में-प्रोजेक्ट्स में लैंड कितनी है, यह बता दें जो इन लोगों को दो साल की अवधि में की जायगी। माननीय सिंचाई मंत्रीजी इस पर प्रकाश डालें तो ठीक होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एग्जेक्ट एरिया तो बताना मुश्किल होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं मीडियम और माईनर प्रोजैक्ट में जमीन उपलब्ध होगी। आज काफी तादाद में उपलब्ध होगी। हम हर जिले के लिये तो नहीं कह सकते। माईनर, मीडियम जहां ज्यादा जमीन होगी और जो उपलब्ध होगी एक आबजेक्टिव तय किया है। गवर्नमेंट के एलॉट करने की पालिसी क्या होगी, आबजेक्टिव क्या है? वह माननीय सदस्य प्रशंसा करेंगे जमीन जितनी उपलब्ध है कम है तो कम है मीडियम और माईनर इर्रीगेशन 5 लाख के करीब अवेलेबल है, सीमित हैं। मैं ना नहीं कहता मीडियम और माईनर जहां पर पहले से कल्टीवेटेड एरिया है....

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान कैनाल में भी आप जमीन देंगे या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो हम पहले ही कह चुके हैं कि एक लाख एकड़ जमीन राजस्थान कैनाल के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एलॉट करने के लिए रिजर्व की गई है और उनको एलॉट की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : एलॉटमेंट रूल्स में आक्शन की प्रक्रिया है तो क्या हरिजनों को भी आप आक्शन से देंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसकी प्रक्रिया अलग से निर्धारित है। आक्शन की नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह एक साल की अवधि की घोषणा को कब से लागू करेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज 3 सितम्बर का दिन है इसको कुल मिलाकर जिसको एक साल कहकर चलते हैं अगले 2. सितम्बर, 1970 तक 'वी विल कीप दिस पॉलिसी'।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी को किशनगंज और शाहबाद के करीब 500 शहरियों की जमीन करीब 4 हजार बीघा

(श्री देवीदत्त गाडिया)
जमीन सवर्ण जाति के लोगों ने जिसमें सरदार अधिकांश हैं और बाहर के लोग जिन्होंने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया और आज तक तहसीलदार ने पट्टे नहीं दिये....

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को यह कागजात देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है एक महीने के अन्दर जांच करके उनको जमीन दिलायेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज! श्री लादूराम सुलानियां।

श्री लादूराम सुलानियां : सभापति महोदय,....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सभापति महोदय, बाड़ी का तहसीलदार है वह तो रेगुलेराइज करता है। वह तो ऐसा करता है कि पटवारी से रिपोर्ट करा ली....

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल : बाड़ी के तहसीलदार....

श्री सभापति : बाड़ी के तहसीलदार का क्या हुआ। कोई ठिकाना है क्या शिकायतों का? (श्री मुकुटबिहारी लाल के बोलने पर) ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हमने आपका ऑडर, ऑर्डर सुन लिया। अब आप हमें बोलने की इजाजत दीजिए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : सभापति महोदय, सबके झगड़े मिट जायेंगे। सबको जसलमेर भेज दो वहां पर जमीन ही जमीन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कह रहा थी....

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर, श्री लादूराम सुलानियां।

श्री लादूराम सुलानियां : सभापति महोदय, अभी अभी जो राज्य मंत्री समाज-कल्याण विभाग ने कुछ घोषणायें की हैं और उनमें विशेषता बताई है वह हर आदमी इस बात से परिचित है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक व्यवस्था का सवाल है....

श्री सभापति : ठहरिये (श्री लादूराम सुलानियां) ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : ऐसा है कि मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऑर्डर ऑडर के नाम पर हमें डराने की प्रक्रिया खत्म कर दी जानी चाहिए। अगर आपको कोई शब्द कहने ही हैं तो कह दें कि शांत रहिये, बैठ जाइये परन्तु ऑर्डर, ऑडर का मतलब यह है कि न जाने क्या ऑर्डर हो रहा है। ऑर्डर शब्द एक सामन्ती है या क्या है या हमारे ऊपर डंडा चल रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर से हम डर जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऑडर नाम की चीज खत्म कर दी जाकर विधान सभा में शांत रहिये शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया शांत रहिय कृपा कर अपना स्थान गृहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, एक स्पष्टीकरण के रूप म मैं भी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
प्रश्न पूछना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी तो चले गये दुर्भाग्यवश किन्तु यह कडाना योजना जो बनेगी उस योजना के द्वारा जो आदिवासियों की भूमि डूबेगी उस संबंध में आपने उदारतापूर्वक घोषणा तो की लेकिन इसके लिए भी आपने कोई स्पष्टतया प्रावधान रखा है कि उन विस्थापित आदिवासियों के लिए आपकी क्या योजना है ? भूमि का एलॉटमेंट उनको कहां किया जायेगा ? कहीं राजस्थान में ही किया जायेगा या आकाश में किया जायेगा या पाताल में या गुजरात में या कहीं और किया जायेगा ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सभापतिजी यद्यपि यह प्रश्न विरोधी दल के नेता महोदय ने अभी उठाया है इसका संबंध खास तौर से इर्रीगेशन विभाग से है और मैं समझता हूं कि हमारे इर्रीगेशन मंत्री महोदय इसका खास तौर से आपको जवाब दे सकेंगे लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी लोग विस्थापित होंगे इस प्रकार से उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए लाजिमी तौर पर प्रयास किया जायेगा और उनको राजस्थान में ही कहीं न कहीं ज़मीन दी जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी विनम्रतापूर्वक यही निवेदन है कि इन विस्थापितों को भूमि कहीं भी दी जाये तो वह एलॉटमेन्ट के संबंध में प्राथमिकता सरकार को देनी चाहिए। यह मेरी उचित मांग है।

श्री सभापति : श्री लादूराम मुलानियां !

श्री लादूराम मुलानियां : सभापति महोदय, आज आयोग की रिपोर्ट पर दूसरे दिन चर्चा चल रही है। इसमें जो राजस्थान का हिस्सा रखा दे उसमें जो भारत सरकार की तरफ से इसमें धनराशि दी गई है उसमें राजस्थान को भी बहुत बड़ा हिस्सा हरिजनों के उत्थान के लिए दिया गया है।....

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, कडाना डैम के आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया ? वह एक शिड्यूल्ड एरिया है और राष्ट्रपति के आदेश बिना जो शिड्यूल्ड एरिया डूब रहा है उसके लिए क्या निर्णय लिया ?

(विराम)

सभापति महोदय जवाब मिलना चाहिए।

श्री लादूराम मुलानियां : सभापति महोदय.....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज श्री नाथूरामजी क्या कह रहे हैं।

श्री नाथूराम : कडाना डैम से हजारों की तादाद में आदिवासी डूब रहे हैं जब सारे दिन हाउस में चर्चा हुई तो आदिवासियों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया। उनको भूमि एलॉटमेन्ट के बारे में, उनके निवास के लिए हर तरह से सरकार ने क्या निर्णय लिया ? यह तो कम से कम समाज-कल्याण मंत्री या मुख्य मंत्रीजी कहें।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज यह रिपोर्ट पर बहस चल रही है। जब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाये उस समय आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो घोषणा की उसको लोग बहुत बड़ी बात मानकर सदन में हर्षध्वनि की लेकिन मैं कह देता हूं कि 28 पर्सेन्ट की घोषणा की। साढ़े 12 पर्सेन्ट पहले था वह केवल शिड्यूल्ड कास्ट के लिये था। अब जो आपने घोषणा की है वह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलाकर 28 पर्सेन्ट की है....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : पहले साढ़े 12 पर्सेन्ट दोनों के लिए था। कम्बाइन्ड था।

श्री लादूराम सुलानियां : 52 के अन्दर जो घोषणा आपकी है वह मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। उसमें केवल परिगणित जाति के लिये था....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : नो, नो।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं पहले अर्ज कर देता हूं इसके बारे में। मंत्री महोदय को इस बात का शक हो गया। मैं निवेदन कर दूं....

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी क्या किताब है ?

श्री लादूराम सुलानियां : यह आपकी रामायण है। इसमें कुछ घोषणा राज्य सरकार ने की है। तो मैं माननीय मंत्रीजी की जानकारी के लिये बता दूं कि इन्होंने एक सर्क्युलर जारी किया था 51 में उसमें यह शब्द हैं :

"राजस्थान में हरिजन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को ध्यान में करके उनको सहूलियत करने और उचित प्रतिनिधित्व द्वारा उनके सामाजिक निदेशों को हटाने में सहायता देने की दृष्टि से राज्य सरकार को बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग का पुनः संगठन करने हेतु प्रसन्नता होती है कि डाइरेक्टर, बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग को सक्रिय सहयोग देने के लिए डिविजनल ऑफिसर रहेंगे। इनका कार्यालय प्रत्येक डिविजन में होगा। इन ऑफिसरों की नियुक्ति अभी विचाराधीन है।"

इनका सर्क्यूलर था नं० एफ० 25।283ए। 66।57, जयपुर, 13 जून, 1957। आप इसका मुलाहिजा फर्मायेंगे।

एक सर्क्यूलर, सभापति महोदय, इनके द्वारा और भी पेश किया गया है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है....

(विराम)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। सर्क्यूलर नहीं मिलता है तो रहने दें।

श्री लादूराम सुलानियां : सभापति महोदय, "एफ० 428 और 491, भूतपूर्व राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या 136, दिनांक 14-1-49 के द्वारा वनों की उपज के उपभोग के संबंध में जनता को कुछ असुविधायें थीं उनको दूर करने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन इन सुविधाओं से जनता सन्तुष्ट नहीं हुई, और इस बारे में बारबार आन्दोलन होता रहा है"।....

फिर इन्होंने लिखा है—

"राजस्थान सरकार ने इन शिकायतों को दूर करने के लिए यह कमेटी नियुक्त की है। इस कमेटी में बहस किये गये मसलों की तजवीज पर विचार करके राजस्थान

(श्री लादूराम सुलानियां)

सरकार ने यह निश्चय किया है कि विज्ञप्ति संख्या 136 दिनांक 14-1-49 में निम्न लिखित संशोधन किये जायें:—

मैंने, सभापति महोदय, इसलिए यह निवेदन किया है कि ये घोषणायें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं, और इसलिए नहीं हैं कि जब साढे 12 प्रतिशत था उस वक्त भी इन्होंने कोटा पूरा नहीं किया। उस वक्त भी ये उनको पूरी नौकरी नहीं दे सके, पूरे जो साधन मिलने चाहिए थे वे नहीं दे सके, जो धन भारत सरकार और राज्य सरकार से योजनाओं में मिला उसको ये पूरी तरह से नहीं बांट सके, उसका वितरण नहीं कर सके, और उस सारे धन का पचास प्रतिशत हिस्सा वापिस रिवर्ट हो गया, और योजनाओं के जो उपयोग में आना चाहिए था वह नहीं आया। तो, माननीय सभापति महोदय, इन घोषणाओं को भी मैं मानता हूं। यह जो घोषणा की गई है वह बहुत अच्छी है, लेकिन इसको लागू करने में माननीय मंत्रीजी को पसीना आयेगा; वे पूरी नहीं कर पायेंगे। अगर ये चाहते हैं कि जैसे मेरे बीच में कोई माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि आपने नियुक्तियां तो बन्द कर रखी हैं, बजट में प्रावधान नहीं है तो पैसा देंगे कहां से तो जवाब मिला कि जब खुलेंगी तब। तो, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि अगर आप घोषणा करते हैं तो यह कीजिये कि आपके यहां जितनी भी पोस्टें हैं और जो खाली हैं जिस जिस ऑफिस में उनको आप पूरा कर दें और फिर 28 प्रतिशत की घोषणा करें। नियुक्तियों पर बान हो या नहीं यह घोषणा नियुक्तियों से ताल्लुक नहीं रखती है। यह विशेष प्रावधान है। जब घोषणा की है तो इनकी नियुक्ति के लिए ऑर्डर जारी किये जायें, इसके लिए बजट पास करवाया जाय। हम उस पर अपनी मोहर लगा देंगे आंख मीचकर। इसके लिए विरोध नहीं करेंगे। लेकिन घोषणा के साथ साथ उन लोगों के लिये कितना रुपया खर्च करेंगे यह सारी की सारी इसके साथ में घोषणा करवाई जाय तो हो सकता है कि सदन में कुछ धमचक होती है उसमें थोड़ा जाकर सोचने की आवश्यकता समझते हैं। लेकिन मैं इन घोषणाओं का स्वागत नहीं करता हूं। ये घोषणायें तो बिल्कुल ना के बराबर हैं।

मैं, सभापति महोदय, आयोग की रिपोर्ट की कुछ बातें सदन में आपके द्वारा रखना चाहता हूं। वे यह हैं कि आयोग की रिपोर्ट में राज्य सरकार को जो निदेश दिये हैं उनकी पालना आज तक राज्य सरकार ने नहीं की। जो सुझाव दिये हैं उनकी भी पालना नहीं की। तो जो निदेश थे उनकी पालना नहीं की गई, जो सुझाव दिये उनकी पालना नहीं की, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार हरिजनों के उत्थान करने में पीछे रही है और यह कहना कि निकम्मी रही है इसमें कोई फर्क नहीं है।

मैं, आपके सामने संविधान में जो दिये गये अधिकार हैं उन अधिकारों से आज आजादी के 22 साल के बाद भी उनको वंचित रखा गया है, उनके बारे में आपका क्या रुख रहा है? हम यह पूछना चाहते हैं आपसे कि हरिजनों को उठाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उनको मकान-सहायता देने के लिए, उनको काश्त के

(श्री लादूराम सुलानियां)

लिए भूमि देने के लिए और उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अन्य सहायता दिये जाने के लिए जो योजनाएं बनीं—पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी, इन तीनों योजनाओं तक जो आपको भारत सरकार से इस बात के लिए धन मिला है, और उसमें बजट में जो प्रावधान रखा है उस सारे के सारे को हजम कर गये। और हजम करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा पैमाना है और वह पैमाना है कि योजनाएं बनीं और योजनाओं के अन्दर आपने लिख दिया। सबसे पहले 64 में इसी आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने आपको बजट दिया था और उस बजट को आपने योजना में न लेकर रिपोर्ट में यह लिख दिया कि कोई योजना नहीं है। आपने योजना नहीं बनाई है और यही 64-65 की जो रिपोर्ट है उसमें आपने लिख दिया है कि कोई योजना नहीं है और 65-66 में आकर आपने योजना बनाई कि हम राजस्थान में परिगणित और जन-जातियों के लोगों को एग्रीकल्चर की सुविधायें देंगे, जमीनें देंगे, हल-बैल देंगे, अन्य साधन देंगे, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने परिगणित जातियों को आपने दिया नहीं, परिगणित जन-जातियों को कुछ आपने दिया है जो कि ना के बराबर होता है। उसके अगर आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये जायें तो आपने 50 प्रतिशत धन का दुरुपयोग किया है और 50 प्रतिशत धन उसमें से लैप्स हो गया है जो कि किसी के काम में नहीं आया, और वह आना चाहिए था राजस्थान के पिछड़े इलाकों के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों को मिलना चाहिए था, उससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। उस आर्थिक स्थिति को अच्छी नहीं कर पाये और धन का उपयोग नहीं हो सका। यह आपकी स्थिति रही।

(4.25 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

अब हम आपसे शिक्षा के बारे में यह कहें कि आप राजस्थान में शिक्षा के बारे में सतर्क रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। आज भी हरिजन छात्रों की यह हालत है कि हर स्कूल में उनसे फीस ली जाती है। इस बात की शिकायत हर समय आप लोगों को की गई, लेकिन आप लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं जबकि संविधान के अनुसार और आपने जो ऑर्डिनेन्स जारी किया था 1952 में उसमें भी आपने और 50 में भी एक विज्ञप्ति जारी की थी उसमें क्लियर था कि हरिजनों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। लेकिन माननीय सभापतिजी, सभानेत्रीजी, माफ करियेगा, यह हालत है कि सारे हरिजन बच्चों से फीस ली जाती है, और उन बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है वह दयनीय है। जो हरिजन बच्चे स्कूलों में दाखले के लिये जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि परिगणित जाति का प्रमाण-पत्र लाओ। जब तक उनके 10 रुपये खर्च न हो जायें उनको प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है। तीन रुपये का तो स्टाम्प लायेंगे, उसके साथ एक हलफनामा लगायेंगे और दो-तीन दिन तक कोर्ट में लैफ्ट, राइट करते जायेंगे तब जाकर उनको प्रमाण-पत्र मिलता है और तब जाकर उनको स्कूल में दाखला मिलता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो प्रमाण-पत्र शेड्यूल्डकास्ट के बच्चों को दिया जाता है उसको फ्री किया जाय। उस पर कोर्ट फीस और हलफनामा और जो ड्यूटी लगती है तीन रुपये के स्टाम्प की वह नहीं ली जाय।

(श्री लादूराम सुलानियं)

शिक्षा के संबंध में छात्रवृत्ति आप देते हैं तो छात्रवृत्ति में भी आपकी प्रक्रिया सीमित रही है और आपने अपने मनमाने ढंग से दी है। जहां पर 100 लड़कों को छात्रवृत्तियां मिलना चाहिए थीं वहां पर 30 लड़कों को ही आप छात्रवृत्ति दे पाये हैं और 80 प्रतिशत हरिजन बच्चे आज छात्रवृत्ति से वंचित आज राजस्थान में हैं। आप अनुपात से देख लीजिये, बच्चों की संख्या के अनुपात से देख लीजिये, हर साल यही हालत इन छात्रवृत्तियों की चली आ रही है और इस वक्त भी चली जा रही है।

छात्रावासों के, बारे में सभानेत्रीजी, सदन को जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि कई राजस्थान में आज परिगणित जातियों के छात्रावास हैं, उनमें जितने छात्र हैं उनकी हालत आज करीब करीब है कि तीन तीन महीने से छात्रावासों में रह रहे हैं लेकिन आज तक उनको पहनने के लिए जो कपड़े दिये जाते हैं-एक कमीज और एक नेकर और जूते हैं वे आज तक उपलब्ध नहीं करा पाये हैं और उनके पास वे ही पुराने कपड़े हैं जो वे घरों से पहन कर आये हैं और उन्हीं को पहन कर वे स्कूल जाते हैं और छात्रावासों में आज तक रह रहे हैं। आज की तारीख तक, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कोई व्यवस्था नहीं है। यह तो हरिजन बच्चों के साथ व्यवहार कर रखा है। क्या वे यतीम बच्चे हैं? क्या वे यतीमखाने में बैठे हुए हैं? क्या आप इस तरह से हरिजनों पर अहसान करते हैं यदि कोई आप उनको देते हैं तो? यह लाखों और करोड़ों लोगों की आकांक्षाएं हैं। जो भारत सरकार और राज्य सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और उन बच्चों को तीन तीन महीने तक रहने और खाने की सुविधाएं तो क्या उन लोगों के लिए कपड़े की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है। जयपुर में दो छात्रावास चल रहे हैं उनमें बच्चों को वर्दियां नहीं मिली हैं आज तक भी।

माननीय सभानेत्रीजी, आपके द्वारा यह भी बताना चाहता हूं कि जो वर्दियां दी जाती हैं वे नई नहीं दी जाती हैं। पिछले साल की आज तक वितरण की गई हैं। छात्रावासों में जो जूते वितरण किये गये हैं वे कबाड़ी से खरीदकर वितरित किये गये हैं जबकि गवर्नमेंट का यह बजट है कि नये जूते उनको मिलना चाहिए, नये बिस्तर उनको मिलने चाहिएं। वे कोई भिखमंगे नहीं हैं? उन पर कोई आप अहसान नहीं कर रहे हैं। वे अपने अधिकार को ले रहे हैं, अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं। अब आपकी जेब से पैसा नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको खजाने पर बैठाया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जाय।

इसके लिए आप इस बात के लिए कहते हैं कि हरिजनों के लिए मकानों की सहायता हम देते हैं। मकान सहायता, सभानेत्रीजी, दी है अगर माननीय मंत्रीजी मेरे साथ चलकर दो तीन का निरीक्षण कर लें तो मैं चाहता हूं कि फिर आकर सदन में उत्तर दें माननीय मंत्री महोदय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि आप अपनी ड्यूटी के काम में अपने कर्तव्यपालन करने मे बहुत पीछे रहे हैं। यह जयपुर के आस पास है, बाहर जाने की जरूरत नहीं हैं आपको। अभी जयपुर के अन्दर और जयपुर के अन्दर बजाजनगर, आदर्श बस्ती अमृतपुरी, घाटगेट, अशोकपुरी, चांदपोल दरवाजे के बाहर, नाहरगढ़ तोपखाना

(श्री लादूराम सुलानियां)

और फागी में, रामनगर में, सांगानेर में, भीमालपुर और लकेसर, सभापति महोदया, ये आदर्श बस्तियों 1948 से राज्य सरकार बसाने की व्यवस्था कर रही है। इनमें उन्होंने यह भी कहा था कि हम स्कूल और पंचायत-घर भी बनायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बिजली और अन्य साधान देंगे। और आज की हालत में 48 से 69 जा रहा है, 17 साल के दरम्यान इन बस्तियों में पट्टियां खड़ी हैं तो फर्श नहीं है। किवाड़ नही हैं। किवाड़ हैं तो रहने वाले नहीं हैं। यह हाल राज्य सरकार का है। राजस्थान का क्या हाल है ? राजस्थान विधान सभा के सारे सदस्य साल में 3 दफा इकट्ठे होते हैं। इन बस्तियों में जाकर देख सकते हैं। मैं बताता हूं कि इन बस्तियों में कोई किवाड़ नहीं हैं। कोई अपना घर नहीं है। कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं आप। कहते हैं कि हमने हरिजनों का उद्धार किया है। मैं आपके द्वारा, सभानेत्री महोदया, मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उनको 750 रुपये देने की जो बात है, वह केवल 200 रु० दिये गये हैं। वह भी पेमेंट नहीं हुए। आप के अधिकारियों ने 50-50 रुपये की कटौती की है, सुरक्षा कोष के नाम से। पेट के नाम से की है। बहुत सी शिकायतें पहले भी मैंने भेजी हैं। कई अधिकारी इस मामले में सस्पेंड हैं। तुमने उन्हीं को ऊंची जगह भेजा है। अब हरिजनों के साथ उनका दुर्व्यवहार रहा है। पंचायत समिति, सांगानेर में जो रेगर कॉलोनी है उसमें 200 क्वार्टर पड़े हुए हैं। उनमें कुत्ता बिल्ली भी बैठ नहीं सकते हैं। आप चाहें तो चलकर देख सकते हैं। सांगानेर यहां से 8 मील पर है। क्या मेरे साथ पधारो तो मैं चल सकता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय...

श्रीमती सभानेत्री : और भी सज्जन बोलेंगे।

श्री लादूराम सुलालियां : सभापति महोदय मैं अभी कुछ और समय लूंगा मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हरिजनों को ऊंचा उठाने का जो ढिंढोरा पीटते हैं, यह नाममात्र रह गया है। यह क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। ग्राम पंचायतों और म्युनिस्पैलटी में जिन हरिजन सदस्यों को लेते हैं, उनको बाहर बैठाते हैं। बराण्डे में बैठाते हैं। उनके साथ जो व्यवहार होता है वह इस रिपोर्ट में भी लिखा है। आप देख लें।

एक माननीय सदस्य : पढ़ लियां।

श्री लादूराम सुलानियां : जब भारत सरकार की रिपोर्ट में यह लिखा है कि आपके राज्य में वह दफतर के बाहर बैठे। यह आप के वश की बात नहीं है। कुछ अधिकारी अच्छे हैं नहीं तो मेरे ख्याल से आप वश लगे तो आप विधान सभा के सदन से बाहर बराण्डे में बिठायें। यह आपके वश में नहीं है। जो म्युनिस्पैलटी में चुने गये हैं, उनको बाहर बैठाया। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। मैं यह भी बताता हूं कि हरिजन बस्तियों के नाम पर लूट मची है। जैसा कि दो दिन अकाल की बहस में सुना है। समाजसेवी संस्थाओं के नाम पर लाखों रुपया देते हैं। हरिजनों के संरक्षण के लिए बांसवाड़ा सेवा संस्था को अनुदान दिया है। मैं पूछता हूं कि कितने

(श्री लादूराम सुलानियां)

हरिजन बच्चे अनुदान पाते हैं। कितने हरिजन सुविधा उठाते हैं। क्या ये आपके ऑफिस जयपुर में हैं। हरिजनों की एक सेवा संस्था जो कि 30 हजार की एडेड है। दलितवर्ग संघ एक मोटर गेरेज में बन्द है। उसके बारे में शिकायत करते हैं, उसको आप सुनते नहीं हैं। है कहां इसका ऑफिस? हरिजन सेवक संघ का कोई ऑफिस है? कोई कार्यक्रम है? कोई दलित वर्ग का कार्यक्रम है? केवल पांच छः साल पहले बड़े बड़े पोस्टर छाप दिये। उसमें भंगी खड़े कर और दिये उनके हाथ में झाड़ू देदी और कह दिया छूआछूत नहीं फैले। लेकिन छूआछूत फैले इस बात की प्रवृत्ति तो आपने फैलाई हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने कहा है कि आज भी हरिजनों को नाली से पानी पिलाया जाता है। सभानेत्री महोदया राजस्थान के अन्दर आजादी के बाइस वर्ष के बाद में भी यह स्थिति है। आज राजस्थान सरकार में हरिजनों के प्रतिनिधि बैठे हैं। वह बहुत योग्य एडवोकेट हैं, वह समझते हैं सारी बातों को, मैं उनसे यह पूछता हूं कि आपको टाइम मिलता है, आप जयपुर में रहते हैं, आप हमारे साथ में चल कर देखिये कि हरिजनों को आज भी नालियों से पानी पिलाया जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। कुत्ते और बिल्ली को भी आज कटोरे में लेकर दूध पिलाते हैं लेकिन राजस्थान की राजधानी में हरिजनों को नालियों से पानी पिलाते हैं इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है..

श्री मूलचन्द डागा : आपको तो गले लगाते हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : यह इस रिपोर्ट में लिखा है, यह आयुक्त ने लिखा है कि राजस्थान में हरिजनों को नालियों से पानी पिलाते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह यह रिपोर्ट कह रही है। आप इसको पढ़िये डागाजी। यह मैं नहीं कह रहा हूं..

श्री नत्थीसिंह : सारा कंठस्थ किया हुआ है।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं दूसरा मुद्दा यह आपके सामने रखना चाहता हूं कि आई० टी० आई० जो राजस्थान में खोले हैं, उनके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्थान सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उनके लिए पैंतालीस रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन हमारी इस निकम्मी सरकार ने केवल पच्चीस रुपये उनको दिये हैं, बाकी के सारे रुपये खा गये हैं। इस वर्ष जाकर जब विधान सभा में यह प्रश्न आया और इनके कानों में आवाज जोरों से गुंजाई गई तो घोषणा की कि हम पैंतालीस रुपये देंगे अब। मैं कहता हूं पिछले सालों में जितने लड़के रहे हैं और जिन्होंने आई० टी० आई० में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या उन लड़कों को आपने यह बाकी का रुपया दिलाया है, उन्हें जो पच्चीस रुपये देकर बाकी के अपने पास रखे गये हैं वह क्या उनको आपने वापिस लौटाया है, क्या उनके पास में मनीऑर्डर के द्वारा भेजा है? उनको जो पूरी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वह आपने नहीं दी तो क्या अब देंगे?

इसी तरह आप प्रशिक्षण कार्य में देखें। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो प्रशिक्षण के कार्य चलाये जा रहे हैं, उनके अन्दर कुछ सिलाई केन्द्र चला रखे हैं। उसके अन्दर,

(श्री लादूराम सुलानियां)

सभापतिजी, लड़के जब सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो मशीन दी जाती है। पिछली साल भी कुछ मशीनों का वितरण किया गया जयपुर में जो सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र है, उसके द्वारा। लेकिन, मैं सभानेत्री महोदया, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि वह मशीन पुरानी थी, उन मशीनों में बीस प्रतिशत मशीनें नई थीं और बाकी अस्सी प्रतिशत मशीनें पुरानी थीं, लेकिन उनका बिल पहुंचा वह सारी नई मशीनों का था। इस प्रकार के घोटाले होते हैं, हरिजनों के नाम पर दिये गये धन का दुरुपयोग होता है। इसके बाद भी यह कहें कि हम राजस्थान के नुमाइन्दे हैं, हम हरिजनों का उत्थान करते हैं। आप कहते हैं कि आप योग्य मिनिस्टर है, आप ने इस सदन में जो घोषणा की है, वह यह है कि आप दो साल जमीन का एलॉटमट बन्द करके हरिजनों को जमीन देंग। मैं, सभापति महोदया कहना चाहता हूं कि 1967 में एक घोषणा की थी कि एक साल तक हरिजनों के अलावा किसी को जमीन नहीं दगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 1967-68 तक, एक साल के लिए यह घोषणा की, उसके अलावा सारे वर्ष के आंकड़े निकाल कर उस वर्ष के आंकड़े निकालें और बतायें कि कितने लाख बीघा जमीन हरिजनों को एलॉट हुई है। पहले जो कुछ हरिजनों को हुज्जत से, कुछ नरमी से, कुछ गर्मी से, कुछ कहने सुनने से, कुछ नियमों की महरबानी से जमीन प्राप्त हो जाती थी, सभापति महोदया, उस एक साल में वह भी नहीं हुई। तहसीलदार ने एलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई और यह कह दिया कि जिसको एलॉट करनी हो वह कर दें। इस प्रकार सारी जमीन बांट दी और हरिजनों को एक बीघा जमीन भी एलॉट नहीं हुई। यह हालत, मंत्री महोदय, अब होने वाली है। दो साल आप एलॉटमेंट दूसरों को नहीं करेंगे तो हरिजनों को भी नहीं करेंगे। आपके कौनसे तहसीलदार की हमदर्दी है जो हरिजनों को एलॉटमेंट कराने के बाद में मौके पर जाकर कब्जा दिलाये। एलॉटमेंट कमेटी में हम भी सदस्य हैं, माननीय सभापति महोदय, एलॉटमेंट कमेटी के द्वारा भी मन-मानी होती है, हम मीटिंग में एक नम्बर की जमीन एलॉट करके आते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन फाइल बदल कर दूसरे नम्बर की जिसमें खड्डे है, नाले हैं, जमीन उबड़ खाबड़, अनउपजाऊ जमीन है वह मिलती है और कब्जा दिलाते समय भूमि का नम्बर बदल दिया जाता है। इस प्रकार के कई मुकद्दमें हैं, अगर आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जयपुर के क्लेक्टर, जयपुर के पास हजारों मुकद्दमें पड़े हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आसन के आज्ञा से बहुत शर्मिन्दा हूं....

श्रीमती सभानेत्री : आधे घण्टे से ज्यादा हो गया है। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : ज्यादा नहीं बोला हूं।

श्रीमती सभानेत्री : बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारे सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री नाथूराम करोल : सभानेत्री महोदया, बाद में समय नहीं मिलता है। यह नहीं होना चाहिये ।

श्री लादूराम सुलानियां : मुकद्दमों में जो सहायता है, वह हरिजनों...

श्रीमती सभानेत्री : अब जल्दी समाप्त कर दें। माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त कर दें। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है। आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : जल्दी समाप्त करुंगा दस पन्द्रह मिनिट में। दो-दो मिनिट में इस पर बहस नहीं हो सकती। हमारे भी कुछ अधिकार हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ फैक्टस हैं ?

श्रीमती सभानेत्री : आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे माननीय सदस्य भी तो बोलेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं आपकी आज्ञा से शार्ट में कह देता हूं..

श्रीमती सभानेत्री : आपको आधे घण्टे से ज्यादा हो चुका है। आप जल्दी राउण्ड अप कर दें।

श्री लादूराम सुलानियां : मुकद्दमों के बारे में मैं बोल कर जल्दी समाप्त कर दूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, समाप्त कर दें, शार्ट में कर दें। काफी लम्बा बोल चुके हैं, और सदस्यों को भी सुविधा दीजिये बोलने की।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं शार्ट में खत्म कर दूंगा, साहब।

तो मुकद्दमों के मामले में भी सहायता नहीं दी गई है। कई लोगों ने दरख्वास्त दी लेकिन वह पेंडिंग पड़ी रही और कई कहीं खो गई, लेकिन मुकद्दमों में उनको सहायता नहीं दी है। जो घोषणा माननीय मंत्रीजी ने की थी, उसके बारे में अभी जब उत्तर देंगे तो वह बतायें कि किसको दी है। किसका नाम किसी साल का बतायें। एक को भी नहीं दी है और जो मुकद्दमों में सहायता देने के लिये धनराशि रखी थी वह सारी लैप्स हुई है।

इसके साथ, माननीय सभानेत्रीजी, आपके द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि पिछली साल हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार राजस्थान में हुआ है वह एक ऐतिहासिक घटना है, वह जोशीजी को भी मालूम है। जयपुर में, लालसोट और चाकसू, और बस्सी तहसील के अन्दर जो हरिजनों का कत्ल हुआ, वह दिन दहाड़े कत्ल हुआ है। लाशें तीन तीन रोज तक पड़ी रहीं, उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। वहां पर हजारों पुलिस का इन्तजाम किया गया झगड़े को रोकने के लिए यह किया, वह किया, और कांग्रेस की मीटिंग हुई, हम लोगों की खुशामद हुई कि किसी प्रकार झगड़ा मिटे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक उन व्यक्तियों, जिन्हें बिना किसी कसूर के मौत के घाट उतरना पड़ा है, के कातिलों को बरामद नहीं किया है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और उन्हें जानबूझ कर छोड़ दिया गया है। ग्राम सियाला देवा और किशनी में दिन दहाड़े हत्या हुई है, उनके मुलजिमों को 302 में गिरफ्तार राज्य सरकार ने आज तक नहीं

(श्री लादूराम सुलानियां)

किया है। सुन्दर के अन्दर सोने की हत्या हुई, उसकी हत्या कातिलों द्वारा डाका डाल कर की गई लेकिन इस निकम्मी सरकार की निकम्मी पुलिस ने 302 में एक भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया है। आज हमारी यह हालत है, वह किसको बतायें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि खुले आम कत्ल करने वालों को आपने प्रोत्साहन दिया है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आपकी पुलिस ने और आपके होम डिपार्टमेंट ने उनसे हजारों रुपये की रिश्वत खाई है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

माननीय सभानेत्री महोदया, यह मसला यहां तक ही नहीं है, मैं इसमें यह बताना चाहता हूं.. ।

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री लादूराम सुलानियां : इसके अन्दर...

श्रीमती सभानेत्री : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न यह है, सभानेत्री महोदया, जब कभी आसन की ओर से संकेत हो जाने पर भी अब माननीय सदस्य अनुपालना नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में इस सदन की गरिमा कम होती है। मैं समझता हूं. माननीय सदस्य अपना वक्तव्य अब समाप्त करेंगे क्योंकि आसन की आज्ञा हो गई है।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभानेत्री महोदया....

श्री दौलतराम सारण : आपकी सरकार ने दो साल के बाद रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है, फिर दो दिन रखे वह भी लास्ट में रखे और फिर इस पर बहस चार बजे, पांच बजे शुरू की। आज चार बजे शुरू की है, फिर थोड़े थोड़े में बोलते हैं तो भी...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य!

श्री दौलतराम सारण : आप उनको नहीं कहती जो हरिजनों के सेवक होने का दावा करते हैं.....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य!

श्री दौलतराम सारण : यह सरकार के ऊपर अभियोग लगा रहे हैं वह सुनने के लिये तैयार नहीं हैं और बीच बीच में बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूं कि जो कुछ भी आपको कहना है वह आसन की ओर मुंह करके कहें।

श्री दौलतराम सारण : यह गम्भीर आरोप लगा रहे हैं और बहुत तथ्यों के साथ लगा रहे हैं। इनकी बात को सुनना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : मैं खुद देख रही हूं कि.....

श्री दौलतराम सारण : यह क्या बात है, वह बार बार टोकते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! आपस में नहीं उलझें और आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपको आक्षेप सुन कर दुख होता है? आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं। हम बैठने को तैयार हैं। हम बोलने वाले हैं और माननीय सदस्य बैठने को तैयार हैं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य! अभी कई माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कई सदस्यों का नम्बर भी आ जायेगा। आप इन्हें बोलने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज! आप बोलियेगा, और जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): मैं इस सम्बन्ध में चेयर की अनुमति से प्रार्थना करूंगा कि कल भी इस बात पर काफी झगड़ा हुआ था क्योंकि कि हर बार जब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट आती है तो उसको लास्ट दिन पर लिया जाता है और फिर रात के ग्यारह बजे तक इस पर बहस की जाती है और जो इसका जवाब दिया जाता है वह उस वक्त दिया जाता है जब काफी सदस्य यहां से चले जाते हैं तो मैंने कल भी आपसे इस बात के लिये प्रार्थना की थी कि इस पर दो दिन के बजाय 3 दिन बहस हो, वह भी होल (पूरे) दिन बहस हो। कल इस पर बहस हुई थी वह 5 बजे शुरू की थी, आज 4 बजे इस पर बहस शुरू की जा रही है जबकि इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिये हमारे लिये दो दिन रखे गये थे। सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं, फैक्ट्स रखने वाले हैं, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि चाहें सदन को एक दिन के लिये और बढ़ाना पड़े, चाहे समय बढ़ाना पड़े, माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने दिये जायं, उनकी बातों को हमें सुनने दिया जाय। मंत्री महोदय जो वक्तव्य देंगे वह हम सुनने के लिये तैयार हैं, चाहे हमें दो दिन और बैठना पड़े, चाहे ज्यादा समय के लिये बैठना पड़े।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज, आप बिराज जाइये।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं पूरे सदन में नहीं बोला हूं सभापति महोदया मेरे पास कुछ मैटर है।

श्रीमती सभानेत्री : आपके पास मेटिरियल है, गम्भीर है, आपको कहना है पर दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं उनका भी ख्याल रखें।

श्री लादूराम सुलानियां : उनका ख्याल है।

श्रीमती सभानेत्री : इसलिये आप संक्षेप में कहें।

श्री नत्थीसिंह : यह आप निकम्मी सरकार से कहिये।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर, आप बीच में मत बोलिये। मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं। इनकी रिपोर्ट सदन में है तो जो इस विभाग के मंत्री हैं, वे हाउस में रहें।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभानेत्री महोदया, शियाला और सुन्दर की हत्याओं के बारे में, जो वहां कत्ल हुई उनके बारे में राजस्थान में ही नहीं हरिजनों ने दिल्ली में भी एजीटेशन किया, लोक सभा के सामने धरना दिया हजारों लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, लोग जेलों में गये लेकिन इस निकम्मी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जगह जगह उस एजीटेशन के बारे में पोस्टर चिपकाये गये। मैं सदन में वह

(श्री लादूराम सुलानियां)

पोस्टर रखना चाहता हूं, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के जो विचार हैं वह भी मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। दिल्ली के एजीटेशन के बाद विधान सभा में मांग की गई कि उन हत्याओं के हत्यारों को पकड़ा जाय पर सभानेत्री महोदया, उन हत्यारों में से एक को भी नहीं पकड़ा गया। यह जो पोस्टर मैं सदन की मेज पर रखने वाला हूं उसे मैं पढ दूं.....

श्रीमती सभानेत्री: आप पढ़िये नहीं, ऑर्डर ऑर्डर....

(निरन्तर घंटी)

(श्री लादूराम सुलानियां पोस्टर को पढते रहे, निरन्तर घंटी और आसन से ऑर्डर ऑर्डर के निरन्तर आदेश के कारण अश्रव्य)

माननीय सदस्य, ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज आप पढ़िये नहीं। मैं जो कुछ कहती हूं वह सुनिये तो सही, आपको जो कहना हो वह कह दें पेम्फलेट क्यों पढते हैं। फिर किताब पढ़ कर सुनाने लगेंगे। जो कहना हो वह कहें।

श्री लादूराम सुलानियां: यह ज्यादा नहीं है....।

(अश्रव्य-निरन्तर घंटी)

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य मैं बार बार निवेदन कर रही हूं पर आप नहीं सुन रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां: मुझे मजबूर हो कर बोलना पड़ रहा है।

श्रीमती सभानेत्री: अभी आप पेम्फलेट पढ़ेंगे फिर किताब में से पढ़ेंगे यह कहां तक उचित है? और भी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री लादूराम सुलानियां: सभानेत्री महोदया, लाखों लोगों ने एजीटेशन किया हजारों लोग जेल गये। 3 हत्याएं हुईं और एक भी मुल्जिम राजस्थान की सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। यह स्पष्ट है।

भीलवाड़ा जिले में आज भी हरिजनों से बेगार ली जाती है जबकि 1943 में हमारे देशी राज्यों के समय में ही बेगार की प्रथा समाप्त करदी थी जबकि कांग्रेस के शासन का नामोनिशान भी नहीं था। और आज कांग्रेस दुहाई देती है कि हमारे यहां हरिजनों की सुरक्षा है, बेगार नहीं ली जाती समाज-कल्याण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि हरिजनों से बेगार ली जाती है। मैंने इस सम्बन्ध में समाज-कल्याण मंत्रीजी को लिखा, मुख्य मंत्रीजी को लिखा, सम्बन्धित सभी विभागों को लिखा। जोशीजी ने मुझे एक पत्र लिखा शायद आप कहेंगी कि वह नहीं सुनाऊं पर मैं उसे सुनाना आवश्यक समझता हूं। उन्होंने लिखा है:—

"प्रिय सुलानियांजी,

आपका दिनांक 31-6-68 का पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र को मैंने संचालक, समाज-कल्याण-विभाग, जयपुर को भेज दिया है। साथ में यह निर्देश दिया है कि सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी से इस मामले में जांच करवाये। आपको आखिरी कार्यवाही से अवगत कराऊंगा" । लेकिन सभापति महोदया, आज तक कुछ नहीं किया।

(श्री लादूराम सुलानियां)

मुख्य मंत्रीजी ने मुझे पत्र लिखा है:–

"प्रिय सुलानियांजी,

आपका पत्र दिनांक 22-6-68 का प्राप्त हुआ। आपने तहसील हुर्डा के कुछ हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की। मैं उसके सम्बन्ध में, पूरी जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।"

सभानेत्री महोदया, सन् 68 गया, 1969 समाप्त हो रहा है पर अभी तक इसकी जांच नहीं करवा पाये हैं। मैंने जो डी० ओ० लेटर लिखा उसकी जानकारी करा देता हूं। थाना बड़ोदिया चित्तौड़, चित्तौड़ में यही हालात हैं कोटा में यही हालात है, भरतपुर में यही हालात है। अलवर में अभी जबरदस्ती एक हरिजन की हत्या हुई है, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज तक करोड़ों रुपया भारत सरकार और राज्य सरकार का खर्च हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है, उसका दुरुपयोग हुआ है और इन सारी बातों की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर है।

मैं इस विषय को छोड़ कर माननीय सभापति महोदया, यह बता देना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं, इसके लिये कांग्रेस अगर दुहाई दे कि हमने हरिजनों का उद्धार किया है तो वह गलत है। इनकी पुस्तक छपी है समाज-कल्याण विभाग से उसमें लिखा है कि हमारे पूज्य बापू ने हरिजनों का सबसे प्रथम उद्धार करने की प्रतिज्ञा की है, पर मैं कहना चाहता हूं कि बापू ने जब प्रतिज्ञा की थी तो हमारा संविधान 47–48 में ही हरिजनों को सुरक्षा मिल गई थी और यह बात डा० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में रखदी थी। तो क्या नई बात बापू ने रखदी? सबसे पहले महात्मा गांधी ने नहीं उन्होंने तो बहुत बाद में जोड़ा है, विरोध करने के बाद में जोड़ा है।

(5 म० प०)

श्रीमती सभानेत्री : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य आपको एक घंटे के करीब हो गया है। मैं आपको बार बार निवेदन कर चुकी हूं। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : समाज-कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपया खागये हैं, इसका मैं मंत्रीजी को चैलेंज करता हूं। महिला सदन है, वह हर जाति का है उसका सारा खर्चा समाज-कल्याण से क्यों करवाते हैं?

श्रीमती सभानेत्री : स्थान ग्रहण करें, मुझे अफसोस है कि आप मेरा कहना नहीं मान रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : मुझे एक घंटा बोलते हुए नहीं हुआ।........

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : मुझे आसन की तरफ से दबाया गया है, मैं कह रहा हूं . . .

(व्यवधान)

श्रीमती सभानेत्री : आप तो 5 घंटे बोल सकते हैं लेकिन मुझे क्षमा करें, और भी बोलेंगे।

(श्री नाथूराम व श्री लादूराम साथ साथ बोलने लगे)

ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : छात्रावास चालू था (अश्रव्य)

(लगातार घंटी)

आपकी जेब का धन है जो बटोरते हो, यह नहीं हो सकता। जहां छात्रावास की मांग हैं, जहां स्कूल की मांग है, जहां हाई स्कूल है, जहां मिडिल स्कूल है, वहां छात्रावास होना चाहिए, जहां लोग मांग कर रहे हैं, जहां नहीं मांग कर रहे हैं . . . .

(लगातार घंटी व्यवधान)

आप मनमानी जगह पर छात्रावास समाज-कल्याण के लिए खोलते हैं। छात्रावास खोले हैं आपने राज्य में, मैं तो कहता हूं कि आप हरिजनों के धन का दुरुपयोग करते हो और उसके लिए आप जिम्मेदार हो।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मैं कितनी बार निवेदन कर चुकी हूं कि आसन बारबार आपसे कह रहा है मुझे मजबूर होकर बार बार कहना पड़ता है बहुत हो चुका।

श्री लादूराम सुलानियां : (अश्रव्य) अपने लड़कों के नाम से जमीन ली, बांदीकुई में करोड़ों रुपये खा गये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप करोड़ों रुपयों की बात तो कहते हो . .

(व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानियां : एक कमेटी बनाई जाय, समाज कल्याण विभाग की जांच करवाई जाय और उस कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी जाय...

(लगातार घंटी - व्यवधान)

इतना धन 22 साल में बटोरा है ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इसको एक्सपंज किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : क्या कहते हो, क्या एक्सपंज किया जाय ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आप आखिरी दिन तक भी साबित कर सकें कि...

(अश्रव्य)

अपनी जिन्दगी के आखिरी दिन तक..

श्री दौलतराम सारण : यह कांग्रेस कमेटी की मीटिंग नहीं है जो मर्जी आए एक्सपंज करा दिया ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इट शुड बी एक्सपंज्ड फ्रोम रेकार्ड्स

(शोरगुल)

श्री लादूराम सुलानियां : (अश्रव्य) पूछ लिया जाय। माननीय सदस्य ने कितनी जमीन ली अपने ....

श्रीमती सभानेत्री : ऑडर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : (अश्रव्य)

(लगातार घंटी)

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैंने जो ठीक समझा वह किया, जो ठीक समझूंगा वह करूंगा ।

श्री लादूराम सुलानियां : आपने बच्चों के नाम जमीन एलॉट करवाई।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जो ठीक समझूंगा वह करूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य।

(शोरगुल)

मंत्रीजी, ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर।

मैं आपसे बार बार निवेदन कर चुकी हूं कि आप फिजूल ही इस बात के बहस में न पड़ें, आप बहस को आगे चलने दें, सुलानियांजी आप न बोलें। दूसरे सदस्य बोलेंगे । श्री नाथूरामजी ।

श्री श्रवणलाल : मंत्रीजी कुछ शब्दों को एक्सपंज करने के लिए कह रहे हैं, हमने सुने नहीं, कौनसे शब्द थे ।

श्रीमती सभानेत्री : ऑर्डर प्लीज, उनकी पोइंट ऑफ ऑर्डर को हमने स्वीकार नहीं किया, आप बिराजिए ।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी एक घंटे का समय बढ़ाया है, समस्त दलों के लोग बोले हैं इस रिपोर्ट पर हमारे दल के किसी सदस्य को समय नहीं दिया गया है। इसलिए आपको हमारे दल की तरफ ध्यान देना चाहिए ।

श्रीमती सभानेत्री : आपके दल को समय दिया जाता है, आप बोलिए ।

श्री लादूराम सुलानियां : 5 मिनट में मैं समाप्त करता हूं..

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : (श्री नाथूराम से) आपको बाद में समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : पहले नाथुरामजी बोलेंगे ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य अभी (अश्रव्य)

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नाथूरामजी का नाम आपने पहले लिया था।

श्रीमती सभानेत्री : आप बिराजिए, मैं कहूंगी कि कौन बोलेंगे।

श्री दौलतराम सारण : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती सभानेत्री : आप बिराजिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इन्होंने बाद में उठाया है, इनका पहले हो जायगा, मेरा नहीं होगा? मैंने पहले कहा है।

(व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : आसन निर्णय पहले करे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : (अश्रव्य)।

नाथूरामजी को बोलने देना चाहिए, आसन की आज्ञा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए । नाथूरामजी बोलेंगे पहले।

श्रीमती सभानेत्री: बिराजिए। माननीय सदस्य जिद् नहीं करें। नाथूरामजी आप बिराजिए।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। आप बिराजिए मैं व्यवस्था दूंगी कि कौन बोलेंगे।

श्री नाथूराम: चेयर ने इजाजत दी है....

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्रीमती सभानेत्री: आप बिराजिए। स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां: तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं, इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं कि हम लोग नहीं कह पायें।

श्रीमती सभानेत्री: आप बिराजिए, मैं व्यवस्था देती हूं।

श्री दौलतराम सारण: एक मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्रीमती सभानेत्री: बोलिए।

श्री भैरोंसिंह: दौलतरामजी को चेयर पर दया नहीं आती है।

(5.07 म०प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह: मुझे बोलने की इजाजत दी है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह: सभानेत्रीजी जब आसन पर थीं और जब दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका देने की बात थी, तब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि समस्त पार्टियों के कोई न कोई सदस्य बोल चुके हैं, लेकिन एस० एस० पी० का कोई सदस्य नहीं बोला है इसलिए आप हमारे दल की ओर से बोलने का अवसर दें। तब उन्होंने मेरा नाम पुकारा, इस पर गोकुल प्रसादजी स्वभाव के अनुकूल बौखला उठे।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: गलत।

श्री नत्थीसिंह: बदतमीजी की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं स्थिति को समझा हुआ हूं। बौखलाहट शब्द, जैसा हठ धर्म है, वैसे ही बौखलाहट है। यहां बोलने की प्राथमिकता का सवाल है कि माननीय नत्थीसिंहजी बोलें अथवा इधर से कोई बोलें, यह प्रश्न है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: आपकी आज्ञा किसको मिली?

श्री अध्यक्ष: (श्री लादूराम से)। आपका भाषण ही परेशान कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय 5-10 हो गए हैं। अभी कई प्रश्न बीच में और मुझे रखने हैं। और मैं यह नहीं चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं। इस तरह से 5, 5।। का वक्त हो रहा है। आज का दिन खास संघर्ष

(श्री अध्यक्ष)

का है। अंतिम दिन संघर्ष का हुआ करता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य बैठें जितना समय चाहें उतने समय तक बैठें लेकिन अगर उग्र वातावरण किया जाये और बोलने का अर्थ ही नहीं निकलेगा वह उचित नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से, इधर बैठने वालों से निवेदन करूं कि इसको हठ का प्रश्न नहीं बनावें। किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया जाये तो उसको एक सम्मान का प्रश्न न बना लिया जाये। मुझको यह मालूम है, प्रोसीडिंग मैं सुन रहा था। एक माननीय सदस्य को बोलने का सभापति महोदया ने कहा था...

श्री रामचन्द्र आर्य : दोनों के झगड़े में मुझको मौका दे दें...

श्री अध्यक्ष : आप खुद झगड़ रहे हैं मैं इस स्थिति का स्पष्टीकरण करदूं. मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसको सम्मान का प्रश्न न रखें, इसको छोड़ दिया जाये। समय पर नियन्त्रण करना आवश्यक है और इसका यह अर्थ नहीं है कि आप ज्यादा समय तक नहीं बैठेऔर इसीलिये समय पर नियन्त्रण न किया जाये। माननीय सदस्य को इधर बैठने वाले....

श्री लादूराम सुलानियां : सिर्फ पांच मिनिट...

श्री अध्यक्ष : आपके पांच मिनिट जानता हूं। आपके भाषण के लिये 5 मिनिट हैं। पांच मिनिट के बाद, ज्यादा आपको कहना न पड़ेगा? आरंभ करिये।

श्री भरोंसिंह शेखावत : ओन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर। जिस समय उपाध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान थे, मैंने उनसे विशेषाधिकार के प्रश्न और निंदा प्रस्ताव के विषय में जानकारी चाही थी कि उस पर किस प्रकार का निर्णय हो रहा है। उन्होंने यह बताया था कि, अध्यक्ष महोदय, चैम्बर में विचार करके आरहे हैं। मैं समझता हूं आपने उस पर अब विचार कर लिया होगा। यदि निर्णय दे देंगे तो एक ही प्रश्न रहेगा।

श्री अध्यक्ष : कठिनता मेरे को यह होती है कि माननीय सदस्य जब मेरे चैम्बर में आते हैं बड़ी सरसता से आते हैं, मैं भी उनका बड़ी सरसता से स्वागत करता हूं। इस प्रश्न पर मुझको कहना नहीं चाहिए। मैं यहां से, आसन से गया, 1।। बजा था। माननीय सदस्य, मैंने इस प्रश्न को यहां उठाया है, मैं उस समय खुराक पर बैठ गया था खुराक पर, माननीय सदस्य मुझसे मिले हैं। मैं खुराक पर बैठा था और उस पर वे सन्तुष्ट हो गये थे। उनको यह निवेदन कर दिया कि यह सारे, जितने प्रश्न उठाये गये हैं उन प्रश्नों का यहां उमझकर निराकरण कर दूंगा। अब जो.....

श्री भैरोंसिंह : खुराक की ऐसी मेरी मान्यता है कि खुराक मिल जाने पर न्याय नहीं होता है इसलिये बिना खुराक के ही फैसला हो तो अच्छा होता है।

श्री अध्यक्ष : खुराक मिलने पर न्याय नहीं मिलता यह तो आपका अनुभव है। मुझे ऐसा पता नहीं है। मैं आपके (लादूराम सुलानियां) भाषण की समाप्ति के बाद, उसके बाद जो चार प्रश्न मुझे सुपुर्द किये गये हैं, उनका निराकरण करूंगा। आप भाषण आरंभ करिये। केवल पांच मिनिट....

श्री लादूराम सुलानियां : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि समाज-कल्याण

(श्री लादूराम सुलानियां) :

का जो धन था, उसका दुरुपयोग हुआ है और उसकी जांच के लिये एक समिति बनायी जाये। जो जांच करके सदन में इस बात की रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि आया हरिजनों के लिये भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने उनके उत्थान के लिये जो मकान की सहायता, छात्रवृत्तियां या अन्य जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिये थी, उन सारी की सारी का उपयोग हुआ है या नहीं और इसमें सरकार कहां तक कामयाब हुई है। इस बात के लिये एक समिति का गठन माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा इस सदन के पांच सदस्यों की बनायी जाये और वह कमेटी इसकी जांच करके सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इससे यह सबूत स्पष्ट हो जायेगा कि राज्य सरकार के सारे मदों के ऊपर जितनी फेसिलिटीज मिलनी चाहिये थी, जो उद्धार होना चाहिये था, जो बच्चे शिक्षक होने चाहिये थे, नौकरी में जाने चाहिये थे, पदाधिकारी बनने चाहिये थे, जमीन मिलनी चाहिये थी, वे सारी की सारी फेसिलिटीज उनको मिली हैं या नहीं। आज तक एक पैसा उनको नहीं दिया है और इस सरकार ने अपने मनमाने ढंग से काम किया है। एक तरफ तो कहते हैं कि एक लाख बीघा जमीन कैनाल पर रिजर्व कर रखी है। भारत सरकार के खाद्य मंत्री ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि एक लाख राजस्थान के हरिजनों को भूमि का आवंटन किया जायेगा, परन्तु आज तक एक बीघा जमीन का भी आवंटन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने एक लाख दरख्वास्तें मांगी, पांच लाख दरख्वास्तें आयी हैं। आज तक एक भी दरख्वास्त पर निर्णय नहीं हुआ है। यह जमीन बढिया है, यह हरिजनों को कैसे दी जा सकती है? आप जमीन देंगे खड्डे पर, नाले के पास, थोड़ के पास में। आज तक हरिजनों को अच्छी जमीन नहीं मिली है। किस दिन उनको मिलेगी, यह नहीं कह सकते हैं। अभी आपके सामने मुख्य मंत्रीजी ने थोड़ी देर पहले घोषणा की थी कि जमीन देंगे। कई माननीय सदस्यों ने पूछा देंगे कहां से, जमीन है कहां तो कहा जब होगी तो देंगे। तो क्या जमीन बढ़ायेंगे या छीनेंगे? जमीन कहां से आयेगी? गोचर के अन्दर से दे नहीं सकते। वन विभाग का बीड़ है, उनको तोड़ नहीं सकते। उनके लिये तोड़ते हैं जो उनके प्यारे-प्यारे हों, रिश्तेदार हों। उनको देते हैं। बांदीकुई में 800 बीघा जमीन दे दी और हरिजनों को 8 बीघा जमीन भी नहीं। समाज-कल्याण मंत्री ने यह स्वयं ली है...

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : यह साबित करदें कि आज तारीख तक मेरे पास एक स्क्वायर इंच जमीन भी गवर्नमेंट एलॉटमेंट की है तो मैं इस सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा.....

श्री लादूराम सुलानियां : खरीदी है। एलॉट नहीं करायी है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : खरीदने से आपका क्या लेना देना है

श्री लादूराम सुलानियां : क्या करेंगे आप खरीद कर? बंगला दे रखा है, समाज-कल्याण विभाग दे रखा है....

श्री अध्यक्ष : आप आगे चलिये।

श्री लादूराम सुलानियां : कार दे रखी है, चुनाव लड़ने के लिये क्षेत्र दे रखा है। फिर जमीन का क्या करेंगे। कौनसा आप उसमें हल चलायेंगे? क्यों खरीदते ह आप

(श्री लादूराम सुलानियां)

जमीन ? क्या है आपको ? काश्तकारों को हरिजनों को क्यों नहीं खरीदने देते।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जो जमीन है उसका हरिजनों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लड़कों ने जमीन खरीदी है। पैसा देकर खरीदी है। उसके बाद में रजिस्ट्री करायी है उस जमीन की। आज तक पिछले 100 सालों से किसी हरिजन का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि बांदीकुई के क्षेत्र में आपने या आपके बच्चों ने या आपके घर वालों ने 800-850 बीघा जमीन मिल कर खरीदी है और रजिस्ट्री करायी है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो कहा है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मेरे लड़कों ने खरीदी है और रजिस्ट्री करायी है और इसका 100 वर्षों से हरिजनों का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 800 बीघा जमीन सीलिंग कानून के बाद भी आपने खरीदी है ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : सीलिंग कानून आज ही लग जाये तो मेरा इसमें कोई एतराज नहीं है और लगेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 800 बीघा जमीन की जो रजिस्ट्री करायी है यह आपके 12 बच्चों के नाम है ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आपको जानकारी देदूं। यह मेरे पांच लड़कों ने खरीदी है। करीब 100 बीघा एक एक ने खरीदी है और कुल 500 बीघा की रजिस्ट्री है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मिनिस्टर बनने के बाद ही खरीदी है ? यह 500 बीघा जमीन आपने राज्य मंत्री बनने के बाद, जितने भी बच्चों के नाम खरीदी है, वह आपने मन्त्री बनने के बाद नहीं खरीदी ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैं इसका इतना माकूल जवाब दूंगा कि आप सुन कर सदन से उठकर बाहर चले जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन से उठकर तो मैं क्या जाऊंगा आप जैसे 36 आदमियों को निकाल दूंगा। आपने सीलिंग कानून बनाया और उस कानून के बावजूद 500 बीघा जमीन आप खरीदते हैं अपने लड़कों के नाम से और फिर यह बात हाउस में खड़े होकर कहते हैं, शर्म नहीं आती।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आपको मैं चेलेन्ज करता हूं। सारे विरोधी दल को चैलेन्ज करता हूं.. Do whatever you like I challenge the whole opposition for it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मंत्री इस हाउस में यह बात कहे, 500 बीघा जमीन खरीदने की बात स्वीकार करता है। यह शर्मनाक बात है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं यह जानकारी चाहूंगा कि यह जो जमीन है उसको बेचने वाला एक ही व्यक्ति है क्या ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और दूसरे क्या यह जमीन 20 रुपया फी बीघा के हिसाब से खरीद की गई है ?

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है मान-नीय सदस्य, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल-सु॰): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सत्र के अन्तिम दो दिन रखे गये हैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विशेष अवसर हमें मिला है अपने राजस्थान के दुखी भाइयों के बारे में चर्चा करें। हर साल यह रिपोर्ट आती है लेकिन आखिर में रखी जाती है इसलिये इस पर ठीक से विचार नहीं होता। हमारे बहुत से सदस्य दुखी भाइयों की बात कहना चाहते हैं। इसके लिये केवल दो दिन का समय ही दिया जा रहा है यह अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं इसमें बाधा न डालें और माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने दें। आपको कन्ट्रोल करना चाहिए। इस तरह से फिजूल समय जाया नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखा जाय।

श्री लाबूराम सुलानियां : जिस जमीन को आपने अपने लड़कों के नाम से खरीदी है जितने रुपयों में खरीदी हैं हम उसके दुगुने देते हैं क्या आप उस भूमि को हरिजनों में एलॉट कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री नत्थीसिंह : इस गान्धी शताब्दी वर्ष में आप वह जमीन हरिजनों को एलॉट करें दें।

श्री लाबूराम सुलानियां : हमारे राजस्थान में हरिजनों की आज जो स्थिति है उसको देखते हुए जिस प्रकार का निकम्मापन इस विभाग द्वारा बताया गया है इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। हरिजनों के नाम से करोड़ों रुपये बरबाद हो रहे हैं लेकिन हरिजनों को कोई सहूलियत नहीं मिल पायी है। यह जो कहा जाता है कि हमने करोड़ों रुपये खर्च किये यह सब असत्य है। हरिजनों पर अत्याचार वैसे के वैसे ही हो रहे हैं। इसलिए मेरी यह मांग है कि इस संबंध में एक कमेटी का निर्माण किया जाय जो सब इन सब बातों की जांच करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है, मैं इस रिपोर्ट का हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को तो पेश हो चुकी थी लेकिन उसके बाद विलम्ब से हाउस में विचार के लिये आयी। होना तो यह चाहिये था कि गत बजट सेशन में ही इसको पेश किया जाना चाहिए था। हर साल यही होता है हर साल यह रिपोर्ट देरी से ही विचार के लिये ली जाती है। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे राजस्थान में इन जातियों के उत्थान के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये हैं लेकिन उसका जैसा फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया। इस कमीशन ने भी इस संबंध में अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन राजस्थान में उनका सही पालन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले समय

(श्री नाथूराम)

भी हाउस के माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये थे उनका भी सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। गये साल भी जब रिपोर्ट विचाराधीन थी तो उस दिन भी रात को देर हो गई थी यह इसलिए कि आखिरी दिन इसको रखा जाता है इस कारण दोनों ओर के सदस्य अपने-अपने विचार पूरी तौर से नहीं रख पाये थे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब कभी भी कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जाय तो सेशन के बीच में इसको लिया जाना चाहिए। दो दिन का समय भी इसके लिए निश्चित किया गया था लेकिन दो दिन का पूरा समय भी नहीं मिला। इसमें सरकार की ओर से लाखों करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं उनकी भी सही पालना नहीं हुई है। कमीशन ने आइटम नं० 40 में मुख्य सिफारिश की है वह इस प्रकार है :-

"शिक्षा के बारे में सिफारिश की है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए समुचित विकास के लिये विज्ञान की शिक्षा भी आवश्यक हैं। इनके लिये विशेष रूपसे अध्यापक प्रशिक्षित किये जायं"। लेकिन अध्यक्ष महोदय इस कमीशन ने जो सिफारिश की है राज्य सरकार की तरफ से उसकी पालना नहीं हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारा आदिवासी क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाडा में हाई स्कूल चल रहा है। शिक्षा के लिए विज्ञान एक महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय है लेकिन यहां पर लड़कों के लिये छात्रावास की व्यवस्था है नहीं। मैं जबसे विधान सभा में आया हूं बांसवाड़ा में हाई स्कूल के बाद डिग्री कालेज वहां चल रहा है। 57 से मैंने हर साल सुझाव दिये हैं एक ही वहां कालेज है। वहां पर राजकीय छात्रावास आदिवासियों के लिये हैं वहां पर भी 100 लड़कों की व्यवस्था होनी चाहिये। 17 साल में उसमें पचास साठ से ज्यादा सीट नहीं बढ़ाई गई हैं। सारे बांसवाड़ा जिले के हाई स्कूल, हायर सैकण्डरी पास शुदा लड़के वहीं पर पढ़ने आते हैं। केवल बी०ए० की डिग्री के लिये आते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों के लड़कों के लिये यह किया गया है। हाई स्कूल से आगे के छात्र राजकीय छात्रावास में नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से तो ये लोग कालेज की शिक्षा लेने आते हैं उनको भी शिक्षा के लिए छात्रावास में रहने नहीं दिया जाता। यह जो इस प्रकार के आदेश निकाले हैं वे आदिवासी छात्रों के लिये नहीं निकाले जाने चाहिये। दूसरी जगह व्यवस्था करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय ने जो आदेश निकाला है जिस इलाके को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया है, वहां के छात्रों के लिये यदि अध्ययन के लिए दूसरी जगह जाना पड़े तो फिर इस क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र घोषित क्यों किया गया? जब इसको आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है तो यहां उनके लिये सभी विधान में दी हुई सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिये। छात्रावास में भरती नहीं होने से वे छात्र डिग्री कलाजेज की शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, वहां पर छात्रों की सीटों की संख्या बढायी जानी चाहिये या छात्रावास के लिए नया भवन बनना चाहिये जिससे कम से कम 100 छात्र उसमें रह सकें।

इसके साथ-साथ कमीशन ने आदिवासी छात्रों के बारे में पेज 103 पर भी सिफारिश की है उस में लिखा है कि आदिवासी व पिछड़े

(श्री नाथूराम)

वर्ग के उत्थान के लिये एग्रीकल्चर की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये। वह भी व्यवस्था वहां पर नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन वहां पर टेकनिकल एज्यूकेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड एरिया में आजादी के बाइस साल बाद भी इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लड़कों के लिए टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है। कम से कम शिड्यूल्ड एरिया में टेक्निकल एज्यूकेशन की तो व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिविल एरिया में पटवारी की ट्रेनिंग के लिए ग्रामसेवक के लिए उप वैद्य के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है लेकिन उसमें आदिवासी लड़कों को नहीं लिया जाता है। इसके लिये साइन्स को आवश्यक मानते हैं जो सेकिण्ड डिवीजन पास हो उसी को आयुर्वेद की ट्रेनिंग, ग्रामसेवक की ट्रेनिंग, पटवारी की ट्रेनिंग में लिया जाता है इसके अलावा नहीं लिया जाता। साढ़े बारह पर्सेन्ट का जो रिजर्वेशन कर रखा है वह एकमात्र ढोंग है, उसकी कोई पालना नहीं होती। आप किसी भी विभाग को देख लीजिये इसकी पालना कहीं पर भी सही ढंग से नहीं हुई है।

आई० ए० एस० और आर० ए० एस० में ये लड़के आ सकें इसके लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस ओर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए।

अन्त में मैं जो समाज विभाग के मंत्री द्वारा घोषणायें की गई हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन एक शिक्षा विभाग को छोड़कर कई विभागों में आदिवासी हरिजनों को फोर्थ क्लास के लिए इन्टरव्यू के लिए बुलाते हैं। पर उनको भी सर्विस में नहीं लगाया जाता।

आज स्वर्णकारों के लिये छूट दी गई है। आदिवासी और हरिजनों के लिये क्यों नहीं दी गई? कानून में उनके लिये विशेष प्रावधान रखते हैं। स्वर्णकार ऐसे हैं जो हजारों रुपयों का धन्धा करते हैं, और धन्धा करते हैं, बसें चलाते हैं, आज बड़े बड़े खेती के फार्म चलाते हैं और भी धन्धा करते हैं, व्यापार करते हैं उनके बच्चों को तो सर्विस में लेने की छूट दे रखी है पर हरिजन आदिवासियों को नहीं। चतुर्थ श्रेणी के लिये भी नहीं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिए यह बन्धन हटा दीजिये। ताकि कम से कम सर्विस तो उनको मिले।

आप कानून बनाते हैं पर उनकी पालना नहीं करते। इसका एक उदाहरण रख देना चाहता हूं। राजस्थान में अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिये 12।। प्रतिशत की सुविधा आपने दी। पर समाज-कल्याण विभाग में 10 अधिकारियों में से केवल एक जन जाति का व्यक्ति है और वह भी ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में प्रशासनिक सेवा में है। इसी तरह से द्वितीय श्रेणी में 37 व्यक्तियों में से दो अनुसूचित जाति के हैं। वह भी बाहर जिलों में। समाज-कल्याण विभाग में ही इसकी पालना नहीं होती तो दूसरे विभागों की क्या बात करें। इसी तरह से क्लर्कों का पोस्टिंग किया पर एक भी जन जाति का आदमी उसमें नहीं लिया।

समाज-कल्याण विभाग से सर्वे हो जानी चाहिए कि रेवेन्यू में या जो भी सरकार के

(श्री नाथूराम)

दूसरे विभाग हैं उनमें इस नियम की कहां-कहां पालना हुई है। यह पहले लगातार सर्वे होती रहनी चाहिए थी पर समाज-कल्याण विभाग ने आज तक यह नहीं किया। दोनों तरफ से साथी लोग सरकार को सुझाव देते हैं पर सरकार उन पर विचार नहीं करती।

इसी तरह से परिवार नियोजन विभाग का हाल है। अफसरों में कोई नहीं लिया गया, केवल दस लिपिक और 10 चपरासी लिये गये।

अध्यक्ष महोदय, राज सरकार ने शासन-तन्त्रीय समिति का गठन किया। उसका भी उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री विजयसिंह मकराना : मन्त्री महोदय नोट करें। पढ़े-लिखे हैं क्या ?

श्री रामचरणसिंह : तुम्हारे जैसे 56 पढ़ा दिये हैं मैंने।

श्री विजयसिंह : सुखाड़िया साहब को पढ़ा दिया। चक्कर में ले लिया आपने।

श्री नाथू राम : राजकीय उपक्रम संस्थाओं में अनसूचित जन जातियों की नियुक्तियों के लिए कोटा अर्थात् 12।। प्रतिशत पदों पर नियुक्तियां सीमित करने के लिए राज्यपाल एतद्द्वारा अपनी स्वीकृति करता है। इसमें मन्त्री समाज-कल्याण भी है। उप-मंत्री, नियुक्ति, शासन सचिव सदस्य हैं। विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग सदस्य हैं। निदेशक, समाज कल्याण विभाग और परिवार नियोजन विभाग सदस्य हैं। इसी तरह दूसरे वर्ग के हैं। पर अनुसूचित जाति अथवा जन जाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी शिक्षण संस्थाओं का भी यही हाल है। जहां भी ये चल रही हैं वर्षों से चल रही हैं राज्य की तरफ से और दूसरी सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से जिनको 80।85 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है। पर वहां भी ट्राइबल कास्ट के लोगों को नहीं लिया जाता। वहां पर दूसरे लोग आते हैं जो गरीब बच्चों का पेट काट कर अपना पेट भरते हैं। मैंने पिछले दो सालों से हाउस में सुझाव रखे हैं कि सरकारी छात्रावास हों या संस्थाओं के हों उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसे सुधारा जाय। वहां के व्यवस्थापक गरीब बच्चों का पेट काटकर अपना पेट भरते हैं। इसलिये सरकार उचित व्यवस्था करे। पर सरकार ने आज तक व्यवस्था नहीं सुधारी। गये साल भी इस विषय को लेकर सदन में भारी झगड़ा हुआ था और हमारे माननीय सदस्यों को बाहर निकाला था। मैंने नाम लिया था। छात्रावास में लड़कों के खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं होती। इसलिये उनका इन्टरनल ऑडिट किया जाय। यह सुझाव मैंने दिया था। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार को जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी ऑडिट पार्टी बांसवाड़ा में गई थी। पर वहां भी पूरा इन्टरनल ऑडिट नहीं किया। ऊपर की कार्यवाही करके लीपापोती करके चले गये। उस छात्रावास में सरदी में बच्चों को कपड़ा नहीं देते। शनिवार की छुट्टी के रोज बिना खाना दिये उनको घर भेज दिया जाता है। इतवार को घर पर ही खाना खाने का कहा जाता है और सोमवार के रोज शाम का खाना देते हैं। हाजरी उनकी सब दिन की

(श्री नाथूराम)

पूरी कर ली जाती है और डाइट भी उसकी पूरी लगा दी जाती है कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह की व्यवस्था इन छात्रावासों में चल रही है। मैंने इन्टरनल ऑडिट की मांग की पर राज्य की तरफ से इन्टरनल ऑडिट नहीं हुआ। इसी तरह गरीब बच्चों का पिछड़ी जाति के बच्चों का पेट काटकर अपना पेट वे लोग पालते हैं। उनकी सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं मांग करता हूं कि या तो इन गरीब बच्चों की चिन्ता कीजिये। इन पिछड़ी जाति के बच्चों के नाम से लाखों रुपया सरकार खर्च करती है पर उस रुपये का दुरुपयोग होता है। आप उचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो खामख्वाह इनको इन होस्टलों में रखकर उनकी जिन्दगी क्यों बिगाड़ते हैं।

आप बता देते हैं इतना रुपया खर्च किया। पर होता क्या है? पूरा दुरुपयोग होता है। समय पर बच्चों को कपड़ा नहीं दिया जाता, समय पर पाठ्य सामग्री नहीं दी जाती, समय पर खाना-पीना पूरा नहीं दिया जाता।

इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, हमारे इस कमीशन ने अच्छी अच्छी सिफारिशें की हैं लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जबर्दस्ती घोटालों पर कोई रोक नहीं है। सुव्यवस्था नहीं है। मैं मांग करता हूं कि आप शिक्षण संस्थाओं में अच्छे ढंग से इन पिछड़े वर्ग के बच्चों को उठाना चाहते हैं तो आप जो पैसा सरकार की तरफ से खर्च होता है उसकी बराबर उचित देखरेख होनी चाहिए। सुव्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे कमीशन ने पिछड़े वर्ग के उत्थान के बारे में अच्छी अच्छी सिफारिशें की हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जमीनों के लिये।

अनुसूचित जातियों में भूमि के लिये बढ़ती हुई भूख इस कारण से है कि जब उनके पास भूमि होती है तो वे अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। यदि इच्छुक कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार के सुरक्षण की भावना कार्य के अन्य भागों में भी दी जा सके, तो यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे उसका लाभ नहीं उठायेंगे। उन मामलों में जहां कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को भूमि दी जाती है, साथ ही यह निश्चित प्रयत्न होना चाहिये कि उन्हें संशोधित कृषि के ढंगों में सहायता दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज हम नारा लगाते हैं कि गरीबों को हमने इतने हजार बीघा जमीन दी। आज भूमि वितरण कमेटी में भी प्रतिनिधि रखते हैं लेकिन कई जगह ऐसे घोटाले होते हैं कि वहां उनको समय पर भूमि आवंटन नहीं होती। तहसीलदार और दूसरे अधिकारी वर्ग मनमानी करते हैं, पटवारी लोग नाजायज कब्जा बता देते हैं। नाजायज कब्जों को जायज करा देते हैं। सरकार के आदेश से जिन गरीब लोगों को एलॉट भी हुई है तो उन पर कब्जा नहीं होने देते।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कानून बन जाता है पर उनकी पालना नहीं होती। सरकार की तरफ से कागजी कार्यवाही हो जाती है पर मौके पर स्थिति और ही होती है। जिन गरीब आदिवासियों और हरिजनों को जमीनें एलॉट की हैं कागजों में वे हैं, पर देखा जाता है तो वहां पर मौके पर जमीन उनके पास नहीं है। सैंकड़ों

(श्री नाथूराम)

आदिवासी हैं जिनके पास दो बीघा तीन बीघा जमीन भी नहीं है। किसी तरह से नोतोड़ जमीन उन लोगों ने तैयार की। इस पर उन पर मुकद्दमे बने, खड़ी फसलों को नीलाम किया गया और नीलाम करके उनको हैरान किया गया और दो सौ पांच सौ रुपया वसूल किया गया। हमने गवर्नमेंट के सामने इसकी शिकायत पेश की। इन आदिवासियों ने तीन-तीन साल में जमीनों को सुधारा था उसका युटिलाईजेशन नहीं हुआ इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करता हूं आप ऑर्डर कर देते हैं लेकिन पालन नहीं हुआ। आपने सागड़ी प्रथा का कानून बनाया आदिवासियों के लिये लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। आज भी 100-100 आदमी काम करने जाते हैं। मैं यह नहीं कहता सरकार ने कुछ नहीं किया, रिलीफ के वक्त पर सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया है। जो भूमिहीन आदिवासी हैं और हरिजन हैं वे हजारों की तादाद में सागड़ी प्रथा का जो आपने कानून बनाया पालन नहीं किया। आप प्रोसीडिंग देख लें जो कानून बनाते हैं उसका पालन नहीं होता है। भूमिहीन सुधार का कानून बना, उसका पालन नहीं हुआ। इसलिये मैं आपके द्वारा मांग करता हूं या तो कानून बनाओ मत और कानून बनाओ तो पालन होना चाहिये। आज गरीबों के लिये कोई सहायता नहीं है, गरीब आदमी जमीन पर कब्जा करता है, उसकी जमीन छीन लेते हैं और दण्ड देते हो लेकिन अमीर आदमी कब्जा करता है तो उसको रेगुलराईज कर देते हैं। समय कम है नहीं तो मैं एक एक पॉइन्ट बताता, गवर्नमेंट को बताता आपने कौनसा पालन किया है।

पिछले सालों की कमीशन की जो रिपोर्ट है, शिक्षा की, रहन-सहन की, कानून की, व्यवहार की लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से उनका पालन नहीं हो रहा है। पिछले समय में, ठीक है माननीय मंत्री महोदय के पास अभी अभी विभाग आया है। हमें शंका है लेकिन पिछले वर्षों से जो घोटाले हो रहे हैं उसकी सही जानकारी नहीं हो रही है और पालन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, (विराम) इसी तरह से हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ कानून बन जाते हैं, आज उन कानूनों का अहित भी होता है तो वहां पर पता क्या है, क्योंकि समाज-कल्याण विभाग की देखरेख नहीं होती है। आज आप उस आदिवासी क्षेत्र के लिए हर तरह से विशेष व्यवस्था करनी चाहिये लेकिन सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो पहाड़ी इलाका है जहां आदिवासी लोग रहते हैं—वन-सम्पदा थी उसको सरकार ने नष्ट करवा दी, आज हमारी वन-सम्पदा नष्ट नहीं होती तो 40 इन्च, 50 इन्च, 60 इन्च पानी वहां बरसता। कभी दुष्काल नहीं होता लेकिन समाज कल्याण विभाग ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। करोड़ों की वन-सम्पदा नष्ट हो गई। दुष्काल आने लगे, हालत खराब होने लगी। आज आदिवासियों के लिये सरकार को फायदे के काम करना चाहिये लेकिन पूंजीपतियों को पनपाने के लिए जंगलों को नष्ट करके उस आदिवासी क्षेत्र का सरासर अन्याय किया है। पिछले सत्र में पूंजीपति डहरिया की चिप्स बोर्ड फैक्टरी का विरोध किया लेकिन उस पूंजीपति को वापस शरण दे रहे हैं, वह चिप्स बोर्ड फैक्टरी लगा रहा है। एक पूंजीपति अधिक पनपे और गरीब आदिवासी जो जंगलों में

(श्री नाथूराम)

खेती करते थे पानी-बरसात न बरसने से सारी उनकी खेती नष्ट हो गई और कोई तरक्की नहीं होगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं आदिवासी क्षेत्र के भले के काम करने हैं तो पूंजीपतियों को मत पनपाओ। अध्यक्ष महोदय आज आदिवासी क्षेत्र के लिये कडाना डैम जिस तरह इस आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के बजाय सर्वनाश का कारण हो रहा है। सरकार बराबर ध्यान नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय को दो साल से ला रहा हूं हमारे माननीय सदस्य दोनों तरफ वालों ने अच्छे सुझाव दिये थे। एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको मंत्रिमण्डल ने स्वीकार नहीं किया है और वह वैधानिक तरीके से एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सरकारी दबाव में आकर, सैन्ट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आकर....

श्री अध्यक्ष : काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह इसी विषय से संबंधित है। मैं संक्षेप में बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, आप संक्षेप में बता दें।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, उस कडाना डैम के बनने से लाखों की तादाद में गरीब आदिवासियों की जमीनें डूब में आ जायेंगी। जो बाप-दादाओं की सिंचित की हुई जमीन है वह नष्ट हो जायगी, उनको देना पड़ेगा लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने इतना भी विचार नहीं रखा। हाउस ने इतनी मांग की लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से यह आश्वासन नहीं मिला। इस कड़ाना डैम का काम बन्द नहीं होगा, यह हाउस ने आश्वासन नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि समाजकल्याण मंत्रीजी का फर्ज हो जाता है उस आदिवासी क्षेत्र को, उस सोना उगलने वाली भूमि को नहीं छोड़ना चाहिये। जब तक गवर्नर और राष्ट्रपति से इजाजत न ली जाय उनकी बाप-दादों के पसीने और खून से सींची हुई भूमि है उसको डूबोने की कोशिश न की जाय। अगर इसकी ऊंचाई कम नहीं की गई, यह गुजरात सरकार रात दिन उसको तेजी से बना रही है। वे चाहते हैं कि जनता को जल्दी से जल्दी पानी दें और हमारी सरकार विचार ही करती रहेगी। गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को उजाड़ने की कोशिश करेंगे तो यह आदिवासी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौका आयेगा राजस्थान सरकार ने डम को कम नहीं किया तो आदिवासी और हरिजन लोग आन्दोलन करेंगे और वक्त आया तो हम भारत सरकार को भी झुकायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इस आदिवासी हरे भरे क्षेत्र को, सोना उगलने वाली भूमि को डूबने नहीं दें और आदिवासी के हितों की रक्षा करें।

आपका कमीशन हर साल अच्छे सुझाव देता है। पहाड़ी जाति के लिये उत्थान लिये कानून बनायें, अच्छे केन्द्र खोलें लेकिन हमारी राजस्थान सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लेकिन उसका पैसा बेकार जा रहा है, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा मांग करता हूं सरकार को आदिवासियों के क्षेत्र में छोटे-मोटे उद्योग धन्धे, टैक्निकल शिक्षा, पहाड़ी जाति के उत्थान के लिये काम करना चाहिये।

(श्री नाथूराम)

जो कमीशन की रिपोर्ट है, वह बीच सैशन में आखिरी दिन यह रिपोर्ट आती है तो सही ढंग से हम सुझाव नहीं दे पाते हैं। सरकार सुनी-अनसुनी करके निकाल देना चाहती है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं राजस्थान सरकार भारत सरकार से पिछड़ी वर्गों के लिये जो पैसा खर्च होता है उन पैसों का सही उपयोग होना चाहिये और ज्यादे से ज्यादा कार्य खोल कर पिछड़ी जातियों का उत्थान करना चाहिये।

विशेषाधिकार एवं निन्दा प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे कुछ स्पष्टीकरण करना है। माननीय श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल, माननीय भैरोंसिंहजी ने कोटा कलेक्टर के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। वह प्रश्न माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के जमीन लेने से संबंधित है। विशेषाधिकार का प्रश्न, धारा 232 टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जो कलेक्टर महोदय ने कार्यवाही की है उस जमीन से संबंधित है। उस पर शंका प्रकट करते हुए, शंका इस आशय की कि विधान सभा में जो प्रश्न चल रहा है उसकी प्रगति में कुछ बाधा पहुंचाने के कारण–इसी तरह का आशय था, ऐसा विशेषाधिकार प्रश्न था।

मैंने विशेषाधिकार प्रश्न प्रस्तुत होने के पश्चात् राज्य सरकार को लिखा कि वह पत्रावली जिसके संबंध में यहां बहुत कुछ चर्चा हुई, उस मामले से संबंधित वह पत्रावली मेरे पास भेजी जाये ताकि मैं विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर अपना अन्तिम निर्णय दे सकूं स्वीकृति के संबंध में। राज्य सरकार ने पत्रावली को भेजने के संबंध में मुझे यह आग्रह किया है क्योंकि यह मामला कलेक्टर के सम्मुख टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत विचारणीय है ऐसी स्थिति में वहां से राज्य सरकार उस पत्रावली को मंगाकर अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती। मैंने भी अपनी व्यवस्था देते समय पहले यह सदन से निवेदन किया था कि मामला यद्यपि सबजुडिस है परन्तु उसमें कोई व्यवधान इस प्रश्न पर यह विचार करने में नहीं होता। इस तरह की मैंने पहले व्यवस्था दी थी इसलिए राज्य सरकार की इस बात को कि वह मंगाकर पत्रावली को नहीं दे सकते क्योंकि कलेक्टर जो रेवेन्यू ओथेरिटी है जुडीशियल इस मान्यता को मैंने मन्जूर किया। किन्तु मैंने अपने सचिवालय के अधिकारी को यह आदेश दिये हैं कि वह स्वयं जाकर उस पत्रावली का अध्ययन करें जिस संदर्भ में माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की उसी संदर्भ में सारी पत्रावली का अध्ययन करके मुझको उसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसी स्थिति में उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर मैं स्वीकृति देने या नहीं देने के प्रश्न पर अभी निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं। वह मेरे सामने विचारणीय प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया–निन्दा प्रस्ताव माननीय यातायात मंत्रीजी के विरुद्ध वह निन्दा प्रस्ताव बिजनेस में रख लिया गया था किन्तु उस पर बिजनेस अधिक होने की स्थिति में उस पर विचार नहीं हो सका। माननीय सदस्य का यह आग्रह है कि यह प्रस्ताव बारबार लैप्स होता जा रहा

(श्री अध्य)

है और यदि उस प्रस्ताव को अभी नहीं लिया गया तो यह प्रस्ताव सम्भवतः फिर लैप्स हो जायेगा जिससे कई भ्रान्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसी उन्होंने अपनी शंका प्रकट की। मैं इस प्रस्ताव को चूंकि सदन के सम्मुख अत्यधिक बिजनैस है इसलिये मैं इस चिन्ता में हूं कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार लिया जाय। आज सदन का सत्रावसान सम्भवतः हो सकता है और आज बिजनैस इतना है कि उसको मैं ले नहीं सकता। किन्तु मैं माननीय सदस्य की व्यग्रता को समझता हूं कि यह लैप्स न हो इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं लैप्स होने से इसको बचाऊं ऐसी तो व्यवस्था नहीं दे सकता जब तक कि कोई प्रस्ताव यहां मूव नहीं हो। बिना मूव हुए तो प्रस्ताव लैप्स होता है। मूव होने पर ही लैप्स होने से बच सकता है। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न पर सीमा में बांधने का प्रस्ताव करूंगा। तो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को मूव कर दें और वह जो प्रस्ताव सरकुलेट हुआ है उसको "ट्रीट्रेड एज रैड" मान लिया जायेगा। और प्रस्ताव को मूव कर दिया जायेगा ताकि जो विषय चल रहा है उसमें उस समय का उपयोग हो सके। जिसका अर्थ मैं और स्पष्टतया निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्य का इस पर प्रवचन नहीं होगा। माननीय सदस्य सिर्फ प्रस्ताव को मूव करें और जो प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्य हैं और जो माननीय सदस्यों के सम्मुख हैं वह "ट्रीट्रेड एज रैड" समझे जायेंगे। मेरा विश्वास है माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या प्रवचन बाद में ?

श्री अध्यक्ष : उसके बाद भी नहीं और पहले भी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आज नहीं लेकिन जब कभी प्रवचन करने का अवसर आयेगा इस विषय पर।

श्री अध्यक्ष : वह लैप्स नहीं होता है तो यह बिजनैस पर आ जायेगा जब कभी सत्र आरम्भ होगा। मैं फिर स्पष्टीकरण कर दूं जिसको आज मूव कर दिया जायेगा वह प्रस्ताव लैप्स नहीं होगा। जिसका अर्थ यह होगा कि जब कभी सत्र आरम्भ हो उस समय बिजनैस में यह प्रस्ताव आ जायेगा अपने आप ही बिजनैस के तौर पर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यग्रता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव के संबंध में जो व्यवस्था दी है उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा और जो कुछ कहना चाहता हूं जब इस पर विचार होगा उस समय कहूंगा। लेकिन मैं कहता हूं दो मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा ताकि रेकर्ड में आ जाये। मैं इसको पढ़ देता हूं। अंग्रेजी में है और हिन्दी का अनुवाद भी है :

"This House, hereby resolves that a Committee consisting of three Members to be nominated by the Speaker be constituted to enquire into the conduct of Shri Amrit Lal Yadav, Member of this Assembly in connection with the following matters :

1. Misuse of the privileges of Members by subletting and realising charges for the use of water, electricity telephone and accommodation from

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

the Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh, whose central office was situated in M. L. A. Quarter No. B-3.

2. Misuse of the privileges of a Minister by subletting and realising charges for the use of water, electricity and telephone and accommodation from the Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh whose central office was situated at his residence 'Narmda Sadan', Ashok Nagar, Jaipur.

3. Unauthorised occupation of the land belonging to the U. I. T., Jaipur and unauthorised construction thereon.

4. Misuse of the funds granted to Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh by the State Government.

5. Sale of Fiat Car in contravention of rule 8 (1) of the Car Control Order and State Government Instructions.

6. Purchase of Fiat Car in contravention of Car Control Order and Government Instructions.

7. Misuse of State vehicles by permitting them to be used by his family members thereby causing financial loss to the State Exchequre. One such car was damaged in an accident by his son-in-law which was got prepared in the State Motor Garage, Rajasthan, Jaipur.

8. Tendering false account of Rs. 3518/- without bills and vouchers to the Social Welfare Department of Rajasthan in connection with the Second Conference of the Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh held at Udaipur.

9. Demand of illegal gratification in the allotment of Fiat Cars and Scooters to the Members of the Assembly.

10. Deliberate misleading and false statement to the members in the House regarding allegations of this nature levelled on the floor of the House.

11. Harbouring an abducted girl named Pushpa Devi at his residence in Jaipur.

12. Misbehaviour with the Members of the Rajasthan Legislative Assembly.

13. Construction of House worth Rs. 2 lacs in Jaipur by unlawful means not commensurate with his income.

14. Misuse of his powers as a Minister.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल):

15. Construction of a well on Government land near his Agriculture Farm in Jaipur District.

2. To consider and report by the last day of the first week of the next session whether the conduct of the Hon'ble Member Shri Amrit Lal Yadav was derogatory to the dignity of the House and inconsistent with the standards which this House is entitled to expect from its Members.

3. That the quorum of the Committee shall be two.

4. That the Committee shall be empowered to hear and/or to receive evidence, oral or documentary, connected with the matters referred to the Committee or relevant to the subject matter of the enquiry and that it shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret, or confidential and furthermore the Committee shall have the power to hear or and to receive evidence or documents at any place in Rajasthan as deemed proper.

5. That Shri Amrit Lal Yadav has leave of the House to be heard before the Committee by himself, if he thinks fit.

6. That Hon'ble the Speaker may, from time to time, issue such directions to the Chairman of the Committee as he thinks necessary for regulating the procedures and organisations of the work of the Committee.

7. That the Chairman of this Committee shall be appointed by Hon'ble the Speaker out of the three Members so nominated by him for this purpose.

8. That in case of death, resignation or otherwise in competancy of a member the Hon'ble Speaker shall fill up such vacancy.'

(6 म० प०)

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मैंने इन्ट्रोड्यूस कर दिया है और जैसा कि आपने आदेश दिया है तो जब कभी सदन में इसके विचारार्थ के लिए व्यवस्था होगी उस समय मैं इस संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकूंगा।

मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध के कागजात के संबंध में रेकार्ड में हेराफेरी और रेग्युलेराइजेशन किया जा रहा है, और मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में भी इस मसले को उठाया गया है और आदेश जांच के दिये गये हैं किसी अधिकारी को, तो मैं समझता हूं कि सरकार ने इस बात को यहां सदन में न कहकर बालाबाला ही जांच करने के आदेश दे दिये हैं तो यह इस हाउस के अधिकारों की अवहेलना हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मोशन को डिफीट करने के लिए राज्य सरकार ने अगर आदेश दिये हैं तो इस संबंध के सारे कागजात में हेराफेरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और रेग्युलेराइजेशन की कार्यवाही न करें, और सारे तथ्यों की जानकारी करके सरकार अगली बार सदन में जब इस पर विचार हो तो सारी जानकारी सदन को दें।

अकाल राहत मंत्री श्री परसराम मदेरणा के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दूसरा विशेषाधिकार का प्रश्न।

मैं सदन की अनुमति से सदन का समय एक घन्टे के लिये और बढ़ाता हूं।

जैसा कि मैं माननीय सदस्यों को पहले ही सूचित कर चुका हूं श्री भैरोंसिह तथा श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विशेषाधिकार प्रश्न की सूचनाएं दी थीं जिसका संबंध सदन में हुई 29 अगस्त, 1969 की घटना से है। मैंने इस विशेषाधिकार से संबंधित तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु श्री सांवरमल बासोतिया, श्री परसराम मदेरणा, अकाल सहायता मंत्री एवं मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखे। मुख्य मंत्री महोदय इस घटना से संबंधित व्यवहार को जिसको कांग्रेस पार्टी की बैठक में चर्चा की गई, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय बतलाते हैं।

सदन में हुई घटना से मुख्य मंत्रीजी का यों भी कुछ संबंध होना जाहिर नहीं किया गया है। अतः सदन के नेता तथा कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते अपने ही दल के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के अनुशासन, व्यवहार एवं अन्य ऐसे ही विषयों पर विचार एवं निर्णय करने के प्रश्न उनके दल विशेष से संबंधित हैं, जिसमें प्रत्येक पार्टी को, पार्टी के संविधान के अन्तर्गत, इस प्रकार की कार्य-प्रणाली की पूरी स्वतन्त्रता है। प्रजातान्त्रिक प्रणाली राजनैतिक दलों के संगठन पर ही आधारित है। अतः मैं इस प्रश्न के इस पहलू पर ध्यान देने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता।

सदन की कार्यवाही के दरम्यान किये गये व्यवहार पर मैं प्रकाश डालना उपयुक्त समझूंगा। यह ठीक है कि जिस भाषा का श्री बासोतिया ने अपने भाषण के समय माननीय अकाल राहत मंत्री की ओर इंगित करते उपयोग किया उससे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप की ध्वनि निकलती है। क्योंकि यह आरोप अध्यक्ष को बिना पूर्व सूचना दिये हुए लगाया गया एवं उसकी पुष्टि में कोई आधार भी नहीं दिये गये, ऐसी स्थिति में जिनके भी प्रति आरोप लगाये गये उनमें रोष होना स्वाभाविक है, जिसके कारण विरोध स्वरूप कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाना सदन की कार्यवाही से प्रतीत होता है।

मैंने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया, जो भाषा एवं शब्द, दोनों ओर से उस समय प्रयोग किये गये हैं (आरोप के अतिरिक्त) ऐसे असंसदीय नहीं हैं, जिसको आपत्ति-जनक अथवा अपमानजनक कहा जा सके। 'शर्म आना, किसी बात को 'बर्दाश्त न करने की बात कहना', 'आंख दिखाना' ऐसे शब्दों का प्रयोग उत्तेजनात्मक वातावरण में प्रायः प्रचलित से होते जा रहे हैं, यद्यपि इन पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है, किन्तु मैं इनको इस संदर्भ में विशेषाधिकार के हनन होने का आभास कहने की स्थिति में नहीं मानता। सदन की कार्यवाही समाप्त होने पर किन शब्दों का दोनों ओर से प्रयोग किया गया उसका उल्लेख सदन की कार्यवाही में होना तो सम्भव नहीं है किन्तु विशेषाधिकार के प्रस्तावों में भी उनका स्पष्ट रूप से कोई

(श्री अध्यक्ष)

उल्लेख नहीं है जिससे कि किसी विशिष्ट प्रश्न पर चिन्तन किया जा सके। इस स्थिति की पुष्टि में श्री सांवरमल बासोतिया द्वारा किया गया स्थिति का स्पष्टीकरण उनके पत्र से पर्याप्त होता है। अपने पत्र में उन्होंने इस प्रकार उल्लेख किया है :--

"मेरे अकाल संबंधी बहस के दौरान भाषण में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर मेरे और अकाल राहत मंत्री के बीच कोई कहा-सुनी हुई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में इस पर चर्चा हुई इस विषय को लेकर श्री भैरोंसिंह शेखावत और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस विषय का संबंध तो मुझसे है। जहां तक कांग्रेस पार्टी द्वारा मुझे निलंबित करने का प्रश्न है वह मेरे और कांग्रेस पार्टी के बीच का विषय है। मैं यह मानता हूं कि मेरे दल के नेता को यह पूर्ण अधिकार है कि वह जब चाहे अपने दल के किसी भी सदस्य को पार्टी से निलंबित कर सकते हैं...." आदि, आदि।

श्री बासोतिया के उक्त तथ्यों की पुष्टि अकाल राहत मंत्री के पत्र से भी होती है। मैं इस संदर्भ में सदन की कार्यवाही के समय अथवा उसके पश्चात् जिस व्यवहार का माननीय दोनों सदस्यों के बीच होना प्रकट किया गया है उससे संबंधित तथ्यों को ऐसा नहीं मानता कि जो विशेषाधिकार हनन करने की सीमा अथवा गणना में आते हों। ऐसी स्थिति में, मैं नियम 157 के अन्तर्गत अपनी सम्मति देने में असमर्थ हूं।

इसी अवसर पर यह उल्लेख करना भी असंगत नहीं होगा कि राष्ट्र की गणतान्त्रिक प्रणाली एवं परिपाटी की प्रक्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं जिस विश्वास, व्यवहार एवं जीवनचर्या की इन संघर्ष की घडियों में एवं विधान सभाओं के प्रांगण पर अथवा सामान्य नागरिक जीवन में गुजर रही है उसके संदर्भ में ही विशेषाधिकारों से उत्पन्न हमारे संवैधानिक एवं संसदीय कर्त्तव्यों का मूल्यांकन एवं अध्ययन करके चलना होगा।

कहना न होगा कि यह सदन का प्रांगण भी कई ऐसी अप्रिय घटनाओं का साक्षी रहा है कि जिनकी ओर अभी इंगित करना मात्र भी अप्रिय होगा। यही नहीं मुझसे किये जाने वाले पत्र-व्यवहार तक में असंसदीय व्यवहार एवं असंसदीय शब्दों तक के उपयोग करने में हिचक नहीं रही है किन्तु मैंने इस स्थिति को भी उदार वृत्ति से आंका है, सम्भवतः इस विश्वास से कि भविष्य में हमारा संसदीय व्यवहार हमारे पावन कर्त्तव्यों की महत्ता के अनुरूप शनैः शनैः ढल सके।

प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न को भी व्याप्त समय एवं विषम परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन की पृष्ठभूमि में ही समझना होगा। इसी हेतु अनेक अतीत की अप्रिय घटनाओं की श्रृंखला के संदर्भ में आगे के ऐसे प्रश्नों को कुछ उदार नीति से, भावनाओं की कमनीयता से दूर रहकर चिन्तन तथा विश्लेषण करना उपयुक्त होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था के प्रश्न पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस के किसी मेम्बर के साथ में इन्टिमिडेटिव, इन्सल्ट या मेलेस्टेशन का व्यवहार हो और यदि वह मेम्बर लिखकर यह दे दे कि मैं इसको नहीं चलाना चाहता हूं या उस संबंध में कोई

किसी पर एक्शन एराइज नहीं होता है तो क्या दूसरे माननीय सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि उक्त संबंध में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन को मूव कर सके। आपकी इस व्यवस्था से ऐसा आभास होता है कि चूंकि श्री बासोतियाजी ने, मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि प्रेशर में आकर, अन्डयू प्रेशर उन पर डालकर उनसे इस प्रकार का जवाब लिखवाया गया है, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि नोटिस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जो उन्होंने पहले जवाब दिया है उस जवाब में उन्होंने उनके खिलाफ आरोपों को सही बताया है लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मोशन के यहां आने से पूर्व उनसे यह जवाब प्रेशर डलवाकर बाद में लिखाया गया है कि यह आरोप ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि यह सारे हाउस का क्वेश्चन है। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज उधर से नहीं आता है तो कोई भी मेम्बर हाउस का उसको उठा सकता है, और जिस मेम्बर के साथ में यह घटना हुई है उसकी कन्सन्ट या एक्वीसेन्स कराकर मामले को खत्म नहीं कर सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय का जब निर्णय हो गया है तो उसके बाद आपको क्या अधिकार है बोलने का ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करदें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में श्री सांवरमल बासोतिया का उत्तर, उन्होंने जो जवाब दिया है, उसको आधार बनाकर चैप्टर क्लोज किया गया। लेकिन उसका आधार बनाकर जवाब दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अगर इतनी जागृति नहीं है कि वह अपने मेम्बर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उसकी मोरेल्टी की बात नहीं कहना चाहता हूं। अकाल राहत मन्त्री ने जो उत्तर दिया है, वह भी इसमें नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज था वह अकाल राहत मन्त्री और चीफ मिनिस्टर के सिलसिले में है। आपने इस सदन में यह बतलाया है कि इसकी तीन स्टेजेज हैं। सदन के अन्दर, सदन की कार्यवाही स्थगित होने पर और तीसरे तुरन्त बाद कांग्रेस पार्टी में जो चर्चा हुई है, व सदन के मेम्बर सांवरमल बासोतिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जो व्यवस्था दे दी है, उसका विश्लेषण नहीं होने दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्टी के संबंध में जो सवाल है, उस पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं माननीय सदस्य बहुत ही सजग हूं। व्यवस्था जो मैंने सभी प्रश्नों को लेकर दी है, प्रांगण पर सदन की कार्यवाही के समय, दूसरी कार्यवाही समाप्त होने के बाद प्रांगण पर, तीसरा जब उनकी मीटिंग हुई, इन तीनों ही प्रश्नों को लेकर मैंने व्यवस्था दे दी है। वह आपको अच्छी लगे या न लगे लेकिन सदन की परम्परा के अनुकूल जो व्यवस्था दी है, उसकी टीका, आलोचना इस सदन के प्रांगण पर नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इस व्यवस्था में एक आरोप लगाया गया है। वह आरोप माननीय सदस्य सतीशचन्द्र और मुझ पर दोनों पर है। हम दोनों ने यह विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन दोनों पर एक आरोप इस व्यवस्था में निकलता है।

श्री मूलचन्द डागा : आरोप नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको रोक लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको रोकना चाहता हूं और उनको भी। मैंने व्यवस्था दे दी है। मैंने कंसेण्ट नहीं दी है। प्रश्न किसी भी रूप में उत्पन्न नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : इस संबंध में मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं। हम दोनों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपने यह व्यवस्था दी है कि प्रश्न नहीं बनता है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिन कार्यवाहियों के आधार पर कहा है कि प्रस्ताव नहीं बनता है, उसमें आपने यह भी कहा है कि हमने जो प्रस्ताव किया है उसमें सदन के बाहर की घटनाओं का उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कई प्रकार की घटनाएं घटीं। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय की तरफ से हमको जानकारी दी गई है कि आपने जो तथ्य दिये हैं उनको सब्सटेंशिएट करने के क्या प्रमाण हैं ? मैं समझता हूं कि प्रस्ताव में यह लिखा गया है कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो लिखना नहीं चाहता हूं। आप पूछते तो हम बता सकते थे।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य आगे बढ़ें।

श्री नत्थीसिंह।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था, आपने व्यवस्था दे दी है। मैं केवल निवेदन करता हूं, जो व्यवस्था दी है अगर उसका अकाल राहत मन्त्री से संबंध होता या श्री बासोतिया से होता तो अलग बात थी लेकिन व्यवस्था का प्रश्न तो लोकतन्त्र की मर्यादा और नैतिक राजनीति से है। इसके संबंध में...

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था है, वह है।

श्री रामकिशन : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। आगे के लिए न्यौता दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आगे भी न दीजिए।

श्री रामकिशन : आप मेरा निमन्त्रण भी स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस वक्त नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : निमन्त्रण तो स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष : इनका निमन्त्रण बड़ा कठोर होता है । बिना खाये ही आना पड़ता है ।)

अनुसूचित जातियों एवं जन जाति आयोग के प्रतिवेदन पर विचार

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस सदन में आ रहा था तो यह सोच रहा था कि गान्धी शताब्दी का समारोह आज सारे देश में मनाने जा रहे हैं । तो उसके अनुसार एक घोषणा होगी । वित्त मन्त्री जी ने बजट में कहा था कि सिर पर मैला ढ़ोने की जो प्रथा है, वह दूर करेंगे । मैं सोचता था जैसा कि स्पष्ट कर दिया है कि यह वैसी ही घोषणा थी । सरकार ने गान्धीजी के जाने के बाद अनुसूचित जातियों के प्रति निष्ठा की भावना समाप्त करदी है । लेकिन मुझे खुशी है कि इस सदन में इस सरकार ने एक आंशिक सही बात की घोषणा की है ।

(6.15 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सरकारी नौकरियों और राजकीय प्रतिष्ठानों में 28 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया । इसके साथ-साथ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा उसके बाद के सेवावर्ग बना रक्खे हैं । यह घोषणा एक अच्छी घोषणा है। 22 वर्ष के बाद । इसके लिए मैं सोच रहा था । समाज-कल्याण मन्त्री हैं जैसा कि मैंने कल कहा था, अगर उनका योगदान है तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं अभी तक हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे है । उसी गति से आप चले तो यह घोषणा भी इसी प्रकार से रखी न रह जाये। सभापति महोदय, मैंने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी है । आयोग ने रिपोर्ट में कहा है, कहां-कहां $12\frac{1}{2}$ पर्सेंट कार्यान्वित किया गया है । उसम राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है कि जिसने इस रिजर्वेशन की सूचना आयोग को भेजने की हिम्मत नहीं की है। इसलिए यह साबित होता है कि राजस्थान सफल नहीं हो पाया है । इसलिए कमी को छुपाने के लिए आयोग को सूचना नहीं भेजी गई है। अनुसूचित जाति और अनूसूचित जन जाति की जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नम्बर पर आता है आसाम, मध्य प्रदेश । जो घोषणा पहले की थी वह आज तक पूरी नहीं हुई है । मैं आशा करता हूं कि आगे यह मौका नहीं मिलेगा । निष्ठा के अभाव में यह घोषणा रखी रह जाएगी । मैं एक बात और कहूंगा उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था। प्रश्न यह किया था कि 28 प्रतिशत घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ मन्त्रिमण्डल में स्थिति क्या रहेगी ? इस बात को सुखाड़िया जी मौन और मुस्कराकर टाल देना चाहते हैं । इस देश की संयुक्त सोशिलिस्ट पार्टी मांग करती है, इन पिछड़ी जातियों को 28 प्रतिशत ही नहीं 60 प्रतिशत विशेष अवसर मिलने चाहिए। हर वर्ग की महिलाओं ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ को छोड़कर इनको स्थान मिलना चाहिए । यह साबित हो चुका है कि यह कौम पिछड़ी हुई रही है इस देश में वर्गहीन समाज की बात करें मैं इसमें अविश्वास नहीं रखता हूं । वह तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि जातियों

(श्री नत्थी सिंह)

को तोड़ा नहीं जाता है। तब तक वह सफल नहीं हो सकता है।

आज चाहे किसी कौम का बड़ा आदमी हो, चाहे वह ब्राहमण हो, चाहे जाट हो, चाहे बनिया हो और चाहे राजपूत हो जहां पर–एक बड़ा आदमी गलत काम करता है वह उस काम को छिपाने के लिए अपनी जाति की दुहाई देता है और समझदार से समझदार आदमी भी उस धारा में बह जाता है और आर्थिक क्रान्ति के लक्ष्य को भूल जाता है। निश्चित रूप से आज गरीब राजनीति को सबसे बड़ी प्रतिष्ठा देते हैं और सबसे बड़ा ओहदा मंत्री महोदय को देते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हिसाब हमारे से 60 प्रतिशत और आपके हिसाब से अट्ठाइस प्रतिशत का का सिद्धान्त लागू होना चाहिए। वैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि यह केवल आपकी घोषणा है, इसमें कोई नई बात नहीं आई है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस साल भरती नहीं करेंगे। भर्ती कहां से करेंगे जबकि छटनी का आर्डर निकाल रखा है एक तरफ और दूसरी तरफ आपने अट्ठाइस पर्सेन्ट का रखा है। मैं आशा करता हूं कि कुछ विभाग खुलेंगे उनमें रखेंगे, और यह भी कहूंगा कि अगली साल कैरी ओवर करेंगे और इस प्रकार अट्ठाइस प्रतिशत के सिद्धान्त को कार्यान्वित करेंगे। वैसे आपकी नीयत का सबूत इससे मिल सकता है कि आप मंत्रियों की फौज को घटाइये। अगर यह भी रखते हैं तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन मैं मांग करता हूं कि मंत्रिमण्डल में आपकी घोषणा के मुताबिक अनुसूचित जाति और जन जाति के अट्ठाइस प्रतिशत लोगों को अवश्य शामिल करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि मंत्री महोदय की घोषणा में ईमानदारी है और आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि आपकी घोषणा कार्यान्वित हो। इसकी असलियत को हम अगली बार की रिपोर्ट में देखेंगे। अभी तो दो साल के बाद में बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। जब फिर मौका मिलेगा तब देखेंगे कि आपका अट्ठाइस पर्सेन्ट का लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। वैसे मैं चाहता हूं कि आप इरादे से और नीयत के साफ है। सभापति महोदय, इस सदन में हम बहस को सुन रहे हैं और अभी राज्य मंत्रीजी थोड़ी देर के बाद बोलेंगे तो निश्चित रूप से बोलेंगे कि हमने अट्ठाइस पर्सेन्ट की घोषणा करदी, और इसके साथ ही इस साल जो जमीन का एलॉटमेंट होगा वह हरिजनों को, अनुसूचित जाति और जन जाति वालों का होगा। लेकिन इन घोषणाओं के पीछे औचित्य को देखें। अभी तक हमारी हालत क्या रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, सभापति महोदय, इन जातियों के कल्याण के लिए जो प्रावधान किया गया उस प्रावधान का हाल यह रहा कि पंचवर्षीय योजना में इस जाति के कल्याण के लिए जितना प्रावधान रखा गया था उसको पूरा खर्च नहीं किया गया और वह आंकड़े, जो आपने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप निकाला है उसमें साफ तौर पर अंकित है। पहली पंचवर्षीय योजना में कुल 138.41 का प्रावधान था, उसमें से आपने 101.35 खर्च किया, 37 करोड़ आपने खर्च नहीं किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल 271.03 का प्रावधान था, उसमें से आपने 180.41 खर्च किया। पंचवर्षीय योजना में आपका 325 का प्रावधान था। फिर आपका एक कोर या अकोर वाला प्लान आ गया, उस कोर वाले प्लान के अन्दर आपने 254.47

(श्री नत्थीसिंह)

कर दिया, उसमें खर्च किया वह केवल 174.65 किया। तो माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, कि हमारे मंत्री महोदय एक तरफ तो मानते हैं कि यह जातियां पिछड़ी हुई हैं, इनका जीवन स्तर बहुत गिरा हुआ है, अब आपकी योजनाओं में जो प्रावधान रखा जाता है, उस प्रावधान में निरन्तर रूप से, पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगातार रूप से जितना व्यय करने का प्रावधान किया गया था, उतना आपने क्यों नहीं किया ? कौनसा कारण आ गया था कि जिससे कम करना पड़ा और लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई ? इसका केवल एक कारण है कि आपमें निष्ठा की कमी थी। सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय थोड़ी देर में जवाब देंगे, मैं उनका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे सदस्य कह रहे हैं कि स्कूल खोल दें, छात्रावास में यह कर दें। लेकिन आज हालत क्या है, पिछले पन्द्रह वर्ष में जो खर्च किया है वह कितना आता है ? सभापति महोदय, 1961 की जनगणना हुई, उसके हिसाब से राजस्थान में इन जातियों के सत्तावन लाख लोग बसते थे, 1952 से यह योजना शुरू की, 1951 में उससे कम औसत मानकर चलते हैं तो 1969 तक करीब बीस पर्सेन्ट के हिसाब से देखें तो ढाई पर्सेन्ट बढ़ी है ऐसा मान लें और 1969, 1961 और 1951 में जो जनसंख्या की स्थिति है, उसका औसत निकाल लें, तो मैं कहना चाहता हूं कि 1961, 1957 और 1951 में कम थी, और 1969 में ज्यादा हो गई है तो वह 55 लाख के करीब आती है, इन पिछले पन्द्रह वर्षों में जनसंख्या के ऊपर कुल खर्च कितना किया है, कुल खर्च आपने बताया है पहली पंचवर्षीय योजना में 101.35 किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 180.41 किया और तृतीय पंचवर्षीय योजना में 114.65 किया। कुल मिलाकर यह 456.46 इन्होंने खर्च किया है और उसमें से जब हम एवरेज निकालते हैं तो, सभापति महोदय, एक साल के अन्दर इन पचपन लाख पर इस सरकार ने जो खर्च किया है वह तीस लाख का एवरेज आता है। इसके आगे अगर हम इन जातियों के प्रत्येक आदमी पर खर्च घटायें तो, सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यह ढोल किसलिए पीटा जा रहा है, जब कि एक आदमी पर इस राजस्थान सरकार ने पन्द्रह सालों में हर एक साल में केवल पचास नये पैसे खर्च किया है, आठ आना खर्च किया है, इससे ज्यादा एक पैसा खर्च नहीं किया है, केवल आठ आने खर्च किये हैं, पचास पैसे खर्च किये हैं ?

एक माननीय सदस्य : ऑफिस खर्च पच्चीस पैसे बैठेगा।

श्री नत्थीसिंह : फिर कैसे कहते हैं कि हमने इन जातियों के लिये कल्याण कार्य किया है, पन्द्रह वर्ष में पचास नये पैसे आता है प्रति व्यक्ति, फिर कहते हैं कि इन जातियों का कल्याण करना चाहते हैं। मैं जानता हूं मंत्री महोदय, क्या जवाब देंगे ? वह कहेंगे इसके अलावा सामान्य रूपसे योजनाओं में व्यय किया है, इनसे इन लोगों को फायदा हुआ होगा। मैं कहना चाहता हूं, आपने इन तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में सवा तीन अरब रुपया खर्च किया, 1969 तक पांच अरब खर्च किया है, वह किस काम में लगा है, बिजली में लगा है, सिंचाई में

(श्री नत्थीसिंह)

लगा है, सड़कों पर लगा है—मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन जातियों के कितने लोगों के पास जमीन है जिन लोगों को आपके इन सिंचाई साधनों से लाभ मिला हो, कितने लोग हैं ऐसे जिनको आपकी बिजली से फायदा पहुंचा हो, कितने और लोग ऐसे हैं जिनको आपके और कामों से फायदा पहुंचा हो। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो आपकी योजनाओं में व्यय हुआ है उससे इन जातियों के लोगों को आर्थिक फायदा नहीं पहुंच सका है और इसके अलावा पचास पैसे इन पर औसत आया है। मैं कहता हूं कि यह सरकार गांधीजी का नाम लेकर चलती है, गांधीजी के शताब्दी वर्ष में घोषणा करती है, यह खेदजनक और शर्मनाक चीज है—इससे साफ मालूम होता है कि इसमें निष्ठा का अभाव रहा है और खर्च के नाम पर जो योजना में व्यय किया गया है, उसको पूरा का पूरा खर्च नहीं कर पाई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार कौनसा ऐसा कारण है जिनके आधार पर आप कहना चाहते हैं कि हम कैसे ही न कैसे इन जातियों का उत्थान करना चाहते हैं? आज हालत क्या है? हालत यह है, माननीय सभापति महोदय, इस देश में दो वर्ग बन गये हैं। 27 करोड़ इन्सान तीन आने रोज कमाते हैं, और मुट्ठी भर लोग तीन रुपया रोज कमाते हैं, तीन आना रोज कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा संख्या में है, इनमें अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग ही हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, जब कभी योजनायें बनाते हैं, इनके लिये कुछ ध्यान रखते हैं? यह ऐसा वर्ग है कि इन जातियों के कुछ लोग उन्नत है लेकिन ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो जो योजनाओं का हवाला देते हैं खर्च करने का, तो मैं कहना चाहता हूं कि भील हैं, मीणे हैं वह भी अनुसूचित जन जाति में आते हैं, सवाई माधोपुर में जो मीणे हैं वह भी इस तारीफ में आते हैं। और मेरी यह मान्यता है कि हमारे भीलों की तुलना में सवाई माधोपुर के भीलों की स्थिति अच्छी है, इसलिये इस स्थिति को फला दें और कह दें कि सबकी हालत सुधरी है—तो यह गलत होगा। शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के हिसाब से भी वह पिछड़े हुए हैं। सवाई माधोपुर और जयपुर और भरतपुर में रहन वाले हैं इनकी अपेक्षा जो भील हैं, जिन्हें इनके साथ ले आते हैं वह पिछड़े हुए हैं। इस दृष्टि से इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जब योजनायें बनाई जायं तो यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति और जन जाति में कौनसा वर्ग ऐसा है जिसकी हालत गिरी हुई है और जब योजनायें बनाई जायं तो ऐसे वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी जाय, जो कमजोर वर्ग है उसको प्राथमिकता मिले। ऐसी योजना नहीं बनाते हैं और रेगुलेराइज करके, फला करके कह देते हैं कि इतना खर्च किया है। मैं समझता हूं, कि इसके लिए निश्चित रूप से आपने आपको, अपने मन को बहुत अधिक मजबूत बनाना पड़ेगा उसके बाद कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिससे कहें कि इन जातियों के लिए आपने कुछ बढ़ोत्तरी की बात की है। मैं कहना चाहता हूं जैसा मैंने पहले कहा था, सभापति महोदय, जब यह बहस हो तो मुख्य मंत्रीजी इस सदन में रहें, जब स रिपोर्ट पर बहस हो तो होम मिनिस्टर भी सदन में रहें। मैं भरतपुर की बात कहना चाहता हूं। भरतपुर इलाके में कुम्हेर थाने के अन्तर्गत बवेखर गांव है, उसमें सवर्ण के

(श्री नत्थीसिंह)

यहां बकरियों की चोरी हुई। एक 19 वर्ष का जाटव नवयुवक था उसको इस चोरी के सिलेसिले में पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा, हालांकि वह निर्दोष था। वह व्यक्ति भागा तो उसका पीछा किया गया, इसपर वह कुए में गिर गया और मर गया। इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट दी गई, सदन में स्थगन प्रस्ताव भी रखा गया पर आज दिन तक उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीटा गया और वह भाग कर कुए में गिर कर मर जाय और उस मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो और जिस समय सदन में अनुसूचित जाति और जन जाति के हितों के सम्बन्ध में बहस हो उस वक्त गृह मंत्री और मुख्य मंत्री सदन से गायब रहें तो इससे साफ प्रकट होता है कि उनकी इन जातियों के प्रति निष्ठा का अभाव है, और इस प्रकार की स्थिति में इस बहस से इन जातियों के लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। माननीय किशनलालजी कल जोश से बोल रहे थे पर केवल बोलने से समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। परिवर्तन लाने के लिये आपको इन कुर्सियों को हिलाना होगा, 22 साल से जो कुर्सियें जमी हुई हैं, उन कुर्सियों को हिलाना होगा तभी कुछ परिवर्तन आ सकेगा।

इसी तरह अतीजर वैर थाने में है, वहां डकैती हुई, मैं वहां की पुलिस की तारीफ करूंगा कि उसने वहां एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तार किया और वह दबाव में नहीं आई। पर एक अनुसूचित जाति के आदमी को गिरफ्तार किया गया...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो शुरू किया है।

श्री रामकिशन: हमारी पार्टी ही है जो कि लड़ने वाली है, और तो तमाशा करने वाले हैं।

श्री सभापति: और भी बोलने वाले हैं।

श्री नत्थीसिंह: इतने महीने गुजर गये, साल से ज्यादा गुजर गया लेकिन आज तक उस पकड़े गये अनुसूचित जाति के व्यक्ति का पता नहीं है कि वह जिन्दा है या मर गया है। पुलिस को पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने तो उसे छोड़ दिया। उसके माता-पिता गृह मंत्री तक पुकार कर चुके पर कोई पता नहीं, उसके स्थान पर और जाति का आदमी होता तो सरकार को शान्ति से नहीं बैठने देते। पर ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इनके प्रतिनिधि जो सरकार में बैठे हैं, रामचरण हैं भीखाभाई हैं, पर ये इतने दब गये हैं, इतने दब कर रहते हैं कि जुबान खोल कर मुख्य मंत्री को बोल नहीं सकते, इनका मनोबल गिर गया है। ऐसी हालत राजस्थान में पैदा हो गई है और इससे पता चलेगा कि इन जातियों के उत्थान के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है।

अभी अभी एक बात को कहा गया था कि आखिर इनके उत्थान के लिये क्या कार्यवाही करें? एक जमीन की घोषणा की गई, दूसरी घोषणा साढ़े बारह पर्सेन्ट से 28 पर्सन्ट रिजर्वेशन की की गई, उसके बारे में मुझे शक है। आज राज्य में इन लोगों में से कितने अफसर हैं? एक नहीं, पदोन्नति नहीं। साढ़े बारह पर्सेन्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में हैं। टक्निकल सर्विसेज में नहीं हैं। सरकार

(श्री नत्थीसिंह)

से पूछते हैं कि टक्निकल सर्विसेज में ये लोग क्यों नहीं जाना चाहते तो आप कहते हैं कि य लोग गणित म कच्चे होते हैं; गणित में होशियार नहीं होते, इसलिये कम्पिटिशन में ठहर नहीं पाते। इसलिये उन पदों पर नहीं पहुंचाया जाता। इस आयोग की रिपोट में एक सुझाव दिया है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को सब जगह इस प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने चाहिये, कहीं इस प्रकार की प्रतियोगिता हो तो उससे पहले इन जातियों के लोगों को प्रशिक्षण दिलाया जाय ताकि ये लोग कम्पिटिशन में बैठ सकें और कम्पिटिशन्स में सफल हो सकें। राज्य सरकार की ओर से अभी तक तो इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई और न इस तरह की व्यवस्था ही की है कि इसकी एक भी सिफारिश को माना हो। इससे काम चलने वाला नहीं है, अगर आप चाहते है कि नौकरियों में इन लोगों की जो कमी है, उस कमी को पूरा करे तो जो होस्टल्स इनके खुले हुए हैं वहां पर विशेष ट्यूटर रखिये ताकि वे ट्यूटर इन लोगों को विशेष शिक्षा दें। और य लोग कम्पिटिशन में दूसरे लोगों के मुकाबले में टिक सकें।

सभापति महोदय, आप मानेंगे कि जिनके घरों में लोग सदियों से पढते आय हैं, बच्चे से मां बाप तक जिनके घरों में पढ़े हुए हैं, और दूसरी ओर ऐसे परिवार हैं जिनमें 99 प्रतिशत अनपढ हैं। इन दोनों प्रकार के परिवारों के लड़कों को योग्यता के समान स्तर पर लाया जाय; यह संभव नहीं है। इसलिय यह परमावश्यक है कि पिछड़ वर्ग के छात्रों को दूसरे वर्गों के छात्रों के समकक्ष लाने के लिय ट्यूटर आदि रख कर इस प्रकार की प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जाय। आज सेंट जेवियर में और जो पब्लिक स्कूलों का ढर्रा चल रहा है, उनमें किनके लड़के पढते हैं? अनुसूचित जातियों के लड़के उनमें जा नहीं सकते। आज की शिक्षा में जो यह पब्लिक स्कूलों का ढर्रा चल रहा है, इसको कानूनन् बन्द कर देना चाहिये। प्रत्येक परिवार के लड़कों को एक से स्कूलों में शिक्षा देनी चाहिये, प्राइमरी स्कूलों और हाई स्कूलों तक। उसके बाद अपनी योग्यता से कहीं जाय। तो इन पब्लिक स्कूल्स को बन्द किया जाय; इनको बन्द नहीं करेंगे तब तक यह भेद मिट नहीं सकता। एक पेड़ के नीचे वाला और दूसरा सेंट जेवियर में पढने वाला, इनमें प्रतियोगिता करवायेंगे तो पेड़ के नीचे पढने वाला उसके सामने टिक नहीं सकता। इसलिये इनके लिये ट्यूटर की व्यवस्था करेंगे तो ये कामयाब हो सकेंगे नहीं तो नहीं।

जमीनों की आपने घोषणा की है। इसका हमें बड़ा कटु अनुभव है। अभी सालोदियाजी साहब कह रहे थे कि उनको इस सम्बन्ध में पूरा खतरा है, उन्होंने यह बताया कि इन जातियों के लिये यह साल मुकर्रर किया है कि इनको इस साल जमीनों का एलॉटमेंट कर दिया जायगा। सीलिंग का कानून सरकार ने लागू किया नहीं फिर इन लोगों को जमीनें दगे कहां से? जो सीलिंग प्रेस्क्राइब की है, उससे ज्यादा जिन लोगों के पास थीं, उन्होंने सबने उन जमीनों को बांट लिया है। जैसे आपने 500 बीघा जमीन आपके 5 लड़कों के नाम से ली है। ऐसी दशा में इन लोगों को जमीनें दी कहां से जायगी? आप कह रहे थे कि हाउस को कन्वीन्स कर दूंगा शायद अपनी वकालत के बूते पर कह रहे होंगे कि हाउस को कन्वीन्स कर दूंगा, पर

(श्री नत्थीसिंह)

आप यह बताइये कि आज तक आप सीलिंग के कानून को लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग नई नई जमीनें ले रहे हैं, जो जमीनें दबाये बैठे हैं, उन जमीनों को लेने की सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, फिर इस साल इनको जमीनें दे कहां से देंगे ?

मुख्य मंत्रीजी टलाऊ राजनीतिज्ञ हिन्दुस्तान में एक नंबर के हैं, वे हर चीज को टाल देते हैं। आपने 500 बीघा जमीन अपने 5 बच्चों के नाम से ले ली है, पता नहीं आपके बच्चें कितने कितने वर्ष के हैं। पर अगर अपनी कांग्रेस की घोषित नीतियों में निष्ठा थी तो कांग्रेस में बैठे मंत्री कभी यह कोशिश नहीं करते कि सीलिंग में जो भूमि की सीमा मुकर्रर की है उससे अधिक भूमि अपने नाम या अपने परिवार के नाम एलॉट नहीं करवाते। जमीनों के एलॉटमेंट के मामले में एक-एक तहसीलदार, एक-एक नायब तहसीलदार मेरे जिले में लखपति बने हैं। पहले किसानों से कह दिया कि तुम इस-इस जमीन पर कब्जा कर लो, वे लोग कब्जा कर लेते हैं, फिर उनको कहते हैं कि मैं नोटिस देता हूं, उस नोटिस का जवाब मैं ही लिख दूंगा। नोटिस भी इस तरह से खुद ही देते हैं और किसानों से रुपये लेकर खुद ही जवाब लिख देते हैं और इस तरह से एक एक किसान से दो दो सौ रुपय लेकर उस नाजायज कब्जे को रेगुलेराइज कर देते हैं और ट्रेसपासर्स को कब्जा दे दते हैं। 91 दफा की हालत यह है।

दूसरी जमीनें आती हैं चम्बल के रेवीन्स और जसलमेर की जमीन। चम्बल की जमीनें पसे वालों को देंग, वह हरिजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को नहीं देंगे। चम्बल के रेवीन्स की जमीनों को सरकार अपने खर्च से ठीक करे। आपका पता नहीं आप सिंडीकेट में हैं या कहां हैं, आपने तो यह 500 बीघा जमीन ले ली, तो राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ है उससे पसा ले कर सरकार चम्बल रेवीन्स की जमीनों को ठीक करे और वहां पर इन लोगों को बसाये तो ठीक हो सकता है। आपके पीयोन से लेकर पी० ए० के बच्चों तक को जमीनें चाहिए, कलेक्टरों को जमीन चाहिये, मिनिस्टरों को जमीनें चाहिये तो ऐसी हालत में इन अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जमीनें कहां से मिले ?

राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि 5 करोड़ एकड़ है, उसमें से अभी भी 1.19 करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती हो रही है करीब-करीब 1.81 करोड़ ऐसी जमीन है जो आज भी काबिले काश्त है और जिसको एलॉट किया जा सकता है लेकिन एलॉट कब होगी ? तब हो सकती है जब आपके जो चहेते अफसर हैं उनके बेटों से, उनके नौकरों से, अगर जमीनें बच जायं तो 1.81 करोड़ एकड़ इनको मिल सकती है। अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को मिल सकती है। आपके मंत्रिमंडल में दम हो तो फैसला करें कि जितनी जमीन है, जो पड़ी है, उस जमीन को भूमिहीनों को ेंगे, प्राथमिकता उन लोगों को दी जायेगी जो अनुसूचित जाति के भूमिहीन हैं जो कि ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जहां पर जमीन है। उसके बाद दूसरे भूमिहीन, उसके बाद राजस्थान के भूमिहीन, उसके बाद कहीं नंबर आएगा बाहर वालों का। आप तो उलटे चलते हैं, पहले प्रतिष्ठित लोगों को जमीन देते ह,

(श्री नत्थीसिंह)

इसलिये जब मैंने कहा था कि बड़े बड़े अफसरों ने कितनी जमीन हाथ में की हैं, कितने मकान बना लिए हैं, जांच करायें तो पता लग जायगा। आप सदन को पूरी जानकारी देने में हिचकिचाते हैं। इसलिये हिम्मत के साथ काम लें। 1.81 करोड़ एकड़ जमीन पूरे राजस्थान में ऐसी पड़ी है कि जिस पर खेती हो सकती है। जिसको मैंने जो सिद्धांत बताये उन्हीं सिद्धांतो के आधार पर भूमिहीनों को नहीं देंगे तो निश्चित रूप से इस घोषणा में कोई सार नहीं है। गांधी शताब्दी के साथ इन भूमिहीन हरिजनों को जमीन एलॉट करें। अगली बार जब मिलेंगे तो यह मौका मिलेगा कहने का कि चंद बीघा जमीन आपने एलॉट की हरिजनों को, ज्यादा नहीं।

हमारी एस० एस० पी० ने राज्य सरकार को इस बात की खुली चुनौती भी दी है कि अगर सरकार इन भूमिहीनों को जमीन नहीं देती है, सरकारी जमीन चाहे जंगलों के नाम पर, रुंधों पर, चाहे रेवीन्स के नाम पर, अगर सरकार एलॉट नहीं करती है तो एस० एस० पी० भूमिहीनों को जबरन उन जमीनों पर कब्जा करायेगी, भूमिहीनों और सरकार का मुकाबला करायेगी, सरकार हमला करती है तो हम सोते नहीं रहेंगे। आप जमीन रिश्तेदारों को दें, आप अफसरों को जमीन एलॉट करें और गरीब भूमिहीन लोग चुप रह जायं इसलिये एस० एस० पी० खुला ऐलान करती है कि हम नवम्बर के बाद आपकी गतिविधियों को देखने के बाद, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जमीन पर कब्जा करायेंगे और मैं कहना चाहता हूं कि आपके केन्द्र के मंत्री श्री जगजीवनराम दहलाने लग गए हैं, उन्होंने कई जगह एलान किया है कि सरकारी जमीन जो पड़त पड़ी है, कब्जा करलो अगर एलॉट नहीं की जाती है। यह एलान क्यों करना पड़ा? जो आदमी इतने दिन कांग्रेस में, सरकार में रहा, उसको भी निराशा हो गई, यह क्रांति नहीं लेकिन निराशा है। 22 सालों के बाद जो निराशा व्यक्त की है कि राज्य भूमिहीनों को, हरिजनों को भूमि नहीं देता। इसलिये आह्वान किया कि कब्जा कर लो, इससे ज्यादा शर्म की बात शासन के लिये नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर आपकी घोषणाओं में जान है, ईमानदारी है, तो निश्चित रूप से एक सालके अंदर अंदर जो आपने घोषणा की है, इस बात का सबूत दें कि आप उन लोगों को एलॉटमेंट करते हैं।

आखिरकार कैसे समाज में जो लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से गिरे हुए हैं, उनमें आज भी छूआछूत मौजूद है। आज दिन भी और तो और इस रिपोर्ट में भरतपुर के बारे में मैंने पढ़ा। मुझे आश्चर्य हुआ। भरतपुर के औषधालय में अछूत आदमी जाता है, वह बीमार पड़ता है, नाड़ी दिखाने जाता है; नाड़ी वैद्य इसलिए नहीं देखता है कि कहीं उसको भी अछूत का रोग लग जायगा ...

श्री मूलचन्द डागा : भरतपुर में ऐसे लोग भी हैं क्या?

श्री नत्थीसिंह : कांग्रेस के ही चंद लोग हैं जो भरतपुर में ऐसे बच गए हैं। डागाजी जैसे लोगों के पास आकर इस तरह की बात करते हैं, उनको संरक्षण मिलता है।

श्री मूलचन्द डागा : आपसे तो वह भी नहीं किया जा सकता, 20 सालों में क्या किया?

श्री नत्थीसिंह : कांग्रेसी रोग का हमने जो सफाया कर दिया, उसमें बकाया रह गया, उसको भी हम साफ करेंगे। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार को जांच के लिये कहा गया लेकिन यह रिपोर्ट प्रकाशित होने तक जांच नहीं हुई। आप चाहते तो जोशीजी महाराज छूआछूत का रोग मिटा सकते हैं। जब समाज कल्याण मंत्री घोषणा करते हैं कि 500 बीघा जमीन बच्चों के नाम ले ली और आपको वकालत से फुरसत नहीं, मंत्रिमंडल में बैठे हैं, पंडितानी को फुरसत नहीं आप घोषणा करें कि मेरी रसोई हरिजन बनायेगा, उसके साथ मंत्रिमंडल के उच्च वर्ग से कहें कि उनकी रसोई बनाने के लिए हरिजन रखा जायगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह बेहतर सुझाव है इसको अंगीकार करना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : समाज में हालात ऐसे हैं...

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमारे घर के लोग खाना बनाते हैं।

श्री नत्थीसिंह : यह बहाना हम जरूर जानते हैं। मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, मुझे दौलतरामजी कह रहे हैं कि वह आपका छुआ हुआ भी नहीं खाएगा...

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपके ही माननीय सदस्य ने कल कहा था सालोदियाजी ने कि मैंने नीदड़ में जाकर मीटिंग में हरिजन भाइयों के साथ चाय पी लेकिन दूसरे दिन उस पर गांव के लोगों ने एतराज किया।

श्री लादूराम सुलानियां : दिल्ली की हरिजनों की मीटिंग में...

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल सही बात कही है लेकिन यह जो सामाजिक व्यवस्था है वह किसकी वजह से है? जो गांधीजी के चेले हैं जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में अकाल निवारण के लिए चलते हैं तब लाल टोपी उतार कर सफेद टोपी पहन लेते हैं लेकिन गांधीजी, जिन्होंने जान की बाजी लगाई कि कहीं हिंदू समाज में अलग वर्ग न बन जाए इसलिए अपनी बात को मनवाया था। जो कहते थे कि छुआछूत मिटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है, कोई चिंता नहीं रही, जो चाहते थे कि राष्ट्रपति के पद पर कोई हरिजन की कन्या बैठे लेकिन आपमें दम नहीं है, आपने जगजीवन राम को ठुकराया, आपने उनको राष्ट्रपति बनाना नहीं चाहा। छोटा मुंह बड़ी बात। गांधीजी भी कहते थे कि जो मन में है वह मुख पर आओ। आप समाज कल्याण मंत्री हैं आप पर भार है कि आप हरिजनों का उत्थान करें तो आप रसोईया भी हरिजन ही रखो। मैं कई ऐसे मंत्री जानता हूं जिनके यहां हरिजन चपरासी चला जाय वह प्याला चाय का पीले तो उनको बुरा लगेगा। तो क्या मंत्रियों का मुंह देखते ही छुआछूत मिटेगी? नहीं मिटेगी। क्योंकि आचरणहीन हैं आप लोग। अगर आप ईमानदारी के साथ इनका उत्थान चाहते हैं तो आपको इस तरह की बात करनी होगी।

आपने कई घोषणायें की हैं। इस सदन में पिछली बार सवाल आया था कि मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए लड़कों हरिजन की गोद चले गए और डाक्टर बन गए तो और वापस ब्राह्मण हो गए। तो इस प्रवृत्ति को रोको। आप ब्राह्मण वैश्य सबके लिए कहिये कि जो उच्च जाति का आदमी हरिजन

(श्री नत्थीसिंह)

के बालक को पालेगा तो 100) स्टाइपेंड मासिक दिया जायगा, विशेष प्रोत्साहन के रूप में देंगे। महाराष्ट्र ने इस योजना को स्वीकार किया है और यह योजना चालू की है तो जोशीजी महाराज आप इस तरह की बातें सोच या नहीं, कानून की वजह से कहेंगे कि 500 बीघा जमीन ऐसी है...

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आप सुनिए। अगर यह मामला साबित करें। मैं आपको ऐसा माकूल जवाब दूंगा कि आप नहीं बोल सकेंगे।

श्री नत्थीसिंह : तो वे तानाशाही अधिकार आपको मिले नहीं हैं। जुबान हमारी सुखाडियाजी और आप बंद नहीं कर सकते हैं। आपको खुला खाता मिला नहीं है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैं चेलेन्ज देता हूं सारे अपोजीशन को। आपमें सोचने का माद्दा है तो इसको साबित कर दें।

श्री नत्थीसिंह : सच्ची बात तो है। जादू वह है जो सिर पर चढ़ कर बोले। यह बात ठीक है। बृजसुन्दरजी ने कहा मेरी पत्नी ने खरीद ली, मुझको पता नहीं है और आप कहते हैं मेरे बच्चों ने खरीदी है, मेरी जानकारी में है। आप कानून को ताक में रख सकते हैं। किस तरह से कहा....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आप जो कुछ भी करने लायक हों वो कर लीजिये। यह मैं चेलेन्ज देता हूं।

श्री नत्थीसिंह : आप हाउस में कह रहे हैं। बाजार में नहीं। यह बात मैं बांदीकुई में कहूंगा।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आप बांदीकुई में अखाड़ा जमाकर कहिये। मुझे एतराज नहीं है।

श्री लादूराम सुलानियां : सभापति महोदय, कुछ समझ में नहीं आता किस बात का चैलेन्ज है ?

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री नत्थीसिंह : मैं जल्दी जल्दी अपने पॉइंट्स कह रहा हूं। मन्त्री महोदय बीच में अपनी बात कह उठते हैं। मन्त्री महोदय को क्षीर, नीर, विवेक का ज्ञान नहीं रह गया है। वे समाज कल्याण की बात ग्रहण करें। वे अपना कल्याण करते जायं पर समाज कल्याण की बात तो सुन लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने यह घोषणा की है, सभापति महोदय, कि हम राजकीय नौकरियों में, राजकीय संस्थाओं में हम इनको प्राथमिकता देंगे 28 प्रतिशत। यह घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि जो व्यापार है, उनमें भी लाइसेंस में, परमिट में आप इस जाति के लोगों को प्राथमिकता दगे। मोटरों का परमिट होता है। आपने इसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं रखा है ? अनुसूचित जन जाति के लोग मोटरों का परमिट लेना चाहते हैं तो उनको भी देंगे और व्यापार का लाइसेंस चाहते हैं तो उनको भी दें। आप इन बातों को करें। आयुक्त की रिपोर्ट में यह बात कही गयी है कि इन जातियों के लोगों में जमीन की बड़ी भारी भूख है। वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं। इसके लिए उन्हें दूसरे रोजगार पर लगाना चाहिये। वे रोजगार में हो सकते हैं और इसमें आप इनको प्राथमिकता दीजिये। दो, तीन बातें और कहना चाहता हूं। 28 प्रतिशत की जो घोषणा

(श्री नत्थीसिंह)

आपने की है इस समय आप होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हो, इस पर दिन में होम मिनिस्टर बैठते हैं और इन जातियों के लोग इनके महकमे से, थानों से बहुत परेशान होते हैं। इसलिये इसका पक्का इन्तजाम करो कि इन थानों में बहुत से इन्हीं लोगों में से नियुक्त किये जायं। दूसरा महकमा आपकी पास वाली कुर्सी का है। इस महकमें के पटवारी से ये लोग बहुत तंग हैं। पटवारी और थानेदार इन दो में आप इनको प्राथमिकता दें तो इनकी सेवा हो जायेगी।

मन्त्रिमण्डल ने यह फैसला लिया है कि पी० एस० सी० में एक निश्चित संख्या में अनुसूचित जन जाति के लोगों को लिया जायेगा उनकी संख्या निर्धारित होगी, जैसी कि आपने मेडिकल के एडमिशन में किया है। परन्तु समाज में भी इनको न्याय दिलवाना होगा। बाल्मिकी और व्यास ब्राह्मण बहुत थोड़े हैं मेरी नजर में। वशिष्ट वगैरह के उनके संस्कार हैं। सभापति महोदय, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक डिलीमीटिशन कमीशन के सदस्य थे। उसमें उन्होंने एक बात कही जब रिजर्वेशन का सवाल सामने आये तब सुमित्राजी भी उसमें बठी थीं। उन्होंने कहा शहरों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहियें। सीटें रिजर्व हों तो गांवों में होनी चाहियें। अजमेर की सीट पर बडा झगडा हुआ। उन्होंने जवाब दिया शहरों में मनेजेरियल कास्ट रहती है। वह व्यापारी क्लास है। ये राज के काम में सहयोग दे सकते हैं। रिजर्वेशन करना है तो गांवों में करो। यह ऊपर के लोगों की धारणा है। तो इस धारणा को दूर करने के लिए यह होना चाहिये कि ऐसे उच्च पदों पर अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को जाना चाहिए और नहीं जायेंगे तो उनको न्याय नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। संक्षेप में ही कहूंगा। इस रिपोर्ट में यह कहा है, पालियामेंट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए रिजर्वेशन है, विधान सभा में रिजर्वेशन है। लेकिन यह आप मानेंगे कि विधान सभा और पालियामेट नीति निर्माण करने वाली संस्थायें हैं, कानून बनाने वाली संस्थायें हैं, लेकिन प्रशासनिक संस्थायें नहीं हैं। जहां प्रशासनिक काम होता है, वहां आपको यह रिजर्वेशन करना चाहिये। राजस्थान में विकेन्द्रीकरण की ज्योति जली। इसके दो रिजल्ट निकले। एक तो सुखाडियाजी हाईकमाण्ड के मेम्बर बन गये और दूसरा चीफ सेक्रेटरी पद्मश्री ले गये। ये दो एचीवमेंट तो जरूर हुए। अब आप इनको मजबूर कराइये कि पंचायती राज कानून में इस प्रकार का संशोधन लायें कि सरपंचों में, प्रधानों, प्रमुखों में इस तरह का रिजर्वेशन होना चाहिये ताकि प्रशासनिक संस्थाओं में भी इन लोगों को मौका मिल सके तब जाकर ये आगे आ सकेंगे। आज प्रशासनिक संस्थाओं में ये कितने हैं। सिवाय सम्पतरामजी के और कौन है? बांसवाड़ा में भी छगनलाल नेमा प्रमुख हैं। 232 पंचायत समितियों के प्रधानों में से कितने हैं ये? आप ईमानदारी के साथ इनका लाभ करना चाहते हैं तो गांधी शताब्दी का यह वर्ष है। आप निश्चित रूप से इसमें इनकी मदद कर सकते हैं। तो ये मेरे चंद सुझाव हैं इनको इस गांधी शताब्दी वर्ष में कार्यान्वित कीजिये और इनके इस रिजर्वेशन को बढ़ाइये। दिसम्बर में ही पंचायतों के चुनाव होने वाले

(श्री नत्थी सिंह)

हूँ। इन्हीं चुनावों में आप यह करिये। आप अपने घर के लिए जमीन लें, तो समाज के कल्याण के लिये भी काम कर लें।

श्री सभापति : श्री परसराम।

एक ही बोलें।

आधा घंटे की चर्चा

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा व्यवस्था का सवाल है। आज जो मैंने विषय रखा है, उस पर आसन की अनुमति हो चुकी है और संबंधित मन्त्री महोदय के और मेरे बीच में विचार हो चुका है। इसलिये अगर अनुमति हो तो मैं इस विषय को थोड़ासा रख दूं और अपनी तरफ से मन्त्री महोदय भी आश्वासन दे दें। इससे आधा घंटे का समय सदन का बच जायेगा। इसलिये निवेदन है कि इस विषय को उठाने की अनुमति दी जावे। इसमें मैं 5 मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापति : ऑर्डर।

(7 म० प०)

सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मुझे अनुमति है। मुझे बोलने दें। मन्त्री महोदय आश्वासन दे देंगे। इसमें पांच मिनिट....

श्री सभापति : सिर्फ पांच मिनिट...

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न 28-8-69 को स्वायत्त शासन का प्रश्न संख्या 99 जो रखा था इस सदन में उसका लिखित उत्तर स्वायत्त शासन विभाग से मिला है जिसमें यह स्वीकार किया गया है यद्यपि फरवरी, 68 तक वार्डों का प्रकाशन किया जा चुका था। यह भी सही बात है कि इलेक्शन को ध्यान में रखकर मतदाता सूची का प्री पब्लिकेशन किया जा चुका था। उसके लिये ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये जा चुके थे। 13 अगस्त, 1969 तक को वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होना था। उसका फाइनल प्री पब्लिकेशन हो गया। इसी बीच में 4 जुलाई, 1969 को एक आदेश जारी होता है कि सवाई माधोपुर के वार्डों की सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाकर हमारे सामने प्रोपोजल्स भेजें। यह एक अजीब सी बात है इस तरह से सवाई माधोपुर की पब्लिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया ? म्युनिसिपल एक्ट की धारा 9 और 13 के अन्तर्गत सरकार को जो अधिकार और प्रबल शक्तियां हैं, उनका उपभोग कर सीटों की संख्या निर्धारित करदी। नगरपालिका को वार्डों में विभाजन कर मतदाता सूची का प्रि पब्लिकेशन कर दिया और ऑब्जेक्शन इन्वाइट कर लिये। जबकि वे एक बार फाइनल हो चुकीं उसके बाद ओन दी ईव ऑफ दी इलेक्शन राज्य सरकार ने बीच में वार्डों का पुनर्निर्धारण का किस प्रकार आदेश दिया ? इस बारे में मैंने मुख्य मंत्री महोदय को, स्वायत्त शासन मंत्री को तार दिये, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज को तार दिया एक तार अध्यक्ष महोदय को भी दिया गया। इस प्रश्न पर जो उत्तर दिया गया वह सन्तोषप्रद नहीं था। वार्डों को पुनर्सीमन के विषय में यह उत्तर कि नक्शे के अनुसार भी वार्ड असन्तुलित प्रतीत होते हैं, इसीलिये पुनर्सीमन का आदेश दिया। इस बारे में मैंने मंत्री महोदय के कक्ष में निर्वाचन अधिकारियों के साथ विचार

(श्री हरिवल्लभ)

विमर्श किया उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि इस मामले के सारे फैक्ट्स ला डिपार्टमेंट को रेफर कर दिये जायेंगे और उनकी राय आने पर ही इस विषय में कदम बढ़ाये जायेंगे। सदन में निर्वाचन मंत्री के मुंह से यह आश्वासन मिल जाय तो उसके बाद मैं इस चर्चा को समाप्त कर दूंगा।

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, 28 तारीख को इस सदन में माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया गया था। चुनाव विभाग ने चूंकि 29 तारीख को विधान सभा स्थगित होने वाली थी जिस प्रकार का प्रश्न आया उसका उत्तर दिया जाना चाहिये था, जल्दी में इसी प्रकार का उत्तर तैयार करवा कर जवाब दे दिया गया था।

इस प्रकार का एक्ट और रूल्स में संशोधन हुआ है कि चुनाव का कार्य निर्वाचन विभाग को सुपुर्द किया जाय ताकि सुचारू रूप से वे चुनाव करा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए सारा चुनाव संबंधी काम चुनाव विभाग द्वारा किया जाता है।

जहां तक म्युनिसिपल वार्डों के निर्माण का सवाल है फिक्सिग अप सीट्स, वार्ड्स का निर्माण एलॉटमेंट ऑफ सीट्स आदि सब काम निर्वाचन विभाग ही करता है। इस प्रश्न के बारे में जो कुछ स्पष्टीकरण दिया गया वह मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 444 के भाग 7 के उत्तर में कहा था वार्डों का नक्शा असन्तुलित प्रतीत होता है। नक्शा जो बनाया गया है वार्ड की आबादी वार्ड के क्षेत्र के हिसाब से ठीक नहीं है। सरकार के ध्यान में लाया गया कि वार्ड्स बने हैं वे असन्तुलित हैं। यह बात जब ध्यान में लाई गयी सीटों की संख्या निर्धारित करदी, नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव विभाग द्वारा उसके परीक्षण की तौर पर तैयारी की जा रही है। अगर वे ठीक पायेंगे तो सीटों का वार्डों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं।

सभापति महोदय जहां तक वार्डों के पुनर्निर्धारण करने का सवाल है उसमें नगरपालिका एक्ट की कोई मुमानियत प्रतीत नहीं होती है। वार्डों के पुनर्सीमन का प्रश्न उपस्थित होता है तो उसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाय समस्त निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे। जो कुछ कमियां इसमें नजर आवें उनका चुनाव होने से पहले निराकरण कर दिया जाय। ताकि चुनाव होने पर न्यायालय उन चुनावों को निरस्त नहीं कर सके। इस बारे में विधि विभाग की जो भी राय होगी उसके अनुसार चुनाव विभाग कार्य करेगा। हमने इस बारे में निर्वाचन मंत्री ने, स्वायत्त शासन विभाग ने, हम सबने मिल कर यह निश्चय किया है उसमें माननीय सदस्य भी शामिल हैं। जो विधि विभाग इस बारे में राय देगा उसी के अनुसार हम प्रोसीड करेंगे।

श्री नारायणसिंह मसूदा (निर्वाचन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जो आपत्ति श्री हरिवल्लभजी ने उठाई है इस संबंध में चुनाव और वार्ड्स के पुनर्निर्धारण का सवाल है। हमने इस विषय में आपस में बातचीत कर ली और इस विषय में जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया सैक्शन 9 के अन्तर्गत सीटों का फिक्सेशन होता है, वार्डों का लिमिटेशन होता है वह आबादी के आधार पर होता है। आबादी के आधार को देखते हुए एक त्रुटि नजर में आयी है वहां की

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

सीमा में सीमेन्ट फैक्टरी को सम्मिलित करना था। उस क्षेत्र के अनुसार देखा गया 18 सीटें उनके ऊपर कर दी गई जहां कम और ज्यादा हो सकती थीं। 63 के चुनाव में यह रहा। सेक्शन 13 के अन्तर्गत यह त्रुटि मालूम पड़ी पुनः सीमांकन इत्यादि होना चाहिए। माननीय सदस्य ने यह बात उठायी इसके लिये युनिफॉर्म प्रिन्सिपल होना चाहिये। यह भी आशंका प्रगट की गई। सेक्शन 9 के अन्तर्गत सीटें निर्धारित करने के बारे में 13 वार्ड बन जायें। बाद में उनका फिर से पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। मैंने मान्यता बतायी है 13 के अन्तर्गत पुनरावलोकन हो सकता है. हर हालत में सीमा के आधार पर हो सकता है, इस अधिकार को रखा नहीं है इसलिए कानूनी त्रुटि पैदा नहीं होती। फिर भी हमने बहस करके इस निर्णय के बारे में आश्वासन देना चाहता हूं कि इस विषय में कानून विभाग को पूरी तरह से कॉन्फीडेन्स में लिया जायेगा, उनसे यह सारी स्थिति को एग्जामिन करवा लिया जायेगा तब उनकी अनुमति होगी। उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी, उसके प्रतिकूल कार्यवाही नहीं होगी। इसलिये कोई आशंका न रहे अगर कोई इस प्रकार की त्रुटि होजाय उसके लिये स्पष्टतया कह सकते हैं कानूनी विभाग की राय लेने के बाद ही इस प्रकार की बात करेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या आपने कहा फैक्ट्री की सीमा मिली हुई थी इस कारण 18 सीटें कर दीं। यह तो डिसप्यूटेड है ?

श्री सभापति : सारे तथ्यों पर बातचीत कर ली है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यह कहा है कि 18 सीटें इसलिये मुकर्रर कर दी गई कि सीमेन्ट फैक्ट्री की आबादी नगरपालिका, सवाई माधोपुर की जनसंख्या में शामिल हो गई वरना 18 सीटें सवाई माधोपुर क्षेत्र की नहीं हो सकती थीं। आपने जिस प्रकार की भाषा यूज की है आई चेलेन्ज इट, सर।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जिस तरह से अभी हमारी बात हुई थी चेम्बर में उसके अनुसार अर्ज कर रहा हूं कि उसमें इन्क्लूड होकर 18 हुए तो अथवा 15 हजार की आबादी मानकर 20 पर्सेन्ट बढ़ाई गई तो विधि विभाग के देखने के बाद जैसी राय होगी वह करना है तो करेंगे, नहीं करना है, तो नहीं कराया जावेगा। आई एम नॉट गोईंग इन्टू डिटेल नाऊ।

श्री सभापति : श्री परसराम।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर) : सभापति महोदय, खुशी है कि यह रिपोर्ट पेश हुई इससे यह देखा जाता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए हमारे मंत्रिगणों ने कुछ नहीं किया। उनको यह पता नहीं कि आज हरिजनों के लिये जितना पसा दे रहे है उससे भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही है।

सिर पर मैला ढोने के बजाय किसी और रास्ते से मैला ढोने का सरकार ने प्रबन्ध कराया था, पैसा भी दिया था, पर वह पैसा लैप्स हो गया। और बड़ी शर्म की बात है कि आज दिन तक जयपुर जैसे शहर में ऊपर से टट्टी करते हैं और नीचे मैला उठाते हैं। इसको दूर करने का बन्दोबस्त यहां भी नहीं किया जा सका।

(श्री परसराम गंगाराम)

इसके अलावा छात्रावासों में जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिये न पहनने का न खाने का ठीक प्रबन्ध है। बाजरे की रूखी सूखी रोटी उनको दी जाती है, साग हो तो दे दिया, नहीं तो मिर्च से लगाकर खाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। भंगियों के लड़कों को अलग से बिठाते हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है। छात्रावास जो विद्या के मन्दिर हैं, सरस्वती का स्थान है, वहां ऐसा किया जाता है। यह राज्य के माथे पर कलंक का टीका है। जो आज यह भी नहीं मिटा सकी।

महात्मा गांधी ने फर्माया था कि अगर राष्ट्रपति एक हरिजन का लड़का हो तो मेरी आत्मा को शान्ति हो। परन्तु वह आज नहीं हो सके, क्योंकि हमारे जितने मन्त्रिगण हैं जो इस शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के मन्त्रिगण हैं सब ऊंची जाति के होते आये हैं और जो मन्त्री इस काम को करने वाले नहीं हैं वे हमेशा हरिजनों का हक खाने वाले हैं जैसे हमारे समाज कल्याण मन्त्री हरिजनों की पांच सौ बीघा जमीन हड़प कर गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : और यहां क्या कर रखा है ?

श्री परसराम गंगाराम : आप शामिल हैं, आपको पता है। फिर भी मैं यह कहने से नहीं डरता। ईमानदारी से संग्रह करें। बाकी जितनी मिल्कियत है वह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के भले के लिये दे दें तो उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं होगी। गरीब आदमी काम करता है जैसे अमृतलाल जी यादव हैं। कुछ भी जिन्होंने मिल्कियत मेहनत करके बनाई तो उनका कितने आदमी अपोजीशन कर रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी ऊपर चढ़ता है तो उनको खटकता है कि यह महलों में क्यों है। यह ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए।

पर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज एक कुचेरा ग्राम है नागौर जिले में। वहां के नाथूरामजी मिर्धा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वहां इतना छूआछूत है गांव में कि हरिजनों को सार्वजनिक स्थानों में चाय तक पीने नहीं देते हैं। कुचेरा गांव से दो दो मिनिस्टर हो गये हैं और कांग्रेस अध्यक्ष वहां के हैं अपने लिये सब कुछ किया पर गांव में से छूआछत नहीं मिटा सके। उनको सारे गांव की सफाई करनी चाहिए थी। पर नहीं कर पाये। इससे बढ़कर लज्जा की और क्या बात हो सकती है। जो अपने गांव से भी छूआछूत नहीं मिटा सके, तो बाहर की वे कैसे मिटायेंगे ? मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे छात्रावास का ऐसा मामला है कि जैसे ख्वाजा साहब की देग लुटती है वैसे छात्रावास में सदावर्त लुटता रहता है और रिजल्ट क्या है ? एक पर्सेन्ट भी वे लड़के पास नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि वहां के सुप्रिन्टेन्डेन्ट बगैर पढ़े लिखे होते हैं। वे हमेशा राजनीति में पड़े रहते हैं। छात्रावास आज राजनीति के अड्डे हैं और उनमें लड़के बरबाद हो रहे हैं। पढ़ाई के लिये रिजल्ट वहां का अच्छा नहीं हो सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा जमीन भी इनको नहीं मिलती। कागजों में कह देते हैं कि इनको नहरी इलाके में जमीन मिलेगी, पर आज दिन तक नहीं मिली। मुझे यह भी आशा नहीं कि समाज कल्याण मन्त्री ने जैसे फर्माया वैसे 28 पर्सेन्ट सर्विस उनको मिल जावेगी। इसलिये मैं आपसे ज्यादा निवेदन

(श्री परसराम गंगाराम)

न करके यहीं कहूंगा कि आज तक उनको न एक्सपोर्ट की सुविधा मिली न इम्पोर्ट की जैसे दिल्ली में सुविधा है वैसी राजस्थान में कुछ नहीं है इसलिए ज्यादा न कहकर यही कहूंगा कि उनको गौ पालने की सुविधा दी जावे और नहरी इलाकों में जमीन दी जावे।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969—विचार एवं पारण

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, सदन की आज्ञा से जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स बिल पर जो कुछ यहां चर्चा हो रही थी उसके बाद में सदन की मंशा को देखते हुए और आपकी आज्ञा से मुख्तलिफ सदन की पार्टियों के नेताओं से हमने चर्चा की। मगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाये। यह सूचना सदन को देना चाहता हूं।

मेरा नम्र निवेदन है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको हमने और जो कुछ भी यहां बिल सदन में रखा था यह बिल मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं को पूछ कर उनकी सलाह से और इस आश्वासन पर कि सदन में उनको इस बिल को सपोर्ट रहेगा इसे राज्य सरकार ने सदन में रखा था। यहां आने पर उन लोगों ने अपने अपने बयान खिलाफ में दे दिये तो फिर राज्य सरकार अपनी तरफ से जो क्लॉजेज इस बिल में रखना चाहती है और बिल को जिस तरह से सदन के सामने क्लॉज बाई क्लॉज रख कर बहस करना चाहती है वह करेगी। मैं निवेदन करूंगा कि यह सब विचारार्थ लिया गया था तो सदन में काफी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से इस पर बोल चुके हैं इसलिये इस पर क्लॉज बाई क्लॉज बिल को विचारार्थ ले लिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि बिल को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया गया।

खण्ड 2

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड दो को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 3

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

राजवी श्री रूपसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4

श्री दिग्विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल, प्रैस नहीं कर रहे हैं ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा ।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता, प्रैस नहीं कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया ।

श्री सभापति : खण्ड 5 में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

स्वीकार किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, खन्ड 6 को म वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं.........खन्ड 6 को वापिस देना मुनासिब न हो तो आप इसको गिराने के लिये, मैं राज्य सरकार की मंशा जाहिर करना चाहता हूं....मैं इसको वापिस.....

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता का संशोधन है इस पर ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : (श्री वित्त मंत्री जी की ओर मुखातिब होकर) मैं वापस ले लूं यह ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं वापिस ले रहा हूं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

खण्ड 6 अस्वीकृत किया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड 7 को भी मैं वापिस लेना चाहता हूं....यह गिर जाय तो यह न समझा जाय कि राज्य सरकार गिर गई है । मैं वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

खण्ड 7 अस्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के अधीन प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड एक के अधीन प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये गये ।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन पर विचार--क्रमशः

श्री सभापति : अनुसूचित जाति व जन जाति पर विचार । श्री मूल चन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय...

Page No 220

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय वे एक बार बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, आज जो घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं यह समझता हूं राज्य सरकार का समाजवाद की ओर कदम है। लेकिन जिस प्रकार मैं एक बात कहना चाहता हूं समाज कल्याण विभाग जिस ढंग से चल रहा है और जिस ढंग से काम कर रहा है, उसकी बाबत जो आलोचना है, यह देश बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको ऊपर लाने में समय लगता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी देश के अन्दर जो सुविधायें उपलब्ध हैं उसका लाभ लेने के लिए एक तरीका चाहिए। एक बात जो बार बार कही जाती है समाज कल्याण की उसका बजट बहुत कम है। मैं एक बात कहना चाहता हूं समाज कल्याण का असर सब विभागों में होना चाहिए। सिंचाई है, स्वायत्त शासन है इन सब विभागों से समाज कल्याण का संबंध होना चाहिए इस बात की जांच होनी चाहिए कि भिन्न भिन्न महकमों में कितने कितने लोग लिये जाते हैं। अगर आप इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो कितने लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट में लिये गये ? इसकी पूरी जांच होनी चाहिये। ये सदन के सामने पेश नहीं करते तो हम लोगों को क्या मालूम पड़े ?

दूसरी बात कहीं पी० डब्लू० डी० या दूसरे विभाग उन सब विभागों के अन्दर हमें आंकड़े अलग अलग मिलने चाहिएं कितने इंजीनियर लिये, कितने असिसटेन्ट इंजीनियर लिये, कितने सुपरवाईजर लिये और किन किन पदों पर लिये गये उनका पूरा ब्यौरा सदन के सामने आना चाहिए ताकि हम लोगों को पता लगे कि किन किन लोगों को लिया है। केवल पर्सेन्टेज बताने से मालूम नहीं होता है। सारे महकमों में यह सूची तैयार होनी चाहिये कि किस प्रकार अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को किन किन पदों पर किस-किस वर्ष में लिया है। आपके आंकड़ों से हम भ्रम जाल में पड़ जाते हैं इसलिये जरूरी है। दूसरी बात मैं हैड लोड के बारे में कहूं। गान्धी जयन्ति के अवसर पर हैड लोड समाप्त करने की बात है। मैं कहना चाहता हूं जैसे आपने जागीरदारी प्रथा खत्म कर दी लेकिन हरिजनों की यह प्रथा है, वह भी खत्म कर दीजिये। मलकानी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें यह बताया है सारे हरिजनों को समाज के जो लोग हैं उनकी सर्विसेज म्युनिसिपैलिटी अपने आप ले ले नहीं तो फ्लश की लेट्रीन बननी चाहिएं। फ्लश लेट्रीन्स की इजाजत दी जाय और पुरानी टट्टियां हैं उनको फ्लश में कनवर्ट करनी चाहिये। हैड लोड का जो प्रश्न है वह देश के लिये कलंक है। इसको सबने माना है:—

सकल पदारथ हैं जग मांही।
करमहीन नर पावत नाहीं।

कई बार हम लोग सोचते हैं और सारी ताकत लगाकर सरकार से मांग करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। म अनुसूचित जाति के भाईयों से प्रार्थना करूंगा, वे स्वाभिमान रखें। 20 साल बाद भी आज उनकी हालत स्वाभिमान की नहीं हो पाई, यह हमारे लिये बहुत दुःख की बात है, मेरा उनसे निवेदन है कि वे अपने स्वाभिमान को जाग्रत करें। हर बात में सरकार का मुंह देखना पड़ता है इसलिये समाज कल्याण विभाग में एक मिशिनरी की तरह काम होना चाहिए। हम यह आलोचना का विषय न बनाकर भेद-भाव न रखकर,

(श्री मूल चन्द डागा)

ऊंच नीच न रखकर इनकी हालत को ठीक करना चाहिए । हमें इस विषय में आगे बढ़ना सीखना होगा । सरकार ने आपको जो अधिकार दिये हैं मैं यह चाहता हूं, समाज कल्याण मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं, हर जो अनुसूचित जाति का एम०एल०ए० हो उनका गठन हो और 5-5, 4-4 का दल एक एक जिले में घूम घूम कर यह देखें कि जो सुविधायें अनुसूचित जातियों को मिलनी चाहिये वे मिल रही हैं या नहीं? उनके साथ सरकारी कर्मचारी भी हों—5 या 6 का गठन हो जाय और वे एम०एल०ए० एक-एक जिले में तीन-तीन बार दौरा करें । मेरे ख्याल से दोनों पार्टियों के 30-40 एम० एल० ए० यहां पर हैं । उनका अलग अलग क्षेत्र में दौरा होना चाहिये । भूमि एलॉट करते समय भी ध्यान में रखना चाहिये तब इन लोगों में जाग्रति आ सकती है । सभापति महोदय, जिले के अन्दर भूमि के एलॉटमेंट के प्रश्न को देखें, लाईट का प्रश्न है, उसको देखें—सब प्रश्नों को देखें । मैं एक बात पूछना चाहता हूं म्युनिसिपेलिटी में कौनसा प्रावधान है जिसके आधार पर आप एक हरिजन को कम कीमत पर जमीन दे सकते हैं? म्युनिसिपैलिटी के एक्ट के अन्दर, म्युनिसिपैलिटी के रूल्स के अन्दर कहीं प्रावधान नहीं है कि छोटी जाति के लोग हैं, उनको थोड़ी कीमत में एलॉट कर सकें एक बात आपने अच्छी की कि 2 हजार या 3 हजार का मकान बनाकर देना चाहते हैं और बिना ब्याज के करना चाहते हैं । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस गांधी शताब्दी के वर्ष के अन्दर जो लो हाउसिंग स्कीम का पैसा है आप दो साल के लिये वह पैसा सवर्णों को न देकर इन लोगों को दे दीजिये । एक प्रकार से नया इन्कलाब पैदा हो जायेगा । जब आप कदम आगे बढाना चाहते हैं तो जितना लो हाउसिंग स्कीम का पैसा आता है तो आप करीब 5 या 3 साल के लिये सारा पैसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये दे दीजिये । मैं समझता हूं कि इनके सारे मकान बन जायेंगे और इनसे बिना ब्याज के रकम वसूल कीजिये । आपको हिम्मत का कदम उठाना है तो उठाइये ।

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलग बोर्डिंग हैं यह नहीं होना चाहिए । उनके अलग कुएं हैं उसके लिए भी लोन देना बन्द कर दीजिये । जहां सवर्ण लोग पानी पीते हैं या सवर्ण जिन कुओं का उपयोग करते हैं उसी जगह पर उनको जाने दीजिये । जो कदम समाज कल्याण विभाग लेना चाहता है उसको दृढता के साथ लें । बहुत काम करने के बाद भी जो लोग चाहते हैं कि एक दिन में ही कांग्रेस सारा काम करती तो यह कैसे हो सकता है और न जाने लोग क्या क्या कह रहे थे । जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग आगे बढ़ने लगे हैं तो उनमें प्रेरणा होनी चाहिये कि जो माननीय सदस्य बन जाते हैं वह अपने अपने क्षेत्रों में काम करें । लेकिन जो लोग सदस्य बन जाते हैं वह अपने हित के सिवाय और कुछ नहीं करते और इनकी तरफ ध्यान नहीं देते ।

एक बात मैं और कहना चाहता था और वह यह है कि समाज कल्याण विभाग के मामले में जो भूमि एलॉटमेंट की आपने घोषणा की आपकी जो पेटे काश्त की जमीन है जो आप एक साल के लिए एलॉट करते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

समाज कल्याण मंत्रीजी थोड़ा ध्यान दें कि जो पेटे काश्त की जमीन होती है और पेटे काश्त की जमीन का एक साल के लिए एलॉटमेन्ट होता है वह सारी भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को मिलनी चाहिए। वह पेटे काश्त की भूमि दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि एक साल का एलॉटमेंट होता है वह उनको दिया जा सकता है चाहे मेजर स्कीम में हो या माईनर स्कीम में हो। इनको आगे बढ़ाने का तरीका भी यही है। चालीस और चालीस याने 80 रुपये की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को मिलती है लेकिन जो आपके मेडिकल कॉलेजेज हैं, जो आपके इन्जीनियरिंग कॉलेजेज हैं उन कॉलेजेज के अन्दर ऐसा करना चाहिए कि अगर कम पर्सेन्टेज भी लड़कों के आती है तो भी उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : समाज कल्याण मंत्री !

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री समाज कल्याण) : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान····

श्री भैरोंसिंह : हमारी पार्टी को तो समय ही नहीं दिया।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ऐसा प्रतीत होता है कि सदन आगे कार्यवाही चलाने के मूड में नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह सभापति महोदय आपको कैसे मालूम ?

श्री नत्थीसिंह : आगे चलाने के पक्ष में हैं लेकिन ट्रेजरी बेन्चेज तो गड़बड़ी करती हैं समाज कल्याण की रिपोर्ट पर बहस चल रही है और झट से व्हिप साहब ने बिल पास करा दिया। आप आसन पर थे। ऐसे नहीं होना चाहिए। नोटिस दिया जाना चाहिए। समाज-कल्याण का विषय चल रहा था और बीच में ही इस तरह से कर दिया जाय, यह उचित नहीं है : हमको तो कहा जा रहा था कि वापिस लिया जा रहा है और बीच में ही हम थोड़ा गये और सदन में चुपचाप पास करा लिया जाता है ऐसा क्यों होता है···

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : माननीय सभापति महोदय....

श्री श्रवणलाल : हमारी पार्टी को समय नहीं मिला।

श्री सभापति : अच्छा, श्री श्रवणलाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण के आयोग की रिपोर्ट जो पेश की गई है उसके संबंध में काफी माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव और विचार व्यक्त कर चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, आज जो मंत्री महोदय ने कुछ घोषणायें की हैं और उन घोषणाओं से हाउस के अन्दर बड़ी जोरों से तालियां बजाई गई हैं, तालियां बजाना भी एक स्वाभाविक बात है। हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पेश होती है वह काफी देर से आती है। अब की बार दो साल के बाद रिपोर्ट आई है। सभापति महोदय, इस समय हमारे राजस्थान के अन्दर करीब 2 करोड़ 15 लाख 50 हजार की सन् 1961

(श्री श्रवणलाल)

की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है और उसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के करीब 42 लाख के आसपास हैं। इस प्रकार से हमारी राजस्थान सरकार ने और भारत सरकार ने 22 साल के अरसे में लाखों रुपया खर्च किया है इन पिछड़ी हुई जाति के लिये और समाज सुधार के लिये और इनको किस प्रकार से ऊपर लाया जाये इस विचार को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा चाहे वह किसी भी प्रकार के संघ हों, चाहे वह किसी प्रकार की सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहे हों, सभापति महोदय, इस प्रकार से हमारा जो साढ़े 12 प्रतिशत रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के अनुसार यहां नियुक्तियां की गयी हैं ऐसी घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा भी काफी समय पहले की गई थी। सभापति महोदय, हम आंकड़े उठाकर देखें तो यह साढ़े 12 प्रतिशत हम किसी भी डिपार्टमेंट में देखें तो नहीं मिलेगा। इसका उदाहरण मैं सचिवालय के अन्दर का देता हूं। वह मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में दी हुई सूचना के अनुसार आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर इस प्रकार की भावना को लेकर हमारे साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। साढ़े बारह प्रतिशत का जो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसके लिए इन्हीं के द्वारा दी गई सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसके अन्दर करीब करीब 42 विभाग आते हैं। इन 42 विभागों के अन्दर जिनके अन्दर 15 जिले भी शामिल हैं, और इन 15 जिलों के अन्दर करीब 10 विभागों के अन्दर तो इस प्रकार की सूचना मिली है कि कोटा पूरा नहीं किया गया, 15 इस प्रकार के हैं कि जिनके अन्दर यह लिखा गया है कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस उत्तर प्राप्त नहीं होने का मतलब यह है कि वहां पर किसी भी प्रकार की इस कोटे की जो पूर्ति होनी चाहिये थी वह पूर्ति नहीं की गई है। इसलिए इसको जानबूझ कर टाला गया है। और इसी तरह से जो 5 विभाग हैं उनके अन्दर भी यह लिखा है कि कोटा पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह से चाहे किसी भी विभाग को उठा कर देख लें और उसकी इस तरह से एन्क्वायरी की जाय तो हमें जो साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा मिलना चाहिए था उसके अन्दर हमें इस प्रकार की निल रिपोर्ट मिलेगी।

सभापति महोदय, कुछ इस प्रकार की सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई गईं कि एम्प्लॉयमेंट में किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जाने की जरूरत नहीं। उनके लिए एक अलग विभाग की नियुक्ति की गई है जो एपॉइन्टमेंट (5) नाम से सचिवालय के अन्दर है। वहां से वे एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराकर किसी भी डिपार्टमेंट को अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। सभापति महोदय, इस प्रकार से जो जो नियुक्तियां जिस जिस डिपार्टमेंट में होने को होती हैं तो उनके लिए उस डिपार्टमेंट के अन्दर वहां से अपनी एप्लीकेशन वहां से फॉरवर्ड कराकर ले जाते हैं। मैं आपके द्वारा जो विभाग माननीय मंत्री जी के नीचे हैं, जो स्टेट इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट है उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। उसके अन्दर वह एप्लीकेशन्स वहां से फॉरवर्ड की हुई थीं तो उन एप्लीकेशन्स को उठा कर ताक में रख दिया गया। उन पर किसी प्रकार का जो इन्टरव्यू होने वाला था उसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। उसके

(श्री श्रवणलाल)

साथ साथ क्या होता है कि डिप्टी मिनिस्टर को कहा कि इस प्रकार से राज्य सरकार के बनाये हुए नियमों की अवहेलना की जाती है, उनको किसी प्रकार से अमल में नहीं लाया जाता है, तो, सभापति महोदय, क्या होता है कि दूसरे दिन बहुत मुश्किल से उनकी इन्टर-व्यू लेते हैं और इन्टरव्यू के अन्दर क्या होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थी हैं जो वहां पर अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कराकर पहुंचते हैं उनके लिए इस प्रकार का रिटन टैस्ट का पेपर देते हैं कि कोई भी पास नहीं हो सकता। इस प्रकार का भेद-भाव वहां पर बरता जाता है। वहां पर 45 नियुक्तियां होती हैं और उन नियुक्तियों के अन्दर एक भी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति को नियुक्ति नहीं देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां तो पहले से ही कोटा पूरा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात के लिए ये आदेश निकालें कि जिस किसी विभाग में कोटा पूरा हो या नहीं इसकी हमें चिन्ता नहीं, लेकिन जिन विभागों में कोटा पूरा नहीं हो उनमें सेन्ट पर्सेन्ट इनको लिया जाय, तब तो यह होगा। जिन विभागों में कोटा पूरा नहीं हुआ है उनमें सेन्ट पर्सेन्ट लेकर उन व्यक्तियों को एपॉइन्ट किया जाय नहीं तो क्या होगा कि जिन विभागों के अन्दर पहले नियुक्तियां की गई हैं और जिनके पास में कोटा नहीं है वे क्या करते हैं कि जो भी वेकेन्सीज निकलती हैं उन पर सवर्ण कास्ट के लोगों को एपाइन्टमेन्ट दे देते हैं और कह देते हैं कि हमारे यहां पहले से ही पूरा कोटा हो गया है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की धान्धलीबाजी नहीं होनी चाहिए। चाहे कोटा पूरा हो या न हो और पिछले कोटा के अन्दर किसी प्रकार से वह हो इसकी चिन्ता नहीं करते हुए जिनका एपाइन्टमेन्ट होता है उनमें हमारे हिसाब से कोटा लेना चाहिए।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा जो कोटा पूरा नहीं होता है उसकी एक मिसाल और भी देना चाहता हूं। आज क्या होता है? कोटा पूरा नहीं होता है और अगर सरप्लस होते हैं तो उसमें अधिकतर शिड्यल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को निकाला जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चपरासी जैसी पोस्टों पर जो काम करते हैं उन तक को निकाल दिया जाता है जब कि गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को कहीं पर भी किसी को नहीं हटाया जायेगा।

इसी तरह से सभापति महोदय, हमारे समाज के लिए जो इन्होंने कार्यक्रम किया है और करते चले जा रहे हैं और अनेक प्रकार की योजनाओं के द्वारा चिकनी-चुपड़ी इस प्रकार की किताबें बना-बना कर जो देखने में बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी खूबसूरत किताबें छपाते हैं और यह दिखाते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। किताबें देखते हुए हमारी बात वह आती है।

यहां पर एक स्कीम बनाई उसमें छात्रवृत्ति का सवाल है उसको मैं यहां पर बताना चाहूंगा। छात्रवृत्ति में भी उसी प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार होता है वह भी माननीय सदस्यों को मालूम है। सभापति महोदय, यह हो

(श्री श्रवणलाल)

सकता है कि शहरों में इस प्रकार की गड़-बड़ियां कम होती हैं, यह हो सकता है कि यहां पर एज्यूकेटेड आदमी होने के कारण नहीं होता हो और वहां पर उनको सेन्ट पर्सेन्ट छात्रवृत्तियां मिल जाती हैं, लेकिन जहां पर विलेज एरिया है, जहां पर देहात है वहां पर जो उन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां होती हैं उनमें से 25 पर्सेन्ट, मैंने तो यहां तक देखा है और मैंने पिछली असेम्बली में प्रश्न उठाया था कि 50 पर्सेन्ट की जब तक कटौती न हो जाय, जब तक उस बांटने वाले को 50 पर्सेन्ट नहीं मिल जाता है तब तक छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

इसी प्रकार से मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि छात्रवृत्तियों के अन्दर किस प्रकार का भेद-भाव किया जाता है। सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिला एक बैकवर्ड एरिया है जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का घोषित किया हुआ है, उसमें किस प्रकार से इन्होंने मतलब यह है कि अपने आपको महसूस करके किस प्रकार से छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिएं, इसका एक उदाहरण मैं आपके द्वारा यहां पर किस प्रकार से आज मनमानी की जाती है छात्रवृत्ति के अन्दर, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 लाख 65 हजार है भरतपुर में। 17 लाख 51 हजार छात्रवृत्ति हैं। डूंगरपुर-30, बांसवाड़ा–24। जयपुर-22। उदयपुर-44 के करीब दी जाती हैं। इस प्रकार से यह भेद-भाव बरता जाता है। इस प्रकार जहां जहां इस प्रकार की जनसंख्या ज्यादा है। जहां जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति ज्यादा रहते हैं, उनको दी जानी चाहिए। इसी तरह से सभापति महोदय, हाउस स्कीम चली है। जितनी कॉलोनी अब तक बनी हैं, वह शहरों में बनी हैं। उसके भी आंकड़े उठाकर देखे जायें तो जो भी कॉलोनी बनी है वह आज भी पूरी नहीं हैं।

देखा जाय तो हमें यह महसूस होगा कि हमारी राज्य सरकार ने 34 के करीब कॉलोनी बनाई हैं। अगर उनकी हालत देखी जाये कि कितने मकान बने हैं, कितने नहीं बने हैं। किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस पत्र से साफ जाहिर होता है कि 34 कॉलोनी बनी हैं। जो बाकी हैं उनके युटिलाईजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरा टोटल 45 कॉलोनी बन पाई हैं। देखा जाये तो, सभापति महोदय, 50 पर्सेंट काम में नहीं आयी हैं। इन कॉलोनियों में धांधली होती है। पहले बजट आता था तो समाज कल्याण विभाग के थ्रू आता था। जब यह जिला परिषद् और पंचायत समितियों के अन्दर गया है। तब से इस विभाग का कोई कार्य नहीं रहा है। समाज कल्याण विभाग के पास बजाय हाउस बजट, तकावी का बजट हैं। उसमें मनमानी होती है। पंचायतों में सरपंच, विकास अधिकारी, का लेना देना है, प्रधान और उसके रिश्तेदारों को उन्हीं को मिलता है।

श्री जगन्नाथ : गलत, गलत मैं भी बोलूंगा।

श्री श्रवणलाल : मैंने सुना नहीं।

श्री जगन्नाथ : मैं भी बोलूंगा मैं डरने वाला नहीं हूं।

श्री श्रवणलाल : लेकिन मैं आयाराम गयाराम नहीं हूं।

श्री जगन्नाथ : मैं भी डरने वाला नहीं हूं ।

श्री श्रवणलाल : जो भी इस विभाग का पैसा सेंक्शन होता है इसके नाम से होता है । लेकिन सदुपयोग इनके हाथ में नहीं रहा है । वह दूसरे इस पैसे का वितरण करने वाली इकाई है । इसलिए मैं आप के द्वारा समाज कल्याण मंत्री से कहना चाहूंगा, जिस विभाग को पैसा मिलता है, उसके द्वारा ही वितरण होना चाहिए ।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह रखना चाहता हूं कि हमारे समाज कल्याण के साथ कई संघ बने हुए हैं । जैसे कि दलित वर्ग संघ है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह अमृतलाल यादव के मोटर गैरेज में चलता है । ऑफिस मुझे पता नहीं है कहां चलता है । सभापति महोदय, यह दलित वर्ग संघ क्या करता है । इसके अन्दर 21 सदस्य हैं । इन 21 सदस्यों में सभापति महोदय आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, एक तो उसके सदस्य मंत्री भी हैं । मन्त्री की पत्नी भी हैं । एक पालियामेंट के सदस्य भी हैं । उनकी पत्नी भी हैं । आप यह चाहेंगे कि यहां पति और पत्नि का क्या काम है ? यहां तो कार्य करना है । पालिया-मेंट के सदस्य की पत्नी का क्या काम है ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें भत्ता मिलता है क्या, मीटिंग अटेंड करते हैं तो ?

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि भत्ता मिलता है या नहीं । जो प्रचारक होते हैं उनको 100 रु० मिलता है । जो सहायक प्रचारक होते हैं उनको 80 रु० मिलता है । सभापति महोदय, मैं भी काफी जिलों में घूमा हूं । मैंने काफी कोशिश की है कि कोई प्रचारक मुझे मिलें । लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिला कि वहां प्रचारक कहां है ? आज उस पैसे को इस प्रकार से बटोरा जाता है । इसलिए कि वोट के खातिर इन्सान खड़े कर रखे हैं । दलाल खड़े कर रखे हैं । 80 रु० और 100 रु० तनख्वाह मिलती है । 5 साल में एक बार काम पड़ता है । इन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा है एक जगह । यह रिपोर्ट में लिखा है:––

"उदयपुर ज़िले में नीची ओढान, चारभुजा तथा देलवारा ग्राम और पाली जिले में सांडेराव तथा देसूरी ।"

इनका कार्य क्या है, इसके लिये लिखा है––

"हरिजन सेवक संघ तथा भारत दलित वर्ग संघ के प्रचारकों के पहले ही दौरों के पश्चात भी पांचों ही ग्रामों में मन्दिरों, चाय की दुकानों, भोजनालयों, नाई की दुकानों में प्रवेश तथा धोबियों की सेवाओं व पीने के पानी के कुओं आदि के प्रयोग के संबंध में अब भी अस्पृश्यता का व्यवहार होता था ।"

आगे वह लिखते हैं:––

"अनुसूचित जातियों के 34 तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 4 निवेदकों में से 20 (53 प्रतिशत) को उनके ग्रामों में प्रचारकों के दौरों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी ।

प्रचारकों द्वारा किये गये प्रचार का प्रभाव प्रत्यक्षतः स्थायी रूप का नहीं था । नाईयों, चाय के दुकानदारों आदि की जो सेवायें अनुसूचित जातियों को उनके प्रयत्नों द्वारा उपलब्ध हुई थीं, वे प्रचारकों के ग्राम छोड़ते ही बन्द हो गईं ।"

(श्री श्रवणलाल)

इस दलित वर्ग के ऊपर जो उन्होंने खर्च किया, उसके आंकड़े मेरे पास थे।

तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे इस पैसे का दुरुपयोग किया है। सभापति महोदय, मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस पैसे को इस प्रकार से न देकर अगर पढ़ाई में बच्चों की पढाई में लगाया जाता तो हमारे बच्चे काफी योग्य बनकर आगे आते अपने आप निजी सुधार में परिवर्तन हो जाता। सभापति महोदय, इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि यह जो हाउस एलॉटमेंट का मामला है, प्लॉटों का मामला है। आज यह हमें दूर रखना चाहते हैं। हमारी अलग से कॉलोनी बनाते हैं। आज भी छूआछूत रखते ह। इसलिये अलग से कॉलोनी बनाते हैं। सभापति महोदय, आज हमें यह आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं ऐसे स्थानों पर जहां पर सवर्ण के रहने के स्थान हैं, ऐसी जगहों पर क्यों नहीं बसाया जाय? उनके साथ-साथ रहने से लोग अपना रहन-सहन बढ़ायेंगे। इस तरह से उनको आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए अलग से कॉलोनी नहीं बनाई जायें। इसी तरह से पीने के पानी की समस्या सारे राजस्थान में है। बहुत सी जगहों में नालियों से पानी पीना पड़ता है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां गन्दे तालाबों से उनको पानी लेना पड़ता है। आज कहते हैं कि हमने बहुत से कुएं खुदवा दिये हैं हमें अलग से कुओं की ज़रूरत नहीं है। अलग से हमारे साथ भेद-भाव बढ़ाते हैं। योजना सैंक्शन करते हैं। हरिजनों के कुएं बनवाये जाते हैं। आखिर हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी सवर्ण कुएं से पानी भरते हैं जिस तालाब से वह पानी भरते हैं, उसी जगह से जाकर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पानी भरेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप वोटों के बल पर हैं। आज सरकार भी उन्हीं बल पर वोटों की खरीद-फरोख्त करती है। आज उन्हीं को खरीद कर गवर्नमेंट बनाते हैं। सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था, हमारे साथ अनेक केसेज होते हैं। सभापति महोदय, अब मैं जमीनों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का समय एक घन्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

(8 म० प०)

श्री श्रवणलाल: सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने घोषणा की, मैं उसका स्वागत करता हूं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो जो घोषणा की है, उसके अंदर पहले तो जमीन नहीं है और जमीन भी हो कहीं तो वह मिल नहीं सकती। इसका कारण यह है कि हरिजनों को, चाहे शिड्युल्ड कास्ट्स के लोग हों या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों, उनको जमीन कहीं एलॉट हो गई तो उनको कब्जा नहीं मिल सकता है चाहे तहसीलदार मुकर्रर करें या चाहे पुलिस को मुकर्रर किया जाय उनको कब्जा नहीं मिल सकता है। वह इसलिए नहीं मिल सकता है कि जमीन एलॉट ऐसी जगह पर की जाती है जहां पहले से ही कुछ आदमियों का कब्जा होता है, इसलिये ख़ाली वह नहीं करा सकते, दूसरे उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उनके पास पैसा इतना नहीं है कि वह कोर्ट में जायं। तो आज जो यह कहा है कि हम दो साल के अन्दर जो जमीन एलॉट करेंगे वह हरिजनों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स

(श्री श्रवणलाल)

और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देंगे, उसके साथ मुझे यह आशा है कि ऐसे केसेज जितने भी चल रहे हैं, जितने आदमियों को पहले जमीन एलॉट हो गई है। यदि उचित समझें तो इस प्रकार के आदेश निकाल दिये जायं कि जितने व्यक्तियों के जितने केसेज हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केसेज चल रहे हैं जमीन के सम्बन्ध में, जिनको जमीन एलॉट हो गई है और जमीन का कब्जा नहीं मिला है या और कोई बात है तो एक महीने के अन्दर अन्दर किसी प्रकार उनको कब्जा दिला कर जमीन उनके सुपुर्द कर दी जायेगी। सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार आज एम्प्लॉइज के द्वारा भेद-भाव बरता जाता है। एक विद्यार्थी ने एक फॉर्म भरा, फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। वह भी महसूस करते हैं इस बात को कि किसी प्रकार की गलती नहीं है और उस फॉर्म के अन्दर सभी बातों से वह एग्री करते हैं। मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं। उसके अन्दर जो कॉलम हैं, जिनके अन्दर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं लगा हुआ है, उसमें कॉलम नम्बर एक है: "आपका आवेदन इस कार्यालय में निश्चित तिथि के बाद प्राप्त हुआ है।" इसमें टिक मार्क नहीं है, यानि सही तिथि को पहुंच गया है। इसके बाद दूसरा है: "आपका आवेदन आयोग के निर्धारित फॉर्म पर नहीं है।" यह कॉलम भी सही है, किसी प्रकार का इस पर कोई टिक मार्क नहीं है। इसके बाद है: "आपके आवेदन के साथ आवश्यक शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, कम शुल्क प्राप्त हुआ।" इसमें भी किसी प्रकार का टिक मार्क नहीं है, क्योंकि पांच रुपये का पोस्टल आॅर्डर लगा हुआ था। इसके बाद है "आपको भू-विज्ञान का अनिवार्य अनुभव प्राप्त नहीं है।" इसमें भी किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद है:— "आपको विज्ञापन के अनुसार विज्ञान कला का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है" इसमें भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। सभापति महोदय, आब्जेक्शन कहां आता है, क्योंकि यह शिड्यूल्ड कास्ट्स का था, इसलिए ऑब्जेक्शन इस में आता है: "आप विज्ञापन के अनुसार योग्य पात्र हैं किन्तु अभ्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण केवल योग्य व्यक्तियों को ही बुला सकते हैं, अतः आपको साक्षात्कार के लिये बुलाना सम्भव नहीं हो सकता।" आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, ऐसे व्यक्तियों का इन्टरव्यू वगैरा लेना तो दूर रहा लेकिन इन्टरव्यू के पहले फार्म पर लिख कर भेज दिया कि अभ्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण साक्षात्कार के लिये नहीं बुलाया जा सकता, यानि योग्य तो जरूर हो, लायक तो जरूर हो लेकिन अभ्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण इन्टरव्यू में नहीं बुलाया जा सकता। मैं इसका नाम भी बता दूं...

श्री लादूराम सुलानिया: कौन सा ऑफिस है?

श्री श्रवणलाल: राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग।

श्री लादूराम सुलानिया: क्या नाम है?

श्री श्रवणलाल: इसका नाम है, रामसिंह अजमेर।

इस प्रकार शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किस प्रकार से परेशान किया जाता है। सभापति महोदय, आपने इसी प्रकार से सुना होगा, इस बात पर पहले भी इसी सदन में चर्चा हो चुकी है

(श्री श्रवणलाल)

सुंदर्शनपुरा के अंदर हरिजन परिवारों के पच्चीस मकान बने हुए थे, उनके जो मकान बने हुए थे....

श्री लाधूराम सुलानिया : यह डबल एम० ए० हैं। यह क्या कह रहे हैं, सुनिये।

श्री श्रवणलाल : उनको किस प्रकार से उजाड़ा गया और उजाड़कर उनके पूरे माल को ले गये। इस सम्बन्ध मे यह डिप्टी मिनिस्टर के पास गये, अधिकारियों के पास गये, मंत्रियों के पास गये, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको उजाड़ दिया गया और उनके पूरे माल को ले गये, सभापति महोदय, उस माल का क्या हुआ, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ क्योंकि यह मामला पहले आ चुका है, लेकिन पहले आने के बाद भी अब क्या हुआ कि वह जितना भी माल था, वहां के तहसीलदार ने सांठ गांठ की, माल उन हरिजनों का था, उन हरिजनों के माल को सांठ गांठ करके तहसीलदार ने सवर्णों को दे दिया, जबर्दस्ती दे दिया, इस प्रकार दे दिया कि इस माल का कब्जा ले लिया। मैं आपको उसका नाम भी बता दूं, वह रामश्वर प्रसाद और घासी लाल हैं कोई, यह पूरा का पूरा माल तहसीलदार के द्वारा हरिजनों का माल जो 15 अगस्त की रात को ले जाया गया था मिलिट्री के द्वारा, आज उस माल को उनको दे दिया गया है और आज भी वह बेचारे पच्चीस परिवार रोते फिर रहे हैं और उनका पूरा माल ले जाकर उनको तबाह कर दिया है। और आज यह सरकार उनके साथ इस प्रकार अन्याय कर रही है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यह सागड़ी प्रथा भी आज चालू है। राजस्थान के अन्दर सन् 1963 के अन्दर एक सर्वे किया गया था वह सर्वे किस बात के लिए कि आमदनी प्रति व्यक्ति क्या है, वह किस प्रकार की आय है ? इस प्रकार आय का सर्वे किया गया और सर्वे कमेटी ने पूरे मसलों में सर्वे किया उसके आधार पर यह पाया गया उस सर्वे रिपोर्ट के अन्दर इनको बहुत ही दयनीय स्थिति के अन्दर पाया गया, और उसके अन्दर यह पाया गया कि सैंतीस नये पैसे डूंगरपुर के अन्दर, चालीस पैसे बीकानेर के अन्दर और पचास पैसे पूरे राजस्थान के अन्दर इनकी आय है। जो सर्वे हुई उसके अन्दर इस प्रकार की स्थिति पाई गई। सभापति महोदय, इसके अन्दर पाया गया कि इनकी दयनीय स्थिति है। जो इस प्रकार की सैंतीस, चालीस और पचास पैसे प्रति व्यक्ति की आय है, वह सागड़ी प्रथा आज भी मौजूद है और इसके उत्थान के लिए किसी प्रकार का भी कार्य नहीं किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस प्रकार की आय को देखते हुए जो ऋण उन पर बढा हुआ है, वह ऋण जो सौ रुपये था, वह बढ कर अब डेढ सौ के आस पास हो गया है। इस समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अन्दर यह बात लिखी हुई है, इसके अन्दर कहा है, राजस्थान सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया कि राज्य में जब तक किसी भी प्रकार.........

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दें। काफी समय ले लिया है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, हमें दुख के साथ, अफसोस के साथ आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कहना पड़ता है, साल भर में एक बार समाज कल्याण पर बोलने का हमें मौका मिलता है, उसके अन्दर भी दो दिन बहस के लिए रखे और वह भी बहस रात के समय में हो, दिन में हमको बहस का समय नहीं दिया जाता है ऐसी स्थिति में बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी है, क्योंकि जहां पचास पर्सेन्ट के आस पास आदिवासी, अनूसूचित जाति और जन-जाति के लोग हैं......

श्री सभापति : काफी समय ले लिया है, माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : वहां इस प्रकार दो दिन इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए रखे जाते हैं और हमसे यह आशा की जाती है कि समयाभाव के कारण ज्यादा समय नहीं लेते हुए संक्षेप में बोलें, सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा.........

श्री मूलचन्द डागा : मैं खत्म कर देता हूं।

श्री श्रवणलाल : हम यह चाहेंगे, पहले भी मांग की थी, इसके लिए हमें एक दिन का समय और दिया जाय, वह सम्भव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं होने के कारण मैं प्रार्थना करूंगा.....

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये, माननीय सदस्य ! अपनी बात कह दीजिये !

श्री श्रवणलाल : तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था...

श्री लाबूराम सुलानिया : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय सभापति महोदय, आसन से यह आदेश हुआ था माननीय समाज कल्याण मंत्री को सम्बोधित करके यह आदेश हुआ था कि सारे विभागों के मंत्री महोदय यहां हाउस में बिराजें क्योंकि हरिजनों की इस रिपोर्ट से सारे मंत्रियों का सारे विभागों से सम्बन्ध ह। ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। श्री श्रवणलाल, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री श्रवणलाल : तो माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि अनुसचित जाति और जन-जाति के बच्चों के लिये छात्रावास चलायें जा रहे हैं, उनकी स्थिति को देखें तो उनकी बड़ी चिन्ताजनक स्थिति है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में काफी रोष प्रकट किया है। ऐसी बात नहीं है कि वहां देख रेख नहीं होती है, विभाग की ओर से काफी चेष्टा करते हुए भी और काफी शो दिखाते हुए भी कि हम काफी देखभाल कर रहे हैं, किसी भी होस्टल को देख लें, सभापति महोदय, आपने भी दो चार होस्टलों को देखा होगा जहां आदिम जाति और अनुसूचित जाति के होस्टल्स चलाये जाते हैं, वहां किस प्रकार का खाना उनको मिलता है। उनको पहले 10 पैसे नाश्ते के मिलते थे, अब 10 पैसे की जगह 25 पैसे नाश्ते के मिलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 25 पैसे में क्या नाश्ता मिल सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान इन होस्टलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां न खाने की व्यवस्था है, किताबें देरी से मिलती हैं, किताबों की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की सुविधाएं वहां पर छात्रों को देरी से उपलब्ध होती हैं और इस सबके परिणाम-

(श्री श्रवणलाल)

स्वरूप होस्टलों में पढ़ने वाले छात्रों का पर्सेंटेज गिरता जाता है। पर्सेंटेज गिरने का मुख्य कारण यह है कि इन होस्टलों में छात्रों को भर पेट रोटी नहीं मिलती है, अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं, आटा खराब होता है, सब्जी सड़ी गली होती है। इससे उन छात्रों की शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर होती है और इस सबका नतीजा यह होता है कि सेंट पर्सेन्ट हमारा परसेंटेज इन होस्टलों में गिरता जा रहा है। यह बहुत महत्व की चीज है, आज होस्टलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वे ही हमारे राष्ट्र के होनहार नागरिक हैं, हमारे समाज को चलाने वाले हैं, वे ही हमारे समाज की भावी पीढ़ी हैं। इसलिये इन होस्टल्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को कहें कि वे इन छात्रों के लिये किसी प्रकार की कटौती नहीं करें। कोई इस सम्बन्ध में शिकायत करता है तो विभाग उन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करता है।

भरतपुर के अपने एक होस्टल के बारे में मैं कहूंगा जहां रंगे हाथों उस होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट को पैसे खाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह व्यापारियों से सांठ गांठ करता था, सब्जी वाले से सांठ गांठ करता था, दूसरी अनेक प्रकार की सुविधाओं की चीजें हैं, कपड़ा स्टेशनरी सम्बन्धी चीजें हैं उन सबम सांठ गांठ करता था, इन सब चीजों में उसका पर्सेंटेज बंधा हुआ था और वह रुपया उसके घर पहुंच जाता था, इस प्रकार वह अभी अभी एन्टी-करप्शन म पकड़ा गया है, इस मामले के अन्दर..

डा० गंगासहाय (कठूमर-सु०): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जैसा माननीय श्रवणलालजी कह रहे हैं छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेन्ट गड़बड़ी करते हैं वे निश्चित रूप से गड़बड़ी करेंगे क्योंकि उनको वेतन केवल 90 रुपया देते हैं, इससे उसका पेट कैसे भरेगा ?

श्री श्रवणलाल: इस तरह की अनेकों बहुत लम्बी चौड़ी शिकायतें हैं, उनको बताने के लिये समय नहीं हैं, मैं उनको सदन की मेज पर रखूंगा। कई कर्मचारी हैं वे यदि इनकी शिकायतें करते हैं तो बगैर चार्जशीट के उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं और उनको धमकी देते हैं कि मेरे खिलाफ बयान नहीं होने चाहिए नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। कर्मचारियों को इस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं।

इसके साथ ही साथ मैं यह और कहना चाहूंगा कि आज एडेड होस्टल्स चलते हैं, उनकी व्यवस्था भी बहुत खराब है। मेरे जिले में 3 होस्टल्स चलते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि उन होस्टल्स को चैक करिये। वहां लड़कों की संख्या को चैक करिये और कागजों में जो लड़कों की संख्या है, उसको चैक करिये कागजों में लड़कों की संख्या मिल सकती है, रजिस्टर में लड़कों की एन्ट्री है पर होस्टल्स में वास्तव में उतने लड़के नहीं है, कागजों में जो संख्या है वह स्कूलों से भी साबित नहीं होगी। इस प्रकार के केसेज मैं बताऊंगा। फर्जी हाजरियां भर कर, फर्जी नाम एन्टर किये जाते हैं और फर्जी एड उठाई जाती है। इसके साथ ही साथ मुख्य गड़बड़ी यह है कि होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट शिक्षित नहीं हैं और इस कारण होस्टल्स में रहने वाले लड़कों पर बुरा असर पड़ता है। है। होस्टल्स में ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री सभापति : ऑडर, ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, ये शब्द एक्सपन्ज किये जाने चाहिये।

श्री सभापति : एक्सपन्ज किये जायं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य के यदि ध्यान में हो तो क्या वे इस प्रकार की एक भी इन्स्टान्स बतायेंगे ?

श्री श्रवणलाल : मेरे पास पेम्पलैट ह, कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री मूलचन्द डागा : और रूप में कह सकते हैं।

श्री श्रवणलाल: अच्छा यह कह देता हूं कि XXX

श्री सभापति : इन शब्दों को भी एक्स्पन्ज किया जाय।

श्री श्रवणलाल: मैं यह पेम्पलैट पढ़ देता हूं।

श्री सभापति:आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

श्री सूरजमल !

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं दस मिनिट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : मैं सिर्फ 10 मिनिट लेना चाहता हूं। बहुत ही जल्दी समाप्त कर दूंगा। मैं मंत्री महोदय को कुछ सुझाव दे देता हूं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आपने काफी समय ले लिया है, आपने करीब एक घंटे का समय लिया है। 9 बजने वाले हैं। सभी माननीय सदस्यों को समय देना जरूरी है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सूरजमल !

श्री विशम्भरनाथ जोशी : गवर्नमेंट रिप्लाई के लिये समय मुकर्रर करेंगे कि कितने बजे गवर्नमेंट रिप्लाई दिया जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : यह तो 12 बजे तक चलेगी, इसलिये सभी को बोलने का समय दें।

श्री सभापति : माननीय श्रवणलालजी 2 मिनिट में आप समाप्त करें।

श्री श्रवणलाल : मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे सुझाव ये हैं कि होस्टल्स के लिये, जितने भी छात्रावास चलते हैं, चाहे गवर्नमेंट एडेड हों, चाहे राज्य सरकार चलाती हो, उनके लिये हमें इस प्रकार की एक कमेटी यहां नियुक्त करनी चाहिये जिसके द्वारा महीने दो महीने में होस्टल्स का चैकिंग किया जाता रहे, जिससे हमारें बच्चों को जिन चीजों की सुविधा मिलनी चाहिये, वे सुविधाएं उन छात्रों को बदस्तूर मिलती रहें।

दूसरा मेरा सुझाव यह हैं कि जितने दलित वर्ग संघ के नाम पर खर्च किये जा रहे हैं उन सबको बन्द करके वह सब पैसा हमारे विद्यार्थियों की किताबों और छात्रवृत्ति आदि पर खर्च किया जाय। दलित वर्ग संघों का सब का सब पैसा उधर कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिये।

(श्री श्रवणलाल)

तीसरा मेरा सुझाव है कि समाज कल्याण विभाग में एक्सचेंज बना हुआ है, पैसा इनके नाम पर ड्रॉ होता है लेकिन वितरण कुछ नहीं होता है चाहे वह छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे हाउस लोन का पैसा हो, चाहे कुएं की मरम्मत का पैसा हो, चाहे दूसरी किसी भी सुविधा के लिए पैसा दिया जाता है, वह समाज कल्याण के मारफत मिलना चाहिए उसके मारफत ही बंटवारा होना चाहिए ।

चौथा सुझाव है कि जितनी भी एड है, छात्रवृत्ति में जिस प्रकार की गड़बड़ है, जैसे मीना होस्टल है, वहां के शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वहां नहीं रहने दिया जाता है, कोई न कोई चार्ज लगाकर एडमिट नहीं होने दिया जाता है इसलिए कोई भी छात्रावास हो, उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव न हो चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हो, सबमें पिछड़ी हुई जातियों को, जन जाति के सभी वर्गों को एडमिट करना चाहिए। जो छात्रवृत्ति वितरण की जाती है उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरतना चाहिए ।

जमीन संबंधी जो कि दो साल के लिए किया गया है, उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि ऐसा न हो कि दो साल के अंदर एक बीघा जमीन एलॉट न हो, इसलिए इस प्रकार का राज्य सरकार की ओर से आदेश निकाला जाय कि अधिक से अधिक संख्या में....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : एक साल।

श्री श्रवणलाल : एक साल। चरागाह जहां ज्यादा हैं, चाहे फोरेस्ट एरिया हो उस एरिया में खराब एरिया है, पेड़ नहीं हैं और काश्त हो सकती है, ऐसी एरिया को एक साल में अधिक से अधिक से भूमिहीन किसानों को दी जाय। ऐसे नहीं कि जिनके पास पहले ही 100-150 बीघा जमीन हो, मैं तो उसका विरोध करता हूं, चाहे किसी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति के पास भी अगर ज्यादा जमीन है तो उससे भी निकाल दिया जाय। जिन व्यक्तियों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, उनको अधिक से अधिक संख्या में भूमिहीनों को वितरण की जाय ।

श्री सभापति : श्री सूरजमल ।

श्री रामचन्द्र आर्य : बहुत दिनों से....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री सूरजमल : दो दिनों से कह रहा हूं समय के लिए...

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारी पार्टी का कोई आदमी नहीं बोला है, यह न्याय की बात नहीं है ।

श्री सभापति : श्री सूरजमल के बाद आपका नम्बर ।

श्री सूरजमल (सूरजगढ) : आज आजादी मिले 22 वर्ष हो गए हैं। गांधीजी और बड़े बड़े नेता कहते थे कि सबसे पिछड़ा वर्ग जो नीचा वर्ग है उसको ऊंचा उठायेंगे किन्तु जो कुछ हुआ है वह सारे का सारा उल्टा हुआ है। हम देख रहे हैं कि बहुत कम हुआ है। जितनी आशा थी उससे कम हो पा रहा है। मैं सबसे पहले खेतीहर मजदूरों की तरफ जाना चाहता हूं। सदियों से खेती करते आ रहे हैं लेकिन एक बीघा जमीन भी नहीं है। आज 5 वर्ष से ये बातें कहते आ रहे हैं,

(श्री सूरजमल)

एलॉटमेंट हो रहा है लेकिन जो एलॉटमेंट हुआ है, उसमें आज तक खेतीहर मजदूरों या भूमिहीनों को कब्जा नहीं दिया गया है।

इसके लिए मंत्री महोदय ने जो घोषणा की है कि एक साल में एलॉटमेंट हो जायगा, इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है, यह बहुत सराहनीय कार्य है किंतु मैं आश्वासन चाहता हूं कि जो एक साल में एलॉटमेंट होगा वह सही रूप में होगा, उनका कब्जा भूमिहीन हरिजन या खेतीहर मजदूर को मिल जायेगा।

इस तरह से नौकरी के मामले में भी, उनको बहुत मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं और जो मिलती हैं उनमें ऐसा कम पर्सेंटेज रखा गया था कि वह पूरा नहीं है। समाज कल्याण विभाग को हरिजनों का भला करना चाहिए और हरिजनों की भलाई के लिए जो विभाग कायम किया गया है, उस विभाग में 12½ स्थान पूरे नहीं हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी: पिछले 12 महीनों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें 55 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट हैं......

श्री जयनारायण सालोदिया: यह गलत है।

श्री सूरजमल: मैंने देखा है समाज कल्याण विभाग में....

श्री लावूराम सुलानियां: मंत्री महोदय ने क्या कहा? सुना नहीं?,

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया: मंत्री महोदय ने कहा कि दो महीने पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 55 है। लेकिन मैं समाज कल्याण विभाग के लिए कह रहा हूं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी: पिछले एक वर्ष के अंदर जो नियुक्तियां हुई हैं उसका 55 प्रतिशत......

श्री लावूराम सुलानियां: बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कहीं भी पूरी नहीं हैं। कौनसे कौनसे विभाग में पूरी हैं?

श्री विशम्भरनाथ जोशी: अफसोस है कि आप समझे नहीं।

श्री लावूराम सुलानियां: मुझे अफसोस है कि आप झूठ बोलते हो।

एक माननीय सदस्य: झूठ असंसदीय शब्द है, इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री सूरजमल: 12 महीनों में जो नियुक्तियां बता रहे हैं, उनमें 2-4 नियुक्तियां हरिजनों की हुई होंगी, वरना एक भी नियुक्ति हरिजनों की नहीं हुई है। नियुक्तियां वैसे ही बंद थीं तो फिर हरिजनों की नियुक्ति कैसे की? इसलिए मेरे ख्याल से मुख्य कार्यालय समाज कल्याण विभाग में 12½ प्रतिशत स्थान पूरे नहीं भरे हैं तो और विभागों में तो सवाल ही नहीं। इसका मतलब हरिजनों के लिए जो विभाग है, उसमें इसी तरह उपेक्षा बरती जाती है तो मैं समझता हूं, और विभागों में बहुत ज्यादा उपेक्षा बरतते होंगे। इस तरह से नौकरियों के अंदर बहुत उपेक्षा बरती जाती है।

जहां कहीं भी जगह निकलती है और हम जानते हैं कि यह किसको चली जाती हैं। एक तो जगह नहीं और यदि होती हैं तो वहां

(श्री सूरजमल)

और किसी को भर देते हैं। फिर कहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोई योग्य आदमी नहीं मिलता है, इसलिए भर दी गई। इसलिए देखते हैं कि कहीं नौकरियों में पूरे स्थान हमें नहीं मिलते हैं।

शिक्षा के मामले में भी ऐसा ही है। हरिजनों से शिक्षा का जो वायदा किया गया था वह भी पूरा नहीं किया है। आज शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि हरिजनों से वैसी ही फीस ली जाती है, जैसे अन्य लोगों से ली जाती है। गेम्स फीस वगैरह माफ करते हैं, वह भी कुछ हरिजनों के लिए, सभी हरिजनों को माफ नहीं करते हैं। इस तरह से शिक्षा के मामले में भी बिल्कुल नहीं के बराबर।

इसी तरह से जो छात्रवृत्ति मिलती है, उसमें उपेक्षापूर्ण रवैया होता है। उसमें रोड़ा अटकाते हैं कि द्वितीय श्रेणी होना चाहिए, प्रथम श्रेणी होना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रथम व द्वितीय श्रेणी वालों को जो छात्रवृत्तियां मन्जूर की हैं, उनमें बड़ा घोटाला हुआ है अधिकारियों द्वारा और इस तरह के कई सबूत हैं। अधिकारीगण विद्यार्थियों को जिनको 300) या 400) रुपया मिलता है, उनके एवज मांगते हैं।

श्री दौलतराम सारण: उदाहरण बताओ।

श्री सूरजमल : मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ स्थान सुरक्षित हैं, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में प्राथमिकता से लेते हैं तो प्राथमिकता लिस्ट बनाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि 28 प्रतिशत हमने कर दिया, दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लड़के लेते हैं, प्राथमिकता में लेते हैं। तो 28 प्रतिशत डॉक्टरों को कैसे पूरा कर देंगे? इसका क्या जवाब है? इस तरह से कोई स्थान पूरा नहीं होता है। मैं इतना कहकर समाप्त करता हूं।

श्री सूरजमल: श्री रामचन्द्र आर्य!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सभापति: पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: मेरा यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आज अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और मैं सवेरे से यह देख रही हूं कि कोई भी मन्त्री इस सदन में हाजिर नहीं है। कई बार कहा गया है परन्तु वे भाग नहीं लेते हैं। मेम्बर्स की जो शिकायत है, उसको उनको बैठ कर सुनना चाहिए। इतने मंत्रीगण हैं और यहां कोई नहीं है। यह बड़े दुःख की बात है। एक मिनिस्टर पांच मिनिट के लिये भी नहीं बैठा है।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण: मंत्रिमंडल का हाकिम नहीं हाजिर होगा तो मन्त्री कैसे हाजिर होंगे।

श्री जयनारायण सालोदियां : मुगले आजम तो हैं ही नहीं फिर कैसे बैठेंगे?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। इस राजस्थान में जिस तरीके से हरिजन जाति पीड़ित है, शायद ही दूसरे प्रान्तों में हो। आये दिन हरिजनों के साथ अत्याचार होता है और इन अत्याचारों की यह सरकार कोई जांच नहीं करवा रही है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री ने यह घोषणा करवायी कि हम हरिजनों को जमीन देंगे और 28 पर्सेन्ट तक इनका रिजर्वेशन करेंगे। यह थोथी घोषणा है। इसके पीछे राजनैतिक कारण हैं। हरिजनों में उत्तेजना पैदा हुई थी, मीटिंग में गर्मागर्मी हुई थी एक तारीख को। उस आधार पर यह किया है। यह कोई तथ्य वाली बात नहीं है। मैं गंगानगर...

श्री विशंम्भरनाथ जोशी: ऑन ए पॉइंट ऑफ़ इन्फरमेशन। माननीय सदस्य ने जो कहा वह बिलकुल सही नहीं है। यह कहना कि कांग्रेस पार्टी की गर्मागर्मी में यह निर्णय लिया गया गलत है। यह निर्णय पहली तारीख को ही ले लिया गया था।

श्री रामचन्द्र आर्य: कहां तक सही है, आप जानें। गंगानगर जिले के हरिजनों के साथ में यह सरकार किस तरह का बुरा बर्ताव कर रही है। भाखड़ा क्षेत्र में भूमिहीनों, काश्तकारों को, हरिजनों को ज़मीन दी है उनकी जमीन को खारिज कर दिया है। सूरतगढ़ तहसील के अंदर 14 सालों से हरिजन आबाद हैं, उन हरिजनों को...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हरिजन कौन से ? अनुसूचित जाति के ?

श्री रामचन्द्र आर्य: अनुसूचित जाति ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हरिजनों को जमीन किसने दी ? अनुसूचित जाति को दी गयी है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कहने में फर्क है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इतना ही फर्क है जितना मेहता और मेहतर में ।

श्री लादूराम सुलानियां : कोई फर्क नहीं है। भंगी भी इसमें है। 60 जातियां हैं हम में कोई फर्क नहीं है। हम इसे नहीं मानते हैं। और न राज्य सरकार मानती है। सम्मानीय सदस्य को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि सूरतगढ़ तहसील के सरदारगढ़ गांव में 2,000 ऐसे परिवार हैं जो 14 साल से आबाद हैं। उनको एक बीघा जमीन भी एलॉट नहीं की गयी है । उनको जब रेवेन्यू तहसील की जमीन एलॉट हो गयी तो भाखरा महकमे ने उस जमीन को खारिज किया। उनको सताया जाता है। यह सरकार आज भी उनको जमीन देने को तैयार नहीं है। पंजाब से आकर के लोग यहां आबाद हो गये हैं। कोई भी हिन्दुस्तान का नागरिक जो जिस प्रान्त में आबाद हुआ है, वह उस प्रान्त का बाशिन्दा माना जाता है। क्या यह सरकार की नीति है ?

इस प्रकार राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आज 1955 से जो हरिजन हैं, जिन्हें भूमिहीन मानकर भूमि एलॉट की गयी थी, उनकी भूमि खारिज कर दी गयी और उनको बेदखल किया जारहा है। इसके साथ भाखड़ा क्षेत्र के अन्दर माफीदार हरिजन पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनकी जमीन को आज भी उनके

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नाम से खातेदारी नहीं की गयी और उन लोगों से कीमत वसूल की जारही है जिसका उपनिवेशन मंत्री महोदय ने परसों ही इस सदन में उत्तर दिया है। क्या इसकी जांच करवायेंगे कि इन हरिजनों, पिछड़ी जाति के लोगों को अदालत का चक्कर न काटना पड़े। इनके पास 100 सालों से जमीन है उन लोगों को हकूक खातेदारी नहीं मिले हैं। इन लोगों ने विरोध किया तो वहां की पुलिस ने हरिजनों और उनकी औरतों को बुरी तरह से मारा। परन्तु इस सरकार ने उनकी नहीं सुनी। तब हरिजनों ने हाई कोर्ट में रिट की। वहां से उनको स्टे ऑर्डर मिला है। इस प्रकार से गंगानगर में इनके साथ व्यवहार किया जारहा है। सरकार के अन्दर बैठे कुछ हरिजन भाई यह कहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को मंजूर करे। आप किस को कहते हैं। आप बार बार दल बदल कर वहां बैठ जाते हैं और इस भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं। अनुसूचित जाति के नाम पर कितने घोटाले हैं। लेकिन ये घोटाले तब ही सामने आयेंगे जब यह सरकार नहीं रहेगी और यह मोनोपोली नहीं चलेगी और जब जांच होगी तब यह साफ होगा। आप वहां जाकर क्यों बैठ जाते हैं। सूरजमल ने कहा मेरी यह मांग, यह मांग। आपने कितनी मांगें करायी हैं। हरिजनों के लिये क्या कराया है। ये कोई मांग मंजूर करने वाले नहीं है। हरिजनों, पिछड़ी जाति के लोगों के साथ में वर्षों से यह दुर्व्यवहार होता आरहा है। 22 वर्ष के कांग्रेसी शासन में वह हालत और बढ़ गयी है। जिस तरह से सामन्तशाही में हरिजनों को ताड़ना दी जाती थी उसी तरह से आज हरिजन जाति को राजस्थान में ताड़ना दी जाती है। सूरतगढ़ नगरपालिका में गत वर्ष हरिजनों की हड़ताल हुई थी। वहां के चेयरमैन ने उनके खिलाफ झूठे मुकद्दमे चलाये और पुलिस द्वारा उनकी औरतों को पिटवाया उनको वेतन नहीं दिया। छापर के हरिजनों ने तीन महीनों से वेतन नहीं लिया। इस नगरपालिका में घोटाला है। राज्य सरकार आंख मूंद कर बैठी है। इसके साथ साथ मैं इस तरह के कई उदाहरण दूंगा। बात कहना नहीं चाहिये। कह देंगे मनफूलसिंह पर आरोप लगाता है। मनफूलसिंह के सीरी पर चोरी सिर कर दी। वह बाइज्जत कुए में गिर गया। कुदरत से वह जिन्दा निकल गया उसकी रिपोर्ट मनफूलसिंह ने दर्ज नहीं होने दी। इस प्रकार के लोग कांग्रेस पार्टी में बैठने वाले हैं। हरिजन भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से आप इस रिपोर्ट पर बहस करते हैं। हरिजनों के कल्याण का एक ही तरीका है कि आप लोगों को इस सरकार को बदल देना चाहिये। जब तक नहीं बदलेंगे आपको न तो जमीन मिलेगी और न नौकरी मिलेगी। गंगानगर में 75,429 गरीबों की दरख्वास्तें हैं जिनमें से आधे से अधिक हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग हैं। उनको आप जमीन दिलवाइये। यह पाबन्दी लगा दी कि सन् 1955 का बाशिन्दा हो। घर बार से अलग रहता हो। पांचवा हिस्सा पहले जमा करना चाहिये, जो 500) रुपया होता है। गरीब कहां से वह रुपया लाकर जमा करा देगा गरीब कहां से रुपया जमा कराने जायेगा इस कारण गरीब आदमियों को जमीन नहीं मिल सकती। लाखों बीघा बंजड़ भूमि पड़ी हुई है और आज गरीब हरिजन मारे मारे फिर रहे हैं। पूंजीवादी लोग यहां बैठे बठे अपने नाम करवा

Page No 238

(श्री रामचन्द्र आर्य)

लेते हैं। और दूसरों से काश्त करवाते हैं। इससे पिछड़ी जाति के लोगों को लाभ नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणायें की हैं कि हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को जमीन देंगे राजस्थान केनाल क्षेत्र में 5-7 लाख एकड़ जमीन है उसमें से दो दो मुरब्बा हरिजन भूमिहीनों को दिया जाय। लेकिन वे देने वाले नहीं हैं आज वहां पर लोग दूसरे दूसरे कब्जा कर रहे हैं। सीलिंग आप लागू नहीं कर रहे हैं पड़ी जमीन को आप एलॉटमेंट नहीं कर सकते तो फिर किस प्रकार से इनके पास जमीन आयगी। यह सुखाड़िया सरकार धोखा है। आपके साथ धोखा कर रही है। दूसरे विभागों से जितनी भी घोषणा हुई वह एक भी पूरी नहीं हुई। हरिजन भाई अनपढ़ हैं, भोले होते हैं, आपने अपनी मोनोपोली बना रखी है मनमानी ढंग से कार्य करते हैं आपको कोई हिसाब पूछने वाला नहीं।

इसके साथ साथ मैं आपके सामने निवेदन करूं कि रातूसर में पुलिस ने हरिजनों को गिरफ्तार किया। मैं एस० पी० के पास गया कि इनको गिरफ्तार न किया जाय। लेकिन किसी ने मानी नहीं उसको हथकड़ियां पहनाई गई। 9 दिन तक हिरासत में रखा। बाद में कहा मुकद्दमा नहीं था। इस प्रकार के अनेक मामले हैं जिस प्रकार से हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं उन की कठिनाइयों को समझना चाहिये और जो उनकी समस्या हैं उनको हल करना चाहिये। केवल सरकार का समर्थन कर देने से आपका काम नहीं चलेगा आप इनको सब सिखा सकते हो आप चाहो तो इधर आकर बैठ जावो तब एक दम पता चल जायेगा। यह सरकार केवल आपके ऊपर ही टिकी हुई है लेकिन आपकी समस्या इन बाईस सालों में आप हल नहीं करवा पाये। आप यह सोचते हों कि इस तरह से ये भुलावा देते रहेंगे और आपकी मांगें पूरी हो जायंगी वह होनी वाली नहीं। ये चिकनी चुपड़ी बातों से आपको हमेशा गुमराह करते रहे हैं। घोषणायें कर दते हैं 28 पर्सेन्ट आपको सर्विस में स्थान देंगे। मैं आपसे निवेदन करूं कस्बा नोहर के अन्दर एक हरिजन चार साल से चपड़ासी के लिये दरख्वास्त देता फिर रहा है। काम दिलाऊ महकमे में वह गया। लेकिन पंचायत समिति में जब चपड़ासी के स्थान पर लेने का सावल आया तो उस हरिजन को नहीं रखा गया ब्राह्मण को रखा गया। इस तरह से आप देखेंगे सकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। हरिजनों को स्थान देने से पहले सवर्ण को स्थान देना पसन्द करते हैं। चतुर्थ श्रणी कर्मचारी की इस प्रकार से दुर्दशा हो रही है। बड़े बड़े अधिकारी अपने घरों पर काम करवाने का सवाल आता है इसलिये हरिजनों को रखना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि हरिजन होने से घर का काम नहीं कर सकते। इस तरह से पिछड़ी जाति के लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी स्थान नहीं मिलता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अभी दस मिनिट और बोलूंगा।

कस्बा नोहर के 41 हरिजनों ने समाज कल्याण विभाग से अपने मकान बनाने के लिये लोन के लिये अर्जियां भेजी। दो साल से दरख्वास्त दे रखी थीं उस बारे में मैंने

(श्री रामचन्द्र आर्य)

असेम्बली में भी प्रश्न किया उसका उत्तर दिया गया कि इनकी दरख्वास्तें देर से आयीं। पहले कमियां थीं इसलिये वापिस भेज दिया गया उसके बाद जब वापिस कमियां दुरुस्त होकर आयी तो लेट हो गई इसलिये लोन नहीं दिया गया। हरिजन पिछड़ी जाति के लोग जो पढ़े लिखे होते नहीं हैं उनके बारे में इस तरह से उपेक्षा की दृष्टि से देखना, समाज कल्याण बोर्ड पर जो कब्जा किये हुए हैं वे ढीठ हैं, वे आपकी तकलीफों का हल करना नहीं चाहते। दुर्भाग्य है आपका जो आपके बल बूते पर सरकार में बैठे हुए हैं वे आज आपकी समस्या के हल के लिये उपाय नहीं सोचते। यह प्रशासन जबरदस्ती जनता पर लदा हुआ है खरीद फरोख्त से बनायी हुई सरकार है। हरिजनों और आदिवासियों को बटोर-बटोर कर सुखाड़िया जी ने अपना बहुमत बनाया। जनता ने तो अल्पमत में चुनकर भेजा था। भगवान को क्या मन्जूर है इस प्रकार के लोगों के हाथ में आज हमारे प्रान्त का शासन है। ये कब तक जनता पर इस तरह से भार बने हुए रहेंगे? आज जनता की जो मांग है वे पूरा नहीं कर सकते आपमें ताकत हो तो ये क्या इनके चार पुश्तें भी आपकी मांग को ठुकरा नहीं सकते। आप लोगों को ये हिकारत की दृष्टि से देखते हैं केवल ये यह समझते हैं कि हमारे आश्वासन देने से ये लोग मान जाते हैं इसी तरह से ये चला रहे हैं। आपने इस शासन को चलाने से जिस प्रकार का रोल अदा किया है अच्छा नहीं किया। यह दो करोड़ जनता का सवाल है आपकी कारगुजारियां जनता के सामन हैं। दो साल तक और आपका भार जनता को सहन करना है उसके बाद में जनता आपसे हिसाब ले लेगी। आप लोगों को मंत्रि-मंडल में भी बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता क्योंकि आपमें दबाव डालने की हिम्मत नहीं है। हमेशा इनकी यही नियत रहती है कि किसी तरह से इन को थोड़ा बहुत आश्वासन देकर अपनी पार्टी में रखो ये आगे बढ़ जायेंगे तो हमारी कुर्सी नीचे से सरक जायेगी आप यदि मिलकर कदम उठायें सुखाड़ियाजी को बाध्य करें तो सुखाड़ियाजी आपकी बात को टाल नहीं सकते। गरीबों का प्रतिनिधित्व नहीं। ईमानदार आदमी बैठे चिल्लाते रहते हैं लेकिन ईमानदार की वक्त नहीं है। आज जिस जिस प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते हैं उसमें ईमानदार लोग शामिल नहीं होना चाहते। दल के जो बागी हैं उन्होंने ही समर्थन दिया है। ईमानदार लोग तो इस मंत्री मंडल में शामिल नहीं हो सके। आज जो शासन में है उनको केवल अपनी कुर्सी की फिकर हैं वे यहां बैठे मौज करते हैं। हजारों आदमी मर गये इस अकाल में जिसमें हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक हैं। आज इन लोगों के पास न रहने के लिये मकान हैं, न खाने के लिये अन्न वैसी हालत में ये किस प्रकार जिन्दा रह सकते हैं। अकाल के समय जो इनकी मौतें हुई हैं, भेड़ बकरियों की तरह हुई हैं। यह बिल्कुल सही बात है इस अकाल में ये हरिजन लोग ही ज्यादा मरे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 75 प्रतिशत हरिजन और पिछड़े हुए लोगों की मृत्यु हुई है। अगर गलत है तो इसके लिये आप कमीशन बिठादें। राजस्थान में इस समय भी अकाल की छाया मंडरा रही है इस वक्त भी कोई वर्षा नहीं हुई है। अगर यही हाल रहा तो हजारों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आदमी मर जायेंगे । सरकार से इन्तजाम नहीं होगा । इस अकाल में जो 53 करोड़ रुपया खर्च किया गया उसमें से आधा रुपया के करीब तो लोग ही खा गये लेकिन आप इसकी जांच नहीं करवाना चाहते । क्योंकि इसमें सबकी मिलीभगत है । इसमें उन आदमियों का हाथ है जिनकी जांच करवाने से आप स्वयं डरते हैं । आपको इसके लिये कमीशन बिठाना चाहिये खुली जांच करनी चाहिये । जिस तरह से काम हुआ उसमें पंच, सरपंच और मुखियाओं को बुलाना चाहिये । और उनको पूछा जाना चाहिये कि आपके यहां कितने का काम हुआ तब जाकर पता चल सकता है कितना धन का दुरुपयोग हुआ । उनकी इस प्रकार की बदइन्तजामी थी कि करोड़ों रुपया हजम हो गया यह तो आपको आगे आने वाला भविष्य बतलायेगा । जो कार्य अकाल में किये गये उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना पक्षपात हुआ, किस प्रकार से नाजायज आदेश दिये गये, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, इसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा घोटाला किया गया, इसकी जानकारी तभी मिल सकती है जबकि सारा मामला सामने आयेगा । उस दिन सुखाड़ियाजी तो यहां रहने वाले है नहीं उन्होंने तो विदेशों में पहले ही अपना सब इन्तजाम कर लिया है । आप कहीं छिप नहीं सकोगे आज ब्लेम लगाते हैं तो आप पर भी लगते हैं आपका नवाब साहब महकमा ईमानदार नहीं है । इस अकाल के अन्दर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत घोटाला किया आप अपनी बचत के लिये जांच करवाइये । यह अकाल सहायता मंत्री से संबन्धित बात है ।

हो सकता है आप ईमानदार हों, अच्छे हों । परसरामजी ईमानदार हों, अच्छे हों, पर काम क्या आये ये जो बेईमानों को भ्रष्टाचारियों को पर्दाफाश नहीं करते और उनको जेल नहीं भेजते ? ऐसे ईमानदार किस काम के हैं ? इनको क्या पूछें ?

यह रिपोर्ट पेश हुई सदन में । काफी सदस्यों में इससे उत्तेजना पैदा हुई हरिजन भाईयों में और ट्रेजरी बैंचों पर बैठने वाले हरिजन भाईयों में भी रोष आया और उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाये हैं । अब या तो ये आरोप गलत हैं और अगर आरोप सही लगाये हैं उन्होंने तो आप इनकी जांच करवाईये और यदि ये जांच नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को तिलांजलि दे देनी चाहिये और निकल आना चाहिये ऐसे आदमियों के गिरोह में से ताकि यह जांच भी हो जावे कि ये किनके भरोसे टिके हुए हैं । न रहे बांस और न बजे बांसुरी । ये तो तभी मानेंगे जब बीस आदमी आकर इनकी छाती पर खड़े हो जावेंगे और कह देंगे कि अब तुम्हारे नीचे कुरसी नहीं रही । तब जांच करवानी पड़ेगी झख मार कर इनको जिस तरह की थोड़ी गरमागरमी हुई तो तुरन्त इन्होंने जमीनें देने की घोषणा कर दी यहां और 28 परसेन्ट प्रतिनिधित्व देने की घोषणाएं करते हैं । पर मैं कहता हूं कि ऐसी थोथी घोषणा करने से लाभ होने वाला नहीं हैं ।

मेरे पास में पचास ऐसे केस हैं जो मैं इसके सुबूत में सदन में रख सकता हूं । पर बार बार घंटी बज रही है, सभापतिजी की । इनकी ज्यादा कृपा है ही । दो दिन से तो टाइम दिया है और कहते हैं चलो चलो । मेरी बात इनको अच्छी नहीं लगती । यह इनकी धारणा है इसलिये चाहते हैं कि बैठ

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जावें तो ठीक रहे । मैं समझता हूं कि सारी बातों पर एक एक आइटम वार बहस होनी चाहिये। समय बहुत कम मिला। कम से कम इस पर तो एक हफ्ता बहस चलनी चाहिये थी। जिससे सारे मामले सामने आते और विश्वम्भरनाथ जोशी जी उत्तर देंगे ? क्या आपने नोट किया ? जिसका आप उत्तर देंगे। आप तो यहां बैठे ही नहीं थे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपने जो बातें कहीं हैं, उनके हिन्ट्स मिल गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो आरोप लगाये हैं उनका आप उत्तर देंगे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जरुर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पांच मिनिट का समय समाप्त होगया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये जवाब देंगे आरोपों का तो एक दो आरोप और लगा देता हूं। भूमि बन्धक बैंक, नोहर इसके चयरमैन हंसराजजी आर्य। ज्यादातर हरिजनों की जमीनें बैंक में अडाने हैं। पर आज के इस भयंकर अकाल में भी कुर्कियों से वसूली हो रही है। इसका भी उत्तर देंगे ? अकाल में आप यह सहायता कर रहे हैं क्या हरिजनों की ?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : कृपया एक मिनिट। एक आरोप और लगाता हूं।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : आपने क्या फरमाया ?

श्री रामचन्द्र आर्य : नोहर में भूमिबन्धक बैंक है। उसमें हरिजनों का जमीनों को अडाने (रहन रखकर) कर्जा लिया हुआ है। अब उन लोगों के खिलाफ कुरकियां निकली हुई हैं, वसूली हो रही है। यह मैंने कहा है। और वहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। हंसराजजी सुन लीजिये।

श्री हंसराज आर्य: किसी का माल नीलाम किया गया हो तो मैं शर्त रखता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य: गांव में आपके कर्मचारी गये। जो अकाल सहायता फण्ड से तकावी दी गई 50 रुपया उसमें से जबर्दस्ती खोस कर ले गये। आप इन्क्वायरी करा लें। आप अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं। आपको नहीं मालूम। आपके दफ्तर में क्या होता है ? पांच पांच कीलो मिठाई खाई जाती है वहां कहां से आती है यह ? आपको नहीं मालूम है। आप कभी कभी नोहर जाते हैं। आप पता लगावें किस तरह से लोगों को लूटा गया। कहीं भी काश्तकार को साठ पर्सेन्ट से ज्यादा रुपया नहीं मिला। चालीस खा गये। ऐसी गड़बड़ी है।

श्री हंसराज आर्य: किसी भी किसान की जमीन कुरक की गई हो तो मैं चैलेन्ज करता हूं। वसूली की कार्यवाही की है। हमने आदेश आयें ऊपर से उसका जवाब दे दिया कि तुम्हारे बैंक बन्द कर दिये जावेंगे तुम्हारी बकाया 60 पर्सेन्ट वसूली के लिये ताकीद की गई है। पर कुड़की नहीं की गई है। रहा सवाल मिठाई का। सौ रुपयों की खावेंगे। हमारे पैसों की है। किसी का दिया नहीं है। दिन में छः बार मंगावग और खावेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य: आप व्यवस्था नहीं कर सके इसलिये यह गड़बड़ी हुई है। मैं नहीं कहता कि ये गड़बड़ियां आप करवा रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य: बिलकुल व्यवस्था है।

श्री रामचन्द्र आर्य: है तो ठीक है। फिर तो इस सरकार की भी व्यवस्था है, ठीक है। हम तो सही मानते नहीं हैं और दो करोड़ जनता भी सही मानती नहीं। आप मानते है तो मानें।

अब एक और ग्राम सुरपुरा में (तहसील नोहर) पिछली होली के दिन एक बदमाश हरिजन के घर शराब पीकर घुस गया और औरत को जाकर पकड़ा। उसके चिल्लाने पर लोग इकट्ठे हो गये और उनसे मुकाबला हो गया। मुकाबला होने से हरिजनों की चोटों से बदमाश मर गया। पर आज भी चार हरिजन अदालतों में चक्कर खा रहे हैं। निर्दोषों को हवालात में ठूंस रखा है और निर्दोषों को साजिश में लेने की कोशिश चल रही है। इस प्रकार की हालत है। वह दस नम्बर का बदमाश जिसको सब जानते हैं अनकों बार का सजायाफता सरेआम हरिजन की औरत को पकड़ा और मुकाबला हुआ। उसमें घर पर ही मरा गया इसके बदले में हरिजनों को आज हवालात भुगतनी पड़ रही है। उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई थाने में। अब गरीब हैं वे हरिजन। पैसा दे नहीं सकते इसलिये इनको न्याय नहीं मिल सकता। न्याय भी इस राज्य में पसे वाले को ही मिलता है। बगर पैसे वाले को न्याय नहीं मिलता। उनके पास पसा नहीं, इसलिये उनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है। तो उनको बचाने के लिये आपको इन अत्याचारियों को प्रश्रय देने वालों के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो जैसे हंसराजजी कहते हैं सब काम ठीक होता है और उनका वे समर्थन करते गये आप भी समर्थन करते रहें। जिस तरह की बहस आप यहां करना चाहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री डूंगाराम राजोरिया।

श्री आलमअली: सभापतिजी मैं बोलस्यूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया: ये आपके पड़ोस में रहते हैं।

श्री आलमअली: मेरा अधिकार है। दिन में ई के वास्ते सौ बार ऊठ बैठ नहीं की जा सके है। सिर्फ एक ही बात है। आप चाहो बाहर निकाल दो। मैं बाहर जाणें के वास्ते तैयार हूं। पर बोलूंगा।

मैं एक ही आदमी राजस्थानी में बोलण वालो हूं और बी बात में आसन भी गड़बड़ी करे है। राजस्थानी खास बोली है। बीं ने भी आसन या हाउस आछी तरह सूं नहीं सुनणों चावें है ईं सूं ज्यादा अफसोस की बात दूसरी कांई होवेला।

माननीय सभापतिजी, दो दिनां सूं आ हरिजनों को मामलों मैं सुण रयो हूं। कल्याण कल्याण की बात कही गई। ईं ने मैं कतई मान्यता नहीं दूं। क्यूं? कल्याण की बात कुण सूं हुया करे है? कल्याण करणियो कुण हुवे है? मैं पूरा सदण सूं एक ही बात पूछणों चाहूं क्योंकि मंत्री को तो मामलो ऊंचो है। ईं वास्ते सदण ने पूछणों चावूं हूं के आज तक कोई ब्याज लेण वालो काम कर सक्यो है की?

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाता है।

(9 बजे रात्रि)

श्री दौलतराम सारण : सुबह तक के लिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और जैसी कि सूचना आसन के पास है उस हिसाब से 11 माननीय सदस्यों की बोलने की इच्छा है इसलिये समय सीमा भाषणों की की जानी जरूरी है। सदन की अनुमति से पांच मिनिट का समय....

श्री दौलतराम सारण : पांच मिनिट में कोई भी माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर पावेगा और अगर यह है तो पहले भी हमने एतराज किया था। समय पर कार्यवाही नहीं होती, समय पर रिपोर्ट नहीं पेश की जाती और फिर रात देर तक बैठना पड़ता है तो एतराज करते हैं, आप फिर सुबह तक बैठिये। इसमें भी कन्जूसी करते हैं। हम इस पर पूरा विचार करेंगे।

श्री सभापति : आसन को आपत्ति नहीं है। सुबह तक बैठना चाहें तो। सदन सहमत है तो समय सीमा दस मिनिट तै कर दी जावे।

श्री दौलतराम सारण : समय इच्छानुसार रखा जावे।

श्री सभापति : नहीं नहीं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : सभापति महोदय ऐसा करिये कि माननीय सारण साहब का भाषण बाद ही बाद में रखिये फिर ये एक घंटा बोलें, दो घंटा बोले आप हैं ये है....

श्री दौलतराम सारण : मुझे आप पहले बता दीजिये कितने घंटे बोलना है, उसी अनुसार मैं बोल लूंगा।

श्री सभापति : यह तो सदन पर है।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : राज्य सरकार के जवाब में घंटे लगेंगे, आप देख लीजिये कितना समय दे सकते हैं इनको ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय....

श्री रामकिशन : यह सदन तब तक चलता जाय जब तक सरकार पराजित न हो जाय इसलिये चलते रहने दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : इससे ज्यादा सरकार का भोन्डा स्वरूप क्या होगा जो सदस्यों को विचार भी व्यक्त न करने दें, न तो आगे दिन ही बढ़ाये और न अब समय ही...

श्री बिश्म्भर नाथ जोशी : सरकार ने और बिजनेस ऐडवाईजरी कमेटी ने इसके लिये दो दिन रख दिये थे, उसके लिये जिम्मेदारी उनकी है (सदस्यों की) जो आसन की घंटी और आदेशों के बावजूद उनको डिफाई करके समय बरबाद करते हैं और जो बहस दो बजे शुरु होनी चाहिये थी वह नहीं होती है।

श्री लादूराम सुलानिया : मंत्री महोदय ने कहा, यह हमारे दुर्भाग्य की बात है।

श्री नत्थीसिंह : यह कमजोरी मंत्री जी की है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। भाषण सीमा 10 मिनट तय की जाती है।

श्री लादूराम सुलानिया : मुझ नहीं बोलन दगे ?

श्री डूंगाराम राजोरिया :
श्री आलम अली : } (दोनों एक साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय आपने मेरे लिये कहा है।

श्री आलम अली : माननीय सभापति जी म्हें कहय रहयों हो ब्याज जिद अपनी बहन ने नहीं बखसे चाहे अफिसर बना दो चाहे मंत्री बना दो। समाज का कमजोर अंग ने दे कदे ही नी बखसे म्हारी आ मान्यता है हर इन्सान इने माने है। ब्याज लेणों चाहे कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो भूलने वालो नहीं है। क्यूं ? वह तो पहलो ही ब्याज की सोचेला कि आदमनी कठ है।

समाज कल्याण में तो कम सेकम ब्याज लेन वालो मंत्री होने चावे है। माननीय सभापतिजी क्या बार बार क्यूं आ हरिजनों के साथ अलग अलग संकेत देवे है बामें भंगी भी है। मुसलमान होबा के नाते नीलगर और दूसरी जाति वा पर कद अविचार नहीं करे। मैं बिलकुल साफ शब्दो में यो कहनो चावूं कि पूरो समाज के साथ अन्याय हो रहयो है। ये 1500-1500 और 1600-1600 रुपया पान वाला कीं दिन नातो करे है।

(9.05 रात्रि)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

माननीय सभानेत्री जी हमेशा ढाई साल मांय कई बार जिकीं बात कहीं 2-4 बात कही, ज्यादा कोनी कही-ज्यादा लम्बी-चौड़ी बोलने वाली बात कोनी। समाज कल्याण मंत्री बार बार कहेवे कानून बना दिया। मैं आ मानूं हूं कि कानून एक खद्दर से नहीं चाले लेकिन इमें इन्सान कठे बनायो ? ई कानून के जरिये इन्सान बनावे। अगर कोई इन्सान बण्यो तो ये मंत्री जी उछल रहया है। माननीय सभानेत्री जी, मैं कहने चावूं हूं कोई ग्रुप है, म्हे आपने चैलेन्ज दयू हूं आप स्वीकार करो या हरिजन भायों ने उठावो चावे तो उठावें तो इस्याके तो म्हें थाने अपनी लड़की देवां या थे म्हाने लड़की देवें। बोलो स्वीकार करो।

(हर्ष ध्वनि)

आपने आज तक या क्षमता नहीं की। यो म्हारो चैलेन्ज स्वीकार करो मंत्रीजी।

(विराम)

दूसरो सभानेत्री जी मैं एक पुरानी बात कहनो चावूं हूं जद बांप शिकार कर लेतो तो बेटो नहीं सम्भालतो और जब बेटो शिकार कर लेतो तो बांप नहीं सम्भालतो। वाका काम काई छे। ई या ही 4 भाइयां की औलाद चार बेटा वण्या। चार भाइयां की 4 औलाद हुई। इमें एक बुहारी देणो वालो बणो, एक शिक्षा देवालो ब्राह्मण बणयो और दूसरा क्षत्रिय बणीयो। ई के अलावा एक बाणियों बणीयो। माननीय सभानेत्री जी, मैं बिलकुल साफ शब्दा में कहणो चाहूं बानियावाद मंत्री जी कठे सूं आया आज आप भी जोशी के नाम से पुकार्यो जावो हो। सभानेत्रीजी, दूसरी कोई बात हो तो बतावो। ये नेता लोग अपने आपमें कांग्रेसी होवा को दावो करे है। माननीय सभानेत्री जी यांकी कथनी और करनी में बड़ो अन्तर है। ये कहवै कांई है और करे कांई है। कोई देश है, कोई घर है अपने मकान की नींव कमजोर कुण करबो चावे है। अगर मकान की नींव कमजोर होसी तो वो ढह जासी यो आलम अली कह रहयो है। आदेश

(श्री आलमअली)

का प्रधान मंत्री कहवे राष्ट्रपति कहवे कि कांग्रेस के नाम सूं जो लूट खसोट है व नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या मैं बिलकुल साफ शब्दों म कहूं हूं। हरिजन भाई दूसरो काम करे जिया मुसलमान भाई चुनड़ी रंगबो, छापबो हैं वो छोड़ दियो। क्यूं अब कोई टेरेलिन पहने है, वाको पहनबा को चलन छोड़ दियो। ई वास्ते कोई काम बाकी नहीं रहयो। वाको वास्ते भी सोच राख्या है। माननीय सभापति जी यह दावो करों कि माननीय मंत्री जी किसी जातिवाद पर, किसी धर्म पर आघात न करें। हम सब धर्मों ने बराबर माना संविधान में ई बात की कोई आड़ कोनी। सभी धर्मा ने खुशी से मानो। अभी माननीय सभापति जी चौमू में 60-70 साल से एक छोटी मस्जिद बनी हुई थी और इणों पिछले चुनाव में कही कि मुसलमानों तुम वोट दो हमें। मस्जिद बनवा दोंगा यह नीति है। थे धर्म पर आघात करो और धर्म की बात पर वोट ले जाओ और बींके खिलाफ सब तरह का षडयंत्र रचो और राज्य सरकार हरिजनों ने डरावे कि थे गरीब हो और मुसलमानों ने कहे कि थारे पर पाकिस्तान के जासूस होने का इल्जाम लगा दोगा तो कोई भी समझदार आदमी इणरी षडयंत्र की नीति को समर्थन नहीं करेगो और टाइम आ जावे तो पता नहीं कोई हो जावेलो हरिजन और मुसलमानों रो एक दिन नारा लग जायेलो तो थे उड़ जावोगा। जठे गरीब आदमी ज्यादा हैं उणोंरी अस्मत के साथ खिलवाड़ करो तो कठा तक बरदाश्त कियो जावेगा ? अल्प संख्यकों के वास्ते कितरी सीटी रिजर्व्ड हैं और कितरी हक उणोंने दियो जा रहयो है। खाली दो मंत्री बैठा दिया, एक तो नवाब साहब हैं जो सिर्फ दर्शनों के लिए हैं। जब वह दर्शनों के लिए ही हैं तो उणने फिर थे दिल्ली के नुमाइशघर में ले जाकर बैठा दो और मैं नवाब साहब से भी कहूं कि कहीं धर्म का हनन हो तो थे बगावत कर दी। और नहीं करोगा तो थारे खिलाफ बगावत होगी 2।। दिन ही आराम कर सकोगा। यही मैं हरिजन मंत्रियों से कहूं कि 2।। दिन ही रह सकोला। अगर हरिजनों के साथ खिलवाड़ करोगा तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जाना तो वी जगह ही पड़ेलो। ब्राह्मण तो अपनी पंगत में बैठावेगा नहीं और जैसी आज थारी करतूतां है बींसूं थाने कोई हरिजन पास नहीं बैठावेगो। तो ज्यादा जिम्मेदारी हरिजन और मुसलमान मंत्रियों पर है। इसने साफ तरह सूं कहणो चाहूं हुं कि हरिजन और मुसलमानों के हक की आप बात करागो तो बच्चो बच्चो थोरे साथ है और अगर आप इण गड़बड़ में शामिल हो ओगा तो थांको कोई जरा भी इज्जत नहीं करेगा ज्यादा नहीं कह कर एक ही बात कहूंला कि कानून में तो गवो । भर जाय इतनी किताबें बन गयी। कानून से तो लोग धाप गये और कानून के तहत तो सिपाही छुट्टी नहीं, बाप या मां रो मरणो दिखावें तो छुट्टी मिले। कानून के तहत तो कोई सच्ची बात व हकर एलॉट करारण जमीन चाव स तो बी वास्ते जर्म न नहीं है। कानून सू बि ण रो भलो हो सकेगा ऐसी बात नहीं है। आप प्रेक्टिकल रूप में काम करना शुरू करो। जैसा राजा महाराजा हुक्म दिया करता है कि ओ काम करों

(श्री आलमअली)

तो वो काम होतो ही। आज थारों चपरासी थांरी बात नहीं माने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जठे हर बात की निन्दा हो, हर रोज भ्रष्टाचार रा आरोप लगाया जावे और आप सुनते जाओ और है करके खुश हो जाओ तो हंसने से काम नहीं चलने वालों है। आप जैसा नाटक बतावो हो, आज देश के प्रधान मंत्री भी थारो नाटक देखीयो है। इण वास्ते मैं कहुं हूं कि गरीबों के साथ खिलवाड़ मत करो। खिलवाड़ करने वालों को बंद कर दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा टाइम ले लियो और लेना नहीं चाहिए थो। मैं हरिजन और मुसलमानों की बात कही इसू ज्यादा टाइम लग गयो। मैं सिर्फ यही कहूं हूं कि इण कानून ने बन्द करो और काम करने की शुरुआत आज से करो तो जीने की आशा है और अगर नहीं करोगा तो मामलो गोलमाल है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण खतम करूं हुं।

श्रीमती सभानेत्री : डूंगाराम राजोरिया

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा स०) : माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की 16 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत है और दो दिन से इस पर विचार हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से इसके प्रति सहानुभूति नहीं बरती जाती है। मैं जहां तक समझता हूं कि यह 16 वीं रिपोर्ट सदन में है और जो भी कमिश्नर ने एतराज उठाये 16 वीं रिपोर्ट में वही के वही इसमें मौजूद हैं। तो मैं यह निवेदन कर रा था कि जो भारत सरकार ने एक बहुत ब रकम खर्च की कमिश्नर को नियुक्त कर और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइ की जितनी भी कमियों थी वह जानने कोशिश तो की लेकिन उसको दूर कर की कोशिश नहीं की। मैं जहां त समझा हूं आयुक्त के विचारों को बिल्कु नहीं माना। जिस समय यह आयु नियुक्त किया उस समय और दिमाग और जब इन कामों की समस्या रिपोर्ट कमिश्नर ने दिखाई तो उसके बाद सरक में बैठने वाले लोगों के दिमाग अं हो गए। इसलिए उन्होंने इस आयोग रिपोर्ट की तरफ किसी प्रकार से ध्य नहीं दिया। तो, सभापति महोदय, सवा यह होता है कि हम 22 सालों में भी कौमों का उद्धार नहीं कर पाये। राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है यह स भारतवर्ष का प्रश्न है। यह रिपोर्ट सारे भारतवर्ष की है। तो मैं तो जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह बत कि 22 साल म कुछ नहीं हो सका इन कौमों का कितने सालों में उद्धार क पायेंगे और कितने सालों में आप हि स्तान के हर व्यक्ति को एक स्तर ले आयेंगे–इसमें कितना समय लगेगा कम से कम यह तो बतायें कि 22 व में दो युग में कुछ नहीं किया तो कि युग में करेंगे ?

अब मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि इ कोई 2-3 बातें मुख्य हैं। पहली बात मुख्य यह है कि जो साढ़े 12 प्रतिशत को

श्री डूंगाराम राजोरिया)

उसको पूरा करके पिछड़े लोगों को शासन में किस तरह से ले सकते हैं। सरी बात इसमें यह है कि इन लोगों के स जमीनें नहीं हैं उनको किस प्रकार से रा कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ो छूआछूत का मामला है, अस्पृश्यता का ामला है उसको किस तरह से दूर कर कते हैं। इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति को हम किस प्रकार से सुधार कर मानता पर ला सकते हैं। इसके अलावा ये ोग जहां पर बसते हैं उनको किस तरह से ीक करा सकते हैं। यह जो 4-5 मुद्दे हैं और न चार-पांच मुद्दों पर ही कमिश्नर जो हैं पनी रिपोर्ट में सारी बातें बताता है और र राज्य में उन लोगों की दिक्कतों को उसमें बताता है। और जो दिक्कतें यहां भी रिपोर्ट से पन्द्रहवीं रिपोर्ट में जिस प्रकार से रखी है वही की वही बातें इसमें भी हैं। इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि माननीय मख्य मंत्रीजी ने कहा था कि साढ़े बारह परसेन्ट का कोटा हमने अनुसूचित जातियों का कर रखा है उसको बढ़ाकर 28 पर्सेन्ट का कोटा कर दिया गया ह। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 28 के बजाय यदि 100 प र्न्ट का भी कर दें और कार्य रूप में उसको परिणत न करे तो इससे विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस रिपोर्ट का वह अंश मैं निवेदन करना चाहता हूं इस रिपोर्ट में यह है कि जब आपने साढे बारह पर्सेन्ट का हिसाब ही पूरा नहीं किया तो आप यह बतायें कि 28 प्रतिशत किस प्रकार से पूरा कर सकेंगे। पेज नं० 18 पर जो है वह मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह जो सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ पदों एवं सेवाओं में संरक्षण। अब इसमें आपने बताया है कि फर्स्ट श्रेणी में सेवकों की कुल संख्या 10403 जिसमें अनुसूचित जातियों के 123 व्यक्ति हुए यानि आपने 1.18 प्रतिशत लिया है। यानि जहां पर 12½ प्रतिशत लेने चाहिए वहां पर 1.18 के हिसाब से लिया है और अब आप 28 प्रतिशत का कह रहे है? दूसरी श्रेणी में 20501 है उसमें से 488 शेड्यूल्ड् कास्ट के हैं यानि 2.38 को आपने पूरा किया है अभी तक। यहां पर भी आप साढ़े बारह प्रतिशत की पूर्ति नही कर पाये हैं तो 28 प्रतिशत की पूर्ति किस प्रकार से कर पायेंगे? यह तो 66 तक की रिपोर्ट है और आज 69 के अन्दर भी यही पोजीशन है। इसके आगे आयोग ने लिखा है कि फिर भी सैकेन्ड श्रेणी में उनका प्रतिनिधित्व 1-1-59 के 0.47 प्रतिशत से घटकर 0.27 प्रतिशत रह गया है। सन् 59 के पहले 0.47 नौकरियां मिलती थी उसका 0.27 रह गया है, तो आगे जाने के बजाय नौकरियों में आप लोगो को पीछे ले जा रहे हैं यहां पर जो 28 प्रतिशत की बात करते हैं तो वहां पर साढे बारह पर्सेन्ट को पूरा करने की तो दूसरी बात है फर्स्ट और सैकेण्ड श्रेणी में 2 पर्सेन्ट भी पूरा नहीं किया, तो आप यह 28 पसन्ट पूरा किस प्रकार से कर सकेंगे?

इसके अलावा तीसरी बात एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं 43 हैं उनके बारे में मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी आपकी यही पोजीशन है। भारत

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सरकार के अधीन 43 संस्थाएं हैं उन 43 संस्थाओं में भी भारत सरकार ने किसी प्रकार का मैं जहां तक समझता हूं पहली और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया है। केन्द्र में फर्स्ट श्रेणी में 7381 और दूसरी में 8638, तीसरी श्रेणी में 77429 उनमें फर्स्ट श्रेणी में 37, दूसरी श्रेणी में 459 और तीसरी श्रेणी में 3583 लिये हैं। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पर हजारों की संख्या में डिपार्टमेंट्स में इस तरह के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जगह बाकी है और आप कुछ भी नहीं ले सकते तो इस तरह से साढे बारह प्रतिशत और 28 प्रतिशत की बात करें तो यह किस प्रकार से पूरी हो सकती है ?

इसके अलावा ऐसे राज्यों का भी ब्यौरा में निवेदन करूंगा कि राज्यों में भी यही पोजीशन है। प्रथम बिहार में 1.2, गुजरात मे 1.3, मध्यप्रदेश में 1.1। आपके राजस्थान के आंकड़े बताने का तो सवाल ही नहीं है। जिस आदमी की नियत में फितूर हो तो वह आंकड़े दे ही क्यों ? इसमें आंकड़े नहीं हैं राजस्थान के तो। राजस्थान में भी यही पोजीशन होगी। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि साढे बारह प्रतिशत तो आप नहीं कर सके और 28 प्रतिशत का एलान करें तो यह महान मूर्खता की बात है और लोगों को बहकावे में डालने की बात है।

म निवेदन करना चाहता था कि राज्य सरकार यह कहती है कि राज्य-सेवा म मिलते नहीं हैं कर्मचारी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, तो मैं इसके संबन्ध में निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट पेज नं० 30 को देखें हमें झूठी तरह से बहकावा देकर यह कहा जाता है कि कर्मचारी मिलते नहीं हैं इसलिए मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग फर्स्ट और सैकण्ड श्रेणी में मिलते नहीं हैं। मैं जहां तक समझता हूं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनके रोजगार मांगने वाले लोग हैं वे बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं, और राज्य सरकार और भारत सरकार इस मामले में एक तरह से हम लोगों को झूठी तरह से बहकावे में डालने की कोशिश करती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह साढे बारह वाली बात को बाद तक किस प्रकार से पूरी करेंगे, यह मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में बतावें।

प्रोमोशन के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि जब तक टेक्निकल एडवाइस न ले लें तब तक प्रोमोशन वाली बात के लिए कुछ नहीं कह सकते। आप डेढ साल पहले की प्रोसीडिंग उठाकर देख लें तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था नौकरियों में कोटा है वही प्रोमोशन में कोटा देंगे। ये उनके शब्द थे आज से डेढ़ साल पहले के। तीसरा सेशन इसके पहले की असेम्बली का था उसमें यह बात कही थी। आज यह कहकर उसको निकाल दिया कि राय लेकर कि यह चीज बनती है या नहीं यह बात कहकर टाल दी। जिस वक्त शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी उनको दबाते हैं तो उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, जैसी कि आज आपने यह बात कही है। तो प्रोमोशन वाली बात के लिए मैं निवेदन करना चाहता था कि प्रोमोशन वाली बात के उल्लंघन के लिए भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि:—

"भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों एवं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

विभागों में समीक्षागत वर्ष के अन्तर्गत जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सेवकों के 190 उल्लंघन सूचित किये हैं। उनका मंत्रालयों के अनुसार विवरण निम्न प्रकार है—

रक्षा मंत्रालय	42
कारखाने, भवन एवं समरण एवं मंत्रालय	15
रेलवे मंत्रालय	116
खाद्य एवं कृषि मंत्रालय	6
शिक्षा मंत्रालय	10
संचार विभाग	1

इसमें आयोग के नोट में लिखा है—

"इन 190 मामलों में से 72 निर्वाचन पदों में तथा शेष बिना निर्वाचन पदों में बतलाये गये हैं। अधिकांश मामलों में यह बताया गया है कि जिन प्रार्थियों का उल्लंघन किया गया है, वे तदर्थ बनी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाये गये और उनकी सूचना वर्तमान आदेशों के अनुसार यथोचित अधिकारियों को दे दी गई थी।"

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह जो लोग प्रोमोशन की जगहों पर बैठे हुए हैं वे वे ी लोग बैठे हुए हैं......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभानेत्रीजी, मैं टाइम चाहूंगा। मैं 10 मिनिट में नहीं समाप्त कर सकता।

श्रीमती सभानेत्री : आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहता था कि प्रोमोशन वाली बात के लिए कहते हैं तो यह उन लोगों के हाथ में है जो उच्च वर्ग के लोग हैं और जिस वक्त प्रोमोशन वाली बात होती है तो अपने निजी रिश्तेदारों को या अपनी बिरादरी वालों को या ऐसे लोगों को जो मिलने वाले हैं उनको प्रमोशन देकर इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। उनको प्रमोशन नहीं देते हैं और यह कहकर टाल दिया जाता है कि वे इसके काबिल नहीं हैं इसलिये प्रोमोशन नहीं मिलना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि यदि इनको प्रोमोशन नहीं देंगे तो यह तबका किस तरह से नीचे से ऊपर उठकर जा सकता है? तो म सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रोमोशन वाली बात है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम प्रोमोशन दिलाने की बात करेंगे। इसमें भारत सरकार की ओर से कोई मनादी नहीं है। राइट आफ मैम्बर्स है। वह इस बात पर विचार करें। प्रोमोशन वाली बात हो सकती है। दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करूंगा कि नौकरियों में हर विभाग में पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है।

श्री विश्वम्बर नाथ जोशी : दस मिनट का समय निर्धारित कर दिया गया था। और भी लोग बोलने वाले है। तो क्या 12/1 बजे तक चलेगा ?

श्री दौलतराम सारण : निश्चित समय फरमा दीजिए।

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन के सामने प्रश्न रखना चाहती हूं, जो लिस्ट आयी है, 7-8 व्यक्ति बोलना चाहते है। उसके बाद मन्त्री जी का जवाब होगा। फिर कितने

(श्रीमती सभानेत्री)

वक्त होगा । इसलिए मैं सदन की अनुमति चाहती हूं कि कोई समय निर्धारित कर दिया जाये। ताकि मैं समय पर वाइंडअप कर सकूं। कितना समय निर्धारित कर दिया जाये। अभी 9-30 बजे हैं।

(बिजली व्यवस्था भंग-सदन में अंधेरा)

श्री विजयसिंह : मन्त्री जी के जवाब से इलेक्ट्रिसिटी आजायेगी ।

(कुछ देर बाद व्यवस्था ठीक हुई)

श्रीमती सभानेत्री : समय निर्धारित कर दिया जाय। एक एक व्यक्ति को 10-10 मिनट काफी होगा। मुझे उम्मीद है, माननीय सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा।

माननीय सदस्य आपको 10 मिनट से अधिक हो चुके हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, मैं दस मिनट में समाप्त नहीं कर सकूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : समय तो देखिये कितना हो गया है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : इन जातियों का तब तक हर क्षत्र में विकास नहीं हो सकता जब तक कि हर विभाग में इनके साथ न्याय नहीं हो जाता है। जब तक हर डिपार्टमेंट में इन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता है, जब तक ऊंचे और नीचे पदों पर अधिकारी नहीं हो जाते हैं, तब तक आप कुछ नहीं करते हैं। आप अपने लिए ही करेंगे। अपने लड़कों के लिए करेंगे। अपनी बिरादरी के लिए करेंगे। आपकी पोजीशन वही है। आप ऐसा ही चाहेंगे। इन कामों में कोई दम नहीं आएगी। चाहे कितनी भी फैसेलिटी हो, आप नहीं दे सकते हैं। उनका डिपार्टमेंट में प्रति-निधित्व नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार जल्दी से जल्दी जैसा कि 28 प्रतिशत के लिए कहागया है। मन्त्रीजी और मुख्यमन्त्री ने ऐलान कर दिया है लेकिन मैं चाहूंगा कि वह यह एलान कर दें कि हम सालभर में 12½ प्रतिशत पूरा कर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप अगर यह चाहते हैं....

श्रीमती सभानेत्री : मैं निवेदन करूंगी कि सभी सदस्य 10-10 मिनट बोलेंगे। 8 मिनट पर घण्टी बजेगी और 2 मिनट में समाप्त कर देना चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं सजेशन देता हूं। मन्त्री जी भी यह कह सकते थे, हमें रिपोर्ट पर बहुत कुछ कहना सुनना है। इसके लिए चार दिन का समय देना चाहिये था। लेकिन इस विभाग के मन्त्री खुद ही कमजोर हैं। मैं यह कहना चाहता था कि जो कांग्रेस म बैठने वाले लोग हैं, उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले वे जोर देकर 12½ प्रतिशत तो पूरा करवालें। मुख्य मन्त्री जी बारबार कहते हैं कि चौथी श्रेणी में कोटे से ज्यादा लोगों को ले लिया गया है, मैं कहूंगा कि क्या अहसान कर दिया ? बड़ी जातियां तो नीची नौकरी करना ही नहीं चाहती हैं बड़ी कौमों में चपरासी बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं मैं जोर देकर कहूंगा कि प्रथम और दोयम श्रेणी की सेवाओं में 12½ परसेन्ट जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

ऊंची शिक्षा के लिए मैं निवेदन करना चाहता था कि सरकार कहती है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग योग्य साबित नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि इलाहाबाद में उच्च शिक्षा के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खुला हुआ है वैसा ही राजस्थान में भी होना चाहिए। अगर कोई कमी है तो राजस्थान सरकार शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रशिक्षण देकर पूरा कर सकती है। इसलिए सरकार प्रशिक्षण केन्द्र खोले तो इन लोगों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। इसी तरह से मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता था, शिक्षण के बारे में निवेदन करना चाहता था, शिक्षा के लिए आप छात्रवृत्ति देते हैं। अब तक वह मंहगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। इसलिए छात्रवृत्ति पर पूरा विचार करना चाहिए। छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाय। क्योंकि ये जातियां बिल्कुल साधन-सम्पन्न नहीं हैं न इनके पास जमीन है, न कोई दूसरा रोजगार है तो मैं निवेदन करूंगा कि बड़ी शिक्षा पाने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाय। तो शिक्षा प्राप्त करने की दिशा म कुछ सहूलियत हो सकती है।

छात्रावासों में जो कमियां हमारे साथियों ने बताई हैं, मैं भी बताना चाहता था, लेकिन समय की कमी है। जो प्राइवेट छात्रावास हैं वह शिकायत करते हैं कि हमें समय पर कोई चीज नहीं मिलती है। यह सरकार को सोचना चाहिए। मैं इस समस्या पर बोलना चाहता था।

श्रीमती सभानेत्री : एक दो समस्याओं छोड़ दीजिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : भूमिहीनों के बारे में कुछ कहना चाहता था। सरकार ने भूमि देने का एलान किया है कि एक साल तक हम पिछड़ी जातियों के लोगों को ही एलॉट करेंगे तो पहली बात तो यह है कि अधिकारी एक साल में एलॉट ही नहीं करेंगे। दूसरी बात जमीन ही नहीं है। जो है वह नाले, खाल में है जो खेती के लायक नहीं है। अगर कुछ अच्छी बची-खुची जमीन एलॉट भी कर दी तो बड़ी जाति वाले लोग पिछड़े लोगों को काबिज नहीं होने देते। दूसरी बात शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर के तबके के लोग जमीन ले लेते हैं। बड़ी जाति के लोगों के पास तीन-तीन सौ, चार-चार सौ क्या हजारों बीघा जमीन है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो हाथ से काश्त करते हैं उनको भूमि मिलनी ही चाहिए। आजकल बड़े लोग जमीनें खरीद रहे हैं हर किसी से। इसलिए उन पर पाबन्दी लगाई जाय, और भूमि खरीदी थी वे ही लोग जो हाथ से काश्त करें उनको भूमि मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं दूसरी बात कह कर समाप्त करता हूं। यह महत्वपूर्ण बात है, अस्पृश्यता की. . .

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

एक व्यवस्था का प्रश्न है, साढ़े नौ बज कर कितना समय हो चुका है। मैं यह चाहता हूं कि आप बहुत कम समय निर्धारित कीजिये डिबेट पर समय सीमा होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप बराबर पैंतीस मिनिट ले चुके हैं।

श्रीमती सभानेत्री : वह मैंने कह दिया है। आप विराजिये। समय नष्ट मत कीजिये

श्री दिग्विजय सिंह : दो मिनिट आपने ले लिया है। इतने म वह खत्म कर देते।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप बठिये। आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री ूलचन्द डागा : मैं तो बठा ही हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो खाना खाकर आ गय हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने बहुत से विषयों को रहने दिया हैं। फिर भी आप एतराज करती हैं तो केवल अस्पृश्यता के बारे में कह कर मैं समाप्त करता हूं। समें है :

> "वर्ष के अन्तर्गत इस संगठन द्वारा राजस्थान, पश्चिमी बंगाल में जो दो सर्वेक्षण किये गये हैं उनसे प्रकट होता है कि देहाती क्षेत्रों में अस्पृश्यता विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं राजस्थान म यह देखा गया कि जिन ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया उनमें मन्दिरों, चाय की दुकानों, भोजनालयों, नाईयों की दुकानों में अनुसूचित जातियों का प्रवेश नहीं था तथा दाईयों की सेवायें, पीने वाले पानी के प्रयोग आदि से भी उनको इन्कार था।"

तो म निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अस्पृशता वाला मामला है, यह किस प्रकार पूरा हो सकता है। इस प्रकार यह अस्पृश्यता वाली बात है हमारें यहां से वह खत्म हो सकती है। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मन्दिरों में आज तक भी ऐसे पुजारी हैं, जो पुजारी अब तक इन लोगों को मन्दिरों में नहीं घसने देते हे, यह इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन पुजारियों के प्रति ऐसी कोई सख्ती क्यों नहीं बरती जाती, जो अस्पश्यता के बारे में एक कानून लागू है उसकी क्यों नहीं सरकार पूर्ति करती हैं? यह मन्दिरों में इस तरह हम लोगों को नहीं जाने देते हैं, प्रविष्ट नहीं होने देते हैं आजादी के बाइस साल के बाद भी तो यह बहुत बुरी बात है।

इसके साथ ही दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितने भी पुजारी हैं, जितने भी गुरू हैं यह लोग हमारे लिए एक षड्यंत्र हमेशा रचते रहते हैं। बाइस साल में भी यह इनके दिमाग में बात नहीं आई है कि अधिक से अधिक व्यक्ति जागरूक हों। हिन्दू संगठन के द्वारा या दूसरे संगठनों का नाम लेकर यह छूआछूत के मामले को जारी रखते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को आप क्यों नहीं पाबन्द करते हैं? इस सेशन से पहले के सेशन जब मैं धरने पर था यह सदन जिस वक्त चल रहा उसी वक्त एक मामला आया था जो सदन में उठा नहीं है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य हैं उन्होंने हमारे शिड्यूल्ड कास्टस् और पिछड़े लोगों के लिए एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, पटना में हिन्दू सम्मेलन में उन्होंने कुछ बातें कहीं थी, उन बातों की वजह से हमारे यहां पार्लियामेन्ट में भी तथा राज्य विधान

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सभाओं में, जहां सेशन चल रहा था, उसके संबंध में एतराज किया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। बहुत जल्दी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : बीस मिनट और बोलेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक आध मिनिट और।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस तरह हमारे यहां जो हिन्दू सम्मेलन किये जाते है और इन सम्मेलनों में हमारे यह जो जगत गुरू हैं वैसे यह जगत गुरू तो क्या हैं, भगत गुरू हैं–यह ऐसे गलत आदमी हैं, जो हमारे यहां हिन्दू जातियां हैं, जो हिन्दुस्तान के हिन्दू नागरिक हैं उनमें फिरका परस्ती पदा करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, भारत में ही हिन्दू हैं, और कहीं ज्यादा नहीं हैं, इसमें भी गड़बड़ हालत है। यह कहते हैं कि यह अछूत हैं, यह अहिन्दू हैं, इनसे नहीं भिटना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो, मैं जहां तक समझता हूं सदा के लिए जेल में डाल देना चाहिए, चाहे गुरू हो, चाहे कोई हों और कभी भी ऐसे लोगों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा गुरूजी के प्रति इतनी गलत बात पार्लियामेन्ट में कहीं, राज्य विधान सभाओं म कही गई, फिर भी आज तक सरकार ने उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा जारी नहीं किया है....

श्री दिग्विजय सिंह : मुकदमा हुआ है, वह कोर्ट से बरी हो गये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, बीच में न बोलें, आप समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे गुरूजी के ऊपर तो मकदमा...

श्री दिग्विजय सिंह : वह कोर्ट से बरी हो गये हैं, आपको मालूम नहीं है। वह कोर्ट से बरी हो गये हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : बरी होने पर भी....

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय मंत्री खाने का इन्तेजाम करने जा रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : अपने खाने का करने जा रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा है, न्यायालय से मुक्त हो गये। इस मुक्ति को मुक्ति मैं नहीं कह सकता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं जल्दी समाप्त करता हूं। मजिस्ट्रेट ए० एम० सहाय ने प्रेस ट्रस्ट पटना शाखा के व्यवस्थापक एस० के० घोष की नोट पुस्तिका के आधार पर फैसला सुनाया था (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) क्या करूं ? पूरा नहीं करूं ?

श्रीमती सभानेत्री : समाप्त कर दीजिये, पैंतीस मिनट हो गये हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पूरा तो करू मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। एक मिनट में।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

क्या एस० के० घोष ने नोट बुक में ही फैसला देने के लिये मर्यादा थी ? क्या वही एक प्रमाण था उस केस में मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इस बात को सुनने वाले थे, जिन्होंने गवाही दी है, और जो बात अखबारों में छपी है, जितने अखबार थे उन अखबारों ने कहा है कि यह शब्द कहे हैं गुरूजी ने वह सारे शब्द शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति घृणा के शब्द हैं । इसके बाद भी मजिस्ट्रेट ने एक आदमी की नोट बुक पर फैसला किया है । न्यायालय में भी आज, मैं समझता हूं, गुरूजी जैसे समझदार व्यक्ति आगये हैं जिस कारण से किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिलता है । इसलिए मैंने आरोप लगाया है इस सरकार पर कांग्रेस सरकार पर कि इसने गुरूजी के इन शब्दों के उपर मुकदमा दायर करके उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की ? इस बारे में मैं इस सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाता हूं और, सभापति महोदया, अगर आप बहुत ही ज्यादा समय के प्रति पाबंद हैं तो मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्यों से यह निवेदन करुंगी कि दस मिनट में अवश्य समाप्त कर दें आठ मिनट में पहली घंटी बजेगी, उसके बाद दस मिनट में समाप्त करदें ।

श्री कल्याण मल ।

एक माननीय सदस्य : मेरा नम्बर आया या नही ?

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु.) : सभानेत्री महोदया, अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट पर सदन में कल से बहस चल रही है । मैं निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट को दो साल बाद लाये है इसका मतलब यह है कि जो भी इस पर चर्चा हो रही है वह चर्चा दो साल पुरानी है । और यह इसलिये कहना पड़ रहा है कि जयपुर में सांसी लोगों के लिये दो हजार उनके कूप-निर्माण के लिये राजस्थान सरकार ने मंजूर किये मगर उस पैसे का उपयोग नही हुआ और पीने के पानी का कुआं नही बन पाया । मैं निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट के पेश होने तक भी वह पैसा काम में नहीं आया है, और उसका कोई भी किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है । अब इस विषय में दो साल के बाद चर्चा करने जारहे हैं तो मतलब यह है कि दो साल म पता नहीं, उस पर किसी तरह का कोई काम हुआ है या नही । मैं इस रिपोर्ट का जिक्र इसलिए कर रहा था कि इस रिपोर्ट को दो साल के बाद अगर सदन में विचार के लिये रखा जाय तो इसका कहां तक उपयोग हो सकता है ? इसलिय ज्योंही यह रिपोर्ट तैयार हो, रिपोर्ट के तैयार होते ही जब भी सदन बुलाया जाय तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को प्राथमिकता देनी चाहिये । अगर पिछड़ी हुई जातियां और पिछड़े हुए वर्गों के प्रति सरकार चाहती है कि ऊंचे उठें और इनकी तरक्की हो तो जिस तरह इन जातियों को ऊंचा उठाने में सरकार दिलचस्पी लेती है उसी तरह से इनके विषय में कोई भी विषय हो तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाय ।

(श्री कल्याणमल)

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूं, आज समाज कल्याण विभाग की तरफ जो छात्रावास चल रहे हैं उनमें कई तरह की अव्यवस्थायें हैं और उनमें चल रही अव्यवस्थाओं की वजह से उनमें पढ़ने वाले छात्र अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त नही करने का मतलब यह होता है वह आगे जाकर फैल होते है और फैल होने के बाद में उनको छात्रावास से निकाल दिया जाता है।

अव्यवस्था क्या है, यह मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। मैं कुछ समय पहले चित्तौड़ गया था और चित्तौड़ में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को और गाडोलिया लोहार के छात्रावास के कमरों में जा कर देखा तो एक बड़े भारी कमरे में बीस, बीस वाट के लट्टू लग रहे थे तो क्या इतने बड़े कमरे में 20 वाट के लट्टू से बच्चे पढ़ सकते हैं और कई जगह कूड़ा करकट पड़ा था और साफ सफाई भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही थी और खाना जो उनका बन रहा था, उनके खाने को हमने देखा तो सब्जी में कंकर मिले, कच्ची रोटियां मिलीं। तो इस तरह से उन बच्चों को ऊंचा उठाया जाय यह कहां तक शोभा देता है? छात्रावासों की व्यवस्था के लिये मैं समाज कल्याण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनमें इस तरह को जो अव्यवस्था है उसमें सुधार किया जाय और इनमें सुधार करके छात्रों को जिस तरह की तकलीफें हैं उन तकलीफों को मिटाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी छात्रावास में तीन मील के एरिया से आने वाला छात्र नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि तीन मील से छात्र स्कूल में आकर पढ़ सकते हैं और पढ़ कर वापिस घर जा सकते हैं। दूर के छात्रों को ही छात्रावासों में लेना चाहिये, ऐसा समाज कल्याण विभाग का नियम है पर आज 3 मील के अन्दर के एरिया में से छात्र छात्रावासों में लिये जाते हैं और छात्रावासों में छात्र लिये जाते वक्त काफी पक्षपात होता है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के पक्ष पात और अनियमितता को मिटाने की आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे।

छात्रों को किताबें दी जाती हैं, पर कई छात्रावासों में जब कि स्कूलों को खुले 2 महिने गुजरने जा रहे हैं अभी तक किताबें नहीं दी जा रही हैं, जब कि स्कूलों में पढ़ने वाले दूसरे छात्रों को दूसरे स्कूलों में दो महीने पहले ही किताबें मिल चुकी हैं। तो ऐसी सूरत में जिन स्कूलों के छात्रों को दो महीने पहले किताबें मिल चुकी हैं उन छात्रों का मुकाबला ये पिछड़ी जाति के पिछड़ी जन-जाति के छात्र जिनको कि स्कूलें खुलने के दो महिने बाद तक भी किताबें नहीं दी गई है, कैसे ये उन छात्रों का मुकाबला कर सकेंगे। तो, माननीय सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन छात्रावासों के छात्रों को समय पर किताबें मिलनी चाहिये ताकि ये भी दूसरे छात्रों के साथ पढ़ सकें, आगे जाकर पास हो सकें और इनके कम्पिटिशन में खड़े हो सकें।

(श्री कल्याणमल)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण बोर्ड सभी पिछड़ी जातियों के लिये है न कि एक गांव और एक जिले के लिये है। मैं जहाजपुर तहसील का उदाहरण दूं कि जहाजपुर तहसील में समाज कल्याण विभाग का एक भी छात्रावास नहीं है, वहां पर 60 प्रतिशत आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं। इतनी बड़ी तादाद में जहां पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं और वहां समाज कल्याण विभाग का एक भी छात्रावास मांग करने के बाद भी नहीं खोल रहे हैं तो फिर क्या आपने एक ही गांव के लिये या एक ही जिले के लिये नियम बना लिये है कि वहां छात्रावास खोले जांय। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां भी छात्रावास होना चाहिये ताकि वहां के आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोग इसका फायदा उठा सकें।

दूसरा मैं यह भी निवेदन करूं कि आज जो सदन में घोषणा की गई और इन वर्गों के लोगों के लिये 28 प्रतिशत जो रिजर्वेशन रखा गया है, उसमें मैं तो यह मान कर चलता था कि आज सब जाति एक हो कर चलें, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को आज की घोषणा के अनुसार दो टुकड़ों में बांट दिया गया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अभी पूरा कर रहा हूं।

इसलिये ऐसा न कर के पहले जैसी समानता थी, उसी तरह समानता रखी जाती तो अच्छा था।

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा-सू०): सभानेत्री महोदया, आज जो हमारे सामने अनुसूचित जाति और जन-जाति की रिपोर्ट है, वह मैंने ध्यान से देखी है। इस रिपोर्ट को पहले ही हाउस के अन्दर पेश करना चाहिये था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज का विषय बड़ा महत्व-पूर्ण है। वैसे हम मांग तो हर समय पेश कर सकते हैं पर इस वक्त जो हमारे कार्यों में अव्यवस्था है, सरकार की तरफ से क्या कमियां हैं, उनके बारे में हमें कहन का प्रकाश डालाने का, मौका मिला है।

सभानेत्री महोदया, उदयपुर ज़िला एक ऐसा जिला है जो भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है और उस एरिया में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां अधिक संख्या आदिवासियों की है जो कि पीढ़ियों से अशिक्षित, और अन्ध विश्वासी हैं उनमें कई तरह के अवगुण हैं। आज बीस साल से हमारी सरकार ने उन आदिवासियों की शिक्षा के अन्दर और दूसरी चीजों में जागृति पैदा की हैं, उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने नियम बनाय हैं, कायदे बानये हैं, उन कायदों और नियमों में बहुत सी खामियां हैं, कायदों में तो कमी नहीं है पर हमारी व्यवस्था में कमी है इस कारण आदिवासियों को गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं, उनका बराबर उपयोग उनको नहीं मिल रहा है और इस कारण जो सरकार नें लाखों रुपया खर्च किया उसका दुरुपयोग हुआ है।

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

मैं मानता हूं कि उदयपुर जिला एक ऐसा जिला है कि वहां न तो उन लोगों के पास जमीनें हैं और न ऐसी शिक्षा है कि जिसे वे आगे जाकर प्रोग्रेस कर सकते हों। खेती के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में मैंने कई बार मांग की थी कि आदिवासियों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय क्योंकि उनका आर्थिक धंधा खेती का है और खेती से ये साल र अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। इसके अलावा उनको और ऐसी मजदूरी मिल नहीं सकती क्योंकि न तो वहां कोई इस प्रकार का काम है और न पास में कोई सिटी है जहां पर कि ये जाकर मजदूरी कर सकें।

मैं एक हरिजन का किस्सा पेश करना चाहता हूं, समाज कल्याण मंत्री ध्यान से सुनें सराड़ा तहसील में केसर गांव के बलाई हैं, जो हरिजनों में आते हैं। वहां के हरिजनों ने अपनी औरतों के जवर बेच कर 60 बीघा जमीन के बाड़ बनवाई और उन्होंने एलॉटमेंट का फार्म भरा, पर वह सरकार की ओर से उसी आफिस में रहा, हरिजनों को जमीन नहीं मिली और हुआ यह कि तहसीलदार साहब ने 197 को दूसरे आदमी को जिसके पास कि पहले से 17 बीघा जमीन थी उसको वह जमीन देदी, जब कि उन हरिजनों के पास एक इंच भी जमीन नहीं है।

(10 बजे रात्रि)

हमारी तरफ से नियम बने हुए हैं कि भूमिहीनों को पहले जमीन दी जाय लेकिन सरकार का जो यह नियम है, मैं मानता हूं हमारे अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनके कारण वे गरीब उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन गरीबों को वंचित रखते हैं। इसका मुझे बड़ा अफसोस है और समाज कल्याण मंत्री महोदय, आप इस ओर ध्यान देते तो अच्छा रहता। मैं मानता हूं कि मेरी एरिया में एलॉटमेंट की समस्या है। मैं चाहता था कि उन आदिवासियों को, उन भूमिहीनों को, किसानों को जमीन मिले। लेकिन उन आदिवासियों को जमीन नहीं मिली। इसका कारण क्या था? कारण एक था कि एलॉटमेंट कमेटी के सदस्य होते हैं बी० डी०ओ०, सरपंच एम० एल० ए० और प्रधान। लेकिन अधिकारी न होने पर भी तहसीलदार ने एक केस में जमीन एलॉट की गोगुन्दा में। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। आज एक कानून है, नियम बनाये हैं कि जो आदिवासियों की जमीन होगी, तो आदिवासी ही खरीद सकते हैं। तो उसके उपरांत भी एक आदिवासी की जमीन एक दूसरे आदमी ने खरीदी। रजिस्ट्री की। जो कायदा है उसको तहसीलदार भी पालन नहीं करते ह, इससे बड़ा अफसोस होता है।

साथ ही साथ उन लोगों की जिनकी जंगलों के अन्दर जमीन है और जंगलों के अंदर 20 साल से खेती करते हैं और अब जंगल वाले पैदा हो गए कि हमारी जमीन है। जहां पर लोगों ने मेहनत करके खेत को बनाया है, अब फोरेस्ट अधिकारी जाता है, रेंजर जाता है, गार्ड जाता है, उनको बेदखल किया जाता है। जब 15 साल पहले वह आदिवासी उस पर खेती करता था तो जंगलात वाले कहां गये थे? अब उनको बेदखल करना कहां तक वाजिब है? इसलिए गरीबों को न सताओ और नियम

Page No 258

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

है कि जो जमीन पर काश्त करता है, उसको ही मिलनी चाहिए।

शिक्षा के बारे में हमने प्रगति की है। आज आदिवासी लड़के जहां.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : दो मिनट का समय और दिया जायगा।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : शिक्षा के बारे में आदिवासियों की तरफ ध्यान दिया गया है लेकिन अधिकतर लोग मिडिल और मैट्रिक के विद्यार्थी हैं। उनकी हालत क्या है? बड़े स्कूल से पढाई करते हैं उसके बाद नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। आप कहते हैं कि सरकार ने 12½ प्रतिशत रिजर्वेशन दिया है। मैं समझता हूं कि राजस्व विभाग में एक भी आदिवासी लड़का नहीं है, जंगलात में होगा तो गार्ड के पद पर ही होगें। पढ़े लिखे लोगों को प्रतिशत के आधार पर क्या है? आदिवासियों का वहां जगह मिलना मुश्किल है। मैं मानता हूं कि हायर सेकेन्डरी स्कूल के लड़के इधर उधर घूमते हैं पुलिस में जाने के अलावा और कोई सहारा नहीं। सरकार मानती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाय लेकिन इसके नतीजे नहीं मिले हैं। तो सरकार के जो नियम हैं, उनको बराबर रखा जाय और नियमों का पालन करते हुए रोजी रोटी का सवाल है, उनको आग भी प्रोत्साहन दें।

मंत्री महोदय, आपका छात्रावास भी चल रहा है और हमारे राजस्थान सेवा संघ की संस्था भी चल रही है। आप जो एड देते हैं वह कम हैं। आप तुलना करें तो आपके छात्रावास पीछे रहेंगें क्योंकि आपके छात्रावास के व्यवस्थापक की हालत क्या होगी? आपके व्यवस्थापक वेतन की बात करेंगे। लेकिन हमारी संस्थाओं के जो व्यवस्थापक हैं उनको रचनात्मक कार्य के लिए लोगों को गाइड करने में रुचि रहती है। जो आदिम जाति सेवा संघ या राजस्थान सेवक संघ के छात्रावास और प्राइमरी स्कूल्स चल रहे हैं, उनको आप सहयोग दें ताकि आपको उस काम में सहयोग मिलेगा और पिछड़े वर्ग को आगे जाने का मौका मिलेगा। आप जरूर ध्यान दें और उदयपुर एरिया ऐसा है जहां कि राजस्थान भर का पिछड़ा वर्ग है।

आप जिस कदम को लेकर चल रहे हैं, उसका नियमानुसार बराबर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पालन करते रहते तो अच्छा रहता।

(लगातार समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ 5 मिनट।

श्रीमती सभानेत्री : क्षमा करें।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : मैं कहना चाहता था कि शिक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को प्रोत्साहन दें। आपके अधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, आपकी तरफ से चैक नहीं है। आपको कई बार ट्राइबल बोर्ड की मीटिंग में कहा कि इस कमजोरी को दूर करें। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु०) : सभानेत्री महोदया, यह अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और 10.5 बजे से अधिक समय हो गया है। मैं यह सभी समझता हूं कि इस समय माननीय सदस्य हमारे भाषण को सुनने के लिए कहां तक तयार हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय कम है और मैं अधिक नहीं बोलूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपके भाषण सनने के लिए ही तो बैठे हैं, हम थोड़े ही बोले हैं।

श्री रतनलाल रोत : आदिवासी और हरिजनों की कितनी समस्याएं हैं, वह मैं माननीय सदस्यों के लिए सदन में रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपके मंत्री नहीं बैठते हैं।

श्री रतनलाल रोत : मैं तना ही कहना चाहुंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार इस रिपोर्ट के अन्दर उल्लेख किया गया है कि आई० टी० आई० के सेन्टर होने चाहिए और इस समय 15 सेन्टर राजस्थान में चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने हमारे क्षेत्र डुंगरपूर और बांसवाड़ा और उदयपुर के कुछ क्षेत्र को अनुसूचित व जन-जाति एरिया घोषित किया है। उस क्षेत्र के अन्दर जहां 70 प्रतिशत से अधिक लोग आदिवासी और हरिजन हैं तो डुंगरपुर और बांसवाड़ा में वहां पर आई०टी०आई० का कोई सेन्टर नहीं है। तो समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह वहां यह सेन्टर खुलवाए।

दूसरी बात आगामी वर्ष के लिए और अभी से राजस्थान में गांधी शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तो मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करूंगा और समाज कल्याण मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वह इस ओर ध्यान देंगे कि राजस्थान में जितने आदिवासी हैं वे भूमिहीन हैं और हरिजन लोग हैं जो भूमि चाहते हैं और वास्तव में जिनका मुख्य धंधा खेती है और दूसरा धंधा पशुपालन है तो इच्छानुसार जो लोग खेती करना चाहते हैं, खुदकाश्त करना चाहते हैं, वे भूमि से वंचित रह जाते हैं तो राज्य सरकार इस प्रकार का फैसला करे कि दो एक वर्ष के अन्दर ऐसे भूमिहीनों को चाहे आदिवासी किसान हों, चाहे हरिजन हों लेकिन उनको जमीन दे दी जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवीलाल गिरासिया (केकड़ी-सु०) माननीय सभानेत्रीजी, मैं परिगणित जाति आयोग की रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करूंगा। आजादी के 22 वर्षों के बाद आज भी छुआछूत का बोलबाला है। यहां तक कि राजस्थान की राजधानी के अन्दर इतनी छुआछूत की जाती है कि यहां के नगर विकास न्यास के सचिव, श्री राधेकान्त द्वारा लक्ष्मीनारायण बस्ती के निवासियों को विस्थापित किया जारहा है। 10 साल से अनुसूचित जाति के सदस्य यहां पर निवास करते हैं। उनकी झोंपड़ियों को हटाकर स्वर्ण जाति के लोगों को बसाया जा रहा है। इसके लिये मिनिस्टर साहब, डिप्टी मिनिस्टर साहब ने स्टे आर्डर दे दिया लेकिन इस वक्त भी जबर्दस्ती मकान का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस को वहां बठा रखी है।

(श्री देवीलाल गिरासिया)

अनुसूचित जाति के लोगों को पुलिस डरा धमका रही है और उनको छेड़ रही है। जब कि इस लक्ष्मीनारायण बस्ती के निवासियों को माननीय भीखा भाई द्वारा स्टे आर्डर मिल गया है लेकिन उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। यह कहते हैं कि उनको मकान के लिये अलग जगह दे देंगे। अलग गृह निर्माण अनुसूचित जाति के लिये यह बड़ा छुआछूत नहीं तो क्या है? जब कि देश आजाद हुए 22 साल हो गये हैं।

माननीय सभानेत्रीजी, आज समाज कल्याण मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि 28 प्रतिशत तक कर दिया है। 12 प्रतिशत की पूर्ति समाज कल्याण मन्त्रीजी नहीं करा सके तो आज 28 प्रतिशत कोटे की पूर्ति वे कैसे करेंगे? अभी रामचंद्रजी भाई ने बताया कि यह तात्कालिक घोषणा थी थी घोषणा है। यह पूरी भी होगी या नहीं। माननीय मन्त्रीजी जब यह घोषणा कर रहे थे तो वे मुख्य मंत्रीजी से पूछ-पूछ कर घोषणा कर रहे थे।

सभानेत्रीजी, आपके माध्यम से मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा क्या वे यह बतायेंगे कि सन् 66 के अन्दर पुलिस के अन्दर अनुसूचित जाति का एक लड़का जो फर्स्ट डिविजन पास हुआ, मेडिकल में पास हो गया किन्तु पर्सनल इन्टरव्यू के लिये जब गया तो उसको यह कहा गया आपका प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिये आपको थानेदार नहीं बनाया जावेगा।

आपने यह बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटन करने के लिये रिजर्व रखी है। इसमें यह निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर यह विज्ञप्ति निकालें, यह संशोधन लावें या कर दें कि जहां जमीन उपलब्ध है, कहीं का भी हरिजन निवासी हो, उसको वहां जमीन दी जावेगी। सरपंच कह दें कि इस गांव के निवासी नहीं है, इसलिये जमीन नहीं दी जायगी। माननीय सभानेत्रीजी, मैं आपको बताऊंगा कि गत साल केकड़ी तहसील, सरवा तहसील के अन्दर एक तालाब के पेटे की जमीन सारे हरिजनों को एलॉट की गयी। इसके बाद भी वहां के सरपंच द्वारा इस तालाब की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया और इन मठाधीश लोगों ने उसकी बुवाई कर दी। इसके बाद थानेदार, तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही न करके, जो जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को एलॉट हुई थी, वह कैंसिल हो गई।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इन मंत्री महोदय को जरा ध्यान देने को कहें। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आपने क्या सुना है? उन्होंने क्या कहा है? (घन्टी) जरा बताइये।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : आप बिराजिये। आप मेरा जवाब सुन लीजियेगा।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य!

श्री देवीलाल गिरासिया : आज हमारे मन्त्री महोदय दल बदल कर मन्त्री पद पर बैठे हैं दल बदल कर मंत्री पद इन्होंने हासिल किया है। इससे इन्होंने अनुसूचित जातियों का क्या फायदा किया है?

(श्री देवीलाल गिरासिया)

सभापति महोदय, हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित जन जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काफी प्रलोभन दिया जाता है। यह इसलिये भी कहूंगा कि भारत सेवक समाज द्वारा ईसाई मिशनरियों से सामान लेकर इन अनुसूचित जाति के लोगों को वितरण किया जाता है और उसके साथ साथ धर्म के प्रचार की किताबें बांटी जाती हैं। इसलिये इस पर तत्काल रोक लगाई जाये और कानून बनाया जाये जिससे कि धर्म परिवर्तन करने से रोका जा सके।

सभापति महोदया, इस साल राजस्थान सरकार ने बजट भाषण में कहा था कि यह गांधी शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष हरिजन भाई सिर पर मैला नहीं ढोयेंगे। मैं जहां तक देखता हूं कहीं भी एक भी नगरपालिका में ऐसी स्थिति पैदा नहीं की गयी है कि हरिजन भाई सिर पर मैला न ढोयें। मैं मांग करता हूं कि तत्काल इस गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर मैला ढोने की प्रथा को बंद किया जाये और ऐसे उपाय लागू किये जायें कि यथा शीघ्र 2 अक्टूबर के पहले पहले नगरपालिका को सामान सप्लाई किया जाये ताकि हरिजन सिर पर मैला न ढोयें।

सभानेत्रीजी, एक बात और कहूंगा। आपने, जो अनुसूचित जाति के लोगों को हाउस वगैरह के लिए अनुदान देते हैं, वह इस साल से बंद कर दिया है। आपने 2500 रुपयों का ऋण 25 किश्तों में दिया है। तो यह सुविधा गांधी शताब्दी के अवसर पर हमारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में मिलनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् 63 से अजमेर डिस्ट्रिक्ट में समाज कल्याण बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं हुई है और समाज कल्याण विभाग क्या काम करता है, उसकी कोई सूचना नहीं होती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय समय पर जो मीटिंग्स हों, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाये, उसके बारे में हमसे राय लें कि फलां फलां मीटिंग्स में इस तरह से किया जायेगा।

सभानेत्री जी, मैं समाज कल्याण विभाग के मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आपने घोषणा की है, उस घोषणा को आप तत्काल क्रियान्वित करें, तत्काल इसकी विज्ञप्ति निकालकर इसको क्रियान्वित करने की कृपा करें।

श्रीमती सभानेत्री: जिन माननीय सदस्यों ने बोलने की इच्छा प्रकट की है उनमें अब तीन नाम शेष रहते हैं।

1. श्री दौलतराम सारण,
2. श्री देवीदत्त गाड़िया और
3. श्री हंसराज आर्य

श्री दौलतराम सारण : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने इतनी देर तक.....

श्रीमति सभानेत्री : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : इतनी देर तक आपने क्यों नहीं कहा ....

श्रीमती सभानेत्री : आप बैठ जायें माननीय सदस्य। आसन खड़ा है। आप बीच में क्यों उठते हैं? आप तीन लोग,

(श्रीमती सभानेत्री)

माननीय सदस्य, मैं सोचती हूं कि आप प्रभावशाली वक्ता हैं । 10 मिनट का समय आपको पूरा नहीं होगा । इसलिये यदि आप चाहें तो उत्तर शुरू करवा दें । आप इतने प्रभावशाली वक्ता हैं कि तीन घन्टे का समय भी आपको कम होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तर दे दिया जावे ।

श्री हंसराज आर्य : मैं तो अपने समय का दान जोशी जी को करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : आप भी अनुकरण करें ।

श्री दौलतराम सारण : सभानेत्री महोदय, गरीब और अशिक्षा से ग्रसित इन पिछड़ी जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है लेकिन इस पर विचार के लिये समय नहीं दिया जाता । रात को अतिरिक्त समय में भी बैठने के बाद भी समय नहीं मिलता । इस तरह से हम बोलकर अपनी अहमियत को कम नहीं करवाना चाहते ।

श्रीमती सभानेत्री : अब मंत्री महोदय, उत्तर दे दें लेकिन संक्षेप में ही उत्तर दे दें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक बात और पूछना चाहता हूं अनुसूचित जाति एवं आदिम जातियों के जो लोग निर्धन और अशिक्षित हैं । उन लोगों पर बड़ा कर्ज है, उनके खिलाफ काफी मुकदमे बनते हैं । उन मुकद्दमों की पैरवी के लिये समाज कल्याण विभाग की ओर से उप-जिला कार्यालयों में वकील आदि की व्यवस्था कर रखी है जिससे वे अपने मुकदमों की पैरवी करा सकें । वरना ऐसा होता है कि एक हरिजन आदिवासी जो गरीब और अशिक्षित है वें लोग न तो मुकदमा लडना जानते है इसलिये बड़े बड़े व्यक्ति उनकी जमीन हड़प लेते हैं । एक तरफ तो उन पर डिक्रियां होती हैं । क्या आप अपना नैतिक कर्त्तव्य नहीं समझते हैं कि उप-जिलाधीश केन्द्र पर उनकी पैरवी के लिये वकील नियुक्त किये जायें ?

दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि इन लोगों की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय । क्या सरकार की इस प्रकार की नीति है ? इन दो चीजों का जरूर जवाब दें ।

श्रीमती सभानेत्री : अब मंत्री जी जवाब दें ।

श्री रामकिशन : एक बात में पूछना चाहता हूं आपने जो रिजर्वेशन किया है उनमें जो मुसलमान जातियां पिछडी हुई हैं जैसे मोमीन, जुलाहे आदि इनके संरक्षण के लिये भी आप सिफारिश करेंगे ? क्या आपका यह विचार है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मेरा प्रश्न और है बंगाल से आये हुए विस्थापित जो किशनगंज तहसील में बसें हैं जो बंगाल में अनुसूचित जाति में गिने जाते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने इनको अनुसूचित जाति में नहीं लिया है । इनको संरक्षण नहीं मिल रहा है । आप इसकी जांच कराकर इनको भी उसमें एड करवायेंगे ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : आपकी मारफत में एक ही प्रश्न पूछना

(श्री मनोहरसिंह महता)

चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जवाब देते समय एक बात निष्ठा के साथ कहेंगे। इसी को हम जवाब मान लगे। आने वाली अक्टबर तक कोई ऐसा हरिजन और आदिवासी नहीं रहेगा जिसको जमीन न मिले। एक ही काम में आप लगादें अपने आपको, यह काम करदें तो गान्धी शताब्दी वर्ष में यह एक महान् कार्य होगा। आप जवाब देते समय मुख्य रूप से दो तीन बातें ही पकड़ लें। एक तो सिर पर मैला ढोने का काम है इसको भी बन्द करने में पूरा प्रयत्न करेंगे। जितनी भी म्युनिसिपेलिटी हैं वे सब इस काम को बन्द कराने में अपनी शक्ति लगा दें। ये दो काम ही पूरे कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप जवाब भी बिल्कुल थोड़े में दें और निष्ठा के साथ दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : दल बदलू हैं उनको भी क्या आपने बेकवर्ड क्लास में रखा है?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : (राज्य मंत्री समाज कल्याण) : समानेत्री महोदया सब से पहले अधिकांश विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने और कुछ इधर के सदस्यों ने इस बात को रखा है कि इस आयुक्त की रिपोर्ट को जो विचारार्थ रखा जाता है वह समय पर नहीं रखा जाता है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों ने तथ्यों के अभाव में यह कह दिया है। यह रिपोर्ट भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग से राजस्थान सरकार को 21 मार्च '69 को प्राप्त हुई। इसको पिछले सत्र में ही सदन की मेज पर रख दिया गया था..

एक माननीय सदस्य : आप उस सत्र में भाग कहां गये थे?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : कुछ कारणों से वह जो सत्र था बहुत ही एबरप्टली समाप्त हो गया। विभाग द्वारा तो इस रिपोर्ट को पिछले बजट सत्र में ही रख दिया गया था।

इसके अलवा मैं एक प्रक्रियां संबन्धी सूचना भी देना चाहता हूं यह रिपोर्ट कमीशन द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती हैं। उसके बाद केन्द्रीय सरकार से उसके इम्पलीमेन्टेशन और उस संबन्धी एक्शन पर रिपोर्ट चाही जाती हैं। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल उस पर विचार करके रिपोर्ट तैयार करके संसद में पेश करता है यह प्रावधान वैधानिक है। जब तक संविधान के अन्तर्गत पार्लियामेन्ट इस संबन्ध में अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर लेती तब तक उस पर कहीं भी बहस नहीं हो सकती। वह ब्रीच आफ प्रिविलेज में आ जाता है।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप यह समझते हैं कि यहां जो मेम्बर बैठे हुए है वे प्रोसीजर नहीं जानते?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : यह सभी जानते होते तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके पेश किये हुए साल भर हो गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि लास्ट रिपोर्ट भी राजस्थान सरकार को मिल गई?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : पूरी कापियां नहीं आयी हैं। एक रिपोर्ट की कापी आई हैं इसलिये सब को सरकलेट नहीं करवा सकते।

श्रीमती सभानेत्री : आप पाईन्ट पर आ जायं।

श्री विशम्भर जोशी : मैं इस पाइन्ट को इसलिये ले रहा हूं कि इस पर करीब 25 मेम्बरों ने कहा हैं। इस बहस के दौरान अधिकांश माननीय सदस्यों से कीमती सुझाव आये हैं उनका स्वागत है। हम भी यह आशा करके चलते हैं कि आपके सुझाव के अनुसार हम अपने विभाग को तीव्र रफ्तार से चलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें कहीं हैं जैसे वे ही इन पिछड़ी हुई जातियों के हिमायती हैं। हर देश में कुछ ऐसे मुद्दे हुआ करते ह जिसमें राजनैतिक पार्टिया किसी एक हद तक आपस में समझौता रखती है। जैसे इंगलैण्ड को ही लीजिये वहां पर दोनों मेजर पार्टीज फॉरिन पॉलीसी को दलगत राजनीति से उपर रखते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : फॉरिन पॉलिसी आपकी किस तरह की है, दूसरे देशों की किस तरह की है इस पर आप बहस न करें। संबन्धित मुद्दे ही कह दें तो अच्छा ह।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि भारत के संविधान ने केन्द्रीय सरकार पर और प्रान्तीय सरकारों पर यह पवित्र दायित्व डाला है कि पिछड़े हुए लोगों के हितों को संरक्षण मिले ताकि उनका शोषण न हो पाये। हमने संविधान के प्रति वफादारी की कसमली हैं इसलिये हमें इस देश के विधान में और उसके सिद्धान्त में आस्था होनी चाहिये। इसलिये पिछड़े वर्ग के लोगों को संरक्षण देने का मामला दलगत राजनीति से ग्रसित न किया जाय। कम से कम इस एक मुद्दे को तो राजनीति से अलग रखें।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो इसका मतलब यह हुआ कि गरीबों को जो मारते हैं, पीटते हैं वह बात भी नहीं कहें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने मेरी बात को सही नहीं समझा। यह मुझे इसलिये कहना पड़ा कि मिसाल की तौर पर राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसकी सूचना आपको दी अब इस बारे में अफसोस इस बात का है कि पिछड़े हुए लोगों के लिये जो प्रगतिशील कदम राज्य सरकार ने उठाया उसके बारे में भी भ्रान्त धारणायें बनाई गई। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह निर्णय तो कांग्रेस पार्टी की सुबह बैठक हुई थी उसमें प्रैशर सरकार पर आया था इसकी वजह से हुआ। सरकार को मजबूरन यह निर्णय करना पड़ा। तो मै सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह निर्णय तो हमने पहली तारीख को ही ले लिया था पार्टी की मीटिंग में तो यह मामला आया ही नहीं।

श्री नत्थी सिंह : ये सजग हैं ही नहीं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अब इसकी उत्कंठा है इसका तो स्वागत करता हूं।

(10.31 रात्रि)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

पर यह जो कहा गया कि यह 28 प्रतिशत कार्य रूप में परिणत होगा या नहीं इसमें लोगों

Page No 265

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

को शंका है। मैं कहना चाहता हूं कि आठ नौ साल पहले की बात तो छोड़ दें। पर लास्ट तीन सालों का एवरेज अगर लिया जाव प्रत्येक श्रणी का, हर विभाग का तो एक श्रेणी छोड़कर बाकी में 12॥ परसेन्ट से कहीं अधिक अनुपात आया है। तो यह धारणा सही नहीं है कि 12॥ प्रतिशत भी नहीं दिया गया है। म उन चारों श्रणियों गजेटेड, सबोर्डिनट, मिनिस्टरियल और फोर्थ क्लास के आंकड़े पिछले तीन सालों के देता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गजेटेड में कितना परसेन्ट रहा ?

श्री रोशन लाल शर्मा : गजटेड में पूरा क्यों नहीं हुआ इसका ? कारण तो बताइये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 65-66 में 5.8, 66-67 में 4.7 और 67-68 में 12.9 तो यह कुल मिलाकर आठ पर्सेन्ट आता है।

श्री रोशन लाल शर्मा : क्यों ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सबोर्डिनेट सर्विसेज में 65—66 में 9.8 पर्सेन्ट

66—67 में 16 पर्सेन्ट

67—68 में 23.6 पर्सेन्ट

मिनिस्टरियल सर्विसेज में 65—66 में 27.6 पर्सेन्ट

66—67 में 10.00 पर्सेन्ट

67—68 में 24,50 पर्सेन्ट

टोटल 19 पर्सेन्ट

चतुर्थ श्रेणी में 65—66 में 32 पर्सेन्ट

66—67 में 39 पर्सेन्ट

67—68 में 45 पर्सेन्ट टोटल 39 पर्सेन्ट

श्री डूंगाराम राजोरिया : हम तो यह पूछना चाहते हैं कि हर विभाग में 12॥ पर्सेन्ट आता है क्या शुरू से लेकर आज तक ? कुल मिलाकर आज क्या है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : तो यह तो खयाल गलत है कि किसी भी विभाग में 12॥ प्रतिशत नहीं हुआ। केवल गजेटेड के अलावा तीनों श्रेणियों में पिछले तीन सालों में रिजर्ड कोटा से पर्सेन्टज एक्सीड किया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इससे पहले का क्या एवरेज है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप एक बात समझ लीजिये। प्रारम्भिक वर्षों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी तो कम अनुपात आना ही चाहिये था। एक बात और कहना चाहता हूं कि इस गजेटेड में भी सारा दोष राज्य सरकार का हो ऐसा नहीं है, इनमें भी 90 प्रतिशत सिलेक्शन तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करता है न कि राजस्थान सरकार।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपको इस वक्त क्यों सूझी यह 28 पर्सेन्ट की बात ?

श्री दौलतराम सारण : पी०एस० सी० गजटेड पोस्टों पर सिलेक्शन करती है यह सही है पर योग्यता वगैरह के लिये तो आप डाइरेक्शन देते ह अब उसमे राजस्थान सरकार कोटा रिजर्व करती है तो अब इसमें क्या आपत्ति है पी० एससी० को ? वे भी बी०ए०, एम०ए० होते हैं, यह भी

(श्री दौलतराम सारण)

बी०ए०, एम०ए० होते हैं। उसी युनीवर्सिटी से ये पास करते हैं जिससे वे करते हैं। उसी से वैसा ही सर्टीफिकेट वे लेते हैं जैसे इनको मिलते हैं। फिर दूसरे तो कैसे आ जाते हैं और ये कैसे रह जाते हैं ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : यह तो आपने एक अजीब बात कहदी।

श्री दौलतराम सारण: मैंने अजीब नहीं कह दी है। आपका नजरिया अजीब बना हुआ है। आप यह रिपोर्ट पढ़िये। यह जो आप दलील दे रहे हैं इसी का जवाब इसमें अच्छी तरह से दिया गया है। आप इस तरह के बहाने बनाकर उनको गजेटेड स्टाफ में भर्ती नहीं करना चाहते। सही बात तो यह है। चपरासी आप कितने ही भर्ती कर लें, इससे छुआछूत नहीं मिटने वाली है यह तो तभी मिटेगी जब कन्ट्रोलिंग आथोरिटी में वे होंगे। उनको आप आसानी से आने देना नहीं चाहते। सही बात तो यह है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सभापति महोदय, बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछना चाहता हूं रिजर्वेशन के बारे में कि आपने 65-66 से अब तक की लिस्ट बताई मैं जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में किस किस विभाग में किस-किस श्रेणी में क्या क्या अनुपात है ? यह बता दीजिये। समाज कल्याण विभाग का ही कोटा आप बता दीजिये पहले तो।

श्री नत्थीसिंह : सब अंधेर ही अंधेर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरा प्रश्न यह है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। माननीय मन्त्रीजी, आपने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया है क्या या प्रारम्भ रख रहे हैं ?

श्री बिशवम्भरनाथ जोशी : चूंकि ये खड़े हो गये थ इसलिए मैं बैठ गया। वैसे प्रारम्भ है अभी तो।

श्री सभापति : आडर प्लीज। पहले मन्त्रीजी अपना वक्तव्य पूरा करेंगे और इसके बाद जिन माननीय सदस्यों को जो जो जानकारी लेनी हो वह एक एक करके अपनी शंकाओं का समाधान करना हो या जानकारी लेना हो वो ले लें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप यह बताइये.....

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, जब तक अपना वक्तव्य समाप्त नहीं कर दें तब तक कोई जानकारी बीच में नहीं दी जावेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : भाषण में वे चैलेंज देते हैं और गलत बातें बोलते हैं तो मैं भी चैलेंज से उनको कहता हूं कि उनके विभाग में आज की तारीख में 12।। प्रतिशत के हिसाब से आदमी नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी उनकी बात को अपने जवाब में शामिल कर लें।

श्री बिशवम्भरनाथ जोशी : कोटा पूरा नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरे से यह एक्सपक्ट करते हैं कि वर्षों पहले से समाज कल्याण विभाग

(श्री विशवम्भरनाथ जोशी)

के विभिन्न श्रेणियों में जो कर्मचारी, जो अधिकारी नियत हैं उनको इसलिऐ कि वे शिड्यूल्ड कास्ट्स के नहीं है, सर्विस से टरमिनेट कर दिया जावे और फिर उन स्थानों पर शिड्यूल्ड कास्टस के लोग लिये जावें तो यह तो कोई भी सरकार करेगी नहीं। करना चाहे तब भी नहीं कर सकती और इसके लिये आपको उसे दोष देना भी नहीं चाहिये! मेरा विभाग छोटा सा विभाग है। इसमें ज्यादा व्यक्ति नहीं होते। कुल मिला कर 18 नियुक्तियां हुई हैं एक सितम्बर 68 से 69 तक। इन में से दस शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोग हैं। और 8 अन्य है। आप कहें तो मैं नाम बता सकता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : हमें नाम याद हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया :
श्री श्रवणलाल : } (एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए अश्रव्य)

श्री सभापति : मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन हम निवेदन करना चाहते हैं..

श्री सभापति : आप निवेदन कर चुके हैं। आपके निवेदन का ही जवाब दिया जा रहा है।

श्री लादूराम सुलानिया : आसन से आप आदेश दें अपने विभाग की ही बात न कहें रिपोर्ट राजस्थान की है, राजस्थान में बसने वाले हरिजनों की है। राजस्थान के सारे विभागों की नियुक्ति के बारे में कहें। हमारा समाज कल्याण से कोई मतलब नहीं वहै

श्री सभापति : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : हमें समाज कल्याण की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : मंत्रीजी अपना जवाब दें।

श्री श्रवणलाल : मैं जानकारी चाहूंगा 18..

श्री विशम्भरनाथ जोशी : This is not question, Sir

श्री नत्थीसिंह : अंग्रेजी में क्या बोल गये ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं यहां पर सारी डिबेट का जवाब देने के लिये खड़ा हुआ हूं, किसी क्वेश्चन का नहीं। मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं सवालों का जवाब नहीं।

श्री श्रवणलाल : अपने डिपार्टमेन्ट के अन्दर 18 नियुक्ति....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं जवाब नहीं दूंगा। आसन की आज्ञा हो चुकी है, मैं सवालों का जवाब नहीं दूंगा।

श्री श्रवणलाल : मैं आसन के द्वारा जानकारी चाह रहा हूं, आप से नहीं।

श्री सभापति : मंत्रीजी डिबेट का उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो वह वक्तव्य के समाप्त होन के बाद लें। मंत्रीजी को शान्तिपूर्वक बोलने दें। विघ्न न डालें।

श्री श्रवणलाल : मैं आसन के आदेश को शिरोधार्य करता हूं लेकिन जिस प्रकार इन्होंने सर्विसेज में 18 नियुक्तियां कीं, ठीक है, आपने ठीक किया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं वे एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज से इन्टरव्यू लेकर की ह या ऐसे ही की हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय मंत्री जी के भाषण के बीच बीच में बोल रहे है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पहले मंत्रीजी बोल ले और इसके बाद जो हमारे पाइन्ट हैं वे हम बाद में इनके सामने रखें तो ज्यादा अच्छा हो ।।

श्री सभापति : आसन की यही व्यवस्था है।

श्री लादूराम सुलानिया : हम आपके द्वारा दोहराना चाहते हैं ....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : (माननीय मंत्रीजी श्री लादूराम सुलानिया के साथ साथ बोलते रहे–अश्रव्य) मैं अपने भाषण को और कर्टेल कर सकता हूं । मैं आपको बता रहा हूं....

श्री श्रवण लाल : इसमें गड़बड़ी तो यही है एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से लिस्ट मंगाते नहीं है। झगड़ा तो यही है और फिर कहते है....

श्री मूलचन्द डागा : हम तो मंत्रीजी का जवाब सुनना चाहते हैं, हमको सुनने नहीं देते है।

श्री लादूराम सुलानिया : हम भी तो सुनना चाहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : कहां सुनना चाहते हो ?

श्री लादूराम सुलानिया : समाज कल्याण पर क्यों बोल रहे हैं, सब विभागों का जवाब दें ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उनके दिल में दर्द और ठेस है मेरे ख्याल में ज्यादा आशंका इस बात की है कि 28 पर्सेन्ट का जो रिजोल्यूशन लिया है उसके बारे में शंका है, क्रियान्वित होने में डिफिकल्टी आयेगी ऐसी माननीय सदस्यों की धारणा है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं उनमें जो कुछ शंकायें हैं, हम यथा सम्भव इसको रफा करने की कोशिश करेंगे । इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा राजस्थान सरकार में एक स्पेशल कमेटी का गठन किया हुआ है । वह सारे महकमों के आंकड़े मंगायेगी कि रिजर्वेशन के सम्बन्ध में राजाज्ञा का कहां तक पालन हो रहा है। किस महकमे में पालन नहीं हो रहा है। इसकी 6 माही रिपोर्ट ली जायगी, जो विभाग इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। राजाज्ञा का पालन जल्दी से जल्दी किया और समय पर निर्णय लिया जायगा । जो स्पेशल कमेटी बनी हुई है वह इस काम को देखेगी इसलिये आप आश्वस्त रहें । राज्य सरकार का पक्का इरादा है कि 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन का पालन हो ।

श्री श्रवणलाल : कमेटी बनाई है वह गवर्नमेन्ट अधिकारियों की बनाई है या एम० एल० एज० की ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं आपको बताता हूं....

श्री डूंगाराम राजोरिया : उस कमेटी में कौन कौन हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बता रहा हूं । उस कमेटी में एपाइन्टमेंट सेक्रेटरी है, नियुक्त विभाग के सेक्रेटरी है जिनका काम नियुक्ति से है, सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर हैं, सोशल वेलफेयर विभाग के सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज हैं, लेबर कमिश्नर हैं, डिप्टी मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर हैं- यह कमेटी है हमारी । उसकी अभी एक बैठक हुई है । आपने देखा एक मीटिंग में साढ़े बारह पर्सेन्ट से 28 पर्सेन्ट कर दिया यह बताना चाहता हूं..

श्री नत्थीसिंह : दो-तीन बैठकों में 60 पर्सेन्ट हो जायगा ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : दूसरी मीटिंग में प्रमोशन का तय हो जायगा । हमारा पक्का इरादा है हम इस बात को देखेंगे कि 28 पर्सेन्ट का कोटा जल्दी से जल्दी पूरा करें....

श्री डूंगाराम राजोरिया : साढ़े बारह प्रतिशत ही पूरा नहीं हुआ, यह तो आप मानते हैं ?

(माननीय मंत्री जी साथ साथ बोलते रहे-अश्रव्य)

आप कभी भी गलत नहीं बता सकते हैं । यह नहीं कह सकते कि कोटा पूरा हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : आप सुनते तो जायं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पहले जो प्रगतिशील कानून- आकुपेशनल पेटर्न था उसमें क्या परिवतन आया है । यह इस बात का सर्वे करने को सिफारिश कमेटी ने की है । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी देना चाहता हूं राजस्थान में इवोल्यूशन कमेटी का निर्माण हुआ । यह राज्य के भिन्न भिन्न जिलों में गई है । उसके स्कोप में यह विषय इन्वल्यूड था । माननीय सदस्य उसके मेम्बर हैं, जल्दी वह रिपोर्ट पेश करने वाली है । ट्राइबल रिसर्च इन्सटीट्यूट व इवोल्यूएशन डिपार्टमेंट ने सर्वे की है और इसको रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है जिसके आधार पर शनैः शनैः आक्यूपेशनल पेटर्न में तब्दीली आई है, नई व्यवस्था में लगे यह किया जा रहा है ।

इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में एक परमानेन्ट सेक्शन कायम करने की सोच रहे हैं जो इस बात का इन्वेस्टीगेशन करेगा । दूसरी सिफारिश है स्टेप्स लेने की । राज्य सरकार ने जो गरीबों में ज्यादा गरीब हैं, पिछड़े हुये लोगों में ज्यादा पिछड़े हुये हैं - जैसे शिड्यूल्ड कास्ट् में कम्परेटिबली सफाई का काम करने वाले मेहतर ज्यादा गरीब हैं तो उनके बच्चों के लिये खास नियम बना रखे हैं । हमारे छात्रावासों में जो 5 मील से दूर रहते हैं वे ही आ सकते हैं लेकिन मेहतरों के लिय यह आवश्यक नहीं है । हम उनको छात्रावासों में प्रवेश देते हैं..

(मेज थपथपाई गई)

इसी प्रकार हाउसिंग लोन की जो स्कीम है वहां दूसरे लोगों को दो हजार का लोन देंगे और मेहतरों को ढाई हजार का देंगे....

श्री भैरोंसिंह : ताली बजा बजा कर 10 मिनट का समय लम्बा कर रहे हो ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : नहीं । तीसरी रिपोर्ट जो है वह इस बारे में है इन्डस्ट्रियल-तीसरी रिकमन्डेशन में यह कहा गया है कि टैक्निकल शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिये....

श्री भैरोंसिंह : यह चौथी व्यवस्था है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस बारे में कुछ सुझाव आये है । पहले 25 रुपया अनुदान दिया जाता था, अब 45 कर दिया गया है....

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी एक बात बता दें कि आप हरिजनों को और भंगियों को ज्यादा गरीब मानकर चलते हैं। आप हरिजनों के अलग छात्रावास रखते हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलग रखते हैं क्या आपकी यह नीति भेदभाव की नहीं है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : सभापति महोदय, चौथी कमीशन की सिफारिश यह है कि विज्ञान की टीचिंग के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए जाने चाहिए और ऐसे तरीके अपनाये जायें जिससे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र मे पिछड़े हुए वर्ग के बालक प्रगति कर सकें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य खश होंगे कि हमारे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलने वाले जितने छात्रावास हैं उनमें विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए और गणित के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टीचर्स रखे जाते हैं और उनकी साइन्स में कोचिंग होती है ।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने राजस्थान राज्य के अन्दर एक स्पेशल मेरिट-कम नीड की स्कालरशिप चालु की है जो कि मेडिकल और इन्जीनियरिंग इन्सटीट्यूशन्स में जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको यह देते हैं। इसके लिए डिग्री वालों को 50 रुपये और डिप्लोमा वालों को 30 रुपये हैं। सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में यह जो मैरिट-कम-नीड स्कालरशिप है यह सिर्फ हमारे राज्य की विशेषता है और दूसरे किसी राज्य में नहीं दी जाती है। केवल राजस्थान में ही दी जाती है।

पांचवी सिफारिश उनकी है वोकेशनल ट्रेनिंग देने के बारे में है। यह सिफारिश है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देने के बारे में कुछ स्पेशल कोर्सेज चलाये जाने चाहिए और प्रि-इन्जीनियरिंग और प्रि-मेडिकल...

श्री लादूराम सुलानिया : मैरिट की हिन्दी क्या है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैरिट की हिन्दी योग्यता है और मेरे ख्याल से आप जानते थे इसलिए मैंने अंग्रेजी में कह दिया।

पांचवीं सिफारिश प्रि-मेडिकल और प्रि-इन्जीनियरिंग कोर्सेज नहीं के लिए स्पेशल कोचिंग की है। तो राजस्थान में प्रि-इन्जीनियरिंग कोर्स नहीं है और प्रि-मेडिकल कोर्स इसी साल से चालू हुआ उसके बारे में आवश्यकता हुई तो हम विचार करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने वोकेशनल ट्रेनिंग देने के विचार से 16 प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये हैं। इनमें से 13 में सिलाई का काम, एक में चर्म उद्योग का काम और में काष्ठ उद्योग का काम है। इस तरह से 16 केन्द्र चल रहे हैं जिसमें हम पहले 15 रुपये देते थे अब

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

उसकी जगह 35 रुपये दे रहे हैं और पहले 200 रुपये औजार वगैरह खरीदने के लिए देते थे और अब रिहैबीलीटेट करने के लिए एक हजार रुपया दिया जाने लगेगा।

इसके अलावा छठी सिफारिश है वह सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में है और भारत सरकार से उसका ताल्लुक है। सातवीं सिफारिश प्रमोशन वगैरह के बारे में और इसका ताल्लुक भी भारत सरकार से है। आठवीं सिफारिश का ताल्लुक भी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से है। नवीं सिफारिश का ताल्लुक अपने से है और वह सिफारिश यह है कि एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के लिए ऐसा अधिकार दिया जाय कि वह इन्टरव्यू करने वाले जो ऑथोरिटीज हैं उससे सवाल पूछ लें कि किसी भी इन्टरव्यू में पिछड़ी हुई जाति के जो भी केन्डीडेट्स गये और जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया उनके बारे में पूछ सकें कि इनको किस आधार पर रिजेक्ट किया गया और राजस्थान सरकार इस सिफारिश को जल्दी से जल्दी लागू करने का विचार रखती है।

इसके अलावा दसवीं सिफारिश अनक्लीन आक्युपेशन के बारे में है जैसे मैला ढोने का काम है और दूसरे ऐसे ही गन्दे काम हैं जिससे समाज के लोग उनसे नफरत करते हैं वह काम उनसे छुड़ाये जायें, उसके लिए जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बजट बहस दौरान में कहा कि राजस्थान में हमारा विचार खास तौर से 3 प्रकार के कार्यक्रम अपनाने का है। वह यह है कि एक तरफ तो यह कोशिश की जाये कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट म्युनिसिपैलिटीज और यू०आई०टी० को हिदायत दें कि जो तारत बन चुकी हैं वह तो बन गयीं लेकिन भविष्य में फ्लश के अलावा दूसरी तारत बनाने की इजाजत नहीं दी जावे। सके अलावा जो प्राईवेट हाउस ऑनर्स हैं और जहां पुरानी तारत है और जिनमें से मैला निकालना पड़ता हैं उनको फ्लश लेट्रीन में जहां जहां सुविधा हो कन्वर्ट करने के लिए एक इन्सेन्टिव देने के लिए उनको 200 रुपये की रकम कर्जे के रूप में दी जाये। यह भी हमारी योजना है और इसके साथ ही साथ गुजरात में उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है कि जो पढ़े-लिखे हरिजन बालक जो इसका संकल्प करने के लिए तैयार हैं कि हम पुराने पेशे को हमेशा के लिए छोड़ते हैं तो उनको रिहैबीलीटेट करने के लिए कोई स्पेशल छात्रवृत्ति देकर और थोड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाये। उनको रिहैबीलीटेशन लोन दिया जाय ऐसी स्कीम है। तो उसकी हम डिटेल मंगवा रहे हैं गुजरात से और हमारा इरादा है कि राजस्थान में भी उस स्कीम को लागू करें। इसके फलस्वरूप शनैः शनैः एसा कार्यक्रम तैयार हो कि ऐसा अनक्लीन आक्युपेशन है, गन्दा काम है उसको लोग छोड़ते जायं। यह भी हमने निर्णय लिया है।

ग्यारहवीं सिपारिश इम्पार्टेन्ट हैं और मैं मंत्रिमण्डल के सारे साथी हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा और सदस्यों को भी कहना चाहूंगा। यह रिकमन्डशन यह है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलने वाले कार्यक्रम वास्तव म एक प्रकार से सिम्बोलिक ही होते हैं। हमारा जो राज्य

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

का बजट है वह करीब 1 अरब 50 करोड़ का है कुल प्लान और नॉन-प्लान दोनों मिलाकर जबकि समाज कल्याण का 1।। करोड़ का बजट होता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 पर्सेन्ट होता है सारे बजट का। समें मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन केवल समाज कल्याण के पैसे से नहीं आने वाला है। समाज कल्याण विभाग की जो धनराशि है उससे पिछड़े हुए लोगों का सर्वांगीण विकास ज्यादा रफ्तार से नहीं हो सकता तो जरूरत इस बात की है कि राजस्थान सरकार के जितने भी डवलपमेंटल डिमाटमेन्ट हैं और जितनी उनकी योजनायें हैं उनका निर्माण इस प्रकार से किया जाये और सारी योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाये कि उनमें से अधिक से अधिक लाभ पिछड़ी हुई जाति के लोगों को मिल सके..

(11 बज रात्रि)

मिसाल के तौर पर समाज योजनाएं है, मिसाल के तौर पर खेती की सारी स्कीम्स हैं, और मिसाल के तौर पर शिक्षा की सारी स्कीम्स हैं, सारे सम्बन्धित विभाग और उसके अधिकारी और उनके माननीय मंत्रीगण अपने विभागों की योजनाएं तैयार करते वक्त, उनको क्रियान्वित करते वक्त ख्याल रखें कि कम से कम जितनी संख्या पिछड़ी हुई जाति के लोगों की, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों की है, उस अनुपात में कम से कम उतना फायदा हरएक योजना में मिल जाय, इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे ..

श्री सभापति: ऑडर प्लीज ! सदन की कार्यवाही का समय मंत्रीजी के उत्तर तक बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : बड़ा सारगर्भित भाषण हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : दलाली में कितना मेज रहे हैं ?

श्री लादूराम सुलानियां : एक करोड़ रुपये जो आपने बताये हैं उनमें राजस्थान के मंत्रिमण्डल में जो हरिजन मंत्री हैं क्या उनका खर्चा भी शामिल है ?

श्री सभापति (श्री जोशी से) : आप जारी रखें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग में कुछ विशेष कार्यवाही और विशेष प्रवृत्तियां चालू की गई हैं। इस 66-67 की रिपोर्ट के बाद कुछ नई प्रवृत्तियां चालू की गई हैं। उसका थोड़ा सा म दिग्दर्शन माननीय सदस्यों को कराना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय...

श्री भैरोंसिंह : आपने चौथे प्लानिंग कमीशन की रिकमन्डेशन हैं उनका जिक्र नहीं किया है।

श्री हरिदेव जोशी : अब तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, अब अपने यहां की रिपोर्ट है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य की जानकारी में पहले से सम्भव हो हमने एडिशनल पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप जारी की है। यह भी राजस्थान की विशेषता है, और हिन्दुस्तान के किसी भी

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

राज्य में अतिरिक्त पेस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप नहीं हैं, केवल भारत सरकार देती है। उनके अलावा कोई राज्य सरकार नहीं देती है, केवल राजस्थान में हम देते हैं। वह 40 रुपय माहावर की स्कॉलरशिप हैं और 40 रुपये भारत सरकार के होते हैं। इस तरह से कुल मिला कर 80 रुपये माहवार एक विद्यार्थी को मिल जाते हैं। यह स्पेशल स्कीम राजस्थान में लागू की गई है सन् 68 से।

इसके अलावा पेमेन्ट ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में, मैरिट कम नीड स्कॉलरशिप के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी खुद को होगी कि इस सदन में बार बार शिकायतें होती थीं कि छात्रवृत्तियों का वितरण देर से होता है, और यह कहा जाता था कि छात्रवृत्तियां जनवरी और फरवरी तक मिलती हैं जिससे विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत होती है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के..

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, ये आंखें निकाल कर बोलते हैं तो डर लगता है।

श्री लादुराम सुलानियां : आप अंगुली किसको बता रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपको।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर, सेक्रटरी और सारे सम्बन्धित अधिकारियों को इकट्ठा करके एक समिति बनाकर कुछ निर्णय लिये है, जिसके फल-स्वरूप जहां पहले 12-12 महीने लग जाते थे वहां इस साल में 26 जुलाई को उनकी रिपोर्ट आ चुकी है जिसके अनुसार सैशन खुलने के साथ-साथ इन स्कॉलरशिप्स का उसके बेसिस पर जुलाई में डिस्ट्रिब्युशन हो चुका है। इसके अलावा हमने स्कॉलरशिप का एक केलैण्डर कायम कर दिया है। उस केलैण्डर के अनुसार उसकी पहली किश्त मिल जायगी जुलाई में दूसरी मिल जायगी अक्टूबर में, तीसरी मिल जायगी जनवरी में और चौथी मिल जायगी अप्रेल में। इसके साथ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कथा तो बहुत अच्छी बांचते हैं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : अगर यह बात सही नहीं हो तो आप कह दें। हमारे पास 28 जुलाई को रिपोर्ट आ चुकी हैं।

श्री बिरदाराम : माननीय सभापति महोदय।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जब मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों का जवाब नहीं दे रहा हूं तब अपने दल के सदस्यों का भी जवाब नहीं दूंगा।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवर्ण ने हरिजन को दबा दिया।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : माननीय सभापति महोदय, फीसों के बारे में मैं यह कहना जाहता हूं कि हमने यह सिस्टम इन्ट्रोड्युस करने कि कोशिश की है कि

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

कोई पिछड़ी हुई जाति का विद्यार्थी कॉलेज या किसी राजकीय विद्यालय में एडमिशन के लिए जब जाये तो उससे बहुत सी फीस एडमिशन के टाइम पर ली जाती है, जैसे कॉलेज फीस, मेग्जीन फीस, गेम्स फीस, वगैरह, वगैरह और उसको काफी रुपया देना पड़ता है। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि पिछड़े हुए वर्ग के विद्यार्थी से प्रवेश के समय एक भी पैसा फीस का नहीं लिया जावे, और जो लोग समाज कल्याण विभाग के अधिकारी का यह प्रमाण-पत्र लायेंगे कि वह पिछड़ी हुई जाति के हैं उनको एडमिशन दे दिया जायगा, और उनके लिए हमने अन्डरटेक किया है कि अक्टूबर की स्कॉलरशिप में से वह फीस का एमाउन्ट काटकर डिपार्टमेंट उनको भेज देगा। उनसे फीस नहीं मांगी जाय।

बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर..

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : यह आपका ऑर्डर वहां नहीं पहुंचा है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : डूंगरपुर, बांसवाड़े के कॉलेजों में, और उदयपुर के कॉलेजों में विद्यार्थियों को एक पैसा भी एडमिशन के टाइम पर फीस का नहीं देना पड़ता है। जिन जिलों में इस साल यह क्रियान्वित नहीं हो सका है मैं देखूंगा कि अगले साल युनिफार्मली राजस्थान के सारे जिलों में यह क्रियान्वित हो....

श्री लादूराम सुलानियां : जयपुर में ही देख लें।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जयपुर में भी देखूंगा।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : वह मैं देखूंगा। इस नई स्कीम का जून में डिसीजन हुआ इसलिए जुलाई में इम्प्लीमेन्टेशन कहीं नहीं हुआ हो।

(करतल ध्वनि)

श्री भेरोंसिंह : तालियां बजाना बन्द कर, लोगों को नींद आ रही है वे जग जायेंगे।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इसके अलावा, सभापति महोदय, हमने निर्णय लिया है कि अपंग व्यक्तियों के लिए चलने के सामान बनवाकर डिपार्टमेंट की तरफ से दिये जायं।

हरिजन बस्तियों में जिन शहरों में बिजली लग चुकी है वहां पर पिछड़े हुए वर्ग की बस्तियों में बिजली नहीं जा पाई है उनमें खास तौर से विद्युतिकरण का प्रबन्ध समाज कल्याण विभाग की ओर से किया जा रहा है। पिछले साल 20 नगरपालिकाओं के ऐसे मोहल्लों में बिजली लगवाई गई है और दूसरों में भी लगवाई जायगी और हर साल यह कार्यक्रम चलता रहेगा।

इसी प्रकार से जल-कष्ट के निवारण के लिए जहां पर नल लग चुके हैं और पिछड़ा हुआ वर्ग उस सुविधा से वंचित रह गया है और जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है तो अपने वित्तीय प्रावधानों के अन्दर जितना रुपया दे सकते हैं और प्रावधान कर सकते हैं करेंगे। करीब एक लाख रुपये पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट के लिए रखे गये हैं। उससे यथासम्भव इस बात

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

को कोशिश कर रहे हैं कि सारे शहरों में पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए नल लगवाये जायं, वे नये कार्यक्रम तेज रफ्तार से चल रहे हैं और अधिक मात्रा में चलेंगे।

हाउसिंग, गृह निर्माण के बारे में मैं यह जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा कि हमेशा यह शिकायत आया करती थी कि एक हजार रुपये की सबसिडी थी वह कम पड़ती थी उससे अगर दीवारें खड़ी हो गईं तो छत नहीं बनेगी और अगर छत बन गई तो किवाड़ और खिड़कियां नहीं बनेंगी और आज भी माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सी कॉलोनीज....

श्री लादूराम सुलानियां : बहुत सी नहीं सारी।

श्री सभापति : (श्री जोशी से) आप अपनी बात जारी रखें।

श्री लादूराम सुलानियां : क्या यह सही है कि कोई कॉलोनी आज तक नहीं बसी है? बतादें ये।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैं फालतू बहस में नहीं उलझना चाहता आपसे।

इसलिये हमने इसका पैटर्न चेन्ज किया है और हमने यह निर्णय लिया है कि जो एक हजार रुपया नाकाफी रहते हैं.....

श्री लादूराम सुलानियां : आपको यह मालूम है....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इसलिए अब दो और ढाई हजार रुपये उनको कर्ज दिये जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से....

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय हमारा मजाक कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि दीवार नहीं और छत बन गई। तो दीवार नहीं बने उससे पहले छत कैसे बनेगी?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, मंत्री महोदय, जब आप बोलें तो अपनी नजर माननीय सदस्यों से नहीं मिलायें। कृपया अपनी नजर आसन की तरफ रखेंगे और टान्टिंग नहीं करगे। इससे आपको बोलने में सुविधा रहेगी।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से कि एक हजार के बजाय हमने ढाई हजार कर दिया है, और यह दो ढाई हजार रुपया काफी होगा। यह इन्ट्रस्ट फ्री होगा। एक पैसा भी ब्याज का इस पर नहीं लिया जायगा और बहुत आसान किश्तों में, 20 साल तक हम लेंगे। 20 साल की अवधि में वापस लिया जायगा जिसका मतलब यह है कि गरीब से गरीब आदमी भी 8 रु० माहवार से 100 या 80 रु० साल देकर आसानी से चुका सकेगा। यह नया पैटर्न हमारा है। मै आशा करता हूं कि जो भी किश्त के रूप में रकम आयेगी उसको दुबारा लोन देने के काम में लिया जायगा। इस तरह से यह साइकल बन जायेगी, और ज्यादा से ज्यादा रुपया हम हर साल देते जायगे।

छात्रावासों के बारे में, जो छात्रावास हमने खोले हैं, उनकी जानकारी दे रहा हूं।

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

67-68 में छात्रावास खोले गये 5 । सीटें 80 । अनुदानित हुई सीटें बढ़ाई गई 4 । 68-69 में छात्रावास खोले गये 16 । सीटें-100 । अनुदानित सीट 125 । वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजकीय खोले 6, सीट 100 । अनुदानित सीट-175 । तृतीय श्रेणी के 8 छात्रावास खोले गये हैं । इस प्रकार 16 छात्रावास इस वर्ष में खोले गये हैं । 100 सीट बढ़ाई गई हैं ।

श्री भैरोंसिंह : 6 और 8, 14 होते हैं ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : 6 और 8 और 2 वो । 16 हुए ।

श्री लादूराम सुलानियां : बांदीकुई में खोला या नहीं ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : बांदीकुई में भी आपके भाई पढ़ेंगे ।

श्री लादूराम सुलानियां : कोई पढ़े लेकिन कितने छात्र रहेंगे ।

श्री सभापति : माननीय मंत्री, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री लादूराम सुलानियां : [+++]

श्री सभापति : माननीय सदस्य का कथन अंकित न किया जाये ।

श्री लादूराम सुलानियां : [+++]

+++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : बांदीकुई छात्रावास में पिछली बार 25 सीटें थीं । इस बार 30 हैं । कानूनी सहायता के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है । इसके लिए विभाग में प्रावधान 10 हजार रु० का है । हर सब-डिविजन में 10 हजार की राशि 65 सब-डिविजनों में दे सकना संभव नहीं है । उसके लिये कोटा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और इनके अलावा जिला अजमेर है । इन 6 स्थानों पर कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति द्वारा हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जिले के किसी भी भाग में कानूनी सलाह के लिये केस आये, अनटचेबिलिटी का केस हो तो वह सलाहकार पैरवी करेगा । वह कानूनी सहायता देगा । इसके अलावा राजस्थान के दूसरे जिलों में किसी केस की मांग आयेगी तो हम मदद दे सकते हैं । केस में सहायता दे सकते हैं परमानेंट व्यवस्था 26 जिलों के लिये संभव नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के लिए डागाजी को कर दो ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इसके अलावा आपको एक जानकारी देना चाहूंगा । कल भाषण में एक माननीय सदस्य ने जोधपुर युनिवर्सिटी होस्टल में एक छात्र के साथ भेदभाव की बात कही थी । एक हरिजन छात्र को अलग से खाना खाना पड़ा । मुझे खुशी है कि कल जो सूचना आयी थी तो माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने टेलीफोन पर जानकारी की । तो वहां के वाइस-चांसलर ने यह आश्वासन दिया है कि यह भेदभाव नहीं चलेगा । अगर जरूरत पड़ी तो

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

छात्रावास बन्द कर दूंगा लेकिन हरिजन छात्र के साथ भेदभाव नहीं चलने दूंगा । यह लिखा हुआ आ गया ।

श्री भैरोंसिंह : यह लिखा हुआ आ गया ?

श्री लादूराम सुलानियां : आपकी बात न मानकर छात्रावास को चलायेगा ।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह गलत कहा है ।

श्री सभापति : (मंत्री महोदय से) आप जारी रखें ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभी आगये हैं ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आप मानते हैं कि सब आ गये हैं ? माननीय सभापति महोदय मैं आखिर में......

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप क्या दे सकते हैं ?

श्री लादूराम सुलानियां: क्या आप इस स्थिति में हैं.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य का वक्तव्य अंकित न किया जाय ।

श्री लादूराम सुलानियां : (XXX)

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने जो व्यग्रता जाहिर की है, उससे हमें पूर्ण सहानुभूति है । छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के निवारण के बारे में एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । उसको समझना चाहिये । हमको इस बारे मे यह नहीं समझना चाहिय कि सरकारी दबाव से ही सब कुछ हो जायेगा । जहां तक पुरानी रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के निवारण का ताल्लुक है, इसमें केवल सरकारी आदेश से ही सामाजिक क्रान्ति नहीं आ सकती है । केवल राजाज्ञा से ही हजारों वर्षों से चलते हुए संस्कार समाप्त नहीं हो सकते हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं नहीं सुनना चाहता हूं । हम उपदेश सुनने के लिए नहीं आये हैं ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : सब लोगों को छुआछूत....

श्री लादूराम सुलानियां : हमें उपदेश देने आये हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का कथन अंकित न किया जाये ।

श्री लादूराम सुलानियां : [XXX]

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जनमत को शिक्षित करने का काम नहीं हो पाया है । सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बाल-विवाह के खिलाफ हिन्दुस्तान में आजादी के पहले शारदा एक्ट बना हुआ था । उसके बाद भी बाल-विवाह होते रहे । हजारों लाखों

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 278

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

शादियां छोटी छोटी उम्र में होती रही हैं। नुक्ते का कानून बना लेकिन पालन नहीं हो पाया। क्योंकि हम जनमत को शिक्षित नहीं कर पाये हैं। केवल राज्य के आदेशों से यह नहीं हो सकता है। फिर भी हम यह मानते हैं कि जो पीड़ित मानव हैं, जो पीड़ित हैं, उनके प्रति कोई विरोधी आचरण करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमें चलाये जायेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदय....

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पहले जो मुद्दा उठाया....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। (माननीय मंत्री महोदय से) आपने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया है या नहीं ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जी नहीं।

श्री दौलतराम सारण : अभी तो भूमिका भी नहीं बंधी है।

श्री दौलतराम सारण : अभी भूमिका शुरू नहीं हुई है, आप जवाब समाप्त कैसे मान लेंगे ?

श्री रामकिशन : मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा। मंत्रीजी कह रहे हैं कि वयस्क की शादी के लिए सामाजिक वातावरण बनाना चाहिये था। तो आपको कानून की जानकारी थी, तो आपका बाल-विवाह क्यों हुआ ? कम उम्र में विवाह क्यों हुआ ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : नहीं हुआ बाल-विवाह !

श्री रामकिशन : फिर 18 बच्चे कैसे हो गये ? यह क्या कह रहे हैं ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई है।

श्री रामकिशन : एक साल में एक ही हुआ होगा, नहीं, दो साल में हुआ होगा एक ?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : एक साल में एक हुआ है। एक थोड़ी जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं कि कितने मुकदमे चालान हुए और कितने नहीं। 1955-56 में कुल केसेज हुए 114, उनमें से चौदह चालान हुए हैं और 99 चालान नहीं हुए हैं। 1956-57 में कुल केसेज 104 हुए, उनमें से 64 चालान हुए और 30 चालान नहीं हुए। 1957-58 में कुल केसेज 70 हुए, जिनमें से 52 चालान हुए हैं और 18 चालान नहीं हुए हैं। 1958-59 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 59, उनमें से 44 केसेज चालान हुए और 15 केसेज चालान नहीं हुए। 1959-60 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 58, उनमें से 45 केसेज चालान हुए और 13 केसेज चालान नहीं हुए। 1960-61 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 68, उनमें से 61 केसेज चालान हुए और 7 केसेज चालान नहीं हुए। 1961-62 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 57, जिनमें से 38 केसेज चालान हुए और 19 केसेज चालान नहीं हुए....

श्री दौलतराम सारण : सजा कितनों में हुई है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वह भी बताऊंगा ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कितने लोगों को सजा हुई–यह भी बतायें ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 1962-63 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 64, जिनमें से 54 चालान हुए और 10 चालान नहीं हुए......

एक माननीय सदस्य : कौनसी एक्ट में चालान हुए ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अन्टचेबिलिटी एक्ट ?

1963-64 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 59, जिनमें से 52 चालान हुए और 7 चालान नहीं हुए । 1964-65 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 59, जिनमें से चालान हुए 52 और 7 चालान नहीं हुए । 1965-66 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 50, जिनमें से 38 केसेज चालान हुए और 12 चालान नहीं हुए । 1966-67 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 44, जिनमें से 40 केसेज चालान हुए और 4 नहीं हुए । 1967-68 में कुल केसेज रजिस्टर हुए 39 जिनमें से 26 का चालान हुआ और 13 का चालान नहीं हुआ ।

अब आप जानना चाहते हैं कि सजा कितनों को मिली है तो वह भी सुन लीजिये। हां साहब, सुनिये । 1955-56 में 14 को सजा मिली । 1956-57 में 11 को सजा मिली । 1957-58 में 4 को सजा मिली । 1958-59 में.........

श्री नत्थीसिंह : कितने चालानों में से ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 1959 में...

श्री नत्थीसिंह : कितने चालानों में से सजा मिली ?

श्री जयनारायण सालोदिया : कितने केसेज सारे थे ? कितनों को सजा मिली ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 1959-60 में 1 को सजा मिली । 1960-61 में 5 को सजा मिली । 1961-62 में 2 को सजा मिली । 1962-63 में 6 को सजा मिली । 1963-64 में 6 को सजा मिली । 1964-65 में 2 को सजा मिली । 1965-66 में 4 को सजा मिली । 1966-67 में 7 को सजा मिली । 1967-68 में 2 को सजा मिली....

श्री नत्थीसिंह : 90 प्रतिशत केसेज फेल हुए हैं । लगाइये परसन्टेज साहब !

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पैंडिंग केसेज का क्या होगा ?

श्री नत्थीसिंह : 90 प्रतिशत केसेज फेल हो गये हैं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पैंडिंग केसेज सुनिये......

श्री डूंगाराम राजोरिया : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें......

श्री विशम्भरनाथ जोशी : पैंडिंग केसेज हैं, 1967-68 में 20 केसेज पैंडिंग हैं, 1966-67 में 24 केसेज पैंडिंग हैं, 1965-66 में 30 केसेज पैंडिंग हैं, 1964-65 में 40 केसेज पैंडिंग हैं और 1963-64 में 30 केसेज पैंडिंग हैं । तो हर साल के पैंडिंग केसेज भी तो हैं, उनके अलावा यह हैं, उन केसेज को क्यों भूल जाते हैं ।

Page No 280

श्री जयनारायण सालोविया : मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं, जो सजा बताई है वह सजा किस प्रकार की मिली है। कितने रुपए की सजा हुई, कितनों को जेल की सजा हुई, किस प्रकार की हुई......

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कन्विक्शन की सारी बात है। कन्विक्शन हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने फिगर्स बताये हैं, वह हाउस में सुन नहीं पाये हैं। एक बार दुबारा रिपोर्ट कर दीजिये।

श्री नरथीसिंह : इतने पुराने केसेज पेंडिंग हैं, चालीस और तीस—आप करते क्या हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जब आप भूमि आवंटन के आंकड़े देखना चाहते थे......

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह नहीं बतलाया, सजा किस प्रकार की मिली ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसी प्रकार भूमि आवंटन जो हुआ, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में 5,365 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया जिनको करीब 40 हजार 64 बीघा जमीन का आवंटन किया गया...

एक माननीय सदस्य : कब्जा कितने व्यक्तियों को मिला ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जी हां। इसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में 26,761 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया, जिनको........

श्री नरथीसिंह : कब्जा कितने व्यक्तियों को दिलाया गया ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जो जमीन एलॉट की गई अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को, वह सुनिये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में 26,751 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई, जिनको कुल 1 लाख 33 हजार 509 बीघा जमीन आवंटित की गई। इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में 66,555 लोगों को जमीन का एलॉटमेन्ट किया गया, जिनको कुल जमीन 89,784 बीघा दी गई। इसके बाद 1966 में 15,190 व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई जो कुल 18,015 बीघा दी गई। 1967 में 16,529 व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई, वह कुल 99,537 की गई। 1968 में कुल व्यक्तियों को 4,278 व्यक्तियों को भूमि एलॉट की गई, जो कुल 27,101 बीघा एलॉट की गई। इस प्रकार से इनका कुल योग होता है 13,05,678........

श्री भैरोंसिंह : इतनी जमीन तो पूरे राजस्थान में नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इतने व्यक्तियों को कुल मिला कर 60 लाख 15 हजार 464 बीघा जमीन एलॉट की गई......

श्री फतेहसिंह : कब्जा कितनों को मिला ? सब काबिज हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा आपसे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जन जाति के 3,989 आदमियों को 11,406 बीघा जमीन आवंटित की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 20,010

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

आदमियों को 75,793 बीघा भूमि आवंटित की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 73,152 जन जाति के आदमियों को कुल 2 लाख 35 हजार 951 बीघा जमीन का आवंटन किया गया। 1966 के अन्दर जन जाति के 7,828 व्यक्तियों को.........

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह आंकड़े कहां से लिये हैं ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : कुल 19,066 बीघा का जमीन का आवंटन किया गया, 1967 में 11,551 व्यक्तियों को कुल 44,504 बीघा जमीन का आवंटन किया गया। इसके बाद 1968 के अन्दर 4,347 व्यक्तियों को 12,819 बीघा जमीन का आवंटन किया गया।

यह सारे आंकड़े हैं......

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह ठीक है।

श्री जयनारायण सालोदिया : दोनों को मिला कर कुल योग कितना होता है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसका योग आता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का योग आता है, 1,20,877 व्यक्तियों को कुल 4 लाख 18 हजार 742 बीघा जमीन का आवंटन किया गया....

श्री जयनारायण सालोदिया : इसका मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग भूमिहीन नहीं रहे हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बिल्कुल नहीं हैं, इसमें यह कैसे सिद्ध हुआ ? यह किसने कहा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : कितने लोग भूमिहीन हैं—यह बता सकते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसका सर्वे नहीं कराया है।

श्री नत्थीसिंह : पौन-पौन बीघा जमीन आई है। सही बता रहे हैं, यह कह तो रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आधा बीघा जमीन भी एलॉट नहीं हुई है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं इस बात को नहीं मानता हूं....

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं चैलेंज करता हूं। चार लाख में से एक लाख के लिए साबित कर सकते हैं—...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! पहले मंत्री महोदय को सुन लीजिये। पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य होने दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : चार लाख में से....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री नत्थीसिंह : यह हनुमान जी की पूंछ है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप यह साबित कर दें। मैं आपको चैलेंज देता हूं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी । मैंने आंकड़ों से साबित कर दिया है । इससे ज्यादा साबित करने को नहीं है । मैं यह कहना चाहूंगा....

श्री जयनारायण सालोदिया : इसकी जांच के लिए आप एक कमेटी बैठा दीजिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं सही आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं । इतने महत्व-पूर्ण मुद्दे पर सरकार की तरफ से जो बता रहा हूं उसको सना नहीं जा रहा है । आपको तकलीफ होती है असलियत सामने आने पर, इसलिए आप....

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने आपसे क्या कहा....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाय उसको सुना नहीं जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : गलत दिया जाता है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपको लगता है क्योंकि आप सच्चाई का आदर नहीं कर सकते ।

सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य की इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो भी जमीन अगन एलॉट करते हैं शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, उस सारी की सारी जमीन पर उनका कब्जा नहीं हो पाता है, बहुत से लोग उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, गांव के लोग बहुत से उनको कब्जा नहीं करने देते । पटवारी व्यवधान करते हैं । यह बात मेरे ख्याल में है मैंने एलॉटमेन्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से अनुभव की है.....

श्री जयनारायण सालोदिया : आप क्या सुरक्षा कर रहे हैं– यह पूछ रहे हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सुनिये । इस बारे में जो राज्य सरकार का कर्तव्य है वह वह कर रही है और करेगी, जहां जब ऐसा अवसर आयेगा वह करेगी । लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस सदन के माननीय सदस्य हैं, एम० एल० एज०, वह उसके मेम्बर होते हैं, और एम० एल० एज० का अपने क्षेत्र में अधिकारियों पर कुछ प्रभाव होता है । मैं समझता हूं उस प्रभाव को अगर काम में लें तो इसका असर पड़ सकता है । मैं अपनी मिसाल देता हूं, 1957 से 1962 के बीच में इस असेम्बली का मेम्बर था.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर कहां चले गये थे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उस समय जो एलॉटमेंट कमेटी ने एलॉटमेंट किया, तो गांव में जो दूसरी जाति के लोग थे उन्होंने इसका मुकाबला किया और कहा कि हम जमीन पर इनको कब्जा नहीं करने देंगे और इसके खिलाफ गांव का गांव उठ कर खड़ा होगा । मैं कहना चाहता हूं कि नांगल में हरिजनों की मेरी बनाई हुई कोऑपरेटिव आज भी जमीन पर काश्त कर रही है । उस वक्त गांव वालों ने मुकाबला किया । उस सबकी परवाह न करते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने कानून को हाथ में लिया तो सबको जेल में डाल दिया जायगा । यह लोग इस जमीन पर काश्त करेंगे, इनकी जमीन पर से इनका कब्जा नहीं ले सकते । इसी तरह से आप जाकर देखियेगा, आप सुन लीजिये, खास मेरे क्षेत्र के अन्दर सुमेल खुर्द के अन्दर तीन सौ पचास बीघा पिछड़े

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

हुए हरिजन और चमार जातियों को को-ऑपरेटिव फॉर्मिंग के लिए एलॉट की। उन्होंने कहा कि यहां पर तहसीलदार और थानेदार आ जायेंगे तब भी हम इनको काश्त नहीं करने देंगे और इन्हें जमीन में घुसने नहीं देंगे। मैंने चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद 107 के मुकद्दमें उनके खिलाफ बनवाये और पुलिस की इमदाद दिलवायी और अपने वोटों की परवाह न करते हुए उनको संरक्षण दिया। वह कोऑपरेटिव आज भी बनी हुई है और करीब 350 बीघा के अन्दर काश्त कर रही है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आप भी अपने वोटर्स की नाराजगी को लीजिये और अपने अपने क्षेत्र में इस तरह का काम कीजिये तहसीलदारों से कह कर कब्जा करवाइये, तहसीलदार अगर नहीं करते हैं तो आप शिकायत कीजिये, पुलिस वाले नहीं करते हैं तो आप शिकायत कीजिये राज्य सरकार आपकी इमदाद करेगी और मैं भी जो थोड़ा बहुत प्रभाव रखता हूं, उसको काम में लाया जायगा, गरीब लोग हैं उनको पूरा कानून का संरक्षण मिलेगा, उनको कोई बेदखल नहीं कर, इस बात की कोशिश करेंगे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आज आपने अपना प्रभाव दिखाया है, अपने लोगों को दिलाने के लिये। पहले आपने कभी गरीबों को कब्जा दिलाने के लिये प्रभाव दिखाया है क्या, जिन लोगों को कब्जा नहीं मिला है, उन लोगों को कब्जा दिलाया है क्या ?

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर आप अपनी बात कहिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कोटा जिले में सहरियों को बहुत सी जमीन दी गई थीं। उन लोगों के अज्ञान के कारण उनकी बहुत सी जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, उन लोगों की बहुत सी जमीनें दूसरों के हाथों में चली गईं। अब हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि अगर संभव हो सके तो विधि विभाग से परामर्श करके कानून में तरमीम करें, कानून में तरमीम करना संभव होगा तो किया जायगा। टेनेन्सी एक्ट के माफिक शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीनें हैं, उनको कोई दूसरी कास्ट का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, आरजी तौर पर भी काश्त पर नहीं ले सकता। ऐसी दशा में जिन लोगों ने उन लोगों की जमीनें ली हैं, उन जमीनों को वापिस उन लोगों को दिलाने के लिये यदि नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, अगर कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता होगी तो हम उस पर विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : बृजसुन्दरजी शर्मा ने ली है, उसके लिये क्या करेंगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : समय का आप लोगों को भी खयाल है, 1।। का समय हो गया है और आप भूखे होंगे, इसलिये जो आप मुझे व्यक्तिगत जानकारी देंगे, मैं उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, बाकी मुद्दे रह गये हैं उनका आप जवाब दीजिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मेरे पास यह चिट भी आ रही है कि 1।। बज गये हैं, हम पर रहम करिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम करीब करीब संतुष्ट हैं, दौलतरामजी संतुष्ट नहीं हैं तो माननीय दौलतरामजी और मंत्रीजी दोनों बैठ जायं।

श्री लादूराम सुलानिया : हरिजनों की हत्याएं हुई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : दौसा और लालसोट के दंगों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उनको मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाया है। जातीय दंगों की आग फैल रही थी, उसको आवश्यक कदम उठा कर यदि सरकार नहीं रोकती तो न मालूम यह आग कितना भयंकर रूप धारण करती। सोनड़ गांव में आर० ए० सी० की चौकी तैनात की गई वहां 161 आर० ए० सी० के नौजवान तैनात थे। अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जन जाति के लोग नुकसान नहीं पहुंचा सके इसलिये एस० डी० ओ०, एस० पी०, डी० वाई० एस० पी० गांव गांव में चक्कर लगाते रहे। 107 की कार्यवाही सैंकड़ों लोगों के खिलाफ की गई, प्रिवेन्टिव एक्शन सैकड़ों आदमियों के खिलाफ लिये गये। दोनों पक्षों के खिलाफ चालान पेश किये गये। एक केस में मुल्जिम नहीं पकड़ा गया, उसका कारण यह है कि मुस्तगीस की तरफ से शहादत नहीं आई।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं फिर चुनौती देता हूं सभापति महोदय, कि मंत्री महोदय झूठ बोलते हैं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : आपने एक ही बात कहनी सीखी है।

श्री लादूराम सुलानिया : जो 3 परिगणित जाति के लोग गिरफ्तार किये गये, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, झूठ-मूठ बहाना बनाते हैं, ऐसे × × × मंत्री को या तो तुरन्त हटाना चाहिये, नहीं तो जबरदस्ती हटाया जायगा।

आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : जो बकवास की जा रही है, वह एक्स्पंज की जाय।

श्री सभापति : × × × शब्द मंत्री के प्रति कहा है वह एक्स्पंज किया जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया : × × × का मतलब है काम नहीं करने वाला, इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है ?

श्री लादूराम सुलानिया : यह असत्य सरकार है। 3 कत्ल हो गये, एक भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया, फिर पुलिस को तनख्वाह किस बात की देते हैं। मैं पूछता हूं आपसे, जोशीजी, हत्यारों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं चार्ज लगाता हूं, आप हरिजनों के हत्यारे हैं।

श्री बिशवम्भरनाथ जोशी : मैं आपकी बातों को जवाब के काबिल नहीं समझता।

अब हाउस की सेंस यह है कि संक्षिप्त में मैं आपने वक्तव्य को समाप्त कर दूं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त रहें कि राज्य सरकार हर संभव तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना चाहती है और

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

उस पर आमादा है। उनके कल्याण को आगे बढ़ाने के लिये, उनके हितों की रक्षा के लिये, उन्हें सुरक्षा देने के लिए अवश्य ही नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायगी। जो राजाज्ञा जारी की गई है 28 प ैंट-रिजर्वेशन की उसका कड़ाई से पालन कराया जायगा। इस साल अनुसूचित जाति और अनुसुचित जन जाति के लोगों को जमीनों का आवंटन करने का निश्चय किया गया है, इसके लिये जोशो खरोश से अभियान चलाया है, उसमें माननीय सदस्य सहयोग देंगे जिससे कि सरकार पिछड़े भाइयों के पिछड़ेपन को दूर कर सकें।

श्री नत्थीसिंह : आप इशारा कर रहे हैं कि सदन की कार्यवाही समाप्त की जाय, वह नहीं चलेगा। सभापति महोदय ने आदेश दिया है कि भाषण समाप्त होने पर प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। सीधे सादे सवाल हैं। एक तो यह है कि संवैधानिक संरक्षण समाप्त होने पर यह अनसूचित जातियां और अनुसुचित जन जातियां हैं वे अन्य समाज के कम्पिटिशन में टिक सकें इस स्थति में क्या इनको आप ले आये हैं? और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कितना प्रतिशत वह हेसियत प्राप्त कर चुके हैं? क्या स कार का सर्वेक्षण आपने किया है?

श्री भरोसिंह : हम पछ नहीं तो वह बोल जायगे।

श्री दौलतराम सारण : आप संवैधानिक संरक्षण द्वारा इसमें परिवर्तन की क्षमता, स्वावलंबन और स्वाभिमान पैदा कर सकते हैं क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : अगर पिछड़ापन दूर हो जाता तब संवैधानिक संरक्षण की अवधि को बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमी थी इसलिए अवधि बढ़ा दी गई है। 10 साल के लिए बढ़ा चुके हैं। जो पिछड़ापन रह गया है, आशा करते हैं कि जो प्रगतिशील कदम हम ले रहे हैं, उनसे अगले 10 वर्षों में दूर हो जायगा, नहीं तो संवैधानिक संरक्षण को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : कितने पर्सेंटेज तक पूरा कर चुके हैं?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : इस प्रकार का सर्वे होना संभव नहीं है क्योंकि इसकी कसौटी क्या है कि एक व्यक्ति की मनोभावनायें अपने आप में सेंट पर्सेंट बदल गई हैं, इस प्रकार की बात साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करें। सरकार के लिए संभव नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ है कि इसका कोई पता नहीं चल सकता कि संवैधानिक संरक्षण किन आधारों पर दिया गया है और उनके अनुसार कार्य हुआ या नहीं, कितनी अयोग्यताओं को संरक्षण के द्वारा समाज पूरा कर चुका है, समाज में इनकी क्या स्थिति है। आज सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक ये

(श्री दौलतराम सारण)

सारी बात स्पष्ट हैं। इस आयुक्त ने जो मुख्य सुझाव दिए हैं इनसे यही बात बताई है। राज्य सरकार इनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं करगी तो कैसे पता चलेगा ?

श्री सभापति : आपकी बातें मंत्री महोदय के वक्तव्य में आ गई हैं।

श्री दौलतराम सारण : वक्तव्य में एक बात भी नहीं आई।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हमने मूल्यांकन समिति बिठा रखी है, वह राजस्थान का भ्रमण करके रिपोर्ट तैयार करेगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का 14.7 प्रतिशत ये जातियां हैं।

श्री सभापति : यह सवाल तीसरा है।

श्री दौलतराम सारण : और राजस्थान में इनकी संख्या 28 प्रतिशत है और हिंदुस्तान के कुछ कृषि मजदूरों की संख्या 13:16 प्रतिशत है और राजस्थान में 37 प्रतिशत से भी अधिक कृषि मजदूर हैं, तो कृषि मजदरों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने जो सवाल उठया है, अपनी जगह महत्व रखता है और इसका सारांश यह है कि अनुसूचित जाति व जन जाति का ही कोई व्यक्ति न हो लेकिन आर्थिक दृष्टि से इतना गिरा हुआ हो, जैसे कृषि मजदूर है, उनके लिए सोचना चाहिए तो मैं आपकी जानकारी के लिए......

श्री दौलतराम सारण : केवल अनुसूचित जाति व जन जाति.....

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जो कृषि मजदूर हैं, उन्हें लैण्ड एलॉटमेंट में प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मजदूरी के निर्धारण का प्रश्न है, उनके अधिकारों का कानूनी संरक्षण का सवाल है, वह आपने अभी तक कुछ नहीं किया। उस संबंध में जैसे इंडस्ट्रियल लेबर है वैसे खेतीहर मजदूरों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है, उस संबंध में क्या योजना है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जैसे इण्डस्ट्रियल लेबर के लिए मिनिमम वेजिज है उसी प्रकार एग्रीकल्चरल लेबर के लिए मिनिमम वेजेज होने चाहिए ? एग्रीकल्चरल लेबर के लिए अपन ने मिनिमम वेज की व्यवस्था की है और दूसरी बातें जो होगीं........

श्री जयनारायण सालोदियां : मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक, जैसे मैंने कल बताया, सरकार के कौन कौन से विभाग हैं जिनमें 12½ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं हुआ। दूसरी बात, यह जो डेढ़ करोड़ रुपये का बजट समाज-कल्याण का बताया है, इसमें व्यवस्था पर कितना खर्च होता है ? और इन लोगों के पास कितना पैसा पहुंचता है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह भी भ्रम है। आम तौर पर कहा जाता है कि व्यवस्था पर बजट का 50 प्रतिशत से ज्यादा खच होता

(श्री बिशम्भरनाथ जोशी)

है। मैंने पिछले वर्ष के आंकड़ों को एकत्रित किया और सारे स्टाफ की सेलरीज, टी० ए०, डी० ए० इत्यादि पर जो खर्च होता है, सारे विभाग के बजट के 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। केवल 6 प्रतिशत एस्टेब्लिशमेंट पर और 94 प्रतिशत कल्याणकारी कार्यों पर ।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक सहकारी समिति है कूकस की जो जयपुर क्षेत्र में है। वहां आपके पी० ए० अपनी औरत के नाम से जो 15 साल की सहकारी समिति की जमीन को अपने दो रिश्तेदारों के नाम से अलॉट कराकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते, हैं वहां गुंडों को ले जाकर कब्जा किया है। उस संबंध में आपने क्या किया? मुझे जहां तक जानकारी मिली है, हरिजनों के खिलाफ पुलिस को कहकर उन लोगों की मदद की है।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी आप कहते हैं कि मेरे पी० ए० ने किया है, वह मेरा पी० ए० बनने से पहले कर चुका होगा।

श्री दौलतराम सारण: उनके इशारे पर आपने पी० ए० किया होगा।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मकान को दो साल बने हुए हो गये। मेरा पी० ए० बने 11-12 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, उससे पहले राजस्व मंत्री कुंभारामजी के पी० ए० थे।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने यह भी निवेदन किया था कि जो मंडल हैं, रोडवेज है, विद्युत् मंडल है, लोक सेवा आयोग है, इस तरह की जो स्वायत्त संस्थायें हैं, जिनमें आप आदमियों को नामजद करते हैं, उनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को स्थान देते हैं तो जिनके द्वारा सिलेक्शन होता है तो उन लोगों का कौन प्रतिनिधित्व रखता है?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : यथासंभव जो कमेटियां बनती हैं उनमें प्रतिनिधित्व जरूर रखा जाता है। आप कहेंगे कि हाई कोर्ट में होने चाहिये, यह भारत का संविधान है...

श्री जयनारायण सालोदिया : यह आपके सोचने का तरीका है। हाई कोर्ट, राजस्व मंडल, लोक सेवा आयोग, विद्युत् मंडल और रोडवेज की कमेटी एक ही है। आप सोच सकते हैं। इन कमेटियों पर सरकार नामजद करती है और उनके द्वारा लोगों को नौकरी दी जाती है। ऐसी समितियों में अगर इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो वे वंचित रह जाते हैं।

श्री बिशम्भरनाथ जोशी: जहां जहां संभव होता है, प्रयास किया जाता है कि उनके प्रतिनिधियों को लिया जाय और जो व्यवहारिक संभव कदम होंगे लिये जायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह जो शहरों में नई बस्तियां बसाते है वहां पर बीच के अन्दर और और जाति के लोगों को प्लॉट दते हैं क्या आप ऐसी व्यवस्था के लिये भी सोच रहे हैं क्या इन बस्तियों में कुछ प्लाट्स मेहतरों के लिये सुरक्षित रखे जायं।

श्री दौलतारम सारण : बीच में मेहताओं को भी रखें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेहतर और मेहता एक ही है। इसके अलावा हर साल आप नये नये होस्टल्स खोलते जा रहे हैं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

आपको जबकि जनरल होस्टल में इनको रखना चाहिये ताकि वे सवर्ण छात्रों में घुल मिल सकें। इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : होस्टल्स के बारे में कहना चाहता हूं जो छात्र सामान्य जनरल होस्टल में रहना चाहते हैं उन पर खर्चा ज्यादा पड़ता है।

श्री लाबूराम सुलानियां : आपकी जब से लगाते हैं क्या ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ऐसे छात्र जो जनरल होस्टल में रहना चाहते हैं उनको 40 रुपया स्पेशल छात्रवृत्ति देते हैं ताकि वे जाकर जनरल होस्टल में रह सकें। हमने इसके बारे में विश्वविद्यालयों को भी लिखा है इनके लिये कुछ पर्सेन्टेज सरक्षित रखे जायं।

इसके अलावा रेजीडेंशियल प्लॉट्स में 15 पर्सेन्ट प्लॉट्स सारे एरिया में इन जातियों के लिये रिजर्व रखने के लिये लोकल सैल्फ गवर्नमेंट द्वारा सर्क्युलर प्रसारित कर दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : मैंने अपने भाषण में दो तीन मुद्दे उठाये थे उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया।

पहला मुद्दा तो यह था जो आई०टी० आई० से संबन्धित है। अनुसूचित जातियों में भूमि के लिये बढ़ती हुई भूख इस कारण से है कि जब उनके पास भूमि होती है तो अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन इतनी भूमि है नहीं। इसलिये इनको किसी न किसी रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाय। आप इनको किस प्रकार का रोजगार देना चाहते हैं व्यापार में, मोटर परमिट में लाइसेन्स आदि में प्रायोरिटी देने में पर्सेन्टेज तय करने के लिये मंत्री महोदय क्या सोचते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह कहां सिफारिश की है।

श्री नत्थीसिंह : आपने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है केवल सार ही पढ़ा है। पूरी रिपोर्ट में यह कहा गया है इन कामों में प्रायोरिटी देनी चाहिये। नहीं तो केवल जमीनों की तरफ भागते रहेंगे। जैसे मोटर परमिट हैं, लाइसेन्स हैं, उद्योग धन्धों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस पर आपके क्या विचार हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है उसके बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिये संबन्धित विभागों को लिख दिया जायगा जनरल तरीके की यह सिफारिश है। मैं बताना चाहता हूं दूसरे टेक्निकल वोकेशंस में एस्टेब्लिश हो जाय, दूसरे व्यवसाय वगैरह अख्तियार करलें। जैसे मेरिट कम नीड पर इन्जीनियरिंग के लिये स्कालरशिप दे रहे हैं। आइ० टी० आइ० में प्रशिक्षण की सुविधा दे रखी हैं।

श्री नत्थीसिंह : नये रोजगार इनको देन के बारे में क्या नीति है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आइ० टी० आइ० से निकलकर मिस्त्री बन सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : उद्योग धंधों में प्रायोरिटी दी जाय। केवल ये मजदूरी का ही काम करते रहें यह बात नहीं होनी चाहिये। इनको दूसरे धन्धों में खपाया जाय उसके लिये आप क्या सोचते हैं? किस तरह की सहूलियतें आप दे सकते हैं?

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उद्योग धन्धों में अगर ये आते हैं तो इनको प्रायोरिटी दी जायगी। लाइसेन्स के लिये एपलाई करें।

श्री नत्थीसिंह : जैसे बसेज का परमिट है क्या आप इनको देने के लिये तैयार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : किसी जगह की बस रूट के लिये पांच आदमी लाइसेन्स मांगने वाले हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी मांगता है तो निश्चित रूप से प्रायोरिटी दी जानी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : राज्य की स्पष्ट नीति रिजर्वेशन करके इनको प्रायोरिटी देने की है या नहीं?

श्री हरिदेव जोशी : लाइसेन्स देने का सवाल है-उसमें रिजर्वेशन होता है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता-लेकिन उद्योगों में अगर गति है या रूचि है तो वे लाइसेन्स के लिये एप्लाई करें।

श्री नत्थीसिंह : आपका यह सोचना सही नहीं है। इसमें नियम बदलने का सवाल है आपकी निष्ठा और नीयत है तो नियम बदले जा सकते हैं। इससे यह साफ पता चल गया कि आपकी साफ नीति है या नहीं?

दूसरा सवाल मैंने यह उठाया था मैंने उस पर उदाहरण भी दिया था। महाराष्ट्र में एक नीति अपनायी गई है वह नीति यह है कि छुआछूत मिटाना चाहते हैं तो उसके लिये सहयोग मिले उसके लिए वहां प्रोत्साहन दिया जाता है। जो नाबालिग बच्चे हैं उनको सवर्ण जाति के लोगों को पालने के लिये दिये जाते हैं और इस तरह से सवर्ण लोगों को उनके पालने के लिये 50 या 100 रुपया माहवार मदद दी जाती है क्या आप भी कोई इस प्रकार की नीति रखते हैं? यदि वास्तव में आप छुआछूत मिटाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के उपाय राजस्थान में भी करें।

इसके अलावा एक बात और मैंने स्वयं मंत्री जी से कही थी कि रसोईयों के प्रशिक्षण देने के लिये इन लोगों में से लिये जायें। इनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का विचार रखते हैं। मैं आपको तामिलनाडू का उदाहरण दूं, वहां मैं होकर आया हूं पुजारियों के लिये किसी एक समाज के लोगों को ही लिया जाय यह जरूरी नहीं है। अब वहां पूजा के काम के लिये ब्राह्मण की ठेकेदारी नहीं रही है। अब वहां कम्पीटिशन होगा उसके अनुसार चाहे हरिजन हो चाहे कोई ओर हो जो कम्पीटिशन में आयगा उसको पुजारी का पद दिया जायगा। इस तरह से सवर्ण और हरिजनों के बारे में आपकी क्या नीति है?

श्री बिशम्भरनाथ जोशी : मैंने रिप्लाई में कह दिया है कि गुजरात सरकार ने गन्दा काम करने वालों के बच्चों को नये वोकेशन्स में जाने के लिये ... ...

श्री नत्थीसिंह : मैं दूसरी बात कह रहा हूं

(मध्यरात्रि)

श्री विशम्भरनाथ जोशी : तो हम भी उस योजना की डिटेल प्राप्त करके राजस्थान में लागू करना चाहते हैं। स्कॉलरशिप भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे। रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट भी देंगे। वोकेशनल प्रशिक्षण भी देंगे।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री नत्थीसिंह : दूसरा सवाल और है सभापति महोदय। हम बैठे हैं, उनको क्या जल्दी मच रही है। एक सवाल और है। दो सवाल और हैं सिर्फ।

मेजर श्री फतेहसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के प्रतिवेदन को सदन ने स्वीकार किया था उसके मुताबिक हमें तीन तारीख तक ही कार्य करना था। अब क्या चेयर का यह इरादा है कि चार तारीख को भी काम चले सदन का? मैं इसमें सभापतिजी, आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नत्थीसिंह : सरकार ने घोषणा की है। सभापति महोदय......

मेजर श्री फतेहसिंह : व्यवस्था दीजिये। तीन तारीख समाप्त हो चुकी है। हम चार तारीख में प्रवेश कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : चार तारीख तो हो गई है। सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं। इसका जवाब तो नहीं दिया।

मेजर श्री फतेहसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस पर आपको व्यवस्था देनी पड़ेगी यह बड़ा टैक्निकल पॉइन्ट है। It is a technical point and it has to be decided by the Chair.

श्री नत्थीसिंह : मेरा एक सवाल यह है, सभापति महोदय, कि यह जमीन के विषय में जो इन्होंने घोषणा की है कि आप जमीन को जो एलॉटमेन्ट करेंगे उसमें हरिजनों के लिये विशेष ध्यान रखने की कही है।

मेजर श्री फतेहसिंह : मैं क्या उम्मीद करूं कि इस पर कोई व्यवस्था या रूलिंग चेयर से दी जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : पहले से ही व्यवस्था दी जा चुकी है कि जब तक यह समाप्त न हो जावे सदन की कार्यवाही चालू रहेगी।

मेजर श्री फतेहसिंह : वह अलग बात है, इस पर व्यवस्था देनी पड़ेगी।

श्री सभापति : कोई नया बिजनेस नहीं लिया गया है। सदन की कार्यवाही चालू है।

श्री नत्थीसिंह : म कह रहा हूं दो सवाल मैंने उठाये थे एक तो यह कि क्या आप जैसा आपने कहां जमीन एलॉट करेंगे? और दूसरा, आप सरकारी नौकरियों में इन लोगों को लेंगे और इसके लिये आपने 28 परसेन्ट की घोषणा की है तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह घोषणा जो आपने की है इसके सम्बन्ध में आपके कोई घोषणा करने से पहले या साथ साथ ऐसा कोई अनुमान लगाया गया है कि इस साल में आप इतने लोगों को रोजगार से लगावेंगे या इतनी जमीन देंगे?

दूसरा, मैंने एक सवाल यहां उठाया था और कहा था कि आप इस सदन

(श्री नत्थीसिंह)

में यह भी घोषणा करें कि जिस तरह से रिजर्वेशन प्रशासनिक स्तर पर आप राज्य स्तर पर करना चाहते हैं उसी तरह से अन्य निर्वाचित संस्थाओं में भी करेंगे रिजर्वेशन रखने में क्या राय है आपकी। यह बताइये। जैसे पंच, सरपंच, प्रधान और प्रमुख वगैरह के लिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मेरे ख्याल में मैं सभी बातों का जवाब दे चुका हूं। आप फिर रिपीट करके पूछ रहे हैं।

श्री रामकिशन : रसोइयों के प्रशिक्षण के लिये आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसके लिये कोई स्पेशल यूनीवर्सिटी की कोई कॉलेज या इन्स्टीट्यूट नहीं खोली जाती।

श्री रामकिशन : आपने समझा नहीं। जैसे डबल रोटी है बिस्कुट बनाने वाले हैं ये चीजें हैं और ऐसे ही काम हैं इनमें इनको ट्रेण्ड करने के लिये आपने कोई व्यवस्था करने की बात भी सोची है ?

(शोरगुल, अश्रव्य, कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही दिनांक 4-9-69 को अर्धरात्रि पश्चात 0.05 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लाडपुरा तहसील के कमाण्ड क्षेत्र में घोषित गांव

562. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा एवं दीगोद के कई एक गांव लिफ्ट इर्रीगेशन के तहत कमान्ड क्षेत्र में घोषित कर रखें हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों को कमान्ड में घोषित करने से इनके साथ कोलोनाइजेशन एक्ट लागू कर रखा है?

(3) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों में अकाल होते हुए भी सरकार ने कोई रियायत नहीं बरती है? यदि हां, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

ग्राम मातौर (अलवर) के सरपंच के पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाना

563. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे?

(1) क्या यह सही है कि श्री मोतीराम सरपंच, ग्राम मातौर, तहसील मुंडावर, जिला अलवर को गत 4-8-1969 को एस० डी० एम०, किशनगढ़ द्वारा किसी जमीन के केस में कैद की सजा देने पर हथकड़ी लगाकर किशनगढ़ से अलवर कोतवाली लाया गया? यदि हां, तो चुने हुए प्रतिनिधियों को हथकड़ी लगाने के राज्यादेश होते हुए भी उन्हें हथकड़ी क्यों और किसके हुक्म से लगाई गई?

(2) क्या यह सही है कि श्री मोतीराम को सजा सुनाते ही उनकी जमानत तुरन्त श्री जगनसिंह यादव, ग्राम सूरावास ने पेश कर दी थी लेकिन एस० डी० एम०, किशनगढ़ ने जमानत नहीं ली? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चूंकि श्री मोतीराम को अदालत से सजा सुनादी गई थी और उन्हें जेल वारन्ट की तामील में जेल अलवर पर भेजा जा रहा था इसलिय उनके हथकड़ी लगाई थी।

एस० डी० एम०, किशनगढ़ ने फर्द अह काम पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह बात हो सके कि जमानत मुल्जिम द्वारा पेश की गई थी और इसे अदालत ने अस्वीकार किया हो।

जोधपुर के तालाबों की स्थिति

564. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर में तालाब कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि यह तालाब बरसात के पानी से भरे जाते हैं?

(3) इन तालाबों व नहर की सफाई व मरम्मत कौन करता है तथा गत तीन वर्षों में नहरों की सफाई किसके द्वारा की गई?

(4) यदि नहीं की गई, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि नहर और तालाबों में मैला और कचरा डाला जाता है और इनकी देखभाल नहीं होती?

(6) क्या सरकार इन तालाबों का पानी साफ करवा कर उसे उपयोग में लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में कई तालाब हैं जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं:—

1. कायलाना, 2. उम्मेदसागर, 3. लालसागर, 4. बाल समंद, 5. रानी सागर,

(श्री जन-स्वास्थ्य मंत्री)

6. गुलाबसागर, 7. फतेहसागर, 8. नया-तालाब, 9. फुलेराव का तालाब एवं 10. बाईजी का तालाब।

(2) हां

(3) उक्त पहले पांच तालाबों का सफाई एव मरम्मत इस विभाग द्वारा की जाती है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) उक्त पांच तालाब जो इस विभाग के आधीन है उनमें मैला कचरा नहीं डालने दिया जाता है।

(6) उक्त पांच तालाबों का उपयोग राज्य सरकार करती है तथा बाकी तालाब के सम्बन्ध में इस विभाग की इस समय कोई योजना नहीं है।

रक्षा कोष में गबन

565. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर): **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रक्षा कोष के गबन के संबंध में शिक्षा विभाग की उप-निरीक्षिका मिसेज एल० टी० रैमजे, भरतपुर के खिलाफ 24 फरवरी, 68 में श्री जगदीशप्रसाद गौड़ द्वारा अधीक्षक, पुलिस विभाग, भरतपुर को रिपोर्ट की गई थी ?

(2) क्या इस केस में दफा 409 आई० पी० सी० के तहत तारीख 27-2-68 को मुकद्दमा दर्ज किया जाकर तहकीकात की गई थी ? यदि हां, तो इस केस में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि यह मुकद्दमा वापिस लेने को अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा पुलिस विभाग भरतपुर को लिखा गया और पुलिस विभाग भरतपुर द्वारा श्री जगदीशप्रसाद गौड़ के विरुद्ध 182।211 ता० हि० की कार्यवाही की तजवीज की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि सतर्कता आयोग ने जून, 68 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस गबन के मुकद्दमे में जांच करने के लिये आज्ञा दी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है व उस तहकीकात का नतीजा क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, जिला पुलिस ने दफा 409 आ० ई० पी० सी० के अन्तर्गत अपराध जिस्टर कर तफतीश की थी, उनके द्वारा एफ० आर० दी गई।

(3) जी नहीं।

(4) जुलाई, 1968 में सचिव राजस्थान सतर्कता आयोग जयपुर से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच हेतु परिवाद प्राप्त हुए थे जिन पर जांच के बाद अभियोग दिनांक 11-2-69 को हु० द० 409 आई० पी० सी० व धारा 5 (1) (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया जा चुका है और उसकी तफतीश हो रही है।

बाड़मेर जिले के पटवारियों का बकाया यात्रा भत्ता

566. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में विभिन्न तहसीलों में किन किन पटवारियों का कितने-कितने वर्षों का यात्रा भत्ता कितना 2 बकाया है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) उक्त यात्रा भत्ता बिल के भुगतान न होने के क्या कारण हैं ? विभाग द्वारा अब कब तक उक्त बिलों का भुगतान कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठायगी ?

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ जिले में बिजली की नई लाइनें

567. **श्री लक्ष्मण तलीवाल (डग सु०)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ जिले में गत दो वर्षों में बिजली की नई लाइनें कहां कहां पर दी गई ? तहसीलवार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या जिले में नई लाइनें डाले जाने सम्बन्धी कार्यवाइयां सरकार के सम्बन्धित विभागों में विचाराधीन ह ? अगर हां, तो कहां कहां ?

(3) क्या यह सही है कि झालावाड़ की तहसील गंगधार से डग तक बिजली ले जाने सम्बन्धी सर्वे किया गया है जो कोटा के सर्वे विभाग में मौजूद है ? बिजली का यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) अपनी 124 वीं बैठक में विद्युत मण्डल ने निम्नलिखित तीन गांवों को स्वीकृति प्रदान की है:—

1. गुराड़िया।
2. सोहला।
3. वालड़ा।

4. जी नहीं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

List of the villages electrified in 1967-68, 1968-69 in District Jhalawar.

S. No.	Name of Locality		Tehsil	Date of Electrification	Source of Supply
1.	Khandar	..	Pachpahar	7-2-69	Sarkanya.
2.	Arknoda	..	—do—	5-3-69	Dholoi-ka-Khera.
3.	Gudha	..	—do—	18-3-69	Tai-ka-Khera.
4.	Bajpura	..	—do—	31-3-69	—do—
5.	Modi ..	..	Jhalrapatan	15-3-69	Dhira Khera.
6.	Dhanoda	..	—do—	15-3-69	Jura Khera.
7.	Mahesar	..	—do—	15-3-69	—do—
8.	Gawodi	..	—do—	15-3-69	—do—
9.	Govindpura	..	—do—	18-3-69	Kali Sind River.
10.	Patpadia	..	—do—	18-3-69	—do—
11.	Parasli	..	Pirawa	18-3-69	Kutki.
12.	Semli Khan	..	—do—	18-3-69	Garwara.
13.	Dhasli	..	—do—	17-3-69	Sagaria.
14.	Pirawa	..	—do—	9-10-67	Sojat (M. P.)
15.	Maugipura	..	—do—	7-2-69	Karme Kheri,
16.	Sumor	..	Khanpura	15-2-69	11 Kv. Bapawar Khanpur Unit.
17.	Chikali	..	—do—	15-2-69	—do—
18.	Bilasra	..	—do—	15-2-69	—do—
19.	Bherupura	..	—do—	15-2-69	—do—

All these villages, except Pirawa, were written the enroute Programme of half mile. The village Pirawa was approved in the L. D. Programme of 1964-65, and has been supplied power from Sojat in Madhya Pradesh, the 11 Kw. line as per project report is 16 Km.

काश्तकारों से भू-राजस्व की वसूली

568. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1 जुलाई के बाद काश्तकारों से भू-राजस्व वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वर्षा की ऋतु में काश्तकारों से वसूली करने से कृषि उत्पादन में बाधा नहीं पहुंचती है ?

(2) क्या यह सही है कि भू-राजस्व की वसूली कुड़की से भी की जाती है ? यदि हां, तो 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 67 तक राजस्थान भर में कितने काश्तकारों पर कुड़की जारी हुई और कर्जा व भू-राजस्व कितना वसूल हुआ ?

उत्तर

(1) भू-राजस्व की वसूली के लिये दो समय निर्धारित हैं खरीफ की वसूली 1 जनवरी से 31 जनवरी तथा रबी 1 जून से 30 जून तक। इस निर्धारित अवधि में काश्तकारों को लगान जमा कराना चाहिये। इस निर्धारित अवधि के पश्चात् भी काश्तकार अपनी सुविधा के अनसार लगान जमा करा सकते हैं। अतः कृषि उत्पादन में कोई बाधा पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) जी हां। कुल राजस्थान की सूची तैयार करने में समय लगेगा।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन

569. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों को रिहायशी भू-खण्डों का आवंटन करने हेतु किस-किस जगह पर कितने-कितने भू-खण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया था ?

(2) अब तक कहां और किन-किन को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं ?

(3) कहां-कहां, कब-कब से कितने 2 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

(4) कहां-कहां और कितने-कितने भू-खण्डों की भूमि सैनिकों के लिये सुरक्षित की हुई है ?

उत्तर

(1) शहरी क्षेत्रों में सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों के आवास हेतु निम्न स्थानों पर भू-खण्ड सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया था :—

जयपुर 1000, जोधपुर 500, बीकानेर 250, अजमेर 150, अलवर 100, भरतपुर 100, उदयपुर 100।

(2) भू-खण्डों का आवंटन जयपुर में 281, जोधपुर 283, अलवर 31, उदयपुर मे 68 व भरतपुर में 7 का न्यास द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा भीलवाड़ा में 283 व हिन्डौन में 13 भू-खण्डों का आवंटन किया जा चुका है।

(3) चित्तौड़गढ़ 20, भीलवाडा 10, जयपुर 1891, जोधपुर 898, हिन्डौन 50, अलवर 400, बीकानेर 105, उदयपुर 122, भरतपुर 16 और अजमेर में 373 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

इस सम्बन्ध में सूचना प्रश्न के भाग (1) में दी जा चुकी है।

(श्री स्वायत शासन मंत्री)

(4) आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ।—

अजमेर	1966	से	373
भरतपुर	20-2-69	से	3
	28-6-67	से	12
	29-1-67	से	1
बीकानेर	1961	से	105
अलवर	1961	से	400
हिण्डौन	1967	से	50
जोधपुर	1961	से	898
जयपुर	1961	से	1891
	1969		
उदयपुर	1961	से	122
भीलवाड़ा	1967	से	10
चित्तौड़गढ़	1967	से	20

जयपुर स्थित हिन्द होटल को वित्त निगम द्वारा ऋण

570. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन ने जयपुर के हिन्द होटल को करीब दस लाख रुपये का कर्जा दिया है ?

(2) यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर एवं किस-किस चीज को गिरवी रखा कर दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि हिन्द होटल के मालिक ने अभी तक निर्धारित समय पर कर्ज की किश्तें नहीं चुकाईं ? यदि हां, तो क्यों और उस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि हिन्द होटल पर अन्य व्यक्तिगत लोगों व फर्मों का भी कर्जा बाकी है और उन्होंने अदालतों से कर्जा वसूली की डिग्री ले रखी है ?

(5) हिन्द होटल पर इस समय कुल कितना रुपया कर्जा मय ब्याज का बाकी है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) निगम ने ऋण, होटल की पूरी इमारत, दो बंगले जो सी स्कीम में स्थित हैं तथा होटल के प्लाट व इक्विपमेन्ट को गिरवी रख कर नियमानुसार दिया था । नियम की प्रति सलंग्न है ।

(3) जी हां । तीन किश्तों के बाद किश्त व ब्याज जमा न कराने पर होटल पर मुकदमा दायर कर डिग्री करा ली है । नीलामी की तारीख अभी निश्चित नहीं हुई ।

(4) जी हां ।

(5) निगम का दिनांक 25-8-69 तक कुल रु० 10,49,946.75 पैसे मय ब्याज के बाकी है ।

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION,
JAIPUR

Criteria for regulating advances to Hotel Industries.

Eligibility:

(1) Financial assistance to Hotels/Motels and / or Restaurants established or to be established may be given by the Rajasthan Financial Corporation mainly for the purposes of catering to the needs of international tourists, but assistance may also be given to first class Hotels/Motels and/or restaurants engaged or to be engaged in catering to the internal tourists.

(2) A Hotel/Motel to be eligible for loan from the Corporation must have atleast 10 rooms. At least 25% of the rooms must have attached bath-rooms and there should be a bath room for every four of the remaining bed rooms.

(3) A Restaurant alone will be eligible for loan if its capacity is not less than 50 seats.

(4) Application for loan for an amount less than Rs. 15,000/- shall not be entertained by the Corporation.

Form of Application:

(5) Applications will be received by the Corporation on the prescribed form (in duplicate). The forms can be obtained from the office of the Corporation.

Purpose of Loan:

(6) Financial assistance may be provided for one or more of the following purposes:—

(a) For providing additional accommodation in the case of existing hotels/motels/restaurants.

(b) For purchasing equipments, for electrification, modernisation, air-conditioning, providing parks, gardens, recreation facilities, purchasing vehicles, vans etc., for transport of tourists for sight-seeing and for such other purposes which will add to the amenities necessary for the hotels/motels and/or restaurants.

(c) For purchase of land and for construction of new hotel/motel/ restaurant buildings.

(7) No loan shall be granted exclusively for clearing the prior liabilities or for clearing the debts or charges on the assets offered in security, but if the loan is required for providing additional accom nodation in the hotel/motel which is already under encumbrance but is offered to the Corporation under security, a loan may be granted to relinquish the prior charge on such properties.

(8) No portion of the loan will be allowed to be used for working capital. The Board of Directors of the Corporation, however, may at their discretion allow up to a maximum of Rs. 25,000/- being used for working capital in deserving cases.

(9) Loan shall be utilised strictly for the purpose for which it is advanced.

Disbursement of Loan:

(10) Loans shall be disbursed in instalments as in the case of loans granted to other types of industries.

Rate of Interest:

(11) Interest will be charged on the amount outstanding @ 4% above the Bank Rate prevailing from time to time subject to a minimum of $8\frac{1}{2}$% p. a. with a rebate of $\frac{1}{2}$% p. a. if the instalments of principal and interest are paid on the due dates.

Security for the Loan:

(12) Loans shall be granted on the value of the following securities.

(i) Unencumbered fixed assets of the hotel/motel and / or restaurants for which the applicant has undisputed title.

Note:—Furniture, vehicles and other movable items will not be considered as security.

(ii) Private residential or other buildings may be accepted as collateral security if the advance is not fully covered by the fixed assets of the hotel/motel and/or restaurant.

(13) The other terms and conditions applicable to advances to other types of industries will also be applicable to these loans.

Page No 299

बूंदी के सुपरिन्टेन्डेन्ट पर अर्दली की हत्या का आरोप

571. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री माथुर के विरुद्ध उनके अर्दली श्री जगसिंह की हत्या का आरोप लगाया गया है ?

(2) अगर हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) श्री ललित मोहन तत्कालीन एस० पी०, बूंदी के खिलाफ यह स्पष्ट आरोप किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लगाया कि श्री ललित मोहन ने जगसिंह की हत्या कर दी अलबत्ता बूंदी से निकलने वाले 'निकाल' नामी समाचार-पत्र के एक अतिरिक्त अंक दिनांक 19-5-69 के द्वारा यह अफवाह कार्यालय संवाददाता के हवाले से प्रकाशित की गई थी कि जगसिंह के साथ पुलिस अधीक्षक ने मारपीट की जिसके कारण वह ता० 28-4-69 को मर गया।

(2) इस मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक को सुपुर्द की गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट 30-8-69 को सरकार को प्राप्त हुई है और राज्य सरकार के विचाराधीन है।

झालावाड़ जिले की सड़कों पर व्यय

572. श्री जुझारसिंह : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ पी० डब्लू० डी० डिवीजन की कोटा जिला में स्थित भौनरा सांगोद वाया राजगढ़ व कैथून घाना हेड़ा विद लिंक टू ओंया सड़कों पर सन् 1968-69 के बजट में एक-एक लाख रु० का प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो इन सड़कों पर अलग अलग मंजरशुदा रकम में से कितना कितना धन खर्च किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि 1969-70 के चालू बजट में भौनरा सांगोद पर 45,000 रु० व कैथून-घाना-हेड़ा सड़क पर कुछ भी रकम मंजूर नहीं की गई है ? यदि हां, तो मंजूरी में कमी करने के क्या कारण हैं ? खासतौर से उस सूरत में जब कि पिछले साल इन पर मंजूर की गई रकम में से कोई रकम इन सड़कों को बनाने के लिए काम में नहीं ली गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि भौनरा-सांगोद सड़क पर मंजूर की गई इस साल की रकम में से अवाप्त भूमि का मुआवजा भी चुकाने का आदेश है जिसके कारण सड़क बनाने का कार्य शुरू नहीं किया जा सका है ?

(4) क्या सरकार इन सड़कों पर इसी साल काम चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। 68-69 में भौनरा-सांगोद वाया राजगढ़ पर 67,625) रु० तथा केथून-धाना-हेड़ा पर कोई खर्च नहीं हुआ।

(2) जी हां। धनाभाव के कारण।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां।

(4) अधिक धन मिलने पर निर्भर करता है, रोड सेक्टर की वर्तमान सीलिंग में सम्भव नहीं है।

नगरपालिकाओं का चुनाव

573. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने नगरपालिकाओं के चुनावों की कोई तारीख निश्चित कर ली है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक करा दिये जावेंगे ?

(2) क्या कुछ नगरपालिकायें आगामी चुनाव में चुनाव होने से बाकी रह जायेंगी ? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां की ?

(स्थगित किया गया)

वन विभाग के सरप्लस अमीन

574. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग, राजस्थान के आदेश नम्बर 10713 दिनांक 2-3-68 के अनुसार 66 सरप्लस अमीनों को जो मैट्रिक पास थे, सहायक निरीक्षक सहकारी विभाग में लिया गया ? और बिना मट्रिक शेष 49 को पटवारी नियुक्त किया गया ?

(2) क्या इन पटवारियों को पुनः पटवारी परीक्षा पास करने के आदेश दिये गये और जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की उन्हें भू-प्रबन्ध विभाग में पुन: अमीन नियुक्त करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो कितनों को अमीन नियुक्त किया और बाकी को क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि इन पटवारियों और अमीनों को पदोन्नति भी दी गई ? यदि हां, तो किस आधार पर और शेष को अमीन ही रखे जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जिन पटवारियों व अमीनों की पदोन्नति कर इन्सपैक्टर बनाया गया है वे सब भी नॉन-मैट्रिक है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 63 अमीन ही सरप्लस घोषित किये गये थे जिनमें मैट्रिक केवल 12 थे।

(2) पटवारी परीक्षा पास करने की शर्त नियमानुसार अवश्य लगाई गई थी किन्तु किसी को पटवार परीक्षा न पास करने के कारण भू-प्रबन्ध विभाग में अमीन नहीं लगाया गया था। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपना समावेश अमीन पद पर अवश्य कराया था।

(3) जी नहीं।

(4) केवल वरिष्ठतम नॉन-मट्रिक अमीनों का भू-प्रबन्ध निरीक्षक के पद पर समावेश किया गया था।

Page No 301

ग्राम वीटन, गगराना आदि में जल स्रोत

575. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता):- क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वीटन, गगराना, पूल, धनापा, गंणीया, लावा छनावड़ और मेंकाला में ग्राम बोरून्दा की तरह जल स्रोत है?

(2) क्या यह सही है कि मेड़ता शहर में 8 दाल व ल मिलें हैं साथ में शहर के 1-111 मील एरिये में 100 से अधिक कुएं हैं?

(3) क्या यह सही है कि वहां के लोग मेड़ता शहर एवं उपरोक्त गांवों के कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु बिजली चाहते ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम गोठन लाइम (चूने) के भट्टे हैं और वे भी द्युत चाहते हैं?

(5) क्या सरकार इन सभी गांवों में शीघ्र बिजली देकर कृ व उद्योगों का विकास करना चाहती है? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजनायें हैं एवं वे कब तक पूरी हो जावेंगी?

उत्तर

(1) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) शहर मेड़ता सिटी में तो नगर पालिका का विद्युत ह है, वैसे मंडल के सम्बन्धित विभाग में ग्राम वीटन का मांग-पत्र प्राप्त हुआ और किसी भी ग्राम का नहीं।

(4) गोठन में चूने के भट्टे हैं जिसकी ओर से हाल ही में मांग-पत्र प्राप्त हुए, जो विचाराधीन हैं।

(5) मण्डल अधिक से अधिक ग्रामों का विद्युतिकरण करने के लिए प्रयत्नशील हैं किन्तु अभी तक इन गावों के विद्युतीकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

चूरू-फतहपुर सड़क निर्माण

576. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू और फतहपुर के बीच में कितनी लम्बी सड़क बन चुकी है और कितनी दूरी की बननी बाकी है? कुल एस्टीमेट कितना था और उसमें से अब तक कितना खर्च किया जा चुका है?

(2) राजस्थान बनने से आज तक इस मार्ग पर सड़क बनाने में राज्य सरकार से भिन्न भिन्न मदों से कितनी कितनी रकम अब तक खर्च की है?

(3) राज्य सरकार इस सड़क के महत्व को देखते हुए कब तक इसे पूरा कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) चूरू और फतहपुर के बीच 8 कि० मी० डामर की सड़क 16.1

(श्री निर्माण मंत्री)

कि० मी० मेटल रोड व 9.6 कि० मी० ग्रेवल रोड बन चुकी है। कुल सड़क को बनाने का एस्टीमेट 8.47 लाख रुपये का था। अब तक कुल 6.45 लाख रुपया खर्च हो चुका है।

(2) पंचवर्षीय योजना के मद से 1,28,140 रु० तथा फैमीन मद से 5,17,567 रु० इस प्रकार कुल 6,45,707 रु०।

(3) इस सड़क को डामर की सड़क बनाने का कार्य प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ले लिया गया है।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत काश्त भूमि का रेग्यूलराइजेशन

577. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने यह आदेश प्रसारित किये हैं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत जो काश्तकार दिसम्बर, 1966 तक सवाई चक भूमि पर काश्त कर रहे थे उनको 35 गुना पैनेल्टी लगा कर रेगुलराइज कर दिया जावे?

(2) क्या यह सही है कि अनकमाण्ड एरियाज में 35 गुना पैनेल्टी और 250) रु० बीघा वसूल किया जाकर रेगुलराइज कर के आदेश हैं?

(3) जो काश्तकार सवाई चक भूमि पर कमाण्ड एरिया घोषित होने से पूर्व काबिज था और उसकी तहसील द्वारा रेगुलराइज नहीं किया तो क्या उससे भी इस प्रकार वसूल किया जावेगा? यदि हो, तो ऐसा करना कहाँ तक उचित व न्यायसंगत है?

(4) क्या राज्य सरकार उन काश्तकारों की जो कि सवाई चक भूमि पर कमान्ड एरिया घोषित होने से पूर्व काबिज हैं, से सिर्फ 35 गुना लेने के आदेश प्रदान करने का विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु ये आदेश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रसारित हुए हैं।

(2) मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में सरकारी कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जों का नियमन के बारे में ऐसे कोई आदेश नहीं हैं।

(3) मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के पत्र सं० एफ० 7/51/सिंचाई/62, दिनांक 24-4-68 में जो आदेश दिये गये हैं इन्हीं के अनुसार नियमन किया जाता है।

(4) जी नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में ऊपर लिखित आदेश पहले ही प्रसारित किये जा चुके हैं।

तहसील बस्सी के काश्तकारों को बिजली

578. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी—सु०): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी के ग्राम बडवा के काश्तकारों को

(श्री कन्हैयालाल)

कुओं के लिये बिजली दी गई है ? यदि हां, तो कितने कुओं में कब से बिजली लगाई जा चुकी है ?

(2) क्या यह सत्य है कि काश्तकारों को इस बिजली कम मिलने की शिकायत है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसका क्या समाधान किया है ?

(3) क्या यह सत्य है कि विभाग बराबर पावर नहीं देता है जिससे फसल का नुक्सान हो रहा है तथा बिजली के उपयोग के प्रोत्साहन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची विवरण संलग्न है । सूची में अंकित है ।

(2) जी नहीं । इस समय बिजली कम मिलन की कोई शिकायत विभाग के पास नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

दिये गये कनेक्शन की सूची

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	कनेक्शन दिये जाने की तिथि
(1)	काना	17-8-66
(2)	सूजा	27-12-66
(3)	हरलाल	27-12-66
(4)	खमा	29-11-66
(5)	रामचन्द्र	30-11-66
(6)	भगवान सहाय	30-11-66
(7)	धेवत	22-11-66
(8)	मलचन्द	1-12-6
(9)	चिन्तनमल	1-12-66
(10)	कन्हा	..
(11)	छीतर	31-8-68
(12)	कान्हा	—
(13)	हरचन्द	27-12-68
(14)	परबतीलाल	—
(15)	मोरया	31-12-68
(16)	कल्याण	24-12-68
(17)	ग्यारसा	27-12-68
(18)	लल्ल	31-12-68
(19)	नाथू	6-1-69

बांसवाड़ा में गृह निर्माण हेतु एक्वायर की गई भूमि

579. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा में गृह निर्माण के सम्बन्ध में कुल कितना भू-भाग एक्वायर किया गया है व कहां कहां ?

(2) इस भू-भाग में से अब तक किस किस को कितना-कितना भू-भाग कहां कहां आवंटित कब-कब किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सत्य है कि एक्वायर भू-भाग में अनुसूचित जाति, जन जाति की भूमि छीन ली गई थी ? यदि हां, तो किस-किस से कितनी-कितनी तथा उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई ?

(4) क्या यह सत्य है कि आवंटन में आदिवासियों की उपेक्षा की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो किस-किस नागरिक ने कितने-कितने भू-भाग

(श्री नाथूराम)

के निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये उन्हें कितने-कितने भू-खंड दिये गये ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें तथा अनुसूचित जाति, जन जाति का प्रतिशत भी देने की कृपा करें। साथ ही यह भी बताने की कृपा कर कि इनमें आइटम 3 में अंकित व्यक्तियों को आवंटित भू-भाग कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) गत 8-10 सालों में कोई भू-भाग गृह निर्माण के सम्बन्ध में एलॉट नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

राज्य में ए०एस० आई० की परीक्षा

580. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ए० एस० आई० की परीक्षा हर साल होती है ? यदि हां, तो सन् 1966 में कितने ए० एस० आई० की परीक्षा में बैठ थे और उनमें कितने पास हुए ?

(2) क्या यह सत्य है कि ए० एस० आई० की परीक्षा के रिजल्ट्स आउट नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और किस प्रकार परिणाम इम्तिहान में बैठने वालों को मालूम होता है ?

(3) उपरोक्त परीक्षाओं में सीनियोरिटी का भी ध्यान रखा जाता है या नहीं ?

(4) उपरोक्त परीक्षा में कितने पुराने व कितने नये आदमियों को लिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। ए० एस० आई० की परीक्षा प्रायः प्रति वर्ष होती है। सन् 1966 में ए० एस० आई० की परीक्षा में 889 कर्मचारी बैठे थे। इनमें से 315 कर्मचारी उत्तीर्ण घोषित हुए।

(2) जी नहीं। ए०एस० आई० की परीक्षा के रिजल्ट्स आउट किये जाते हैं। प्रत्येक खण्ड की परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारियों का परिणाम खण्ड की चयन समिति द्वारा ही खण्ड के नोटिस बोर्ड एवं जिला अधीक्षकों को परिणाम की प्रति भेज कर अवगत कराया जाता है।

(3) इस परीक्षा में बैठने के लिए सीनियोरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, परन्तु कर्मचारियों के लिखित, परेड एवं साक्षात्कार की परीक्षा में सफल हो जाने पर ही चयन समिति द्वारा नियमानुसार सीनियोरिटी के मुताबिक ही लिस्ट में लिये जाते हैं।

(4) उपरोक्त परीक्षा में नये आदमियों को लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। परीक्षा में नियमानुसार केवल कर्मचारी ही बैठ सकते हैं और उनमें जो सफल हो जाता है, उसे ही सीनियोरिटी के अनुसार प्रमोशन दिया जाता है।

मलारना डूंगर, मलारना चोड़ आदि का विद्युतिकरण

581. **श्री पृथ्वीराज** (बासनवास-सु०): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कस्बा मलारना डूंगर, मलारना चोड़, मित्र पुरा, पीपलदा में विद्युतिकरण क्यों नहीं हो रहा है जबकि दो साल से निरन्तर मांग की जा रही है, 200 कएं सिंचाई के विद्युत् लेन को तयार हैं जिससे अन्न उत्पादन में सहयोग मिलता तथा यह बोंली के प्रमुख कस्बे हैं जहां कई लघु उद्योग भी खोले जा सकते हैं ?

(2) उक्त कस्बों में कब तक विद्युतिकरण होगा ?

उत्तर

(1) यह ग्राम अब तक की किसी भी स्वीकृत योजना में शामिल नहीं हैं। दो ग्राम मलारना चोड व मलारना डूंगर के परियोजना प्रति वेदन विचाराधीन है। व ग्राम पीपलदा ग्राम के सर्वेक्षण हेतु अधिकारियों को कहा गया हैं।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

नगरपालिकाओं में मेहतरों की स्थिति

582. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें आज भी मेहतर मैला सर पर ढोकर ले जाते हैं ?

(2) नगरपालिकाओं में जहां भी नये मकान बनाने की इजाजत दी जाती है क्या उनमें फ्लश लेट्रीन बनाना अनिवार्य शर्त रक्खी जाती है ?

(3) हर साल हर नगरपालिका कितनी पुरानी लेट्रीन को फ्लश लेट्रीन में बदलती है ?

(4) मेहतर को मैला ढोकर सर पर नहीं लें जाना पड़े और लेट्रीन्स साफ सुथरी रहें इस सम्बन्ध में किस-किस नगरपालिका ने कौन-कौन से कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) प्राय: सभी नगरपालिकाओं में ऐसा ही है।

(2) जी नहीं।

(3) न ऐसे कोई नियम ही है और न इस प्रकार की कोई निश्चित योजना ही है।

(4) केवल जयपुर नगरपरिषद के लिए भवन निर्माण उपनियम में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों में केवल फ्लश लेट्रीन की ही इजाजत दी जावे निकासु पाखानों की नहीं। इसके साथ ही नगरपालिका द्वारा पुराने पाखानों को फ्लश के पाखानों में बदलने के लिये, प्रोत्साहन देन हेतु कुछ ऋण दिये जाने की योजना भी है।

पीपली अचापत उदयपुर के भोग्या परिवार की आराजी

583. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु०): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पीपली अचापात, तहसील राजसमन्द, जिला उदयपुर की आरजी नं०

(श्री देवेन्द्रकुमार)

1, 2, 3, 4 व 5 पर विगत वर्षों से कौन काबिज हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस जमीन का मालिक श्री भेरू पिता मोगजी भोग्या है ? यदि हां, तो इस वर्ष इस जमीन की गेहूं की उपज प्रशासन के द्वारा किसको व क्यों दिलवाई गई ? यदि नहीं, तो संवत् 2015 के जमाबन्दी जिन्सवार व खतौनी की तथा 2015 में के रेकार्ड की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या भोग्या परिवार ने छीनी गई गेहूं की उपज दिलाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया था, किन्तु उसे कोई सहयोग नहीं दिया गया ? यदि कोई सहयोग दिया गया तो क्या ?

(4) क्या राज्य सरकार ने पिछड़ी जाति के लोगों की भूमि सम्बन्धी सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था की है ? संबंधित निर्देश यदि कोई हों तो सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) यह सूचना संलग्न पत्र में अंकित है।

(2) जमीन का मालिक श्री भेरू पिता मोड़जी भोगिया नहीं है क्योंकि खेवट में इस का नाम अंकित नहीं है। संवत् 2015 में जमाबन्दी नहीं बनी इसलिये इसकी प्रतिलिपि संलग्न नहीं की जा सकती। खसरा जिन्सवार की प्रतिलिपि एवं संवत् 2025 के मिलाई के रेकार्ड की प्रतिलिपि का सचिवालय राजस्व विभाग में अवलोकन किया जा सकता है।

(3) भोग्या परिवार ने गेहूं की फसल छीने जाने से वापस दिलाने बाबत राजस्व अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं किया। जिससे सहयोग देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की भूमि को उनकी समजाति के व्यक्तियों के अलावा अन्य जाति के व्यक्तियों को स्थानान्तरित नहीं करने का प्रावधान है।

संलग्न पत्र

सम्वत् 2021 में केवल आराजी नं० 2, 3, 4 पर श्री सोहनप्रकाश पिता रंगलाल का कब्जा होना अंकित है। शेष पर किसी का कब्जा होना अंकित नहीं है। सम्वत् 2012 में किसी का कब्जा होना अंकित नहीं है। सम्वत् 2013 में केवल आराजी नं 2, 3 पर सोहनप्रकाश का कब्जा होना अंकित है। शेष पर किसी का कब्जा होना अंकित नहीं है।

खसरा जिन्सवार के आधार पर 2014 में सभी आराजी पर श्री सोहनप्रकाश पगारिया निवासी कांकरोली का कब्जा होना अंकित है। 2015 में आराजी नं० 1 पर कब्जा श्री सोहनप्रकाश बेचाव से श्री भरा पिता मोड़ा, मोड़ा पिता कुम्भा, सवलाल पिता अम्बा, प्रसा पिता ऊंमा का होना अंकित है। आराजी नं० 2 पर श्री सोहनप्रकाश का बेचाव से श्री लखा, हीरा, नवला, पांचा,

(राजस्व मंत्री)

मोड़ा का कब्जा होना अंकित है। आराजी नं० 3 पर श्री सोहनप्रकाश बेचा से नवला पिता ऊंमा, लखमा पिता पांचा, पदमा पिता ऊंमा, मोड़ा पिता ऊमा, मोगिया का कब्जा होना अंकित है।

आराजी नं० 4 पर श्री सोहनप्रकाश बेचाव श्री भेरु पिता मोड़ा मोगिया नवला पिता ऊंमा पदमा पिता ऊंमा का कब्जा होना अंकित है। आराजी नं० 5 पर श्री सोहनप्रकाश बेचाव से श्री सवलाल पिता ऊंमा, मोगिया, श्री हीरा पिता पांचा मोगिया का कब्जा होना अंकित है। सवंत् 2016 में कब्जा 2015 के अनुसार बेचाव से प्रत्येक आराजी के सामने अंकित काश्तकारान का होना अंकित हैं। 2017 में आराजी नं० 1 से 5 तक श्री सोहनप्रकाश की कब्जा होना अंकित है : 2018 में श्री सोहनप्रकाश का———सभी आराजी पर कब्जा होना अंकित है। सम्वत् 2019 में आराजी नं० 1 पर रामा भेरू पिता मोड़ा, नवला पिता ऊंमा, पूना पिता नवला, परसा ऊंमा, सावा पिता ऊंमा का कब्जा होना अंकित है।

आराजी नं० 2 पर परसा पिता ऊंमा मोगिया, हीरा पिता पांचा, रूपा पिता मोड़ा, सवला पिता ऊंमा का कब्जा होना अंकित हैं। आराजी नं० 3 पर लखमा पिता पांचा, नाथू पिता रघनाथ, भेंरा पिता मोड़ा, गुलाब पूना पिता नवला; मोगिया का कब्जा होना अंकित है।

आराजी नं० 4 पर पदमा पिता मा, मोगिया सेवा पिता ऊंमा का कब्जा होना अंकित है। आराजी नं० 5 रामा पिता मोड़ा, भंवर मोगिया का कब्जा अंकित है।

सम्वत् 2020 में सभी आराजीयात पर कब्जा श्री सोहनप्रकाश का अंकित है। सम्वत् 2021 से 2025 तक खसरा जिन्सवार में इस प्रकार काश्तकारान का नाम अंकित नहीं करने के राज्य सरकार के आदेश होजाने से नाम नहीं लिखे गये।

लालसोट क्षेत्र में बिजली

584. श्री शम्भुराम (लालसोट सु०): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लालसोट कॉन्स्टीट्यूएन्सी में ग्राम लालसोट मंडावरी एवं डीडवाने में बिजली होते हुए भी पास के ग्रामों में बिजली क्यों नहीं पहुंची है जब कि उक्त क्षेत्र के लिये जिला जयपुर के साथ ही बिजली लगाने की स्वीकृति हो चुकी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उनकी फसल बिजली के अभाव में सम्पन्न नहीं हो सकेगी ? जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी गिर जावेगी ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों को बिजली कब तक दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1968-69 के ग्रामीण विद्युति-किरण की स्वीकृति योजना में तहसील लालसोट के ग्राम रोजोली, टोरडा और चान्दसेन शामिल थे। ग्राम राजौली और टोरडा को विद्युतिकरण किया जा चुका है। ग्राम चान्देसा की दूरी 1/2 मील से अधिक होने के कारण विद्युति करण नहीं किया गया गया था।

(विद्युत् मंत्री)

(2) स्वीकृत ग्रामों के अलावा अन्य स्थानों का विद्युतिकरण सम्भव नहीं होता है।

पखरोडी ग्राम के एक युवक को जिन्दा जला दिया जाना

85. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरीबाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बबरू थाना के अन्तर्गत पखरोडी ग्राम में रमजान नामक एक 31 वर्षीय युवक को हाथ पैर काट कर जिन्दा जला दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि रमजान मृतक के भाई रहमत ने इस घटना की सूचना थाना बबेरू में दी परन्तु पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं की ? यदि नहीं, तो यह घटना किस तारीख को घटी और रिपोर्ट किस तारीख को दर्ज की गई, और किसके आदेश पर ?

(स्थगित किया गया)

सवाई माधोपुर के नोटिफाइड एरिया में भूमि पर कब्जे

589. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खन्डार सु०) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर नोटिफाइड एरिया (मानटाउन) में किस-किस व्यक्ति ने किस-किस भूमि को मय नाप के कब से अनधिकार कब्जे में ले रखी है ?

(2) चयरमैन नोटिफाइड एरिया कमेटी (मानटाउन) ने अब तक ऐसे ट्रेसपासर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(3) यदि नहीं की तो क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार अब फौरन ऐसे व्यक्तियों से उक्त भूमि मुक्त कराने के लिये सक्रिय कदम उठाने जा रही है ?

(5) क्या सरकार उन कर्मचारियों को जो अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही दिखाते रहे उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) 39 व्यक्तियों के पास 5,922 वग फुट एवं 33 बीघा 1 बिस्वा भूमि अनाधिकृत रूप से नोटिफाइड एरिया कमेटी के गठन से पूर्व से ही कब्जे में है।

सूची सूचना सहित संलग्न है

(2) 26 व्यक्तियों से कब्जे हटा लिये गये हैं। 32 व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की जारही है।

7 व्यक्तियों ने न्यायालय में (रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी) कोटा में अपील कर रखी हैं।

कुल कब्जे 65 थे।

(3) प्रश्न के भाग 2 में उत्तर दे दिया गया है।

(4) चैयरमेन नोटिफाइड एरियर कमेटी द्वारा आवश्यक कायवाही की जा रही हैं।

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सूची

नाम 14 व्यक्तियों के जिनम से प्रत्येक ने 9×10 फुट पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इनके पास कुल 1260 वर्ग फुट भूमि है।

1. श्री गंगधार	8. श्री हीरा लाल
2. श्री बाबूलाल	9. श्री ग्यारसी लाल
3. श्री नृसिंह लाल	10. श्री छोटेलाल
4. श्री छोटेखां	11. श्री कानाराम
5. श्री रामेश्वर दयाल	12. श्री छीतर लाल
6. श्री नबाबअली	13. श्री दुर्गालाल
7. श्री अलादीन	14. श्री सूरजमल

नाम 18 व्यक्ति जिनके पास 259 वर्ग फुट भूमि प्रत्येक के पास है। पूर्ण क्षेत्रफल 4,662 वर्ग फुट है:

1. श्री फकीर चन्द	10. श्री दीनदयाल
2. श्री भीरू मल	11. श्री किशोरी लाल
3. श्री गोविन्द राम	12. श्री चुन्नी लाल
4. श्री चोथमल	13. श्री फतह लाल
5. श्री रामदयाल	14. श्री पृथ्वीचन्द
6. श्री हेतुमल]	15. श्री हीरा लाल
7. श्री केसर लाल	16. श्री सत्यनारायण
8. श्री फकीर चन्द	17. श्री दुर्गालाल
9. श्री वीरू मल	18. श्री बदरीलाल

नाम 7 व्यक्तियों जिन्होंने 33 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है और रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी, कोटा में अपीलें कर रखी हैं:

1. श्री लक्ष्मी चन्द	5. श्री हरिनारायण	एक ही व्यक्ति ने तीन टुकड़ों पर कब्जे कर रखे हैं इसलिए कब्जे तीन माने गये हैं।
2. श्री लक्ष्मी चन्द	6. श्री हरिनारायण	
3. श्री लक्ष्मी चन्द	7. श्री हरिनारायण	
4. श्री मोती सिंह		

Page No 310

जालोर की चरागाह की भूमि का आवंटन

587. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा जालोर में खसरा नम्बर 605 रकबा 1898 बीघा 16 बिस्वा भूमि, सन् 1963 अगस्त के पहले तक गोचर दर्ज थी और दस्तूर गांवाई अनसार यह चरागाह जालोर कस्बे के अलावा अन्य पांच गांवों (देसू, बादनवाड़ी, सूरपूरा, सांवतपुरा और महेशपुरा) के मवेशियों के लिये भी यह खसरा भूमि निर्धारित थी ?

(2) क्या यह सही है कि अकेले जालोर कस्बे की यह चरागाह बताई जाकर भूमि किस्म परिवर्तित कर ही जाकर जिलाधीश जालोर द्वारा आज्ञा आर० ई० वी०/ए०/2605 दिनांक 26-8-63 से तहसीलदार, जालोर को इस चरागाह में से 1,200 बीघा, भूमि को आवंटित करने की आज्ञा दे दी गई ? यदि हां, तो जालोर सहित कुल छः गांवों की चरागाह भूमि को अकेले जालोर की ही मानकर भूमि आवंटन का कार्य क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कस्बा जालोर में खसरा नं० 560 रकबा 1856॥)1 भूमि सन् 1963 अगस्त के पहले तक गोचर दर्ज थी, किन्तु गांवाई दस्तूर के अनुसार यह चरागाह जालोर कस्बा के अलावा अन्य 5 गांवों अर्थात् देसू, बादनवाड़ी, सुरपुरा, सांवतीपुरा और महेशपुरा के लिये निर्धारित नहीं थी।

(2) यह सत्य है कि केवल जालोर कस्बा की चरागाह रेकार्ड के आधार पर दर्ज होने से निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त भूमि जिलाधीश, जालोर की आज्ञा संख्या रेव०ए।2605, दिनांक 26-8-63 द्वारा इस चरागाह में से 1200 बीघा को आवंटित करने की आज्ञा तहसीलदार, जालोर को दी गई थी। उक्त गोचर भूमि केवल जालोर के लिये ही रेकार्ड में दर्ज होने से छः गांवों की मवेशियों के लिये भूमि छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

कोटा, बून्दी जिलों में डकैतियां

588. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा एवं बून्दी में सन् 69-70 में किस-किस माह में किस-किस तहसील के किस-किस गांव में कितनी डकैतियां मय माल के, डाकुओं द्वारा कितनी हत्याएं एवं कितने व्यक्तियों को उठा कर ले जाने की घटनाएं हुई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि डाकू जिन व्यक्तियों को उठाकर ले गए पुलिस उन व्यक्तियों को छुड़ाने में असफल रही ? यदि हां तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डाकुओं के चंगुल से छूटकर आने वाले व्यक्तियों ने डाकुओं को पैसा दिया है ?

(4) डाका डालने वाले डाकू किस किस गैंग के थे ?

(5) इन क्षेत्रों में पड़ने वाली आ दिन की डकैतियों पर रोक लगाने में सरकार अब तक किन कारणों से असफल हो रही है ?

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(1) जिला कोटा में 1-4-69 के पश्चात् 13 डकैतियां व बून्दी में एक डकैती की घटना हुई है जो टेक्नीकल किस्म की पाई गई है। इन डकैतियों के विषय में वांचित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अपहरणशुदा व्यक्तियों को वापिस छुड़ाने हेतु पुलिस प्रयत्नशील है।

(3) दिनांक 1-1-69 से 15-8-69 तक जिन 7 व्यक्तियों का अपहरण किया गया है वो वापिस ही नहीं लौटे हैं।

(4) मध्य प्रदेश के डाकू श्योवन सिंह, स्थानीय डाकू घन्ना व अन्य लोकल गैंगों के डाकू थे।

(5) राज्य सरकार डकैती उन्मूलन की तरफ पूरी तरह सजग है। कोटा जिले व मध्य प्रदेश की सीमा पर पूरी नाकाबन्दी व गश्त का प्रबन्ध जारी है। लोकल गैंग व बदमाशान के ऊपर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। इस जिले की भौगोलिक स्थिति के कारण डकैत वारदात कर देते हैं किन्तु उनका हमेशा मजबूती से पीछा किया जाता है व उनके उन्मूलन के लिए हर सम्भव प्रयास भी किया जाता है।

नक्शा मुकद्दमात डकैती मण्डल, कोटा व बून्दी, दिनांक 1-1.69 से 15-8-69 तक

नं० श०	नाम थाना	अभियोग संख्या व दिनांक	धारा	स्थान जहां डाका डाला गया	माल लूटा गया/ हत्या
1	2	3	4	5	6
	मण्डल कोटा		मण्डल कोटा		
1.	बापना	20 दि० 4-4-69	395/397 ता० हि०	मुलोन	1,718/- रु०
2.	हरनाकड़ा	18 दि० 8-4-69	395/353 ता० हि०	झनझरी	26,000/- रु०
3.	बापना	21 दि० 12-4-69	395/397 ता० हि०	नयापुरा के रेल्वे फाटक के पास	50/- रु०
4.	छबा	65 दि० 20-4-69	396/397 ता० हि०	थनवाड़ा	माल नहीं लूट सके। लजिमान बाला की हत्या की गई
5.	छीपा बड़ोद	57 दि० 24-4-69	395/397 ता० हि०	रंगोनिया	1,297/- रु०
6.	मकनरा	105 दि० 11-5-69	395/147/149/353/504 ता० हि०	श्रीपुरा कोटा	3,001/- रु०
7.	इटावा	17 दि० 24-5-69	395/397/365 ता० हि०	डांबरी	70,000/- रु०
8.	इटावा	18 दि० 24-5-69	395/397/365 ता० हि०	पूदाबंद	15,931/- रु०
9.	इटावा	19 दि० 25-5-69	395/397 ता० हि०	कोडान	4,635/- रु०
10.	किशनगंज	23 दि० 30-5-69	395 ता० हि०	जैतपुरा	1,456/- रु०
11.	खातोली	29 दि० 24-5-69	"	खेरपुरा	3,270/- रु०
12.	अटरू	33 दि० 22-6-69	395/397/365/458 ता० हि०	हरनाथकुड़	41/- रु०
13.	किशनगंज	31 दि० 5-8-69	395/397/365/458 ता० हि०	रामपुरा	2,000/- रु०
	बून्दीमण्डल				
14.	बून्दी	100 दि० 21-5-69	147/448/149/332/333/353/307 395 ता० हि०	बूंदी	पुलिस से वर्दी व डन्डे इत्यादि छीन ले गये।

नक्शा डाकुओं द्वारा अपहरण किये गये व्यक्तियान का मण्डल, कोटा, दिनांक 1-1-1969 से 15-8-1969

नं० शु०	नाम थाना	अभियोग संख्या व तारीख	धारा	नाम व्यक्ति	नाम स्थान जहां से अपहरण किये गये
1.	इटावा	17 दि० 24-5-69	395/397/365 ता० हि०	राम प्रताप	ढोवरी 24-5-69
2.	,,	18 दि० 24-5-69	,, ,,	भंवर लाल कलाल के दो बच्चे उम्र 2½ वर्ष व 9 वर्ष	ग्राम लुहावट 24-5-69
3.	कस्बा थाना	25 दि० 14-7-69	365/457 ता० हि०	(1) रमेश पुत्र प्रभु (2) रामचन्द्र मोरली	रामपुरा 14-7-69
4.	किशनगढ़	21 दि० 5-8-69	395/397/365/458 ता० हि०	(1) छीतर लाल व लक्ष्मी चन्द पुत्र घन्ना	रामपुरा 4-8-69

केकड़ी में श्री लाल बहादुर शास्त्री पार्क का निर्माण

589. **श्री देवी लाल बुरासिया** (केकड़ी-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि केकड़ी नगर पालिका (बोर्ड) द्वारा श्री लाल बहादुर शास्त्री पार्क का निर्माण किया गया ?

(2) अगर हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा आया ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा कहां से खरीदी गई और उस पर कुल कितना खर्चा आया ? क्या उक्त प्रतिमा राज्य सरकार से अनुमोदित कराली गई थी ?

(4) क्या श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा सार्वजनिक स्थान पर लगाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या केकड़ी नगरपालिका ने उक्त प्रतिमा लगाने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमति ले ली थी ? अगर हां, तो अनुमति की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पार्क निर्माण पर 3,278.98 रु० व्यय हुए हैं। पूर्ण विवरण सहित सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मूर्ति यावलकर आर्ट स्टूडियो, बम्बई से खरीदी गई थी। कुल व्यय 4,350 रु० हुआ है। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री पार्क निर्माण में व्यय का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:—

1.	बुनियाद खुदाई	46.59
2.	कीमत चूना पत्थर	388.00
3.	मजदूरी व कारीगर	1,662.25
4.	कीमत लोहा वास्ते कीवाड आदि मय मजदूरी	368.85
5.	कीमत सीमेन्ट	467.45
6.	कीमत ईंटें	168.00
7.	कीमत शिलालेख	109.97
8.	विविध	37.87
	योग..	3,278.98

सवाई माधोपुर जिले में सिविल जज की अदालत खोलने का निर्णय

590. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में एक सिविल जज की अदालत खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने इस ही वर्ष लिया था ?

(2) यदि हां, तो यह न्यायालय अब तक क्यों नहीं खोला गया और अब कब तक यह न्यायालय खोले जाने का विचार है और जिले में किस कस्बे में ?

उत्तर

(1) जी हां।

(विधिमंत्री) :

(2) प्रशासनिक कारणों से निर्णय को क्रियान्वित करने में विलम्ब हुआ है। अब राज्य सरकार 2 अक्टूबर से सवाई मधोपुर जिले के गंगापुर कस्बे में व्यवहार न्यायालय की स्थापना करने का विचार रखती है।

हजारीमल पारीख, लाडनूं के घर में चोरी

591. श्री लाभचन्द बद (सुजानगढ़) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि 5 मई, 68 की रात्री में श्री हजारीमल पारीख, लाडनूं के रात्री में चोरी हुई।

(2) क्या यह सच है कि 6 मई को 5 चोर व माल रेल्वे पुलिस थाना, रतनगढ़ में पकड़े गय और थानेदार ने नाजायज फायदा उठाकर चोरों को छोड़ दिया ?

(3) क्या यह सच है कि इसी चोरी के संबन्ध में एक जमादार को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध चालान पेश नहीं होने कारण न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया ?

उत्तर

(1) चोरी 5 मई, 68 को नहीं, किन्तु 5 व 6 जुलाई, 67 की रात्रि को हुई थी।

(2) 6 मई को नहीं किन्तु 6 जुलाई, 67 के लगभग 5 व्यक्तियों को रेल्वे के थानेदार, रतनगढ़ द्वारा मय माल पकड़ने बाद म छोड़ देने के आरोप थे।

(3) जी हां ! दिनांक 16-7-67 को एक जमादार को गिरफ्तार किया गया था किन्तु उसे दफा 169, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत रिहा किया गया।

जैसलमेर जिले में पेय जल समस्या

592. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सत्य है कि जैसलमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की समस्या जटिल है ? अगर हां, तो अब तक सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये क्या योजना बनाई है ? अगर नहीं बनाई है तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण पेय जल योजना के अधीन आज तक जैसलमेर जिले में एक भी कार्य नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जैसलमेर जिले में निकट भविष्य में कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो वह कौन कौन सी योजनाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, इस समस्या के समाधान के लिये जसलमेर जिले का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

(3) जी नहीं, लाठी ग्राम की जल वितरण योजना क्रियान्वित की गई है। 14 नलकूप पेय जल हेतु निर्माण किये गये हैं तथा 11 नलकूप कृषि कार्यों हेतु निर्माण किये हैं, तथा तीन स्थानों पर बोरिंग

(जन स्वास्थय मंत्री)

भी किये जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त राजस्थान भू-जल मण्डल, जोधपुर द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 9 नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है।

(3) जी हां, कुछ योजनाएं जिनकी सूची संलग्न है, सर्वे हो चुकी हैं, तथा आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर इन्हें क्रियान्वित किया जा सकेगा।

राज्य सरकार जैसलमेर जिले में निकट भविष्य में निम्नलिखित योजना बनाने का विचार रखती है।

1. पम्प एवं टंक योजना नाचना
2. ,, ,, नोखा
3. क्षेत्रीय योजना, पोकरन से उजालन
4. ,, ,, रनउ से रामगढ़
5. ,, ,, लाटरी से कटलाई और चाचा

तहसील बाली में जवाई बान्ध की डूब में आई भूमि

593. **श्री पृथवीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पाली, जिला बाली के ग्राम सेल, जीवदा, दूदणी व बीसलपुर के कितने काश्तकार जवाई बांध में अपनी खातेदारी को भूमि डूब जाने के फलस्वरूप भूमिहीन हो गये हैं? कृपया सूचि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गांव सेणा की आबादी, पानी का पीचका एवं गोचर भूमि सब के सब जवाई बांध की डूब में आ गये हैं? यदि हां, तो उनके पुनर्वास हेतु उन्हें कहां पर आबादी भूमि आवंटित की गई है? और कहां पर उन्हें गोचर एवं पीचका दिया गया है? उनके पुनर्वास एवं मुआवजे में उन्हें खातेदारी की भूमि कहां पर आवंटित की गई है?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सेणा, जीवदा एवं दूदणी के काश्तकारों को जिनकी भूमि पानी में डूब गई है एवं जिन्होंने डूबी हुई भूमि पानी से निकालने पर काश्त किया है उन पर धारा 91 के मुकद्में चलाये जाकर जुर्माना किया गया है? यदि हां, तो इनकी सूची सदन की मेज पर रखें?

(स्थगित किया गया)

अजमेर जल-प्रदाय योजना

594. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर की जल-प्रदाय योजना सरकार ने कब हाथ में ली थी और इस पर अब तक क्या व्यय हो चुका है? और कितना और होना बाकी है?

(2) क्या यह सत्य है कि पाइप लाइन जो बनास नदी के कुओं से अजमेर ले जाई जा रही है वह बनास नदी की पुल पर से ले जाने के कारण यातायात एक तरफा हो गया है?

(3) क्या इसके कारण सरकार ने अपने खर्च पर चौकीदारों को वार्षिक वेतन पर रखा है?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पाइपों का जोड़ ठीक नहीं होने के कारण स्थान-स्थान पर पानी बरबाद होता है?

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

(5) क्या यह सत्य है कि इस योजना का ठेका एक जापानी फर्म को नहीं देकर किसी दूसरे को दिया गया था ? यदि हां, तो देने और न देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सितम्बर, 62 से मार्च, 1969 तक कुल खर्च रु० 2,86,23,000 हो चुका है। लगभग अस्सी लाख रुपये व्यय करना शेष है।

(2) बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक आदि एक तरफा ही आ जा सकते हैं। छोटी गाड़ियों का आमने सामने आना जाना होता है।

(3) चौकीदार नियुक्त है।

(4) पाइपों में जहां जहां पानी निकलता है वह स्थान वाल्वस (values) के पास है इन स्थानों से गांव वालों द्वारा बार बार छेड़ छाड़ करने के कारण ही व एयरवाल्व द्वारा मुख्यतया पानी निकलता है। सुरक्षार्थ अब स्थान 2 पर मशीनरी चेम्बर बनाये जा रहे हैं, ताकि गांव वाले छेड़-छाड़ न कर सकें। चेम्बर बन जाने के बाद एयर वाल्व से पानी निकलना बन्द हो जायेगा।

(5) जी नहीं, जापानी फर्म को ठेका देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस चौकी, रीछवा (झालावाड़) हैड मोहर्रिर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

595. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पुलिस चौकी, रीछवा, थाना बकानी, जिला झालावाड़ के हैड मोहर्रिर की शिकायतों की जांच तारीख 15-4-69 व 16-4-69 को डी आई० एस० पी० श्रकलेरा द्वारा की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में हैड मोहर्रिर के विरुद्ध क्या क्या आरोप प्रमाणित हुए ?

(2) इसी प्रकार जनता रीछवा द्वारा एक शिकायत पत्र 24-4-69 का भी भेजा गया था जिसमें उक्त हैड मोहर्रिर के लिये भ्रष्टाचार एवं जनता को आतंकित करने की शिकायतें कीं ?

(3) हैड मोहर्रिर के खिलाफ बाद जांच क्या कार्यवाही को गई ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच अभी जारी है।

(2) जी हां।

(3) जांच अभी जारी है।

बारां का हरिजन छात्रावास

596. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां का हरिजन छात्रावास भवन खण्डहर के रूप में पड़ा हुआ है और जिन जीर्ण शीर्ण कमरों में छात्र रहते हैं उनकी छतें पानी से चूती हैं ?

(2) क्या सरकार इस छात्रावास भवन के जीर्णोद्धार के लिए एवं छात्रों की आवास व्यवस्था हेतु कुछ नए कमरे बनाने के लिए विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) इस छात्रावास में कितने छात्रों को रखे जाने की स्वीकृति है ?

(4) क्या यह सही है कि उस छात्रावास में आज तक बिजली, पीने के पानी का कुआ एवं शौच व पेशाब घर आदि नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों और इनकी कब तक व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) छात्रावास के भवन की मरम्मत कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

(3) इस छात्रावास की वर्तमान स्वीकृत संख्या 30 छात्र हैं।

जी हां।

(4) यह सही है कि छात्रावास भवन में बिजली, शौचघर व पेशाब घर नहीं हैं। पेय जल हेतु सार्वजनिक कुआ बिलकुल पास है।

पिलानी में भूख हड़ताली मजदूरों के टेन्ट पुलिस द्वारा जलाया जाना

597. **प्रोफेसर केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सह यही है कि दिनांक 27-11-68 को पिलानी में भूख हड़ताली मजदूरों के टेन्ट पुलिस द्वारा जलाए जाने के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करवाई गई थी और इस सम्बन्ध में भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, श्री श्योपतसिंह ने जिलाधीश, झुन्झुनू से शिकायत की थी ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

कोटा जिले में कन्दरा भूमि के एलॉटमेन्ट

598. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में कन्दरा भूमि के एलॉटमेन्ट हेतु कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई है और कितने व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि पर एलाटमेंट किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या कन्दरा भूमि एलॉटमेंट के लिये भूमि का सर्वे करवा लिया है ? यदि हां, तो क्या चम्बल की कन्दराओं में पचास-पचास एकड़ व सौ-सौ एकड़ के प्लॉट उपलब्ध हो सके हैं ? यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

(3) क्या कन्दराओं में एलॉट की जाने वाली भूमि को समतल करने के लिये सरकार काश्तकारों को मशीनरी उपलब्ध करावेगी ? यदि हां, तो किस रेट पर ? चम्बल कन्दराओं में अलग अलग डेप्थ्स की कन्दराओं को समतल कराने का क्या खर्चा आवेगा ? क्या इसका एक्सपेरीमेंट सरकार द्वारा करवा लिया गया है ?

(4) कन्दराओं की भूमि के एलॉटमेंट या कागजों को देखने आदि के लिये क्या अलग स्टाफ लगाया गया है ? यदि हां, तो

(श्री जुझारसिंह)

कितना और कब से और उस पर कितना खर्चा किया गया है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में कन्दरा भूमि के आवंटन हेतु अब तक 221 प्राथना-पत्र प्राप्त हुए हैं। अभी तक आवंटन नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं, परन्तु कन्दाराओं से उत्पन्न समस्याओं को आंके जाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल से सर्वे आरम्भ किया गया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि चम्बल की कन्दराओं में 50 एकड़ या इससे अधिक के क्षेत्र उपलब्ध हो सकते हैं।

(3) इस समय कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं है। मशीनरी उपलब्ध होने पर रेट आदि तय किया जा सकेगा। कन्दराओं को समतल कराने पर क्या खर्चा आवेगा यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(4) इस काय हेतु अलग स्टाफ नहीं लगाया गया है।

चौहटन के तहसीलदार द्वारा किराये पर लिये गये मकान

569. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसीलदार, चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा एक अप्रल सन् 65 से लेकर अब तक चौहटन में किस किस व्यक्ति का किस किस कार्य हेतु मकान, दुकान या गोदाम किराये पर लिये और किस किस किराये पर ?

(2) किरायेदारों को किराये के भुगतान के लिये क्या आश्वासन लिखित या मौखिक दिया गया था और क्या उसके अनुसार भुगतान कर दिया गया है ?

(3) यदि नहीं, तो किस किस का किस किस माह का कितना किराया बाकी है और उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) विवरणात्मक सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ?

(2) सूची के क्रमांक 1 से 9 पर अंकित गोदामों के मालिकों से गोदाम लिखित में किराये पर लिए गये थे किन्तु लोक कर्म विभाग द्वारा विनिश्चित किराये व तहसीलदार द्वारा तय किय गये किराये में अन्तर होने के कारण गोदाम मालिकों ने किराया नहीं लिया है। क्रमांक 10 से 16 का किराया अभी लोक कर्म विभाग ने आंक कर नहीं दिया है, इस कारण किराया नहीं दिया जा सका है।

(3) यह सूचना विवरणात्मक सूची में अंकित है। कारण ऊपर बताय जा चुके हैं। एक गोदाम मालिक श्री नेमीचन्द का बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

Page No 320

क्र०सं०	नाम गोदाम मालिक	तारीख उनसे किराये पर लिया गया	खाली करने की तारीख	किराया प्रति माह जिस पर लिया गया	पी०डब्ल्यू० डी० द्वारा निर्धारित किया गया किराया	किस लिये किराये पर लिया गया	बकाया किराया: तहसील द्वारा तय किराया अगस्त, 69 तक	बकाया किराया: पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा निर्धारित किराया अगस्त, 69 तक	विशेष विवरण
1	श्री हेमसिंह वल्द सुलतान सिंह चौहटन	29-11-65	—	25.00	11.00	निष्क्रांत सम्पत्ति हेतु	1,126.67	415.73	
2	„ रिखबदास वल्द केसरी मल चौहटन	2-12-65	—	25.00	7.00	„ „ „	1,124.63	314.77	
3	„ हेमराज हमीर मल, चौहटन	17-12-65	—	25.00	7.00	„ „ „	1,110.74	357.68	
4	„ महावीर कम्पनी, चौहटन	17-12-65	—	30.00	10.00	„ „ „	1,334.52	44.84	
5	„ चनसिंह वल्द सुलतान सिंह, चौहटन	12-1-66	9-5-66	25.00	11.00	कुत्तों का अनाज रखने	38.33	43.29	
6	„ बंशीधर वल्द माणकमल	21-1-66	12-8-66	25.00	12.00	„ „ „	168.55	80.90	
7	„ जोहरीदास वल्द राणामल	28-1-66	27-5-68	10.00	4.00	निष्क्रांत संपत्ति रखने	40.00	16.00	
8	„ नेमीचन्द वल्द दिलैचन्द	29-1-66	27-5-68	10.00	6.00	„ „ „	40.00	24.00	
9	„ विकास अधिकारी, चौहटन	6-11-68	—	—	—	खाद्यान्न गोदाम हेतु	पी०डब्ल्यू०डी० के निर्धारण दर में जो किराया होगा उसके अनुसार चुका दिया जायेगा, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर के कार्यालय में मामला विचाराधीन है।		
10	„ ग्रामोवास	17-11-68	—	—	—	„ „ „			
11	ओसवाल समाज भवन	1-11-68	2-8-69	—	—	„ „ „			
12	„ हेमसिंह वल्द सुलतानसिंह, चौहटन	9-2-69	18-7-69	—	—	„ „ „			
13	„ „ „	9-2-69	18-7-69	—	—	„ „ „			
14	„ माणक मल वल्द भोगचन्द	12-2-69	14-7-69	—	—	„ „ „			

15	,, ,, ,,	12-2-69	—	—	—	,, ,, ,,			
16	,, हेमसिंह वल्द सुल्तान सिंह, चौहटन	29-11-69	—	25-00	11-00	,, ,, ,,			
17	,, रीखबदास वल्द खेमराज, चौहटन	19-11-66	17-6-68	40.00	तकमीना नहीं हुआ	,, ,, ,,			
18	,, नेमीचन्द वल्द राणामल, चौहटन	12-12-65	12-8-66	25.00	8.00	कुत्तों का अनाज रखने	300.00	64.00	
19	,, बगतावरमल वल्द माणकलाल, चौहटन	21-12-65	9-4-67	25.00	6.00	रसद खाद्यान्न हेतु			आय बिल आदि जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के कार्यालय में विचाराधीन पड़े हैं।
20	,, बोहरीदास वल्द र.णाम ", चौहटन	21-11-66	23-4-67	50.00	21.00	,, ,, ,,			
21	,, ओंकार चन्द वल्द ताराचन्द, चौहटन	27-11-66	30-4-67	50.00	17.00	,, ,, ,,			
22	,, हेमसिंह वल्द सुलतान सिंह, चौहान	30-12-66	—	25.00	11.00	,, ,, ,,			
23	,, जीवणमल वल्द तिलोकचन्द, चौहटन	10-1-67	20-4-67	50.00	13.00	,, ,, ,,			
24	,, माणकमल वल्द कोजमल, चौहटन	1-1-67	20-4-67	60.00	तकमीना नहीं हुआ	,, ,, ,,			

Page No 322

अलॉटमेंट कमेटी, पाली द्वारा आवंटन

600. **श्री मूलचन्द डागा (पाली)** :क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली तहसील में अलॉटमेंट कमेटी ने जुलाई, 1969 में किन किन गांवों में भूमि आवंटित की ? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) क्या वर्तमान पाली तहसील अलाटमेंट कमेटी ने आवंटन करने से पहले गांव की गोचर जमीन काश्त के लिये पंचायत को देने का प्रावधान किया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, क्योंकि पंचायतों द्वारा इस संबंध में कोई मांग नहीं की गई थी तथा गांव की गोचर भूमि का पंचायत को काश्त हेतु देने का प्रावधान नहीं है।

जुलाई, 1969 में अलॉटमेंट कमेटी द्वारा तहसील पाली के जिन जिन ग्रामों में भूमि आवंटित की गई है उनकी सूची

1. झींतड़ा
2. तीगरा
3. खारड़ा
4. चोटीला
5. गुड़ा एन्दला
6. सुन्देला
7. डिरी
8. भावनगर
9. पैणावा
10. माण्डावास
11. वायद
12. उतवन
13. सदावास
14. यानडाई
15. कल्याणपुरा
16. चागवा
17. चांचोडी
18. मुन्डली
19. खुर्द
20. कान्दडा
21. दूदिया
22. सोडा वास
23. गडा बिच्छु
24. सापूनी
25. पडासला कलां
26. खटुकडा
27. नान्दाना
28. भाटाण
29. घुनायता
30. जवडिया
31. गिरावडा
32. सांवता लका
33. खोड़
34. गुडा सोनीगरा
35. सिंगारी
36. चाटेलाव
37. वीहू
38. दुदली
39. गरवलिया
40. राणा
41. मालवा

भूतपूर्व एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के फैसले

601. **श्री रामकिशन** (बैर): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या बीकानेर के भूतपूर्व एडिश-नल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, श्री पनेचन्द सिंघवी ने कुछ मुकद्दमों में मुलजिमान की जगह मुस्तगीस को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया व उन्हें जेल में रख दिया ? ऐसे मुकद्दमों की संख्या उनके अनवान सहित बताने की कृपा करें।

(2) क्या ऐसा ही एक मुकद्दमा सेशन जजी, बीकानेर ने निगरानी फौजदारी नं० 30/67 रूघाराम बनाम सुगनाराम था जिसका कि फैसला तारीख 13-12-68 को सेशन जज महोदय द्वारा दिया गया ? क्या ऐसे मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या सेशन जज, बीकानेर ने तारीख 31-1-68 को श्री पनेचन्द सिंघवी के फैसले के विरुद्ध की गई 15 फौजदारी निगरानियों को स्वीकार किया है ? इन निगरानियों में से कितनी ऐसी हैं जिनमें श्री पनेचन्द ने यह लिखा है कि मुलजिम ने मेरे सामने दस्तखत किये और जुर्म से इकबाल किया जबकि मुलजिम के बयान पर मुलजिम के दस्तखत हैं ही नहीं ?

(4) क्या उपरोक्त निगरानियों में से कोई ऐसी भी हैं जिसने दुकान का चैकिंग 19-7-67 को शाम को साढ़े पांच बजे पुलिस ने किया और मुलजिम को उसी दिन सवेरे 10 बजे अदालत में उपस्थित होने को कहा गया है। यदि ऐसा है तो क्या इस तरह उपस्थित होना राज्य सरकार की राय में सम्भव था ?

उत्तर

(1) मुकद्दमा अनवानी रूघाराम बनाम सुगना आदि मु० नं० 607/66 में तारीख 7-7-67 को मुस्तगीस व उसके गवाहान के हाजिर न आने पर मुस्तगीस को जरिये वारन्ट गिरफ्तारी तलब करने का हुक्म दिया गया लेकिन मुस्तगीस उसी रोज हाजिर अदालत आया। उससे 500) की जमानत तलब की गई। उसने जमानत दाखिल नहीं की इसलिये उसे हवालात जूडिशियल भेजने का हुक्म दिया। मगर उसी समय मुस्तगीस ने जाहिर किया कि वह मुकद्दमा चलाना नहीं चाहता न ही उसके पास गवाह हैं। इस पर मुस्तगीस के बयान लिये जाकर मुकद्दमा 253 (2), जा० फौजदारी के तहत दाखिल दफ्तर किया गया। इसके अलावा कोई ऐसा मुकद्दमा नहीं है जिसमें मुस्तगीस को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया हो अथवा मुस्तगीस को जेल में भेजा गया हो।

(2) हां। निर्णय दिनांक 13-2-68 को सेशन जज, बीकानेर द्वारा किया गया था। मुकद्दमा रिमाण्ड होकर वापस न्यायालय में भेजा गया। आदेश में सेशन जज द्वारा ऐसा कोई रिमार्क नहीं दिया गया जिस पर उक्त मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।

(3) दिनांक 31-1-68 को श्री पनेचंद सिंघवी के फैसलों के विरुद्ध की गई 15 फौज-दारी निगरानियों को स्वीकार किया गया। इनमें दो मिसलों में मुलजिम के बयान पर दस्तखत मुल्जिम नहीं हैं, वे केसेज हैं:—

(विधि मंत्री)

(1) राज्य बनाम सोहन लाल, (2) राज्य बनाम मूलचन्द। यह सहवन में रहना पाया गया है जिस बाबत निगरानि में कोई टिप्पणी नहीं है।

(4) उक्त 15 निगरानियों में निम्न मुकद्दमों में दुकान का चैकिंग 19-7-67 को शाम के सायं काल पुलिस द्वारा किया गया और पुलिस ने मुलजिम को उसी दिन सवेरे 10 बजे अदालत में उपस्थित होने का नोटिस दिया। ऐसा सहवन होना प्रतीत होता है।

नं० मु० अनवान	तारीख मय समय उपस्थिति मुलजिम जो नोटिस में दर्ज है	तारीख समय नोटिस इस्तगासा के साथ पेश करने का
473/67 राज्य बनाम रती राम	19-7-67 10 बजे	19-7-67 शाम
481/67 राज्य बनाम बद्री	19-7-67 10 बज	19-7-67 शाम

बिजोलिया (झालावाड़) के थानेदार के विरुद्ध ज्ञापन

602. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया के थानेदार, श्री अमरसिंह के विरुद्ध एस० पी०, भीलवाड़ा, डी० आई० जी०, उदयपुर एवं गृह मन्त्री महोदय को ज्ञापन भेजे गये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, प्राप्त आठ शिकायतों में से चार शिकायतों की जांच से आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। बाकी शिकायतों पर जांच व विभागीय जांच अभी चालू है।

डूंगरपुर जिले में फ्लोराइड की खान

603. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में फ्लोराइड प्रोजेक्ट, मांडव की पाल पर फ्लोराइड की खान कब से चालू है?

(2) इस खान पर निकलने वाला फ्लोराइड कितने प्रतिशत शुद्ध निकलता है?

(3) जब से खान चालू है तब से प्रतिवर्ष कितना फ्लोराईड निकला है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने इसी क्षेत्र में फ्लोराइड रिफाइन करने हेतु प्लान्ट लगाने की योजना बनाई थी?

(5) क्या यह सही है कि इस योजना को कियान्वित करने में कुछ निहित स्वार्थ बाधक बन कर राज्य को काफी हानि पहुंचा रहे हैं?

उत्तर

(1) सन् 1964 से खान का काम चालू है।

(खनिज मंत्री)

(2) फ्लोराइड मिल ग्रेड 17.3 प्रतिशत से लेकर 80–85 प्रतिशत (केलशियम फ्लोराइड) तक शुद्ध निकलता है।

(3)

वर्ष	उत्पादन टन
1964	1,150
1965	1,974
1966	1,511
1967	997
1968	15,800

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

बीकानेर के भू० पू० एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, श्री पी० सी० सिंघवी का कार्य-काल

604. श्री रामकिशन (वैर): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर के भूतपूर्व एडिशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, श्री पी० सी० सिंघवी ने उक्त पद पर कब से कब तक कार्य किया?

(2) उनके कार्य-काल में उनके विरुद्ध जिला व सत्र न्यायाधीश के यहां कितने मुकदमों में मुकदमा ट्रान्सफर कराने के लिये दरख्वास्ते पेश हुई?

(3) उक्त दरख्वास्तों में से कितनी दरख्वास्तें मन्जूर की गई व कितनी खारिज हुई?

(4) क्या राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट का उदाहरण भी है जिसके विरुद्ध इतनी ट्रान्सफर की दरख्वास्तें सत्र न्यायाधीश द्वारा मन्जूर की जाने के बावजूद उन्हें उसी स्थान पर ही इतनी लम्बी अवधि के लिये रखा गया हो?

उत्तर

(1) श्री सिंघवी ने अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बीकानेर के पद पर दिनांक 29-8-63 से 24-10-67 तक काय किया।

(2) 74 दरख्वास्तें।

(3) 29 दरख्वास्तें मन्जूर की गई बाकी की 45 अर्जियें खारिज की गई।

(4) ध्यान में नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कोई जानकारी पृथक से नहीं रखी जाती और न ही अधिकारियों के तबादले इस आधार पर किये जाते हैं।

बड़ौदा इलेक्ट्रिकल आनन्द से मीटर्स का क्रय

605. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 67-68 व 68–69 में बड़ौदा इलेक्ट्रिकल आनन्द से पोली फज मीटर्स का क्रय किया गया था? अगर हां, तो कब कब कितना कितना? किस किस दर से?

(2) क्या यह सही है कि आर० एस० ई० बी० के असिस्टेन्ट इन्जीनियर, श्री बज ने इस माल का कम्पनी के गोदाम पर निरीक्षण किया व विभाग को यह रिपोर्ट दी कि यह माल इंडियन स्टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि यह माल आई० एस० एस० के पास भेजा गया जिसने भी श्री बज की राय का समर्थन किया? यदि हां तो ये मीटर्स क्यों खरीदे गये

Page No 326

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(4) क्या यह सही है कि इन मीटर्स के क्रय के लिये टेण्डर्स आमन्त्रित किये गए थे ? अगर हां, तो जिन जिन फर्म ने टेण्डर्स दिए उनके दरों की तुलनात्मक सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

गंगानगर जिले में राष्ट्रीय तत्वों की गिरफ्तारी

606. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 20 जून, 1967 को गंगानगर जिले के एक भारतीय नागरिक को सीमा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसके पास नक्शे वगैरह बरामद किये गये ? यदि हां, तो इस प्रकार की अराष्ट्रीय कार्यवाही के सन्देह में सितम्बर, 1965 से ले कर अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

(2) क्या इन गिरफ्तार व्यक्तियों पर कोई मुकदमा चलाया गया ? यदि हां, तो कितनों पर और उनका क्या परिणाम हुआ ?

उत्तर

(1) 20 जून, 1967 को वहीद उल्ला पुत्र अहमद उल्ला निवासी कांकरतेला बरेली (उत्तर प्रदेश) को गंगानगर में धारा 55/109, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से कोई नक्शा बरामद नहीं हुआ। पूछताछ के बाद उसे नेक-चलनी के लिए 2,000) रु० के मुचलके व 2,000) रु० की जमानत पर बरी कर दिया गया।

अराष्ट्रीय कार्यवाही के करने के अपराध में सितम्बर, 1965 से अब तक 18 व्यक्ति गिरफ्तार किये गय हैं।

(2) जी हां। सितम्बर, 1965 से अब तक 18 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें से 4 व्यक्तियों को सजा दी जा चुकी है। 5 के खिलाफ केसेज अदालत में पेन्डिंग हैं व सभी के खिलाफ जेर तफतीश हैं।

माध्यमिक विद्यालय, बानसूर की प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध शिकायत

607. **श्री गंगासहाय कोली** (कठूमर-सु०) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बानसूर, जिला अलवर के प्रधान श्री रामावतार शर्मा वकील ने पुलिस थाना, बानसूर में हाल ही में कन्या माध्यमिक विद्यालय, बानसूर की प्रधानाध्यापिका और अन्य अध्यापिकाओं के खिलाफ अपनी लड़की को अध्यापिकाओं द्वारा मारपीट के कारण बेहोश होने तथा स्कूल के कमरे में बन्द करने की रिपोर्ट की थी ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस ने इन अध्यापिकाओं के विरुद्ध मुकदमा जर दफा 342 दर्ज किया था परन्तु पुलिस द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की और केस को दबाने की कोशिश की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(गृह मंत्री)

(2) मुकद्दमा दर्ज किया गया जो अनुसंधानाधीन है ।

राजकीय मुद्रणालय के निलम्बित कर्मचारियों की जांच

608. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) 1 अप्रेल, सन् 67 से अब तक राजकीय मुद्रणालय में किन किन कर्मचारियों को कब कब निलम्बित किया गया, उनको आरोप-पत्र कब कब दिया, किस किस अधिकारी द्वारा जांच की गई और प्रत्येक में जांच का क्या परिणाम निकला ?

(ख) निलम्बित कर्मचारियों के अतिरिक्त और किन किन को कब कब आरोप-पत्र दिये गये और उनमें प्रत्यक का क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी है।

(2) इस सम्बन्ध में सूची परिशिष्ट "ख" सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

जोधपुर मुद्रणालय के त्रुटिशोधक द्वारा बिना अनुमति परीक्षा देना

609. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि श्री शिवदत्त रामदेव, त्रुटि शोधक, द्वितीय श्रेणी, राज्य मुद्रणालय, जोधपुर ने इन्टर, बी०ए०, एम०ए०, व एलएल० बी० की परीक्षायें अनधिकृत रूप से बिना राज्य आज्ञा के सर्विस करते हुए पास कीं ?

(2) यदि हां, तो वे नौकरी करते हुए भी उसी समय में किस प्रकार कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययन करते रहे ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की आज्ञा से दिनांक 24-4-61 द्वारा यह आज्ञा पारित की कि अनधिकृत रूप से बिना राज्य आज्ञा से हासिल की हुई इनकी शैक्षणिक योग्यता कन्फरमेशन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंटल ऐग्जाम के लिये मान्य नहीं होगी और इसी आज्ञा के क्रम में निदेशक द्वारा उनके पत्र सं० 12822-26/ई० एस० एस० टी० टी०/42/60, दिनांक 21-7-61 द्वारा यह भी आदेश दिया गया कि उक्त कर्मचारी की सर्विस बुक में यह एण्टरी कर दी जावे परन्तु यह एण्टरी सर्विस बुक में नहीं की गई ?

(4) क्या यह सही है कि श्री शिवदत्त रामदेव का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा अक्टूबर, 1962 में सहायक अधीक्षक के पद पर चयन कर दिया गया जब कि उक्त आज्ञा द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता अमान्य थी और यह तथ्य राजस्थान लोक सेवा आयोग से छिपाया गया ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य मुद्रणालय राज्य सेवा नियम, 1960 के अन्तर्गत वे न तो विभागीय पदोन्नति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

व सीधी भर्ती के अन्तर्गत योग्य थे क्योंकि न तो वो उनको मुख्य त्रुटि शोधक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ही प्राप्त था व न सीधी भर्ती के लिये उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पर्याप्त मान्य था ?

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य मुद्रणालय राज्य सेवा नियम, 1960 के नियमों के अन्तर्गत हर वर्ष में होने वाले रिक्त स्थानों के लिए 50/50 के अनुपात से सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति द्वारा सहायक अधीक्षक के रिक्त स्थानों को भरने का प्रावधान है ?

(7) यदि हां, तो नियम लागू होने के पश्चात् हर वर्ष में सहायक अधीक्षक के कितने कितने पद रिक्त हुए तथा किस किस अनुपात में उनको भरा गया ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(8) क्या यह सही है कि 1962 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दो सहायक अधीक्षकों श्री छज्जराम पारीक व श्री शिवदत्त रामदेव का चयन किया गया ? यदि हां, तो नियमों में 50/50 का अनुपात का निर्धारण होते हुए भी दोनों व्यक्तियों की किस प्रकार सीधी भर्ती की गई ?

(9) क्या यह सही है कि शिवदत्त रामदेव का मुख्य त्रुटिशोधक के पद पर कन्फर्मेशन 20-2-67 से किया गया और सहायक अधीक्षक के पद पर कन्फर्मेशन 15-10-66 से किया गया है ?

उत्तर

(1) श्री शिवदत्त रामदेव ने इण्टर, बी० ए० एम० ए० एवं एलएल० बी० की परीक्षाएं सर्विस करते हुए पास कीं। श्री शिवदत्त रामदेव ने इण्टर की परीक्षा जो सन् 1952 में पास की जो अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही की थी। श्री शिवदत्त रामदेव द्वारा शेष परीक्षाएं बिना अनुमति प्राप्त किये या अनुमति प्राप्त पास करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(2) श्री शिवदत्त रामदेव ने इन्टर की परीक्षा प्राइवेट पास की तथा बी० ए० व एलएल० बी० रात्रिकालीन कक्षाओं में और एम० ए० प्रातःकालीन कक्षाओं में नियमित अध्ययन कर पास की थीं। उक्त परीक्षाएं इन्होंने कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में चलने वाली कक्षाओं में अध्ययन कर पास कीं।

(3) जी हां।

(4) आयोग द्वारा श्री शिवदत्त रामदेव का चयन सहायक अधीक्षक के पद के लिए अक्टबर, 1962 में किया गया। वैसे श्री शिवदत्त रामदेव ने आयोग को जो निर्धारित फार्म भर कर उचित माध्यम द्वारा भेजा था उसमें उपरोक्त सभी परीक्षाओं का उल्लेख किया हुआ था अतः आयोग से तथ्य छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960 के अनुसार उन्होंने शैक्षणिक योग्यता एवं 7 वर्ष का अनुभव जिम्मेदार पद पर प्राप्त कर लिया था।

(मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री)

(6) जी हां।

(7) राजस्थान राज्य मुद्रणालय सेवा नियम लागू होने के पश्चात् से वर्ष 1962 तक सहायक अधीक्षक के चार पद रिक्त थे इनको भरने के लिये दो पदों पर चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के अन्तर्गत किया गया और इन दो पदों पर सर्व श्री छज्जूराम व शिवदत्त रामदेव का चयन हुआ तथा शेष दो पदों को विभागीय पदोन्नति द्वारा भरा गया जिन पर सर्व श्री मोहनसिंह भटनागर व प्रह्लाद दत्त व्यास पदोन्नत किये गये।

(8) जी हां। शेष प्रश्न के सम्बन्ध मे प्रश्न संख्या 7 का अवलोकन करें।

(9) श्री शिवदत्त रामदेव को दिनांक 20-2-67 से मुख्य त्रुटि शोधक के पद पर तथा दिनांक 16-7-63 से सहायक अधीक्षक के पद पर क्रमशः स्थाई किया गया है।

कोटा की इण्डस्ट्रियल एस्टेट में शेड्स की संख्या

610. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) कोटा स्थित औद्योगिक सम्प्रदा (इण्डस्ट्रियल एस्टेट) में कुल कितने शेड्स हैं ?

(2) उक्त शेड्स में कितने नोन-इण्डस्ट्रियल परपजेज के लिए किन किन को कब कब से एलॉटेड हैं ?

(3) फिलहाल उद्योग स्थापन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) 44।

(2) कोई भी नहीं।

(3) 3।

बारां तहसील में चरनोट की भूमि का आवंटन

611. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां तहसील की ग्राम पंचायत, रटावद के ग्राम चुरेलिया, नूरपुरा, शंकरपुरा एवं अरण्या ग्राम की चरनोट, बंजड़ आदि भूमि का आवंटन कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो किन किन तारीखों में किस किस व्यक्ति को व सोसाइटी को कितनी कितनी बीघा भूमि का आवंटन किन किन भूमि आवंटन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में जिन व्यक्तियों एवं सोसाइटीज के सदस्यों को जो भूमि आवंटित की है वे रटावद ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों को नहीं देकर बारां आदि स्थानों के व्यक्तियों को दी है ?

(4) यदि हां, तो किस किस स्थान के रहने वाले व्यक्तियों को किन नियमों के तहत आवंटित की ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(5) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की है वे भूमिहीन नहीं है ?

उत्तर

(1) तहसील बारां की ग्राम पंचायत रटावद के ग्राम चुरेल्या, नूरपुरा, शंकरपुरा एवं अरन्या की चरनोट भूमि का आवंटन करना सही नहीं है। बंजड़ भूमि को आवंटन करना सही है।

(2) ग्राम पंचायत, रटावद के ग्रामों की बंजड़ का आवंटन 4-6-69 को किया है। आवंटन सदस्यों में से सरपंच, ग्राम पंचायत रटावद व अध्यक्ष तहसीलदार उपस्थित थे। जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई है उसकी लिस्ट संलग्न है।

(3) भूमि आवंटन में प्राथमिकता ग्राम पंचायत, रटावद के व्यक्तियों को दी गई है जिस भूमि के लिये ग्राम पंचायत, रटावद के व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए वह भूमि अन्य स्थानों व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र होने के कारण उन व्यक्तियों को सलाहकार समिति की सहमति से आवंटन कर दी गई है।

(4) ऐसी भूमि बारां तथा ग्राम चुरेलिया जो कि सामुहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड नम्बर चुरेलिया के सदस्य ह सहकारी कृषि भूमि आवंटन नियम, 1959 के अनुसार आवंटित की गई है।

(5) तहसील में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सब आवंटी भूमिहीन हैं।

सूची आवंटन भूमि, ग्राम चुरेल्या, नूरपुर, शंकरपुरा व अरन्या

क्र० सं०	नाम आसामी जिसे भूमि आवंटन की	ग्राम	रकबा	
			बीघा	बिसवा
1.	किशना वल्द माधो नायक साकिन चुरेल्या	चुरेल्या	10	8
2.	मांगीलाल वल्द बाबूलाल कुम्हार, उण्डा	,,	10	—
3.	शिक्षा विभाग अपर प्राइमरी स्कल, चुरेल्या	,,	11	16
4.	बिमला बाई पत्नी कलाश नारायण, बारां	अरन्या	15	1
5.	प्रेमनारायण वल्द बंशीलाल शर्मा, बारां	,,	15	—
6.	सुशीला बाई पत्नी सत्यनारायण, बारां	,,	15	—
7.	कृषि सहकारी फार्मिंगसोसाइटी लिमिटेड, चुरेल्या	चुरेल्या	102	5
	,, ,,	नूरपुर	184	5
	,, ,,	शंकरपुरा	126	9
8.	शंकरलाल वल्द मदनलाल, जगन्नाथपुरा	नूरपुर	8	

मीटर खरीदने हेतु टेन्डर

612. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 68-69 में मीटर्स के क्रय हेतु टेन्डर नं० 563 जारी किया गया था ? यदि हां, तो किन किन फर्म के किस किस रेट के टेण्डर्स आए थे व किस किस रेट से किस किस फर्म के टेण्डर स्वीकार हुए ?

(2) जिस फर्म का टेण्डर स्वीकार हुआ, उसको कितने मीटर सप्लाई करने को कहा गया था और उसने इसका किस सीमा तक पालन किया ?

(3) क्या यह सही है कि इस टेण्डर के आमन्त्रित करने के पूर्व गत वर्ष के टेण्डर नं० 506 में इसी माल की सप्लाई यूनिवसल इलेक्ट्रिकल्स, कलकत्ता से कम दरों पर हो रही थी ? अगर हां, तो इसी कम्पनी को माल सप्लाई करने का आदेश न देकर नए टेण्डर्स क्यों आमन्त्रित किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां, फर्मों के नाम की सूची 'क' पर है जिन फर्म्स के टेण्डर स्वीकृत हुए उनका नाम सूची 'ख' पर अंकित है ।

(2) मसर्स मीटर्स एन्ड इन्सट्रूमेन्ट्स न्यू दिल्ली को 5 एम्पीयर के 5,000, 10 एम्पीयर के 5000 तथा 20 एम्पीयर के 3,000 मीटर्स के लिए लेटर ऑफ इन्डेन्ट भेजा गया था जो कि टस्ट सर्टिफिकेट के प्राप्त न होने पर बाद में डिटेल्ड ऑर्डर नहीं दिया गया । इसके अलावा मैसर्स रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल्स मेन्यूफैक्चरिंग कं०, बेंगलोर को 5 एम्पीयर के 7,500, 10 एम्पीयर के 10,000 तथा 20 एम्पीयर के 2,000 मीटर्स का ऑर्डर दिया गया है । और इसकी सप्लाई अगस्त के अन्त में चालू होनी है ।

(3) जी हां, सप्लाई हो रही थी, टेन्डर नं० 506 के अधीन खरीद सन् 67-68 की जरूरतों के मुताबिक थी । जिसका माल उन्होंने सप्लाई कर दिया । जब कि 563 की इन्क्वायरी सन् 1968-69 की जरूरतों को पूरा करने के लिये थी । इसलिये नया टेन्डर इन्क्वारी जरूरी थी ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पासपोर्ट कानून के उल्लंघन के मामले

613. **श्री भैरोंसिह शेखावत** (किशन-पोल, जयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 जनवरी, 1966 से लेकर अब तक किस किस व्यक्ति के विरुद्ध किस किस अदालत में पुलिस द्वारा पासपोर्ट कानून के उल्लंघन के आरोप में कब कब मुकद्दमे चलाये गये हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन मुकदमों का प्रत्येक का क्या क्या परिणाम रहा तथा इन अपराधियों के विरुद्ध किस किस प्रकार ी क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) पाकिस्तान से पासपोर्ट और वीसा से राजस्थान आने वाले कौन कौन व्यक्ति मियाद निकल जाने के उपरांत भी यहां रहे हुए हैं ? कृपया तालिका प्रस्तुत करते हुए यह बताएं कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 2

(अ० प्र० सं० 841 की सूची)

सूची (अ) अतारांकित प्रश्न संख्या 54, सा० नि० मु०, दिनांक 21-7-69

वर्ष	स्वीकृत धनराशि	ठेकेदारों द्वारा काम जो हुआ	नाम ठेकेदार
1964–65	20,000	25,495)	श्री कादर बक्ष
1965–66	54,000	57,754)	श्री कादर बक्ष, बाबू लाल दत्त, अजीत सिंह, मूलकराज
1966–67	25,000	19,579)	कादर बक्ष, मूलकराज
1967–68	72,000	65,185)	कादर बक्ष, सुखलाल अजगरसिंह
1968–69	50,000	64,991)	सुखलाल
1969–70	—	54,695)	उजागरसिंह

परिशिष्ट 3

(प्र० प्र० सं० 842 की सूची)

Estimate of repairs to old culverts of fair weather roads in Kota district

S. No.	Name of Division	Sub-Division	Name of road	Total of Amount required for culvert on each road
1	2	3	4	5
1.	Jhalawar	Baran	1. S/R to C. D. Works on Anta-Sangod fair wheather road via Sarson. 3 Nos. Culverts.	1,830.00
			2. S/R to C. D. Works on Anta-Mangrol fair wheather road via Pachrd Kala. 6 Nos. Culverts and Causeways.	4,742·00
			3. S/R to C. D. Works Mangrol-Ganeshganj Road. 6 Nos. Culverts Causeways.	5,398·00
			4. S/R to existing C. D. Works on Kishanganj to Mangrol via Chnod or Ramgarh fair weather road. 4 Nos. Culverts and Causeways.	9,670·00
			5. S/R to existing C. D. Works on Balawansita Bari F. W. Road. 1 No. Culvert.	20,044·00
			6. S/R to C. D. Works Deori-Samdhri Road. 4 Nos. Culverts and Causeways.	2,943·00
			7. S/R to C. D. Works on Kawai-Bhapawer F. W. Road via Chowghat. 5 Nos. Culverts and Causeways.	7,916·00
			8. S/R to C. D. Works on Baran-Nahargarh Road via Baran fair weather road. 4 Nos. Culverts and Causeways.	16,868·00

1	2	3	4	5
		Aklera	1. S/R to C. D. Works on Manoharthana Harnawada F. W. Road. 7 Nos. Causeways.	27,074·00
			2. S/R to Culverts on Road on Chippa near via Ratanpura-Barod-Ratanpura Parodiya F. D. Road.	3,689·00
			3. S/R to Culverts on road Chipa Barod-Narnavada Road. 11 Nos. Culverts.	3,31,375·00
		Jhalawar	1. Kaithoon Charhra Road. Culverts mile 12 to 30.	25,000·00
			2. Kanawas-Dhulat-Khanpur Rd. 11 Nos. Culverts and Causeways.	55,400·00
			3. Jhalawar-Gagron Road. 2 Nos. Culverts.	17,000·00
	Kota Dn.	**Bundi Sub-Dn. & Distt.**	1. S/R to Culverts on Situr Duni F. W. Road via Alod-Dablara. 2 Nos. Culverts.	2,625·00
			2. S/R to Culverts on Ganeshghate-Dablera F. W. Road 3. Culverts.	14,513·00
			3. Sator Basoli on Khiniya F. W. Rd.	4,820 00
			4. Ganeshghate to Rameshwer Road.	4,820·00
			5. S/R to Culverts Chorapher to Dabi F. W. Road.	1,074·00
				2,65,932·00
			Add 4½% for work charged establisment and contingencies.	11,966·00
				2,77,899·00
			Say ..	2,78,000·00

परिशिष्ट 4

(प्र० प्र० सं० 857 की सूची)

(सूची पालिकायें जिन्होंने वर्ष 68-69 में गृह कर लगाकर वसूली नहीं की)

1. चौमू
2. दौसा
3. कोटपूतली
4. बांदी कुई
5. आमेर
6. सीकर
7. फतेहपुर
8. खन्डेला
9. नीम का थाना
10. श्री माधोपुर
11. सवाई माधोपुर
12. निवाई
13. खेरली
14. डीग
15. बयाना
16. वैर
17. गंगाशहर
18 तारानगर
19. छापर
20. जोधपुर
21. परबतसर
22. सिरोही
23. उदयपुर
24. नाथद्वारा
25. राजसमन्द
26. देवगढ़
27. सलूम्बर
28. भीण्डर
29. डूंगरपुर
30. सागवाड़ा
31. चित्तौड़गढ़
32. प्रतापगढ़
33. निबाहेड़ा
34. कपासन
35. छोटी सादड़ी
36. बड़ी सादड़ी
37. बांसवाड़ा
38. कुशलगढ़
39. कोटा
40. इन्द्रगढ़
41. बूंदी
42. नैनवा
43. केशोरायपाटन
44. झालरापाटन
45. सुमेल
46. कामा
47. नदबई

Page No 336

परिशिष्ट 5

(प्र० प्र० सं० 859 की सूची)

नाम किरायेदार मोटर स्टेन्ड

क्रमांक	नाम किरायेदार	किराया माहवारी	जमीन	स्थान विवरण
1	श्री मोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल	10)	12×12	मोटर स्टेन्ड
2	श्री तोताराम	9)	10×10	"
3	श्री देवीलाल तमोली	9)36	10×15	"
4	श्री श्यामलाल मोतीलाल	12)	15½×9½	"
5	श्री भोजामल पावनदास	20)62	27×12	"
6	श्री जोगमल धीर्ग	28)12	30×18	"
7	श्री कन्हैयालाल धीर्ग	28)12	20×18	"
8	श्री नथीलाल हलवाई	35)62	36×29	"
9	श्री रमेशचन्द्र	11)	11×90	"
10	श्री अमीनखां	21)	14×14	"
11	श्री ईश्वरलाल	8)	9½×6	"
12	श्री ठाकुरदास	3)62	6×6	"
13	श्री जवाहरलाल	1)75	3×6	"
14	श्री नन्दलाल	11)	8×12	"
15	श्री मांगीलाल गिरधारीलाल	31)58	32×21½	"
16	राजस्थान रोडवेज	20)	कोठारी	"
17	श्री भगवानलाल गोपाल	21)	12×12	"
18	श्री देवीलाल	10)	10×10	"
19	श्री समुद्रसिंह	7)	8×8	"
20	श्री बिहारीसिंह	6)	6×6	"
21	श्री सुरेन्द्रकुमार	12)	5×15	"
22	श्री बाल मुकुन्द लाल	15)	12×10	"
23	श्री रामप्रसाद	10)80	12×9	"
24	श्री महावीर प्रसाद	8)	4×6	"
25	श्री मोहनलाल	6)	6×6	"
26	श्री माधूसिंह	9)	13×12	"
27	श्री मरलीधर पारसराम	10)	10×10	"

परिशिष्ट 6

(अ० प्र० सं० 887 की सूची)

तालिका 'अ'

प्रश्न संख्या 55 द्वारा श्री भैरोंसिंह

जोन	कुल कार्य: सड़क वर्ग गज में	कुल कार्य: पानी रनिंग फुट में	कुल कार्य: बिजली रनिंग फीट में	किया गया कार्य: सड़क वर्ग गज में	किया गया कार्य: पानी रनिंग फीट में	किया गया कार्य: बिजली रनिंग फीट में	शेष कार्य: सड़क व० गज	शेष कार्य: पानी र० फ०	बिजली र० फ०	विशष विवरण
जोन ए तथा एए	707040	8590	8590	105340	पूर्ण	पूर्ण	1200	..	..	जोन ए में लगभग समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है।
जोन बी	78000	6500	6500	39000	2600	..	39000	3900	6500	जोन बी में रोड सरफेस 50 प्रतिशत तथा कलेक्शन 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। प्रथम ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया अधूरा कार्य जो लगभग 2 माह का है अब पुनः दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया गया है।
जोन सी तथा डी	131200	7220	7220	57200	3600	3600	74000	3620	3620	जोन सी तथा डी का अधिकांश भाग कली के भट्टों के अन्तर्गत आने के कारण विकास कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका ज्योंही भट्टों को भूमि में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा विकास कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 870 की सूची)

नगरपालिका क्षेत्र में बनाई गई सड़कों की सूची

1. होम सिगनल के पास से बड़ी ईदगाह से सदर बाजार होती हुई भंवर लाल जी सोनी के मकान तक डामर रोड ।

2. श्री आशाराम चौधरी के मकान से भंवर लाल जी सोनी के मकान तक मेटल रोड ।

3. ढोलियों की कूंट से अल्लारख बेलीम, पीपली और खतरियों की गली गोड़ाबास मस्जिद को लेते हुये । मेटल रोड ।

4. सिन्धी डॉक्टर की दुकान से आरबिया गली व तेलियों की मस्जिद । मेटल रोड ।

5. दरगाह मस्जिद से टीबा मस्जिद वाया गवाड़ । मेटल व डामर रोड ।

6. बन्दूकियां की दुकान से अमरा गूजर के मकान तक । मेटल व डामर रोड ।

7. घोदू नायक के मकान से अब्दुला के मकान से बन्दिया कूआ । मेटल व डामर रोड ।

8. बाजार मस्जिद से गोरू गलाब के मकान व मनियारों की गली तक ।

9. स्कूल नं० 2 से गफार हाफिज के मकान तक । खुर्रा ।

10. दीन मोहम्मद की चक्की से पाबू जी का चबूतरा तक मेटल रोड ।

11. उपाध्याय सदन से सदर बाजार तक । खुर्रा और डामर रोड ।

12. उपाध्याय सदन से मस्जिद तक । सीमेन्ट ।

13. बिलाल चौधरी के मकान से स्टशन तक व पोस्ट ऑफिस से जय शिव चौक तक डामर रोड ।

14. पोस्ट ऑफिस से वाया कलन्दरी मस्जिद से होम सिगनल तक मेटल रोड ।

15. रेल्वे फाटक से चौधरी हाउस व हरिजन बस्ती होते हुये डाक बंगला तक मेटल रोड ।

16. घल जी सोमपुरा के कारखाने से मालियां बस्ती अकशी मस्जिद की ओर मेटल रोड ।

17. मूलचन्द जी माली के मकान से पंचायत समिति ऑफिस तक मेटल रोड ।

18. राम कुमार जी पंसारी के नाहरे से मूल चन्द जी की दुकान तक ।

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 872 की सूची)

नगरपालिका सफाई कर्मचारी यूनियन की मांगों की सूची

1. दिनांक 31-5-68 को हुई बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में स्वीकार की गई मांगों को अविलम्ब लागू किया जावे ।

2. पिछला सभी मंहगाई भत्ता अविलम्ब भुगतान किया जावें।

3. अनुचित एवं अनियमित रूप से निकाले नये सभी कर्मचारी वापिस काम पर लिये जावें ।

4. स्वास्थ्य साधन—1 गाड़ों, नालियों और गन्दे पानी की टंकियों पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को साबुन की दो 2 टिकियाँ प्रति सप्ताह दी जावें।

5. सफाई कर्मचारियों को पूरी यूनिफार्म दी जावे जिसमें जूतों की जोड़ी भी सम्मिलित की जानी चाहिये ।

6. सफाई कर्मचारियों को रहने की सुविधा प्रदान की जावे अन्यथा उन्हें मकान बनाने के लिये प्लॉट दिये जावें ।

7. गाड़ों और गन्दे पानी की टंकियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी दिक्कतों एवं कार्य की कठिनाई को देखते हुये अतिरिक्त भत्ता दिया जावे ।

8. कर्मचारियों की काम पर मामली देरी से पहुंचने के कारण अनुपस्थिति न लगाई जावे।

9. सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा हेतु उनकी कम आय को ध्यान रखते हुए विशेष भत्ता दिया जावे ।

10. श्री देवी लाल सफाई कर्मचारी को बिना किसी कारण एवं आधार के ही नौकरी से हटाये जाने की कार्यवाही अविलम्ब समाप्त की जाकर उन्हें काम पर लिया जावे ।

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 888 की सूची)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हाड़ौती खादी तथा ग्रामोद्योग संघ बारां को वितरित ऋण एवं सहायता का वर्षवार वितरण-पत्र
(नवीनीकरण के पश्चात्)

क्रमांक	वर्ष	ऋण	सहायता
1	1956-57	20.385.06	35,200.00
	1957-58	—	7,250.00
	1958-59	—	7,100.00
	1959-60	2,300.00	4,484.00
	1960-61	11,800.00	1,775.00
	1961-62	40,000.00	48.00
	1962-63	1,14,984.94	7,200.00
	बाद में कुछ नहीं दिया गया		
	योग:—	1,89,70.00	63,057.00

Page No 341

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

हाड़ौती खादी ग्रामोद्योग संघ, बारां (कोटा) को

बोर्ड द्वारा वितरित उद्योगवार ऋण व सहायता का उपयोगी

विवरण-पत्र

दिनांक 15-3-69 तक

क्र० सं०	उद्योग	स्वीकृत राशि ऋण दिया गया	सहायता दी गई	अनुपयोगी सहायता	ऋण प्राप्त	प्राप्त अनुपयोगी सहायता	ऋण शेष	शेष अनुपयोगी सहायता
					Repaid loan	Repaid by receipt loan		
1.	कुम्हारी	9,500·00	4,500·00	2,063·00	—	130·20	9,500·00	1,932·80
2.	ग्रामोद्योग बिक्री भण्डार	4,100·00	3,730·00	1,775·00	1,300·13	—	2,799·87	1,775·00
3	खादी	92,000·00	35,177·00	12,950·00	19,166·23	—	72,833·77	12,950·00
4.	तेल उद्योग	48,250·00	4,750·00	1,250·20	9,285·06	—	38,964·94	1,250·20
5.	चर्म उद्योग	15,620·00	12,400·00	3,319·00	1,100·00	1,240·82	14,520·00	2,078·18
6.	साबुन उद्योग	20,000·00	1,200·00	134·00	—	—	20,000·00	134·00
7.	रेशा उद्योग	—	1,100·00	—	—	—	—	—
8.	प्रदर्शनी	—	200·00	200.00	—	—	—	200·00
	योग ..	1,89,470·00	63,057·00	21,691·20	30,851·42	1,371.02	1,58,618·58	20,320·18

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 889 की सूची)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964-65 में कोयले की निर्धारित की गई विभिन्न दरें :— (एफ० ओ० आर० कोलेरी-साइट)

दरें रू०
प्रति 1000 कि० ग्रा०

प्रकार	अप्रेल, 64		जून, 64		अक्टूबर, 64		जनवरी, 65	
	स्लक	स्टाम	स्लक	स्टाम	स्लक	स्टीम	स्लेक	स्टीम
सिलेक्टेड—ऐ	25.94	26.99	26.00	27.05	26.49	27.54	26.89	27.94
,, —बी	24.46	25.51	24.52	25.57	25.01	26.06	25.41	26.46
ग्रेड —फर्स्ट	22.11	23.15	22.17	23.21	22.67	23.70	23.07	24.10
,, —सैकिन्ड	20.63	21.68	20.69	21.74	21.18	22.23	21.58	22.63
,, —थर्ड ऐ	19.15	20.14	19.21	20.20	19.70	20.69	20.10	21.09
,, —थर्ड बी	17.98	18.98	18.04	19.03	18.53	19.53	18.93	19.93
साफ्ट कोक	31.21		31.29		31.95		31.95	
बी० हाई व० हार्ड-कोक								
फर्स्ट-ग्रेड	47.50		49.99		50.65		51.50	
सैकिन्ड-ग्रेड	40.21		42.69		43.35		44.20	

परिशिष्ट 11

(भ० प्र० सं० 902 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व 'ख' विभाग

प्रति,

समस्त जिलाधीश।

संख्या एफ० 6 (15) राज० (ख) 68 जयपुर, दिनांक 11-11-68.

विषय:—नामान्तरकरण दर्ज करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा नियमों के विरुद्ध नामान्तरकरण दर्ज न किये जान के संबंध में।

———

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको किसी हस्तान्तरण द्वारा भूमि में हक प्राप्त होते हैं, यह तथ्य पटवारी अथवा तहसीलदार को भूमि पर कब्जा करने के 3 माह के अन्दर सूचित करने होते हैं। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार नामान्तरकरण के विषय में रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पटवारी को ही दी जाती है और पटवारी इस तथ्य को नामान्तरकरण में अंकित कर लेता है। कभी कभी ऐसी शिकायत भी प्राप्त होती है कि पटवारी नामान्तरकरण अंकित नहीं करता है और कुछ मामलों में अधिनियम तथा नियमों के विरुद्ध भी नामान्तरकरण दर्ज हो जाते हैं। इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिये निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जावे:—

1. नामान्तरकरण खोले जाने में अगर पटवारी के स्तर पर किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी कृषक को हो तो वह तहसीलदार को नामान्तरकरण खुलवाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रार्थना-पत्र ऑफिस कानूनगो एक अलग रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा आवेदन-पत्र की रसीद प्रार्थी को देंगे जिसमें रजिस्टर की क्रम संख्या तथा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि अंकित की जावेगी। ऑफिस कानूनगो इन प्रार्थना-पत्रों को ग्रामवार पटवार हल्कावार मण्डल में रखेंगे। पटवारियों की जब माहवारी बैठक हो तब पटवारी अपने नामान्तरकरण रजिस्टर साथ लावेंगे और उस समय तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार यह देखेंगे कि नामान्तरकरण दर्ज करने के संबंध में जितने प्रार्थना पत्र आये हैं उन सब के विषय में नामान्तरकरण पटवारियों द्वारा नामान्तरकरण रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया गया है। अगर कोई इन्द्राज नहीं हुआ है तो उनका इन्द्राज करावेंगे। अगर कोई नामान्तरकरण कानून के अनुसार दर्ज नहीं किया जा सकता हो तो उसको दर्ज नहीं किया जावे।

2. कुछ नामान्तरकरण कानून और नियमों के विरुद्ध दर्ज हो जाते हैं और अनियमितताऐं होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है इसलिये पटवारी अपने साथ नामान्तरकरण रजिस्टर बैठक में लावें तथा नामान्तरकरण रजिस्टर में दर्ज किये गये नामान्तकरणों की जांच तहसीलदार अथवा नायब-तहसीलदार करें ताकि अगर कोई कानून के विरुद्ध नामान्तरकरण दर्ज हुआ हो तो उसके बारे में वे इस प्रकार नियमानुसार कार्यवाही करें कि वह नामान्तरकरण फसला न हो सके और फैसला हो गया है तो उस संबंध में संबंधित परगना अधिकारी तथा जिलाधीश को अपनी रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें ताकि नामान्तरकरण को निरस्त किय जाने की कार्यवाही शीघ्र की जा सके ।

3. नामान्तरकरण प्रत्येक माहवारी बैठक में लाने के लिये पटवारी को पाबन्द किया जावे ।

4. इस व्यवस्था के विषय में सूचना पंचायत समितियों और पंचायतों में भी भिजवाई जावे ताकि कृषकों को यह जानकारी हो सके कि पटवारी द्वारा नामान्तरकरण न भरा जावे उस हालत में वे तहसीलदार को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं ।

इन आदेशों की पालना अविलम्ब तत्परता से की जावे ।

राजस्व सचिव ।

परिशिष्ट 12

(अ० प्र० सं० 903 की सूची)

परिशिष्ट (क)

दिनांक 30-6-69 तक दिये गये मनिलैंडिग लाइसेन्सों की जिलेवार सूची

क्र० सं	नाम जिला	लाइसेन्सों की संख्या जो दिये गये
1	अजमेर	571
2	अलवर	449
3	भरतपुर	484
4	जयपुर	395
5	सीकर	379
6	झुंझुनू	147
7	सवाई माधोपुर	949
8	टोंक	145
9	कोटा	199
10	बून्दी	9
11	झालावाड़	21
12	उदयपुर	2,237
13	बांसवाड़ा	472
14	डूंगरपुर	175
15	भीलवाड़ा	534
16	चित्तौड़गढ़	575
17	श्री गंगानगर	369
18	बीकानेर	59
19	चूरू	57
20	जोधपुर	390
21	पाली	738
22	नागौर	1,207
23	सिरोही	177
24	जालोर	678
25	बाड़मेर	263
26	जैसलमेर	184
		11,863

परिशिष्ट 13

(अ० प्र० सं० 904 की सूची)

क्रमांक	नाम राज्य कर्मचारी	नाम अलॉटी	राज्य कर्मचारी से सम्बन्ध
1	2	3	4
1	श्री शिवरतनसिंह, मेडिकल ऑफिसर, चाक्सू	शिवरतनसिंह	पुत्र
2	,,	कुलदीपसिंह	पुत्र
3	श्री रामगोपाल, हैडमास्टर, हाई स्कूल, चाक्सू	बजगोपाल	पुत्र
4	श्री गिरराज किशोर, पं० सं०, चाक्सू	श्रीमती रामदुलारी	स्त्री
5	श्री ,, ,,	श्री रामचरण	भाई
6	श्री चिरंजीलाल गिरदावर	सन्तोषकुमार	पुत्र
7	श्री जगदीश शर्मा, पटवारी	राधेश्याम	पुत्र
8	श्री हरिनारायण, पटवारी	नरेन्द्रकुमार	पुत्र
9	श्री नेमीचन्द, गिरदावर	माधोलाल	पिता
10	श्री जगदीश स्वरूप, सप्लाई क्लर्क	राधारमण	पुत्र
11	श्री मदनलाल, सप्लाई क्लर्क, धवेजा	—	पिता
12	श्री मुकन्दसिंह, ऑफिस कानूनगो	—	रिश्तेदार भूमिहीन व्यक्ति
	श्री पन्नालाल, कनिष्ठ लिपिक एस०डी०ओ०, जयपुर	—	—
13	श्री ,, ,,	साधूराम	भाई
14	श्री ,, ,,	श्यामलाल	भाई

परिशिष्ट 14

(अ० प्र० सं० 906 की सूची)

सूची आवंटन भूमि जनवरी, 69 से 31 जुलाई, 69 तक तहसील, हिण्डोली, जिला बून्दी

क्रम सं०	नाम ग्राम एवं मण्डल जिसकी भूमि आवंटन कार्य	भूमि जो अलॉट हुई	तारीख जिसको बैठक बुलाई गई	बैठक में उपस्थिति का विवरण
1	2	3	4	5
1	ठीकरदा	रिट	दिनांक 10, 11-4-69 का अलोटमेन्ट प्रोग्राम घोषणा-पत्र तामील न होने से कैन्सिल किया गया, जिसकी सूचना बैठक के सदस्यों को 9-4-69 को जारी की गई।	
2	डावेटा	41	21-5-69	श्री जगपालसिंह, सरपंच, डावेटा तथा श्री भंवरलालजी, तहसीलदार, हिण्डौली
3	हिण्डौली	15	23-5-69	श्री शिवराजसिंह, सरपंच, हिण्डौली, श्री भंवरलालजी तहसीलदार, हिण्डौली।
4	ठीकरदा	35	17-6-69	श्री भंवरलाल, तहसीलदार, हिण्डौली
5	भैरूपुरा आकोदा	204	18-6-69	श्री भंवरलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत, आकोदा, श्री भंवरलाल, तहसीलदार, हिण्डौली
6	डाबेटा	32	19-6-69	श्री नवलकिशोर, बी० डी० ओ०, हिन्डौली, श्री भंवरलाल, तहसीलदार, हिन्डौली

7	सथूर	12	28-6-69	श्री अमीर मोहम्मद, सरपंच, ग्राम पंचायत, सथूर श्री भंवरलाल, तहसीलदार, हिण्डौली
8	पैंच की बावड़ी, काछोला, टोकडा	9	27-7-69	श्री गोपाल लाल, सरपंच, कोछोला, श्री बुद्धदेव, सरपंच, पैंच की बावड़ी, श्री पदमसिंह, सरपंच, टोकड़ा, श्री भंवरलाल, तहसीलदार, हिण्डौली
	आवंटन योग कुल एकड़ों में	348		

परिशिष्ट 15

(अ० प्र० सं० 912 की सूची)

ग्राम माणु, तहसील लाडनूं से नाडियां मय खसरा नम्बर व क्षेत्रफल की सूची

क्रम सं०	नाम नाडी	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	मालो लाई	20	8।)4 बीघा	
2	देवळी	26	1।।)2 ,,	
3	गडवा	173	3।।)4 ,,	
4	नानकिया	159	1।)2 ,,	
5	बुंसानिया	185	।।)1 ,,	
6	कुमटिया	234	1)1 ,,	
7	हलूडा	248	)1 ,,	
8	डोडोलाई	271	।।।)2 ,,	
9	नई बाडी	311	1।) ,,	
10	नाथोलाई	319	।)3 ,,	
11	डूगाडिया	325	।।)4 ,,	

परिशिष्ट 16

(अ० प्र० सं० 919 की सूची)

प्रशासन				स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान	छात्रवृत्ति	भवन निर्माण अनुदान	छात्रावासों का सुधार	लीगल एड	संस्कार केन्द्र	अन्य	कुल योग
कर्मचारी का वेतन	यात्रा	अन्य प्रसार	योग								
706188	52199	170838	866225	1803931	3109471	334000	3291922	1200	1081454	2449117	11964010

परिशिष्ट 17

(अ० प्र० सं० 304 की सूची)

Statement of Suicide cases from 1962 to July, 1969

No. Year	Number of persons who committed suicides during the year		No. of persons who committed suicides due to economic causes like unemployment, poverty, indebtedness financial difficulties etc.		No. of persons who committed suicides due to protracted ailments and incurable diseases		No. of persons who committed suicides due to frustration in love affairs		No. of persons who committed suicides due to failure in examinations and similar set backs		No. of persons who committed suicides due to domestic troubles, infidelity social stigma and the like		Other causes	
	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females	Males	Females
1. 1962	124	172	17	6	31	55	2	7	4	2	70	102	—	—
2. 1963	118	201	22	12	35	70	2	6	9	7	50	106	—	—
3. 1964	140	163	16	8	42	35	1	5	6	4	74	109	1	2
4. 1965	103	185	15	7	16	18	13	8	4	5	52	146	3	1
5. 1966	149	114	15	2	5	1	28	21	7	1	85	83	9	6
6. 1967	469	299	5	4	44	25	4	4	5	—	33	73	378	193
7. 1968	210	233	27	12	34	28	4	8	13	7	49	80	83	98
8. 1969	63	86	17	3	15	17	1	—	1	2	22	51	7	13

परिशिष्ट 18

(प्र० प्र सं० 656 की सूची)

सेवामें,

श्रीमान् शिवचरण जी माथुर,
मानयवर शिक्षा मंत्री, राजस्थान, जयपुर,
भीलवाड़ा

विषयः—ग्राम पंचायत सांगानेर के लेखे जोख की पुलिस विभाग द्वारा पुनः जांच कराने हेतु ।

उपरोक्त विषय आप से नम्र निवेदन है कि मुझ प्रार्थी पर जो आरोप लगाये गये हैं वह सर्वथा निराधर हैं एवं बेबुनियादी जिसके स्पष्टीकरण में मैं निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

1. मैं खद कभी भी रोकड़ का लेखा जोखा व पोते बाकी स्वयं कभी भी नहीं करता और नहीं मैंने कभी भी पंचायत की रकम अपने कब्जे में रखी ।

2. श्री सचिव महोदय हीं हमेशा रोकड़ का मिलान करते थे जो कि तहसील पंचायत द्वारा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति होता था और उनके पास रोकड़ का मेल व पोता रहता था ।

3. मुझ प्रार्थी से सचिव अपने समय की सुविधा के अनुसार कागजात पर मेरी सही करवा देता था और मुझे यह कभी भी अन्देशा नहीं था कि पंचायत के हिसाब किताब में किस प्रकार की गफलत है।

4. मैं दिनांक 24-12-1968 को सरपंच पद से निवृत्त हो गया था तत्पश्चात भी पंचायत के हिसाब किताब की गफलत के आरोप मुझ पर थोपे गये हैं जो सरासर मुझे परेशान करने की साजिश है व मुझे इसमें स्पष्टीकरण देने का मोका भी नहीं दिया गया और यह कार्यवाही एक तरफा ही जारी रखी गई ।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान मे रखते हुये मुझ प्रार्थी की इस दरख्वास्त पर इस मामले की पुनः जांच हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को सूचित करें और मेरे साथ जो नाजायज अन्याय हो रहा है वह न हो और अपने मामले में मैं सचाई के साथ स्पष्टीकरण पेश कर सकूं ।

आशा है व पूर्ण विश्वास है कि मेरे सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करवा कर अनुगृहीत करें ।

ह ।
मदन लाल,
सरपंच, सांगानेर

परिशिष्ट 19

(अ० प्र० सं० 676 की सूची)

निम्नलिखित ऑडिट रिपोर्टों के निम्न एतराजों की पूर्ति अभी तक बकाया है :–

वर्ष	एतराज संख्या
52–53	3/2 ।
53–54	9 (क) (ख) (ग) (घ) 15, 16, 18, 21, 4, 1/33 ।
55–56	6, 19, 27, 29, 31
56–57	3, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 व 24 ।
57–58	5, 16 से 21, 23 से 25, 28 ।
58–59	8, 12, 13। 1, 14/2 से 5, 18, 20, 24, 25, 13/2, 16, 16/4 ।
59–60	7 (ग), 11 ।
60–61	1, 4,/5 क, ख, 13 (ग) 14, 16, 6 से 9, 15, 17 व 20 ।
61–62	3, 7 से 9, 10/1 से 8, 11/1 से (8), 12, 14, 16, 20, 24/28 से 30 ।
62–63	3, 9, 10 (ख) (ग) 11, 17, 19 से 24, 27 से 30 ।
63–64	खण्ड (अ) 1 ।
	खण्ड (ब) 5 (2)(3) व (2), 10, 13 (2) 19, 20, 21 (1), 21 (2) 9 (3), 22 से 27, 32 ।
64–65	4 (3), 6, 9, 10, 11, 14, (5) (7) 20, 2, 24, 26 ।
65–66	4 से 9, से 15, 17, 19 से 22–24 से 32, 34, 35, 37, 38, 43 (2) ।
66–67	भाग (अ) 1
	भाग (ब) 2, 4(अ) 5, 6, 7, 8 (क) (ख) (ग) (घ) (च) (छ) (ज), 8 (क) (ख) (च) 10, 11, क-ख-ग-घ, 13, 16 क-ख-ग, 12 क-ख-, 17 (क) 18, 19, 20 से 31, 32 क-ख, 33, 34 क-ख, 35 से 45, 47, 48, 49
67–68	1 से 50 तक ।

———

परिशिष्ट 20

सूची (क)

पाली जिले के अंतर्गत फैमिन में बनी हुई सड़कों का व इनके पहले जो सड़कें थीं उनका ब्यौरा निम्न है :–

पाली जिला :–

नाम रोड	सड़कों की लम्बाई फैमिन से पहले	सन् 67-68 व 68-69 में फैमिन में बनी हुई सड़कें
सीमेन्ट	——	——
डाम्बर रोड	440 कि० मी०	114 कि० मी०
मेटल्ड रोड	167 ,, ,,	19 ,,
ग्रेवल रोड	743 ,, ,,	470 ,,
फैयर वेदर रोड	75 ,, ,,	141 ,,

सूची (ख)

नागौर जिले के अंतर्गत फैमिन में बनी हुई सड़कों का व इनके पहले जो सड़कें थीं उनका ब्यौरा निम्न है :–

नाम सड़क	सड़कों की लम्बाई फैमिन शुरू होने से पहले	सन् 67-68 व 68-69 में फैमिन में बनी हुई सड़कें
सीमेन्ट	—	—
डाम्बर रोड	445 कि० मी०	12 कि० मी०
मेटल्ड रोड	87 ,,	485 ,,
ग्रेवल रोड	1194 ,,	525 ,,
फैयर वेदर रोड	—	12495 ,,